

आर्यविधानम्

(विश्वेश्वरस्मृतेस्तरार्थरूपम्)

भाषाटीकोपेतम्

द्वितीयो भागः

भहामहोपाध्याय-

पण्डितं विश्वेश्वरनाथ रेउ—

विरचितम्

विहार-प्रान्त-शासक (Governor)

श्रीमान् माधव श्रीहरि अणे—

लिखितया भूमिकयोपेतम् ।

प्रकाशकः—

श्री गोदार्द्धनलाल कावरा

प्रथमावृत्तिः

मूल्यम् ₹० १०)

FOREWORD

BY

HIS EXCELLENCY M. S. ANEY
GOVERNOR OF BIHAR.

Pundit Vishveshwar Nath Reu published his first volume of AryaVidhan, Uttarardha (latter half) of his Smriti, last year at the end of the month of Ashadh. In his preface to that work he had promised to present to the learned men his second volume shortly. True to his word, almost to the letter, he has completed his work and is publishing it within a year from that date.

His first volume, dealing mainly with inheritance and succession, has been well received by the learned public and the legal profession and appreciately noticed in the Press by those who are qualified to pronounce an authoritative opinion on this important and unique treatise on Hindu Law in Sanskrit. His Excellency Dr. Kailasnath Katju, Governor of West Bengal, a lawyer and a jurist of great eminence, wrote the foreword to the book. I have no doubt that this second volume will also meet with the same cordial and appreciative reception at the hands of the lawyers and Sanskrit scholars as the first one.

Many eminent Indian lawyers and jurists have written comprehensive works on Hindu Law during the last one hundred years. Some of them are standard works and widely referred to by the lawyers and judges in discussing and deciding points of Hindu Law. As the language of the courts was English during the British rule, all those works were written in English. Pundit Vishveshwar Nath Reu is, so far as I know, the first Indian lawyer to write in Sanskrit a treatise on some of the most-

Important branches of Hindu Law. Any one who reads this book will have to admit that the learned author has treated the subjects included therein thoroughly, taking special care to introduce into the book the latest changes brought about by judicial decisions and legislation. He has also indicated in an appendix the reforms outlined in the Hindu Code Bill which is pending before the Parliament.

This book will show the readers how the most complex concepts of modern jurisprudence can be

proper treatment in books written in English. This special feature of Sanskrit language, viz. its capacity to compress in a few words the sense conveyed in lengthy discussions even in civilized and highly developed languages like English, French, German, etc., should be its strongest recommendation for being the medium of India to express her cultural conceptions to her own children and the rest of the world as well.

Dharma Shastras, their commentaries and the Nibandhan based on them dealing with the

the British rule as that was admittedly the common religious and cultural language of the whole of the country, the introduction of Sanskrit by the thinkers like

Dr. Bhagwandas and others realised the importance of retaining Sanskrit as the language of the nation for expression of their ideas and views on matters of cultural and scientific nature. He wrote his famous work Manavabharmasar in Sanskrit. I may bring to the notice of the readers that champions of Ayurvedic system have recently written their works on physiology, anatomy and general system of Ayurveda in Sanskrit. Similarly, the scholars who are out for reform of the Indian

calendar have also compiled their treatises on Indian astronomy in Sanskrit. Sanskrit should be automatically restored to her natural position as the common cultural language of India, now that the British power has disappeared and the English language could not therefore retain its position as a common language of the educated people of the country. No knowledge can form a permanent part of Indian cultural thought unless it is conveyed to the Indians through the medium of Sanskrit language. That language is like mother's milk. Thought conveyed through it can be more easily taken in and digested by them. If we want to make an earnest effort for the development of the Indian nation according to its genius, adoption of Sanskrit language as a medium of common cultural thought is essential. The experience gained in the past 150 years should be sufficient to convince everyone who thinks seriously that knowledge taught to the people through a medium of language other than Sanskrit has no tendency to take root, grow and mould the thought and actions of the common people. But when it comes, through Sanskrit, it automatically spreads and serves the masses. Philosophic ideas of Shri Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Vallabhacharya and other great teachers became popular among the people within a short time. The reason is that they understood exposition in Sanskrit language without much effort as that is the mother language which feeds the Prakrit tongue spoken by them. The process is automatic.

I am, therefore, very glad that the learned author has written his work in easy and elegant Sanskrit. The old Pundits who know the law contained in the Smritis and the Nibandhas had no means so far to know the alterations brought about in the Hindu Law by legislative measures and judicial decisions. The present work will place in their hands the latest version of Hindu Law and will thus help them to know it up to date. It is very necessary that the latest aspect of the Hindu

laws and the tread of modern thought which aims at their further reform should be available to them. The old Pundits with their thorough grasp of the principles of Mimansa and its canons of interpretation, are the proper persons to elucidate the fundamentals underlying the system of Hindu jurisprudence as conceived by the old Rishis and also examine critically the modern innovations in the light of those principles. It will give rise to a lively discussion which will undoubtedly influence mine of fat...
ter-
nes

Pundit Reu's work will certainly raise the question of the importance of Sanskrit language in the making up of New India. If India wants to progress on lines and not have a past, Indian State should Sanskrit as her cultural language. No other language, foreign or Indian, can take its place.

Before I conclude I thank Pundit Reu for the great regard he showed in asking me to write a foreword to his scholarly work on Hindu Law. Pundit Reu's name will be added to the galaxy of those illustrious Hindu Law by Smritis in the names of whom will be enshrined by posterity with reverence and gratitude.

अथेति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीभराः ।
नास्ति येऽपां यशःराये जरामरणं भयम् ॥

(सुभाषितम्)

Ranchi

21-6-49:

M. S. AXEL

विहारप्रान्त—शासकेन महामान्येन

थ्रीमता माधव थ्रीहरि अणे महोदयेन लिखिताया
भूमिकायाः संस्कृतानुवादः ।

परिणित विश्वेश्वरनाथ रेड्डणा स्वनिर्मिताया विश्वेश्वरस्मृतेऽन्तर्गतर्थहपस्य
अस्यार्थविधानस्य प्रथमो भागो गतर्थपाठान्ते यः प्रकाशितस्तद्भूमिकायां
तेन तस्य द्वितीयमपि भागंमचिरादेव विद्वत्समाजसम्बन्धमुपस्थापयितुं
प्रतिष्ठातमासीत् । तदेतत् स्वं कथनमङ्गरशः पालयता तेन सोऽपि पूर्णतां-
नीतः । वर्षाभ्यन्तर एव च स तेन प्रकाशयमानो नयनपथंमुपयाति ।

तदीयः स प्रथमो भागो, यत्र प्रायो दायप्राप्तिस्तराधिकारश्च विवेचितः,
परिणितवर्गेण वैधानिक-समाजेन च सममानि, प्राशांसि च सामयिकपत्रेषु
सम्यक् सविवेचनं संस्कृतभाषापालिकिते महत्त्वपूर्णऽस्मिन्नपूर्वे निवन्धे
संमतिदानममर्थैरलंकर्मणैर्विद्वद्विः । विधानशास्त्रपारीणेनाऽत्युच्छ्रेणीय-
व्यवहारचिदा मान्यतरेण पश्चिमवज्ञशासकेन डाकटर-श्रीकैलासनाथ-
काटजू-महोदयेन चैतदीयप्रथमभागस्य भूमिका लिखिताऽसीत् ।
विश्वमिमि, तदीयोऽप्य द्वितीयोऽपि भागः प्रथमभागाथदेव वैधानिकवर्गेण
संस्कृतव्यक्तिकोविदकुलेन च सम्यक् सामिनन्दं चाहनो भवितेति ।

अतीतायां शताव्यासुल्कप्रश्रेणीयैर्वाकीलैर्व्यवहारदैश्वार्थविधानविषये
समदर्भिष्ठ सुमहान्तः संदर्भाः । तेषु केचनादर्शत्वेनाद्रियन्ते व्यवहित्यन्ते
च वाकीलैर्व्याधीशीश्च हिंदूविधानीयविषयविवेचननिर्धारयेषु अती-
वाधिक्येन । फिन्तु त्रिटिशराज्ञे आंग्लभाषाया न्यायालयीयभाषात्वेन ते
सर्वे निवन्धास्तस्यामेव भाषायां व्यलिख्यन्त । यावद्दूर्वेद्विः, पं० विरये-
श्वरनाथ रेडरेव भारतीयेषु विधानशास्त्रस्य प्रथमो विद्वान्, येनार्थविधा-
नसंबन्धनीर्पु गौरेवासपदेषु कतिपयासु शास्त्रासु संस्कृतभाषयो लिखितोः
ग्रन्थः । प्रत्येकेनैतत्पाठकेनेदं मन्तव्यं भविष्यति यदेतस्य लेखकेन निर्दिष्टाः
सर्वेऽपि विषया विशद्वत्या व्यविच्यन्त । मुतरामवहितं चात्रं तेन;
व्यावहारिकनिर्णयैर्व्यावयवस्थाभिश्च कृतानि नवीनतमानि परिवर्तनानि-

समायेशयितुम् । तेन परिशिष्टे विधानपरिषत्समक्षमुपस्थापितस्य दिन्दृ-
शिधानस्य हपरेखायां समुद्रतानि संशोधनान्यपि संमुद्दिलख्यन्ते ।

ज्ञापयित्यतेत्युत्तरं पाठकान्, यदिदानीतनन्यायव्यवस्थावा-
जटिलसमस्या अपि पर्याप्तरीत्या यथार्थेन च कर्थं विशदीकरुं शक्यन्ते -
संस्कृतभाषायाम् । अत्रत्येषु कनिष्ठेषु श्लोकशतकेषु विशदीकृतो विषेयो
यदीग्निशाभाषायां लिख्येत तदा चेन्नाधिकनराणि तदिं तावन्ति पूष्टशत-
कानि तु अवश्यमेवापेत्येतन् । विशिष्टोऽयंगुणः संस्कृतभाषायाः ।
तत्र (संस्कृते) हीग्निशाग्निः, फैचभारत्या, जर्मनभाषया ताट्योन्नत-
पर्याप्तपरिषुष्या वा क्यापि अन्यया भाषया विस्तृतविद्येचनादारा विश-
दीकृत आशयोऽप्यल्पाल्पैः पदन्यासैः संक्षेपुं शक्यते । भारतदारा
स्वबालकानामन्येणां वा परिशिष्ट-संसारिणां हृदयेषु स्वसास्कृतिकभाषयना
अङ्गयितुं माध्यमत्वेन संस्कृतमेवाबलम्बनीयमित्यत्र एष एव सुदृढः
प्रमाणलेपः ।

इग्निशाराज्यारम्भतः प्राग् व्योपकविपयाणां तदन्तर्गतमुख्यमुख्य-
विपयाणां वा विवेचकानि सर्वाणि धर्मशास्त्राणि तदवलम्बिता व्याख्या
निवन्धाश्च संस्कृतभाषायमेवाऽलिख्यन्ते । यतः सेव तत्त्वालोक्य-
निविलभारतसंमता सर्वजनीना धार्मिकी सांस्कृतिकी च भाषासीत् ।
किन्त्वग्लैर्दीर्घराम्लभाषायां तत्पदभाषेपितायां व्यक्तुप्यत सेवा पद्धतिः ।
एवं सत्यपि तदानी डॉक्टर-भीमगवानदासरताट्टशोऽन्ये च दूरदर्शिनो
विचारशीला जेनाः सांस्कृतिकेषु वैशानिकेषु च विपयेषु स्वं भर्तं प्रकटी-
चिकीर्षवः संस्कृतस्वीव राष्ट्रभाषागत्याक्षीकरणेन स्वं गौरवमन्यन्ते । ३००
भीमगवानदासो मानवधर्मसाराभिधानं स्वकीयं प्रस्थं संस्कृतं एव विर-
चितवान् । अहमेतदपि पाठकेष्यः 'सूचयितुमिच्छामि यदायुर्वेदपद्धति-
पक्षपातिनः सांप्रतमेव शारीरिकक्रियाशास्त्र-शारीरक्यवच्छेदशास्त्रायुर्वेद-
साधारणप्रणालीपुं स्थानं प्रन्थानं संस्कृतभाषायमेवं निर्मितवन्तः । इन्थं
भारतीय-पञ्चाङ्गसंशोधनव्यापृता यिदांसोऽपि भारतीयम्बोलविद्यास-
इवदीनि स्वानि पुस्तकान्यपि देवघारयमेवं प्राप्तेषुः । इदानी तु
तुप्तीवेन्निश्चाप्तु । अतो नांगलभाषा साक्षर-समाजस्य मंभाषणभाषा
अवितुं प्रभवति । अतः संस्कृतभाषा तदीये नैसर्गिके भारतीयसांस्कृतिक-

भाषापदे पुनः स्थापनीया । क्वचिदपि नाम विद्या भारतीयेभ्यः संस्कृत-
भाषाभाष्यमद्वारा यदि नो शिक्षिता स्यात्तर्हि सा भारतीयसांस्कृतिक-
विचाराणा स्थाप्यङ्गं भवितुं नैव प्रभवेत् । इदं (संस्कृतं) हि मातृस्त-
न्यायते (भारतीयेभ्यः) । एतदद्वारा नीयमाना विचारा एभिः (भारतीयैः)
अतीव सुप्रहाः सुप्रचाश्च । यदि वयं भारतीयं राष्ट्रं तत्परम्परानुसारं
विकासयितुं सुदृढं व्यवस्थेम तर्हि संस्कृतभाषा सर्वजनीन-सांस्कृतिक-
विचार-भाष्यमत्वेनाऽवश्यं स्थीकारणीया स्यात् । समतीतायाः सार्ध-
शताब्द्या अनुभवो गमीरविचारिणं प्रत्येकं जनमेतद् विश्वासयितुमलं-
भूष्युः स्याद् यत्, संस्कृतेतरभाषाभाष्यमद्वारा शिल्पमालां द्वानं नैव
(भारतीयानां कृते) मूलप्रहण-प्रवृत्तये कल्पेत, नैव च परिवृद्ध्य सर्व-
साधारणजनस्य विचारान् व्यापारांश्च संस्कृतुं प्रभवेत् । परं तदेव यदि
संस्कृतभाषाद्वाराऽधिगम्येत, तर्हि स्थयं परिवर्धेत जनतां च लाभं नयेत् ।
श्रीशङ्कर-रामानुज-भाष्य-बल्लभाचार्याणां तदितरेयामाचार्याणां च
दार्शनिका विचारा अचिरेण्यै लोकप्रियतां प्राप्ताः, अत्रैतदेव कारणं,
यत्ते निरायासविशेषं स्वाशयप्रकटनाय संस्कृतभाषाप्रथ्यमहत्त्वमबुद्ध्यन्त ।
यतः सैवास्मदीया मातृभाषा; या जनैर्भाष्यमाणां प्राकृतभाषां पुष्टाणि ।
स्वयंसिद्धः किल सर्वोऽवश्यं कार्यक्रमः ।

ममायमतीव हृषीं यद् विदुपा प्रन्थकर्त्ताऽयं ग्रन्थो प्रथितः सुम्दर-
सरलया संस्कृतभारत्या । नासाद्रितं किमपि साधनं स्मृतिनिवन्धगतवि-
धानविद्धिः पुरातनविद्वद्विद्विद्याधधि विधानव्यवस्थापनकार्यव्यावहारिक-
निर्णयैश्च कृतानि परिवर्तनानि ज्ञातुम् । परमेष प्रन्थोऽधुनाऽलङ्घरि-
प्यति तेषां करकमलं हिन्दूविधानस्य नवीनतमरूपान्तरपरिहापनाय ।
एवमस्य सांप्रतिकं हृषीं ज्ञापयितुं तत्कृतेऽयं (ग्रन्थः) साहाय्यं दास्यति ।
तेषां कृते एतदत्याथश्यकं यदार्थविधानस्य नवीनतमानि रूपाणि भविष्य-
संशोधनलद्या आधुनिकविचारगतीश्च ते जनन्ते भवेयुः । मीमांसासि-
द्वान्तानां तदर्थनिरूपणनियमानां च ज्ञातारः पुरातना विद्वांस एव प्राचीन-
महर्षीणामाधारभूतानि व्याव्यवस्थापद्वितिमर्माणि प्रकटयितुं प्रभविष्य-
शस्त्रनियमप्रकाशेचाधुनिक-नियमान् गुणागुणप्रकाशनपूर्वकं परीक्षितुं
प्राप्तमन्ते । नदेन तदीयं परीक्षणं सज्जीवं किन्तु निर्विकारं विचारं विमर्श-

जनयिष्यति करिष्यनि च भारतीयरात्रेषाम् प्रभावयितुं हत्थावन्तराणां
यथार्थं निःसंदेहं च जननाया आगामिनीमुक्तनिहपरेखां निर्धारयितुमु-
क्तानां नेतृणां महायताम् ।

रेऽपरिष्ठतस्यायं ग्रन्थो नव्यभारतनिर्माणे संस्कृतभाषामहत्वप्रभ-
मुत्पादयिता । यदीत्र भारतवर्षे रिधरतापयेन चिकीर्षत्युत्त्रनिम्, रित्तिपृष्ठि
च स्वकीयामविलिङ्गनताम्, अपिच स्वानीतममयादचिन्तनमाकस्मिकं च
न धाइष्टति विच्छेदम्, तर्हि भारतीयराज्येन संस्कृतं सांस्कृतिकभाषात्वेन
स्वीकृतुं बन्धनीयः परिकरः । नान्या देशीया विदेशीया या भाषाऽस्याः
पदं प्रहीतुमीष्टे ।

एतद्-भूमिका-समापनतः प्राक्-यदहं श्रीरेऽपरिष्ठतेन वैदुष्यपुरुषर-
लिग्निरसं स्वनिवन्धस्य भूमिकालेखनेन मंमानितोऽस्मि, तदर्थं सम-
र्पयामि धन्यवादान् । पण्डितश्रीरेऽनामं तेषां कीर्तिशशालिनां कर्तव्ये-
परायणानां पूतास्मनां तेजोमये मरण्डले संयोग्यते, येरतीते समये स्मृति-
पदाल्पपदिष्टैः स्वैर्महाद्विः प्रबन्धैहिन्दूयिधानानि विरचितानि । अतोऽसा-
यपि महाभागस्तेष्वेकतमो भविष्यति, येषां नामानि भाविनीभिः संततिभिः
सादरं सकृतज्ञत्वं च स्मरिष्यन्ते ।

जयन्ति ते सुकृतिनो रसनिद्वाः कथीश्वराः ।
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम् ॥

(सुभापितम्)

राँची
२१-६-४६ }.

एम. एम. अशो:

विहार के शासक (GOVERNOR)

महामान्य श्रीमान् माधव श्रीहरि आणे

द्वारा लिखी भूमिका का हिन्दी अनुवाद ।

परिणत विश्वेश्वरनाथ रेडे ने अपनी विश्वेश्वरसमृति के उत्तरार्धरूप इस आर्यविधान का पहला भाग गत वर्ष आपादे के अंत में प्रकाशित किया था और उस भाग की भूमिका में उसके दूसरे भाग को भी शीघ्र ही विद्वानों को भेट करने की प्रतिज्ञा की थी । अपने कथन का अक्षरशः पालन करते हुए उन्होंने उसको भी पूरा कर दिया है और वे उसे तब से एक वर्ष के भीतर ही प्रकाशित कर रहे हैं ।

उनका यह प्रथम भाग, जिसमें विशेषतया दायप्राप्ति और उत्तराधिकार का विवेचन है, परिणत वर्ष और कानूनी पेशे वालों द्वारा सम्मानित हुआ है और संस्कृत में लिखे गये हिन्दू-विधान के इस महत्त्व-पूर्ण और अपूर्य निवंध पर साधिकार संभवि देने में समर्थ पुरुषों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में मुन्द्र विवेचना के साथ प्रशंसित किया गया है । उस प्रथम भाग की भूमिका पश्चिमी वर्गाल के शासक (Governor) महामान्यवर तथा विधानशास्त्र के विद्वान् और अल्युच्चकोटि के व्यवहारज्ञ डाक्टर कैलासनाथ काटजू ने लिखी थी । मुझे विश्वास है कि उनका यह द्वितीय भाग भी प्रथम भाग के समान ही कानून के विद्वानों और संस्कृत के परिणतों द्वारा सच्च और प्रशंसा पूर्ण संमान प्राप्त करेगा ।

पिछले सौ वर्षों में बहुत से उच्चकोटि के वकीलों और व्यवहारज्ञों ने हिन्दू कानून के संवन्ध में बड़े-बड़े ब्रंथ लिखे हैं । उनमें से कुछ आदर्शरूप हैं और वकीलों और न्यायाधीशोंद्वारा हिन्दू-विधान-संवन्धी विषयों का विवेचन और निर्धारण करने में अत्यधिक उपयोग में लिये जाते हैं । परन्तु अङ्गरेजों के राज्य में न्यायालयों की भाषा अङ्गरेजी होने से वे सब ब्रंथ अङ्गरेजी में ही लिखे गये हैं । जहाँ तक मुझे जात है, परिणत विश्वेश्वरनाथ रेडे ही भारतीयों में विधान के पहले विद्वान हैं, जिन्होंने हिन्दू कानून की कुछ विशेष महत्त्व की शाखाओं पर संस्कृत में पुस्तक लिखी है । इस पुस्तक को पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अङ्गीकार करना होगा कि इसके विद्वान् लेखक ने पुस्तक में दिये विषयों का विशदरूप से विवेचन किया है और व्यावहारिक निर्णयों और न्यायव्यवस्थाओं द्वारा किये गये नवीनतम परिवर्तनों का भी पुस्तक

में समावेश करने का विशेष ध्यान रखता है। उन्होंने परिशिष्ट में विधान-परिषद् के सामने अप्रियत किये हिन्दू कानून के मस्सोंदे में उद्भूत संशोधनों का भी उच्चे मर्यादा दिया है।

यदि पुस्तक पाठकों को घबलायगी कि आधुनिक न्यायव्यवस्था की जटिल समस्यायें भी पूर्ण और व्यावर्थ रूप से संस्कृत में किस प्रकार प्रकट की जा सकती हैं। इसमें जो कुछ कवित्य शोकशतकों में लिखा गया है, उसे ठीक तौर से प्रकट करने के लिए अहंरेजी में लिखी पुस्तक में अधिक नहीं तो कम से कम उतने ही पृष्ठों की आवश्यकता होगी। संस्कृत भाषा में यह खास गुण है। अर्थात् उभयं अहंरेजी, फ्रैंच, जर्मन आदि उन्नत और पूर्णतया परिपूर्ण भाषाओं में लम्बी विवेचनाओं द्वारा प्रकट किये आशय को भी थोड़े से गढ़ों में संक्षिप्त किया जा सकता है और यही इस (संस्कृत) के भारत द्वारा अपनी सांस्कृतिक भावनाओं को अपने निजके वालों की और उसी प्रकार वाकी की दुनिया पर प्रकट करने के माध्यम होने का प्रबल प्रशंसाप्रद होना चाहिए।

अहंरेजों का राज्य होने के पूर्वतक व्यापक विषयों अथवा उनमें के खाम-खास विषयों का विवेचन करने वाले सारेहों धर्मशास्त्र और उनके आधार पर वनी उनकी व्याख्यायें और निवन्ध संस्कृत में ही लिखे गये थे, क्योंकि वही उस समय तक सारे ही भारत की जानी हुई सर्वजनीन धार्मिक और सांस्कृतिक भाषा थी। परन्तु अहंरेजों द्वारा अहंरेजी को राज-भाषा का पद दे देने पर वह पद्धति विच्छिन्न होगई। किंतु भी उस समय डाक्टर भगवानदास और अन्य दूरदर्शी विचारवान् पुरुषों ने सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विषयों पर अपना मत प्रकट करने के लिए संस्कृत को ही जनता की भाषा के रूप में कायम रखने का गौरव समझ लिया था। उन्होंने (धी भगवानदाम ने) अपना प्रमितु प्रथम भान्यधर्ममार संस्कृत में लिखा था। मैं पाठों को मूर्चित करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद पद्धति के पक्षपानियों ने हाल ही में शारीरिक-क्रियाशास्त्र, शारीरक्यवच्छेदशास्त्र और आयुर्वेद की माधारण प्रणाली पर अपने अन्य संस्कृत में ही लिखे हैं। इसी प्रकार भारतीय पश्चात् के संशोधन में लगे विद्वानों ने भी भारतीय स्वगोल-विद्या पर की अपनी पुस्तकें भी संस्कृत में ही लिखी हैं। अब तो अहंरेजी सत्ता का लोप हो चुका है, इसलिए अहंरेजी भाषा देश के साक्षर्वां की बोलचाल की भाषा होने का अधिकार नहीं रख सकती। अब संस्कृत यो स्वयम्भेद भारत की सांस्कृतिक भाषा के रूप में उसके नैसर्गिक पद पर फिर से स्थापित कर देना चाहिए। कोई भी विद्या, यदि वह भारतीयों को संस्कृत

भाषा के माध्यम द्वारा, न सिखलाई गई हो, तो भारतीय सांस्कृतिक विचारों का स्थायी अङ्ग नहीं बन सकती। यह (संस्कृत) भाषा मातृ-दुरध के समान है। इसके द्वारा पहुँचाये हुए विचार उनके (भारतीयों के) द्वारा अधिक सुगमता से प्रदृश किये जा सकते और पचाये जा सकते हैं। यदि हम भारतीय राष्ट्र को उसकी परम्परा के अनुसार ही विकसित करने का गम्भीर उद्योग करना चाहते हैं, तो संस्कृत भाषा को सर्व-जनीन सांस्कृतिक विचारों के माध्यम के रूप में स्वीकार फर लेना आवश्यक है। पिछले १५० वर्षों का अनुभव, गम्भीरता से विचार करने वाले, प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास करा देने में पर्याप्त हेतु कि वह ज्ञान जो लोगों को संस्कृतेतर भाषा के माध्यम द्वारा सिखाया जाता है जड़ पकड़ने की प्रवृत्ति नहीं रखता अथवा परिवर्तित होकर सर्व-साधारण के विचारों और कार्यों को संस्कृत नहीं कर सकता। परन्तु वही जब संस्कृत भाषा द्वारा प्राप्त होता है, तब अपने आप बढ़ता है और जनता को लाभ पहुँचता है। श्री शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, बह्लभाचार्य और ऐसे ही अन्य गुरुओं के दार्शनिक विचार थोड़े ही समय में लोकप्रिय हो गये। इसका कारण यही था कि वे विना विशेष परिश्रम के ही उनको संस्कृत भाषा में प्रकट करने के महत्व को समझते थे: क्योंकि वही हमारी मातृ-भाषा है, जो लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्राकृत बोली का पोषण करती है। यह (सारा ही) कार्यक्रम स्वर्य सिद्ध है।

मुझ विशेष हृप है कि विद्वान् प्रथकर्ता ने अपना यह अंथ सरल और सुन्दर संस्कृत में लिखा है। स्मृतियों और नियन्धों में रहे विधान के ज्ञाता पुराने परिणितों के लिए अवतक विधान व्यवस्थापन के कार्यों और व्यावहारिक निर्णयों द्वारा किये गये परिवर्तनों के जानने का कोई साधन नहीं था। परन्तु यह अंथ उनके हाथों में हिन्दू कानून का नवीनतम रूपान्तर रखेगा और इस प्रकार उन्हें उसके आजकल के रूप को जानने में सहायता देगा। यह अत्यन्त आवश्यक है कि हिन्दू-विधान के नवीनतम रूप और आधुनिक विचारों की गति की, जो उनमें आगे होनेवाले संशोधनों को लद्य रखती है। उन्हें जानकारी होती रहे। भीमांसा के सिद्धान्तों और उसके अर्थनिहिपण के नियमों के ज्ञाता पुराने परिणित ही प्राचीन अष्टियों की आधारभूत न्यायव्यवस्था पद्धति के गर्भ में रहे मूल तत्त्वों को प्रस्तु करने वाले और उन नियमों के प्रकाश में आधुनिक नियमों का गुणावगुण विवेचन पूर्वक परीक्षण करनेवाले उपयुक्त व्यक्ति हैं। यह परीक्षण सजीव किन्तु निविकार विचारविमर्श

को उत्पन्न करेगा और यह उन नेताओं की, जिनको भारतीय राष्ट्र के भाग्य को प्रभावित करने का अवसर प्राप्त है, भारतीय जनता की आगामी उन्नति की रूप रेग्ना को अधिक यथार्थता और असंदिग्धता के साथ निश्चित करने में नि.सं.दंद सहायता करेगा।

परिहृत रेड का यह प्रन्थ अवश्य ही नशीन भारत के निर्माण में संस्कृत भाषा के महत्व के प्रब्रह्म को उत्पन्न करेगा। यदि भारतवर्ष स्थिरता के मार्ग से उन्नति करना चाहता है, अविच्छिन्नता यताही रखना चाहता है और अपने भूतकाल से अचिन्तित और आकस्मिक विच्छेद नहीं चाहता, तो भारतीय राज्य को संस्कृत को अपनी मांस्तुतिक भाषा के रूप में प्रदण करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दूसरी कोई भी देशी या विदेशी भाषा इसका स्थान नहीं हो सकती।

अपनी भूमिका को समाप्त करने के पूर्व में परिहृत रेड को, मुझे अपने विद्वत्ता पूर्वक लिखे हिन्दू-विधान विषयक प्रथ की भूमिका लिपने के लिए कहकर उन्होंने जो मेरे प्रति संमान प्रकट किया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परिहृत रेड का नाम उन कीर्तिशाली और कर्तृव्य-परायण आत्माओं के प्रभासय मरणदल में सम्मिलित किया जायगा, जिन्होंने भूतकाल में अपने बृहत् प्रवन्धों द्वारा, जो रघुतियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, हिन्दू-विधान का निर्माण किया था। अतः वे भी उनमें से एक होंगे जिनके नाम भावी संतति द्वारा संमान और कृज्ञाना के साथ स्मरण किये जायेंगे।

(जिनके यशाही शरीर में सुदृष्ट और मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भय नहीं है, ऐसे ऐष्ट कृतिवाले और रसों की सिद्धि वाले क्योंकि वर सदा विजयी रहते हैं।) (सुमापित)

रौची

२१-६-२६

एम० एस० अणे

प्राक्त्यनम् ।

विश्वेश्वरस्मृतेदक्षतार्थक्षेण रचितस्यास्यार्थविधान (दिन्दु-
कानून) -स्य प्रथमो मागः किञ्चित्कालातः पूर्वमेव पाठकानां संमुख
उपस्थापितोऽस्मृत् । आशास्मद्वि च तदानीं यदनतिचिरेणैवास्य
द्वितीयो भागोऽपि फोविदानां फरकमलान्यलक्षणिष्ठता । दिष्टपा सेय-
माशास्य परमार्थमनोऽनुग्रहेण पूर्तिमागमत् यत् सोऽयं तस्य द्वितीयो
भागोऽपि विदुपामप्रे समुपस्थाप्यते ।

यथाद्वि पश्चिमवङ्गशासकेन (GOVERNOR) विश्वृतेन विधा-
नविषयविदुपा धीमता कैलासनाथ काटजू मद्हाभागेनास्य प्रथम-
भागस्य भूमिकां विलिख्य परिवर्धितोऽस्माकमुत्साहस्तयैव विद्वार-
प्रान्तरशासकेन (GOVERNOR) विष्यतेन संस्कृतवशिरोमणिना
धीमता माधव धीद्विद्वये भद्राशुयेनास्य द्वितीयभागस्य भूमिकां
विचित्याऽनुगृहीताःस्माः ।

न ऐवलमाशासमद्वे अपि तु विधम्भामद्वे यद् यद्वत्प्रथितैविधान-
विज्ञैः संस्कृतकोविदैष्य समाहृतोऽस्य प्रथमो भागस्तद्वदेव एव
द्वितीयो भागोऽपि तैः छंप्याऽज्ञमीर्यीकरिष्यते ।

पर्यन्त उद्ददयपाठकान्युनरप्येकवारं प्रार्थयामद्वे यद् यद्वस्मिन्
प्रन्ये मागवधर्मजी दृष्टिदोषं स्वलपद्वताजन्यामशुद्धिमनीचितीं घा-
कायि किञ्चिद्ब्युवहर्मेरस्तद्विद्वैः छंप्या सूचनीया एव, येन भाषि-
संस्करणे उच्चत् संशोध्येत ।

सति संभवेऽस्या विश्वेश्वरस्मृतेः पूर्वार्थमपि अविलम्बमेव
प्रकाशयितुं प्रयतिष्यामद्वे ।

ययोहि पूज्यपादानां प्रसादाद् रचिता स्मृतिः ।
तयोः पित्रोः पदाव्जेषु मयेयं अद्वयाऽप्यते ॥

जिनके कृपा-प्रताप से सृष्टि विरची, स-सनेह ।
उन माता-पितृ-चरण पे करुं समर्पण एह ॥

અમયતી ચાન્દરાની રેઝ

ભીમાનું પહિદત મુકુન્દમુરારી રેઝ



ययोहिं पूज्यपादानां प्रसादाद् रचिता सृष्टिः ।
तयोः पित्रोः पदाव्जेषु मयेयं अख्याप्यर्ते ॥

जिनके कृष्ण-प्रताप से सृष्टि विरची, स-सनेह ।
उन माता-पितु-चरण पे वर्ण समर्पण एह ॥

प्राक्षियनम् ।

यिश्वेश्वरस्मृतेदत्तरार्थद्येण रचितस्यास्यार्थविधान (दिन्दु-
कानून) -स्य प्रयमो भागः किञ्चित्कालातः पूर्यमेव पाठकानां संमुख
उपस्थापितोऽस्तु । आशास्महि च तदानीं यदनतिचिरेणैवास्य
-द्वितीयो भागोऽपि कोविदानां फरकमलान्यलद्विष्टिति । दिएषा सेप-
भाशाद्य परमात्मनोऽनुग्रहेण पूर्तिमामत् यत् सोऽयं तस्य द्वितीयो
भागोऽपि विदुपामग्रे समुपस्थाप्यते ।

यथाहि पवित्रमवज्ञशासकेन (GOVERNOR) विश्रुतेन विधा-
नविषयविदुपा धीमता कैलासनाथ काटज् मद्भाभागेनास्य प्रयम-
भागस्य भूमिकां विलिख्य परिधिंतोऽस्माकमुत्साहस्त्वयैव विद्वार-
प्रान्तशासकेन (GOVERNOR) विष्यातेन संस्फुतविशिरोमणिना
धीमता भाधय धीहरि अणे मद्भाशयेनास्य द्वितीयभागस्य भूमिकां
लिपित्वाऽनुगृहीताःस्मः ।

ग येवत्तमाशास्महे अपि सु विथम्भामहे यद् यद्वप्यवित्तेविधान-
विज्ञैः संस्फुतकोविदैव्य समाहतोऽस्य प्रयमो भागस्तद्वदेव एव
द्वितीयो भागोऽपि तैः छप्याऽऽस्मीयीकरिष्यते ।

यथमप्र सदृदयपाठकान्युनरप्येकवारं प्रार्थयामहे यद् यद्वस्मिन्
प्रन्थे मानवधर्मजं दिएषोपं स्वल्पश्वताज्जन्यामशुद्धिमनौचितीं धा-
कापि किञ्चिदप्युपहभेरस्तद्विं सैः छप्या सूचनीया यथं, येन भावि-
संस्करणे दाचत् संशोध्येत ।

सति संभवेऽस्या विश्वेश्वरस्मृतेः पूर्यार्थमपि अविलम्बमेव
प्रकाशयितुं प्रतिष्ठामहे ।

प्राकथन

कुछ समय पूर्व विश्वेश्वरसूति के उत्तरार्थरूप से लिखे इस आर्य-विधान (हिन्दू-कानून) का पढ़ता भाग पाठकों के सामने रखा गया था और आशा प्रकट की गई थी कि इसका दूसरा भाग भी शीघ्र ही विद्वानों के फर-कमलों को भूषित करेगा। हमें हर्ष है कि ईश्वर के अनुष्ठान से हमारी वह आशा पूर्ण हुई और इसका यह दूसरा भाग भी विद्वानों के सामने उपस्थित किया जाता है ।

जिस प्रकार पश्चिमी घंगाल के शासक (GOVERNOR) और कानून के प्रसिद्ध विद्वान् श्रीमान् परिणित कैलासनाथ काटजू ने इसके पहले भाग की भूमिका लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाया था, उसी प्रकार विहार के शासक (GOVERNOR) और संस्कृत के प्रसिद्ध परिणित श्रीमान् माधव श्रीहरि अर्णे महाराय ने इसके दूसरे भाग की भूमिका लिख कर कृपा दिखाई है ।

हमें केवल आशा ही नहीं किन्तु पूर्ण विश्वास भी है कि जिस प्रकार कानून के विद्यार्थ विद्वानों ने और संस्कृत के प्रसिद्ध परिणितों ने इस (आर्य-विधान) के पहले भाग का आदर किया है उसी प्रकार वे इसके दूसरे भाग को भी अपनाने की कृपा करेंगे ।

हम यहां पर एक धार फिर सद्वद्य पाठकों से निवेदन करते हैं कि यदि इस पुस्तक में मनुष्य-स्वामाव से होने वाले दृष्टि-दोष से यो अल्पज्ञता के कारण कहीं कुछ भी अंगुद्ध या अमुक्त प्रतीत हो तो हमें सूचित करने की कृपा करें, जिससे अगले संस्करण में उसका संशोधन कर दिया जाय ।

संभव हुआ तो इस विश्वेश्वरसूति के पूर्वार्थ को भी शीघ्र ही प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जायगा ।

विषय-सूची ।

विषय-	विषयनामानि	श्लोक-	पृष्ठ-
संख्या		संख्या	संख्या
	(कृत्रिमो न्यासः)	२५२५	३६४
	बनावटी न्यास (कोप-द्रुष्ट)		
	(वृत्तिदानम्)	२५३५	३७०
	श्रृति (आजीविका) देना		
	(देवस्थानं, मठः, सेवायत्तो, मठाधीशो, देवायत्तीकृता संपत्तिश्च)	२५६१	३७४
	मन्दिर, मठ, पुजारी, महन्त और देवता को सौंपी संपत्ति		
	(दानीकृतायाः संपत्तेऽर्थ्ययः)	२५८२	३७६
	दान की हुई संपत्ति का खर्च		
	(मठाधीशनियुक्तिः)	२६१६	३८१
	महन्त की स्थापना		
	(सेवायत्तनियुक्तिः)	२६२५	३८२
	पुजारी रखना		
	(सेवायत्ताधिकारस्य हस्तान्तरितीकरणम्)	२६४६	३८५
	पुजारी के अधिकार का दूसरे के हाथ सौंपना		
	(द्वैवसेवाप्रवर्तकस्याधिकारः)	२६६१	३८७
	देवता की सेवा को चलाने वाले का अधिकार		
	(सेवायत्तमठाधीशयोः पदच्युतिः)	२६८५	३९१
	पुजारी और महन्त का हटाना		
	(सार्वजनिकव्यक्तिगतदानयोभेदाः)	२६९०	३९१
	सार्वजनिक और व्यक्तिगत (खानगी) दान के भेद		
	(सार्वजनिकदानापव्ययेऽभियोगसमयनियमः)	२७११	३९४
	सार्वजनिक दान के अनुचित खर्च में सुन्दरी के लिए समय का नियम		
२२. विवाहः		२७४२	३९४
	विवाह		
	(विवाहप्रकाराः)	२७५२	४०१
	विवाह के रूप [तरीके]		
	(रक्षकादामृते कृतो विवाहः)	२७५२	४०३
	रक्षक की आज्ञा के विना किया विवाह		

विषय-
संख्या

विषयनामानि

लेखक- पृष्ठ-
संख्या संख्या

(विवाहे वर्णकता)

२८०५ ४०८

विवाह में एक वर्ण का होना

(सपित्तानां सगोत्राणां च त्यागः)

२८१८ ४१०

सपित्तो और सगोत्रों को छोड़ना

(समाने गोत्रे प्रबरे स्वजात्यवान्तरशाश्वासु

वा विवाहस्य मान्यता)

२८४२ क. ४१७

एक गोत्र, प्रबर वा अपनी जाति की अन्य शाश्वाओं में
विवाह की मान्यता

(मुम्याप्रान्ते सत्यां पत्न्यामन्यविवाहनियेभः)

२८४२ ग ४१७
बन्वई ग्रन्त में ज्ञान के होने पर दूसरे विवाह की मनाई

(वैवाहिकानि कर्माणि)

२८४३ ४१७

विवाह पर किये जाने वाले काम

(विवाहविच्छिन्निः)

२८७१ ४२१

विवाह का भङ्ग होना

(संभोगाधिकारस्य प्रत्यर्पणम्)

२८७५ ४२२

संभोग के अधिकार का किर से देना

२३ दत्तकप्रदणम्

२९०३ ४२६

गोद लेना

(न्यायानुमोदिता दत्तकप्रदणसमा जनाः)

२९२५ ४२९

न्याय से माने हुए गोद लेने में समर्थ पुरुष

(पुरुषस्य दत्तकप्रदणाधिकारः)

२९३१ ४२९

पुरुष का गोद लेने का अधिकार

पत्न्यः स्पष्टादेशतो विधवाया दत्तकप्रदणाधिकारः २९६४ ४३४

पति की स्पष्ट आशा से विषवा का गोद लेने का अधिकार

पत्न्युरादेशमृतेऽपि विधवाया दत्तकप्रदणम्

२९४६ ४३८

पति की आशा के बिना भी विषवा का गोद लेना

विधवाया दत्तकप्रदणे साधारणा नियमः

३०५३ ४४६

विषवा के गोद लेने में साधारण नियम

विधवाया दत्तकप्रदणाधिकारसमाप्तिः

३०७१ ४४८

विषवा के गोद लेने के अधिकार की समाप्ति

विषय-सूची ।

अ.

विषय-
संख्या

विषयनामानि

नोक- पृष्ठ-
संख्या संख्या

दत्तकदाने न्यायसंमता जनाः	३१४६	४५६
गोद देने में न्याय से माने हुए पुरुष न्यायसंमता दत्तकत्वयोग्या जनाः	३१६०	४६०
कानून से माने हुए गोद लेने लायक पुरुष दत्तककर्म तत्संबद्धानि कृत्यानि च	३२१०	४६७
गोद लेना और उससे सम्बन्ध रखने वाले काम दत्तकग्रहणपरिणामाः	३२३५	४७०
गोद लेने के नर्तीजे (फल)		

विधवाया दत्तकग्रहणोत्तरं प्रागुपात्तदायसंप-	३२४५	४७६
त्तावधिकारलोपः		
विधवा के गोद लेने पर पढ़ले पाये दाय के धन में अधिकार का नाश		
दत्तकग्रहणात्माग् विद्वितोऽर्थस्य व्ययः	३२३५	४८५
गोद लेने के पढ़ले किया धन का खर्च		
अवैधानिकस्य दत्तकग्रहणस्य परिणामः	३३६१	४८८
न्याय के विरुद्ध गोद लेने का नर्तीजा		
प्रमाणविधिस्तद्वप्तमश्च	३३७०	४९८
प्रमाण का तरीका और उससे इकावट		
कृत्रिमपुत्राऽऽदानम्	३३९४	४९२
कृत्रिम पुत्र का लेना		

२४ अवयस्थता रक्षकता च	३४०५	४९४
नावालिङ्गी और रक्षकपत		
प्राकृतो रक्षकः	३४१२	४९५
बुद्धता (स्वाभाविक) रक्षक		
स्वाभाविकस्थ रक्षकस्याधिकाराः	३४१४	५००
स्वाभाविक रक्षक के अधिकार		
सृतिपत्रनियुक्तो रक्षकः	३४१६	५०६
इच्छापत्र से नियुक्त किया रक्षक		
न्यायालयनियुक्तो रक्षकः	३४२१	५१
अदालत द्वारा नियुक्त रक्षक		

विषय-	विषयनामानि	ज्ञेक- संख्या	पृष्ठ- संख्या
	(विद्यादे वर्णकता)		२८०५ ४०८
	विवाह में एक वर्ण का होना		
	(सपिरडानां सगोदाराणां च त्यागः)		२८१८ ४१०
	सपिरडों और सगोदारों को छोड़ना		
	(समाजे गोत्रे प्रवरे स्वज्ञात्यवान्तरशाश्वासु या विद्यादस्य मान्यता)		२८४२ क. ४१७
	एक गोत्र, प्रवर या आती जाति की अन्य शाखाओं में विवाह की मान्यता		
	(मुम्याप्रान्ते सत्यां परन्यामन्यविद्यादनिरेधः)	२८४२ ग	४१७
	बम्बई प्रान्त में की के होने पर दूसरे विवाह की मनाई		
	(वैवाहिकानि कर्माणि)		२८४३ ४१७
	विवाह पर किये जाने वाले काम		
	(विवाहविच्छिन्निः)		२८७१ ४२१
	विवाह का भड़ा होना		
	(संभोगाधिकारस्य प्रत्यपूरणम्)		२८७५ ४२२
	संभोग के अधिकार का किर में देना		
२३ दत्तकप्रहणम्		२९०३ ४२६	
	गोद लेना		
	(न्यायानुमोदिता दत्तकप्रहणक्षमा जनाः)		२९२५ ४२८
	न्याय से माने हुए गोद लेने में समर्थ पुरुष		
	(शुद्धप्रस्तु दत्तकप्रहणाधिकारः)		२९३१ ४२९
	शुद्ध का गोद लेने का अधिकार		
	पन्थुः स्पष्टादेशतो विधवाया दत्तकप्रहणाधिकारः	२९६४ ४३४	
	पति की स्पष्ट आज्ञा से विधवा का गोद लेने का अधिकार		
	पत्युरुदेशमृतेऽपि विधवाया दत्तकप्रहणम्		२९६६ ४३८
	पति की शोक्षा के दिना भी विधवा का गोद लेना		
	विधवाया दत्तकप्रहणे साधारणा नियमाः		३०५३ ४४८
	विधवा के गोद लेने में साधारण नियम		
	विधवाया दत्तकप्रहणाधिकारसमाप्तिः		३०७८ ४४९
	विधवा के गोद लेने के अधिकार की उमाति		

विषय-सूची ।

अ.

**विषय-
संख्या**

विषयनामानि

**स्टोक- पृष्ठ-
संख्या संख्या**

दत्तकदाने न्यायसंमता जनाः गोद देने में न्याय से माने हुए पुरुष न्यायसंमता दत्तकत्वयोग्या जनाः कानून से माने हुए गोद लेने लायक पुरुष दत्तककर्म तत्संबद्धानि कृत्यानि च गोद लेना और उससे सम्बन्ध रखने वाले काम	३१४६ ४५६
दत्तकग्रहणपरिणामाः गोद लेने के नतीजे (फल)	३१६० ४६०
विधवाया दत्तकग्रहणोत्तरं प्रागुपात्तदायसंप- त्तावधिकारलोपः विधवा के गोद लेने पर पहले पाये दाय के धन में अधिकार का नाश	३२१० ४६७
दत्तकग्रहणात्माग् विहितोऽर्थस्य व्ययः गोद लेने के पहले किया धन का खर्च	३२३५ ४७०
अवैधानिकस्य दत्तकग्रहणस्य परिणामः न्याय के विरुद्ध गोद लेने का नतीजा	३३६१ ४८८
प्रमाणविधिस्तदवपूर्वमध्य प्रमाण का तरीका और उसकी रक्षण	३३७० ४८९
कृत्रिमपुत्राऽदानम् कृत्रिम पुत्र का लेना	३३९४ ४९२
२४ अवयस्यता रक्षकता च नायालिङ्गी और रक्षण	३४०५ ४९४
प्राकृतो रक्षकः उदरती (स्वाभाविक) रक्षक	३४१२ ४९५
स्वाभाविकस्य रक्षकस्याधिकाराः स्वाभाविक रक्षक के अधिकार	३४२४ ५०१
मृतिपत्रनियुक्तो रक्षकः इच्छापत्र से नियुक्त दिया रक्षक	३४४६ ५०६
न्यायालयनियुक्तो रक्षकः अदालत द्वारा नियुक्त रक्षक	३४६४ ५११

विषय-
संख्या

विषयनामानि

श्लोक- पृष्ठ-
संख्या संख्या

स्वयम्भूत्वकोऽसंबद्धरक्तकश्च	३५५६ ५१४
अपने आप बना रखन और विना संबन्धवाला रखन्	
प्रतीकारोपायाः	३५६७ ५१५
योग के उपाय	
२५ भूतिः	३५६८ ५१६
गुणारा (जीविका)	
भूतेरधिकारस्य स्वरूपं परिमाणं च	३५६९ ५१७
गुणारे के अधिकार का हा और परिमाण	
भूत्यर्हा जनाः	३५७० ५१८
जीविका के योग्य जन	
पत्न्या भूतिः	३५७१ ५१९
मार्या वी जीविका	
विधवाया भूतिः	३५७२ ५२०
विश्वा की जीविका	
भूत्याः परिमाणम्	३५७३ ५२१
जीविका का परिमाण	
कुटुम्बार्थस्य परसात्करणं भूत्यधिकारेतत्प्रभावश्च ३५७४ ५२१	
कुटुम्ब के घन का दूसरे के हाथ में देना और जीविका के	
अधिकार पर उसका प्रभाव	
कुटुम्बनिवासगृहस्य हस्तान्तरिकरणं निवासा-	
धिकारे तत्प्रभावश्च	३५७५ ५२२
कुटुम्ब के रहने के घर वा दूसरे के हाथ में देना और उसका	
रहने के अधिकार पर प्रभाव	
इच्छाप्रेरणाऽप्रभावितो भूतेरधिकारः	३५७६ ५२३
इच्छाप्रयत्न से अप्रभावित जीविका का अधिकार	
भूतेरधिकारस्य परसात्करणमात्मसात्करणं च ३५७७ ५२४	
जीविका के अधिकार का दूसरे को सौंपना या उस पर	
अधिकार करना	
मृत्युर्यम्भियोगः	३५७८ ५२५
जीविका के लिए मुक्तमा	

विषय-
संख्या

विषयनामानि

श्लोक-
संख्या संख्या

भृत्यर्थं पृथग् निवासार्थं च पत्न्याः सांपत्तिका
अधिकाराः

३८४८ (क) ५१४

पीविम् और अतग निराग के लिए मार्या के
आजहार के अधिकार

२६ अविभाज्याः संपदः

३८४९ ५१४

मर्दी बाटी जाने साधक संरक्षण

अविभाज्यसंपद्यदाणां क्रमः

३८५० ५६०

मर्दी बाटे साधक संरक्षण के इच्छाएँ का क्रम

२७ चुदि-दण्डपातीया नियमाः

३८५३ ५६७

ध्यान (चूर्द-दण्डपात) के नियम

२८ अनामको व्यवहारः

३८५६ ५७१

आने नाम के दिन (दूसरे के नाम पर) का सेव-देन

२९ जीनाः

४०२५ ५७८

जीन धर्म के माननेशी

(जीनमतं जीनविधानं च)

४०२६ ५७८

जीन मा और जीन-विधान (धानून)

दायदण्डाम्

४०४२ ५८०

दाय-धन का सेवा

दत्तकाम्बुजाम्

४०४६ ५८१

गोद लेना

३० शुद्राः

४०६७ ५८३

शूद्र

दत्तकाम्बुजकालिकानि शृत्यानि

४०८३ ५८५

गोद लेने के समय के श्वर्म

वियादः

४०९३ ५८७

विग्राह

दायप्रासिद्धिभाग्य

४१०८ ५८८

दाय का भाग नितना और बटवारा

भृतिः

४१४२ ५९४

बीतिका

शुद्धिपत्रम्

आर्यविधानम् ।

(विश्वेश्वरस्मृतेरुत्तरार्थरूपम् ।)

१८ उपहारः ।

इनाम या भेट ।

एकस्याऽधिकृतेस्त्यागोऽन्यस्यस्यामित्यकल्पनम् ।

उपहारः परं स स्यात् पूर्णस्वन्यप्रतिप्रद्वात् ॥२२४२॥

एक के अधिकार का त्याग और दूसरे का मालिक्यन निधित करना उपहार (gift) होता है । परन्तु वह (उस) दूसरे के (स्वामित्व के) प्रदूष करते ने से (ही) पूरा होता है ।

मिताक्षराऽनुगाः किंचा दायभागाऽनुगाः पुनः ।

इच्छापत्रोपहाराभ्यां दातुं व्यक्तयर्थमीशते ॥२२४३॥

मिताक्षरा को मानने वाले या फिर दायभाग को मानने वाले इच्छा पत्र (will) या उपहार (gift) के द्वारा अपना व्यक्तिगत धन (दूसरे को) दे सकते हैं ।

भरणाय परं येषां न्यायेनोत्तरदास्तु ते ।

तेषां योपाय कर्तव्या दानात् पूर्वं विचारणा ॥२२४४॥

परन्तु जिनके भरण-योपाय के लिए वे न्याय से उत्तीरदायी हैं, उनके योपाय के लिए दान के पहले ही विचार कर लेना चाहिए । (अर्थात्-उनके भरण-योपाय का प्रबन्ध पहले ही कर देना चाहिए ।)

दायभागीयपृकस्तु स्वार्थं पृकाऽर्थं त्वमः ।

अपि दातुमुपर्युक्तविधिना नाऽत्र संशयः ॥२२४५॥

दायभाग को मानने वाला सामेदार तो सामें के धन में के अपने स्वार्थ (interest) को भी ऊर कही विधि से (इच्छा पत्र या उपहार के द्वारा) दे सकता है । इसमें सन्देह नहीं है । (उपर्युक्त विधि से यहां पर आश्रितों के योपाय के प्रबन्ध से तात्पर्य है । अर्थात्-उन्हें भी पहले उत्तराश्रय दरता देया ।)

परं मैताक्षरश्चेनाऽवशिष्टः स्यात्कुट्टमिषु ।

इच्छापत्रोपहाराभ्यां पृकाऽर्थं दातुमक्षमः ॥२२४६॥

परन्तु मिताक्षरा को माननेवाला (सामेदार) यदि कुटुम्बवालों में (जब के मरजाने पर) अकेला बाकी बचा हुआ न हो, तो इच्छा पत्र और उपहार के द्वारा सामें के धन को नहीं दे सकता । (अर्थात्-सब सामेदारों के मर जाने पर अकेला पीछे रह गया हो, तो वह भी दे सकता है ।)

पन्तु वहां पास रियति के कारण (उपहार घन का) अधिकार नहीं दिया जा सकता, वहां पर वह (रजिस्ट्री किया) लेह उपहार (gift) को छिद्र करने वाला होता है (अर्थात्—उसके आधार पर वह वस घन को पा सकता है ।)

पराऽपर्णाय संपत्तेनियमा येऽथ निधितः ।

उपहार उपेक्षाभूदधिकाराऽपर्णस्य तः ॥२२६३॥

दूसरे की संपत्ति देने के लिये आज कल निधित किये हैं, उनमें (अर्थात्—१८८२ के Transfer of Property Act से) उपहार में अधिकार सौंपने (के नियम) भी आवश्यकता नहीं रही है ।

प्रविहाय चले वित्तं नाऽधिकाराऽपर्णे द्यतम् ।

उपहारे, नवाऽपेक्षा सत्र तस्याऽधुना भता ॥२२६४॥

अबल संपत्ति को छोड़ कर (अन्यत्र) उपहार में अधिकार का सामना पर्याप्त नहीं होता (अर्थात्—केवल ऐसा करने से ही काम नहीं चलता ।) और आज कल वही पर (उपहार में) उस (अधिकार सौंपने) की आवश्यकता भी नहीं मानी जाती है ।

स्थिरवित्तोपहारेऽथ दातुलेखो भवेदलम् ।

राजपत्राऽद्वितश्याऽथ द्वाभ्यां साक्षीष्टतः पुनः ॥२२६५॥

अबल संपत्ति के उपहार में आजकल (उपहार) देनेवाले का, रजिस्ट्री किया हुआ और दो (ज्ञानी) से साक्षी किया हुआ (witnessed) हेतु, पर्याप्त होता है ।

चलवित्तोपहारे तद् वित्तस्याभ्यस्मर्पणम् ।

राजपत्राऽद्वितो लेखः पूर्वोक्तो या भवेदलम् ॥२२६६॥

चल (अस्तित्व) संपत्ति के उपहार में वग (उपहार) के घन का अधिकार र्भीना या पहले कहा रजिस्ट्री किया हेतु (जिस पर दो गवाहियां हो) पर्याप्त होता है ।

प्रदीतुरुपहारे या स्वीकृतिः प्राक् प्रदर्शिता ।

मिवाच्चरामतेनाऽन्न सा भता प्रिपकारिका ॥२२६७॥

यद्या पर पहले उपहार में जो मिवाच्चरा के भता से (उपहार) लेनेवाले की स्वीकृति कही है, वह (स्वीकृति) तीन तरह की मानी गई है ।

मानसी वाचिकी शासीरिकी या नाऽन्न संशयः ।

पतास्यावश्यकी तत्र कतमाऽपि स्कुटा पुनः ॥२२६८॥

मनसे थी हुई, जिहा से थी हुई का शाहिर से थी हुई (corporeal) इसमें

संशय नहीं है । फिर वहां पर इनमें से कोई सी (एक) प्रकट तौर से आवश्यक है ।

भूमिदाने तु यत्किञ्चित्स्याम्यस्यार्पणमन्तरा ।

विक्रयोपहृती तस्या दानं चाऽपि न सिद्धति ॥२२६६॥

भूमि के देने में तो थोड़े-बहुत अधिकार के दिये बिना उस (भूमि) का देचना, उपहार में देना या (अन्य प्रकार से) देना भी सिद्ध नहीं होता ।

स्मृत्युक्तविधिना कर्तुं मृत्युकालेऽसतः कृते ।

उपहारीकृतं नाऽसीन्मान्यं पूर्वं ततः परम् ॥२२७०॥

विधानचित्तयेनैष नियमः परिचितिंतः ।

विधानानामतस्नेदां व्याख्याऽग्रेऽत्र करिष्यते ॥२२७१॥

स्मृतियों में कहे नियमों से कर्ता के मरने के समय अविद्यमान के लिए किया उपहार (gift) पहले मान्य नहीं था; परन्तु बाद में तीन कानूनों से यह बदल दिया गया है । इसलिए उन कानूनों की व्याख्या यहां पर आगे की जायगी ।

नवचिनवचन्द्राऽन्दे कर्तुं विभवमन्यसात् ।

विधिर्यः स्वीकृतस्तस्य द्वितीयाऽध्यायसंगतम् ॥२२७२॥

उपहारीकृतं वित्तं मृतिकालेऽसतः कृते ।

अपि आहां यतस्तत्र तदभावो न वाधकः ॥२२७३॥

विक्रम संवत् १६३६ (ई० सं० १८८२) में संपत्ति को दूसरे के अधीन करने (The Transfer of Property Act) का जो कानून स्वीकार किया गया था, उसके दूसरे अध्याय (chapter II) के अनुसार (देनेवाले की) मृत्यु के समय अविद्यमान (पुल्प) के लिए उपहार (gift) में दिया धन भी भ्रष्ट करने (मानने) लायक होता है, क्योंकि वहां पर उस (लेनेवाले) का न होना रक्षार्थ नहीं डालता ।

परं सार्वविको नैष नियमः किन्तु केवलम् ।

वद्यमाणास्यवस्थासु प्रयोगोऽस्य भतो त्रुघ्यैः ॥२२७४॥

परन्तु यह नियम सब स्थानों पर काम में आने लायक नहीं है । विद्वानों ने इसका प्रयोग आगे कही जानेवाली अवस्थाओं में ही माना है ।

आखाऽश्वग्रहभूवर्पफालगुनाऽद्यचतुर्थिकम् ।

मद्रासयज्जं मद्रासप्रान्ताऽधिष्ठायिहिन्दुभिः ॥२२७५॥

कृतेन वा प्रयोज्येनोपहारेण हि मानवः ।

स्याऽन्तकालेऽसतेऽप्यत्र स्वयमं दातुमीश्वरः ॥२२७६॥

विक्रम संवत् १६७० की फालुन वदि ४ (१४ फरवरी १६१४) से, मद्रास शहर की थोड़कर, मद्रास प्रान्त में रहनेवाले हिन्दुओं द्वारा किये या (उस समय से)

प्रयोग में आनेवाले उपहार (डापु) के द्वारा पुण्य ददी पर अनन्त समय में अविद्यमान (ब्यक्ति) को भी आना धन दे सकता है ।

आश्रिससाङ्कूलवर्याऽश्चिन्हनुप्णवम्यथ ।

मद्रासप्रान्तवर्जे तु सर्वं वैयांग्लभारते ॥२२७५॥

कृतेन वा प्रयोज्येनोपहारेण तु हिन्दवः ।

स्वाऽन्तकालेऽसते�प्यन्न स्वधनं दातुमीश्वराः ॥२२७६॥

या विक्रम संवत् १६७३ की काँड़ी विदि ६ (२० सितम्बर १६१६) से, मद्रास प्रान्त को छोड़कर, थारे श्रिटिश भारत में किये या (उस समय से) प्रयोग में आनेवाले उपहार से हिन्दू लोग अपने अन्त समय में अविद्यमान (पुण्य) को भी, यही पर, आना धन दे सकते हैं ।

आऽवाऽश्वनवभूवर्यचैत्रकुप्णवतुर्धिकम् ।

मद्रासन्यायभूवर्यहिन्दुभिर्विद्वितेन या ॥२२७७॥

आखाऽवनवभूवर्यसालगुनादधतुर्धिकम् ।

प्रयोज्येनोपहारेण जनः स्वार्थाऽप्येत्तमः ॥२२८०॥

(या) विक्रम मंदात् १६७७ की चैत्र कृष्णा ४ (ता० २७ मार्च १६२१) से मद्रास न्यायालय (High Court of Madras) के अधिकार (Civil Jurisdiction) में रहे हिन्दुओं द्वारा किये या विक्रम संवत् १६७० की फागुन विदि ४ (ता० १४ फरवरी १६१४) से प्रयोग में आनेवाले उपहार के द्वारा मनुष्य आपना धन दे सकता है ।

विचान्यसात्कृतिविधेद्वितीयाऽशविचारणा ।

करिष्यते पुरः किन्तु तच्चिर्क्षप्तोऽत्र दीयते ॥२२८१॥

धन को दूसरे के अधीन करने के कानून (The Transfer of Property Act 1857) के दूसरे भाग (II chapter) का विचार आगे किया जायगा, एन्तु यहाँ पर उसका सार दिया जावा है ।

अनुप्यन्नोपहारेऽन्यत् प्राप्तदानं चेद् व्यवस्थितम् ।

तद्विशेषे धने पूर्णमुत्तरस्याम्यमिष्यते ॥२२८२॥

नहीं पैदा हुए के लिए दिये उपहार में यदि अन्य पहले दान की व्यवस्था करदी ही (preceded a prior disposition), तो वाकी, वहे धन में उपहार पुण्य का पूर्ण स्वाम्य आवश्यक होता है । (अर्यान्-यदि 'क' ने एक निषि (trust) बनाकर आपना धन 'स' को रींग दिया हो और उसके लिए नियम रखे हों कि—पहले कानून वह और उसकी मनोनीत पक्षी उपहार का उपभोग करेंगे और उनके बाद उनका उपहार विवाह से होनेवाला वह पुनः तथा उसके बाद उनका द्वितीय पुनः, तो यहाँ पर

'क' के बचे धन में ज्येष्ठ पुत्र को पूर्ण स्वाम्य न मिलने से वह अधिकारी न हो सकेगा ।

स्वान्तोत्पत्तद्वाते स्वेच्छापत्रदानेऽपि पूर्ववत् ।

व्यवस्था चेत् श्रुता तर्हि प्रांग्वत् स्वाम्यमपीष्यते ॥२२८॥

अपनी मृत्यु के बाद उत्तराधीनेवाले के लिये अपने इच्छापत्र द्वारा किये दान में भी यदि पहले की सी व्यवस्था की ही, तो पहले के से अधिकार की भी आवश्यकता होती है । (अर्थात्—यदि पिताने इच्छापत्र के द्वारा अरनी संपत्ति पहले अपने पुत्र को दी (bequest की) हो और उसके बाद उस पर उस पुत्र की जी का हक रक्खा हो और उसकी मृत्यु पर वहीं संपत्ति अन्य जनों को दी हो, तो पुत्र की जी को संपत्ति पर पूर्ण अधिकार न मिलने से वह दान अन्याय समझा जायगा । यहाँ पर इच्छापत्र लिखनेवाले की मृत्यु पर पुत्र-वधु का अविद्यमान होना मानकर ही उपर्युक्त वदादरण दिया गया है ।)

उपहाराऽनवच्छेदविरोधे नियमास्तु ये ।

न तेषां वाधको मान्य उपहारो भवेदिह ॥२२९॥

उपहारके बराबर चेतते रहने के विरुद्ध जो नियम हैं उनका वाधक उपहार यहाँ मान्य नहीं होता । (अर्थात्—उपहार देने के समय विद्यमान एक या अनेक पुरुषों के भरने के बाद और उन नाबालिगों के, जो वालिग होकर उस संपत्ति के हकदार हों; बाद उनके उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने में (१८८२ के Transfer of Property Act के अनुसार दिया) उपहार (gift) समर्थ नहीं होता ।)

दत्ते कतिपयेभ्यस्तूपहारे ये न संमताः ।

प्रागुक्तनियमाभ्यां हि त एव स्युर्वहिष्कृताः ॥२२१॥

कई पुरुषों को (कमशः) उपहार देने पर, जो पहले कहे दोनों नियमों से मान्य नहीं हैं, वे ही उपहार से बहिष्कृत होते हैं (अन्य संमत लोग नहीं होते ।)

अनुत्पत्तजनः किन्तु पूर्वोक्ताभ्यां वहिष्कृतः ।

नियमाभ्यां तदाऽशक्तस्तदन्त्योऽपि धनग्रहे ॥२२१॥

परन्तु (यदि) नहीं पैदा हुआ पुरुष पहले कहे दोनों नियमों द्वारा (धनाधिकार से) बहिष्कृत कर दिया गया हो, तो उसके बाद का पुरुष भी धन प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है ।

नव्यन्याये विशिष्टा य उपहारनियामकाः ।

नियमास्तेऽन्न संख्याताः संकेषेण सुनिधितम् ॥२२२॥

नवीन कानून में उपहार के नियमन करनेवाले जो खास नियम हैं, वे यहाँ संकेषण से निध्यपूर्वक कहे हैं ।

उपह्रां अधिकारथो दाजीवं रक्षितः स्वयम् ।

भोगायोपह्रताऽर्थस्य भोगद्वारं स नाशयेत् ॥२२८॥

यदि उपहार देनेवाले ने उपहार में दिये धन के भोग का अधिकार, जीवन पर्यन्त, अपने पास रखा हो, तो वह (अधिकार) उपहार को नष्ट नहीं करता (अर्थात्-ऐसा उपहार न्याय माना गया है ।)

यत्रोपहारे नियमस्तु छिद्यद्वन्द्वाधकः ।

वाऽविभाज्यत्वनियमैः सोऽनेकार्थं समर्पितः ॥२२९॥

अमान्यौ नियमौ तत्र पूर्वोक्तौ छावपि भ्रुवम् ।

किन्तु उपहारे मान्यः स न्यायेनाऽन्त न संशयः ॥२२९॥

जहाँ उपहार में उसको नष्ट कर देने में बाधा ढालनेवाला नियम ही या यह (उपहार) बटवारा न इनके नियम के साथ कई पुरुषों को दिशा गया हो, तो वहा निश्चय ही पहले वहे दोनों नियम मानने लायक नहीं होते । परन्तु यहाँ पर वह उपहार कानून से मान्य होता है, इसमें संशय नहीं है । (अर्थात्-उपहार प्राप्त बरते वाले उसे दे या बांट सकते हैं ।) (देखो ऐक २४५३ से २४५५ तक)

भूमौ राजप्रदत्तायां पृथग् नियमतः परम् ।

पात्याः समस्ता एवाऽपि प्रतिवन्धास्तु मानवैः ॥२२९॥

एरन्तु राजा की ही हुई पृथग्मी में, जुहा नियमों (Crown Grant Act 1833) के कारण, पुरुषों को यहाँ पर सारे ही प्रतिवन्धों (नियमों) का पालन करना होता है ।

सहृदत्तो उपहारस्तूपह्रत्री स्वस्थचित्ततः ।

स्वातन्त्र्यप्रेण च, दात्राऽपि प्रत्यादेश्यस्तु नो मतः ॥२२१॥

उपहार देनेवाले के डारा, स्वस्थ चिलमे (होश-हवास की दुरुस्ती की हालत में) और स्वतं प्रक्ता से (विना किसी प्रकार के दबाव के), एकत्र दिया हुआ उपहार, देनेवाले से भी रोके (लक्षित किये) जाने लायक नहीं माना गया है । (अर्थात्-उपहार देनेवाला भी उसे एकत्र देहर बायप स नहीं से सकता ।)

विध्वोपहने वित्ते ग्रहीतोपायनस्य द्वि ।

तस्याः कार्यफलहत्यं प्राप्ते काले प्रमाणयेत् ॥२२१॥

विधवा जी द्वारा दिये उपहार में उपहार का लेनेवाला ही उस (जी) के (उस) कार्य के परिणाम के ज्ञान को, सभय अपने पर, प्रमाणित करे । (अर्थात्-विधवा जी ने यह काम सोच-समझ के किया है, आवश्यकता पहने पर, इसका सिद्ध करना उपहार लेनेवाले का काम होता है ।)

दान्यर्थमुक्तमणानां एतोपहृतिरथं चेत् ।

तर्हुत्तमर्थरूच्यैव निष्कला सा भवेद्वलम् ॥२२१॥

‘यदि यहां पर पक्ष^१ देनेवालों को हानि पहुँचाने के लिए उपहार दिया गया हो, तो कर्ज देनेवाले की इच्छा से ही, वह (उपहार) पूरी तौर से निष्कल (अमान्य) हो जाता है ।

मृत्युभावनया दत्तोऽन्युपहारस्तु निश्चितम् ।

आर्येषु स्मृतिशास्त्रैर्हि मान्य एव भतो शुधैः ॥२२४५॥

विद्वानों ने, मृत्यु के विचार से (in contemplation of death) दिया उपहार भी निश्चय ही, आर्यों में, स्मृति शास्त्रों से, मान्य ही माना गया है ।

निषेगाऽधिकृते भ्योऽत्र दानेनाऽधिकृतेः पुरा ।

तत्तुल्या वाऽन्यथाऽपि निषेपस्त्वभवद् ध्रुवम् ॥२२४६॥

पहले समय में, यहां पर, निषेप (trust) के अधिकारियों (trustees) को अधिकार दे देने से या उसी तरह के दूसरे कार्य से भी निश्चय ही निषेप (trust) हो जाता था ।

उपहारोऽपि प्रागासीत् शक्यस्तेनैव कर्मणा ।

नवीनन्यायनिषेप-विधिरप्ते प्रदर्श्यते ॥२२४७॥

पहले उपहार भी उसी काम से (अधिकार देने आदि से) हो सकता था । नवीन कानून का निषेप (trust) का तरीका आगे दिखाया जाता है ।

निषेपस्तु भवेद् ग्राहोऽचलाऽर्थस्य सुनिश्चितः ।

अच्छेदनीयलेखेन राजमुद्राऽद्वारालिना ॥२२४८॥

स्वयं कर्तुर्खताऽनेन न्यस्तानां निधिरक्षिणाम् ।

तथोरन्यतरस्याऽत्र रचिपत्रेण वा पुनः ॥२२४९॥

स्थिर संपत्ति का निषेप (trust), निश्चितरूप से, स्वयं निषेप करनेवाले के या उसके द्वारा नियुक्त (उस) धन की रक्षा करनेवालों (trustees) के रद न हो सकनेवाले रजिस्ट्री किये लेख से प्राप्त (मान्य) होता है । या किर यहां पर उनमें से किसी एक के इच्छापत्र (will) में मान्य होता है ।

चलाऽर्थस्याऽपि निषेपः प्रागुक्तविधिना भवेत् ।

दातृरंकितुलेखेन रक्षितुः सात्कृतेन वा ॥२२५०॥

अस्थिर संपत्ति का भी निषेप (trust), पहले कही विधि से, देनेवाले (द्रष्ट करनेवाले) और उस निषि (trust) के रक्षकों के (पक्ष के रजिस्ट्री किये) लेख से या उस संपत्ति के रक्षक (trustees) को सौंप देने से होता है ।

इच्छापत्रोपहाराभ्यां यस्मै दानमसंभवम् ।

तस्मै कृतोपि निषेपो नैव मान्यः कदाचन ॥२२५१॥

इच्छापत्र (will) और उपहार (gift) के द्वारा जिसको न दिया जा सके उसके लिए किया निवेश (trust) भी कभी मान्य नहीं होता । (अर्थात्—जो इच्छापत्र या उपहार के द्वारा बन पा सकता है, उसी के लिए निवेश (trust) भी किया जा सकता है ।)

कर्तुः स्मृतिविषद्वां हि दायादानां परम्पराम् ।

विहितस्त्वयत्र निवेशो नो मान्य उपहारवद् ॥२३०२॥

बहां पर दिन्दू शास्त्रों के विषद् इच्छारों की परंपरा कायम करने को किया निवेश (trust), उपहार (gift) की तरफ (ही) मान्य नहीं होता ।

यत्र नव्यविधानस्य नो व्याप्तिस्तत्र घोपणम् ।

तिवेष्ट्यैष निवेशः स्वाम्यदानसृतेऽप्यलम् ॥२३०३॥

जहां नवीन कानून (१८८२ के Indian Trust Act) का प्रभाव नहीं होता, वहां (द्रूस्तियों को) अधिकार सौरे विना ही, निवेश (trust) करनेवाले का निवेश (trust) की घोषणा (declaration) करना ही पर्याप्त होता है ।

१६ इच्छापत्राणि ।

वसीहत ।

साधारणेन सर्वे ऽपि घायास्थाः स्वस्थमानसाः ।

नियमैर्वद्यमात्रैः स्युरिच्छापत्रहृतौ क्षमाः ॥२३०४॥

सापारण तोर पर सारे ही होश-इवायात्रां बानिग, आगे है जानेवाले नियमों के अनुसार, इच्छापत्र (will) करने में समर्थ होते हैं ।

स्वीकृत्यै कामपत्रं यो नयेन न्यायालये जनः ।

प्रमाणयेत् स पवाऽन्तर्यामिच्छां कर्तुः स्तु तदगताम् ॥२३०५॥

कर्तुः स्वतन्त्रतां स्वस्थचित्ततां च यथाविधि ।

तस्मिद्दौ तदलीकत्यसिद्धिर्यात्यभियोकरि ॥२३०६॥

जो युद्ध इच्छापत्र को स्कॉर्ट (registered) करवाने के लिए न्यायालय में ने जाय, वही उसमें कर्ता की अनितम इच्छा वा होना तथा उसके कर्ता का रक्तनम्ब और स्वस्थवित होना, कापदे के अनुसार रक्षण वरे । इन घातों के निष्ठ होने पर उनको झूठा सेद करना मुकद्दमा चलानेवाले (इच्छापत्र का विरोध करनेवाले) के जिम्मे ही जाता है ।

तस्मिर्मुत्स्थाऽऽद्यतुः स्वार्थं तस्मिन् भवेद् यदि ।

कारणानि तथाऽन्यानि सन्देहोत्पादकानि या ॥२३०७॥

भवेयुः साधयेत्तद्विं तप्राऽऽहन्यं च निश्चितम् ।

लेखस्य न्यायतां कर्तुः व्यात्मकं फलव्रक्ताम् ॥२३०८॥

यदि उस (इच्छापत्र) मे उसको करनेवाले या लानेवाले का स्वार्थ हो या सन्देह उत्पन्न करनेवाले दूसरे कारण हों, तो वहाँ पर (उसको न्यायालय की स्वीकृति के लिये) लानेवाला ही, निश्चितरूप से (उस) लेख (इच्छापत्र) के न्याय (न्यायालुमोदित) होने को और (उसके) कर्ता की अपने कार्य के नतीजे की जानकारी होने को सिद्ध करे ।

सत्येवं तदनौचित्यं साधयेयुर्विरोधिनः ।

अनर्हशुक्तिवश्यत्वं कर्तुर्वा तच्चिराकृतौ ॥२३०६॥

ऐमा ही जाने पर विरोधी लोग उसके विरोध में उस (will) का अनुचित होना या (उसके) कर्ता का अनुचित दबाव में होना सिद्ध करे ।

स्मृतिशास्त्रे पु नोल्लेख इच्छापत्रस्य दृश्यते ।

किन्तु तत्कर्तुं कं दानं चिरादङ्गीकृतं द्युघैः ॥२३०७॥

हिन्दुओं के स्मृतिशास्त्रों में इच्छापत्र का उल्लेख नहीं दिखाई देता । परन्तु उसके द्वारा किंशा जानेवाला दान विद्वानों ने बहुत समय से अङ्गोकार कर लिया है ।

इच्छापत्रेण तत्कर्ता दातुं शक्तो निजं धनम् ।

अवयःस्थाय मूढाय विकलायाऽपि निश्चितम् ॥२३०८॥

इच्छापत्र के द्वारा उसका करने वाला (पुरुष) अपना धन नावालिंग को, मूढ़ (idiot) को और विकल को भी निश्चितरूप से दे सकता है । (यहाँ पर विकल से उस पुरुष का तात्पर्य है, जो शारीरिक विकलता के कारण दायप्राप्ति से विद्युत हो ।)

विधानोक्तवयस्थायुरनवाप्य जनः परम् ।

इच्छापत्रकृतौ न स्याच्छक्तो न्यायेन निश्चितम् ॥२३०९॥

परन्तु कानून (१८०८ सं १८७५ के Indian Majority Act के तीसरे मैक्सिन) में कही बालिंग की अवस्था को पास किये विना (अर्थात्-नावालिंग) पुरुष कानून से, निश्चित तौर पर, इच्छापत्र के करने में समर्थ नहीं होता ।

इच्छापत्रं तदेव स्याद् येन कर्ता निजं धनम् ।

स्वमृत्यौ न्यायतो दातुं शक्तोऽन्यस्मै निजेच्छया ॥२३१०॥

इच्छापत्र वही हो सकता है, जिसके द्वारा (उसका) करनेवाला, अपने धन को, अपनी मृत्यु पर, अपनी इच्छा से, कानून के अनुधार दे सके । (इच्छापत्र का लक्षण १८२५ के Indian Succession Act में विशद रूप से दिया है ।)

दत्तकाऽऽदानमात्रस्याऽधिकारो यत्र दीयते ।

लेखेन न तु संपत्तिरिच्छापत्रं न तद् भवेत् ॥२३११॥

जहाँ पर लैख मे केवल गोद लेने का अधिकार ही दिया जाय, संपत्ति नहीं दी जाय, वह इच्छापत्र नहीं हो सकता ।

उपदारेण यद् वित्तं नो दातुं स्थात् जनः स्मः ।

इच्छापत्रिकायाऽप्यत्र तदाने सोऽदामो मतः ॥२३१५॥

पुरुष जिस धन को उपहार (५॥११) के द्वारा नहीं दे सकता है, उसको, यहाँ पर, वह इच्छापत्र से देने में भी असमर्थ माना गया है ।

भार्यादीनां च पोष्याणां न्याय्यामधिकृति पुनः ।

दत्तुमेवाऽप्य विदितमिच्छापत्रं न संमतम् ॥२३१६॥

फिर यहाँ पर भरण-पोषण की हकदार पक्षी आदि के न्याय द्वारा माने हुए (भरण-पोषण पाने के) अधिकार को नष्ट करने के लिए ही किया इच्छापत्र (१॥११) नहीं माना गया है ।

इच्छापत्रेण यां दातुं संपत्ति स्थात् ज्ञमो जनः ।

सा धर्यतेऽथ लोकानामवबोधाय निधितम् ॥२३१७॥

पुरुष जिस संपत्ति को इच्छापत्र से है सकता है, लोगों के जानने के लिए, निधित्वसे, उसका वर्णन किया जाता है ।

व्यक्तिगां स्वाऽजिंतां चाऽपि संपत्ति दानुमीश्वरः ।

इच्छापत्रेण पुरुषः सर्वं ब्रैव तु भारते ॥२३१८॥

भारत में सब जगद् ही पुरुष इच्छापत्र से अधिकार (निजी) और स्वयं प्राप्त कर संपत्ति को है सकता है ।

दायभाग्यामते सातः पैतृकी च निजाऽजिंताम् ।

इच्छापत्रेण संपत्ति दातुं शक्तो यथेप्तितम् ॥२३१९॥

दायभाग्य के मत मे पिता इच्छापत्र द्वारा बाष-दादाओं की और अपनी प्राप्त की संपत्ति को अपनी इच्छादुसार देने में समर्थ होता है ।

संस्कृत्य निजं स्वार्थं संस्कृत्यगतं पुनः ।

इच्छापत्रेण निर्वाच्यं तत्र दातुं ज्ञमो मतः ॥२३२०॥

फिर वहाँ पर (दायभाग्य ने) सामेलार साके के धन मे रहे अपते स्वार्थ (१॥१०७०५) को इच्छापत्र द्वारा, विना काशट के, देने मे समर्थ माना गया है ।

मित्रकृत्यामते प्राप्ताऽप्यरसेस्यसमतिः ।

अपि तात्त्वं संस्पृष्ट इच्छापत्रेण न ज्ञमः ॥२३२१॥

पृक् स्वार्थं निजं दातुं यत्तन्मृत्यो भवेत् कलि ।

आयिष्यत्येऽघश्चिष्टानां वशाऽसाधिकृतेष्वं सुः ॥२३२२॥

मिताद्वारा के मत में दूसरे सामेदारों की समंति प्राप्त किया हुआ पिंडा या सामेदार भी इच्छापत्र द्वारा सामेदारों के अपने स्वार्थ को नहीं दे सकता, क्योंकि इससे उसके मरने पर पीछे रहे सामेदारों के और इच्छापत्र द्वारा अधिकार पानेवाले पुण्य के अधिकार में भगाड़ा हो सकता है ।

पुनः पृक्ताऽवशिष्टानां स्वार्थमाद्यं मतं यतः ।

लेखाऽऽसाऽधिकृतेर्तुः प्राक् तेषामधिकृतिस्ततः ॥२३२३॥

फिर क्योंकि सामेदारों में पीछे बचे पुण्यों का अधिकार पहला माना गया है, इसलिए उनका अधिकार इच्छापत्र द्वारा अधिकार पाये हुए पुण्य (के अधिकार) से पहले होता है ।

परं पृक्ताऽवशिष्टस्तु पृक्ताऽर्थं व्यक्तिवित्तवत् ।

इच्छापत्रेण तत्राऽपि दातुं प्रभवति ध्रुवम् ॥२३२४॥

परन्तु वही पर भी सामेदारों में पीछे रहा (अकेला पुण्य) सामेदारों के धन को निज के धन की तरह इच्छापत्र के द्वारा, निश्चय ही, दे सकता है ।

इच्छापत्रप्रभावस्तु तत्कर्तुर्मृत्युवासरात् ।

प्रवर्तते ह्यतस्तस्मात्पूर्वं चेदत्तकग्रहः ॥२३२५॥

सुतोत्पत्तिरथो गर्भस्तदन्ते पुत्रजन्मदः ।

मृतपृक्तसुतोत्पत्तिर्वा तदा तन्निरर्थकम् ॥२३२६॥

मृतसंपृक्तविभव एतेष्येकतर्म पुनः ।

यथास्थानं प्रयात्यन्नाऽवशिष्टिन्यायतो ध्रुवम् ॥२३२७॥

परं भ्रियेत चेत् पुत्रो जातो या दत्तकीकृतः ।

प्राङ् मृतेर्धनिनस्तर्हि तत्पत्रं सार्थकं पुनः ॥२३२८॥

इच्छापत्र का असर उसके करनेवाले के मरने के दिन से होता है । इसलिए यदि उसके पहले (इच्छापत्र करनेवाले द्वारा) गोद ले लिया जाय, (इच्छापत्र करनेवाले के) पुत्र उत्तर्ज हो जाय, (इच्छापत्र करनेवाले द्वारा) उसके मरने पर पुत्र को जन्म देनेवाला गर्भाधान हो जाय या मरे हुए सामेदार के पुत्र उत्तर्ज हो जाय, तो वह (इच्छापत्र) निरर्थक (रद) हो जाता है और मरे हुए पुण्य का सामेदार का धन मौके के अनुसार इन (ऊर्त गिनाये हुओं) में से एक को, सामेदारों में से बाकी रहनेवालों के न्याय (survivorship) से निश्चय ही मिल जाता है । परन्तु यदि उत्तर्ज हुआ पुत्र या गोदासिया पुत्र धन के स्वामी के मरने के पहले ही मरजाय, तो वह इच्छापत्र फिर सार्थक हो जाता है ।

प्राग् दत्तकप्रहादिच्छापत्रे चेत्संमयस्त्विति ।

यत्पूर्वं दत्तकाऽऽदातुर्विधवा भोदयते धनम् ॥२३२९॥

आजीवं भितकालं या सोऽयम्हर्मी कृतः पुनः ।
दत्तकस्य जनित्राऽपि तर्द्धं मान्योऽप्र रुदितः ॥२३३०॥

यदि गोदतेने के पहले इच्छापत्र में यह शर्त (agreement) भी गई हो कि पहले गोद लेनेवाले की विधवा खी जीवन पर्यन्त या विषत समय तक घन का उपभोग करेगी और इसे दत्तक के जन्मदाता पिता ने भी स्वीकार कर लिया हो (अर्थात्-इस शर्त को मान कर ही अपना लहका गोद दिया हो), तो वह रिकाज के अनुसार मान्य होता है ।

इच्छापत्रगतः किन्तु समयः स विधानतः ।

लद्या च सो मतो दत्त-पुश्पित्राऽपि संमतः ॥२३३१॥

येन दत्तप्राहाऽन्तेऽन्यः कियते तत्सद्विशमाक् ।

नाऽतो रुक्यप्रदृत् दृष्टे इथाऽशने दत्त उत्तरी ॥२३३२॥

परन्तु इच्छापत्र में भी वह शर्त (agreement), जिससे दत्तक लेने के बाद किसी दूसरे की उमा का हिस्तेदार बना दिया जाय, दत्तक पुत्र के (असती) पिता ने स्वीकार करली हो, तब भी कानून और रिकाज से मान्य नहीं होता । इसलिए इच्छापत्र करनेवाले पुरुष द्वारा किये धन के (ऐसे) बटवारे में दत्तक वारादायी नहीं होता । (अर्थात्-यदि गोद लेनेवाला पिता आगे इच्छापत्र में गोद लेने के बाद अपने धन का कुछ भाग किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्तियों को मिलने वा किसी अन्य कार्य में प्रयुक्त होने की शर्त लिख जाय, तो उसके अन्ते पर उसका दत्तक पुत्र उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता ।)

यत्र पृक्ताऽयशिष्टोऽपि दधाष्टेऽद्युचिपत्रतः ।

पृक्ताथांशु शुभायैकं दत्तकायाऽपरं तथा ॥२३३३॥

विधवायै स्यभार्यै तृतीयं च तुरीयकम् ।

कुदुम्बिभ्यो न तत्राऽपि दत्तकस्तृत्तरी भतः ॥२३३४॥

दत्तस्य जनकेन प्राप्त् तदङ्गीहृत्य लेषतः ।

दत्तकात्ये सुतो दन्तो भवेद्यद्यपि निश्चितम् ॥२३३५॥

जहाँ पर उमेदारी में ऐ पौछे थका हुआ (पुरुष) भी इच्छापत्र के द्वारा सामें के धन का एक भाग कल्पणा है लिए, दूसरा दत्तक पुत्र के लिए, तीसरा, चौथानों विधवा पत्नी के लिए (इच्छापत्र उसके करनेवाले की मृत्यु के बाद प्रभाव दियनाता है, इसलिए, यहाँ पर अपनी विधवा पत्नी कहा गया है) और चौथा (अन्य) कुदुम्बिभ्यो के लिए दे दे, वहाँ पर भी वद्यपि दत्तक के जन्म-दाता पिता ने, निधय ही, पहले उन (तीव्र) शर्तों को लेकर द्वारा अङ्गीकार करके पुत्र को गोद दिया हो, तब भी दत्तक पुत्र (बाद में) उत्तरदाता (जिम्मेदार) नहीं माला मत्य है ।

पूर्वोक्तविधिना तातः पैतृकाऽल्पाऽशमस्थिरम् ।

उपहतुं क्षमः किन्तु नो दातुं रुचिपत्रतः ॥२३३६॥

पढ़ते कही रीति से पिता चल पैतृक धन का थोड़ा सा भाग उपहार में दे सकता है, परन्तु इच्छापत्र से नहीं दे सकता ।

खी स्वयंस्थं स्वं क्षमा दातुमिच्छापत्रेण निश्चितम् ।

कचित् पुनश्च तत्राऽपि पत्यनुशाऽस्त्वयपेक्षिता ॥२३३७॥

खी इच्छापत्र से अपने खी-धन को दे सकती है । फिर कहीं-कहीं उसमें भी पति की स्वीकृति आवश्यक होती है ।

अविभाज्यधनस्याऽपि स्वामीच्छापत्रतः क्षमः ।

तद् दातुं तत्र याधा चेद् नो रुच्या नियमेन वा ॥२३३८॥

नहीं बाँटे जानेवाले धन का स्वामी भी इच्छापत्र से उसे दे सकता है, यदि वहां पर रिवाज या नियम से रुकावट न हो ।

सारमेतस्य यदातुं साधरण्येन तु क्षमः ।

यद् वित्तमुपद्वारेण जनो रुचिपत्रतोऽपि तद् ॥२३३९॥

इस (सब) का सार (यद) है कि साधरण तौर से मुख्य जिस धन के उपहार से दे सकता है, उसको इच्छापत्र से भी दे सकता है ।

कचिदस्याऽपवादोऽपि स्मृतिपु द्वायते यथा ।

भतुं दायाऽगतं वित्तं चलमत्रोपद्वारतः ॥२३४०॥

दातुं क्षमा मयूखीया विधवा किन्तु सैव नो ।

समर्या रुचिपत्रेण दातुं प्राक् कथितं धनम् ॥२३४१॥

कहीं-कहीं स्मृतियों में इसका अपवाद भी जाना जाता है । जैसे वहां पर 'व्यवहारमयूख' को माननेवाली विधवा पति से दाय (हिस्ते) में मिले अस्थिर धन को उपहार से दे सकती है; परन्तु वही (विधवा) पढ़ते कहे धन को इच्छापत्र से नहीं दे सकती ।

दायभागाऽनुगो दायाद् भायां वज्ञयितुं क्षमः ।

इच्छापत्रेण पुत्रैस्तु भज्यमाने धने निजे ॥२३४२॥

दायभाग को माननेवाला (मुख्य) इच्छापत्र से, पुत्रों द्वारा अपने धन के बाँटे जाने के समय, अपनी ती छो हिस्ते से विधित कर सकता है ।

किन्तु सा लभते तत्र भरणायोचितं धनम् ।

भतुं वित्तात् यथोक्तं प्राक् पक्षीभावेन निश्चितम् ॥२३४३॥

परन्तु वह (खी) वहां पर पक्षी होने के कारण, पढ़ते कहे अनुसार, पति के धन से भरण-पोषण के लिए उचित धन पाती है ।

जनः स्वपुत्रान् भायीं च दायादानपरानपि ।

इच्छापत्रेण निःशेषं स्वाऽर्थाद् धर्मितुं ज्ञामः ॥२३४४॥

चक्षनोऽस्ते खनं तेषां तस्मिन्नावश्यकं मतम् ।

मृत्युपत्रे परार्थस्तदागोऽस्ते खो शालं मतः ॥२३४५॥

पुरुष इच्छापत्र के द्वारा अपने पुत्रों को, भी को, और दूसरे हकदारों को भी पूरी तरीके अपने धन से विधित कर सकता है। उस (इच्छापत्र) में उनके विधित करने के उल्लेख की आवश्यकता नहीं मानी जाती है। मृत्युपत्र में दूसरे के लिए उस (धन) के दान का उल्लेख (ही) पर्याप्त होता है।

मृत्युपत्रं तदर्थं देन्न्यायेनाऽसंगतं भवेत् ।

तर्हि वाधाः समुलङ्घ्य दायादान् याति तद्विनम् ॥२३४६॥

यदि मृत्युपत्र (bequest) उस (पुरुष) के लिए (जिसके लिए वह किया गया हो) कानून से असंगत - (अवृचित) हो, तो वह धन वापाओं का उल्लङ्घन करके हकदारों को भिल जाता है।

इच्छापत्रे प्रयुक्ताद्यत् समयो यत्तु निधिते ।

कायैं जाते व्यजेदर्थैः पूर्वः प्राग् निधितं जनम् ॥२३४७॥

तर्हि तत्संभवात् पूर्वं यात्यर्थस्तु कुटुम्बिनम् ।

निकटस्य यतो दायः स्वाम्यहर्विनो न तिष्ठति ॥२३४८॥

यदि इच्छापत्र में शार्त रखी हो कि विधित काम (वात) के होने पर सारा धन पहले निधित किये पुरुष को मिलेगा, तो उस (वात) के होने के पहले (वह) धन नप्रदीप के कुटुम्बी को भिल जाता है, क्योंकि दाय का धन विना व्यापी के नहीं रहता।

दत्तकभद्रणनाऽप्य वद्विधने न जनो धनम् ।

व्यक्तिं ददद्व्यस्मै व्यपत्रेण विधानतः ॥२३४९॥

यतो दत्तप्रदे नाऽस्ति व्यक्तिगाऽप्यनियन्त्रिका ।

वाधा कापि परं नो स ऐतुकाऽर्थाऽप्येण ज्ञामः ॥२३५०॥

पुरुष गोद सेने के कारण इच्छापत्र द्वारा आगे व्यक्तिगत धन को दूसरे को देता हुआ कानून से विधित नहीं हो गएगा (रोका नहीं जा सकता); वर्णोंकि शोद्धने में व्यक्तिगत धन को निश्चय बरनेगाली (उसमें रोक लगानेवाली) और याचना नहीं है। परन्तु वह पैनुक धन देने में समर्थ नहीं होता।

उत्तराऽधिक्षेन्द्रविधाने नियमा द्विषेऽपि ।

चातुर्वेद्येषुन्ते, तेषां प्रयोगविधास्त्वयमी ॥२३५१॥

(भारतीय) उत्तराधिकार के कानून के जो नियम (Indian Succession Act 1925, part VI, Sec. 57) हिन्दुओं के लिए हैं, उनके प्रयोग के लिए ये (नीचे लिये) स्थान हैं:—

भाद्रेन्दुविकमान्दाऽच्छभाद्रपष्ट्या उपकमात् ।

महाराष्ट्रदविड्योस्तथा मगधवङ्गयोः ॥२३५२॥

इच्छालेखास्तथा तेपामुपलेखाश्च ये पुनः ।

चातुर्वर्णये न वा वौद्धैः सिक्खैजै नैस्तथा छ्राताः ॥२३५३॥

विक्रम संवत् १६२७ की भाद्रो मुदि ६ (१६७० की १ सितम्बर) से चंद्रई और मद्रास, तथा यिहार और बंगाल में (भी) हिन्दुओं, बौद्धों, सिखों और जैनों द्वारा किये इच्छापत्र (will) और उनके उपततेष्व (codicils) ।

त एव च कृता उक्तदेशेभ्य इतरत्र वा ।

उक्तदेशस्थितस्थायिसंपदो दानहेतये ॥२३५४॥

अथवा ऊपर कहे देशों में स्थित स्थायी संरक्षित के देने के लिए उन देशों से अन्य स्थानों पर किये वशी (इच्छापत्र और उपततेष्व) ।

आलोकाऽप्तुनवैकाऽच्छपौष्ट्रपणश्रयोदशि ।

कृतास्लैरुभये लेखाः प्रागुक्तियमातिगाः ॥२३५५॥

(विक्रम) संवत् १६८३ की पौष मुदि १३ (१६७० स० १६२७ की १ जनवरी) से उनके (हिन्दुओं, बौद्धों, सिखों और जैनों) द्वारा किये, उपर्युक्त (दोनों) नियमों (शुल्क २३५२ से २३५४ तक) में नहीं आने वाले दोनों (तरह के) लेख ।

त्रिष्पुर्येतेषु पत्रस्य लेख आवश्यको मतः ।

द्वाभ्यां साक्षीकृतः कर्तुर्ह स्ताक्षरयुतस्तथा ॥२३५६॥

इन तीनों (शुल्क २३५२ से २३५४ तक कहे) स्थानों पर इच्छापत्र का लेख-घद होना, दो जनों की गवाही युक्त होना और (उसके) करनेवाले के हस्ताक्षर सहित होना आवश्यक भावा गया है ।

इच्छापत्रकृते नाऽस्ति यतो रूपं सुनिश्चितम् ।

अतस्तत् क्रियते उनेकविधाभिः कर्तुभिर्धृष्ट्यम् ॥२३५७॥

यद्योऽपि इच्छापत्र के लिए कोई (खुस स्पष्ट निश्चित नहीं है), इसलिए उनके करनेवालों द्वारा वह निश्चय ही अनेक प्रकार से किया जाता है ।

पतेषु त्रिषु चेत्पूर्वे द्वे प्रत्याख्यातुमिच्छति ।

कोऽपि तर्हि स शक्तः स्यात् पूर्वोक्तनियमस्य हि ॥२३५८॥

विभागे सप्ततितमे दक्षेन विधिना पुनः ।

पक्षसप्ततभागोक्तरीत्या तत्र विर्ययः ॥२३५९॥

यदि कोई भी इन सीनों में से पहले दो (श्लोक २३५२ से २३५४ तक वह) का प्रतिवाद (revocation) बरता चाहता है, तो वह पहले वह (ई० स० १६२५ के भारतीय उत्तराभिभाव के) कानून ये ७० वीं घारा में ही पिण्डि हो दी उसमें समर्थ हो सकता है और (उसी की) ७१ वीं घारा में कही गीति से उस (इच्छापत्र) में परिवर्तन (alteration) हो सकता है ।

आपडृष्टनवीकाऽच्छाभिवनश्चण्वतुर्दिष्टि ।

कृतेषु तेषु चाज्ञेयिप्रागुक्तौ नियमो मतौ ॥२३६०॥

(विक्रम संवत्) १६२६ की आविन (काँ॒र) वदि १४ (ई० स० १६२६ की १ अक्टोबर) से हिन्दू उत्तराभिभाव (wills) और उसके उपलेखों (codicils) में अनितम (तीसरे) स्थान पर भी पहले (श्लोक २३५१ और २३५२ में) कहे दोनों नियम माने हैं । (अवरि वही भी उसके प्रत्याख्यान या परिवर्तन में उपर्युक्त नियम ही काम आते हैं ।)

चातुर्वर्षांश्चतं पश्चं कर्मुद्वाहान्न निष्फलम् ।

स्वार्थाय चेत् सुनोस्पतेदंतकाऽच्छानतोऽपि नो ॥२३६१॥

आदरण, चत्रिय, वैश्व और शृङ्गों (दिनुओं) द्वारा किया इच्छापत्र (उसके) कर्ती के विचार (ही जाने) से भी निष्कर्ण नहीं होता । यदि वह निजी धन के लिए किया हो, तो (करनेवाले के) पुत्र उत्तरान होने से भी (वह) निष्फल नहीं होता ।

नासीदावश्यको लेखो रुक्षपत्रे वाऽस्य खण्डने ।

खण्डने पत्रनाशथ कर्ता यदपि संमतः ॥२३६२॥

स्मृतिशास्त्रे पुं, किन्तव्यावश्यकौ तौ धमूवतुः ।

नूतनैनिष्पैर्मैर्नूनं स्थीकृतेरधिकारिभिः ॥२३६३॥

स्मृतिशास्त्रों में इच्छापत्र या उसके खण्डन (revocation) में लिखावट वी आवश्यकता नहीं थी । और यद्यपि उस (पत्र) के करनेवाले में इच्छापत्र को नष्ट करने की अनुमति भी दी दी हो, तथापि उसको (वास्तविक रूप से) नष्ट करना आवश्यक नहीं था । (अर्थात्-कर्ता का आने इच्छापत्र को नष्ट करने की अनुमति दे देना ही उस पत्र के प्रत्याख्यान (revocation) में पर्याप्त था ।) परन्तु आजकल अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किये गयी नियमों से दोनों नियम ही आवश्यक हो रहे हैं ।

यत्रोपदारे यात्यर्थः कर्तुं मुत्यौ परं जनम् ।

स चाऽथ रचिलेश्वथ प्रायेषोमौ समौ मतौ ॥२३६४॥

जहाँ पर उपदार (डाट) में उसके कर्ता के मरने पर दूसरे की धन मिलता है, वह और इच्छापत्र (bequest) प्रायः (करीब-करीब) समान माने याएं हैं ।

घटनुतो वा विधानेन वर्तमानस्तु यो मृतौ ।

रक्षपत्रकतुः, प्रायः स तदर्थं प्रहणे क्षमः ॥२३६५॥

जो इच्छापत्र करनेवाले की मृत्यु पर (मृत्यु के समय) वास्तव में या कानून (के विचार) से विद्यमान हो, बहुत वह उसका धन ले सकता है ।

गर्भगस्तात्सुतो दत्तीष्टुतो वा तस्य भार्ययो ।

तदन्तेऽत्र विधानेन तन्मृत्यौ वर्तमानवत् ॥२३६६॥

उस (इच्छापत्र करनेवाले) का गर्भ में रहा पुत्र या उसके बाद उसकी लौदारा गोद लिया गया (पुत्र) कानून (के विचार) से यद्युं उसकी मृत्यु पर वर्तमान की तरह होता है ।

तथैवाऽविद्यमानायै स्तुपायै विहितं पुनः ।

इच्छापत्रं विधानेन मान्यमेव मतं दुष्टैः ॥२३६७॥

विद्यमाना भवेत् सा चेत्तदन्तसमये तथा ।

पुत्रेण परिणीता स्याद् दशाद्याऽन्तं तदन्ततः ॥२३६८॥

उसी प्रकार फिर अविद्यमान पुत्र वधु के लिए किया इच्छापत्र विद्वानों ने कानून (के विचार) से मान्य ही माना है, यदि वह (जी) उस (इच्छापत्र करनेवाले) के अनित्य समय विद्यमान हो और (उसके) पुत्र ने उसके मरने से दस वर्ष (के मांतर) तक उसको ब्याह लिया हो ।

सार्वत्रिकास्तथा सार्वकालिका नियमास्तु ये ।

इच्छापत्रकृते तेऽत्र गदिता वोधहेतये ॥२३६९॥

इच्छापत्र के विषय में सब स्थानों और सब समयों के जो नियम हैं, वे ज्ञान के लिए यद्युं यहे हैं ।

स्मृत्युक्तविधिना कर्तुं मृत्युकालेऽसतः कृते ।

कृतं रक्षपत्रमासीदो मान्यं पूर्वं ततः परम् ॥२३७०॥

विधानत्रितयेनैष नियमः परिचर्तिः ।

विधानानामतस्तेषां व्याख्याऽप्रेत्र करिष्यते ॥२३७१॥

स्मृतिवाँ में कहे नियमों से, कर्ता के मरने के समय अविद्यमान के लिए इच्छापत्र पहले मान्य नहीं था; परन्तु उसके बाद तीन कानूनों से यह नियम घटल दिया गया है । इसलिए उनी कानूनों की व्याख्या यद्युं दर आगे की जावाँ ।

आत्माऽप्यनवचन्द्राऽन्द उत्तराधिगृहेस्तु यत् ।

विधानं स्वीकृतं तस्य चतुर्थाऽनुमोदितम् ॥२३७२॥

इच्छापत्रं कृतं कर्तुं मृत्यिकालेऽसतः कृते ।

अपि ग्राह्यं यतस्तत्र तदभावो न वाधकः ॥२३७३॥

विं सं १६८३ (ईं सं १६२५) में उत्तराधिकार का जो कानून (The

Indian Succession Act) स्वीकार किया गया था, उसमें चार पाराओं (sections' ११३, ११४, ११५ और ११६) से अनुमोदित (उनमें कही अवस्थाओं वाला) इच्छाव्र (will) कर्ता के मरने के समय अविवाहित के लिए किया हुआ होने पर भी प्रहण करने (मानने) योग्य होता है, क्योंकि वहाँ पर उस (आनेवाले) का न होना दर्शावट नहीं दालता।

परं सार्वत्रिको नैप नियमः किन्तु केवलम्।

यद्यमाणस्यवस्थासु प्रयोगोऽस्य मतो वृथैः ॥२३७४॥

परन्तु यह नियम सब स्थानों पर काम में आने लायक नहीं है। विद्वानों में इसका प्रयोग आगे कही जानेवाली अवस्थाओं में ही माना है।

आयाऽभ्यग्रहभूवर्षफाल्युनाऽद्यचतुर्थिकम्।

मद्रासप्रान्तवज्ज्ञं मद्रासप्रान्ताऽधिष्ठापिद्विन्दुभिः ॥२३७५॥

कृतेन वा प्रयोज्येन रुक्षपत्रेण तु कश्यन् ।

स्याऽन्तकालेऽसतेऽप्यन्त स्वधनं दातुमीश्वराः ॥२३७६॥

दिन १० अप्रैल १८७० की फाल्युन वदि ४ (१४ फरवरी १८१४) से, मद्रास शहर की छोड़कर, मद्रास प्रान्त में इनेकाले हिन्दुओं द्वारा किये था (उस समय से) प्रयोग में आनेवाले इच्छाव्र (will) से हिन्दूलोग अपने अन्त समय में अविवाहित (ुषा) को भी, यहाँ पर, अपना धन दे सकते हैं।

आप्रिसप्ताऽङ्गभूवर्षाऽधिनकृष्णनवमयथ ।

मद्रासप्रान्तवज्ज्ञेऽतु सर्वश्रीवांगलभारते ॥२३७७॥

कृतेन वा प्रयोज्येन रुक्षपत्रेण तु हिन्दूघः ।

स्याऽन्तकालेऽसतेऽप्यन्त स्वधनं दातुमीश्वराः ॥२३७८॥

या विषम संवत् १८७३ की काँव वदि ४ (२० सितम्बर १८१६) से, मद्रास प्रान्त की छोड़कर, सारे विद्युत-भारत में किये था (उस समय से) प्रयोग में आनेवाले इच्छाव्र (will) से हिन्दूलोग अपने अन्त समय में अविवाहित (ुषा) को भी, यहाँ पर, अपना धन दे सकते हैं।

आऽभ्याऽवनवभूवर्षचैत्रकृष्णन्यतुर्थिकम् ।

मद्रासभ्याप्यभूवर्षयैहिन्दुभिर्विद्वेन वा ॥२३७९॥

आयाऽभ्यग्रहभूवर्षफाल्युनाऽद्यचतुर्थिकम् ।

प्रयोज्येनेष्टिष्प्रेण धनं दातुं प्रभुर्जनः ॥२३८०॥

विषम संवत् १८०७ की चैत्र हृष्ण ४ (ता० २० मार्च १८२१) से, मद्रास न्यायालय (High Court of Madras) के अधिकार (Civil Jurisdiction) में इन्दुओं द्वारा किये था विषम संवत् १८०० की फाल्युन वदि ४ (ता० १४

फरवरी १६१४) से प्रयोग में आनेवाले इच्छापत्र से मनुष्य (अपने अन्त समय अविद्यमान पुरुष को भी) धन दे सकता है ।

मिताच्छराऽनुगोऽभक्तं पृक्षिस्वार्थं तु न क्षमः ।

दातुं रूपपत्रतः किन्तु शक्तो व्यक्तिगतं धनम् ॥२३८१॥

दातुं पृकाय पृक्तं चाऽपृकाय मृतिपत्रतः ।

मृतेऽप्यके क्षमः पृक्तस्तयोरेकतरब्रह्मे ॥२३८२॥

मिताच्छरा को माननेवाला इच्छापत्र के द्वारा विना बटे साक्षे में कें अपने स्वार्थ (interest) को नहीं दे सकता । परन्तु (वह) मृत्युपत्र से अपने व्यक्तिगत (self acquired) धन को सामेदार को और साक्षे के धन (स्वार्थ) को सामेदार से भिन्न अन्य व्यक्ति को दे सकता है (और) देनेवाले के मरने पर (वह) सामेदार उन (दोनों तरह के धनों) में से एक ले सकता है । (अर्थात्- वह अपनी इच्छानुसार उन दोनों में से एक धन से सकता है, दोनों नहीं ले सकता ।)

उत्तराऽधिकृतेन्व्यविधानविपथौ तु यौ ।

प्रागुक्तौ द्वौ हि तत्रत्या मृतिपत्रप्रयोक्ता ॥२३८३॥

तदर्थाऽधिकृतिवर्ताऽपि प्राङ्गविधाकैर्न मन्यते ।

नो वेदधिकृते न्यायालये तस्याऽनुमोदनम् ॥२३८४॥

किन्त्वन्यमृतिपत्रेषु पूर्वोक्ताऽधिकियाकृते ।

आयेवादश्यकं न स्यात्पूर्वोक्तमनुमोदनम् ॥२३८५॥

उत्तराधिकार के नये कानून (The Indian Succession Act 1925) के जो पहले दो विषय (लोक २३४२ से २३५४ तक में) कहे हैं, उनमें का मृत्युपत्र को प्रयोग में लाने (right of executor पत्र) का अधिकार या उस (मृत्युपत्र में लिखे) धन का अधिकार (legatee पत्र) न्यायकर्ताओं द्वारा तब तक नहीं माना जाता, जब तक कि अधिकारी बनाये गये न्यायालय (Court of Competent Jurisdiction) में उस (मृत्युपत्र) का अनुमोदन न हो जाय । (अर्थात्- उसके लिए (probate न मिल जाय) । परन्तु हिन्दुओं में अन्य मृत्युव्रों में पहले कहे अनुमोदन (probate) की आवश्यकता नहीं होती ।

मृतिपत्रमकृत्यैव मृतश्चेत्तर्हि नन्न नो ।

तद्दनांशेषतासिद्धयै व्ययस्थावश्यकी मता ॥२३८६॥

यदि (पुरुष) मृत्युपत्र किये बिना ही मर गया ही, तो वहाँ उसके धन के एक (any) भाग का अधिकार सिद्ध करने के लिए अवस्था की (letter of administration) की आवश्यकता नहीं मानी है ।

मृतप्रात्यन्तुणोद्दारकृते यथाभियोजनम्।

सत्रोत्तराऽधिकारस्य व्यवस्थापनकस्य वा ॥२३८॥

मृतलेखस्य वा माने प्रागुपस्थापिते जनैः ।

अधमण्डित् स्यमुद्दत्तुं प्राप्यते राजशासनम् ॥२३९॥

जहां पर भूत पुरुष द्वारा बस्तु किये जानेवाले इष्टण के लिए सुखदमा किया गया हो, वहां पर पुरुषों द्वारा उत्तराधिकार के प्रमाण (succession certificate), व्यवस्था पत्र के प्रमाण (letter of administration) वा मृत्यु-लेख के प्रमाण (probate) के पढ़ाने उपलिखित करने पर कर्जदार से घन का उदार करने वा राजशासन (डिमी-decree) भित्र जाना है।

मृते पितृति तद्वरकिनताऽयोऽदृ निहेतुके ।

अभियोगोऽनियायं स्यादुत्तरस्याम्यपनकम् ॥२४०॥

जिता के मरने पर उसके वशहिते धन (self acquired property) के उदार के लिए किये सुखदमे में उत्तराऽधिकार का पत्र (succession certificate) आवश्यक होता है।

पृक्ताऽवशिष्टा प्राप्तस्य धनस्थोदारकर्मणि ।

उत्तराऽधिकृतेः पत्रं वृष्टैर्नायश्यक मतम् ॥२४१॥

विद्वानों ने सामेदारी में से शेष रहजाने (survivorship) से मिले धन के उदार के लिए सामेदारी-पत्र आवश्यक नहीं जाना है।

मृतिप्रवृष्टदासभो दायादोऽर्थप्रतिपदे ।

क्षमस्तत्प्रप्राप्तामायदानं चेत्प्र विरोधयेत् ॥२४२॥

तदन्त्यस्तविद्विशकः स्थात् तदानस्य विरोधने ।

तदर्थे वे च नियमास्ते प्राप्तेव प्रदर्शिताः ॥२४३॥

मृत्युप्र करनेवाले का नजदीकी और धन को पीछा प्राप्त करने में समर्प (reservatory) इक्षदार विवर (मृत्युव्र) के प्रमाण (probate) वा देने वा विरोध न करे तो, उसके पादवाला (इक्षदार) उस (probate) के दान का विरोध करने में रान्य दो उच्छवा है। और इसके लिए जो नियम हैं, वे पहले ५ (श्रीक १२०१-१२०८ में) दिखला दिए हैं।

मृतिलेखप्रमाणं धृ व्यवस्थापनकं पुनः ।

नार्प्यते पृक्तपित्तस्य एते न्यायाऽधिपैः पतम् ॥२४४॥

प्रयन्धशस्य यैकस्य पृक्तस्यैवाऽभिघाऽद्वितम् ।

तद्येत्तर्ह्यवशिष्टाय दीप्तेऽन्तिमपनकम् ॥२४५॥

न्यायाधीरा लोग रान्ने के धन के लिए मृत्युलेख का प्रमाण (probate) वा किस व्यवस्थापत्र (letter of administration) नहीं देते। परन्तु वह (धन)

थिंड प्रबन्धक (manager) या एक सामेदार के नाम पर चढ़ा हो, तो (सामेदारों में से)' पीछे यहे (पुरुष) को विकला पत्र (व्यवस्था-पत्र (letter of administration) दिखा जाता है ।

यतः पृक्षथनं दातुं जनो रुक्षपत्रतोऽक्षमः ।

रुक्षपत्राऽधिकृतोऽतो नो तस्याऽधिकृतिमहैति ॥२३६५॥

व्याप्ति के पुरुष, इच्छा-पत्र के द्वारा, सामेदारों के धन को नहीं दे सकता, इसलिए इच्छा-पत्र द्वारा अधिकृत (पुरुष executor) उस (सामेदारों के धन) का अधिकार पाने योग्य नहीं होता ।

प्रार्थासीदेप नियमो नद्येन नियमेन तु ।

रुक्षपत्रेऽधिकृतो यो यः कार्यसञ्चालकोऽयथा ॥२३६६॥

स स्यात्प्रतिनिधिन् नं मृतस्य न्यायसंमतः ।

सर्वकार्येषु सर्वाऽर्थाऽधिकारी चाऽपि तस्य सः ॥२३६७॥

यह (उम्मुक्ति) नियम पढ़ते था । परन्तु नये कानून से, जो इच्छा-पत्र द्वारा अधिकृत (executor) किया गया हो या जो कार्य चालनेवाला (administrator) हो, वह मृत (इच्छापत्र करनेवाले) का निवाय ही सब कामों में न्याय से माना हुआ प्रतिनिधि (legal representative) हो सकता है और वह उस (मृत-पुरुष) के सभ धन पर अधिकार रखनेवाला भी होता है ।

रुक्षपत्राधिकृतः शुकः पत्रकृत्मरणान्तरम् ।

तद्वनं तु निजायत्तमुपयोक्तुं यथोचितम् ॥२३६८॥

इच्छा-पत्र द्वारा अधिकृत (पुरुष) (executor) इच्छापत्र करने वाले के मरने पर अपने अधीन रहे उसके धन के उचित उपयोग में ला सकता (dispose of कर सकता) है ।

स्थिरेऽयं पालयेत्सोऽत्र नियमान् रुचिपत्रगान् ।

रुचिपत्रप्रमाणं वा प्राप्तुयात् प्राढ्विवाकतः ॥२३६९॥

तंद्रनस्य यथौचित्यविनियोगाद्याया सह ।

अपालयन् विधामेतां जनो दोषी भवेद् भ्रुवम् ॥२४००॥

वह (executor) स्थिर धन (immovable property) के विषय में इच्छापत्र में रहे नियमों का पालन करे, या न्यायाधीश से उस धन के उचित रूप से उपयोग (disposal) करने की आज्ञा के साथ ही इच्छापत्र का प्रमाण (probate) प्राप्त करे । पुरुष इस विधि को नहीं पालता हुआ अवश्य ही दोषी होता है ।

कार्यसंचालकाऽपि स्वायत्तं मृतसंपदम् ।

यथाऽवस्यं तु विकेतुं दातुं धा व्यवितुं क्षमः ॥२४०१॥

कार्य व्याप्रवाला (administrator) भी, आपने अधीन रखी, भरे हुए की संपत्ति को मौके के अनुसार बेचने, देने या सर्व (dispose of) करने में समर्थ होता है।

साचेतिस्थिरा न शकः स आधीकारेऽय विक्ये ।

उपद्वारे विनिमयेऽन्यसात्कारे व्ययेऽर्पणे ॥२४०२॥

पञ्चाऽधिकाऽन्यभोगाय मूल्यदानपुरस्सरम् ।

चेत्तेनाऽधिगता नाशा न्यायाऽधीशस्य तस्य च ॥२४०३॥

व्ययस्थायाः कृते पश्च येन दत्तं भवेत्पुरा ।

पत्नां विधानसरलीमतिकम्याऽन्न दुष्ट्यति ॥२४०४॥

यदि वह संपत्ति स्थिर (immovable) हो और यदि उसने उस न्यायाधीशीरा की, जिसने पहले व्यवस्थापन (letter of administration) दिया हो आजा प्राप्त न करती हो, तो वह (executor) जिसी रूपने, बेचने, उपद्वार में देने, बदलने, दूसरे के अधीन करने, सर्व करने या मूल्य लेने पाँच घर्य से अधिक तक भोगते के लिए (lease or) देने में समर्थ नहीं होता।

मृतिपत्रे तु तत्कर्तु राशयः प्रमुखो मतः ।

स शुच्छैस्तद्गतैङ्गेः यः परिस्थित्या च परिहृतैः ॥२४०५॥

कर्तु भर्तं तथालोच्यं संपत्तेः क्रमसंक्रमे ।

तस्य जातिगता रीतिरपि चिन्त्याऽर्थनिष्ठये ॥२४०६॥

मृतिपत्र (will) में उसके करनेवाले का आशय (intention) मुख्य माना है। विडातों को वह (आशय) उस (मृतिपत्र) में के शब्दों से और परिस्थिति (surrounding circumstance) से जानना चाहिए। साय ही संपत्ति के निष्ठय में संपत्ति के कम से दूसरे के मिलने के विषय में (मृतिपत्र) कर्ता का मत (धार्मिक मत) और उसकी जानि वा रिवाज भी विचार में से लेना चाहिए।

२० उपद्वारलेखेत्क्षापत्रयोः समाना नियमाः ।

उपद्वार-लेख और इत्यापत्र के समान नियम ।

आपां दायकृतौ शक्त आजीवं स्वजनाय था ।

आजीवमानुपूर्व्ये ए स्वजनेभ्योऽय कस्यचित् ॥२४०७॥

निष्ठिताऽन्यधिभुल्यै, चेद् प्रदीता न्यायतः क्षमः ।

दक्षपत्रलेखपत्राभ्यां दत्ताऽर्थस्य प्रतिप्रदे ॥२४०८॥

यदि पानेवाला इन्द्रापत्र या लेखपत्र (उपद्वार) के द्वारा ही गई संपत्ति के लेने में कानून से समर्थ हो, तो आर्य (हिन्दू) अपने कुटुम्बी से जीवन पर्यन्त के लिए या एक के द्वारा दूसरे कुटुम्बियों के जीवन पर्यन्त के लिए आयता विसी के

निश्चित अवधि तक भोग के लिए दाय (life estate, successive life estate या estate for limited term) करने में समर्थ होता है ।

पुनः संसदो भागमपि निश्चेतुभीश्वरः ।

असदभ्यः किन्तु संशातुमसमर्थोऽभवत्पुरा॥२४०॥

फिर वह उन (पानेवालों) के लिए संश्चिति का दिसा भी निश्चित कर सकता है । परन्तु (वह) पहले अविद्यमान को देने से असमर्थ था ।

नव्यप्रकारकं दायं करुं या न्यायसंगतम् ।

दायकमं व्यत्यसितुं स्वेच्छापूत्यै जनोऽक्षमः ॥२४१॥

पुरुष अपनी इच्छा को पूरी करने के लिये नवीन प्रकार का दाय (estate) करने में या कानून से मान्य दायकम (line of succession allowed by law) को उलटने में समर्थ नहीं होता ।

उत्तराऽधिकृतिर्वच व्यक्तिगेच्छाऽवलम्बिता ।

विधानाऽनुगता साऽस्ति जातिरीत्याऽनुगाऽथवा॥२४२॥

(क्योंकि) उत्तराधिकृति (inheritance) एक व्यक्ति की इच्छा के आधार पर नहीं है, वह (तो) कानून के अनुसार या जाति के रिवाज (recognized custom) के अनुसार है ।

यथा क्षमो भवेदार्यं उपहरुं स्वलेखतः ।

दातुं रुपपत्रतो याऽर्थमनुत्पन्नाय निश्चितम् ॥२४३॥

तत्तु पूर्वं समाल्यातं विवोधाय विपक्षिताम् ।

तदगताश्चाऽन्यनियमा वदयन्तेऽत्र विधानतः ॥२४४॥

आर्य (हिन्दू) जिस रीति से (उम समय तक) नहीं उत्तम हुए (पुरुष) के लिए धन को अपने लेख (deed) से उपहरू कर सकता या इच्छान्त्र से दे सकता है, वह विद्वानों के जानने के लिए, पहले (क्रमशः श्लोक २२७० से २२१७ तक और श्लोक २३७० से २३८० तक) कह दी है । यहां पर (अब) कानून में ऐसे उसमें के (कुछ) दूसरे नियम कहे जायेंगे ।

नव्यत्रिनवचन्द्राऽन्दे करुं विभवमन्यसात् ।

विधिर्यः स्वीकृतस्तस्य द्वितीयाऽध्यायगा नया: ॥२४५॥

आर्येषु प्राक् प्रयोगाऽहर्वा नासन् किन्तु ततः कृताः ।

पडप्रुनवचन्द्राऽन्दे संशोध्यैनं यथाविधि ॥२४६॥

विक्रम संवत् ११३६ (ई० सं० १८८२) में धन को दूसरे के अविकार में करने के लिए जो कानून (The Transfer Of Property Act) स्वीकार किया गया था, उसके दूसरे अध्याय (Chapter II) में के नियम पहले हिन्दुओं में प्रयोग होने लायक नहीं थे, परन्तु उसके बाद, वि० संवत् ११८६ (ई० सं० १९२८)

आर्थविधानम्।

३४४

की मृत्यु के समय जीवित भ्रनेक पुत्रों के या एक पुहर के जीवन पर्यन्त तथा उस श्रुति-पत्र को करनेवाले की मृत्यु के बाद अत्यन्त हुए उस धन के हक्कदार बातक वी नाबालिगी पर्यन्त रोक लिया गया हो, (वहा) दाय के घन का देना अमान्य होगा। (उदाहरण—लोक २४२३ और २४२४ की टीका में दिया जा चुका है ।)

रिक्तदाने विधिर्योऽसौ कथितो न्यायसंमतः ।

न्यासेऽसर्वजनीनेऽपि स एवाऽप्य मतो वुधैः ॥२४२७॥

इच्छापत्र—द्वारा धन देने (bequeathing) में जो यह न्याय संमत निधि (शोक २४२५—२४२६ में) कही है, वही विद्वानों ने, वहां पर, खानागी निधि (private trust) में भी मानी है।

रुक्षपत्रे यत्र वित्तस्य दानं स्थक्या विनिश्चिता ।

पारम्पर्येण वंश्याऽर्था तद्वद्देष्यमोगिता ॥२४२८॥

तत्पत्रं निष्फलं, तस्मात्तद्वित्तमिह गच्छति ।

साधारणेन तद्वित्ताऽधिपदायहरात्प्रयम् ॥२४२९॥

जहां पर इच्छापत्र (will) में धन के दान को द्वोषकर उस (धन) की आमदनी के उपभोग को परम्परा से (एक के बाद दूसरे) वंशजों के लिए निधय किया हो, वह पत्र निर्भान होता है। इसलिए यह पर, वह धन साधारण तौर से निधय ही उस धन के मालिक के हक्कदारों को मिलता है। (अर्थात्—इस प्रकार आने—धन का स्थायी कोप (perpetuity) बनाना न्याय से अमान्य है ।)

धर्माऽर्थमय दानाऽप्य वृत्तेहर्वनाय यो निधिः ।

तप्त स्याच्याभ्यतो न्यासः समृतिशालाऽनुमोदितः ॥२४३०॥

पां के या धान के लिए श्रुति देने को जो निधि (religious and charitable endowment) हो, वहां पर (उसमें) स्मृतिशाला में माना हुआ हमेशा का निधि (perpetual trust) भी हो सकता है।

उपदारीकृतया स्याद्वर्तं रुक्षपत्रो धनम् ।

कस्मैविज्ञनयर्गाय तत्र ये स्युतसंमताः ॥२४३१॥

प्रागुक्तनियमाभ्यां द्वि तत्र स्युर्यहिष्ठनाः ।

तदधेप्राप्तितोऽन्ये तु तद्दने भागिनो धुयम् ॥२४३२॥

जहां पर धन किसी जनों की थेणी (class of persons) के लिए उपहार (डाइ) किया गया हो या इच्छापत्र द्वारा (bequest) में दिया गया हो, वहां पर जो (लोग) पहले (शोक २४२० से २४२६ तक) कहे दोनों निधनों से अमान्य हो, वे ही उस धन को पाने से सहिष्णुत (विभिन्न) होंगे (धन महीं पार्येंगे), परन्तु दूसरे (बासी के) निधय ही उस धन में हिस्पेशर होंगे (धन पार्येंगे)।

रुक्षपत्रकर्तुरन्ते यो रुक्षपत्राऽधिगृहीतो जनः ।

वर्तमानो भवेत्स्य ते सुता अधिकारिणः ॥२४३३॥

पित्रन्तेऽप्यादशाऽच्छाइन्तं ये धयःस्थाः क्षमास्तथा ।

इच्छापत्राऽनुसारेण दत्ताऽर्थस्य परिग्रहे ॥२४३४॥

इच्छापत्र करने वाले की मृत्यु पर जो इच्छापत्र के द्वारा अधिकार पानेवाला पुरुष विद्यमान हो, उसके बै पुत्र अधिकारी होंगे, जो (अपने) पिता के बाद १८ वर्ष तक बालिग और इच्छापत्र के अनुसार दिये हुए धनके ग्रहण करने में समर्थ हो जायेंगे ।

पूर्वोक्तैर्नियमैर्यत्राऽफले पूर्वोऽधिकारिणे ।

रिक्तदानोपदे तत्र तदन्त्यायाऽपि निष्फले ॥२४३५॥

जहाँ पहले (शोक २४२० से २४२६ तक में) कहे नियमों से इच्छापत्रदीर्घ दिया दान और उपहार पहले अधिकारी के लिए निष्फल हों, वहाँ (वे) उसके बाद के (अधिकारी के) लिए भी निष्फल होते हैं ।

विकल्पेन कृते यत्र स्वतन्त्रउपहारके ।

रुक्षपत्रलेखे वैकस्तु प्रयोगसमये भवेत् ॥२४३६॥

मान्योऽन्यश्चाऽफलस्तत्र मान्य एव प्रयुक्त्यते ।

नाऽन्यो यतः स नियमैर्यद्वत्याद् न गृह्यते ॥२४३७॥

जहाँ पर स्वतन्त्र (independent) उपहार (Draft) या इच्छापत्र के लेख के दिकल्प (alternative) रूप से करने पर उनके प्रयोग के समय (विकल्प में का) एक मान्य और दूसरा अमान्य हो, वहाँ पर मान्य का ही प्रयोग होता है । दूसरे (अमान्य) का नहीं, क्योंकि वह नियमों से विरुद्ध होने से ग्रहण नहीं किया जाता ।

रिक्तैकांडशं कुटुम्बियम्योऽन्यं धर्मायाऽर्पयेजनः ।

रुक्षपत्रकृत्, परं तत्राऽयोग्याः कर्तिपये जनाः ॥२४३८॥

कुटुम्बियुतदर्थान्ती तदा वै धर्मसात्कृतः ।

भागो मान्यः स्वतन्त्रत्यात्पूर्वोऽपेक्षाविवर्जितः ॥२४३९॥

(जहाँ) इच्छापत्र करनेवाला पुरुष दाय-धन का एक भाग कुटुम्बियों की और दूसरा (भाग) धर्म के लिए है, परन्तु वहाँ पर कुटुम्बियों में से कुछ पुरुष उस धन के पाने में अयोग्य हों, तो पहले की अपेक्षा (परवाह) न करनेवाला धर्म के लिए दिया भाग स्वतन्त्र होने से मान्य होगा ।

पूर्णं ससमयं स्वाम्यं दद्याद् रुक्षपत्रतो जनः ।

स्वाऽर्थं यत्परकालीनघटनातोऽफलं भवेत् ॥२४४०॥

घटना सा तु सद्यस्का स्पालातुर्जीवतो मृती ।
तदानं चाऽङ्गताकाले कर्त्तव्ये वा सते भवेत् ॥२४४॥

इच्छापत्र करनेवाला, इच्छापत्रदारा, अपने धन पर शर्त के साथ पूरा अधिकार दे सकता है, जो आगे होनेवाली (किसी खास) घटना से निष्ठल हो सके । परन्तु वह घटना (धन) सेवेवाले जीवित (पुण्य) की मृत्यु पर उसी समय की हो और वह दान इच्छापत्र करने के समय वा उसके कर्ता की मृत्यु के समय विषयमान (पुण्य) के लिए दिया गया हो । (अर्थात्-‘क’ ने अपना धन इच्छापत्र द्वारा अपने शार पुत्रों को दे दिया हो और उसमें यह शर्त रक्खी हो कि जो पुत्र अपने पीछे अपना पुत्र वा शेष हो जाए तो उसका धन उसके दूसरे भाई या उनके पुत्र बांट देंगे । अब यदि इच्छापत्र करनेवाले के पीछे उसका एक पुत्र केवल अपनी विषया स्थी को धोखार ही भरजाय तो उसके निष्ठुर और निष्ठी होने से उसका धन उसकी विषया को न भिजकर उसके भाइयों को और उनके अभाव में उनके पुत्रों को मिलेगा । परन्तु यदि उसके पुत्र होता, तो वह (भी) अपने को मिले धन के भाग का पूर्ण लाभी हो जाता ।)

यत्र प्रभाव्यते दानं प्रागुक्तैनियमैत्यिभिः ।

तथाऽजाताय पुंसेऽपि धनं दातुं जनः क्षमः ॥२४५॥

(परन्तु) यहां पर दान पहले (श्लोक २२७५ से २२८० और २२८३ से २३८० में) बहे तीन नियमों से प्रभावित होता है, वहां परमुत्तम नहीं पैदा हुए पुण्य के लिए भी धन दे सकता है । (यदि वह युण्य अपने दाय की एक योजना (settlement) करके उसमें का बुख धन अपनी कन्या को पूर्णहय से दे दे, परन्तु उसमें यह शर्त लगादे कि यदि उसकी पुण्य-सम्बाद स्थी परम्परा समाप्त हो जायगी तो, वह धन उस (देनेवाले) के अपने हक्कदारों को वापस मिल जायगा । यहां पर वह घटना उस कन्या (अर्थात्-उन सेवेवाले जीवित व्यक्ति) की मृत्यु पर तत्काल न होकर उसके बाद किसी समय ही सकती है । अतः ऐसे स्थाने पर धन वापस देनेवाले के हक्कदारों को नहीं मिल सकता ।)

एकयड्नयचन्द्राऽन्दे घञ्जे यः स्वीकृतो विधिः ।

तदभूताना द्वि विद्येया वक्षीया रित्ययोजना ॥२४६॥

विक्रम संवार-१८६१ (ई० सं० १८०४) में (इस संवन्ध का) जो कानून (The Bengal Settled Estate Act) स्वीकृत किया गया था, वर्णन की मृत्युम आदि द्वारा दिये जानेवाले धन की योजना (settled estate) बनाना उसके अवैत जाती नहिं ।

अद्विष्टोपहरणं दानं हक्कपत्रतोऽथया ।

दातुमूर्त्यी सतोऽन्तेऽन्त सद्यः स्याच्चेत्प्रभावकृत् ॥२४७॥

दत्ते तदानकाले ते विद्यमानाय वा पुनः ।

तदातुर्मृत्युकाले वा सते मान्ये तदा भते ॥२४४५॥

किन्तु पूर्वोक्तनियमवित्येन प्रभाविते ।

ते उभे दातुमीशः स्यादसतेऽप्यर्पको धूम् ॥२४४६॥

बचे हुए (धन) (remainder) का उपहार में देना अथवा इच्छापत्र के द्वारा देना यदि वहां पर देनेवाले की मृत्यु पर विद्यमान (पुरुष) के मरते ही प्रभाव डालनेवाला (effective) ही, या वे दोनों (उपहार और इच्छापत्र द्वारा दिया दान) उनके देने के समय विद्यमान (व्यक्ति) को दिये गये हों, या फिर उस (दान) के देनेवाले की मृत्यु-समय विद्यमान (व्यक्ति) को दिये गये हों, तो मान्य माने गये हैं । परन्तु पहले (श्लोक २२७५ से २२८० और २३७५ से २३८० में) कहे तीन नियमों से प्रभावित (अर्थात्-जहां उपहार या इच्छापत्र-कुन दान उन नियमों के अनुसार हो वहां) उन दोनों को देनेवाला निधय पूर्वक (उपर्युक्त दोनों समयों में) अविद्यमान व्यक्ति को भी दे सकता है । (अर्थात्-यदि किसी ने अपना धन पहले 'क' को, उसके जीवन पर्यन्त के लिए, इस शर्त पर दिया हो कि 'क' के मरने पर वह धन 'ख' को मिलेगा । ऐसी अवस्था में यदि 'क' और 'ख' दोनों दान देने के समय या देनेवाले की मृत्यु के समय विद्यमान हों, तो 'क' के बाद यथा हुआ उन 'ख' से सहेगा । परन्तु यदि वह दान या उपहार पूर्वोक्त तीन नियमों में आता होगा, तो उक्त दोनों समयों पर अविद्यमान व्यक्ति भी उन्हें ले सकेगा ।)

न्यासास्तु स्मृतिशास्त्रे पु लभ्यन्ते पूर्वकालतः ।

किन्तु ते हितकृद् न्यायकार्ये भ्यः केवलं मताः ॥२४४७॥

न्यास (trust) तो स्मृतिशास्त्रों में पूर्व समय से ही मिलते हैं, परन्तु वे केवल हितकारी न्यायानुमोदित कार्यों (beneficiary interests recognized by the law) के लिए ही माने गये हैं ।

अतो यत्र ग्रहीता स्यादयोग्यो न्यायतोऽयवा ।

तस्मै प्रदत्तो दायो नो आर्यन्यायाऽनुमोदितः ॥२४४८॥

तत्र न्यासेन तदानममान्यं समर्तं वृधेः ।

यतो यदुपहारेण स्मृतिपञ्चेण वा पुनः ॥२४४९॥

सारल्येन त्वदेयं स्याद् न्यासेनाऽधिकृतस्य हि ।

माध्यस्थ्येनाऽप्यदेयं, यद् न्यायेजैह्यं न संमतम् ॥२४५०॥

इसलिए जहां लेनेवाला, कानून से अयोग्य (अनधिकारी) हो या उसको दिया हुआ दाय (estate) आर्य (हिन्दुओं के) न्याय द्वारा अनुमोदित न हो, वहां पर न्यास (trust) द्वारा वह दान विद्वानों ने अमान्य माना है । इसलिए

जो सीधी तौर से उपहार या श्रेति-पत्र के द्वारा नहीं दिया जाने लायक है, वह न्याय में अधिकृत (trustee) की मध्यस्थता (interventio) से भी नहीं देने लायक ही रहता है, यांकि न्याय में कुठिनाना नहीं मानी गई है।

(उपहार के लिए देखो श्लोक २२४३ से २२५८ और २२७० से २२८६ तथा इच्छापत्र के लिए २२२५ से २२६० और २२६५ से २२८० ।)

करोति यन्म लेखेन मृत्युपञ्चेण या जनः ।

फस्मैचिद् निजवित्स्वयं पूर्णस्वाम्याऽपेणाधिकाम् ॥२४५१॥

व्यवस्थां तत्र तत्पश्चात् प्रयुक्तं तद्विषयन्वकम् ।

यदृचारां तद्मान्यं स्यादप्रयुक्तमिव ध्रुवम् ॥२४५२॥

जहाँ पर पुरुष उपहार के लेख (deed) से या मृत्यु-पत्र से किसी भी धन का पूरा स्वामित्व देने के लिए इयवस्था करता है, वहाँ पर जो वीड़े से प्रयुक्त किया उम (अधिकार) का नियन्वक (उसमें हड्डावड आजने वाला) वाक्य हो, वह निश्चय ही (उस पत्र में) अप्रयुक्त की तरह अमान्य होता है।

यन्म पूर्णतया दत्तं फस्मैचित्स्वधनं परम् ।

दानलेप्योऽथ दग्धलेप्यस्तदर्थं छत्र आदिशेत् ॥२४५३॥

अविनाशयत्वमयैस्याऽविभाजयत्वं तथा पुनः ।

उपभोगोपयोगी च तस्य निर्दिष्टरीतितः ॥२४५४॥

तत्रादेशा अमी त्यादपास्नास्तथाऽलिखितानिव ।

मत्वैव तद्ग्रहीताऽप्यैपूर्णस्वाम्यं निरेवते ॥२४५५॥

जहाँ पर किसी को अपना धन पूरी तीर से दे दिया हो, परन्तु उसके लिए किया (उपहार के) दान का लेख या इच्छापत्र का लेख उस धन के (नाश करने alienation) के लायक न होने या बौछाने लायक न होने का, या जिर उस (धन) का उपभोग (enjoyment) और उपयोग (application) घटताये हुए तरीके (particular manner) से करते का आदेश देता हो, तो वहाँ पर इन आदेशों को छोड़ देना चाहिए और उन (आदेशों) को (उन पत्रों में) नहीं लिखा भाव कर ही उन (धन) का सेवेवाता धन का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकता है। (अर्थात्—वह उसे इच्छातुपार रख्य कर सकता है।) (देखो श्लोक २२८७ से २२८८ तक)

यन्माऽप्येस्योपहारेण दक्षपत्रेणाऽथवाऽपितम् ।

पूर्णस्वाम्यं परं दानलेपे स्याद् नियमः छत्रः ॥२४५६॥

यन्म देयावयःस्थाय ग्रहीत्रेषीशताऽह्य तु ।

तावद् यावद् चयःप्राप्याऽनन्तरो नियतोऽवधिः ॥२४५७॥

न व्येति, तत्र नो मान्यो यपःप्राप्त्युत्तरोऽवधिः ।
ययः प्राप्ती श्रद्धीताऽतस्तद्यथग्रहणे क्षमः ॥२४५॥
किन्तु यत्रतद्याऽप्योऽवधी तस्मिन् समर्पितः ।
अन्याऽप्य तत्र मान्यः स्यादवधिस्तु तदुत्तरः ॥२४५॥

जहां पर उपहार में देने के द्वारा या इच्छापत्र के द्वारा धन का पूरा अधिकार दिया हो, परन्तु दान के लेख में नियम कर दिया हो कि इस (धन) का अधिकार तब तक बालिग लेनेवाले को भी नहीं देना चाहिए, जब तक नियत किया हुआ बालिग होने के बाद का अवधि न बीत जाय, वहां पर बालिग होने के बाद का अवधि नहीं मानना चाहिए । इसलिए बालिग होने पर लेनेवाला उस धन को लेने में समर्थ होता है । परन्तु जहां पर उस (पूर्णक) धन की आमदनी उस (नियत की हुई) अवधि में दूसरे के लिए दे दी हो, वहां पर उसके (बालिग होने के) बाद की अवधि भी मान्य होती है । । (अर्थात्-ऐसी अवस्था में उस अवधि पर्यन्त धन की आय दूसरे को मिलती रहने से धन का पानेवाला बालिग होजाने पर भी उस समय की समाप्ति के पूर्व धन नहीं पा सकता ।)

अर्थाऽप्योपहृतिर्यत्र कृता किन्तु न निश्चिता ।
आजीवमायभाजां ततिस्यतिर्वा तदनन्तरम् ॥२४६॥
उत्तराऽधिकृतेर्नव विनिर्णीता परम्परा ।
तत्रोपहारः संपूर्णस्वाम्यो ज्ञेयः सुनिश्चितम् ॥२४६॥

जहां पर धन की आमदनी तो उपहार में दी हो परन्तु आमदनी लेनेवालों की आयुर्यन्त के लिए उस (धन) की स्थिति (but the estate given is not in terms limited to the lives of the beneficiaries) का निर्णय नहीं किया हो अथवा उनके बाद (उनके) उत्तराधिकारियों की परम्परा का निर्णय नहीं किया हो वहां पर उपहार निश्चय ही संपूर्ण अधिकारवाला (as an absolute gift) जाना चाहिए ।

यत्रोपहारे हाशुचिः समयः स्याद्वियोजितः ।
तत्रोपहारो मान्यः स्याद्भान्यः समयस्तु सः ॥२४७॥

जहां पर उपहार में अपवित्र (immoral) शर्त लगादी गई हो, वहां पर उपहार मान्य होता है, परन्तु वह शर्त अमान्य होती है ।

परसात्करणेऽर्थस्य तदायप्रवयाय च ।
आयभागप्रचित्यै वा समयः क्रियते, परम् ॥२४८॥
स कालः परसात्कर्तुर्दीर्घिः स्यादामुपोऽव्या ।
अप्रादशान्दतो दीर्घतरोऽमान्यस्तदाऽवधिः ॥२४८॥

मान्य आदातृजीवं चा दानादप्तदशाऽन्विकः ।

अतः परं च मूलायाधुपयोज्यौ मती वुधैः ॥२४६५॥

आतः परं च मूलायाधुपयाया । भवति कुरुते ।
 और धन के दूसरे के अधिकार में (transfer) करने में उप (धन) की
 आमदनी को जमा करने या आमदनी के एक भाग को जमा करने के लिए शर्त
 करदी जाय, परन्तु वह (आमदनी के जमा करने का) समय दूसरे के अधिकार में
 देनेवाले (transferor) की आयु से लंबा हो या अठारह वर्ष से लंबा हो, तो
 अस्ताप्य होता है तथा देनेवाले के जीवन पर्यन्त का या उपराह देने से अठा-
 रह वर्ष तक का अवधि मान्य होता है और इसके बाद विद्वानों ने मूल (धन)
 रह वर्ष का अवधि मान्य होता है और (उससी) आमदनी की उपयोग में लाने योग्य माना है ।

अनुपदेष्यत्र वित्तस्थाऽशेषाऽऽयमन्वयाय चत्।

तदभागप्रचयायाऽथ तदगतुर्मरणोत्तरम् ॥२४६॥

आणुदशाऽन्वादधिककालं तु समयो भवेत् ।

अष्टादशाऽन्तर्मेव स्पात्तहिं मान्यः स निधितम् ॥२४६॥

मन्त्रात् स तदन्ते धारसमाप्तोऽपि समाप्तवत् ।

मन्यत ह तदा विद्युतं प्रवृद्धं अस्ति तदा विद्युतं प्रवृद्धं ॥

मूलायामुपयन्त अताउन तद्वर्त्तन्तम् ॥१०॥

इस पर इच्छात्म में भी यदि धन की (सारी) आमदनी के जमा करने के लिए था उसके एक भाग के जमा करने के लिए उस (धन) के देनेवाले की मात्रा के बारे अट्ठाह वर्ष से अधिक तक की शर्त हो, तो वह (शर्त) नियम ही आठाह वर्ष तक की मात्री जाती है और उसके बाद वह (शर्त) नहीं पूरी होने पर भी पूरी हुई के समान समझी जाती है। इसनिए इस पर उसके बाद गृह और (उमसी) आमदनी काम में ले ली जाती है।

परन्त्यत्र ग्राणोद्दत्यायुपदतुं सतया पुनः ।

द्वात् इत्यपवित्रो चाऽन्यदत्तमागहृतस्तया ॥२४६॥

ब्राह्मणकृते दातुरन्यस्वार्थं धरस्य च ।

तप्तोः कालाञ्चरे भावी सुतभोगकृतेऽथवा ॥२४३॥

परसात्कृतवित्तस्य धन्य संरक्षणाय च ।

अतो द्वीपसंतप्तेष्यवाऽयथिः पूर्वविनिधितात् ॥२५७१॥

हना दक्षतापूर्वकात्मा दूसरीप्राणीकरण
अवधेसंविध पद्म स्थान किंव बायकपुरयोः ।

अद्विद्यमान्य द्वय स्त्रीति किंतु प्राणुसंप्रदयाः ।
स्त्रेषु वृत्तस्त्रियो चर्वं कामो यथोचितम् ॥३५७३॥

परन्तु यहाँ पर उपदार देनेवाले के बा किंव इच्छाप्रस से देनेवाले के घटपता (उस) दिये हुए मैं भाग लेनेवाले (interested) (किसी) दूसरे के कर्ज के खुकाने के लिए किया तथा उक्त धन को (उपदार या इच्छाप्रस से) देनेवाले के बा (उस धन में) स्वार्थ (interest) रखनेवाले (किसी) अन्य के बढ़वाँ के भाग के

लिए अथवा उन दोनों (देनेवाले और स्वार्थ रखनेवाले) के आगे किसी समय होने वाले मुद्राओं (*remote issues*) के भोग के लिए किया अथवा दूसरे के अवधीन (*transfer*) किये धन के धारण करने (*maintenance*) के लिए या रक्षा (*preservation*) के लिए किया-पढ़ले निश्चित किए अवधि से लंबा (*अर्थात् दाता की आयु से अधिक लंबा या दान के समय से अथवा दाता की मृत्यु के समय से अठारह वर्ष से अधिक का*) अवधि भी मान्य ही होता है । परन्तु पहले कहे दोनों पश्चों (उपहारपत्र या इच्छापत्र) में आवश्यकता के अनुसार इनका उल्लेख अवश्य ही कर देना चाहिए ।

ऋणोद्धाराय वा बालभागकल्पनहेतवे ।

नियमौ यौ समाख्यातौ तावत्राऽङ्गीकृतौ यतः ॥२४७३॥

सप्ताऽप्नवशीतांऽग्निमितविकमवत्सरे ।

चैवभासे सिते पक्षे द्वितीयायां तिथौ कुजे ॥२४७४॥

अतस्तपूर्वदत्ताऽयै स्मृत्युकनियमो मतः ।

तत्रायप्रचये नूनं मान्यत्वं मन्यते वृथैः ॥२४७५॥

दातुर्लक्षस्य शुद्धत्वाद् न्याय्यत्वाऽदृथवा पुनः ।

लोकाऽस्त्राऽविरुद्धत्वांदेव नित्यमसंशयम् ॥२४७६॥

फूज़^१ चुकाने या बालकों के लिए भाग नियत करने (*preservation of portions for children*) के लिए जो नियम (शोक २४६६ और २४७२ में) कहे गये हैं, वे क्योंकि यहाँ पर विक्रम सवन् १६८७ की चैत्र शुक्ल द्वितीया मंगलवार (१ अप्रैल १६३०) को (*The Transfer of Property*) (*Amendment*) Act 20 और *The Transfer of Property (Amendment) Supplementary Act 21* को, जो कि १ अप्रैल १६३० से Indian Succession Act में जोड़ कर (*स्वीकार किये गये थे, इस लिए उनके पहले दिये धन में स्मृतियों में कहा नियम माना है । वहाँ पर (स्मृतियों में) आमदनी के जैमा करने के विषय में (उपर्युक्त नियमों की या धन की आय को इकट्ठी करने) की मान्यता को विद्यान् लोग निश्चय ही देनेवाले के आराय (*object*) की शुद्धता से, न्यायता (*legality*) से या किर लोक में प्रचलित अवहार के विश्व न होने से ही, सदा निश्चित है से, मानते हैं ।*

आयाऽव्यव्यसंवन्धे नियमा येऽत्र दर्शिताः ।

धार्मिके वृत्तिदाने तु तेऽमान्या विवृद्धैर्मताः ॥२४७७॥

(धन की) आय के संप्रह करने के संघन्ध में जो नियम यहाँ दियाये हैं, वे धर्म संबन्धी वृत्ति स्थापन (*religious endowment*) में तो विद्वानों ने अमान्य

माने हैं (अर्थात्-इक स्थानों पर आय के इकट्ठे करने की आहा पर समय आदि भी पावनी का कोई नियेष नहीं है ।)

रथपत्रकर्तुः पुत्रस्य विवाहस्य एतेऽपि च ।

विस्तार्द्याऽयथयो मान्यः कर्मा पत्राद्वितः स चेत् ॥२४७८॥

और इच्छापत्र करनेवाले के पुत्र के विवाह के लिए भी धन वी आमदनी का जगा कराना मान्य होता है, यदि इच्छापत्र के करनेवाले ने उसका उक्त धन में कर दिया है । (अर्थात्-इसके लिए भी धार्मिक वृत्ति के स्थापन के समान ही आय के संचय में कोई रोक नहीं है ।)

अन्याश्वाया अभावे तु याति मूलधनेन हि ।

सार्थमेवात्र तस्यायसंप्रदाः स्मृतिरीतितः ॥२४७९॥

अन्य किसी आहा के (दान-पत्र में) न होने पर स्थृतियों में कही रीति से यहां पर मूल धन के साथ ही उच्चती आमदनी का संग्रह (income accumulation) (भी) जाता है । (अर्थात्-जो मूल धन होता है, वही उस संप्रदा को भी होता है ।)

उपंदारस्य लेखेन दक्षेणाऽयथया ज्ञामः ।

दातुमार्यजनस्तप्र नामोऽप्त्वेत्पूर्वकम् ॥२४८०॥

पक्षस्मै पाऽप्यनेकेभ्यः शुक्तिमन्यनियुक्तये ।

किन्तु प्रागुपदाकाले मृत्युपत्रहतोऽयवा ॥२४८१॥

मृत्यौ साक्षात्सते न्यायभायनातोऽयवर क्रमान् ।

दातुमासीत्समर्थः स नाऽसते तु कदाचन ॥२४८२॥

ततः स्वीकृत्य प्रागुक्तिविधानं त्रितर्य वृथैः ।

दातुं शक्तः यतः सोऽन्न पूर्वोक्तविधिनाऽसते ॥२४८३॥

आयं पुण्य (Hindu) उद्धार के लेख से या इच्छापत्र के लेख से, उसमें नाम का उक्तेस करके एक वी या अनेकों की (आगे पोड़े) दूसरे की नियुक्ति के लिए अधिकार (Power) दे सकता है । परन्तु (पूर्वों १६१४, १६१६ और १६२१ के विधानों के स्वीकृत होने के) पहले उपदार देने के समय या मृत्युपत्र करनेवाले की मृत्युर साक्षात्-छप से (actuality) विद्यमान या कानून की भावना (contemplation of law) से विद्यमान के लिए ही कम से (अर्थात्-उपदार-दान में उक्त दान के समय और मृत्युसंत्र में कर्ता की मृत्यु के समय विद्यमान की ही) देने की समर्थ था । अविद्यमान की कभी नहीं दे सकता था । उत्तरे वाद विधानों ने पहले कहे तीन नियमों (वानूनों) को स्वीकार करके यहां पर उसे अविद्यमान

के लिए (भी) पहले (शोक २४१२ से २४३५ तक में) कही विधि से देने में समर्थ कर दिया है ।

लेखापाऽधिकृतिर्थैकाऽधिकान् विनियोजयेत् ।

तत्रैकः स्यादयोग्यो वाऽयोग्या पकाधिकास्तदा ॥२४३४॥

अयोग्या एव संत्याज्या योग्या ये न्यायतः पुनः ।

ते सर्वे भागभाजः स्युर्विना वाधमसंशयम् ॥२४३५॥

जहाँ (पूर्वोक्त) लेख से अधिकार पाया हुआ पुण्य एक से अधिक जनों को (अग्ने पंडिते) नियुक्त करे (और) वहाँ पर एक पुण्य अयोग्य हो या एक से अधिक अयोग्य हों, तो अयोग्य पुण्यों को ही द्वोइ देना चाहिए । किंतु जो पुण्य न्याय (कानून) से योग्य हों, वे सब विना धारा के निष्ठित हैं से भाग पाते हैं ।

प्राच्यपाश्चात्ययोर्भिन्ना विचारसरण्यैर्तः ।

अतः प्राच्ये पु पाश्चात्या नियमा ननु वर्जिताः ॥२४३६॥

यद्योक्ति पूर्व और पधिमवालों के विचार का तरीका भिन्न है, इसलिए पूर्ववालों में निष्ठय ही पधिम के नियम (तरीके) वर्जित हैं ।

यत्रोपहारो द्यक्षपत्रदानं वा दीयते ध्रुवम् ।

एकाऽधिकेभ्यस्तत्र स्याद् विचारोऽधिकृतेः कृते ॥२४३७॥

यत्तदर्थं प्रहीतारः पृका वा सहभागिनः ।

सहभागिषु सामान्याः संहता चांश्चिनः पुनः ॥२४३८॥

जहाँ पर उपहार या इच्छापत्रन्दारा दिया दान निष्ठय ही एक से अधिक जनों को दिया जाता है, वहाँ पर अधिकार के लिए विचार होता है, कि उस धन को लेनेवाले सामेदार (coparceners) हैं या साथ-साथ लेनेवाले (tenants) हैं । किंतु साथ हिस्सा लेनेवालों में (भी) साधरण-सहभागी (tenants in common) हैं या मिले हुए साथ हिस्सा लेनेवाले (joint tenants) हैं ।

संपृक्तया तु गृहीतेऽयं मृतौ पृक्तेषु कस्यचित् ।

पृकाऽवशिष्टरीत्यैवरऽवशिष्टास्तत्र भागिनः ॥२४३९॥

पुंसन्तानाश्च पृकानां जन्मना स्युस्तदेशिनः ।

पृकाऽर्थवत्सदर्थेऽपि निर्वाधं न्यायतः पुनः ॥२४४०॥

सामेदारों के द्वारा धन के लेने पर सामेदारों में से किसी की सहायता के समय सामेदारों में बचा हुआ इकावार होता है-इस रीति से, उस धन में पंडिते रहे (सामेदार ही) हिस्सेदार होते हैं, और किंतु सामेदारों की पुण्य सन्तान सामेदारों के धन की तरह ही उस धन में भी जन्म से (ही), कानूनन, विना रकावट के, वनकी दिसेदार होती है ।

मृते धस्मिद्धपि पुनः सामान्यसद्भागिषु ।
तद्भागो याति दायादानानुपूर्वेण तस्य तु ॥२४६१॥

किर सायारणनया साथ लेनेवालों (tenants in common) में विसी के मरने पर उसका भाग उसके हकदारों (heirs) को यथाक्रम (by succession) से मिलता है ।

संहतेषु पुनस्तेषु तदर्थसद्भागिषु ।

मृतस्वार्थः प्रयात्यवाऽचशिष्टानेव निधितम् ॥२४६२॥

किर उनके उत्तर धन का भिन्ने हुए साथ हिस्सा लेनेवाले (joint tenants) होने पर वहाँ से हुए का स्वार्थ (interest) निधय ही (साथवालों में से) पीछे पक्के हुओं को मिलता है ।

यत्रोपदारतो देच्छापत्रतोऽधिष्ठिता जनाः ।

पृकास्तमैव प्रश्नः स्यात्पृत्याऽङ्गीकरणस्य तु ॥२४६३॥

जहाँ पर उपदार से या इच्छापत्र से अधिकारी बनाये हुए पुरुष सामेदार हों वहाँ (धन के) सामेदारी से लेने का सबाज़ हो सकता है ।

विधानलघ्वजन्मैव पृक्तिर्याऽप्य निधितम् ।

सा तु नो सुज्यते तस्मात्कर्मभिः सदकारिणाम् ॥२४६४॥

वहाँ पर सामेदारी को निधित्त-लूप ये कानून से उत्पत्त हुई ही मानना चाहिए । इसलिए वह सद्योगियों (parties) के कामों (actions) से पैदा नहीं की जा सकती ।

यत्रोपदारो रुक्षपत्रदानं या दीयते जनैः ।

एकाधिकेभ्योऽप्त्वे भ्योऽहत्यैवाऽशविनिषेष्यम् ॥२४६५॥

गृहनिति तत्र ते भागं सामान्यसद्योगतः ।

न तु संदत्तियुक्तेन सद्योगेन कुप्रचित् ॥२४६६॥

जहाँ पर सोनो द्वारा उपदार (डाटा) या इच्छापत्र (will) से दिया जाने-वाना दान, सामेदारों द्वे भिन्न एक से अधिक पुलों को, हिस्सों का निर्णय किये-विनाय ही (without specification of shares) दिया जाता है, वहाँ पर वे हिस्से को सायारण सद्योग (tenants in common की रीति) से सेते हैं । मित्रों हुए सद्योग (joint tenants की रीति) से कही भी नहीं सेते ।

यत्रोपदारतो दक्षमिच्छापत्रेण याऽथवा ।

घनमेकाऽधिकेभ्यस्तु पृक्ते भ्यः किन्तु नो पुनः ॥२४६७॥

संहत्या सद्भागित्वं पृक्तत्वं या प्रदर्शितम् ।

सेते तत्राऽपि सामान्यसद्योगित्वतो प्रदः ॥२४६८॥

जहां पर धन एक से अधिक सामेदारों को उपहार से दिया हो या इच्छापत्र से दिया हो, परन्तु लेख में लिखावट से साथ-साथ लेना (joint tenant पन) या सामेदारी न दिखलाई ही, वहां पर भी सावारण-सहयोगिता (tenants in common पन) से (ही) (वह धन) लिया जाता है ।

उपहारप्रदत्ते वा रुचिपत्राऽपिंते धने ।

खीर्यां स्वाम्यमपूर्णं वा पूर्णमित्यत्र कथ्यते ॥२४६॥

उपहार में दिये या इच्छापत्र से दिये धन में लियों का अधिकार अधूरा या पूरा होता है यह यहां पर कहा जाता है (यतनाथा जाना है) ।

मातरं तनयां भ्रातृतनयां भगिनीमुत ।

अन्याः खीर्याति चेदर्थः कृत्स्नाऽधिकृतिदायतः ॥२५००॥

व्ययितुं ताः ज्ञामाः स्वैरं तद्दिं तं नाऽपरं, परम् ।

अभावे रुचिपत्रस्य तन्मृत्यौ प्रथमं धनम् ॥२५०१॥

खीधनेऽधिकृतांस्तासां याति किन्त्यपरं हि तत् ।

धनदातुस्तु दायादान् प्रत्यायाति सुनिश्चितम् ॥२५०२॥

यदि मा, पुत्री, भतीजी, वहन या अन्य लियों को पूर्ण अधिकारवाले दाय के द्वारा (by an absolute estate of inheritance से) धन मिला हो, तो वे उसे अपनी इच्छानुमार खुर्च कर सकती हैं, परन्तु दूसरे (अपूर्ण अधिकार limited estate वाले) को नहीं । उसके मरने पर, इच्छापत्र के नहीं होने से, पहला (पूर्णाधिकार वाला) धन उसके खी-धन (पाने) के अधिकारियों को मिलता है, परन्तु दूसरा (अपूर्णाधिकार वाला) वह (धन), निधय ही, धन देनेवाले के हकदारों के पास लौट आता है ।

स्थावरं जङ्गमं वाऽपि धनं यत्रोपदीकृतम् ।

पत्या पत्न्यै तु तत्राऽपि नियमोऽसौ मतो युधैः ॥२५०३॥

जहां पर पति ने अचल या चल संपत्ति पत्नी को उपहार में दी ही, वहां पर भी विद्वानों ने यही नियम माना है । (अर्थात्-यदि संपत्ति पूरे अधिकार के साथ दी ही, तो उसके मरने पर वह उसके खी-धन के हकदारों को मिलेगी और यदि अधूरे अधिकार के साथ दी ही, तो उस खी के मरने पर उसके पति के हकदारों के पास लौट जायगी ।

नियतस्याऽथ पूर्णस्य स्वाम्यस्य तु विनिर्णयः ।

समयेनोपहारस्य विधेयोऽत्र मतो युधैः ॥२५०४॥

विद्वानों ने नियमित (limited) या पूर्ण (absolute) अधिकार का निर्णय उपहार की शर्त (term) से करना माना है ।

मिताऽधिकारा आयें पुंग्राते इयें लियो यतः ।

अतश्चेदुपदापत्रे दक्षपत्रे चा न निश्चितम् ॥२५०५॥

खीभ्योदत्ते धने तासां पूर्णं स्वाम्यं तदा तु ताः ।

मिताऽधिकारा एवात्र मन्यन्ते विदुषैष्वृवम् ॥२५०६॥

वर्गोक्ति आयों (हिन्दुओं) में पुरुप से मिले धन में लियाँ नियमित (limited) अधिकारवाली होती हैं, इसलिए यदि उपहार-पत्र में या इच्छापत्र में लियों को दिये धन में उनका पूर्ण स्वाम्य निश्चित न किया हो, तो वे यहाँ पर विद्वानों द्वारा निधन ही नियमित (limited) अधिकारवालों ही मानी जाती हैं ।

२१ धर्माऽर्थिकाया दानाऽर्थिकायाश्च चृत्तेः प्रतिष्ठापनम् ।

धर्मं के लिए या दान के लिए धृति का नियन्त करना ।

दातुं ज्ञमो भवेदार्थो वयस्यः स्यस्यमानसः ।

स्ववित्तमुपहारेण रुचिपत्रेण वाऽयथा ॥२५०७॥

धर्महृत्यकृते वाऽय दानहृत्यकृते पुनः ।

कृत्रिमाहृत्रिमत्यश्च न्यासस्येत्यं शृतस्य तु ॥२५०८॥

दातुस्तदुत्तराणां च तत्र भाव्यधिकारिणाम् ।

तदर्थस्योपयोगस्य रीत्यैव ज्ञायते ध्रुयम् ॥२५०९॥

बालिङ् और स्वस्य मन (sound mind) वाला आर्य (हिन्दू) अपने धन को उपहार के द्वारा या इच्छापत्र के द्वारा, धर्म के कामों (religious endowments) के लिए दे सकता है और इस प्रकार किये न्यास (endowment) का असली या नकली होना देनेवाले और उसके बाद उस (धन) के विषय में होनेवाले अधिकारियों के उस धन के उपयोग की रीति से ही नियम रखते ही जाना जाता है ।

चिकित्सालयदेवार्याद्भोजनचृत्यः ।

शिक्षाऽयं चृत्योऽथान्या इदंशो न्यास हेतवः ॥२५१०॥

अस्त्राल, देव-नूजन, भाद्र, भोजन (वाक्याग्नु-भोजन या निर्धन-भोजन), के लिए धृतियों और शिक्षा के लिए धृतियों और इसी प्रकार की अन्य धृतियों इस (न्यास) में कारण होती है । (अर्यान्-दह न्यास ऐसे कामों के लिए ही होता है ।)

उपहारोऽय रुक्षपत्रदामं धर्मार्थमेव चेत् ।

रुद्धनिर्णातिकार्यत्वादुभयं स्यादिरर्थकम् ॥२५११॥

यदि भेट या इच्छापत्र द्वारा दिया दान (कैवल) धर्म के लिए ही हो (अर्यान्-दह प्रकार के धर्म के कार्य के लिए है, यह यात साफ तौर से न लिखा

धर्मार्थिकाया दानार्थिकायाश्च वृत्तेः प्रतिप्रापनम् । ३६७

हो), तो (धार्मिक) काम का निर्णय न हो नेसे (वे) दोनों (भेट और इच्छापत्र से दान) निरर्थक (अमान्य) होने हैं ।

न्यासस्य धार्मिकस्थाऽन्नं प्रवन्धो न्यायगेहणः ।

यतस्तस्माद् चिनिलेण्या धर्मकृत्याऽपि तत्र तु ॥२५१२॥

क्योंकि यहां पर धार्मिक न्यास (religious endowment) का प्रबन्ध न्यायालय के अवीन होता है, इसलिए वहां पर (धार्मिक न्यास में) धार्मिक कार्य का निर्णय भी कर देना चाहिए ।

धर्माय धर्मशालायै संस्कृताऽन्ययनाय च ।

कृतो न्यासोऽपि पूर्वस्याऽस्पष्टत्वात्स्यानिरर्थकः ॥२५१३॥

धर्म के, धर्मशाला के और संस्कृत भाषा के पढ़ने के लिए किया न्यास (endowment) भी पढ़ते (धर्मकार्य) के साफ़ तौर से साझे न होने से निरर्थक हो जाता है ।

उपहारेण यां दातुं रुपपत्रेण वा क्रमः ।

संपदं, तां जनो दातुं धर्मदानकृतेऽप्यलम् ॥२५१४॥

पुरुष जिस संपत्ति को उपहार या इच्छापत्र से दे सकता है, उसकी धर्म और दान के (कामों के) लिए भी दे सकता है । (उपहार में देने के विषय में देखो श्लोक २२४२ से २२५८ तक और इच्छापत्र से देने के विषय में श्लोक २३१८ से २३५० तक) ।

आवश्यकस्तु नो लेखो निवेदे धार्मिके परम् ।

रुपपत्रेण कृते तस्मिन् रुपपत्रं लिखितं तथा ॥२५१५॥

द्वाभ्यां साक्षीकृतं मान्यं चेन्न्यासः स्यात्प्रभावितः ।

नेत्राऽप्नवचन्द्राऽन्दोत्तरस्वाम्यविधानतः ॥२५१६॥

धार्मिक निवेद (religious and charitable endowment) में लेख (करने) की आवश्यकता नहीं है । परन्तु उस (निवेद) (endowment) के इच्छापत्र के द्वारा किये होने पर, यदि यह निवेद विक्रम संवत् १६८२ (ई० सं० १९२५) के (The Indian Succession Act) कानून से शासित (governed) हो, तो लिखा हुआ और दो (जनों) से गवाही किया हुआ (witnessed) मान्य होता है । (उत्तराधिकार के कानून के लिए देखो श्लोक १२४६ से १२५४ तक) ।

वाद्युपेर्गणालेख्यं तद्वद्देस्तत्र चाङ्कनम् ।

न्यायाऽनुमोदिते धर्म्ये न्यासे नाऽलं मर्तं शुधैः ॥२५१७॥

विद्वानो वे व्याज-बद्ध करनेवाले (money lender) के हिसाब (account) का लेख (अर्थात्-उसने रुपये का जमा करवाना) और उस (रुपये) के व्याज का उत्तर (हिसाब) में लिखवाना (Credit करवाना) कानून से माने आर्थिक न्यास (religious and charitable endowment) में पर्याप्त नहीं माना है । (अर्थात्-इस तरह से 'आर्थिक श्रृंगि संस्थापन' नहीं हो सकता ।)

यत्राऽप्येऽधर्मसंस्थानं दानसंस्थानमेव या ।

पतुंभुत्सद्वते तत्र स स्याच्चाराऽनुमोदितम् ॥२५१८॥

उद्देश्यं प्रकटीकृथं दद्याद्यथं तु तत्कृते ।

न्यासो नाऽयश्यकस्तत्र किन्तूद्देशस्य निश्चयः ॥२५१९॥

स्पष्टत्वेन प्रकर्तव्यस्तदुद्दिष्टवनं पुनः ।

पृथक् स्थाप्यं प्रदेयं या तत्सात्करणमार्गतः ॥२५२०॥

जहाँ पर आर्य (हिन्दू) आर्थिक संस्थान (religious endowment) या दान-संस्थान (charitable endowment) करना चाहता है, वहाँ पर वह आपने आचार (law-कायदे) से माने हुए मतलब (कार्य-purpose) को प्रस्त करके उसके लिए पन दे । वहाँ पर (उसके लिए) न्यास (द्रष्ट) करना आवश्यक नहीं है । परन्तु वहाँ पर आपने मतलब का निश्चय साकृतीर से कर देना चाहिए और उसके लिए इकावा हुआ धन अलग रखा देना चाहिए या उत्तर (आर्य) के निमित्त (dedicate) करके दे देना चाहिए ।

मूर्तिसात्कृतभूमि तु यद्यन्यादातुमहमा ।

मूर्तिस्तयाऽपि तद्भूमेन्यासेन परसात्कृतिः ॥२५२१॥

नाऽयश्यकी न या तत्र मूर्तिप्राभृतसूचकाः ।

स्पष्टः शृद्धास्तथा धर्म्याः सद्गुराऽऽव्याः पुनर्मताः ॥२५२२॥

अपेक्षिताः, परं तत्र न्यासेच्छायाः प्रकाशनम् ।

तस्यात्मसात्कृतिर्धाऽलं न्यासाऽधिगृहतसात्कृतिः ॥२५२३॥

मूर्ति के निमित्त वी हुई शृंगी को बधायि मूर्ति लेने से असमर्थ होती है, तथापि उत्तर भूमि वा न्यास (द्रष्ट) के द्वारा दूसरे (द्रृस्टियों) के अवीन करना आवश्यक नहीं है और न वही पर (उस भूमि के) मूर्ति को भेड़ करने को सुचित करनेवाले हाथ राख्यों वी या आर्थिक संस्थाप (करने) आदि वी आवश्यकता मानी गई है । परन्तु वहाँ पर न्यास (द्रष्ट करने वी) इस्त्रा का प्रकट करना और उत्तर (द्रष्ट) वा अपने (दाता के) आविष्कार में इकावा या द्रृस्टियों को रींग देना (ही) पर्याप्त होता है ।

सकृद्धतः पुनर्न्यासो दानीयो धार्मिकोऽयवा ।

न्यापाऽनुमोदितः कर्त्त्राऽन्यनिरास्यः स्मृतो वुच्ये ॥२५२४॥

फिर विद्वानों ने एकवार किया कानून से माना हुया दान-संस्थान या धार्मिक संस्थान (उसके) करनेवाले से भी अखयङ्ग्य (नहीं तो जाने लायक) माना है ।

प्रतिमासात्कृतं वित्तमिति लेखस्तु केवलम् ।

नाऽलं न्यासे, यतः कर्तुं स्तवाऽर्थत्यागमुख्यता ॥२५२५॥

सा च निश्चीयते कर्तुं रुक्तरैः कर्मभिस्तथा ।

शाचारैरूपयोगस्य रीत्या धाऽर्पितसंपदः ॥२५२६॥

नैवं चेत्तहिं लोकास्तु छविमन्यासतो ध्रुवम् ।

वश्चयेयुः स्ववित्तांत् स्वानुत्तमर्णान् यथेष्टितम् ॥२५२७॥

अपि दायहराणाञ्चाऽन्यथा कुरुः परम्पराम् ।

निपिच्याऽर्थव्ययं वंशे नित्यां कुरुश्च तत्स्थितम् ॥२५२८॥

(यह) धन प्रतिमा के नियमित कर दिया है-केवल इस प्रकार का लेख धार्मिक न्यास (endowment) में पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि वह पर उसके करनेवाले का धन का त्याग करना (उस धन का अधिकार छोड़ना) मुख्य होता है; और वह करनेवाले के आगे के कासों से, बदवदार से या (उस) दिये हुए धन के उपयोग की रीति से नियमित किया जाता है । यदि ऐसा नहीं हो, तो लोग बनावटी न्यास (endowment) से, नियम ही, अपने कज़े देनेवालों की अपनी हस्तानुसार, अपने धन से वधित कर डालें, अपने उत्तराधिकारियों के क्रम की वलद डालें और धन को ख़र्च करने का नियेष करके अपने वंश में उस (धन) वी स्थिरता को स्थिर बना डालें । (अर्थात्-अपने वंशवालों के लिए उस धन से स्थायी कोष बना डालें, जो कि कानून से अमान्य है ।)

देवमूर्त्याख्यया क्रीता संपत्तिः किन्तु नैव सा ।

मूर्तिः संस्थापिता लोकपूजार्थं वा नियोजिताः ॥२५२९॥

पूजकास्तत्कृते केऽपि चेत्तहिं प्रतिमाकृते ।

क्रीताऽपि सा तु तत्केतुर्व्यक्तिगौच भवेद् ध्रुवम् ॥२५३०॥

यदि देव मूर्ति के नाम से संपत्ति ख़रीदी ही, परन्तु उस मूर्ति को लोगों द्वारा पूजी जाने के लिए स्थापन नहीं किया हो अथवा उसके लिए कोई भी पुजारी नियुक्त नहीं किये हों, तो प्रतिमा के लिए ख़रीदी हुई भी वह (संपत्ति) नियम ही उसके स्थानेवाले की ख़ुद की ही (संपत्ति) दोती है । (अर्थात्-उस पर पुरुष की निश्ची संपत्ति पर लगानेवाले नियम ही लगते हैं ।)

वस्तुतो यत्र नो दत्तं मूर्तिपूजाकृते धनम् ।

दृतं किन्तु स्ववंशेभ्योऽविद्युक्तं भुक्तिसाधनम् ॥२५३१॥

तप्रेषुपदारो नो मात्यो मूर्तिश्वते कृतः ।
कौदुम्याः किन्तु चेद् दात्रा कृतास्तथ निरीक्षकाः ॥२५३२॥
देवालयस्य, निक्षित्य पुरस्कारस्तु तत्पृष्ठे ।
आयाऽनुरूपो नो तदिं तददानं स्पान्निर्थेकम् ॥२५३३॥

वास्तव में जहाँ पर मूर्ति पूजा के लिए धन नहीं दिया हो, किन्तु अपने वंशदातों के लिए भोग करने का स्थायी साधन बनाया हो, वहाँ पर ऐसा उपहार मूर्ति के लिए किया नहीं माना जाता । परन्तु यदि वहाँ पर दाता ने (अपने) कुरुमिथों को, (संस्थान पां) आमदनी के अनुसार उनके किए पुस्कार (remuneration) नियत न करे, (मूर्ति के) देवालय के निरीक्षक (प्रबन्धक) नियुक्त कर दिये हों, तो वह दान (endowment) निर्धारण नहीं होता । (धर्मान्-मान्य ही रहता है ।)

दत्तधर्मकृते दाने पूर्णास्यागोऽयवाऽसिकः ।

कृतोऽस्य निर्णयो नूर्तु किष्टते दानलेपतः ॥२५३४॥

दान आंतर धर्म के लिए (किये) दान में पूरी तरीके (completely) दान दिया है या भागिक-स्वरूप से (partially) इसधृ निर्णय निश्चय ही दान के लेख से किया जाता है ।

मूर्तिपूजाकृते पूर्णा संपत्तिर्यग्न दीपते ।

तज्ञामांशुमदत्येवाऽन्यस्मै, पूर्णाऽपर्णं द्वि तत् ॥२५३५॥

जहाँ पर उसके लाभ का युक्त भाग दूसरे को देने के बिना ही, पूरी संपत्ति गूर्तिपूजा के लिए दे दी जाती है, वह पूर्ण (complete) दान होता है ।

मूर्तिर्य भवेदेषा संपत्तिस्तु तथाऽर्पिता ।

केषु कार्येषु सा योज्या तत्त्वम् दर्शयिष्यते ॥२५३६॥

यह उत्तरुङ्क प्रकार से दी हुई संपत्ति मूर्ति की ही होती है । यह इस बास में लगाई जाने लायक होती है, वह तो आगे (स्तोक २५३२ से २५३५ में) दिखतावगे ।

ताममात्राय यदानं मूर्त्यर्थे क्रियते जनैः ।

आंशिकं या समर्यादै सदुक्तं न्यायपारग्नैः॥२५३७॥

दान एतादृशे संपद् यिभाज्या, धन्यगामिनी ।

प्रयाऽर्द्धा चाऽपि यिज्ञ या मूर्तिमास्ता च सस्थिता ॥२५३८॥

उग्नो द्वारा जो दान मूर्ति के बागदे केवल नाम मात्र के लिए किया जाता है, वहाँ जानेशरीरों ने वहे आरिक (paupers) या वर्षार्दी हो युक्त (qualified) कहा है । ऐसे दान में संशय (चापन में) बोटने लायक, घरानाओं (इकाऊं)

को मिलनेवाली, खर्च की जा सकने तायक और मूर्ति के नाम से रहनेवाली जाननी चाहिए ।

मूर्तेः पुजोत्सवाभ्यां य आयोऽर्थस्याऽधिको भवेत् ।

दातुर्वैश्यनिवासाय स चेदव्र प्रयुज्यते ॥२५३६॥

गृहेषु तर्हि विषेयः सोऽर्थोऽपूर्णतयैव हि ।

दत्तो मूर्तिरूपे नूनं तदचार्याः प्रवृत्तये ॥२५४०॥

धन की जो आमदनी मूर्ति की पूजा और उत्सव (के खर्च) से अधिक हो, यदि वह यहाँ पर उस धन के देनेवाले के बंशजों के निवास के लिए धरों में लगा दी जाय, तो वह धन मूर्ति के लिए, निधित रूप से उसकी पूजा को जारी रखने के लिए, अधूरे (partial) रूप से ही दिया गया जानना चाहिए ।

अभावे दानलेप्तस्य भूमेरायः प्रयुज्यते ।

मूर्त्यर्चनाऽर्थमित्येतत् तथ्यं न स्यातप्रमापकम् ॥२५४१॥

तद्भूमेस्तत्कृते न्यासीकरणस्य, परं यदि ।

साद्यं स्याद् भूमिदानस्य पञ्चाशदर्पतोऽधिकम् ॥२५४२॥

तर्हि तस्माद्विनादायस्तद्वयस्तत्र युज्यते ।

इति सिद्धिस्तु पूर्वोक्तसाद्यस्य स्यात्समर्थिका ॥२५४३॥

दान के लेख के विशमान न होने पर, (उस) पृथ्वी की आमदनी मूर्ति की पूजन में काम में ली जाती है—यह चात उस भूमि के उस (मूर्ति) के लिए न्यास (endowment) करने को सिद्ध नहीं करती । परन्तु यदि (उस) पृथ्वी के दान की पचास वर्ष से अधिक (तक) की गवाही हो, तो उसी (दान देने के) दिन से उस (पृथ्वी) से हुई आमदनी उस (मूर्ति की पूजा) में लगाई जाती है—इस (धात) का सिद्ध होना पहले कही गयाही का समर्थक होता है ।

कर्ता पृक्कुदुम्यस्याऽस्तेदंददभूद् व्ययम् ।

दानसंस्थानकस्याऽस्य नित्यं पृक्तधनायतः ॥२५४४॥

परं नासीद्धि तदानं सर्वाऽस्यव्ययकारकम् ।

नैवेदं तु प्रमाणं स्याद् दानस्य क्लिष्टसंपदः ॥२५४५॥

सामे के कुटुम्ब का कर्ता (सुखिया) मरने तक सामे के धन की आमदनी से इस दान के लिए बनाई हुई संस्था का खर्च वरावर देता रहा था, परन्तु वह दान (सामे के धन की) सारी आमदनी खर्च करनेवाला नहीं था—यह (धात) सामे के धन के दान का प्रमाण नहीं ही सकती ।

मूर्त्यर्चनकृते भूमेरायो नित्यं प्रयुज्यते ।

इत्येतेनैव नो सिद्धिभूमिदानस्य जायते ॥२५४६॥

परं यत्र पुराणेनाऽस्पष्टलेखेन तत्त्वने ।

दातुर्तिर्थीयते भावस्त्रैतदृपि साधनम् ॥२५४३॥

संपत्तेदपयोगस्य रीत्या स्वाम्यस्य चा पुनः ।

विधिनाऽपि प्रदीतव्यः सहायो भावनिर्णये ॥२५४४॥

(इस) भूमि की आय (इस) मूर्ति के पूजन के लिए सदा धान में ली जाती है—इतने से ही (उस मूर्ति के लिए) (उक्त) भूमि का धान यिद्द नहीं होता । परन्तु जहाँ पर पुराने और असाध (जो सूतासा न हो ऐसे) लेख से उस (धान) के लिए देनेवाले का भाव (इरादा) निश्चिह्न लिया जाता है, वहाँ पर वह (आमदनी का मूर्ति के काम में लिया जाना) भी साधन (उसके यिद्द करने में सहायक) होता है । (देनेवाले के) इरादे का निरुण्य करने में (उस) संपत्ति के धारा में लेने के तरीके और अधिकार के तरीके से भी सहायता लेनी चाहिए ।

दात्रन्तेऽविद्यमानाय दत्तं स्वपत्रतो धनम् ।

द्यथं येन विधानेन तत्तु नैयोपयुन्यते ॥२५४५॥

विद्यप्रदाने निक्षेपाऽधिकृतेभ्यस्तु निश्चितम् ।

दातुरन्ते प्रेषेयाया मूर्तेः स्थापनदेतुके ॥२५४६॥

जिस (श्लोक २२४० से बढ़े) विद्यम से देनेवाले की मृत्यु पर नहीं विद्यमान रहनेवाले अकिंचनी की, इच्छाभ्य द्वारा, दिया थन व्यर्थ (अमान्य) होता है, उस (नियम) का वर्णन, देनेवाले के मले के बाद बनाई जानेवाली (देव-) मूर्ति के द्रष्ट के अधिकारियों (इस्तियों) की घन देने (सौन्नेह) में नहीं किया जाता ।

तथैवाऽत्र हास्यो दाता प्रतिमाभ्या स्थिरं धनम् ।

दातुं, कतिपया यासु स्थापितास्नेन जीवता ॥२५४७॥

स्थाप्यानामपरासां च फूता नास्ता हि सूचना ।

तथ तमामनिर्देशो वृथैरावश्यको मतः ॥२५४८॥

उसी प्रकार यहाँ देनेवाला (उन) मूर्तियों के लिए, जिनमें से युक्त तो उसने जीने जी स्थापन कर दी हो और (चाची) आगे स्थापन की जानेवाली मूर्तियों के नाम की सूखना करदी हो, विषय घन (भास) के सूखना है । विद्यार्थी ने यद्युपर (ऐसे धान के समय) धन (मूर्तियों) का नाम बतलादेना आवश्यक माना है ।

मूर्तिनाशेऽथ दैकल्ये निक्षेपस्तु न नश्यति ।

तथ स्थाप्याऽपरा मूर्तिस्तद्वेष्यैव निश्चितम् ॥२५४९॥

मूर्ति के नष्ट हो जाने या खालित हो जाने पर निष्ठा (Endowment) नष्ट नहीं होता । यहाँ (ऐसे स्थान) पर उस देवता की ही दूसरी मूर्ति, निश्चिततः से, स्थापन कर देनी चाहिए ।

प्रतिष्ठा मन्दिरे मूर्त्तेर्मन्दिरस्याऽथ निर्मितिः ।

स्यातां नावश्यके करुँ न्यासे मूर्तिरुतेऽथ तु ॥२५५४॥

यहाँ पर मन्दिर में मूर्ति की प्रतिष्ठा और मन्दिर का बनाना मूर्ति के लिए न्यास (endowment) करने में आवश्यक नहीं है । (अर्थात्-देनेवाला पढ़ले से बने मन्दिर में दिव्य मूर्ति के लिए भी संगति दे सकता है ।)

कार्ये सर्वजनीनेऽथ धार्मिके दानिकेऽथवा ।

नित्यवृत्तिरुते न्यासो नोऽमान्यो विवृद्धैर्मतः ॥२५५५॥

यतः स उपहारेण स्वपत्रेणाऽथया कृते ।

दाने व्यक्तिविशेषेभ्य पद्याऽमान्यः प्रकीर्तिः ॥२५५६॥

विद्वानों ने सर्वजनिक (public) धर्म संबन्धी या दान संबन्धी काम में सदा के ये चंच के लिए कियां न्यास (endowment) अमान्य (अनुचित) नहीं माना है; क्योंकि उपहार के द्वारा या इच्छापत्र के द्वारा किसी खास व्यक्ति (private individual) के लिए दिये जाने में ही (देखो श्लोक २४२३ से २४२६ तक) उस (प्रकार के दान) को अमान्य कहा है ।

लौकिकेभ्यस्तु कार्येभ्यो यदा दानं कृतं तदा ।

धर्मभावतयैवतत् कृतमित्युक्तितोऽपि तत् ॥२५५७॥

न भवेद्दार्मिको न्यासस्ततो विप्राऽपिते धने ।

तद्वयप्रतिषेधस्तु नैव मान्यो भवेदिह ॥२५५८॥

जब दान लौकिक कार्यों के लिए किया गया हो, तब यह धर्म भाव से ही किया गया है-ऐसा कहदेने से भी वह (दान) धर्म संबन्धी न्यास (endowment) नहीं होता । उसी कारण से वाक्याण को दिये धन में उस (मूलधन) के खंच की मानई, यहाँ पर, मान्य नहीं होती ।

कालस्तु नियतः प्राग्यद् दक्षाऽर्थस्यायसंचये ।

न स धर्म्येऽथ दानीये न्यासे मान्य इह स्मृतः ॥२५५९॥

पढ़ले (श्लोक २४६३ से २४७६ तक में) जो समय, दिये हुए धन की आमदानी के इकट्ठी करने के विषय में निर्धित किया है, वह यहाँ पर धर्म संबन्धी अथवा दान संबन्धी न्यास में मान्य नहीं घतलाया है ।

पक्षस्य वाऽप्यनेकेयां मृत्यन्ते भविताऽप्यलभ् ।

मान्यो धर्म्येऽथ दानीयो न्यासो नूनमसंशयम् ॥२५६०॥

एक के या अनेकों के मरने के बाद होनेवाला धार्मिक या दान-संबन्धी न्यास निर्धय ही, विना सन्देह के, मान्य होता है ।

पूर्णस्वाम्येत संपत्तिर्दा मूर्त्यं समर्पिता ।
देवस्थानकृते, तस्याः प्रबन्धाऽधिष्ठाती तदा ॥२५६१॥
तस्य प्रबन्धकं यातः सेवायत्तस्तु यः स्मृतः ।
मठाऽर्थं चेत्प्रदत्ता सा मठेण ते तु गच्छतः ॥२५६२॥

जब संगति पूरे अधिकार के साथ मन्दिर के लिए देवोत्तर भी जाती है (देवता आदि के लिए दान की जाती है), तब उसका प्रबन्ध और अधिकार उस (मन्दिर) के प्रशन्यकर्ता के पास चले जाते हैं, जिसकी सेवायत (Shebait) कहा है । यदि वह (संगति) मठ के लिए रही हो, तो वे दोनों (प्रबन्ध और अधिकार) महत्त भी मिलते हैं ।

अभियुक्तयायपीशौ ताँ स्याच्चसंपत्तिरदणे ।

नाभियुक्त्के यतो देवः स्वदत्ताऽर्थरुते स्वयम् ॥२५६३॥

वे दोनों (सेवायत और महत्त) अपने द्वारा ग्रास की हुई संपत्ति की रक्षा के विषय में मुकद्दमा भी कर सकते हैं, ज्योकि देवता खुद अपने को दो हुई संपत्ति के लिए मुकद्दमा नहीं करता है ।

सेवायता भवेयुर्ये मठाधीशास्तथा पुनः ।

परमपरातस्ते सर्वे संपत्तेऽधिकारिणः ॥२५६४॥

जो एक के बाद दूसरे सेवायत या फिर मठाधीश होंगे, वे सब (अपने-अपने समय में) संपत्ति के अधिकारी होंगे ।

देवालयाः कियन्तेऽप्त्र द्यात्यात्मिकसमूद्धये ।

आर्ये, मठास्तथा स्वेषणाल्लाऽध्ययनदेतये ॥२५६५॥

आर्ये द्वारा यहीं पर देवालय, निधय ही, आत्मा भी उचिति के लिए बनाये जाते हैं और मठ अपने अभीष्ट शास्त्रों के अध्ययन के लिए (बनाये जाने हैं) ।

देवालयेषु संपत्तेऽदेवता स्यामिनी मंता ।

मठेषु तु तदाचार्यपदं स्वाध्ययदं पुनः ॥२५६६॥

मन्दिरो में संगति का स्वामी देवता होता है और मठों में उस (मठ) के आचार्य भी यहीं (office) स्थानित रखनेवाली होती है ।

सेवायत्तोऽत उन्मादी वञ्च्यतेऽर्थाऽधिकारतः ।

परं नैव मठाचार्यः एस्मादपि तु कारणात् ॥२५६७॥

इसलिए पागल देवायत घन के अधिकार से बधिन कर दिया जाता है, परन्तु मठाधीश किसी भी कारण से (बधिन) नहीं किया जाता ।

देवमूर्तिमठौ स्यार्यनियमैर्यायद्विकौ ।

पुरुषाधिव विशेषौ जडावल्यत्र ताँ, परम् ॥२५६८॥

धर्मार्थिकाया दानार्थिकायाश्च वृत्तेः प्रतिष्ठापनम् । ३७५

सेवायत्तोऽथवाऽध्यक्षोऽवेक्षको देवसंपदः ।

निरीक्षको मठाचार्यस्तथाऽप्त्र मठसंपदः ॥२५६॥

देवता की सूति और मठ उन दोनों को, जहाँ होने पर भी यहाँ पर आयों के नियमों के द्वारा व्यवहार करनेवाले (juridical) पुरुष के समान जानना चाहिए । परन्तु यहाँ पर सेवायत्ता या प्रबन्धक देवता की संपत्ति का देख-भाल करनेवाला होता है, और महन्त मठ की संपत्ति का देख-भाल करनेवाला होता है ।

देवालयो यतो नैव पुरुषो व्यावहारिकः ।

मतस्ततोऽभियोगा नो तदीयास्तस्य नामतः ॥२५७॥

क्योंकि मन्दिर को व्यावहारिक (juridical) पुरुष नहीं माना है, इसलिए उसके संयन्त्र के मुकद्दमे उस के नाम से नहीं होते (अर्थात्-सूति और मठ के व्यावहारिक पुरुष के समान मानलिये जाने से उनके नाम पर तो मुकद्दमे हो सकते हैं । परन्तु मन्दिर के नाम से नहीं हो सकते) ।

धर्मन्यासाऽधिकारेऽन्न खियोऽपि स्युः क्षमाः परम् ।

नैव ता धर्मकृत्यानामनुष्टाने क्षमा मताः ॥२५७॥

यहाँ पर धर्म के निधि (endowment) का अधिकार प्राप्त करने में खियां भी समर्थ होती हैं; परन्तु वे धार्मिक कार्यों के करने में समर्थ नहीं मानी गई हैं ।

द्रविडेषु च ताः शक्ता आचार्यत्वाय निष्ठितम् ।

मन्दिरेषु, प्रभुत्वाय तथा तत्त्वसंपदः ॥२५७॥

मंदिरालयों में वे (खियां) मन्दिरों में निष्ठितहैं से आचार्य पद के लिए, और वहाँ (मन्दिरों) की संपत्ति का अधिकार पाने के लिए समर्थ होती हैं ।

देवालयमठो धर्मधारावार्येषु संमतौ ।

अतः संघातमात्रौ तौ न ज्ञेयौ विवृथैर्जन्मः ॥२५७॥

आयों में मन्दिर और मठ धर्म के आधार समझे जाते हैं; इसलिए विद्वान् लोगों को उन्हें केवल समुदाय मात्र (corporate bodies with rights of property vested in the corporation) नहीं समझना चाहिए ।

धर्मसंस्थानिका संपत् तत्त्वानीयरीतिः ।

आचार्यवर्येष्वद्या स्याद् न्यासेष्वधिकृतैरपि ॥२५७॥

धर्मसंस्थान (मन्दिरों और मठों) की संपत्ति की रक्षा, उन उन स्थानों की रक्षा के अनुसार, वहाँ के आयों को छोड़कर अन्य द्रविटियों द्वारा भी की जा सकती है ।

सेवायत्तः स्वकीयेन पदेनैव प्रबन्धकः ।

स्वीयमन्दिरसंपत्तेन्यासाऽधिकृतवद् भ्रुवम् ॥२५७॥

सेवायत आने पर से ही आने मन्दिर की संरक्षा का, निश्चय ही, द्रुस्टी वै तरह प्रबन्धक होता है ।

देवालयस्य कार्ये पु स आचार्यपदस्थितः ।

अतः सेवाप्रबन्धाभ्यां च्युतोऽसेवाकर्ते भवेत् ॥२५७॥

मन्दिर के कार्यों में वह आचार्य के पद पर होता है । इसलिए (मूर्ति घी) सेवा और (मन्दिर के) प्रबन्ध से हटनाने पर वह सेवायत नहीं रहता ।

मठसंपद् मठाधीशाऽधीनात्तद्वार्यत्वतोऽस्य तु ।

मठस्य, नोपयोज्या सा परं तत्सौख्यद्वेतत्वे ॥२५८॥

मठ को संपत्ति इस (महन्त) के (वहाँ का) आचार्य होने से महन्त के अधीन होती है । एस्तु वह (संपत्ति) उसके आराम के लिए उपयोग में लाने लायक नहीं होती ।

मठाधीशस्य कर्तव्याचारौ रीत्यैव निधित्वौ ।

स्तः सोऽतोऽप्त त विद्येयो न्यासात्ताऽधिकृतेः समः ॥२५९॥

महन्त के काम और आचार दिवाज से ही निधित दोते हैं । इसलिए यहाँ पर उन द्रुस्टी के समान नहीं सामरणा चाहिए ।

मठेशो नाऽभिपिकोऽपि मठाऽथै त्वन्यद्वस्तगम् ।

प्रत्याऽऽदातुं क्षमो नूनमभियुज्याऽर्थद्वारिणम् ॥२५९॥

गही पर नहीं बिठाया हुआ महन्त भी दूसरे के हाथ में गवे कठ के धन को, धन हरेण करनेवाले वह मुकद्दमा चलाकर, वापर ले जाता है ।

न्यासाऽस्तस्याम्यवद् धर्मकर्ताऽपि स्यात्प्रयन्धकः ।

सेवापत्तमठेशाभ्यामल्पस्याम्यस्तथाऽप्त सः ॥२५१॥

पर्म (देवोत्तर संपत्ति) का करनेवाला भी द्रुस्टी के समान ही प्रबन्धक हो जाता है, जौर वह यहाँ पर सेवायत और महन्त से कम अधिकारकाला होता है ।

न्यासाऽधिकृतवत्त्वेन संवायतस्तु न समः ।

स्वनामाऽमूर्च्यवित्वैव केतुं स्वसुरसंपदम् ॥२५१॥

द्रुस्टी के समान होने से सेवायत आपने नाम को प्रकट किये विना ही आपने देवता की संरक्षा की नहीं लूटी रखता ।

नियमैरार्यमान्यैहि सकृदत्तास्तु संपदः ।

धर्मचार्यै सदानायै विघटयन्ते न दातुभिः ॥२५२॥

आर्यों के मान्य धनूर से एवाचार दान सहित, धार्मिक पूजा के लिए दी हुई संरक्षा देवेशालों हारा मी (दान से) हारा नहीं जा सकती । (वापर नहीं ही जा सकती) ।

यमाऽर्थिकाया दानाऽर्थिकायाश्च वृत्तेः प्रतिष्ठापनम् । ३७५

सेवासको मठेशो वा बन्धकीकृत्य तां धुवम् ।

यथावश्यकमादातुमृणं पूजाकृतेऽथवा ॥२५८३॥

संपद् रक्षा कृते शकः किन्तु तस्याऽधिकारिता ।

निश्चीयत ग्रुणाऽऽदाने दृष्टाऽऽवश्यकतां पुनः ॥२५८४॥

सेवायत या महन्त उस (मन्दिर या मठ की संपत्ति) को, निश्चय ही, गिरवी रखकर, पूजा के लिए या उस (संपत्ति) की रक्षा के लिए, आवश्यकताऽनुसार, कर्त्ता^१ ले सकता है । परन्तु फिर भी श्रृणु लेने में उसका अधिकार (ग्रुण की) आवश्यकता^२ को देखकर ही निश्चय किया जाता है ।

अधिकारस्तयोऽशाऽत्र स्यादेवायत संपदि ।

बालसंपत्तिरक्षायै नियुक्तस्येतासमः ॥२५८५॥

और यहां पर देवोत्तर संपत्ति में उन दोनों (सेवायत और महन्त) का अधिकार बालक की संपत्ति की रक्षा के लिए नियुक्त (द्रस्ती) के अधिकार के समान होता है ।

अतोऽनिवार्यकार्याय संपज्ञाभाय वा पुनः ।

व्ययितुं तां क्षमौ स्यातां नान्यकार्ये पुं जातुचित् ॥२५८६॥

इसलिए वे दोनों अनिवार्य (बहुत ज़रूरी) काम के लिए या फिर संपत्ति के द्वित के लिए उसको खुर्च कर सकते हैं, दूसरे काम के लिए कभी नहीं (कर-सकते) ।

आयं वर्धयितुं पूर्णं विकोयाऽत्र तु संपदम् ।

केतुमन्यां समर्थौ तौ नो मतौ न्यायतः पुनः ॥२५८७॥

और वे दोनों यहां पर आमदनी को बढ़ाने के लिए पहली संपत्ति को बेचकर दूसरी को सूरीदने में कानून से समर्थ नहीं माने गये हैं ।

देवायत्तीकृतायाश्च संपत्तेनित्यपट्टकम् ।

दातुं स्यातां क्षमौ नैव श्रृते न्यायप्रयोजनम् ॥२५८८॥

और वे दोनों न्याय के प्रयोजन (legal necessity) की ओरकर घर्मार्थ द्वारा हुई संपत्ति का सदा के लिए पट्टा (permanent lease) नहीं है सकते ।

परं निश्चितकालं तु पूर्वाचाराऽनुमोदितम् ।

पट्टं दातुं क्षमौ स्यातां, पुनर्यत्राऽनुमोदितम् ॥२५८९॥

नित्यपट्टमपि न्यायाऽधिकृतैस्तत्र तद्वचेत् ।

मान्यं भाविमठाधीशैः सेवायत्तैश्च निश्चितम् ॥२५९०॥

परन्तु वे दोनों पट्टे के रिवाज के अनुसार निश्चित समय के लिए पट्टा देने में लम्बर्थ होते हैं और जहां पर सदा का पट्टा भी न्यायाधीशों ने मानलिया हो, वहां

पर वह (पटा) आगे होनेवाले महतों और सेवात्मकों से भी निश्चय हो, मान्य हो जाता है।

सेवात्मस्तुनान्यस्मै स्वाधिकारार्पणे क्षमः ।

सहायं तु निजं क्षतुं परं सोऽन्यं क्षमो भतः ॥२५६१॥

सेवात्मक अपिकार को दूसरे को नहीं दे सकता। परन्तु वह दूसरे को अपना सहायक बनाने में समर्थ माना गया है।

सहायकाऽर्पितं पट्टममान्यं देवसंपदः ।

सेवायत्तमपृष्ठे व दत्तं तच्चेदसंशयम् ॥२५६२॥

सहायक का दिया देवता की संभवति हा पटा (lease), यदि वह निश्चय हो सेवात्म से बिना पृष्ठे दिया गया हो, तो अमान्य होता है।

स्वायुपोऽधिकालाय पट्टं दातुं तु न क्षमः ।

मठेशो मठसंपत्तेचेस्तथे ज्ञाऽवश्यकं भवेत् ॥२५६३॥

महन्त मठ की संभवति का पटा, यदि वह आवश्यक (बहुत ज़्यादा) न हो, तो अपनी आयु से अधिक काल के लिए नहीं दे सकता।

कचिद्देवात्मायाऽपि जात आवश्यके पुनः ।

नित्यपट्टस्तु तद्भूमैर्देत्तो मान्यो मतो तुर्धैः ॥२५६४॥

फिर कहाँ देवात्म के लिये भी, आवश्यक होने पर, वस (मन्दिर) की भूमि का सदा के लिए दिया पटा (permanent lease) विदानों ने मान्य माना है।

मठागतानां वासार्थं भोजनार्थमयो पुनः ।

स्थाननिर्माणमप्यत्र न्यायेनाऽवश्यको विधिः ॥२५६५॥

फिर मठ में आनेवालों के रहने के लिए अथवा भोजन के लिए स्थान इनवाना भी, यहाँ पर न्याय से आवश्यक कर्तव्य माना गया है।

देवापितायाः संपत्तेविच्छेदे विहिते जनः ।

विच्छेदशब्दवार्यत्वं न्यायत्वं चाऽस्य साधयेत् ॥२५६६॥

द्वितीय संभवति के सूचे (alienation) का दालने पर सूचे इनेवाला पुण्य उससे आवश्यकता और उसका न्याय से अनुमोदित होना सिद्ध करे (इस बात को सिद्ध करना उसके लिये होगा)।

अनिवाप्तेन घा सम्यग् न्यायाऽवश्यकताहृते ।

सन्तुष्टश्चाऽभयत् सोऽन्त तदर्थमिति साधयेत् ॥२५६७॥

अथवा उसने न्याय आवश्यकता (legal necessity) के विषय में स्वोज (suzerainty) करती और वह इस बारे में संतुष्ट (satisfied) हो गया। यह सिद्ध करे।

निषेपाऽधिकृतः सेवायत्तो वाऽनुमतः पुनः ।

न्यायेणेनाऽधये तद्राऽन्येपस्तेनाऽपि सिध्यति ॥२५६॥

फिर न्यायाधीश ने दृस्टी को या सेवासक्त को उस (देवोत्तर संपत्ति) को गिरवा रखने के लिए अनुमति दे दी हो, तो (उसका) छान-बीन करना सिद्ध हो जाता है। (अर्थात्-यह आज्ञा ही खुर्च करनेवाले के इस विषय में पूरी छान-बीन करलेने की प्रमाण मानली जाती है।)

अनालोच्यैव सा ष्ठेया विधिन्यायाऽधिकारयोः ।

दूषणे सत्यपि न्यायाधीशुदत्ता निदेशना ॥२५७॥

न्यायाधिकारी की दी हुई वह आज्ञा, रीति (procedure) और न्याय के अधिकार (jurisdiction) का दोष (defect) होने पर मी, आलोचना question के लायक नहीं होती (अर्थात्-मान्य ही होती है)।

देवार्पितायाः संपत्तेर्धिक्षुदे दूषणप्रदौ ।

तावुभौ वालसंपत्तिरक्षाऽधिकृतवन्मतौ ॥२६०॥

देवोत्तर (मन्दिर और मठ की) संपत्ति के बव्य करने (alienation) में दोनों (सेवायत और महन्त), बालक की संपत्ति की रक्षा में नियुक्त (प्रबन्धक) के समान (ही), उत्तर-दाता माने गये हैं।

विघटने तु संपत्तेये मान्या नियमाः परे ।

यथास्थानं पुरोक्तास्त उपयोज्या यथोचितम् ॥२६१॥

संपत्ति के खुर्च करने (alienation) में जो दूसरे मानने लायक नियम, अपने-अपने स्थानों पर कहे हैं, वे जहाँ वैमा उचित हो उपयोग में लेने चाहिये। (इनके लिए देखो श्लोक ६१७-६१८, और १४०४-१४०२)

सेवायत्तप्रदत्तेऽन्न नित्ये पट्टे विवेचनम् ।

दीर्घकालोत्तरं चेत्स्याद् येन चाऽसंभवं भवेत् ॥२६२॥

तात्कालिकस्थितेष्वनं तद्दिनं न्यायालयाऽधिष्ठैः ।

तद्वानं दातुरन्तेऽपि मान्यमेव मतं भ्रुवम् ॥२६३॥

यहाँ पर यदि सेवायत द्वारा दिये हमेशा के पट्टे (permanent lease) में तब्दि समय के बाद विचार (inquiry) हो, जिससे कि उस (पट्टा देने के) समय की हालत का जानना असंभव हो जाय, तो वह (पट्टे lease का) दान न्यायाधिकारियों-द्वारा, देनेवाले के मरने पर मी, निश्चय ही, मान्य माना गया है। (अर्थात्-अदालत को ऐसी हालत में यही मानना होगा कि वह पट्टा आवश्यकता होने पर ही दिया गया था।)

सेवायत्तेन वा नूनं मठेशेन भ्रुणे कृते ।

न्याय्यव्ययाय, ऋणदस्तं प्रति प्राप्य शासनम् ॥२६४॥

उद्भतुं देवसंपत्तेरायतः स्वभूणं क्षमः ।

तदथं देवसंपत्तेन्यस्ताऽभावेऽपि निधितम् ॥२६०५॥

पूजारी या महत् द्वारा निधयता से वाजिव स्वर्च (legal necessity) के लिए कर्ज़ दिये जाने पर, कर्ज़ देनेवाला, उस (कर्ज़ लेनेवाले) के विश्व डिग्री (decree) प्राप्त कर अग्ने भग्ना को, उस (भग्न) के लिए, निधित ही, देवोत्तर संवत्ति के गिरधी न होने पर भी, देवोत्तर संवत्ति की आगमनी से वसूल कर सकता है ।

अधमणे॒ मृतेऽप्यथं तदन्तेऽपिकृतं प्रति ।

शासनं प्राप्य फर्तव्य भृणोदारः पुरोक्षद् ॥२६०६॥

यहाँ पर कर्ज़ लेनेवाले के मरजाने पर भी उसके बाद अधिकारी होनेवाले के विश्व डिग्री प्राप्त कर पहले कहे अनुष्ठार (देवोत्तर संवत्ति से) कर्ज़ व्य दसूली छानी चाहिए ।

न्याय्याऽवश्यकतादेतो भृणं यन्न वृत्तं भवेत् ।

सत्राऽभियोगे विशदं ताहक् स्याच्छासनं यतः ॥२६०७॥

अभियुक्तोऽधमणे॒ या तदन्ते तत्प्रदागतः ।

तदणं रदितं या नो न्यासेनेति स्फुटं भवेत् ॥२६०८॥

भृणशोधाय कालोऽपि निधे योऽपि सुनिधिता ।

देयाऽऽस्त्रा यन्न काले चेत् प्रतिदिसमूणं तदा ॥२६०९॥

नियोदयते प्रबन्दाऽन्यो घनाऽऽप्यव्यप्यहेतये ।

व्ययं नियन्त्य यः सम्यग् मन्दिरस्य मठस्य या ॥२६१०॥

पूजोत्सवादिकार्ये भ्यो भृत्यै चास्याऽपिकारिणः ।

उत्तमणीय शेषाऽऽयं यावच्छुद्धि प्रदास्यति ॥२६११॥

जहाँ पर वाजिव (दर्जित) आवश्यकता के लिए वज्ञां किया हो, वह पर मुद्दमे में ऐसी सुनासा डिप्री होनी चाहिए कि जिससे-कर्ज लेनेवाले पर मुद्दमा कहाया गया है या उसके बाद उसकी गर्ही पर बैठेवाले पर और वह कर्जिन्यक द्वारा (संवत्ति व्य गिरधी रख कर) रदित (recited) है या नहीं-ये आते साकु हो जायें ; वज्ञां तुम्हाने के लिए समय भी निधित कर हेना चाहिए और निधित-हेन से भासा दे देनी चाहिए कि यदि समाद के भीतर वज्ञां नहीं दिवा, तो (रापंपि है) जमा-स्वर्च हे लिए दूसरा प्रबन्धक (receiver) नियुक्त किया जायदा, जो मन्दिर या मठ के पूजा और असेव आदि के कामों के लिए और उसके अधिकारी (उग्रायी या महत्) के गुंडारे के लिए उच्च व्य भी ठीक तौर से धारकर व्य दुरं आमनो है, जब तक (कर्ज व्य) सहाइ न हो, कर्ज देनेवाले व्य हे देगा ।

धर्मार्थिकोया दानार्थिकायाश्च वृत्तेः प्रतिष्ठापनम् । ३८।

सेवायत्तो मठेशोऽथो ऋणाऽदाने क्षमो यतः ।

कार्येभ्योऽपरिहार्येभ्यस्तं प्रत्याप्तं च शासनम् ॥२६१२॥

ऋणोद्धारार्थं वज्ञाति तत्कृते तु तदुत्तरान् ।

प्राड्विविकारैतः पूर्वशासनस्याऽत्र युक्ताम् ॥२६१३॥

विविच्यैव प्रदातव्यं शासनं ह्यपरान् प्रति ।

मिथो संमतितो जाते शासने प्रथमे पुनः ॥२६१४॥

प्राड्विविकाः स्वसन्तोषं कुर्यादालोच्य तां स्वयम् ।

यत्साऽसीद् मन्दिरस्याऽथो मठस्य हितहेतवे ॥२६१५॥

ज्योंकि सेवायत्त या महन्त आवश्यक कार्यों के लिए कर्ज़ी लेने में समर्थ होता है और उसके विरुद्ध कर्ज़ी अभूल करने की डिग्री, उस (कर्ज़ी) के लिए, उसके यादवालों को भी बांधती है (उन पर भी लगती है) । इसलिए न्यायाधीश की पहले की (कर्ज़ी लेनेवाले के विरुद्ध हुर्द) डिग्री के आंचित्य की छान-बीन करके ही दूसरों (उत्तराधिकारियों) के विरुद्ध डिग्री देनी चाहिए । किर पहले ही डिग्री के आपत के समझौते से होने पर न्यायाधीश, क्या वह मन्दिर या मठ के हित के लिए हुर्द थी, इस तरह उसकी ज्ञान बीन करके अपना सन्तोष करले ।

मठाधीशे मृते तस्य स्थानेऽन्यस्त्वभिपिच्यते ।

तत्तद् मठगताचारैरेव नान्यप्रकारतः ॥२६१६॥

(पहले के) महन्त के मरने पर, उन-उन मठों के खिलाज के मार्किक ही उसके स्थान पर दूसरा विठाया जाता है, दूसरी तरह से नहीं ।

निर्दिश्यते मठेशेन स्वयं वा रुचिपत्रतः ।

मठेशस्तु कचित्स्याऽन्ते कचिदन्त्यैमठाऽधिषेः ॥२६१७॥

समशाखाभवैर्नुनं तथा च प्रतिवेशिभिः ।

कचिद् मठाऽनुगैः शिष्यविर्वियते स्वमठाऽधिषेः ॥२६१८॥

कहीं महन्त द्वारा युद या इच्छापन द्वारा अपने बाद महन्त निर्षेत किथा जाता है । कहीं एक ही संप्रदाय के आस-पास रहनेवाले दूसरे महन्तों द्वारा और किर कहीं मठ के अनुगत शिष्यों द्वारा अपने मठ का महन्त चुना जाता है ।

मठेशो यत्र शक्तः स्याद् निर्देशे स्वोत्तरस्य तु ।

तत्राऽपि सोऽधिकारं तं परस्मै दातुमक्षमः ॥२६१९॥

जहाँ पर महन्त आपने उत्तराधिकारी को नियत करने में समर्थ रहीता है, वहाँ पर भी वह उस अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता ।

मठाऽधीश्यपदस्याऽत्र न विमानो मतो युधैः ।

तयैव मठसंपत्तेरपि श्वेयाऽविभाज्यता ॥२६२०॥

किदृनों ने महन्त के पद का दिसा नहीं माना है। उसी प्रकार मठ की संपत्ति भी वहीं बांटी जा सकती है।

मठे परम्परायाते पट्टशिष्यो मठाऽधिपः ।

मठेशेनाऽछते न्याये निर्देशे रीति संमतः ॥२६२१॥

परम्परा से अधिकार में रहे (senior) मठ में सुख्य (senior) शिष्य महन्त होता है। महन्त द्वारा ठीक नियुक्त न होने पर रिवाज से माना हुआ (महन्त) होता है।

कतु हिताय निर्दिष्टो नो मठस्य द्विताय यः ।

अमान्यः स तथैवाऽन्न च्छ्रुतसन्धानतः कृतः ॥२६२२॥

जो (नया महन्त) बनानेवाले के पापदे के लिए नियत किया गया हो, मठके पापदे के लिए नहीं। वह अमान्य होता है। उसी तरह यहा पर छलके लिए मिलकर किया हुआ (collusive) भी (अमान्य होता है)।

निर्दिशयैवोत्तराधीशं मठेशो ध्रियते यदि ।

तद्विष्णोऽनभिपिक्तोऽपि निर्दिष्टः स्याद् मठाऽधिपः ॥२६२३॥

यदि महन्त उत्तराधीशी की निर्देश (designate) एके ही मरवाय, सी गंगारन्हित (होने पर) भी वह नियत (सुझर) किया हुआ महन्त होता है।

अनेकमठिकायुक्ते मठे यत्र मठाधिपः ।

रीत्यैकस्तत्पदं नांश्यं तत्र घोषाऽनिवार्यता ॥२६२४॥

जहां पर अनेक छोटे-छोटे देवन्थलों से गुरु मठ में रिवाज के अनुपार एक महन्त हो, वहां पर यदि अनिवार्यता (special circumstance justifying it) न हो, तो उस (महन्त के) पद का विभाग नहीं करता चाहिए। (अर्थात्-वहां पर एक से अधिक महन्त नहीं बनाने चाहिए)।

सेवायत्तपदं येन सुषुं सेवेन धाऽप्यवा ।

रथप्रभ्रंणह तद् भावानुसारं यानि तत्पदम् ॥२६२५॥

जिसने लेख (deed) या इच्छापत्र (will) से ऐवायत (पुत्रार्थी) के पद को बनाया हो, उसके भाव (इरादे) के अनुमार वह पद चलता है। (अर्थात्-उसके नियवानुभार ही वह एक के भाव दूसरे को मिलता है)।

लेख्ये पद्म तद्यर्थं या विस्तस्याम्प्रहतेऽप्यवा ।

तत्प्रपन्थहते न स्यापिदेशो, न च रीतिः ॥२६२६॥

निश्चितं तत्तु तत्कानुरेकस्मै दायद्वारिष्ये ।

तत्र दोयद्वारा: कतुः सर्वे तत्स्यामिनो भ्रवम् ॥२६२७॥

अटा पर लेख में उस (पद) के लिए पन के अधिकार के लिए या उम

धर्माऽधिकाया दानाऽर्थिकायाश्च वृत्तेः प्रतिष्ठापनम् । ३८३

(धन) के प्रबन्ध के लिए आशा न हो और न रिवाज से वह (पद) उस (पद) को बनानेवाले के एक उत्तराधिकारी के लिए निश्चित हो, वहां पर निश्चय ही (उस पद के) कर्ता के सारे ही उत्तराधिकारी उस (पद) के अधिकारी होते हैं । ।

परं नैवाऽनया रीत्या सेवायत्तपदं वजेत् ।

तान् य आचारतोऽयोग्या निर्वाहि तत्पदस्य तु ॥२६२८॥

परन्तु इस तरह सेवायत्त का पद, जो रिवाज से उस पद को निभाने में असमर्थ हो, उनसे नहीं मिलता ।

मितस्वाम्या यतो नार्यः साधारण्येन निश्चिताः ।

सेवायत्तपदस्यार्थेऽप्यतस्तास्तादशो मताः ॥२६२९॥

क्योंकि साधारण तौर से लिंग परिमित (limited) अधिकार-वाली निश्चित की गई है, इसलिए सेवायत्त पद के लाभ (interest) में भी वे वैसी ही मानी गई हैं ।

जन्या चेत्तपदं यायादेकाऽधिकजनेविध ।

निश्चित्यैव मिथ्यः कालं कुर्युस्तर्वर्चनादिकम् ॥२६३०॥

यदि यहांपर जन्म (descent) के काण्ड वह पद एक से अधिक जनों को मिले, तो (वे) आपस में समय (period) का निश्चिय करके पूजन आदि करें ।

समये चेदशक्तास्तेऽथोपहाराऽप्यदाऽर्चना ।

तेष्वेकोऽप्यभियुज्याऽन्यान्कालं निर्णापयेत्तदा ॥२६३१॥

यदि वे एकाधिक पुरुष आपस में तय (agreement) न कर सकें और पूजा भेट की आमदनी देनेवाली हो, तो उनमें से एक भी दूसरों पर सुकृदमा चता-कर समय (period) का निर्णय संकाले ।

शार्चाऽधिकार एतोऽन्नं संपत्तेस्तु समो मतः ।

शर्चयेयुरुतः शिष्टाः कालं भक्त्वा यथोचितम् ॥२६३२॥

यहां पर यह पूजा का अधिकार संपत्ति के समान (ही) माना गया है, इस-लिए सायवाले (joint owners) उचित-रूप से समय को बांट कर पूजन करें ।

यद्वोपहारशक्त्या स्यात्पूजा तंत्राऽभियोजनम् ।

नो मतं ह्यधिकाराऽप्यं पूजायास्तु वृथैर्भुव्यम् ॥२६३३॥

प्रवन्धकास्तथा न्यासाऽधिकृता द्वच तत्र ते ।

अतः संभूय कर्तव्यं तत्र संपत्तिरक्षणम् ॥२६३४॥

जहां पर पूजा भेट (भी प्राप्ति) से शून्य हो, वहां पर विद्वानों ने, निधय ही, पूजा के अधिकार के लिए सुकृदमा चताना नहीं माना दै । वहां पर वे (सारे ही

पूजा के दृकदार) प्रकर्षणों या द्रविदियों के सामान होते हैं । इसलिए वही पर संगति की रक्षा साथ मिलकर करनी चाहिए ।

दयवहारविद्यारौको विवेकुँ द्वामते परम् ।

प्रवृन्धस्य दयवस्थां हि व्यक्तेः स्यत्सुरसंपदः ॥२६३५॥

परन्तु सिवित कोई पुण्य की अपनी (private) देवीतर संगति के संबन्ध की व्यवस्था की विवेचना करने में समर्थ होती है ।

देवस्याऽर्थं यदा तत्र तदा सोऽन्यनुयोज्यते ।

यत्र स्यार्थविरोधः स्यात्सुरपूजकयोः पुनः ॥२६३६॥

भवेत्प्रतिनिधिस्तथ निष्पक्षोऽन्यः सुरस्य तु ।

सेवायत्तविवादेषु न देवस्याऽनुयोजना ॥२६३७॥

जब वहाँ पर देवता का स्वार्थ (interest) हो, तब उसे भी (मुक्त्वा मैं) साध (शारीक-party) कर लेते हैं और जहाँ पर देवता और सेवायता के स्वार्थ परस्तर विरोधी हों, वहाँ पर (कोई) दूसरा निनाद (disinterested) (अवक्षिप्त) देवता का प्रतिनिधि (representative) होता है । सेवायतों के (आगे के) भागों में देवता शारीक (party) नहीं छिप जाता ।

देवे न्यासीकृतेऽशको द्वाभ्यामेकतरोऽर्चकः ।

लाभांश्चायाऽभियोकुँ हि सेवायत्तजनं परम् ॥२६३८॥

देवता को पटे (lease) पर दे देने पर दो सेवायतों में से एक (अपने) लाभ (royalty) के हिस्से के लिए दूसरे सेवायत पर मुक्तमा नहीं चला सकता ।

मिताद्वयानुगाथेस्युः पृक्ताः सेवारतास्तदा ।

उपेष्ठ एव द्वामः संपत्त्रवन्धे नाऽपरे कमात् ॥२६३९॥

यदि हेया करनेवाले साको के कुछभवाले और मिताद्वया के अनुवायी हों, तो (उनमें से) उन से वहाँ ही संगति का प्रकर्ष कर सकता है, दूसरे (कोई) पारी-याएं से नहीं (कर सकते) ।

पृक्ताऽनेकाऽर्चनाऽसक्तनियुक्तौ दानकारकः ।

अपि द्वामो मतो लोके निर्विवादं निजेच्छ्या ॥२६४०॥

(उस) दान का करनेवाला भी अपनी इच्छा से सामेवाने एक से अधिक मेवायतों की नियुक्त करने में, यहाँ पर दिना किसी मौमट के, समर्थ होता है ।

सेवायत्तेषु नो कथित् स्वे धारेऽपीदितास्तदे ।

मूर्ति नेतुँ द्वामः पूजासीकर्याय कदाचन ॥२६४१॥

सेवायतों में से कोई, आपनी बातों में भी, मूर्ति को पूजा की आगामी के लिए अपने चाहे हुए स्थान पर कभी नहीं लेका सकता ।

धर्माऽर्थिकाया दानाऽर्थिकायाश्च वृत्तेः प्रतिष्ठापनम् । ३८५

सेवायत्तस्तु नो घङ्गे प्रयागे वा क्षमो भवतः ।
निर्देष्टुः स्वोक्तरं रुद्ध्या अभावे रुचिपत्रतः ॥२६४२॥

बंगाल और प्रयाग में सेवायत को, रिवाज न होने पर, इच्छापत्र के द्वारा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त (नामजद) करने में समर्थ नहीं माना है ।

महाराष्ट्रे परं शक्तः स्वोक्तरं स कमागतम् ।
योग्यं तत्कर्मनिर्वाहे निर्देष्टुः दायपत्रतः ॥२६४३॥

परन्तु वंशई प्रान्त में (वह) दायपत्र (इच्छापत्र) के द्वारा परम्परा से आये हुए (standing in the line of succession) और उस (सेवायत) के कार्य को करने के योग्य उत्तराधिकारी को नियुक्त (नामजद) कर सकता है ।

आतो यत्र समर्थः स निर्देष्टुः स्वोक्तरं स्वयम् ।
तत्र कार्येण लेखेन वा नियुक्तीत तं ध्रुवम् ॥२६४४॥

इसलिए जहाँ पर वह युद्ध अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने में समर्थ हो, वहाँ पर निश्चय ही काम (an act intervivos) द्वारा या लेख (will) द्वारा उसे नियुक्त करे ।

परं यत्र नियुक्तेः प्राक् स्वोक्तरस्य द्वियेत सः ।
तत्र प्रवर्तको वा तद्-दायादोऽधिकृति भवेत् ॥२६४५॥

परन्तु जहाँ पर वह (सेवायत) अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के पहले ही मरजाय, वहाँ पर (उस) अधिकार की (उस घमं-न्यास का) प्रारम्भ करनेवाला (founder) या उस (प्रवर्तक) का उत्तराधिकारी (heir) प्राप्त कर लेता है ।

देवोक्तरायाः संपत्तेः प्रयन्धाऽधिकृतिः स्वयम् ।

सेवायत्तेन विकीर्ता व्योयाऽमान्या द्वृघैरिह ॥२६४६॥

सेवायत (या महन्त) ने स्वयं देवोक्तर संपत्ति के प्रबन्ध का अधिकार बेच-दिशा हो, तो विद्वानों को यहाँ पर उसे नहीं मानने लायक ही जानना चाहिए ।

फेता तद्भर्मनिक्षेपशिष्टि चाऽनुसरिष्यति ।

इति कृत्वाऽपि विकीर्ताऽधिकृतिर्नाऽन्यगा भवेत् ॥२६४७॥

ख़ूदनेवाला उस धार्मिक इंस्ट (endowment) के नियमों का पालन करेगा-ऐसा (तथ) करके भी बेचा हुआ (अपना) अधिकार दूसरे के पास नहीं आता ।

सेवायतं प्रतिं प्राप्य श्रुणोदाराय शासनम् ।

जनस्तधिकारं तु नैव विक्रेतुमीश्वरः ॥२६४८॥

पुरुष कर्जे को वसूल करने के लिए सेवायत के खिलाफ़ डिप्री प्राप्त करके भी उम (सेवायत) के अधिकार हो नहीं बेच सकता ।

रुद्दिसत्त्वेऽप्यमान्योऽसाधिकारस्य विकाशः ।

समाजाचारवर्ज्यत्वात् प्राङ्गविवाकैरसंशयम् ॥२६४७॥

रिवाज होने पर भी, समाज के रिवाज से बच्चित होने से, यह अधिकार वा बेचना न्यायकर्ताओं द्वारा, निःमदेह, नहीं, मानने लायक होता है ।

विकोत्तरेव लाभाऽर्थमसंबद्धाय दीयने ।

विकयेणाऽधिकाराण्यतदमान्यं विशेषतः ॥२६५०॥

यदि बेचनेवाले के लाभ के लिए ही अधिकार को बेचकर अतंगद (उस द्रष्ट से किसी प्रकार का संबन्ध न रखनेवाले—stranger) पुण्य को दे दिया जाय, तो वह विरोध हा से आमान्य होता है ।

स्वाऽधिकारं तथैयाऽप्य धर्मन्यासे नियोजिताः ।

अपि शक्ता न विकोतुं स्वार्थलाभाय जातुचित् ॥२६५१॥

उसी प्रकार यहा पर धार्मिक द्रष्ट के द्वास्ती अपने आर्थिक लाभ के लिए अपने अधिकार को कभी नहीं बेच सकते ।

सेवायत्पदस्याऽप्य निपिद्दे विकयेऽप्यलम् ।

तप्रोपदारतोऽन्यस्मै तत् समर्पयितुं जनः ॥२६५२॥

यत्र नित्योपकर्त्रेव स्ववंशयेभ्यः सुरक्षितः ।

तत्पदन्धोऽन्यवंशेभ्यो दत्तो घा स निजेष्वया ॥२६५३॥

एतादृशे स्थले सेवायत्पदस्यक्वा निजं पदम् ।

दातुं योग्याय वंश्याय स्योत्तरस्थाय तत्त्वमः ॥२६५४॥

सेवायत्पद के पद का बेचना मना होने पर भी पुण्य उस स्थान पर उसे उपहार (दाता) द्वारा दूसरे को देने में समर्थ होता है, जहाँ पर उस द्रष्ट के मनानेवाले ने ही उसका प्रबन्ध अपने वंशवालों के लिए सुरक्षित रखा हो, या उसे अपनी इच्छा से दूसरे वंशवालों को दे दिया हो । ऐसे स्थान पर सेवायत्पद से पद को छोड़कर वंश में उत्तर हुए अपने में आगे के योग्य व्यक्ति (standing in the line of succession) को उन्हें दे सकता है ।

सेवायत्पदेषु सत्त्वु त्यक्त्या निजं पदम् ।

स्वयमेष्ठोऽपि यस्मै चिन् रथे स्वाम्य दातुमीश्वरः ॥२६५५॥

न्यासलाभाय, किन्त्यश्राऽसंबद्धाय तु न स्तमः ।

दातुं, यदि म तदामं रुद्दितः संमतं भवेत् ॥२६५६॥

मनेक सेवायत्पद के होने पर (उसमें से) चीई भी अपने पद को छोड़कर द्रष्ट के कान्धे हैं लिए, अपने अधिकार को अपने कांग के किसी पुण्य को दे सकता है । परन्तु संबन्ध नहीं रखनेवाले पुण्य (stranger) को, यदि वह ऐसा रिवाज में माना गया न हो, तो नहीं दे सकता ।

धर्मार्थिकाया दानाऽर्थिकायाश्च वृत्तेः प्रतिष्ठापनम् । ३८३

न्याया मिथोऽभिमत्या चेद्वादिनाऽधिकृतिनिंजा ।
आत्मनोऽन्तेऽर्हते किन्तु प्रागेव स्वाभ्यमीयुपे ॥२६५७॥
स्वका तद्विं तु स त्यागः सेवायत्तपदस्य हि ।
मान्य एव मतो विश्वैर्नाऽन्त्र कार्या विचारणा ॥२६५८॥

आपस के न्याय (bonafide) समझते हैं यदि मुद्दे ने अमना अधिकार, अपने बाद में अधिकार प्राप्ति के योग्य, परन्तु अपने से पहले ही अधिकारी हुए, पुछ के लिए छोड़दिया हो, तो सेवायत्त पद का वह स्याग विद्वानों ने मान्य ही माना है । इसमें विचार नहीं करना चाहिए ।

नैव सर्वजनीनस्य मन्दिरस्य प्रबन्धकः ।
तदू मन्दिरगतां मूर्तिं शक्तः स्थापयितुं स्वयम् ॥२६५९॥
आन्यस्मिन्मन्दिरे चेत्स्युर्विरुद्धा यहुसंख्यकाः ।
पूजकास्तत्कृते नूनं न्यायमान्यमदो मतम् ॥२६६०॥

सार्वजनिक मन्दिर (public temple) का प्रबन्धक, यदि बहुमंख्यक भक्त, निधय ही, उस (काम) के विरुद्ध हों, तो उस मन्दिर की मूर्ति को स्वयं दूसरे मन्दिर में नहीं स्थापन कर सकता । यह न्याय से माना हुआ मत है ।

आर्यन्यायाऽनुसारेण देवसेवाप्रवर्तकः ।
तदायादोऽथवा सेवायत्तास्पदपतिर्भवेत् ॥२६६१॥

हिन्दू नियमानुसार देवता की सेवा का प्रारम्भ करवाने वाला (founder) या उसका इकार (heir) सेवायत्त के पद का अधिकारी होता है ।

अन्यस्तु तन्नियुक्तः स्यात् क्रमसंक्रमणं पुनः ।
तत्पदस्याऽन्त्र विद्वेयं पूर्वोक्तैर्नियमैर्भुवम् ॥२६६२॥

दूसरा सेवायत्त तो उसका नियुक्त किया हुआ ही होता है । और यहां पर उस पद का क्रम से दूसरे को मिलना (devolution) निधय ही पहले (श्लोक २६२५ से २६४५ तक में) कहे नियमों से जानना चाहिए ।

न्यासे सर्वजनीनेऽय व्यक्तिगे नियमा इमे ।
परिडृतैः कथिता नूनं तस्मान्मान्या मता इह ॥२६६३॥

परिडृतों ने सार्वजनिक (public) और व्यक्तिगत (private) द्रष्ट (trust) में ये नियम कहे हैं । इसलिए ये, निधय ही, यहां पर मान्य माने गये हैं ।

प्रवर्तकः प्रबन्धाऽर्थं स्वीयन्यासस्य निश्चितम् ।
स्वप्रातिनिधयतः शक्तो नियोक्तुमपरं जनम् ॥२६६४॥

पुनर्निरीक्षितुं चाऽपि तत्प्रश्नं स्वयं तथा ।
श्रपसारयितुं तं च स्वर्कर्तव्ये रुताऽगस्म् ॥२६६५॥

प्रवर्तक (founder) अपने द्रष्ट (trust) के प्रबन्ध के लिए अस्ते प्रभि-

निषिल्प है, निवय ही, दूसरे आदमी को नियुक्त कर सकता है, और फिर उसके प्रबन्ध का स्वयं निरीद्वण भी कर सकता है और उसके अपने कर्तव्य में आराधी होने पर उसे दूर भी कर सकता है ।

परं कत्रां निजं स्वाऽर्थं त्यक्त्वा न्यासे समर्पितः ।

तस्य पूणिधिकारश्चेत् परस्मै तर्हि निश्चितम् ॥२६६६॥

सोऽभियोक्तुं समर्थो नो प्रदत्ताऽधिकृतिं जनम् ।

तन्न्यासीयप्रवन्धस्य स्वामित्वपुनराप्तये ॥२६६७॥

परन्तु यदि कर्ता (founder) ने ट्रस्ट (trust) में (के) अपने स्वार्थ (interest) की छोड़कर, उसका पूरा अधिकार दूसरे को सौंप दिया हो, तो वह जिसकी अधिकार दिया हो, उस पर, उस ट्रस्ट के प्रबन्ध के अधिकार भी वापस ले ने के लिए निवय ही मुकदमा नहीं चला सकता ।

उपर्वारप्रणीता था रुचिपत्रकृता पुनः ।

र्थश्यक्रमाऽनुगाऽर्थस्य संस्था न्यायविरोधतः ॥२६६८॥

अमान्याऽतः क्रमाऽऽयते पदे, न्यासे च धार्मिके ।

स्थिरेण्यं चाऽपि नो शक्तः प्राप्तुं दायादतां जनाः ॥२६६९॥

उपहार (gift) से बनाई था फिर इच्छापत्र (will) से बनाई औलाद के क्रम से चलती रहनेवाली धन की संस्था (estate of inheritance) न्याय (law) के विरोध के ढारण नहीं मानने लायक होती है । इसलिए (उस संस्था क) क्रम से जल्द आनेवाले पद (hereditary office) में, क्रम से खले आनेवाले धार्मिक ट्रस्ट (hereditary endowment) में और क्रम से चले आनेवाले स्थिर धन (hereditary immovable property) में पुण्य हकदारी (inheritance) की नहीं पा सकते । (अर्थात् - अपने हकदारों के लिए स्थायी ट्रस्ट नहीं बनाया जा सकता ।)

रुचिपत्रोपदाराभ्यां तथैवार्योऽन्न द्वामः ।

सेवायस्तान् विधातुं स्वान् पुं संतानान् यथाक्रमम् ॥२६७०॥

उसी प्रवार (एक) हिन्दू यहां पर इच्छापत्र या उपहार से आपनी पुण्य संतान वो क्रमानुगार (पहले पुत्र की फिर पौत्र की और उसके बाद प्रौत्र आदि की) सेवायत धनाने (नियुक्त करने) में समर्थ नहीं होता ।

इच्छापत्रविधी मोक्षा उपहारविधी च ये ।

सेवायत्पदाऽसायप्यादेया नियमा द्विते ॥२६७१॥

इच्छापत्र की विधि में भी और उपहार की विधि में जो विषय कहे हैं, वे ही सेवायत-

धर्मार्थिकाया दानाऽर्थिकायाश्च धृतेः प्रतिष्ठापनम् । ३८९

के पद की प्राप्ति में भी प्रदण करने चाहिए । (इसके लिए देवो श्लोक २३७२-२३७३, २४१०-२४११ और २४५१-२४५२ ।)

कर्ता यदि प्रणीतैका श्रेणी तत्पदहेतवे ।

निःशेया किन्तु जाता सां प्रवन्धाऽधिकृतिस्तदा ॥२६७२॥

कर्त्तारं वाऽस्य दायादान् याति ते नाऽन्यथा ज्ञामः ।

लेख्याऽगुसाऽधिकारास्तु प्रवन्धपरिवर्तने ॥२६७३॥

यदि कर्ता ने उस (सेवायत) पद (को प्रहण करने) के लिए एक श्रेणी (line of succession) बनाई हो, परन्तु वह समाप्त हो गई हो, तो प्रबन्ध का अधिकार (उस सेवायत पद के) कर्ता या इसके हकदारों (heirs) के पास चला जाता है । लेख (deed of endowment) द्वारा अरक्षित अधिकार वाले वे अन्य प्रकार से प्रबन्ध को बदलने में समर्थ नहीं होते । (अर्थात्-धार्मिक न्याय के करने के समय उसके लेख में अपने अधिकार सुरक्षित न रखते हों, तो अधिकारियों की श्रेणी के निःशेय होने पर ही ट्रस्ट के कर्ता या उसके उत्तराधिकारियों को ट्रस्ट पर अधिकार प्राप्त होता है) ।

सकृदर्माय यदस्तं प्रस्त्याऽदातुं न शक्यते ।

तज्जाभद्रोऽधिकारोऽपि दत्तो नाऽयाति चार्पकम् ॥२६७४॥

एकावार जो धर्म के लिए दे दिया हो, वह वापस नहीं लिया जा सकता । उसका लाभप्रद अधिकार भी (-एक बार दे दिये जाने पर) देनेवाले के पास लौटकर नहीं आता । (यहाँ पर देनेवाले से देनेवाला और उसके उत्तराधिकारी प्रहण करने चाहिए) ।

चेद् यदर्थं धनं दत्तं तस्मिन्नो उपयुज्यते ।

तर्हि दाताऽथ तदायहरः शकोऽभियोगतः ॥२६७५॥

तस्मिन् कर्मणि तद्वित्तमुपयोजयितुं भुवम् ।

परं दत्साऽर्थमादातुं न ज्ञामौ तातुभावपि ॥२६७६॥

यदि जिस काम के लिए धन दिया हो उस काम में नहीं लिया जाता हो, तो देनेवाला या उसका उत्तराधिकारी मुकदमे द्वारा, निश्चय ही, उस धन को उस काम में उपयोग करता सकता है । परन्तु वे दोनों ही दिये हुए धन को वापस नहीं ले सकते ।

यदर्थं वित्तदानं स्यात्स्याऽस्तित्वे गते पुनः ।

प्राद्यवियाकाऽङ्गया स्यात्तर्ता तत्समाऽर्थोपयोजिनौ ॥२६७७॥

फिर जिस काम के लिए धन दिया हो उसके अस्तित्व के निटज्जाने पर वे दोनों (देनेवाला और उसके उत्तराधिकारी) न्यायाधीश की आशा से उस (धन) की (उसीके) समान काम में उपयोग करते हैं ।

दानमस्थाव्यपि प्रत्यादातुं नैवाऽन्न श्रवते ।

न्यासप्रवर्तकः कर्ता नोत्तरा उपचारिनः ॥२६७३॥

अस्थावी दान (temporary endowment) भी यहां पर वापस नहीं लिया जा सकता । द्रष्ट का प्रारम्भ करनेवाला (उपका) कर्ता (founder) होता है, दाद के (धनकी) बढ़ानेवाले नहीं होते ।

मूर्त्यै दत्तोपदा तस्याः संपत्तिस्तु यतो मता ।

अतस्तु तत्कृते दत्ता तस्या एवाऽन्न भूरपि ॥२६७४॥

यांकि मूर्ति के लिए दिया उपदार उसकी संपत्ति माना गया है । इसलिए उस मूर्ति के लिए दी हुई भूमि भी, यहां पर, उसी की होती है ।

परं तत्रत्यया रूढ्या कर्त्तुं घोषण्या तथा ।

कथितस्यातामुभे सेवायत्तस्यैयाऽन्न ते ध्रुवम् ॥२६७५॥

परन्तु वहां (मन्दिर) के रिकाज से या कर्ता (मन्दिर के स्थापन करनेवाले) वी घोषणा (express declaration) से वहां पर कहीं-कहीं वे दोनों (उप-हार में वी संपत्ति और भूमि) सेवायत्त की ही होती हैं ।

जनैयपहृतं द्रव्यमुपयोज्यमसंग्रहम् ।

मूर्ते: पूजोत्सवाभ्यां धा मन्दिरस्य व्ययाय धा ॥२६७६॥

तत्रत्यपुण्यकार्येभ्य एव नाऽन्यन्तं कुञ्चचित् ।

सेवायत्तोऽपि नाऽलं तद्यथितुं निजकर्मणि ॥२६७७॥

सोगो द्वारा भेट दिया हुआ धन, विना संशय के, मूर्ति की पूजा या (उसके) लक्ष्य के लिए, मन्दिर के खर्च के लिए या वहां के दान-पुण्य के कामों के लिए ही काम में लेना चाहिए । (उसे) कहीं भी दूसरे काम में नहीं लेना चाहिए । सेवायत्त भी उसे अस्ते काम में सूचे नहीं बर सकता ।

सेवामारविदीनैस्तु यत्र तदू गृह्णते कुञ्चित् ।

यिष्ठदमाहस्तत्तत्र शृणु प्राताथ जायते ॥२६७८॥

जहां कहीं (मन्दिर वी) सेवा की विभेदारी से हीन सोगो द्वारा वह धन लिया जाता है, वह वह पटवारे (alienation) के योग्य और कर्ज में लैने स्वदक (attachable) हो जाता है ।

मन्दिराऽगतयाविभ्यो धनाऽऽदानाऽधिकारिता ।

मता वियट्टाऽन्दर्वा विधानहैस्तु परिष्टैः ॥२६७९॥

मन्दिर से आनेवाले वाक्यों से धन लैने का अधिकार, धनम् के जानेवालों में, बदले योग्य (alienable) नहीं माना है ।

धर्मार्थिकाया दानाऽर्थिकायाश्च वृत्तेः प्रतिष्ठापनम् । ३६१

शासितुं सार्वजनिकमन्दिरस्य प्रबन्धकान् ।

पदाद् भ्रंशयितुं चाऽपि क्षमा न्यायालया मताः ॥२६५॥

सार्वजनिक (public) मन्दिरों के प्रबन्ध को पर शासन करने में और उनको अपने पद से हटाने में भी न्यायालय (courts) समर्थ माने गये हैं ।

छुल वा देवसंगतेभित्याऽऽथवयकल्पनम् ।

अल तस्य वहिष्कारे तथा घोराऽपराधनम् ॥२६६॥

फ्रैंड (fraud) या देवता की संपत्ति का भूता जमान्हर्चै (misappropriation) अथवा घोर अपराध उस (प्रबन्धक manager) को हटाने में पर्याप्त होते हैं ।

स्वपदाऽधिकृतिभ्रान्तिः शैयिल्यं वा स्वर्कर्मणि ।

पर्याप्तौ नो मतौ द्वेत् स्वपदादपसारणे ॥२६७॥

आपने पद के अधिकार का भ्रन अथवा अपने काम में दीजाग्न उसको अपने अधिकार से दूर करने में पर्याप्त कारण नहीं माने गये हैं ।

एतादश्ये स्थले स्याप्या समैका न्यायकारिभिः ।

या निरीक्षत तत्कार्यं शिष्यात्तं च यथोचितम् ॥२६८॥

न्याय करनेवालों को ऐसे स्थान पर एक सभा (committee) स्थापित करनी चाहिए, जो उस (प्रबन्धक) के कामों का निरीक्षण (supervision) करे और उसे उचित रूप से शिक्षा दे (control करे) ।

निर्माणैकां व्यवस्थां वा मन्दिरे तां प्रवर्तयेत् ।

प्रारम्भर्थपदेऽप्येषा व्यवस्था नैव हानिदा ॥२६९॥

अथवा (वह सभा) एक व्यवस्था (scheme) को बनानेर मन्दिर में चला देवे । यह अवस्था (प्रबन्ध) परम्परा से भिन्नेवाले पद (hereditary office) में भी हानि नहीं करती ।

नियमैः सार्वजनिके मन्दिरे यैर्व्यवस्थितिः ।

तैः कतुँ वृक्षिगे तस्मिन्थ शृण्या सा कथञ्चन ॥२७०॥

जिन नियमों से सार्वजनिक मन्दिर में व्यवस्था (प्रबन्ध) होती है, उनसे उस (मन्दिर) के व्यक्तिगत (private) होने पर वह (व्यवस्था) किसी तरह नहीं हो सकती ।

यत्र सर्वजनीनं हि दानं स्वीयं वदञ्जनः ।

नियुद्धके तत्प्रबन्धर्थं जनं मान्यं न तन्मतम् ॥२७१॥

जहां पर मनुष्य सार्वजनिक दान (charity) को अपना बतताता हुआ

उसके प्रबन्ध के लिए (किसी) आदमी को नियुक्त करता है, वह मान्य नहीं माना गया है।

व्यक्तिः सार्वजनिको धर्मन्यासो द्विधा मतः ।

किष्टेऽथ तयोर्व्याख्या जनानां वोधदेतदे ॥२६४२॥

धार्मिक न्यास (religious endowment) दो तरह का माना है—व्यक्तिगत (private) और सार्वजनिक (public)। आगे लोगों के जानने के लिए उनसी व्याख्या (खुलासा) की जाती है।

कौटुम्बिकस्य देवस्याऽवर्यै यत्र पूर्यक् कृता ।

संपत्तिर्यज्ञ च स्याऽर्थो नाऽन्योर्पाद्यकिंगस्तु सः ॥२६४३॥

जहाँ कुटुम्ब के देवना की पूजा के लिए संपत्ति जुहा करती हो और जिसमें दूसरों (कुटुम्ब से भिन्न लोगों) का स्वार्थ (interest) न हो, वह व्यक्तिगत न्यास (private endowment) होता है।

स स्यात्सर्वजनीनो यः सर्वेषां द्वितकाम्यया ।

उपर्योगाय चा तेषां धर्मन्यासः कृतो भवेत् ॥२६४४॥

जो धार्मिक न्यास (religious endowment) सब लोगों के द्वित की इच्छा से या उनके उपयोग के लिए किया गया हो, वह सार्वजनिक (public endowment) होता है।

यत्रैकस्मिन् गृहे देवं न्यस्य न्यासो विधीयते ।

तत्पूजाऽर्थं तथा शेष आपस्लस्योपयुज्यते ॥२६४५॥

भोजने निर्धनानां चा साहाय्येऽध्ययनैविणाम् ।

नन्न स व्यक्तिगत्याऽप्राऽधिकृताः सद्वकारिणः ॥२६४६॥

जहाँ एक घर में देवता की स्थापन कर उसकी पूजा के लिए न्यास (endowment) किया जाता है और उसकी बची हुई आमदानी गरोबों के भोजन में या विद्यार्थियों की एहावता में काम में लाई जाती है, वहाँ पर व्यक्तिगत (private endowment) होता है और वहाँ पर दूसरी लोग साथ मिलकर काम करनेवाले होते हैं।

मन्दिरे सार्वजनिके दाने कौटुम्बिकैरपि ।

अनाधृत्यं मृतं किन्तु नदेवाऽप्य एतं भवेत् ॥२६४७॥

कौटुम्बिकाय देवाय तदा कौटुम्बिकाः क्षमाः ।

विधातुं सर्वसंसत्या दानोद्देश्यविपर्ययम् ॥२६४८॥

सार्वजनिक मन्दिर में दिया जान (endowment) कुटुम्बनालों द्वारा भी हो सकते हैं इनसे साथक नहीं माना गया है। परन्तु वही, यहाँ पर, कुटुम्ब के देवता

धर्मार्थिकाया दानार्थिकायाश्च वृत्तेः प्रतिप्रापनम् ॥ ३६३

के लिए किया गया हो, तो कुदुम्बवाले सब (कुदुम्बवालों) की संमति से दान के उद्देश्य को बदल सकते हैं।

व्यक्तिगन्यासकर्तुर्हि वंशयाश्चेदक्षमाः स्वयम् ।

कर्तुर्हि पूजां कुदुम्बस्य मूर्तेन्यासाऽप्यतस्तदा ॥२६६६॥

अन्यवंशे समर्प्या सा पूजार्थं न्याससंयुता ।

दाने मूर्तिंहिताऽर्थे तु तन्मार्यं दातुरुत्तरैः ॥२७००॥

खानगी न्यास (private endowment) करनेवाले के वंशज यदि न्यास (endowment) की आमदनी से युद्ध कुदुम्ब की मूर्ति की पूजा करने में असर्वथ दूषणीय हो जाए तो वह मूर्ति मय न्यास के पूजा के लिए दूसरे वंश में मौप देनी चाहिए। (ऐसे) दान के मूर्ति के द्वित के लिए होने पर वह देनेवाले के बादवालों (वंशजों) यो (भी) मार्य समझना चाहिए।

नाऽन्यो भेदस्तु विज्ञेयो न्यासयोरभयोरपि ।

कौटुम्बिकाय देवाय न्यस्तोऽर्थोऽप्यत एव हि ॥२७०१॥

च्याहन्तुमनिवार्यत्वाऽभावे नैवाऽच्च शक्यते ।

सेवायत्तच्छ्रूणोदाराऽङ्गायां चाऽपि न तद्ग्रहः ॥२७०२॥

दोनों (खानगी और सार्वजनिक) न्यासों में दूसरा भेद नहीं जानना चाहिए। इसी लिए कुदुम्ब के देवता के लिए न्यास किया हुवा धन भी, यहाँ पर, अनिवार्यता न होने से नष्ट (alienate) नहीं किया जा सकता और सेवापत्ति पर के कर्जे की दिशी में भी नहीं लिया जाता।

कौटुम्बिकाय देवाय यत्र दक्षं धनं पुनः ।

कियते लौकिकाऽर्थाय तत्र संमतिरिप्यते ॥२७०३॥

सर्वेषामेव वंशानां ख्रीपुं सानां तु निश्चिता ।

यतः सर्वेऽपि ते तस्या मूर्तेः पूजाजुरागिणः ॥२७०४॥

फिर जहाँ पर कुदुम्ब के देवता के लिए दिया धन (endowment) लौकिक (secular) काम के लिए करा जाय, वहाँ पर कुदुम्ब के सारे ही ख्री-पुरुषों की निश्चित संमति की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे सब दस मूर्ति की पूजा के प्रेमी (interested) होते हैं।

धर्मन्यासविधानं तु खनेश्वाऽङ्गधराव्दगम् ।

व्यक्तिगो धार्मिके न्यासे न प्रयोज्यं मतं वुच्ये ॥२७०५॥

विद्वानों ने वि. स. १८२० (ह० सं. १८६३) का धर्मन्यास का कानून (The Religious Endowment Act 1863) व्यक्तिगत धार्मिक न्यास (private endowment) में प्रयोग करने लायक नहीं माना है।

कारयित्वा गृहाद् भिन्नं मन्दिरं दानमण्ठिम् ।

पूर्णस्वाम्येन लोकाश्चाज्ञुहाता दर्शनाऽर्थिनः ॥२७०६॥

निर्वायं यत्र तत्सर्वजनीनं मन्दिरं मतम् ।

न तद्यक्षिणतं तत्र समाधेष्वपि योगतः ॥२७०७॥

जहा (आने) घर से भिन्न मन्दिर बनवाकर पूर्णपिकार कहित दान दिया हो और दर्शन की इच्छावाले लोगों को रिता रोक के अनुमति दी हो, उसे सार्व-जनिक मन्दिर माना है । वहां पर (जिसी सन्त थी) समाधि के होने पर भी वह व्यक्तिगत (मन्दिर) नहीं होता ।

मठाः सर्वजनीनाः स्युः साधारण्येन, ते परम् ।

निर्मातुरिच्छया इयेषा क्षितिदृष्ट्यक्षिणता अपि ॥२७०८॥

साधारण तौर से मठ सर्वजनिक होते हैं । परन्तु बनावाले की दच्छा से उन्हें कहाँ-कहीं व्यक्तिगत भी बनाना चाहिए (आर्याद-कहीं-कहीं वे व्यक्तिगत भी होते हैं) ।

विशिष्टसंप्रदायाऽर्थं निर्मिते मन्दिरे जनाः ।

पूजार्थं नैव शक्ताः स्युस्तद्विज्ञमतमाध्युवम् ॥२७०९॥

स्वाम संप्रदाय के लिए बनाये मन्दिर में उससे भिन्न मन के अनुशाशी लोग, निवाय हो, पूजा के लिए सर्वजनीनहीं होते (पूजा नहीं कर सकते) ।

भार्गारथ्यवेशाय शुद्धं वेद् मन्दिरे भवेत् ।

तंदमान्यममान्याश्च तद्गृहे निषमास्तु ये ॥२७१०॥

यदि मन्दिर में देवमूर्ति के पास जाने के लिए कर (fee) हो, तो वह अमान्य होता है और उसके विषय के, जो धानूत काथरे होते हैं ये भी अमान्य होते हैं ।

नित्यपट्टो मठेष्वेन दत्तश्चेद् मठसंपदः ।

स्वैरमयाऽन्यकायैस्यो न्याय्याऽउद्यक्षतामृते ॥२७११॥

सदुक्तरो मठाधीश आमीत्तमूल्यासरात् ।

फोतारं द्वादशाब्दान्तमभियोक्तु त्वामः पुरा ॥२७१२॥

यावज्जीवं यनः शक्तः पट्टवाने मठाऽधिष्ठिः ।

अतस्तस्य मृती कोताऽनधिकाराऽधिकारयान् ॥२७१३॥

यदि महत ने याने इच्छा है, विश न्याय आवश्यकता (legal necessity) है (ही), अन्य कर्तों के लिए उठ की संपति का पाश के लिए पटा (permanent lease) दे दिया हो, तो वहने समय में, उसके पाद होने गाजा मद्दत उसके मरने के दिन ही पाद कर्त खीझेवाले (पटा सेनेवाले) १८ सुम्भा चता उड़ता था । क्योंकि मद्दत असे जोने तक पटा (lease) दे में एवर्ध होता है,

धर्मार्थिकाया दानाऽर्थिकायाश्च वृत्तेः प्रतिष्ठापनम् । ३६५

इसलिए खरीदनेवाला उसके मरने पर विना अविकार के अविकार (adverse possession) वाला होता है ।

परं चेत्सोऽपि तत्पृष्ठमङ्गीकुर्यात्तदा ज्ञामः ।

द्वादशाब्दं तु तच्छिष्यो गुरोरन्तेऽभियुक्तये ॥२७१४॥

परन्तु यदि वह (नया महन्त) भी उस (नित्य के) पटे को अद्वीकार करते हों तो उसका शिष्य, गुरु के मरने पर, बारह वर्ष स तक मुकदमा चला सकता है ।

सेवायत्तमेशाभ्यां न्याय्याऽवश्यकतां विना ।

विहितं हि समुद्धर्तुं मृण संप्राप्य शासनम् ॥२७१५॥

विकीर्ता देवसंपत्तिश्चेतद् भावीपदाऽधिपः ।

द्वादशाऽब्दं समर्थोऽभूतप्रत्यादानाऽभियुक्तये ॥२७१६॥

सेवायत्त या महन्त द्वारा न्याय्य आवश्यकता के विना किए हुए कर्म को बसूल करने के लिए डिग्री प्राप्त कर देवता वी संपत्ति बेचती गई हो, तो आगे उस पद पर बैठनेवाला (अर्थात्-उनका शिष्य) बारह वर्ष तक (उसको) फ्रिसे प्राप्त करने के लिए मुकदमा चला सकता था ।

द्वादशाब्दयास्तु समयः संख्येयो विद्युधैरिद्व ।

विकायस्य दिनादेव नाऽधर्मणस्य मृत्युतः ॥२७१७॥

द्विजानो द्वारा यहाँ (उपर्युक्त स्थान) पर बारह वर्ष का समय बेचने के दिन से ही गिनना चाहिए कर्ता बरेवाले वी मृत्यु से नहीं ।

विकीर्ता देवभूमिस्तु सेवायत्तेन घाऽथवा ।

मठेशेन स्वयं यत्र न्याय्याऽवश्यकतां विना ॥२७१८॥

तत्राऽपि द्वादशाब्दानां समयो विकायदृतः ।

विक्रेतुर्मरणादाऽसौ विज्ञातो ह्यभियुक्तये ॥२७१९॥

जहाँ पर सेवायत्त ने अथवा महन्त ने सुन्दरी विना न्याय्य आवश्यकता के देवता वी भूमि बेच दी हो, वहाँ पर भी मुकदमा चलाने का बारह वर्ष का समय, बेचने के दिन से ही, माना गया है, बेचनेवाले के मरने से यह (समय) नहीं माना है ।

यत्र संपत्तियुक्तस्य मठस्याऽर्पणपत्रके ।

समाविष्टा भवेद्द्वूमिस्तद्गाम, लेखः स निष्कलः ॥२७२०॥

दानाद्वादेव तत्र स्यादभियोगे ज्ञामो जनः ।

मठेशस्य मृत्यौ किन्तु मठाऽर्थाऽथस्य विक्रये ॥२७२१॥

जहाँ संपत्ति सहित मठ के दान-पत्र में उस (मठ) वी भूमि (भी) साथ जोड़ दी हो, वह लेख निष्कल (अमान्य) होता है और यहाँ पर पुण्ड (इच्छादार) दान (देने) के दिन से ही मुकदमा चलाने में समर्थ होता है । परन्तु मठ

की संपत्ति के (बुल) भाग को बेचने पर महन्त की मृत्यु से समर्थ होता है ।

धर्मन्यासो मठाऽर्थं च मन्दिराऽर्थं छतः पुरा ।

भिजः साधारणान्यासादासीन्यायेन निधितः ॥२७२२॥

मठ के लिए या मन्दिर के लिए किया धार्मिक न्यास (endowment)
वहते सापारण न्यास (trust) से भिज, न्याय से निधित, था ।

मठाधीशस्तथा सेवासकोऽप्यासीत्पृथक् पुनः ।

न्यासदत्ताऽधिकारात् रक्षकाद् न्याससंपदः ॥२७२३॥

महन्त और सेवायत भी न्यास (trust) में दिया गया है अधिकार जिसकी
ऐसे न्यास (trust) की संपत्ति के रक्षक (trustee) से जुड़ा था ।

उन दोनों परन्तु :

का न्यासत्व (द्रस्ट पन) और रक्षकत्व (द्रस्टीगन) होता था । (अर्थात् वही
पर वह पन द्रस्ट होता था और पानेवाला सेवायत या महन्त उसका द्रस्टी
होता था ।)

पदष्ठनवचन्द्राऽव्दे परिशोध्य पुरातनम् ।

वाणतु विधिचन्द्राव्यपरिच्छित्तिविधानकम् ॥२७२५॥

धर्माऽर्थस्य समावेशः न्यास एव छतः पुनः ।

रक्षकत्वं च निर्णीतिं सेवापत्तमठेशयोः ॥२७२६॥

(विक्रम संवत्) १६८६ (ई० सं० १६२६) में (विक्रम संवत्) १६६५
(ई० सं० १६०८) के मर्यादा के कानून (The Indian Limitation Act:
1908) का संशोधन (amendment) करके धार्मिक पन (religious or
charitable endowment) का समावेश न्यास (trust) में ही करदिया और
हिते केवायन और महन्त का (उसका) रक्षक (trustee) होना (भी) निर्णीत
(तय) कर दिया है ।

ज्ञानाहादू द्रादशान्दान्तोऽभियुक्तयै निधितोऽवधिः ।

दानधर्मार्थदिक्षेष्वित्यतायां स्थिरसंपदि ॥२७२७॥

सृतायां परसाक्षामदेत्ये रक्षकेण तु ।

यितार्थिकोऽवधिधाऽर्थ सैव स्यादस्थिरा यदि ॥२७२८॥

रक्षक (manager) द्वारा लाभ के लिए (for valuable consider-
ation), दान और धर्म न्यास (charitable or religious endowment)
में रही स्थिर संपत्ति के दूसरे के अधिकार में दे देने पर, मालूम होने के दिन से
बारद वर्ष तक मुफ्तमें के लिए अवधि निधित ही है, और यदि वही (दूसरे के

धर्माऽर्थिकाया दानाऽर्थिकायाऽन्व वृत्तेः प्रतिष्ठापनम् । ३६७

अधिकार में दी गई संपत्ति) अस्थिर हो, तो तीन वर्ष की अवधि मानी है ।

धर्म्यन्यासगतायास्तु स्थिरायाः संपदः स्वयम् ।

पूर्वाऽधिकारिणाऽन्यस्मै लाभार्थं हि समर्पिते ॥२७२९॥

स्वाम्ये तत्पुनरादत्त्यै समयो द्वादशाविदकः ।

प्रदातुरुरण्णात्यागात्तथा निष्कासनात् पुनः ॥२७३०॥

धार्मिक न्यास (religious or charitable endowment) में की स्थिर संपत्ति के अधिकार को दुसरे के अधिकारी द्वारा, लाभ के लिए, दूसरे को सौंप देने पर उसके वापस लेने के लिए, देनेवाले के मरने से, त्यागपत्र देने (resignation) से या निकाल दिये जाने (removal) से बारह वर्ष तक का समय निश्चित किया है । (अर्थात्-उस समय के भीतर ही मुकद्दमा चलाना चाहिए) ।

अस्थिरा सा भवेद्यत्र तत्र तस्याः कृते कृतः ।

अभियोगाऽवधिनूनं न्यायमान्यलियार्पिकः ॥२७३१॥

जहाँ पर वह (उपर्युक्त प्रकार से दी हुई संपत्ति) चल हो, वहाँ पर उसके लिए कानून से मानी हुई मुकद्दमे की अवधि तीन वर्ष की है । (अर्थात्-ऐसे स्थान पर अधिकार को दूसरे को देनेवाले के मरने से, त्यागपत्र देने से या निकाले जाने से तीन वर्ष के भीतर अभियोग चलाना होता है) ।

पूर्वद्वयेऽभियुक्त्यै स्यादनुरक्तो जनः चमः ।

परद्वयेऽर्पकस्यैवोत्तरस्तत्पदभाजनम् ॥२७३२॥

पहले दो स्थानों पर (अर्थात्-प्रबन्धक द्वारा स्थिर और अस्थिर संपत्ति का अधिकार दूसरे को देने पर) मुकद्दमा चलाने के लिए (कोई भी) अनुरक्त (interested) पुरुष समर्थ हो सकता है और विद्वाने दो स्थानों पर (अर्थात्-पुराने प्रबन्धक द्वारा दूसरे को दिये स्थिर और अस्थिर संपत्ति के अधिकार को वापस लेने के लिए) मुकद्दमा चलाने में देनेवाले के बाद का उस पद का उत्तराधिकारी ही समर्थ होता है ।

अनेनैव विधानेन दत्तपट्टाद्विमोच्यते ।

संपत्तिद्वादशाव्दान्तं धर्मन्यासगता पुनः ॥२७३३॥

विनिर्गतेऽवधौ न स्याद् विद्यमानो मठाधिपः ।

तामुद्धतुं चमः किन्तु निश्चिताऽर्थग्रहे प्रभुः ॥२७३४॥

इसी (Limitation Act) से धार्मिक न्यास (religious endowment) में की संपत्ति दिये हुए पटे (lease) से, बारह वर्ष तक हुआई जाती है । अवधि के निकल जाने पर विद्यमान (अर्थात्-जिसने बारह वर्ष तक संपत्ति को

यापस लेने के लिए प्रदान न किया हो रहा) महन्त उसको नहीं छुड़वा सकता । पल्तु वह (पहुँच में) निधित किये घन को लेने में समर्प होता है ।

सेवायत्तो मठेशो वा याहये दूरीकियेत चेत् ।

स्वपदात्तहि शकः सोऽभियुत्यै तदिनात्किल ॥२७२५॥

द्वादशावद्मयो इयव्यं वायः स्थ्यप्राप्तिः पुनः ।

तयोर्दीयतरः कालो यो भवेत्तदवध्युत ॥२७२६॥

यदि सेवायत्त या महन्त बचपन में अरने पद से दूर कर दिया जाय, तो वह निधित रुप से उसी दिन से बारह वर्ष तक या बालिग होने से तीन वर्ष तक छुड़वा उन दोनों में से जो समय लम्बा हो उससी समाप्ति तक मुक्तमा चलाने में समर्थ होता है ।

आजीवाऽसाऽधिकारे तु सेवायत्ते मृते यदि ।

तद्वायादैहि संगत्तिर्धर्म्याऽधिकियते तदा ॥२७२७॥

न्यासप्रवर्तकस्याऽलं दायादा अभियुक्तये ।

मृत्युतो द्वादशाऽज्ञन्तं सेवायत्तस्य निधितम् ॥२७२८॥

अरने जीवन पर्यन्त के लिए पाये हुए अधिकारवाते सेवायत्त के मरने पर यदि धार्मिक संगति उसके इच्छाये द्वारा कब्जे में करली जाय, तो (उस) न्यास (endowment) को प्रचलित करनेवाले (founder) के उत्तराधिकारी, सेवायत्त के मरने से बारह वर्ष तक, निधित रुप से, मुक्तमा चला सकते हैं ।

विद्यथ्याऽभियोक्त्राऽन्न तत्पूर्याऽधिकृतेन च ।

पारमर्यपदं कोऽपि स्यात्मसात्कुरुतेऽप्तः ॥२७२९॥

अवधिस्त्वभियोगाय तदिनाद् द्वादशाऽधिकः ।

उद्धारयेऽपदस्याऽन्न नूनं न्यायविनिधितः ॥२७३०॥

यद्या पर मुक्तमा चरानेवाते से या उसके पदते के अधिकारी से विरोध करते परम्परा से (hereditary) चले आनेवाले पद (office) को, कोई दूसरा कब्जे में घर ले (तो) ऐसे स्यान पर पद को छुड़वाने के बास्ते मुक्तमा चलाने की अवधि वह (कब्जा घरने के) दिन से बारह वर्ष तक, निधितरुप से, न्याय से, निधित है ।

यज्ञमानीयकृत्यास्तु पैतृया याऽन्नाऽधिकारिता ।

सा पैतृकस्थिराऽर्यस्य स्वाम्पवधिं मता सुधैः ॥२७३१॥

यद्या पर पैतृक (यारन्दादो से आनेवाली) यज्ञमान पृति का जो अधिकार वह विद्वानों ने पैतृक अवश्य घन के अधिकार के रामान माना है ।

२२ विवाहः ।

पिता पिताभ्यो भ्राता सकुल्यो जननी तथा ।

कन्याप्रदः पूर्वनाशे प्रयतिस्थः परः परः ॥ (६३) ॥

अप्रयच्छन्नवाप्नोति अण्डहत्यामृतावृतौ ।

दात्रभावे विवाहादं कन्या कुर्यात्स्वयं वरम् ॥ (६४) ॥

(याज्ञवल्क्यः ।)

पिता, दादा, भाई, सकुल्य (एक कुल का) या भाता पहले के मरने पर, स्वस्य चितवाला, दूसरा-दूसरा कन्या देनेवाला होता है । कन्या को नहीं देता हुआ (वह अविकारी उसके) प्रत्येक अस्तु काल (her courses) में गर्भ-हत्या का अपराधी होता है । देनेवालों के न होने पर कन्या छुट शादी के बोग्य वर को छलते । (यह याज्ञवल्क्य का वचन है ।)

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥

(मनुस्मृतिः; अध्यायः ३, श्लोकः ५ ।)

जो माता की सपिण्डा न हो और जो पिता के गोत्र की न हो, वह जी ब्राह्मण, चत्रिय और वैश्यों के अग्निहोत्र आदि के काम में और सन्तानोत्पत्ति में प्रशंसित मानी गई है । (यह मनु का वचन है ।)

सपिण्डता तु पुरुषे साप्तमे विनिवर्तते ।

समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥

(मनुस्मृतिः; अ० ५, श्लो० ६० ।)

सातवीं पीढ़ी में सपिण्ड पन दूर हो जाता है और जन्म और नाम के अज्ञात हो जाने पर (अर्थात्-कुल में इतना दूर हो जाने पर कि जिससे जन्म और नाम का पता ही न चले) समानोदकता दूर हो जाती है । (यह भी मनु का वचन है ।)

स्मृतिशास्त्राऽनुसारेण विवाहस्त्वार्यजातिषु ।

धर्मकृत्यकृते धर्म्यः संयोगो विवृथैर्मतः ॥७४२॥

विद्वानो ने आर्य जातियों में विवाह को स्वृतिशास्त्रों के अनुसार धार्मिक कामों (अग्निहोत्र, आदि—religious duties) के लिए धार्मिक संयोग (holy union) माना है ।

जायापतिष्ठताद् भित्रः समयात् संयतस्ततः ।

द्वयोरेकतरस्याऽत्र यात्ये जातोऽपि निश्चितः ॥७४३॥

क्योंकि वह एकी और पति के किये बारे (contract) से भिन्न है, इसलिए, यहाँ पर, उन दोनों में से एक के बचपन (minority) में होने पर भी निश्चित ही रहता है । (अमान्य सही होता) ।

संपाद्यते विवाहोऽयं पितृभ्यामार्येसन्ततेः ।

धधूचरौ क्षमौ सत्र नोपयोक्तु निजं मतम् ॥२७४४॥

आर्यो (हिन्दुओ) की सन्तान का यह विवाह माता-पिता द्वारा किया जाता है । पर्नी और शति उसमें आगे मत का उपयोग करने में समर्थ नहीं होते ।

यत्प विक्षिप्तचित्तस्य विद्याद्वा नैय संमतः ।

बलाच्छ्वलाद्वा विहृत उद्घाहोऽपि तथा पुनः ॥२७४५॥

परन्तु पागल का विवाह थीक नहीं माना है । और अवरदस्ती और धोये, से किया विवाह भी बैसा (अमान्य) ही होता है ।

महाराष्ट्रीयसर्वोदयन्यायालयमतेन तु ।

विद्याद्वा दशमो धर्मसंस्कारः कल्यगुद्धये ॥२७४६॥

महाराष्ट्र (बंडई) की हाइकोर्ट के मत से विवाह, शरीर की शुद्धि के लिए, दसवीं संस्कार मत है ।

द्वायिडेनाऽपि सर्वोदयन्यायालयमतेन सः ।

जन्माऽसदोपनाशाय संस्कारो दशमो मतः ॥२७४७॥

मदास हाइकोर्ट के मत से भी वह (विवाह) जन्म से आये दोषों के नाश के लिए दसवीं संस्कार माना गया है ।

पद्मष्टनव्यभूयै निर्मायैकं विधानकम् ।

वाल्योद्वाहनिपेत्योऽत्र छत्रो नव्यमताऽनुगैः ॥२७४८॥

विवाह संकर १९८१ (ई० सं० १९२३) में एक नया कानून (Child Marriage Act) एकाकर नवीन मत के अनुयादियों ने यहाँ पर आल-विवाह का नियंत्रण कर दिया है ।

अप्रादशाऽवृक्षं वाल्यं पुंसां तत्र प्रकीर्तिम् ।

चतुर्दशाऽवृक्षं खीरां विद्यादायं पुनर्मैतम् ॥२७४९॥

वही पर (उस कानून में) पुलशों का अनुवाह वर्ष तक का व्यवपन करा है और दिवियों के विवाह के लिये चौदह वर्ष का (बचपन) माना है ।

घरपत्योस्तु वितरौ रक्षकाध्य वरः स्थयम् ।

वाल्योद्वाहेन संयदा दण्डाऽद्वीं अपि चोदिताः ॥२७५०॥

यात्र-विवाह से संबन्ध रखने वाले परिवार पर्नी के माता-पिता, रक्षक (guardians) और उर वर को दण्डशाने कायक भी बतलाया है ।

किन्तु तेन विधानेन वाल्योद्वाहस्य मान्यता ।

अपृथ्येष्व स्थिताऽयाऽपि स्मृत्याऽच्यराऽनुमोदनात् ॥२७५१॥

परन्तु उस कानून से (भी) यात्र-विवाह की मान्यता, स्थृतियों के रिशाज से मानी दृढ़ होने वे, आज भी अवर्तित (unaffected) ही हैं ।

विवाहा अष्टधा प्रोक्ताः स्मृतिशास्त्रेषु, तेषु च ।

चत्यारोऽनुमता अन्ये चत्यारोऽननुमोदिताः ॥२७५२॥

स्मृतिशास्त्रों में विवाह आठ प्रकार के कहे हैं और उनमें से चार माने हुए तथा दूसरे चार नहीं माने हुए (unapproved) हैं ।

द्वावेदाऽनुमतौ किन्तु द्वावेदावद्यार्यजातिषु ।

द्वाहो छातुमतेष्वेवमासुरस्त्वपरेषु च ॥२७५३॥

परन्तु आर्य जातियों (हिन्दुओं) में आज-कल दो (विवाह) ही माने गये हैं । माने हुओं में ब्राह्मण विवाह, और दूसरों (नहीं माने हुओं) में आमुर विवाह ।

पित्रा वा रक्षकैरन्यैः शुल्काऽदान विनैव तु ।

विवाहे दीयते कन्या यत्र द्वाहस्तु स स्मृतः ॥२७५४॥

जहाँ पिता या दूसरे रक्षकों (guardians) द्वारा विना शुल्क (कन्या के एकजाने का धन) लिये ही विवाह में कन्या दी जाय, वह ब्राह्मण विवाह माना गया है ।

शुल्कमादाय दीयेत द्वाहेण विधिनाऽपि चेत् ।

कन्या तद्वारासुरोद्वाहः स मतो विवुधैरिद्ध ॥२७५५॥

यदि शुल्क (धन) लेकर ब्राह्मण विवाह की विधि से भी कन्या दी जाय, तो भी विद्वानों ने, यहाँ पर, उसे आमुर विवाह माना है ।

शुल्केनैव भवेद्द्वे दो द्वाहाऽसुरविवाहयोः ।

द्वाहस्तस्याऽनुपादानादुपादानात्थाऽसुरः ॥२७५६॥

ब्राह्मण और आमुर विवाहों का शुल्क से ही भेद होता है । उस (शुल्क-धन) के नहीं लेने से ब्राह्मण और लेने से आमुर (विवाह) होता है ।

भार्यायै तज्जनन्यै वा मानदर्शनदेतये ।

दत्तेन प्राभृतेनैव नाऽसुरः स मतः परम् ॥२७५७॥

परन्तु आमनो खीं या उसकी माता को, आदर सूचित करने के लिए दिये उपहार से ही वह आमुर विवाह नहीं माना गया है ।

द्रासु फल्योपद्वारः स्याद् यायर्थ्येन चरतय हि ।

आसुरे विक्यस्तस्या मूल्याऽदानेन निधितः ॥२७५८॥

ब्राह्मण विवाह में वास्तविकता से, वर के लिए कन्या की भेट (gift) होती है । आमुर में मूल्य (कीमत) लेने दे, निधिय ही, उस (कन्या) की विकी होती है ।

तन्मूल्यं शुल्कमित्याहुः कन्यातात्धनं च तत् ।

पूर्वमासीत्तरः कन्याविक्रयो निन्दितो यदा ॥२७५९॥

तदानीमभवत्यकन्यायाः खीधनं परम् ।

देशिष्यात्तन्मूल्तौ तस्या ज्ञातुमातुश्च तद्देवेत् ॥२७६०॥

उस मूल्य (क्षीमत) को शुल्क कहा है और वह पद्धते कन्या के प्रिता का पन्हे होता था । उसके बाद जब कन्या का वेचना तुरा मानलिया गया, तब वह (शुल्क) कन्या का छी पन्हे दी गया । परन्तु (अग्नी) विशिष्टता के कारण वह (पन्हे) उस (कन्या) के परन्ते पर उस (कन्या) के भाई और मा का हो जाता है । (देखो श्लोक ५५६-५०३)

चातुर्यश्चेण समुत्पद्मा हिन्दवोऽतः क्षमा मताः ।

द्वाष्टाऽऽसुरविवाहेषु घोदुमेकेन कन्यकाम् ॥२७६१॥

इसलिए चार वर्णों में उत्तम हुर हिन्दू, ब्राह्म और आसुर विवाही में से एक से कन्या के साथ विवाह करने से समर्थ माने गये हैं ।

३, ।)

जिस (विवाह) में भी शाश्वत के अनुसार कर्ता और ग्राहकों सहित कन्या दी जाती है, वह आधार विवाह कहाता है ।

गोयुर्गोवत्तुपक्षं धा यदादादाय दीयते ।

कन्याऽऽर्थः सोऽन्न विक्षेय आसुरोऽति धनप्रदात् ॥ ८ ॥

यह से एक जीवी बैल (या गाय) या दो जीवी बैल (या गाय) लेकर कन्या दी जाती है, उसे दहो पर आर्य (विवाह) और वर से बहुत सा पन्ह (शुल्क) लेकर कन्या दी जाती है, उसे आसुर विवाह जानना चाहिए ।

मिथोजातप्रणययोर्पूर्वोर्पस्तु यदृच्छया ।

विवाहः कामसंजातो गान्धर्वः स निगदयते ॥ ९ ॥

अग्नी इष्टा से आपम ये एक-दूसरे के साथ प्रेम करनेवाले युक्त और युक्ती का जो वामेच्छा से हुमा विवाह है, वह गान्धर्व-विवाह कहाता है ।

मातापित्रोर्योऽनुयतः संयोगो धरकन्ययोः ॥

प्राजापरयस्तु स प्रीको हठाद् यूनस्तु राक्षसः ॥ १० ॥

यह और कन्या का आवध का जो संघेय (गान्धर्व-विवाह) माता और पिता से भी पक्षिय हो, वह प्राजापर विवाह कहा जाता है । युक्त यी लड़दस्ती (forcible capture) से हुमा राक्षस विवाह कहाता है । (गान्धर्व विवाह वर-कर्ता के आवध में सभ अकर्ता (mutual contract) से माना जाता है । उसमें माता-पिता यी अनुमति (consent) यी आवधका मही होती । प्राजापर ये विवाह की अनुमति आवध होती है । परन्तु इसमें ब्राह्म विवाह यी कियाज्ञो यी, आवधता नहीं होती ।)

श्रुतियज्ञे कन्यकादानं दैयो द्योयः शुरात्मनः ।

यस्तात्कारेण पैशाचो विवाहेष्वधमऽधिमः ॥ ११॥ विश्वेऽग्न०३, ।

यश करनेवाले ब्राह्मण को कन्या देना पुराने समय का दैव विवाह है । घटा-स्त्राक [सोती हुई या मरी में रही कन्या के कौमार्य को बलपूर्वक नष्ट करने] से, विवाहों में सब से अथम (व्याप), पैशाच विवाह होता है ।

(ये श्लोक विश्वेश्वरस्मृति के तीसरे अध्याय के हैं ।)

ग्राहो मान्येषु विप्रेभ्यो द्विजेभ्यो धाऽभवत् पुरा ।

प्राजापत्याऽर्थं दैवास्तु नाऽद्य मान्या मता तुयैः ॥२७६२॥

पहले मान्य विवाहों में ग्राह विवाह ब्राह्मणों के लिए या ब्राह्मण, चत्रिय और पैशयों के लिए या । विदानों ने प्राजापत्य, आर्य और दैव (विवाह) आज कल मान्य नहीं माने हैं ।

क्षत्रियेभ्यस्त्वमान्येषु गान्धर्वश्याऽथ रात्सः ।

आसुरो वैश्यशूद्राभ्यां पैशाचस्तु विनिन्दितः ॥२७६३॥

अमान्यों में गान्धर्व और रात्स विवाह क्षत्रियों के लिए, आसुर विवाह पैशयों और शूद्रों के लिए या और पैशाच विवाह (उभ के लिए) निन्दित था ।

गान्धर्वाण्यमे कन्याऽवयःस्या त्वद्भामा मता ।

कन्योद्वादो वराऽस्त्रेण संमतो विष्यनुष्ठितः ॥२७६४॥

भावालिंग कन्या गान्धर्व विवाह में असमर्थ मानी गई है । वरके शत्रु के साथ कन्या का विवाह शाश्रोह विधि से किया हुआ ही माना है । (अर्यात्-उसमें भी ब्राह्मण विवाह की विधि का होना आवश्यक होता है) ।

आसुरेसाधिते सम्यग् ग्राह पवार्ष मन्यते ।

न्यायालयैरपयमः शद्रेष्वपि सुनिष्ठितम् ॥२७६५॥

आसुर विवाह की ठीक तौर से सिद्धि न की गई हो तो न्यायालयों द्वारा शूद्रों के विषय में भी, यहां पर, निष्ठित हंस से, ब्राह्मण विवाह ही माना जाता है । (अर्यात्-साधारणतया सब का ब्राह्मण विवाह होना ही माना जाता है । आसुर विवाह के लिए उसका सिद्ध करना आवश्यक होता है ।)

नार्यां इहाऽनपत्याया ग्राहोदाया मृतौ वज्रेत् ।

जीघनं तु पति तस्य दायादांश्च पुनः क्रमात् ॥२७६६॥

यहां पर ब्राह्मण विवाह द्वारा व्याही हुई निःसन्तान जी की मृत्यु पर (उसका) जी-धन (उसके) पति को और छिर कम से उस (पति) के हक्कारों को मिलता है ।

अपत्यरद्वितायाश्याऽसुरोदाया मृतौ क्रमात् ।

स्नातरं मातरं तातं दायादांश्चास्य तद् वज्रेत् ॥२७६७॥

और आसुर विवाह द्वारा व्याही हुई निःसन्तान जी के मरने पर (उसका)

घटा (घी-घन) भाई को माता को, पिता को और उम (पिता) के हच्छारों को उम से मिलता है ।

भार्या सत्यामपीद्वाऽप्यो योदुःशक्तोऽपरं स्थियम् ।

यथेच्छं तत्कृते भार्या संख्यादाधा न विद्यते ॥२७६३॥

यहाँ पर खी के मौजूद होने पर भी आर्य (हिन्दू) दूसरी ली से इच्छानुसार विवाह कर सकता है । उसके लिए पत्रियों की गिनती की बाधा नहीं है ।

नारी तु न द्वामा कर्तुः भर्तारभपरं परम् ।

जीवत्याद्ये न विच्छेदो विवाहस्य शतो यदि ॥२७६४॥

परन्तु खी यदि विवाह का विच्छेद (divorce) न किया हो, तो आगले (पति) के जीवित होने पर दूसरा पति नहीं कर सकती ।

जगद्मूनिधिचन्द्राऽब्दे निर्मायैकं विधानकम् ।

आर्येषु विध्योद्वादो विधानस्वीकृतः रुतः ॥२७६५॥

विषम संवत्-११२३ (१० सं० १८५६) में एक कानून बनाकर आर्यों (हिन्दुओं) में विवाह-विवाह कानून से मान्य कर दिया गया है ।

विषम संवत्-११२३ में एक कानून बनाकर आर्यों (हिन्दुओं) में विवाह-विवाह कानून से मान्य कर दिया गया है ।

१. किसे

संपति में

उसके मालिकपन के विषय में पहले ही नियम कहे जा चुके हैं । (दिखो श्लोक ११६)

स्मृतिभिर्यैवनात् पूर्वं कन्योद्वादः प्रकीर्तिः ।

कन्यादानाय निष्ठोक्ता रक्षकाश्चाऽनुमोदिताः ॥२७६२॥

मैताक्षरेषु तत्तातस्तदभाषे पितामहः ।

भ्रातरोऽथ पितुर्वश्याः प्रत्यासभाः क्रमात्मसः ॥२७६३॥

यज्ञीयेषु जनन्याः प्राक् तत्तातो भ्रातरस्ततः ।

नियुक्ता अपरे द्येया जनाः पूर्वोक्तव्यत् क्रमात् ॥२७६४॥

स्मृतियों में जबान-होने के पहले ही कन्या का विवाह करना कहा है और वन्यादान (to give a girl in marriage) के लिए नीचे लिखे रखक (guardian) टीक माने हैं:—मिताक्षरा को माननेवालों में उस (कन्या) का पिता ।

उसके अभाव में उस से दादा, भाई, पिता के नजदीक के कुदम्बी (अर्थात्-पहले, नजदीकवाला, उसके अभाव में उसके बादवाला यादि) किर माता । यांगलवालों में माता के पहले उपर (माता) का पिता (नाना), और उसके बाद माता के भाई (माम्) नियुक्त किये गये हैं । बाढ़ी के दोग पहले ली तरह ही कम से

(मानने चाहिए ।

नराणां यौवनात् पूर्वमुद्रादो न प्रकीर्तिः ।

स्मृतिष्यतो न पुरुपास्तत्कृते तत्र सूचिताः ॥२७७५॥

स्मृतियों में पुरुषों का विवाह जवान होने से पूर्व नहीं कहा है । इसीसे उसके लिए वहां पर पुरुष (रक्षक) नहीं घटलाये हैं ।

परन्तु तस्य बाल्येऽपि नोद्रादस्तत्र वर्जितः ।

अतोऽनुमन्तुं तं तस्य न्यायः संरक्षकः क्षमः ॥२७७६॥

परन्तु वहां पर (उन स्मृतियों में) उस (लड़के) का विवाह बाल्य अवस्था में भी वर्जित नहीं किया है । इससे उस (बाल्यावस्था के विवाह) की अनुमति देने में उसका न्याय से माना हुआ रक्षक (Lawful guardian) समर्थ होता है ।

कन्यादानाऽक्षमत्वेन माता यद्यपि वर्जिता ।

विवाहे पितृवंश्येभ्यः पूर्वं नूनं, तथाऽपि सा ॥२७७७॥

पित्रभावे स्वकन्याया यतो न्यायेन रक्षिका ।

अतो ह्यनुमतिस्तस्यास्तत्र त्वाऽवश्यकी मता ॥२७७८॥

कन्यादान नहीं कर सकने से यद्यपि माता विवाह में पिता के कुटुम्बवालों से पहले निश्चित रूप से वर्जित है, तथापि क्यों कि वह, पिता के न होने पर अस्ती कन्या की कानून से रक्षिका है इसलिए उसकी अनुमति (राय) (भी) वहां पर (पिता के न होने की अवस्था में) आवश्यक मानी है ।

यत्रोपहियते कन्या मात्रा तत्राऽपि सा स्वयम् ।

कन्यादानाय पुरुषं नियुक्ते ऽन्यमसंशयम् ॥२७७९॥

जहां कन्या माता द्वारा (विवाह में) दी जाती है, वहां भी वह खुद कन्या का दान करने के लिए, निःसंदेह, दूसरे पुरुष को नियुक्त करती है ।

धरस्य वरणे शक्ता जात्या रक्षकभावतः ।

जननी निजकन्यार्थं सत्यप्यत्र पितामहे ॥२७८०॥

इर्थं पञ्चनदीयेन द्राधिडेन च निश्चितम् ।

मुख्यन्यायालयेनाऽतो नान्न शङ्का मता तु वैः ॥२७८१॥

सभाव से ही रक्षिका (natural guardian) होने से दादा के मौजूदा होने पर भी सहार अपनी कन्या के लिए वहके जुनने में समर्थ होती है-ऐसा लालौर क्षैत्र भी मदास की हाइकोर्ट ने निश्चय कर दिया है । इसलिए विद्वान् लोग इसमें राहा नहीं मानते ।

पितामहां तु जीवन्त्यां यिमाता वरणेऽक्षमा ।

सपंदीजातकन्याऽर्थं वरस्येति मतं परम् ॥२७८२॥

परन्तु दादी की जीवित अवस्था में सौतेली मा अस्ती सौत की लालौर के तिए वह को जुनने में असमर्थ होती है-ऐसा माना गया है ।

सत्स्वद्र वितुपंश्येषु मातृष्ठयस्तु न ज्ञामाः ।
स्वेच्छागा कन्यकां दातुं यरायोपयमे परम् ॥२७३३॥
यत्र पूर्वे निर्येष्येगुर्यत्र धाऽनहृतामियुः ।
तप्राप्ते ज्ञामाः कन्यायिवादे न्यायनो ध्रुवम् ॥२७३४॥

यहीं पर विता के पंश्यताओं के हीने पर माता के बंशवाले अपनी इच्छा से कन्या को विवाह में पर को देने को समर्थ नहीं होते । परन्तु उनीं पहलेवाले (कन्या के विता के बंशज) (कन्या का विवाह करने से) इनकार कर दें या जहो (वे) अद्योग्य हों जावें (disqualifed themselves), वहीं पर दूसरे (माता के बंशवाले) निधन ही न्याय से (उसके) विवाह में समर्थ होने हैं ।

विधया याऽयस्या च मैथुनेनाऽक्षता पुनः ।
पुनर्विधादतः पूर्वं सा पित्राशामयाम् यात् ॥२७३५॥
पितामदस्य या मातुन्येषुमातृथ या क्रमात् ।
मातृणामपरेणां या परेणां पुंकुटुमिनाम् ॥२७३६॥
अभावं एव पूर्येस्य परस्याशाऽनुमोदितु ।

नव्यस्य विधयोद्वादविधेः सहमत्वाद्वके ॥२७३७॥

जो विधवा जातालिय हो और पति के सद्वास में न आई हो, वह दूसरे व्याह से पहले शिता की या क्रम से दादा, माता, वहे माई, दूसरे माई या अन्य कुटुम्बियों की आज्ञा से ले । नवीन विधवा-विवाह के कानून (The Hindu Widow Remarriage Act 1855 A. D.) के सातवें खण्ड (section) से पहले के नहीं होने पर ही दूसरे की आज्ञा मानी गई है ।

अवश्या पव्याऽनुमत्या यो विवाहोऽपान्य एव सः ।

न्यायालयैर्दिघिपुणा यावत्स्याद्वत्ता हि सा ॥२७३८॥

सास की ही अतुमति से जो विवाह हो, वह जब तक वह ही दूसरे पति के सद्वास में न आई हो, तब तक न्यायालयों द्वारा अनान्य होता है । (अर्थात्-खीड़े दूसरे पति के सद्वास में आने के पहले अभियोग चतुर्या जाय, तो न्यायालय ऐसे विवाह की अवाक्य घर तक्ते हैं । परन्तु पति के संसार में आज्ञाने के बाद नहीं घर चक्कते ।)

विधया यौवनस्या या, या या पत्या ज्ञाता पुनः ।

सा शक्ता स्याऽनुमत्यैवाऽपरोद्वादे न संशयः ॥२७३९॥

जो विषवा जान ही या जो पति के सद्वास में आ उम्ही ही, वह अपनी मरनी ही दूसरा विवाह घरने में समर्थ होती है । इसमें संशय नहीं है ।

मैताक्षरेषु यात्याऽन्तं षोडशान्दसामाप्ते ।

यत्यैकाव्यसमाक्षी स्याद् घङ्गीयेषु पुनर्थ सः ॥२७४०॥

मिताक्षरा को माननेवालों में नाबालिगी का अन्त सोलह वर्ष समाप्त करने पर होता है और बंगालवालों में वह पन्द्रह वर्ष की समाप्ति पर होता है ।

द्वित्यद्वेष्ट्राविद्विकवयः प्राप्तिकल्पो न युज्यते ।

आर्येषुपयमे तस्यच्छ्रेदे दत्तग्रहे तथा ॥२७५१॥

विक्रम संवत् १६३२ (इ० सं० १८७५) का बालिग होने का कानून (The Indian Majority Act) आर्यों (हिन्दुओं) में विवाह में, उसके चच्छेद (divorce) में और गोद लेने में प्रयोग नहीं किया जाता ।

पिता मुख्यो मतो लोके कन्यादानाऽधिकारिषु ।

मिथः संवन्धतस्तस्य कर्तव्यं प्रथमं च चत् ॥२७५२॥

अभियुक्तोऽप्यतश्चौयेऽपराधे वाऽपरेऽपि च ।

गार्हस्थ्येन त्वसंवद्दे सोऽधिकारान्न हीयते ॥२७५३॥

जगत्-में कन्यादान करने के अधिकारियों में आपस के संबन्ध के कारण पिता सुख्य माना गया है और उसका वह प्रथम (सुख्य) काम है । इसलिए चोरी में दरिड़त हुआ भी या दूसरे गृहस्थी में संबन्ध न रखनेवाले (not connected with domestic relations) अपराध में दरिड़त हुआ भी वह (उस) अधिकार से नहीं गिरता ।

परं तेन परित्यका यत्र भार्या च कन्यका ।

तत्र माता क्षमा स्वैरं कन्योपयमने स्वयम् ॥२७५४॥

परन्तु जहां पर उस (पिता) ने ही और कन्या को छोड़ दिया हो, वहां माता कन्या का विवाह करने में खुद अपनी इच्छानुसार समर्थ होती है ।

जीवत्यपीढ़ जनके कन्यकोपयमक्षमे ।

कन्योद्वाहस्तु विधिना कृतो मात्रा निजेच्छया ॥२७५५॥

अपृष्ठैव पति, किन्तु यलात्कारोऽथवा छुलम् ।

न स्यात्स्य कृते सोऽन्न मान्यो न्यायालयैरपि ॥२७५६॥

वहां पर कन्या का विवाह करने में समर्थ पिता के जीवित होते हुए भी माता ने, पति को पूछे बिना ही, अपनी इच्छा से, विवि-विभान के साथ कन्या का विवाह कर दिया हो, पान्तु उस (विवाह) के लिए बलात्कार (force) या छुल-कष्ट (fraud) न किया गया हो, तो वह विवाह न्यायालयों से भी मान्य होता है ।

कन्योद्वाहस्तु कर्तव्यं न स्वत्वं रद्धकस्य हि ।

अङ्गीकृतिरतस्तस्य न तत्राऽवश्यकी मता ॥२७५७॥

यद्यपि प्राप्यते भिन्ना संमतिः स्मृतिशाखिणाम् ।

अस्मिन्, तथाऽपि निर्णीतमित्यं न्यायालयाऽधिष्ठैः ॥२७५८॥

यद् विवाहस्तु शास्त्रीयविधिना विद्वितो यदि ।
तर्दि मान्यः, कृनोऽप्यथ रक्षकाऽनुमतिं विना ॥२७६६॥
मिथ्याविज्ञापनेनाऽथ प्राप्य रक्षकसंमतिम् ।
अवमान्याऽथवा न्यायालयाशामपि निधितम् ॥२८००॥

कन्या का विवाह करना रक्षक (guardian) का चर्तव्य (duty) है, अधिकार (right) नहीं। इसलिए उसमें दरक्षी स्वीकृति (consent) आवश्यक नहीं मानी जाती है। यदि इस (विवाह) में स्वति-शाश्र के विदानों की भिज-भिज संमति मिलती है, तरन्तु न्यायालयों के जजों ने ऐसा ही निर्णय किया है कि यदों पर रक्षक (guardian) की संमति के बिना, भूमी सूचना (misrepresentation) द्वारा रक्षक की अनुमति (consent) प्राप्त कर या निधय-संसेने न्यायालय (court) की आज्ञा वी परवा न करके भी किया विवाह, यदि शाश्र वी विधि से किया गया हो, तो मान्य होता है।

विवाहः शास्त्रीत्याऽपि कृतः किन्तु न मन्यते ।

न्यायालयैर्बलाकाराच्छुतादा विहितो यदि ॥२८०१॥
तरन्तु शाश्र वी रीति से किया विवाह भी यदि ब्रह्मदस्ती से या दल-कषट से किया गया हो, तो न्यायालयों द्वारा नहीं माना जाता।

जाते विवाहे मान्याः स्युः पूर्णोक्तं नियमाः परम् ।

वाग्दानं पव संज्ञाते रक्षकस्तु ज्ञानो भवेत् ॥२८०२॥

निषेद्धु मभियोगेनोद्घातं रक्षयजनस्य तु ।

घरेणाऽधात्रियतेनाऽथ वध्वाऽनीप्सितयाऽथवा ॥२८०३॥

रक्षितस्य द्वितायैव रक्षाऽक्षा न्यायकारिभिः ।

देयाऽथ प्रतिवन्याश्रोपयोज्या रक्षकोपरि ॥२८०४॥

पहले कहे नियम विवाह हो जाने पर ही मान्य होते हैं। परन्तु केवल मंगनी (contract of marriage) के ही होने पर रक्षक (guardian)' अभियोग द्वारा (अपनी) रक्षा में रहे हुए (जाप्तं) का विवाह, नहीं चाहे हुए वर के साथ या नहीं जाही हुई कन्या के साथ होना सख्ता है। वह पर ' (उस मामले में) न्यायकरनेवालों को रीति (प्राप्ति) के हित के लिए ही आज्ञा देनी चाहिए और रक्षक के कारण श्रितबन्ध लगाने चाहिए।

चधूवरसाषुपथं मे स्यातामेवकज्ञातिकौ ।

अन्यथा तद्विवाहः स्यादमान्ये नाऽत्र संशयः ॥२८०५॥

विवाह में धू और वर एक-जाति के ही होने चाहिए, नहीं तो विवाह अवाक्य होता है। इसमें बन्देह नहीं है।

प्रथया किन्त्यनुमतः सोऽपि मान्यो भवेद् भ्रुवम् ।

एकजात्युपजात्योस्तूद्वादो मान्यो भवेत्पुनः ॥२८०६॥

परन्तु रिवाज से अनुमत हो, तो वह (भिन्न जातिवालों के बीच का विवाह) भी निधय ही मान्य होता है । फिर एक जाति की दो उप जातियाँ (different sub-divisions of the same caste) में का विवाह मान्य होता है ।

आर्यत्वे संस्कृतो यः स विवाहे शूद्रवन्मतः ।

म्लेच्छधर्मदितो हिन्दूकृतायाः स्यात् स्त्रियास्तु यः ॥२८०७॥

विवाहः शूद्रभर्ता स शूद्रोद्वाहवदावृतः ।

मान्यश्च यदि नान्याभिर्वाधाभिः स हि दूषितः ॥२८०८॥

जिसका हिन्दू धर्म में संस्कार किया गया हो (आर्यात्-जिसे संस्कार करके हिन्दू धर्म में दीक्षित (convert किया हो) वह विवाह के विषय में शूद्र के समान माना गया है । इसलिए म्लेच्छ धर्म से (विवाह के पूर्व ही) हिन्दू बनाई हुई लड़ी का शूद्र पति के साथ जो विवाह होता है, वह शूद्रों के (आपस के) विवाह के समान माना गया है और यदि अन्य प्रकार की रुकावटों से दूषित न हो, तो वह मान्य भी होता है ।

महाराष्ट्रेऽनुलोमास्तूद्वादा मान्याः प्रकीर्तिः ।

तदुत्पनःसुतश्चाऽपि तत्रौरससमो मतः ॥२८०९॥

अतः स दायाचातस्य पितृव्यस्याऽथया पुनः ।

निःसंशयं द्वि लभते भागस्य दशमांशकम् ॥२८१०॥

बंगार्ड प्रदेश में अनुलोम विवाह (जिनमें घर लंचे वर्ण का और कन्या उससे नीचे वर्ण की हो) मान्य कहे हैं । और उन (विवाहों) से उतना हुआ लाइका भी वहाँ पर असती (legitimate) पुत्र के समान माना गया है । इसलिए वह (लाइका) वित्त के अथवा फिर चाचा के दाय से निःसंदेह ही भाग का दसवां हिस्सा पाता है । (आर्यात्-औरस पुत्र को मिलनेवाले भाग का दसवां हिस्सा पाता है) ।

न्यायाचार्यस्तु वहीयैः शूद्रामाहणयोः पुनः ।

जातिवैप्पणवधर्मिष्वेवोद्वादो मान्य ईरितः ॥२८११॥

बंगाल के सबसे बड़े न्यायकर्ताओं (Judges Of The Calcutta High Court) ने शूद्रा ही और माहणा पुरुष का विवाह जाति-वैधतियों में ही मान्य कहा है ।

अनौरसौ यदि स्यातां विवाहौ तु वधूवरौ ।

तयोर्यामाधितो यः स्यात्स तज्जातीयको मतः ॥२८१२॥

यदि विवाह करने लायक ही और पुरुष संतान से भिन्न (illegitimate)

हों, तो उन दोनों में से जो जिसमें आधित (संबन्धित) हो, वह उसी जाति का माना गया है ।

पितुर्हीनतरा जातौ मातुरुचतरा यतः ।

शतोऽनुलोमजाः शास्त्रे सूचिता भित्तिमामभिः ॥२८१३॥

क्योंकि अनुलोमज संतान जाति में निता से हीन और माता से कंची हीती है, इसलिए शास्त्र में निता नाम से सूचित की गई है ।

मूर्धाभिधिकः संजातः कृत्यां ग्राहणतस्तु यः ।

तस्मादेवाऽथ वैश्यायां जातोऽम्बुद्ध उदीरितः ॥२८१४॥

बीचित्रा ली में ब्राह्मण से पैदा हुआ हो, वह मूर्धाभिधिक कहाता है और उसी (ब्राह्मण) से वैश्या में पैदा हुआ अम्बुद्ध कहा गया है ।

शद्रायां ग्राहणाजातः सुतः पारश्वोऽथवा ।

नियाद इति विवरातो नाशा स्मृतिपु निधितम् ॥२८१५॥

शूषा ली में ब्राह्मण से पैदा हुआ लड़का स्मृति-शाश्वों में निषेद्य ही पारश्व वा नियाद इस नाम से प्रेरित है ।

वैश्यायां लक्ष्मियाजातः मादिष्यः स्यात्सुतस्तथा ।

शद्रायां च ततो जातः सुत उग्रः ग्रकीर्तिनः ॥२८१६॥

वैश्या में लक्ष्मि ते ठग लुटा पुत्र मादिष्य हीता है । शूषा ली में लक्ष्मि से पैदा हुआ पुत्र उग्र कहा गया है ।

शद्रायां वैश्यतो जातः करणोऽप्य मतो शुद्धैः ।

ददानन्दाऽनुरोप्येव नियमस्तु न मन्यते ॥२८१७॥

उग्र ली में वैश्य से पैदा हुए ली लिदानों के बहों पर करण माना है । स्तामो ददानन्द के अनुयायियों (आर्यसमाजियों) में यह नियम (section) नहीं माना जाता है ।

मातुः सापिण्डयतो धाऽथ पितुः सागोऽन्यतः पुनः ।

विवाह येऽमतास्तेष्वि मात्याधेत्यथा मताः ॥२८१८॥

किस माता के करिएटों में होने से और निता के गोच में होने से जो विवाह अवान्य माने गये हैं, वे भी दिवाज से माने हुए होने से मानने लायक ही जाते हैं । (अपो-रिकाज से अवान्य होने पर ही ऐसे विवाह अवान्य रहने हैं ।)

शशेष्यनुमितेष्व जाटेषु विद्वितः पुनः ।

प्रथायशाद् वियादो दि सुप्तया श्यशुरस्य तु ॥२८१९॥

करेया मामतः क्षयातोऽमान्य एव मतो शुद्धैः ।

स्मृतिहायामिषद्वर्यादनार्पीयतया तथा ॥२८२०॥

यहाँ पर विद्वानों ने शुद्ध विवाह किये गये (presumed) जातों में प्रया (रिवाज) के कारण किया उत्तेवा नाम से प्रसिद्ध पुत्र-वधु का समूर से विवाह स्मृति-शास्त्रों के विश्व और आर्य नियमों के विश्व होने से अमान्य ही माना है ।

समंगोवाऽथवा तुल्यप्रवरा नोह्यते कनी ।

पुंकमाद्वरवध्योर्यद् भूलैक्यं सातयोस्तयोः ॥२८२१॥

समान गोत्रवाली या समान प्रवरवाली कल्या से व्याह नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन घर और वधु के पिताओं का बुश कम से (in the male line) एक ही मूल पुरुष (common ancestor) होता है ।

प्रयागे तातगोत्रीयं वरमप्युद्देवद्यदि ।

पुनर्विवाहे विधवा ताहि मान्यः स संमतः ॥२८२२॥

प्रत्येति न पितुगांत्रे सा पूर्वेण्ये भूतेऽपि यत् ।

ईटग् विवाहभूलोऽतः पुत्रोऽपि न्यायसंमतः ॥२८२३॥

इलाहाबाद में यदि विवाह पुनर्विवाह में पिता के गोत्रवाले घर के साथ भी विवाह करते, तो वह मान्य माना है; क्योंकि पहले पति के मरणे पर भी, वह पिता के गोत्र में वारस नहीं आती। इसलिए ऐसे विवाह से उत्तम हुआ पुत्र भी न्याय से माना हुआ (legitimate) होता है ।

विधिरेषं तु शुद्धे पु न्यायेनैव विवर्जितः ।

यतस्तेषु स्वगोवस्याऽभावः शास्त्रविनिश्चितः ॥२८२४॥

यह (उपर्युक्त विधवा विवाह की) रीति शर्दों में कानून से ही वर्जित है; क्योंकि उन में अनने (निज के) गोत्र का अभाव शास्त्रों से निषिद्ध है ।

वज्ञे मिताक्षरायां च विवाहस्तु सपिण्डया ।

वर्जितः किन्तु सापिण्डयनिर्णये विभवितस्तयोः ॥२८२५॥

धंगाल में (दाय भाग में) और मिताक्षरा में सपिण्डा छी के साथ विवाह वर्जित है। परन्तु उन दोनों में सपिण्डता के निर्णय में भेद है ।

वज्ञे पु कंमतः सप्तवर्षयेषु पितृतः स्थिता ।

तस्य पद्मभ्यो नुपूर्वेभ्योऽथयोद्धाहा न कन्यका ॥२८२६॥

मातामहस्य वंशयेषु पञ्चस्यत्र स्थिताऽथवा ।

तस्य पुंपूर्वजचतुष्यस्याऽपि तथा मता ॥२८२७॥

धंगाल में पिता से कम से सात पीढ़ी तक की औलाद में रही अवधा उस (पिता) के छह पुरुष पूर्वजों की सात पीढ़ी में रही, कल्या ज्याइने लायक नहीं होती। अवधा नाम की पांच पीढ़ी तक की औलाद में रही या उस (नाम) के चार पुरुष पूर्वजों की पांच पीढ़ी में रही भी देखी ही (अविवाह) मानी गई है ।

स्वदुजानां पितुमांतुः पितुस्तातस्य चा पुनः ।
 पितुमांतुलपुत्राणां सप्तवंशयेषु संस्थिता ॥२८३८॥
 तेषां पत्न्यामुत प्राचां, संवद्धा यैवरेण सा, ।
 सप्तवंशयगता वह्ने उविवाह्या कन्यका मता ॥२८३९॥

पिता की मौसी के पुत्रों की या पिता की पुणी के पुत्रों की अथवा पिता के माता के पुत्रों की औलाद में सात पीढ़ी में रही अथवा उनके क्षह पूर्वजों की, जिनके द्वारा वह वर से संबद्ध (connected) हो, औलाद में सात पीढ़ी तक रही कन्या बंगाल में विवाह करने लायक नहीं होती ।

मातुः पैतृप्यसेयानां मातृस्यसूभ्यां तथा ।
 तथा मातुलजानां च पञ्चवंशयेषु संस्थिता ॥२८३०॥
 तेषां वाऽथ चतुर्थाचां संवद्धा यैवरेण सा ।
 पञ्चवंशस्थिता कन्या वह्ने त्याज्या मता पुनः ॥२८३१॥

किस माता की पुणी के पुत्रों की या माता की मौसी के पुत्रों की अथवा माता के माता के पुत्रों की पाँच पीढ़ी तक की औलाद में रही अथवा उनके चार पूर्वजों की, जिनके द्वारा वह वर से संबद्ध (connected) हो, पांच पीढ़ी में रही कन्या बंगालबाली में विवाह करने योग्य नहीं मानी गई है ।

प्रागुक्तलक्षणाऽप्येता गोत्रव्यन्तरीष्टता ।
 वह्ने पु कन्यका नूनं विवाहपितुमर्ष्टते ॥२८३२॥

बंगाल में पहले कहे लक्षणबाली यह (अविवाह) कन्या भी तीन गोत्र दूर हुई देने हैं (अर्ने से तीन गोत्र दूर हो जाने से—removed by three Gotras) विवाह करने योग्य हो जाती है ।

(च)

(पितृपत्नीयाः
सत्पुत्रपूर्वजाः)

(ग)

(पितृमातृपत्नीयाः
पश्चपुत्रपूर्वजाः)

(घ)

मातृःपितृपत्नीयाः
पश्चपुत्रपूर्वजाः

पिता ७

पिता ५

(न)

पिता ६

पिता ४

पिता ८ (पितृमातृपत्नीयाः :
निपुत्रपूर्वजाः)

पिता ५

पिता ३

पिता ९

पिता ४

पिता २

पिता १०

पिता ३

पिता १

पिता ११

कन्या पिता २

माता २ कन्या पुत्रः

कन्या पिता १२ माता कन्या पुत्रः

(क) पुत्रः
(मित्रपन्तुः)

पिता १

(क) पुत्रः (क) श्रुत्रः (घ) पुत्रः
(पितृपन्तु) (मातृपन्तु)

परः

- (१) कोऽपि पुरुषो रेखालेख्यदर्शितानां (स्वकाराद्विक्रितानां) स्व-
पितृपश्चीयाणां समानां पुरुषपूर्वजानां कर्तमस्याऽपि सप्तर्ष-
श्याऽप्यधिस्थां वन्यां विवोदुं न प्रभवेत् ।
- (२) कोऽपि जनो रेखालेख्यसूचितानां (इकाराद्वितानां) स्व-
मातृपश्चीयाणां पश्चानां पुरुषपूर्वजानां कर्तमस्याऽपि पञ्च-
वंश्याऽप्यधिगतां सुतां नोपयन्तु रागुयात् ।
- (३) कोऽपि नरो रेखालेख्यप्रकटिनानां (फकाराद्वितानां) स्व-
त्रिपितृपन्धूनां कर्तमस्याऽपि सप्तवंश्याऽप्यधिस्थितां तनया नोप-
यन्तुमीप्ते ।
- क (१) स्थितस्य जनस्य मातुः (स्वकाराद्वितानां) पितृ-
पश्चीयाणां पश्चानां पुरुष पूर्वजानां तु प्रथमविवम एव समा-
वेशोऽस्ति । किन्तु क (२) रित्यस्य जनस्य मातुः (गकारा-
द्वितानां) पितृपश्चीयाणां पश्चानां पुरुषपूर्वजानां क (३)
रित्यस्य जनस्य पितृशाप्यस्मिन्नेव समावेशो ह्येयः । गका-
राद्विताः पूर्वोक्ताः पञ्चपुरुषपूर्वजा एव क (४) रित्यस्य
जनस्य पितृपि पञ्चपुरुषपूर्वजा ह्येयाः ।
- (४) कोऽपि मनुष्यो रेखालेख्यव्यक्तानां (घकाराद्वितानां) स्व-
स्य ग्रयाणां सत्तृथन्धूर्ते कर्तमस्याऽपि पञ्चवंश्याऽप्यधिस्थितां
फनीं परणेतुं न समर्थः ।
- घ (१) स्थितस्य जनस्य मातुः (इकाराद्विक्रितानां) पितृ-
पश्चीयाणां उत्तुणां पुरुषपूर्वजानां सु छित्रोयनियम एव
समावेशोऽस्ति । किन्तु घ (२) रित्यस्य जनस्य मातुः (ध-
काराद्विक्रितानां) पितृपश्चीयाणां ग्रयाणां पुरुषपूर्वजानां
घ (३) रित्यस्य जनस्य पितृशाप्यस्मिन्नेव समावेशो ह्येयः ।
गकाराद्विताः पूर्वोक्ताद्ययः पुरुषपूर्वजा एव घ (४)
रित्यस्य जनस्य पितृपि धयः पुरुषपूर्वजा ह्येयाः ।
- (५) योई भी पुरुष नवयो में दियावे ('स' में के) अपने किन् ५८ के
• पुरुष पूर्वजों में से किसी भी यो यात योदी में रही बन्या से विवाह
नहीं कर सकता ।
- (६) योई भी पुरुष नवयो में वक्तावे ('ए' में के) अपने मातु ५९ के
१ पुरुष पूर्वजों में से किसी भी भी योद योदी में रही बन्या से विवाह
नहीं कर सकता ।

(३) कोई भी पुरुष नक्शे में दिये ('क' में के) अपने पितृ-बन्धुओं में से किसी की भी सात पीढ़ी में रही कन्या से विवाह नहीं कर सकता । 'क' (१) पर रहे पुरुष की माता के ('ख' के नीचे दिये) पितृ-पक्ष के पांच पुरुष पूर्वजों का तो पहले नियम में ही समावेश है । परन्तु 'क' (२) पर रहे पुरुष की माता के ('ग' के नीचे दिये) पिता के पक्ष के पांच पुरुष पूर्वजों और 'क' (३) पर रहे पुरुष के पिता का भी इसी में समावेश जानना चाहिए । 'ग' के नीचे दिये पहले कहे पांच पुरुष-पूर्वजों को ही 'क' (३) पर रहे पुरुष के पिता के भी पांच पुरुष-पूर्वज जानने चाहिए ।

(४) कोई भी पुरुष नक्शे में दिये ('घ' में के) अपने मानृ-बन्धुओं में से किसी की भी पांच पीढ़ी में रही कन्या से विवाह नहीं कर सकता । 'घ' (१) पर स्थित पुरुष की माता के ('ह' के नीचे दिये) पितृ-पक्ष के चार पुरुष-पूर्वजों का तो दूसरे नियम में समावेश है । परन्तु 'घ' (२) पर स्थित पुरुष की माता के ('च' के नीचे दिये) पितृ-पक्ष के तीन पुरुष पूर्वजों और 'घ' (३) पर स्थित पुरुष के पिता का भी इसी में समावेश जानना चाहिए । 'च' के नीचे दिये पहले कहे तीन पुरुष-पूर्वजों को ही 'घ' (३) पर रहे पुरुष के पिता के भी तीन पुरुष-पूर्वज जानने चाहिए ।

मिताक्षरामते कन्यां सा विवाहाद्य वर्जिता ।

यतिष्टुः स्वपितृश्चैकं मूलं सप्तजनाऽवधि ॥२८३३॥

निपिळोपयमायात्र सा कन्याऽपि सुनिश्चितम् ।

यन्मातुश्च स्वमातुश्च मूलं पञ्चजनाऽवधि ॥२८३४॥

मिताक्षरा के मत में वह कन्या विवाह के लिए वर्जित है, जिस के पिता का और अपने पिता का मूल (मूल-पुरुष common ancestor) सात पीढ़ी के भीतर हो । यहां पर विवाह के लिए वह कन्या भी, निश्चित-हा से, वर्जित है, जिसके मां का और अपनी भां का मूल (मूल-पुरुष) पांच पीढ़ी के भीतर हो ।

अथवाऽत्र सपिएडत्वाद् विवाहे वर्जिता इमे ।

पितृशाक्षीयपूर्वेषां सप्तानां सप्तवंशजाः ॥२८३५॥

क्रमात् खीद्वारतो वाऽथ पुरुषद्वारतस्तथा ।

मातृवंशीयपूर्वेषां पञ्चानां पञ्चवंशजाः ॥२८३६॥

अथवा सपियह होने से ये (नीचे लिखे लोग) यहां पर विवाह में वर्जित हैं- पिता की शास्त्रा के सात पूर्वजों के खियों के द्वारा या पुरुषों के द्वारा (होनेवाले)

क्षम से सात (पीढ़ी तक के) वंशज और माता के पांच पूर्वजों के पाच (पीढ़ी तक होनेवाले) वंशज ।

जनस्य वंशसंख्याने समानः पूर्द्धस्तथा ।

विवाहाश्च नदो मित्रसंख्यकोऽन्न मतो दुष्टैः ॥२८३७॥

विद्वानों ने पुरुष की पीड़ियों के गिनने में समान पूर्वज (common ancestor) और विवाह करनेवाला पुरुष मित्र-भित्र सहस्रवाले (separate unit) माने हैं । (अर्थात् - वे भी गिने जाते हैं) ।

विवाहस्तु संबन्धो यदुद्वाहे न वाधकः ।

अतो भार्यास्त्वसुः कन्यामुपयन्तु जनः ज्ञानः ॥२८३८॥

पर्याकि विवाह से उत्तम हुआ संबन्ध विवाह में वाधक नहीं होता, इसलिए पुरुष अपनी पत्नी की यहां की कल्पा से विवाह कर सकता है ।

गोत्रप्रवर्तकस्यैव पुंश्यज्ञकुटुम्बके ।

सगोत्रे, नाऽन्न मूलस्य विप्रकृष्टिविचारणा ॥२८३९॥

शोध की चलानेवाले (शुद्धि) के पुरुष वंशजों से उत्तम हुए दो कुटुम्ब गोत्रों (एक गोत्रवाले) होते हैं । यहां पर मूल पुरुष (common ancestor) की दूरी का विचार नहीं किया जाता (अर्थात् - वह चाहे कित्ती पीढ़ी दूर हो, फिर भी उस दूरी का सगोत्री होने पर कोई असर नहीं पहुँचा ।)

गोत्रप्रवर्तकस्यैव पुंश्यज्ञशज्जौ ।

पुंथेणी घेद् मतौ सहिं समानप्रवर्ते पुनः ॥२८४०॥

फिर गोत्र चलानेवाले (शुद्धि) के सीन पुरुष पूर्वजों के वंशज यदि पुरुष भेणी (male line) में हो, तो समान प्रवर (एक प्रवर वाले) माने जाये हैं ।

एहीया नियमस्तव्र खुनन्दनन्तरिणा ।

उद्गादतत्त्वे ध्यात्याता मनूकिं सुविदिच्य हि ॥२८४१॥

यहां पर बंगाल के (विवाह के) नियम खुनन्दन परिवर्तने मनु के कहे (इस प्रकारण के प्रारम्भ में उद्गृह छिपे मनुस्मृति के तीसरे अध्याय के ५ वें श्लोक) द्वे व्याख्या करके 'उद्गादतत्त्व' (नामक पुरुष) में छहे हैं ।

कमलाकरभट्टेन स्वीये निर्णयसिन्धुके ।

पाराणसेयमान्ये त उद्गृहा निधितं पुनः ॥२८४२॥

फिर नियम द्वी कमलाकर मट्ट ने, बनारसवालों से मान्य, आमे निर्णयसिन्धु में बहे उद्गृह दिया है ।

ज्ञें स्तितप्रयोदरर्या त्रिघटद्विमितावृक्षे ।

आर्योदाहः एतो मान्यः केन्द्रीयन्पापंसंसदा ॥२८४३॥ क

विद्वितः स्वीयगोत्रे वा प्रवरे वा निजे पुनः ।

अथान्तरासु वा स्वीय-जातेः शाश्वासु निश्चितम् ॥२८४२॥

वि० सं० २००३ की वार्तिक सुदि १३ (७ नवम्बर १९४६ ई० स०) को
केन्द्रीय घारा सभा ने हिन्दुओं का अपने गोत्र अपने प्रवर या अपनी जाति के
अंतर्गत बर्गों में किया विवाह निश्चय ही मान्य कर लिया है ।

रामाकाशखनेत्राव्दे मुम्याप्रान्ते तु हिन्दुपु ।

एकाधिको विवाहो हि सत्यां पत्न्यां विवर्जितः ॥२८४२॥ ग

वि० सं० २००३ (१९४६ ई० स०) में धर्मई-प्रधन में हिन्दुओं में एक
श्री के जीते जी (पुरुष का) दूसरा विवाह वर्जित कर दिया है ।

द्वे कर्मणी मते मुख्ये ब्राह्मासुरविवाहयोः ।

आग्नेः समक्षं कर्मकं सप्तपद्यपरं तथा ॥२८४३॥

ब्राह्म और आसुर विवाहों में दो काम मुख्य माने गये हैं एक अग्नि के सामने
किया जानेवाला कर्म और दूसरा सप्तपदी (वर और वधु का साथ-साथ सात दण
भला) ।

सप्तमे सप्तपद्यास्तु पदे पूर्णो भवेदिह ।

विवाहस्तस्य पूर्णां नाऽनिवार्या घरसङ्कृतिः ॥२८४३॥

यहाँ पर सप्तपदी के सातवें दण पर विवाह समूण्ड रूप से हो जाता है । इसके
पूरे होने में वरके साथ (कन्या का) सहवास (consumption) आवश्यक
नहीं है ।

अग्निकर्मविना लोकेऽन्यकर्मकरणादपि ।

पूर्णता स्याद्विवाहस्य जात्याचारानुमोदनात् ॥२८४४॥

यहाँ पर अग्निकर्म के बिना दूसरे काम के करने से भी जाति के रिवाज द्वारा
मानतिए जाने से विवाह की समर्पणता हो जाती है ।

विधवाया विवाहे नो शाश्वीयस्य हि कर्मणः ।

आवश्यकत्वं-यच्छ्रास्त्रैः सोऽप्त्रं नैवाऽनुमोदितः ॥२८४५॥

विधवा के (पुनः) विवाह में शाश्वत में कहे कर्म की आवश्यकता नहीं होती,
योकि, यहाँ पर, वह शाश्वत से माना हुआ नहीं है ।

वाचा दत्तां द्वमो दातुं संरक्षोऽन्यवराय हि ।

परं यस्मै प्रदत्ता प्राक् दातारमभियुज्य सः ॥२८४५॥

स्वकृतिं पूर्येच्चस्मिन्मृते चाऽप्राप्तशासने ।

न्यायः प्रतिनिधिः शक्तो धार्मानस्य व्ययमदे ॥२८४५॥

संरक्षण-मैग्नी भी दुर्द (कन्या) को दूसरे वर भी दे सकता है । परन्तु

जिसको वह पहले ('पारदान में') की गई हो; वह देनेवाले पर मुकद्दमा चलाए
अपना नुकसान पूरा कर सकता है और उस मुकद्दमा चलानेवाले के बिना डिपो
प्राप्त किये ही गरजाने पर उसका न्याय प्रतिनिधि (legal representative)
मेंमनी के समय हुआ रख ले (खण्ड कर) सकता है।

जातो विवाह इति तु सिद्धे न्यायालयस्तु तम् ।

शास्त्रारीत्या कृतं न्यायमान्यमेवाव भन्यते ॥२८४३॥

विवाह हो गया है ऐसा सिद्ध हो जाने पर यहाँ पर न्यायालय उसके शास्त्र के
रीति से किया और न्याय से मान्य ही मानता है।

प्रोकादुष्यमात् सबैः संबद्धैर्दम्पती इव ।

स्वीकृतौ मान्ययत्रेतु तयैव लिखितौ च यो ॥२८४४॥

आटतौ च तयैवाऽत्र विशेषाऽन्यसरेष्यपि ।

तयोविवाहो मान्यः स्याद् मान्या तज्ज्ञा प्रजाऽपि च ॥२८४५॥

तथा कथित (alleged) विवाह (के समय) से जो सारे संबन्ध रखनेवालों
द्वारा पति और पत्नी की तरह माने गये हो, मान्य पक्षों में उस (पति—पत्नी की)
तरह लिखे गये हों और यहाँ पर विशेष अवसरों पर उसी तरह संमानित किये गये
हों, उन दोनों का विवाह मान्य होता है और उस (विवाह) से उसके हुए संबंध
भी मान्य होती है।

पुनर्थ स विवाहोऽपि संग्रहः शास्त्रारीतिः ।

मन्यते पुरुषैर्नूनं, यावत्स्य न खण्डनम् ॥२८४६॥

फिर जब तक उस विवाह का खण्डन न हो, सब तक वह विवाह भी लोगों
द्वारा, निधय हो, शास्त्र की रीति से किया माना जाता है।

नरेण सद्व धातोऽथ तद्वक्षायां स्तितिस्तथा ।

तद्वश्यत्वं लिथास्तेन स्वीकृतिस्तद्वसन्ततेः ॥२८४७॥

भार्यात्वसिद्धये नार्या थलं तत्सद्वयासिनः ।

परं तत्र न भार्यात्वं यत्रोद्घावनिराकृतिः ॥२८४८॥

जो का पुरुष के साथ रहना, उस (पुरुष) की रक्षा में रहना और उस
(पुरुष) के अवैत रहना या उस पुरुष द्वारा उस द्वीपे से उसके हुए संबंध को
स्वीकार करना उस द्वीपे का उस साथ रहनेवाले की भार्या होना सिद्ध करने के लिए
पर्याप्त होता है। परन्तु जहाँ (उन दोनों के) विवाह का नहीं होना सिद्ध कर
दिया जाय वही पत्नी पक्ष नहीं रहता।

विशिष्टोद्घावनविभिन्नवद्युक्तैक्यर्थः ।

संशोध्याऽशीदितन्देन्दुपर्य इत्यमकल्पयत ॥२८४९॥

हिन्दूसिकयाऽर्हता यौद्धा दंपती भवितुं क्षमाः ।
लेखाऽधिकारिसाक्षित्वे नाम्नोऽनेकम् ॥२८५६॥

विक्रम संवत् १६२६ (ई० स० १८४२) के विशिष्ट विवाह के विधान (The Special Marriage Act) को वि० सं० १६८० (ई० स० १८२३) में संशोधित (The Special Marriage (Amendment) Act) करके ऐसा (आगे लिये अनुसार) कर दिया गया है:-हिन्दू, सिक्ख, जैन और यौद्ध रजिस्ट्रार (Registrar) के समक्ष नाम लिखकर पति-पत्री बन सकते हैं। (अर्थात्- इन घर्मों को माननेवाले श्री-पुण्य आपस में सिविल (civil) विवाह कर सकते हैं)।

ईदम्पत्यसंवदः पृथक् स्यात् पृक्त्वर्गतः ।

वाधाऽधिकारास्तस्याऽन्न शाश्वोकोद्धाहिवत्समृताः ॥२८५७॥

ऐसे पति-पत्री के संघन्धवाला (अर्थात्-जिसने ई० स० १८४२ के civil marriage के कानून के अनुसार विवाह किया हो) सामने के कुटुम्ब से जुदा हो जाता है। उसकी वाधायें (disabilities) और अधिकार (rights) शाश्वोक विधि से विवाह करनेवाले वो (वाधाओं और अधिकारों के) समान (ही) माने हैं। (अर्थात्-उत्तराधिकार पाने में वह शाश्वोक विधि से विवाहित पुण्य के समान ही अधिकार रखता है)।

अश्वशून्यनवैकाऽन्न-जातिच्युतिनिवारकम् ।

विधानं तत्कृते व्येयमागमोक्तविवाहिवत् ॥२८५८॥

वि० सं० १६०७ (ई० स० १८२०) का जाति बहिकृति-निवारक कानून (The Caste Disabilities Removal Act) भी शाश्वोक विवाह करनेवाले के समान ही उसके लिए भी जानना चाहिए।

द्वयषाङ्कदमावद्-हिन्दूजात्युत्तराधिकियाविधिः ।

तस्य तस्य प्रजानां चोत्तरे स्वाम्ये प्रयुज्यते ॥२८५९॥

वि० सं० १६८२ (ई० स० १८२५) का भारतीय जाति का उत्तराधिकार का कानून (The Indian Succession Act) उसके और उसकी सन्तान के उत्तराधिकार में प्रयोग किया जाता है।

सोऽशुको दत्तकाऽद्याने तत्पिता स्यात्परं क्षमः ।

अभावे त्वन्यपुत्राणां कुलरीत्यनुसारतः ॥२८६०॥

दद (सिविल विवाह करनेवाला पुण्य) दत्तक लेने में समर्थ नहीं होता। परन्तु उसका पिता दूसरे पुत्रों के न होने पर, उस दी रीति के अनुसार (गोदलेने में) समर्थ होता है।

धारा नूनं चतुर्विश्री विशिष्टोद्धादनाविभेः ।

अशीत्यङ्कधराऽन्दोत्था तत्वाग्वादेषु नो मता ॥२८६१॥

वि. सं. १३८० (ई. स. १९२३) में यनो विशिष्ट विवाह के कानून (The Special Marriages (Amendment) Act) की चौबीसवीं पारा (Section 24) निष्ठय ही उस (समय) के पहले के ग्रन्थों में नहीं मानी गई है। (अपति-यह उनमें लागू नहीं होती)।

हिन्दूसिकसाऽऽर्हता धौदा विवाहाः स्युः परस्परम् ।

अन्यैः सह कृतास्तेषां विवाहाः स्युरसंभताः २८६२॥

हिन्दू, सिक्ख, जैन और बौद्ध आपस में विवाह कर सकते हैं। दूसरे (अन्य धर्मदालों) के साथ किये उनके विवाह अमान्य होते हैं।

मिताक्षरीयसंपूरककुदुम्पेषुपयुज्यते ।

मराणां तत्कनीनां च श्रौतोद्धादेषु पूरकराः ॥२८६३॥

मिताक्षरा वो मानवेवाते साक्षे के कुदुम्बों में पुरुषों और उनकी कन्याओं के शाश्वत संमत (legitimate) विवाहों में साक्षे का घन काम में लिया जाता है।

असंस्कृतास्तु संस्कार्या याहवल्मयोऽलिखत् यतः ।

पूर्कार्थमुपयोज्यं स्थात्तस्मादुपयमादिषु ॥२८६४॥

क्योंकि असंस्कृतों का संस्कार करना चाहिए ऐसा स्वयं याहवल्मय ने (अपनी स्मृति में) लिखा है। इसलिए विवाह आदि में साक्षे का घन काम में लिया जाता है।

विवाहश्चाऽपि संस्कार एवाऽयेषु मतो यतः ।

भ्रुणं तदर्थकं तस्माद् भवेत्कौटुम्बिकं ननु ॥२८६५॥

आदों में विवाह भी संस्कार में माना गया है। इसलिए उसके लिए लिया जाए भी अवश्य ही कुटुम्ब का (कुटुम्ब संबंधी) भ्रुण होता है।

विमागार्थं षुते स्नानाऽभियोगे तद्देव्यदि ।

स्नानाऽन्यस्तदिं पूर्कार्थस्तत्र नैयोपयुज्यते ॥२८६६॥

परं यतो भगिन्या नो शंशःस्वपितृसंपदि ।

अतः पूर्कार्थतः कार्यस्तद्विवाहस्तु सर्वदा ॥२८६७॥

भाई द्वारा (साक्षे के घनके) घटवारे के लिए मुकुदमा चला देने पर (चला देने के बाद) यदि दूसरा भाई विवाह करे, तो साक्षे का घन वहा (विवाह में) कान वे नहीं लिया जा सकता। परन्तु क्योंकि उहन का हिस्सा अपने पिता के घन में नहीं होता है, इसलिए उस (अपनी बहन) का विवाह तो सदा साक्षे के घन से अलग चाहिए।

भातुजाया विवाहे तु तत्पिता भारभाक् परम् ।

अग्रासांशे मृते तस्मिन् तां पृकाऽर्थेन घादयेत् ॥२८६८॥

माई की लड़की के विवाह में उसका पिता भार का भागी होता है : परन्तु उस (पिता) के हिस्सा पाए बिना ही मरजाने पर उस (भतीजी) का विवाह सामै के धन से करे । (विशेष सूचना के लिए देखो शोल ८६४-८६७)

पृकानां पूर्वमुक्तो यो विवाहे नियमस्तिवह ।

स एव धाक्प्रदानेऽपि ह्ये यो न्यायविनिश्चितः ॥२८६९॥

यहां पर सामेदारों के विवाह में जो नियम पहले कहा है, वही मैंगनी में भी न्याय से निश्चित जानना चाहिए ।

भर्त्यर्थं व्ययितुं शका कन्योद्वाहेऽधवा परम् ।

दौद्विज्यास्तु विवाहे नो साऽपि शुक्ता मता वुधैः ॥२८७०॥

विधवा (अपनी) कन्या के विवाह में पति का धन खर्च कर सकती है । परन्तु नवासी के विवाह में उसी विद्वानों ने उसे भी (ऐसा करने में) समर्थ नहीं माना है ।

विच्छिन्निस्तु विवाहस्य स्मृत्यद्वातैव निश्चितम् ।

कुलरीत्या न मान्या चेहस्पती तथा न द्वामौ ॥२८७१॥

विवाह का विच्छेद (divorce) तो निश्चय ही स्त्रियों द्वारा अज्ञात ही है (उनमें इसका उल्लेख नहीं है) । यदि कुल के रिवाज से अमान्य ही, तो पति और पक्षी उस (विवाह-विच्छेद = divorce) में समर्थ नहीं होते ।

विपर्ययस्तु धर्मस्य तथा जातिविविष्टुतिः ।

दक्षत्योर्व्यभिचारित्वं पत्युत्सर्गपुरस्सरम् ॥२८७२॥

वेश्यात्वं चाऽपि भार्याया नैवात्र प्रभवेत् खलु ।

शारीरीयस्य विवाहस्य विच्छिन्नौ तु कदाचन ॥२८७३॥

धर्म का परिवर्तन (बदलना), जाति से निकाला जाना, पति-पक्षी का व्यभिचारी होना और पक्षी का पति को छोड़कर वेश्यापन (करना) भी यहां पर निश्चय ही शान्तानुसार किये विवाह को तोड़ने में कभी भी समर्थ नहीं होता ।

गुणनेत्राऽङ्गचन्द्राऽल्पे कृतमेकं विधानकम् ।

धर्मान्तरितदेशीयविवाहोच्छिन्निसाधकम् ॥२८७४॥

विक्रम संवत् १६२३ (१० स० १८६६) में दूसरा धर्म प्रहण करनेवाले देशी (मनुष्य) के विवाह को तोड़नेवाला एक कानून (The Native Converts Marriage Dissolution Act.) घोषया गया था ।

दृगत्योः कलमस्यापि खीषधर्मप्रहे ततः ।

अपरब्बेच्चदर्थं तं त्यजेत्सर्वं स ईशुगः ॥२८७५॥

पण्मासान् हि प्रतीक्षयन्ते प्राङ्गिवाकं निवेदयेत् ।

इत्यं तेनाऽभियुक्ते सोऽन्यवर्ण निर्दिशेत्वतम् ॥२८७६॥

पूर्वेण सहवासार्थमेकान्दावसरं तथा ।

दद्यात्तन्निर्णयार्थाय व्यतीतेऽवसरेऽपि चेत् ॥२८७७॥

निर्देशोऽमान्यं एव स्यात्तदिन्यायालयाऽधिषः ।

तयोर्विवाहविच्छेदकृते शासनमर्पयेत् ॥२८७८॥

उसके बाद से पति-पत्नी में से किसी (एक) के इंसार्दे पर्वं प्रहण करते ने पर अदृष्ट दूसरा उस (धर्म-वरित्तन) के कारण उसे छोड़दे, तो वह ईसा की शरण में जानेवाला छुट महीने तक राह देखकर न्यायाधीश को निवेदन करे । इस प्रकार उसके (पर्मान्तर में जानेवाले के) द्वारा मुकद्मा अताके जाने पर वह (न्यायाधीश) भी दूसरे (उसके छोड़नेवाले) को पहले (धर्मान्तर में जानेवाले) के सहवास (to live and cohabit) के लिए आज्ञा दे और उसके निर्णय के लिए एक धर्म का अवकर दे । यदि अवकर धीतने पर भी (वह) आज्ञा अमान्य ही रहे, हो न्यायशर्नी उन दोनों के विवाह के विच्छेद के लिए आज्ञा (decree) दे दे । (इ० स० १८६१ वा The Indian Divorce Act भी खोट धर्म प्रहण करनेवाले को ही वह अधिकार देता है; क्योंकि उस धर्म प्रहण करनेवाला एक समय में एक ही पत्नी रख सकता है ।)

ततस्तु तावुभावत्र विधवाविधुराविध ।

स्यातां पुनर्विवादे हि शक्तावुक्तिधानतः ॥२८७९॥

उसके बाद वे दोनों यहा पर (पहले) कहे हुए कानून से विधवा और विवुर दी तद्द दिर से (दूसरा) विवाह करने में समर्थ होते हैं ।

इत्यं पुनर्विवादेन समुत्पद्मा च सम्ततिः ।

औरसीय मता चेष्ठो देश्यन्यायविषयता ॥२८८०॥

एस प्रकार के पुनर्विवाद से बहात हुई सन्तान यदि किसी देशीय कानून (Native law) से बहिष्ठन न हो, तो औरस (legitimate) सन्तान के रूपान ही मानी गई है ।

धर्मान्तरवदेष्योद्घादो नाऽप्तविभिवते ।

तत्राऽपरेण तत्यागो न्यायादा चाऽप्यपेक्षिता ॥२८८१॥

दूसरा धर्म प्रहण करते ने ही वही पर विवाह नहीं छूटता । वही पर दूसरे द्वारा दस्ता लाग फूना और कानून के अनुसार आज्ञा ग्राह करना भी आवश्यक होता है ।

स्वैरं भर्तुनुमत्या वाऽपरोद्धाद्वस्तु योपितः ।

आचारानुमतश्चापि महाराष्रे पु निष्फलः ॥२८८॥

व्यभिचारसदायत्वाद् द्रविडे तु पुनर्मतः ।

मिथोऽनुमत्योद्धाद्वस्योच्छेदाचारोऽधिकारिभिः ॥२८९॥

अपनो इच्छा से या पति की अनुमति से श्री का (पढ़ते पति को छोड़कर) दूसरा विवाह करना, रिवाज से माना गया होने पर भी, व्यभिचार में सदायक होने से बंधू में निष्फल होता है (समझा जाता है) । परन्तु मद्रास में अधिकारियों ने पति-पत्नी दोनों की आपस की अनुमति से विवाह के विच्छेद का रिवाज (custom) मानलिया है ।

जात्या तु निधितं विचं दस्तैको जातिरीतिः ।

पटेऽनिच्छत्यपि स्वैरं छिनत्युद्धाद्वात्मनः ॥२८८॥

लोकाचारविरोधात्तद् महाराष्रे विवर्जितम् ।

जातिमुख्याङ्गया छिन्नो विवाहोऽपि तथा मतः ॥२८९॥

जाति की श्रीति से जाति के द्वारा निधित घन देकर (पति या पत्नी में से) एक, दूसरे के नहीं चाहने पर भी, अपनी इच्छा से अपनों विवाह काट डालता है, वह (यात) लोकाचार के विच्छ द्वारा से बंधू प्रान्त में नहीं मानी जाती है । जाति के पंचों की आज्ञा से काढ हुआ विवाह भी बैसा ही माना है ।

पत्या सद्व निवासाय तद्रश्यत्वाय च ध्रुवम् ।

पत्नी विवाहतो वद्धा स्यादिति न्यायनिधितम् ॥२८८॥

पत्नी विवाह के द्वारा निश्चय ही पति के साथ रहने और उसके अधीन होने के लिए बंधी होती है, ऐसा कानून से निधित है ।

समयस्तदिष्टद्वयेत्तुवोऽमान्यो मतो वृध्यैः ।

पुनरुद्दंवतीशेषर्विं सा नो तं त्यक्तु मीश्वरी ॥२८८॥

उस (ऊरं कहे नियम) के विच्छ यदि कोई वादा (agreement) किया हो, तो वह विद्वानों द्वारा मान्य नहीं माना गया है । पति के दूसरा विवाह करने पर भी, वह उसीको छोड़ नहीं सकती ।

श्वशुरग्रामवासं प्राक् प्रतिक्षायाऽपि स ज्ञमः ।

आमान्तरं लियं नेतुं साऽङ्गमा तद्विरोधने ॥२८९॥

पढ़ते समुर के गाँव में रहने का वादा करके भी वह श्री को दूसरे गाँव ले जाने को समर्थ होता है । वह (श्री) 'उसका विरोध नहीं' कर सकती ।

भर्ताऽप्यथ विवाहेन यद्यस्तद्वरण्य च ।

तथा सद्व निवासाय शाखादेशादसंशयम् ॥२८९॥

पति भी शाश्र की आज्ञा के कारण, निष्ठद ही विवाह के द्वारा उसके भरणे पोशण के लिए और उसके साथ रहने के लिए बेंधा होता है।

न्यायेन रक्षको भर्ताऽन्वयःस्थाया निजलियाः ।

अतस्तां सहवासे स्वे द्वामः स्थापयितुं द्वि द्वः ॥२८८०॥

पति कानून से अनी नामालिंग की का रक्ष करता है। इसलिए वह उन्हें अपने साथ रख सकता है।

धर्यःप्राप्त्यन्तमध सा पितृभ्यां निवसेदिति ।

जात्याचारे स्थिते भर्तोऽङ्गहने तस्य न द्वामः ॥२८८१॥

और बालिंग होने तक वह माता-पिता के साथ रहे-ऐसे जाति के विवाह के होने पर, पति उसका उङ्गलन नहीं कर सकता।

जाताद्याः प्राग् धर्यः प्राप्ते विधवायास्तु रक्षकाः ।

पत्युः संबन्धिनः पूर्वं संबन्धिभ्यः पितुभूर्वभम् ॥२८८२॥

बालिंग होने के पहले विवाह हुई छोटी के, पितृव दी, पिता के संबन्धियों से पूर्व पति के संबन्धी रक्ष करते हैं।

संस्थापयिष्ये यालां स्वां पर्णीं कौतुक्यिकलियाः ।

संरक्षकत्वे व्यज्यैव नेतुं तामयि स द्वामः ॥२८८३॥

वह (पति) अनी बालिंग छोटी दो कुटुम्ब की छोटी दो द्वारा में रक्षणा इष प्रकार रुचित रहके उसकी भी (धार्य) से जा सकता है।

दृष्टपत्योः कतमोऽप्यत्राऽभियोक्तु मपरं द्वामः ।

सहवासाय, निर्णीः छोटी तत्कृते नादिशेत् परम् ॥२८८४॥

कुष्ठोपदर्शसहवासे दोगे यहएः पतिस्तु घेत्।

स्थापिता या गृहे तेनोपपत्नी स्थातथा पुनः ॥२८८५॥

कौयेण तस्य भार्यायास्तदृग्द्वागमनेन तु।

अमहालस्य शङ्का या सोऽय धर्मान्तरं गतः ॥२८८६॥

इसी पर पति-पत्री में से कोई भी सहवास (conjugal rights) के लिए मुकरमा चला रहता है। परन्तु ध्याय करनेवाला, यदि पति कोठ या उपर्याके समान रोगों से धूमार ही, या उसके पर (ही) में उपाजी को रुचिलिंग हो, तो तिर उसी कूरता के कारण उसके पर जाने से पत्री को धतरा ही, अथवा उसने इसके फर्म भी शहद करलिंग हो, तो छोटी को (सहवास ही) आज्ञा न दे।

परं भर्त्राऽप्यत्रामायां परिणीताऽयवा पुनः ।

अथभियारी स या भार्या पालेत्यायाधिन ग्रथम् ॥२८८७॥

परन्तु पति ने इसी ही से विवाह रुचिलिंग, या वह अथभियारी है पर की नामालिंग है-ये तीनों (छोटे) (आज्ञा देने में) आया नहीं देतीं।

भार्या तु न तत्कौयं सूचितं तदपीह नो ।

भर्ता तत्सहवासाय सदा शकोऽभियोगतः ॥२८६॥

यदि पत्नी ने उस (पति) की कूरता नहीं बताई हो, तो भी पति यहां पर (हिन्दुओं में) मुक्तमे के द्वारा सदा उस (पत्नी) के सहवास में समर्थ नहीं होता ।

यत्र भार्या निजत्यागमयहेलो च तत्कृताम् ।

सूचयेत् साधयेत्तत्र साऽभियोगं स्वसूचितम् ॥२८७॥

न्यायेशुश्र परीक्ष्यास्याः साद्यं दद्यात्स्वशासनम् ।

तद्भवेत् सव्यपस्थं वाऽव्यवस्थं द्वि यथोचितम् ॥२८८॥

जहां पर स्त्री उस पति के द्वारा अपना त्याग या अपनी तरफ लापत्वादी करना प्रकट हो, वहां वह (छोटी) अपने बतलाये अभियोग (इलजाम) को सिद्ध करे और न्यायकर्ता उसकी गवाही की परीक्षा करके उस (छोटी) के पति के लिए व्यवस्था (condition) सहित या विना किसी रोक के, जैसा उचित समझे, अपनी माजा दे ।

भर्मदेशे तथा घङ्गे शालीयोद्वाहभावना ।

अनौरस्यत्वनाशाय रिक्थायैष मता वुधैः ॥२८९॥

भर्मा और बंगाल में विद्वानों ने विवाह के शालीय होने की भावना सन्तान के नकलीपन (illegitimacy) के नाश के लिए उत्तराधिकार (inheritance) में ही मानी है ।

परं यत्र विवाहस्य मान्यत्वं शङ्खयते जनैः ।

न्यायेशैस्तत्र मृग्यं तत्त्वालीयत्वमसंशयम् ॥२९०॥

परन्तु जहां पर स्त्रीमो द्वारा विवाह की मान्यता में शङ्ख की जाय, वहां पर न्यायकरनेवालों की निःसंदेह उस (विवाह) के शान्त्र की रूपि से किये होने की जाँच करनी चाहिए ।

२३ दत्तकप्रदणम् ।

माता पिता वा दद्यातां यमद्विः पुत्रमापदि ।

सदर्श प्रीतिसंयुक्तं स शेयो दत्तिमः सुताः ॥

(मनुसूतिः, अस्यायः, ६, श्लोकः, १६८)

माता-पिता जिस समान (एक योनि या जाति के) पुत्र को, आपसि में (योद्द लेनेवाले के पुत्र के अभाव में), प्रीति के साथ, जल द्वारा (जल हाथ में लेकर) देवें, उसे दत्तक पुत्र जानना चाहिए ।

सुनो रंजःशुक्रज्ञत्वात् पितरायात्मजन्मनः ।

स्त्यागविक्रयदानेषु वशिष्ठो मन्यते क्षमा ॥२६०३॥

पुत्र के (उनके) रज और शुक्र से उभय होने के कारण वशिष्ठ माता-पिता को आने पुत्र के छोड़ने, ऐचने और दान करने में समर्थ मानता है ।

नाऽऽदेयो नापि देयः स्यात् पुत्रः केभविदेककः ।

यतः स पितॄवंशर्दिदेहुर्निचपते पितॄन् ॥२६०४॥

अकेला (अतुहीन) पुत्र किसी के द्वारा न (गोद) लेने लायक न होनेतारक होता है; वर्णकि वह अपने पिता की बंगा की गुदि का कारण होकर पितरों को तर्ह करता है ।

पत्युराज्ञो विना नाऽलं पुत्राऽऽदानाऽर्पणे प्रसदः ।

साऽलं पत्युरुमत्येव वशिष्ठ इदमवधीत् ॥२६०५॥

द्वी पति की आहा के बिना पुत्र की (गोद) लेने या देने में समर्थ नहीं होती । वह पति की अनुमति से ही समर्थ होती है (ऐसा कर सकती है) ऐसा वशिष्ठ ने कहा है ।

जनः पुत्रसुपादितसुराहुय स्यज्जनास्तथा ।

सुवित्या नृपं गेहे मन्त्रैर्हुत्या हुताशनम् ॥२६०६॥

यथासंभवमासद्यं स्वीयगोषभवं जनम् ।

दत्तकत्येन गृहीयादीरत्से तनयेऽसति ॥२६०७॥

कुलं ज्ञात्येव स ग्राहाः यतः स पितॄतारकः ।

घेद् भयेज्ञातिसंदेहो दूरादात्ते तु दत्तके ॥२६०८॥

शुद्रयद् व्ययदर्तव्यस्तर्दि तद्ग्राहिणा हि सः ।

इत्यं वशिष्ठमुनिना स्यं मनं प्रकटीकृतम् ॥२६०९॥

और पुत्र के न होने पर पुत्र (गोद) लेने की इच्छावाला पुरुष आने पुरुषियों की दुलाल, राजा की दूजना देकर और वह में अग्रि में होम करके, जहाँ तब रंभन हो नज़दीक के और अपने गोत्र में उत्थान हुए पुरुष को गोद ले । उन जान कर ही उगे लेना चाहिए; वर्णकि वह पितरों को तारने (सर्वति दिलाने) बाला होता है । यदि दूर (दूत) से गोद लेने वह (उच्ची) जाति के विषय में सन्देह ही जाय, तो गोद लेनेवाला उसके साथ शहू का सा व्यवहार करे । वर्णकि मुनिने इस प्रकार आना मत प्रकट किया है ।

दत्तकप्रदणान्ते चेदौरस्तस्तनयो भयेत् ।

तुर्यमागहरस्तर्दि वशिष्ठोक्या स दत्तकः ॥२६१०॥

गोद लेने के बाद जो औरेश पुत्र हो जाए, तो वह दत्तक, वशिष्ठ के बानी-

घशिष्ठस्य मते नैव स्वर्गप्राप्तिरपुत्रिणः ।

अतस्तु पुत्रमिच्छन्ति पितृकलयाणकाम्यया ॥२४११॥

घशिष्ठ के मतानुसार विना पुत्रवाले को स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती, इसीसे वितरों के कलयाण की कामना से पुत्र की इच्छा की जाती है ।

पितुरेकाकिपुत्रस्य दत्ताऽऽदाननिषेधनम् ।

आत्मगोत्रजाऽऽदानं वाऽद्य नावश्यकं मतम् ॥२४१२॥

(परन्तु) पिता के अक्षेत्रे पुत्र के गोद लेने का निषेध या नवदीक गोद में उत्पन्न हुए का गोद लेना आजकल आवश्यक नहीं माना है ।

पारसीकाङ्गलयधनविधानेषु न संभतः ।

दत्तकस्य ग्रहः किन्तु हिन्दूशास्त्रेषु स स्मृतः ॥२४१३॥

पारसीयों, अंगरेजों और मुसलमानों के कानून में दत्तक पुत्रका (गोद) लेना नहीं माना है । परन्तु हिन्दू-शास्त्रों में इसका उल्लेख है ।

परं जातिविशेषेषु वा कुलेषु विवर्जितः ।

चेतेष्वपि ग्रहस्तस्य प्रथा पाल्या तदा ध्रुयम् ॥२४१४॥

परन्तु यदि उन (हिन्दूओं) में भी जाति या कुल विशेष में उस (गोद) का लेना वर्जित हो, तो अवश्य ही रिवाज का पालन करना चाहिए (गोद नहीं लेना चाहिए) ।

औरसो दत्तकश्चाऽथ क्षेत्रज्ञो गूढजस्तथा ।

सहोदश्चाऽप्यविद्धश्च कानीनः कृत्रिमः षुनः ॥२४१५॥

पौनर्भवः पारशबः परिक्रीतः स्वदत्तकः ।

द्वादशेषमे सुता आर्यमान्या अत्राभवन् पुरा ॥२४१६॥

(१) औरस (पति से पत्नी में उत्पन्न हुआ), (२) दत्तक (गोदलिया हुआ) (३) चेत्रज (पत्नी में किसी दूषणे पुरुष से उत्पन्न हुआ), (४) गूढज (अहात रूप से किसी पुरुष से उत्पन्न हुआ) । अर्यान्त-जिसके असली पिता का पता न हो), (५) सहोद (विषाद के समय गर्भ में रहा), (६) अपविद्ध (माता-पिता द्वारा छोड़ दिये जाने पर पाला हुआ), (७) कानीन (जिना व्याही लाइक्री से उत्पन्न हुआ), (८) कृत्रिम (धर्मानुसार पालन करने के लिए स्वयं अहोकार किया हुआ), (९) पौनर्भव (द्वी के दूसरे विवाह से उत्पन्न हुआ), (१०) पारशब (व्राङ्गण से शूद्रा ही में उत्पन्न हुआ), (११) परिक्रीत (रारीदा हुआ) और (१२) स्वयंदत्त (माता-पिता के न हने से स्वयं ही गोद घया हुआ) ये बारह पुत्र यहाँ पर फूले आर्यों से मान्य थे ।

एतेषु दत्तकः कीर्तः शृणिमध्यापविद्वकः ।

स्थयं दत्त इमे पञ्च दत्तकास्तु पुराऽभवन् ॥२६१७॥

इनमें दाक, परिकीर्त, शृणिम, आविद और स्वर्वदा-ये पाँच दत्तक पहले होते हैं ।

द्वायेवाऽय विधानेन मान्यो दत्तकहृत्रिमी ।

शृणिमध्याऽभिमिथिलं दत्तः सर्वथ मारते ॥२६१८॥

आजकल कानून है दत्तक और हृत्रिम दो ही मान्य हैं । हृत्रिम मिथिला और तरक (मिथिला और उसके आस-पास) और दत्तक सारे भारत में ।

सप्तस्थन्येषु पुष्टेषु मान्योऽयौरस पथ हि ।

द्वयं पुत्रश्वर्य मान्यमायेष्वय विधानतः ॥२६१९॥

दूसरे (बाई के) सात पुत्र में आजकल औरस पुत्र ही माना जाता है । इस प्रकार आजकल आजों में कानून से तीन पुत्र (औरस, दत्तक और हृत्रिम) (ही) मान्य होते हैं ।

पिण्डाऽङ्गल्योद्दिं सामेन स्थीया पित्र्या च मदूगतिः ।

स्वनामन्त्याऽन्नं रक्षेति लाभमौ दत्तमहे मतौ ॥२६२०॥

पिण्ड और तिलाङ्गति के मिलने हैं आजों और पितरों की मदूगति तथा वहां पर अपने नाम की रक्षा-ये दो लाभ (अपुत्र पुत्र द्वारा) गोद लेने में हैं ।

कन्यादानं यथोदादे पवित्रं परिकीर्तिंतम् ।

पुत्रदानं तथैवाऽयं मतं दत्तसमर्पये ॥२६२१॥

जिस प्रकार विवाह में कन्यादान पवित्र कहा है, उसी प्रकार यहां पर गोद देने में पुत्र दान की भी (पवित्र) माना है ।

अत एव पिण्डभ्यां तु देयोऽद्विरिद्व दत्तकः ।

इत्युक्तं मनुना, चैते द्वे अप्युभयलौकिके ॥२६२२॥

इसीलिए माता-पिता को जल के द्वारा गोद देना चाहिए—ऐसा मनु ने कहा है और वे (कन्यादान और पुत्रदान) दोनों दोनों सोकों से संबन्ध रखते जाते हैं ।

दत्तदध्याप दसाऽऽदध्येत् तामौ न्यायतस्तथा ।

दत्तकश्च स्थयं मात्यो भवेदत्र विधानतः ॥२६२३॥

याथाद्यैत फुत्ती दानप्रदापत्तिष्ठ तर्पितः ।

तद्यैव दत्तो मान्यः स्याभिद्वौममपि धा कथित् ॥२६२४॥

जब गोद देनेवाला और लेनेवाला दोनों कानून से (आने-आने छाये) में समर्थ हों, गोद जानेवाला स्थयं (भी) यहां पर कानून से गोद लेने लायक हो, गोद देना और गोद लेना ठीक तरह से (रिवाज के मानकिक) किया गया हो और होम (दत्त होम भी) किया हो, तब ही दाक मान्य होता है । परन्तु इसे दिना होम के भी (मान्य) हो जाता है ।

न्यायाऽनुमोदिता दत्तकप्रहणक्षमा जनाः ।

न्याय से माने हुए गोद लेने में समर्थ लोग ।

न्यायाऽनुमोदिताः सर्वे पुरुषास्तद्ग्रहे क्षमाः ।

पत्यर्थं च खियो नान्यहते तास्तु कदाचन ॥२६२५॥

न्याय से माने हुए सारे ही पुरुष उसको (दत्तकपुनर्जीव की) ले सकते हैं और खियों पतियों के लिए गोद ले सकती हैं, पन्तु दूसरों (अन्य पुरुषों) के लिए वे (खियां) (गोद) नहीं ले सकती ।

अतः पुरुषकृते भाता ज्ञात्रयं भागिनी तथा ।

भो शका तद्ग्रहे पत्युर्विनाशां सधवाऽपि च ॥२६२६॥

इसलिए पुरुष के लिए मा और भाई के लिए बड़न उस (दत्तक पुनर्जीव) के लेने में समर्थ नहीं होती और (उसी तरह) पति की आशा के बिना सधवा जी भी समर्थ नहीं होती ।

विधवा तु समर्था स्यात् पत्युराशां विना कवित् ।

कवित्प्राप्ताऽधिकारैव भर्तुतो दत्तकप्रहे ॥२६२७॥

कहीं पर पति की आशा के बिना (भी) विधवा (गोद लेने में) समर्थ होती है और कहीं पति से गोद लेने का अधिकार प्राप्त करके ही समर्थ होती है ।

विधवा पतिवक्ती वा दत्तं पत्यर्थमेव हि ।

गृहीयान्न निजायं तमङ्गीकुर्यात् कदाचन ॥२६२८॥

विधवा या सधवा पति के लिए ही गोद ले, अपने लिए उसे कहीं न ले ।

स्वार्थं लिया गृहीतोऽपि दत्तकस्तु विधानतः ।

अमान्य एव विवेयः स्मृतिशास्त्रेऽपि वर्जितः ॥२६२९॥

यहाँ पर ली द्वारा अपने लिए लिया हुआ दत्तक पुनर्जीव कानून से अमान्य ही समझना चाहिए । वह स्मृतिशास्त्र में भी वर्जित है ।

निष्कर्षस्त्वस्य यच्छ्रुकः पुरुषो दत्तकप्रहे ।

तद्यथं वा क्षमीकर्तुं भायां नान्यं जनं तु सः ॥२६३०॥

इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष गोद लेने में अधवा उसके लिए अपनी पली की अधिकार वाली करने में समर्थ होता है । वह दूसरे जन को (इस विषय का) अधिकार नहीं दे सकता ।

पुरुषो धर्त्तमानस्य विधानस्याऽनुसारतः ।

अवयस्योऽपि निर्णीतिक्षमं यथमुपागतः ॥२६३१॥

प्रकृतिस्थमनाश्चात् दत्तकप्रहणे प्रभुः ।

उत्स्यदत्तत्पुनर्पौत्राऽभावे तदातने ॥२६३२॥

बालिंग न होने पर भी (किसी बात का) निर्णय करने को आशु प्राप्त किए हुआ और होश हवासवाला पुत्र प्रचलित (या मौजूदा) कानून के अनुसार, उस (गोद लेने के) समय अछलो या गोद के पुत्र, पौत्र और प्रोत्र के अभाव में, गोद ले सकता है ।

जात्याऽन्धमूकवधिराऽपोगणडविकलेन्द्रियाः ॥

जडा येऽसाध्यरोगाधाऽवार्यकुष्ठेन पीडिताः ॥२६३३॥

दायाऽधिकारकाले चोनमत्ता वाऽसाध्यरोगिणः ।

पुत्रपौत्रप्रपौत्रत्वे दीदकाः याखदूषिताः ॥२६३४॥

तर्हाप्यनीय एव स्याज्ञानो दत्तपरिग्रहे ।

मदाराष्ट्रीयसर्वाचिन्यायालयमतं स्थितम् ॥२६३५॥

यदि जन्म से अन्धे, गूंगे, बहरे, विकलाङ्ग, विकल इन्द्रिय और जो जह होने के साथ ही असाध्य रोगवाले हों, असाध्य कोइ से पीडित हों, दाय प्राप्ति के समय पागल हों या असाध्य रोगी हों, ऐसे शाश्वतों से दूषित पुत्र, पौत्र या प्रोत्र हों, तो गी पुत्र गोद लेने में असमर्थ ही होता है । बंर्दे के सरोब न्यायालय (High Court) का यह मत है ।

द्राविडन्यायभूमस्या स्थित्येषामस्यामपि चला ॥

आदाने दूसकस्याऽसीज्ञानः किन्तु यदा पुनः ॥२६३६॥

शुराधाक्षराज्ञीयमयोग्यत्वनिवृत्यकम् ।

विधानं स्वीकृतं विहैस्तदा तत्राऽप्यभूतिक्ल ॥२६३७॥

जन्मसोन्मरणाजडेष्वेष तेष्वसौ दत्तकमहे ।

स्वमस्तपिकारश्चाऽन्यत्र नूनं निरकृतः ॥२६३८॥

मदास न्यायालय (High Court) के शत से पुछ इष (वस्तुक) स्थिति में भी दातक लेने में समर्थ था । परन्तु फिर जब विदानों में (विनान) भेद-भान्दा (ई० स० १६२८) द्वा अवोमयता निवारक कानून [Hindu Inheritance (Removal of disabilities) Act] स्वीकार करनिया, तब वहां पर (स्वास में) भी बह (पुछ) उन (पुत्र-पौत्र-प्रोत्रों) के जन्म से जह या वशत होने पर ही गोद लेने में समर्थ रह गया और दूसरे स्थान पर उसका अधिकार तोड़ दिया गया ।

परं नैतदिधानं सु वहीयैः स्वीकृतं ततः ।

दायमागेक्षरीत्यैव वृहते तत्र दत्तकः ॥२६३९॥

परन्तु वंगातवानों में यह विवाह स्वीकार नहीं किया है । इसलिए वहां पर 'दायमाग' में वही ऐतिहासी गोद दिया जाता है ।

अहीतात्वरुतोद्वादो, विधुरोऽनुमोदितः ।

भार्यया धा स जानीते जातां गर्भवर्तीं स्त्रियम् ॥२६४०॥

नैतान्यश्च समर्थानि दत्तकप्रहणाय हि ।

उद्यतं पुरुषं तस्येच्छातो धारयितुं पुनः ॥२६४१॥

गोद लेनेवाला यिना च्याहा है, रुद्धा है, जी द्वारा अनुमोदित नहीं है (अर्थात्-जी ने उसके गोद लेने का अनुमोदन नहीं किया है) या वह आपनी लों का गर्भवती होना जानता है—ये (सब) गोद लेने को तैयार पुरुष को उसकी इच्छा से नहीं हटा सकते । (अर्थात्-उसमें रक्षावट नहीं ढाल सकते) ।

जात्या वहिष्कृते वात्र स्वैरं धर्मान्तरं गते ।

पुत्रे सत्यपि शास्त्रेण जनो दत्तग्रहे क्षमः ॥२६४२॥

जाति से निकाले हुए या अपनी इच्छा से (हिन्दू धर्म को छोड़कर) दूसरे धर्म में गये पुत्र के होने पर भी पुल्य शास्त्र के अनुसार गोद ले सकता है ।

सप्तखाङ्कधराच्चीयविधानेनाऽधुना तु सः ।

समर्थो धा न धा, पुत्रः स तद्दायहरः परम् ॥२६४३॥

(विक्रम) संवत् १६०७ (ई० स० १८५०) के कानून (Act 21 of 1850 A. D.) से इस समय वह (पुरुष) (गोद लेने में) समर्थ है या नहीं (इसका निर्धारण नहीं हुआ है) । परन्तु उसका चह (जाति से निकाला हुआ या हिन्दू-धर्म से छोड़ देनेवाला) पुत्र दाय पानेवाला (पिता के धन का अधिकारी) हो गया है ।

नेत्रव्यङ्कधराच्चीयवयःप्रातिविधानतः ।

जनोप्यादशर्वपर्वन्ते वयःस्यो मन्यते परम् ॥२६४४॥

न्यायाधीशैर्नियुक्तव्येद्रक्षकस्तत्कृते तदा ।

एकविश्वितिवर्पन्ते स वयःस्यो मतो युधैः ॥२६४५॥

(विक्रम) संवत् १६१२ (ई० स० १८७५) के वयः प्राप्ति (The Indian Majority Act) से पुरुष अट्टारह वर्ष की आयु के बाद बालिग माना जाता है । परन्तु न्यायाधीशों (Court of Justice) ने उसके लिए रक्षक (guardian) नियुक्त कर दिया हो (या वह Court of Wards के अधिकार में कर दिया गया हो), तो वह विद्वानों द्वारा इक्कीस वर्ष के अन्त में बालिग माना जाता है ।

किन्तु दत्तग्रहे नैतद् विधानमुपयुज्यते ।

जनः पञ्चदशाच्चान्ते क्षमः स्यात्तत्कृते ह्यतः ॥२६४६॥

परन्तु गोद लेने में यह (वयःप्राप्ति का) कानून काम में नहीं तिया जाता ।

इसलिए पुरुष पन्द्रह वर्ष (जी आयु) के बाद उस (गोद लेने) के लिए समर्थ होता है ।

रक्षकालयरक्षास्यस्तद्वाप्राप्त्यनन्तरम् ।

पव शुक्तो भवेद्वं दत्तकप्रदणे भुवम् ॥२६४७॥

कोई आँक वाई-स की निगरानी में रहा (पुरुष) उस (कोई) की आहा प्राप्त करने के बाद ही गोद लेने में, वहा पर निश्चित सम से, समर्थ होता है ।

दासेये विधामानेऽपि जनो दत्तमहे क्षमः ।

पत्याऽऽक्षयैव, सधवा तस्मै दत्तप्रदे क्षमा ॥२६४८॥

दासीपुत्र (illegitimate son) के मौजूद होने पर भी पुरुष गोद लेने में समर्थ होता है । सधवा की पति की आहा से ही उस (पति) के लिए गोद ले सकती है ।

मृतभर्तुं क्या दत्ताऽऽदानेऽप्य विद्युष्मैर्मता ।

भिजभिजप्रदेशेषु भिजभिजा व्यवस्थितिः ॥२६४९॥

विद्वानों ने विषवा की द्वारा गोद लेने के विषय में भिज-भिज व्यवस्था मानी है ।

मिथिलायां समर्था नो दत्तकप्रदणेऽध्या ।

भर्त्रा प्राप्ताऽधिकाराऽपि तत्रत्याचारतो भुवम् ॥२६५०॥

मिथिला में वहा के रिवाज से, पति से अधिकार प्राप्त की हुई विषवा भी गोद लेने में समर्थ नहीं होती ।

याराणस्यामयो घङ्गे द्रविडे च क्षमा हि सा ।

चेत्पत्याऽधिकृता घाचा रीत्या घाऽपर्या परम् ॥२६५१॥

दत्तप्रदनिषेधस्याऽभाय पव न शक्तुयात् ।

दत्तकप्रदणेशकां विधातुं विधवां लियम् ॥२६५२॥

बनारा, बंगाल और मदाप में यदि पति ने बाणी से या अन्य प्रकार से अधिकार दे दिया हो तो वह (विषवा) (गोद लेने में) समर्थ होती है । परन्तु गोद लेने की मनाई हो न होना (करना) ही विषवा की को गोद लेने में समर्थ नहीं बना एकता ।

मृत्युकाले त्यमंक्षुएः भर्तरिं द्रविडे पुनः ।

सपिण्डाशामवाप्यैव दत्ताऽऽदाने क्षमाऽध्या ॥२६५३॥

फिर मदाप में मरु के समय पति के (कुटुम्ब से) जुड़ा होने पर विषवा की (पति के) सपिण्डों की आहा प्राप्त करके ही गोद लेने में समर्थ हो जाती है ।

संख्येद् भवेद् भैरो तदिं संख्यिमां मतम् ।

तदन्तेऽयाप्य सा तत्र शका 'स्यादत्तकप्रदे ॥२६५४॥

यदि पति (कुटुम्बवालों के) साथ रहता हो, तो उस (पति) की मृत्यु के बाद साथ रहनेवालों की अनुमति प्राप्त कर वह (विधवा ली) वहां पर (मदास में) गोद लेने में समर्थ होती है ।

महाराष्ट्रे तु सा शका दत्तकग्रहणे स्वयम् ।

अनवाप्यैव कस्याऽपि स्वीकृतिं तत्र कर्मणि ॥२६५५॥

बंधुई में वह (विधवा), उस काम में किसी की भी स्वीकृति लिये विना ही, गोद लेने में स्वयं समर्थ होती है ।

पत्युराशां विना नाऽलं पुत्राऽददानाऽप्येषो प्रसूः ।

ऐतद्विष्टवचनं सर्वत्राद्रियते वृधौः ॥२६५६॥

परमेतत्य भिन्नाभिर्व्याख्याभिर्भिन्नताऽमवत् ।

दत्तग्रहविधौः भिन्नप्रदेशेष्वप्न निश्चितम् ॥२६५७॥

पति की आशा के विना माता पुत्र को (गोद) लेने या देने में समर्थ नहीं होती—विद्वानों द्वारा यह विशिष्ट का बचन सब जगह माना जाता है । परन्तु इसका भिन्न-भिन्न प्रकार से अर्थ किये जाने के कारण यहां पर भिन्न-भिन्न प्रदेशों में गोद लेने की रीति में निश्चय ही भिन्नता होगई है ।

मिथिलायां यतः साऽङ्गा सद्यस्तन्येव गृह्णते ।

अत एव न जात्वीशा विधवा दत्तकग्रहे ॥२६५८॥

क्योंकि मिथिला में वह (पति की) आशा तत्काल की ही (गोद के समय की ही) ली जाती है, इसलिए विधवा ली गोद लेने में कभी समर्थ नहीं होती । (क्यों कि विधवा का पति उसके गोद लेने के समय विद्यमान नहीं होता) ।

वाराणस्यां च वह्नेषु साऽङ्गा पत्या तु जीवता ।

दत्ताऽपि प्रभविष्युः स्यात्तदन्ते दत्तकग्रहे ॥२६५९॥

यनारस और बंगल में वह (गोद लेने की) आशा पति द्वारा जीवित अवस्था में ही गई होने पर भी उस (पति) के मरने के बाद गोद लेने में प्रभाव बाली होती है ।

मदाराष्ट्रे तु तत् तस्मिज्जीयत्येव प्रभावकृत् ।

अतो मृतेऽहि पत्यौ सा गृहीयात्तच्छुभाय तम् ॥२६६०॥

बंधुई में तो यह (विशिष्ट दा) बचन उस (पति) की जीवित अवस्था में ही प्रभाव करनेवाला होता है । इसलिए पति के मरने पर वह (विधवा) उस (पति) के (दिव्यदान द्वारा) कल्याण के लिए उस (दत्तक पुत्र) को ले सकती है ।

तत्रत्येस्तत्कृते पत्युर्यत आशाऽनुमीयते ।

ततो मृताऽवयःस्थायाऽप्येषा दत्तग्रहे त्तमा ॥२६६१॥

प्राणवालों (बंदू वालों) द्वारा उस (विधवा के गोद) के लिए पति की आशा अनुमान (presumed) करली जाती है, इसलिए यह (विधवा स्त्री) मरे हुए नाशातिव पति के लिए भी गोद ले सकती है।

इविडः पतिशुद्देन पालको द्युपत्तदयते ।

साऽतः पत्युः सपिष्ठानामांश्या तद्ग्रहे क्षमा ॥२६६२॥

मद्रासवालों द्वारा पति शब्द से रक्त का माव लिया जाता है। इसलिए यह

(विधवा) पति के सपिष्ठों की आशा द्वे गोद लेने में समर्थ होती है।

भर्तुर्धातसपिष्ठानां विनाशां विधवाऽऽर्हती ।

पत्यर्थं तद्ग्रहेऽशक्ता चेद् वाचा नाश रीतिज्ञा ॥२६६३॥

जैन विधवा, दीदि यहाँ पर रिवाज से वाचा न हो तो, अपने पति या उस (पति) के सपिष्ठों की आशा के बिना उस (दत्तक पुत्र) को लेने में समर्थ नहीं होती। (अर्थात्-रिवाज से आशा की आवश्यकता न हो तो स्वयं गोद ले सकती है अन्यथा नहीं।)

पत्युः स्पष्टादेशतो विधवाया दत्तकग्रहणम् ।

पति की दृष्टि आशा से विधवा का गोद लेना।

अवयस्योऽपि निर्णेतुः क्षमं वय उपाधितः ।

दिन्दुः स्यस्यमता भाषीं तश्चेषां कर्तुं मीश्वरः ॥२६६४॥

वातिग न होने पर भी निर्णय करते योग्य अवस्या को प्राप्त हुमा स्वस्य मनवाला (होश द्वासवाला) दिन्दु उस (गोद लेने) में अपनी स्त्री को अधिकारिणी कर सकता है।

मृत्युकाले तु संसुटै मै तात्परमताऽनुगोः ।

अपि दत्तेच्छुभिः स्या स्त्री कार्या तत्राऽधिकारिणी ॥२६६५॥

मृत्यु के दृष्टि शास्त्रेदारी में रहे, भिताहरा के मत को माननेवाले, दाक पुत्र लेने की इच्छावालों को भी अपनी स्त्री को उस विषय में अधिकार दे देना चाहिए। (अर्थात्-विना अधिकार के बहु गोद नहीं ले सकती)।

मिग्निलायामशुकौ घ विधवा दत्तकग्रहे ।

घश्चिप्रव्यचनव्यास्याशैलीत इति निश्चितम् ॥२६६६॥

निश्चित में तो विशिष्ट के बचन की अव्याप्ति के तरीके से विधवा गोद लेने में असमर्थ ही है, इह निश्चित है।

मान्याऽधिवायेयांत्र पत्या द्वेशता भूयम् ।

दत्तग्रहाय, मान्येयां संसुप्ती दीयतेऽय सा ॥२६६७॥

गोद लेने के लिए पति हारु अपनी विधवा स्त्री को दिया अधिकार ही यहाँ पर

मान्यं होता है (दूसरे को दिया नहीं) । और वह (अधिकार) (उसे) दूसरों के साथ में (भी) नहीं दिया जाता ।

अन्यैः सद्ग नियुक्ता तु न शका दत्तकग्रहे ।

गृहीतो दत्तकश्चाऽपि तथाऽमान्यो मतः पुनः ॥२९६॥

दूसरों के साथ नियुक्त की हुई (विधवा) गोद लेने में समर्थ नहीं होती और फिर उसके द्वारा लिया दत्तक पुत्र भी अमान्य होता है ।

नियमश्चेत्कृतस्तस्यै पत्याऽधिकृतिपत्रके ।

यत्साऽमुकानुमत्यैव क्षमा स्यादत्तकग्रहे ॥२९६॥

तर्हि तस्याऽनुमत्यैव सा दत्तग्रहणे क्षमा ।

तस्मिन्न जीवति या प्रेते नान्यथा तु कदाचन ॥२९७॥

भार्याया अवयःस्थात्वं प्रधानं तत्र कारणम् ।

तथा दत्तग्रहश्चाऽपि दायायैव न धर्मये ॥२९७॥

यदि पति ने उसके लिए अधिकार पत्र में नियम (शर्त) करदी हो कि वह (विधवा) अमुक (जन) की अनुमति से ही गोद लेने में समर्थ होगी, तो वह (जी) उस (पुरुष) की अनुमति से ही गोद लेने में समर्थ होती है । उस (अनुमति देनेवाले) के जीते जी या मरने पर भी अन्यप्रकार से (विना उसकी अनुमति के) कभी समर्थ नहीं होती । ऐसे स्थान पर पक्षी का छोटी अवस्थावाली होना ही प्रधान कारण होता है और गोद लेना भी धर्म (पिण्डदान) के लिए न होकर दाय-धन प्राप्ति (inheritance) के लिए ही होता है ।

जनैः कर्तिपर्यैर्यत्र निर्वच्यो दत्तको भवेत् ।

तत्रैकेन वृत्तश्चेत् स संमन्यान्यैर्जनैः सद्ग ॥२९७॥

तैव्यं प्रागथया दत्ताऽदानस्य समयेऽपि नो ।

दर्शिताऽसंमतिस्तहिं मतो मान्यः स दत्तकः ॥२९७॥

जहाँ पर दत्तक पुत्र कई पुश्यों द्वारा जुना जाने को हो, वहाँ पर यदि एक जुनेवाला दूसरे जुनेवालों के साथ उत्ताह करके उसे जुन ले और वे पहले (सलाह के समय) या गोद लेने के समय भी असंमति प्रदर्शित न करें, तो वह (जुना हुआ) दत्तक पुत्र मान्य होता है ।

अमुकस्याऽनुमत्यैवाऽदेयो दत्तः लियेत्ययम् ।

समयश्चेत्तदाऽमान्यस्तस्तस्मिन् जीवति या मृते ॥२९७॥

तत्स्वीकृतिं विनैवाऽत्र गृहीतो दत्तकः सुतःः ।

मन्त्रणामात्रं निर्देशे सा स्वतन्त्रा मता परम् ॥२९७॥

अमुक (पुरुष) की अनुमति से ही जी को गोद लेना चाहिए इस प्रकार ये शर्त हो, तो उस पुरुष के जीते हुए या मरने पर उसकी स्वीकृति के विना ही, पह

आर्यविधानम् ।

४३६

पर, गोद लिया हुआ पुत्र अमान्य होता है । परन्तु (शर्त में) सलाह लेने मान्य का निर्देश हो, तो वह जी (सलाह लेने न लेने में) स्वतन्त्र मानी गई है ।

एकाऽधिकासु या भव्राऽधिकृता दत्तकग्रहे ।

सैवाऽध्या भवेच्छुका ययेच्छु दत्तकग्रहे ॥२६७६॥

एक से अधिक विधवाओं में जिसी पति ने गोद लेने का अधिकार दिया है, वही विधवा अपनी इच्छानुसार गोद लेने में समर्थ होती है ।

एकाऽधिका नियुक्ताश्चेत्पत्या दत्तग्रहे लियः ।

तद्दिं ताभिगृहीतोऽन्न मान्यः स्यादत्तकः सुतः ॥२६७७॥

एष ज्येष्ठासुतोऽन्यासां सापलोयो मतः परम् ।

द्विदोष्वन्यागामतं ष्वेयं सुनिश्चितम् ॥२६७८॥

तासु प्राप्ताधिकारासु विषयते काऽपि तद्दिं तु ।

श्वशिष्टाः लियः सर्वा अक्षमा दत्तकग्रहे ॥२६७९॥

ज्येष्ठा भार्यैव कुञ्चाऽपि त्वमा दत्तग्रहे पुनः ।

अतस्तद्ग्रहये जातेराचारः प्रमुखो मतः ॥२६८०॥

यदि पति ने एक से अधिक लियों को गोद लेने में नियुक्त किया हो, तो यहाँ पर उनके द्वारा लिया हुआ दत्तक पुत्र मान्य होता है । परन्तु यह वही (पती) का पुत्र और दूसरी पतियों का सौतेला लड़का माना गया है । इसे मद्रास-हाईकोर्ट का सुनिश्चित मत जानना चाहिए । उन अधिकार प्राप्त लियों में से कोई मरजाय, का सुनिश्चित मत जानना चाहिए । उन अधिकार प्राप्त लियों में अंसमर्थ हो जाती है । फिर कहीं वही पती ही गोद लेने में समर्थ होती है । इच्छिए उस (दत्त पुत्र) के लेने में जाति का आचार मुख्य माना गया है ।

पृथगेकाऽधिकाभ्याश्चेदत्ता स्यादधिकारिता ।

तद्दिं ज्येष्ठैव विधवा शुका प्राप्त् दत्तकग्रहे ॥२६८१॥

यदि एक से अधिक लियों को अनुग-अनुग (severally) अधिकार दिया हो, तो पहले वही विधवा (जी) ही गोद ले सकती है ।

प्रत्यादिष्टे तपाऽदाने कनिष्ठा स्यात् त्वमा तथा ।

सति न्याये सपल्याऽस्ते इत्याऽमान्योऽपरप्रहः ॥२६८२॥

उस (ज्येष्ठ विधवा पती) द्वारा गोद लेने का इनकार करने पर छोटी (विधवा पती) समर्थ होती । और सौत के गोद लिए, न्याय से अनुमोदित, पुत्र के विद्यमान होने पर दूसरे (पुत्र) को गोद लेना अमान्य होता है ।

मौर्यिकी लियिता चेत्परिच्छुतिद्विपिधा मता ।

लिपिता राजमुद्रातोऽद्वितीयाद्वियते शुद्धैः ॥२६८३॥

अधिकार मुख से दिया या लिखा हुआ दो प्रकार का माना है । लिखा अधिकार रजिस्टर होने पर ही विद्वानों से माना जाता है ।

इच्छापत्रगता सा चेदुपयोज्या तदा तु सा ।

नेत्राष्ट्राहौ कवार्यिंक्युत्तराऽधिलितिनीतिः ॥२६८॥

यदि वह (अधिकार) इच्छापत्र (will) के द्वारा दिया गया हो, तो उसे वि० सं० १६८२ (ई० सं० १९२५) के उत्तराधिकार कानून (Indian Succession Act) के अनुसार उपयोग करना चाहिए ।

अवयःस्थेन चेदत्ताऽधिकृतिमृत्युपत्रतः ।

तत्पत्राऽमान्यभावेऽस्य राजमुद्राहूनं स्मृतम् ॥२६९॥

यदि नायालिंग ने मृत्युपत्र (will) के द्वारा अधिकार दिया हो, तो उस (मृत्यु) पत्र को अमान्यता होने से उस (पत्र) का रजिस्ट्री कर बाना कहा गया है ।

सोपाधिकाप्यधिकृतिन्याय्योपाधियुता यदि ।

तद्विष्वान्यैव, नो मान्याऽन्याय्योपाधियुता परम् ॥२७०॥

यथाऽनुद्वेष्टुन्मेष्टस्य राजमुद्राहूनं लात्यधिकारिणी ।

मातापुत्रविरोधे साऽधिकृताऽपि न शक्नुयात् ॥२७१॥

शर्त के साथ का अधिकार भी यदि न्यायानुसार शर्तबाला हो, तो मान्य ही होता है । परन्तु अन्याय की शर्तबाला अमान्य होता है । जैसे बिन ब्याहे वालक पुरुष के मरने पर अधिकार प्राप्त माता गोद ले सकती है । (परन्तु) मा वेदों के विरोध होने पर, उस (माता) को अधिकार प्राप्त हो, तब भी वह समर्थ नहीं होती । (अर्थात्-पति ने पिछली शर्त पर गोदलेने का अधिकार दिया हो, तो भी वह मान्य नहीं होता ।)

भावस्त्वधिष्ठतेः पालयोऽध्यवया दत्तकग्रहे ।

तस्यां चेदवधिर्दत्तस्तदा तस्मिन् द्वि तद्ग्रहः ॥२७२॥

विषवा को गोद लेने में अधिकार के आशय को पालना चाहिए । उस (अधिकार) में यदि मियाद दी हो, तो उसी (मियाद) में गोद ले लेना चाहिए ।

अभावः सन्ततेर्थंत्राऽधिष्ठतौ निधितः पुनः ।

पत्युत्तेऽपि जातायां कन्यायां तत्र साऽफला ॥२७३॥

फिर जदा पर अधिकार में सन्तति का अभाव (होना) निधित कर दिया हो, वहां पर पति के (मरने के) बाद भी कन्या के उत्पन्न होने पर वह (अधिकार) निष्फल हो जाता है ।

दत्तके निधिते पत्या गृहीयात् सा तमेव द्वि ।

तन्मृत्यौ तु पुनश्चान्यं निषेधो यदि नो कृतः ॥२७४॥

संति तस्मिस्तु वैशयं तस्य जूनमपेत्यते ।
महाराष्ट्रीयसर्वोद्यन्यायालयमतानुग्रः ॥२६६१॥

पति के गोद के पुत्र को निधित छरदेने पर वह (वी) उसी बी ते और यदि नियेष न हो, तो उस (निधित दत्तक पुत्र) के मरणाने पर फिर दूसरे भी ले । उस (नियेष) के होने पर चंद्र वाहिकोट्ट के मत के माननेवालों द्वारा उसका सप्त (खुलासा तौर पर) होना अवश्य ही आवश्यक माना जाता है ।

दत्ताऽधिकाराऽप्यधाय यदि नेच्छेत्सुतप्रदम् ।

न्यायेन दायाऽधिकृतौ तस्यै घाधा न तर्हापि ॥२६६२॥

(गोद लेने का) अधिकार वी गई विषवा भी यदि पुत्र लेना न चाहे तो (भी) उसके दायाधिकार में न्याय से बाधा नहीं होती ।

घाधा तत्राऽप्यपेक्षापि तद्ग्रहे नो वृथैर्मता ।

यावज्जीवं क्षमा सा स्पाद् यदीच्छेद् दत्तकप्रदम् ॥२६६३॥

और ऐसे स्थान पर विडानों ने उस (गोद) लेने में अधिकी बाधा भी नहीं प्राप्ति है । यदि वह (विषवा) गोद लेना चाहे, तो जीवन पर्यन्त सुरक्ष होती है ।

दत्तग्रहाऽधिकारस्तु धिधाया निपित्यते ।

पत्या काकाऽय विशद्यवसाऽत्र सुनिधितम् ॥ २६६४ ॥

विषवा का गोद लेने का अधिकार यही पर निश्चय ही पति द्वारा इशारे से (impliedly) या साफ़ बतने से (expressly) निश्चिद किया जाता है ।

इच्छाप्रयदनश्चेत् स तदिं प्रतिपित्यते ।

नेप्रापदक्षयसर्वीयोत्तराधिकृतिरीतिः ॥२६६५॥

यदि यह (गोद लेने का अधिकार इच्छाप्रय (will) के द्वारा दिया हो, तो वि० सं० ११२२ (ई० स० ११२२) के वत्तरायिकर (Indian Succession Act) के नियमानुसार निश्चिद किया जाता है । (अर्थात् उसकी ५० वीं धारा के अनुसार उक्ता निपोर्य (revocation) होता है ।

पत्यादेशमृते विधाया दत्तकप्रदणम् ।

पति वी आज्ञा के बिना विषवा का गोद लेना ।

इविडे च मदाराष्ट्रे निमोक्ताऽप्यसरेयु सा ।

पत्याऽपाताऽधिकाराऽपि भयेदत्प्रदे क्षमा ॥२६६६॥

अशास और चंद्र में नीचे लिये अवसरों पर पति से 'अधिकार नहीं' प्राप्त की हुई भी वह (विषवा) गोद ले सकती है ।

प्रथमं द्राविडी रीतिर्वैश्योन प्रदर्शयते ।

पत्या काकाऽथ वचसा सा चेन्नाऽत्र निवारिता ॥२६६॥
तर्हांप्राप्ताऽधिकाराऽपि दत्तकग्रहणे क्षमा ।

पतिपत्न्योः पृथग्वासो नो निवारणसूचकः ॥२६७॥

पहले मद्रास की रीति विद्युत रूप से घटलाई जाती है—यदि पति ने इशारे से (impliedly) या वचन से (expressly) वह (गोद लेने से) रोकी न गई हो, तो विना अधिकार पाई हुई भी (वह) गोद लेने में समर्थ होती है। पति और पत्नी का अलग-अलग रहना (ही) उसको (गोद लेने से) रोकने का सूचक नहीं होता ।

विश्लिष्टो मृत्युकाले चेत्पतिस्तस्याऽध्या तदा ।

तत्पितुः कुलबृद्धस्य प्राप्याज्ञां तदग्रहे क्षमा ॥२६८॥

यदि मृत्यु के समय पति जुदा हो, तो उसकी विपक्षा उस(पति) के कुल में बृद्ध पिता की आज्ञा प्राप्त करके उस (दत्तक पुत्र) को लेने में समर्थ होती है ।

तस्मिन्दपि मृते तत्र सा क्षमा दत्तकग्रहे ।

भर्तुर्वैहृनामासन्नसपिण्डानामनुशया ॥३०००॥

वहाँ पर उस (सुपुरुष) के भी मरजाने पर वह (खी) पति के घुत से (यहु संख्यक) धास के सपिण्डों की आज्ञा से गोद लेने में समर्थ होती है ।

तैः पुनः कामचारेण निरुद्धा स्वीकृतिर्यदि ।

प्रत्यादेषु तदिच्छायाः प्रावल्यं तर्हालं मतम् ॥३००१॥

फिर यदि उन्होंने (नज़्दीकी सपिण्डों ने) (अपनी) हठ से (capriciously) (गोद लेने व्ही) स्वीकृति रोकली हो, तो प्रत्यादी (reversions) में उस (खी को गोद दिलाने की) इच्छा की प्रबलता (preponderance) होना पर्याप्त होता है ।

सर्वेरेव सपिण्डैर्यो सपत्न्याः कन्या सदा ।

मन्त्रणं तत्कृते तस्या न स्यादावश्यकं परम् ॥३००२॥

परन्तु उसका सारे ही सपिण्डों से या सौत की कन्या से उस (गोद) के लिए सलाह करना आवश्यक नहीं होता ।

आसन्नानां सपिण्डानां मताऽभायो न पूर्यते ।

दूरस्थानां सपिण्डानामनुमत्या हि तत्कृते ॥३००३॥

पास के सपिण्डों के मत का अभाव, उस (गोद) के लिए, दूर के सपिण्डों की अनुमति से पूरा नहीं होता ।

आसन्नेष्यवयःस्थानां मतानां वाऽथ संमतिः ।

नावश्यक्यपथ्या नाऽलं दत्तकग्रहणे लियाः ॥३००४॥

पास हे सपिण्डों में नावालिगो या पाश्चतों की संभवि छी के गोद लेने में न सो आवश्यक होती है न पर्याप्त (sufficient) होती है ।

दुष्टाशयेन था द्वे वदशेनैव विरोधनम् ।

आसद्वास्य सपिण्डस्थाप्यमान्यं हि मतं बुधैः ॥३००५॥

विद्वानों ने पास के सरियट के भी, घटाव इरादे या द्वेष वगा होने के कारण ही (जो के गोद लेने के) विरोध करने वो अमान्य माना है ।

दूरस्थानां सपिण्डानां संमर्यादं भवेद्यदि ।

दीप्यक्षर्वं या स्थितस्तेषु कारागारेऽन्न कश्चन ॥३००६॥

असंमन्त्रयै तैः शक्ता तद्दिं दत्तप्रदेऽध्यवा ।

अस्यथा भन्नश्चाऽसन्नैस्तैः सर्वैः समर्पेतिता ॥३००७॥

र्थद दूर रहेवाले सपिण्डों जो संभवि (प्राप्त) करने के लिए कठिनता ही दा, वही पर, उनमें से कोई जेत में हो, जो विश्वा उनके साथ सलाह किये विना ही गोद ले सकती है । ऐसी अवस्था न होने पर, खाते हन रब (सपिण्डों) के साथ सलाह करना आवश्यक माना गया है ।

अधश्यमेव ते सर्वैः निरेक्षार्ते हि तद्प्रदूम् ।

अत पद न पृष्ठास्ते इत्युकिर्म प्रभाविती ॥३००८॥

वे उप (सपिण्ड) असरय ही उप (गोद) के स्त्रेन का विरोध करनेवाले वे इत्यकिर्म उनको नहीं पूछा-एव कहना प्रभाव नहीं रखता (पर्याप्त नहीं होता) ।

सपिण्डाऽनुमतेनाश्र न्याय्यो दत्तप्रदो न या ।

न्यायेशैरिति निर्णयोऽभियोगे समुपस्थिते ॥३००९॥

वही पर सपिण्डों की अनुमति होने से गोद लेना उचित हुआ है या वही भुक्तमा आने पर न्यायाधीरों की इच्छा निर्णय करना नाहिए ।

प्रत्यादानां सपिण्डानाममावे यंशजैः पुनः ।

प्रत्यादैः साऽनुमन्त्रयैव दत्ताऽदाने त्वमा भवेत् ॥३०१०॥

फिर सपिण्ड प्रत्यादों (acute reversioners) के अमाव में वंशज प्रत्यादों (nearest cognate reversioners) के साथ सलाह दरके ही वह गोद लेने में समर्थ होती है । (जैसे पुरोरे भाई आदि के साथ) ।

सपिण्डानामभावे तु भर्मैश्चेऽध्यवाः त्वमाः ।

यथेच्च तद्प्रदे किञ्चु नैतदाद्रियते बुधैः ॥३०११॥

व्यां (Bancoons) में सपिण्डों के अमाव में विश्वा आने इच्छातुर्त वह (गोद) के लेने में समर्थ होती है । परन्तु विद्वान् इस (प्रश्ना) का जारी नहीं करते ।

यत्रासन्नपिण्डस्तु दत्तग्रहणसंमतिम् ।

दत्त्वा प्रियेत चेत्स्य ग्रहणात्पूर्वमेव हि ॥३०१२॥

न स्यादत्तग्रहान्तं चावस्थासु परिवर्तनम् ।

नापराणि निमित्तानि यान्याश्रित्य विरोधयेत् ॥३०१३॥

मृतस्योक्तसपिण्डस्याऽनन्तरश्च सपिण्डकः ।

तर्हात्तो दत्तको नूनं मान्य एव मतो बुधैः ॥३०१४॥

जहाँ पर नजदीक का सपिण्ड गोद लेने की संमति देकर यदि उस (गोद) के लेने के पहले ही मरजाय और गोद लेने तक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तथा दूसरे भी ऐसे कारण न हों जिनका आश्रय लेकर उपयुक्त मरे हुए सपिण्ड के बाद का (नजदी की) सपिण्ड विरोध करे, तो तिया हुआ दत्तक पुत्र विद्वानों द्वारा मान्य ही माना गया है ।

भार्यासुताचनुत्यज्य चेन्नियेत जनस्तदा ।

जीवत्पुत्रा तु सा भार्या पुत्राऽज्ञाताऽपि न ज्ञमा ॥३०१५॥

दत्तकप्रहणे, किन्तु मृतिपत्रेण चेत्सुतः ।

दद्यादनुमतिं तस्यै तर्हान्ते तस्य सा ज्ञमा ॥३०१६॥

पुत्रान्ते तस्य दायान्तः काले दत्तग्रहस्य च ।

आसन्नानां सपिण्डानां सतां संमत्युपेक्षणम् ॥३०१७॥

न धाधकं स्त्रिया दत्तप्रहे, कार्म च न ज्ञमः ।

प्रत्याख्यातुं सपिण्डोऽपि दत्तामनुमतिं सकृत् ॥३०१८॥

यदि पुत्र पक्षी और पुत्र को छोड़कर मरे, तो जीते हुए पुश्वाली वह पक्षी पुत्र से इजाजत पाने पर भी गोद नहीं ले सकती । परन्तु यदि पुत्र मृति-पत्र (will) के द्वारा उसको अनुमति दे, तो वह (व्यी) उस (पुत्र) के बाद (मरने पर) (गोद लेने में) समर्थ होती है । पुत्र के मरने पर उस का इक दाय के घन पर नहीं रहना, (उस पुत्र के द्वित का अभाव होना) या गोद लेने के समय पास के जीवित सपिण्डों की संमति का न लेना व्यी के गोद लेने में बाधक नहीं होता (अर्थात्—कोई इकदार इन कारणों के बतलाकर गोद लेने की अमान्य नहीं कर सकता ।) तथा सपिण्ड भी एकत्र दी हुई (अपनी) संमति को अपनी इच्छा से ही लौटा नहीं सकता (उसका विरोध नहीं कर सकता) ।

मृत्युकाले तु संसुप्तश्चेद्धर्ता तद्विं संमतिम् ।

तत्पितुः समधाप्येवाऽध्यया दत्तप्रहे ज्ञमा ॥३०१९॥

यदि मरने के समय पति सामेदारी से (jointly) रहता हो, तो उसके पिता की संमति प्राप्त करके ही (उसकी) विधवा गोद लेने में समर्थ होती है ।

तस्मिवपि मृते पत्युप्रात्मणां या सदांशिताम् ।

अन्येषां हि समादायाऽनुमतिं सा द्वामा भवेत् ॥३०२०॥

पत्यन्ते तद्वितीये पु संस्तुष्टिष्वविशिष्टिः ।
याति, तेषां विनाशां सा तप्राऽन्यं योक्तुमहमा ॥३०२१॥

याति, तेषां विनाशां सा तप्राऽन्यं योक्तुमहमा ॥३०२१॥

उस (समु) के भी गोद लेने पर पति के (सब) भाइयों की या अथवा
सामेश्वरों की अनुमति लेने वह (वी) (गोद लेने में) समर्थ होती है ।

पति के मरने पर उसका दिव (एक) पीछे जीवित रहने ("survivoreship")
के फलए जिव (सामेश्वरों) को मिलता है, उनकी इजाजत के बिना वह (वी)
उस (एक) में दूखे को नियुक्त (introduce) नहीं कर सकती ।

मृते भर्तिं गृहीयात् संस्तुष्टानामनुदया ।

भार्या दत्तं न विश्विष्टपिरादाऽनुदया ततः ॥३०२२॥

इसलिये पति के मरने पर (उसकी) पत्नी साथवाले सामेश्वरों की अनुमति
से गोद ले, जुदा हुए परिणामों की अनुमति नहीं है ।

पत्यास्त्वयधिष्ठेत्याऽदिन्द्वलोक्या प्राप्य संमतिम् ।

स्त्रिया गृहीतोऽमान्यः स्यादत्तको नाऽन्त्र संशयः ॥३०२३॥

पति ने मुझे अधिकार देदिया है—स्त्रीदि छाट की उड़ियों से (गोद लेने
वाली) संमति प्राप्त वह वी के द्वारा गोद लिया दत्तक पुत्र अमान्य होता है, इसके
संशय नहीं है ।

पत्युः कुटुम्बिभिर्दत्ताऽनुमतिः स्यार्थस्त्वया ।

प्रीता तेभ्यथ या नो सा मान्या दत्तग्रदे मता ॥३०२४॥

पति के कुटुम्बियों द्वारा स्वार्थी ही इच्छा हो वी हुरं संमति या उनसे जो
सही हुरं संमति हो वह गोद लेने में मान्य नहीं मानी गई है ।

परं संस्तुष्टिविहितः समयः स्यांश्चरक्षये ।

माऽन्याय्यो प्रथम तप्राऽस्ति न्यायस्योऽन्तः धूयम् ॥३०२५॥

परन्तु सामेश्वर की अनेमात्र के रक्षण के लिए की शर्त अःशाय्य नहीं होती,
क्योंकि इसने नियम ही न्याय का उल्लंघन नहीं होता ।

विध्याभर्तृपंश्येभ्यः संप्राप्याऽधिष्ठाति द्वामा ।

भवत्पद्म दत्तकीकर्तुं पुत्रमेकाकिनं हापि ॥३०२६॥

विध्या वी पति के कुटुम्बियों (Kinsmen) से अधिकार पाहर (ज्ञान)
वी के उपाय ही उपर्युक्त पुत्र की भी गोद हो सकती है ।

अपृष्ठै प सप्तकी स्यां सपिरादानुमतेन दि ।

ज्येष्ठ्याऽप्यद्या त्यात्तो दत्तो मान्यो मतो शुघ्यः ॥३०२७॥

ज्येष्ठा भारी द्वारा, अपनी सौत को पूछे बिना ही, सपिण्डों की अनुमति से, पहले किया दत्तक बिद्वानों ने मान्य माना है ।

अपष्टुव निजां ज्येष्ठां सपल्ली दत्तकप्रहः ।

कनिष्ठया कृतोऽमान्यः संपिण्डाऽनुमतोऽपि चेत् ॥३०२८॥

अपनी पड़ी सौत को पूछे बिना छोटी छी द्वारा किया गोद का ग्रहण (पतिके) सपिण्डों से अनुमत होने पर भी अमान्य होता है ।

सदाशयत पथाऽध्राऽधया दत्तग्रहे ज्ञमा ।

प्रत्यादास्तद्विरोधेऽपि रुक्ताः शुद्धाशयेन हि ॥३०२९॥

विषया छी नेक नीयती से ही यहां पर गोद लेने में समर्थ होती है और इक्दार (reversioners) भी नेक नीयत से ही उसका विरोध कर सकते हैं ।

मद्वाराप्रेऽनवाप्यैव पत्यनुशां ज्ञमाऽधवा ।

दत्तकप्रदर्शये निम्नाऽवस्थासु सुविनिश्चितम् ॥३०३०॥

बंधू में विषया पति की समति प्राप्त किये बिना ही नीचे लिखी अवस्थाओं में निधय रूप से गोद लेने में समर्थ होती है ।

काकाऽथ वचसा पत्या निपिदा चेन्न तद्ग्रहे ।

निपिद्धस्तदूप्रहो भर्ता स्वर्यं नो वाधको मतः ॥३०३१॥

यदि पति ने इसारे से (impliedly) या वचन से (expressly) उस (गोद) के सेने में रोक न लगाई हो (तो विषया गोद ले सकती है) । पति का स्वर्य गोद लेने से इनकार करना (छी के लिए) वाधक नहीं होता ।

न्याय्याऽन्याय्यतया पत्या गृहीते दत्तके न सा ।

शुकाऽङ्गेत्पुं ग्रहीतुं धाऽपरं जीवति तत्सुते ॥३०३२॥

न्याय से या अन्याय से पति के गोद ले हेने पर वह (छी) न हेतराज् कर सकती है न उस पुन छी जीवित अवस्था में दूसरा (गोद) ले सकती है ।

विषया तु मृते पत्यौ प्रतिवन्यान् हि तत्कृतान् ।

दत्तकप्रदर्शे सर्वान् पालयेन्नायथतो ध्रुवम् ॥३०३३॥

विषया छी पति के मरने पर गोद लेने में उपर्युक्त (पति) के किये (लगाये) पत्र अतिव्यन्तों (restrictions) का न्याय है, निधित सौर पर, पालन करे ।

सर्वस्यं मृतिपत्रेण दत्तं घर्माय येन हि ।

तस्योकिर्त्यन्न गृहीयां दत्तकं स्वकृते तथा ॥३०३४॥

नाऽधिकुर्यां निजां भर्यामपि तद्ग्रहये पुनः ।

न वाधिका तदन्ते स्यात्स्यास्तत्राऽन्यसंपदे ॥३०३५॥

जिसने इच्छापत्र (will) के द्वारा सारा ऐन घर्माय दे दिया है, उसका

(यद) कहना कि—मैं आते लिए गोद का पुत्र न लूँगा और फिर अपनी ही की भी उसके प्रदण करने के विषय में अधिकार न दूँगा—उसके मरने पर उस (ही) के दूसरी (*watan*) संपत्ति के लिए बैसा करने (गोद लेने) में चापक नहीं होता ।

महाराष्ट्रे यतो नैवाऽधिकृतिः समपेत्यते ॥३०३६॥

अतोऽधिवागृहीतोऽसौ मान्य पद मतो दुष्टैः ॥३०३६॥
क्षणोक्ति वर्षद्वे प्रान्त में अधिकार की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए विषय का लिया यद (दत्तक पुत्र) विदारों ने मान्य ही माना है ।

मूल्युकाले विसुष्टस्य पत्युदीयमवाप्य तु ॥३०३७॥

पक्षी-पतिसपिण्डानां विनाशां तदग्रहे क्षमा ॥३०३७॥
ही मरने के रामय जुदा रहे पति के दाय-पन को प्राप्तकर तो, पति के सपिण्डों

ही आहा के बिना (ही), उसे (दत्तक पुत्र को) ले सकती है ।

मृते भर्तेरि संस्कृते ऽधिवादत्प्रदेशता ॥३०३८॥

व्याख्याभिभिन्नरूपाभिभिन्न-भिन्नैव लभ्यते ॥३०३८॥
सामेदारी में रहनेवाले पति के मरने पर विषय का गोद लेने का अधिकार
भिन्न-भिन्न ही वी व्याख्याओं के कारण भिन्न-भिन्न प्रदार का ही भितता है ।

रसत्रिनयचन्द्रान्वे महाराष्ट्रे ऽधिवादितम् ॥३०३९॥

मुख्यन्यायालयेन तदत्पेन तु प्राग् हि यत् ॥३०३९॥
पत्याऽनधिकृता वा तत्संस्कृताऽनुभुमोदिता ।

विधया न क्षमा दत्तग्रहणाय निजेच्छया ॥३०४०॥

विक्रम संवत् ११११ (ई० स० १८५६) में वर्षद्वे प्रान्त में वहां के मुख्य
न्यायालय (High Court) ने ही पहले निर्धित किया था कि पति से अधिकार
नहीं ही हुई या उस (पति) के सामेदारों से अनुमति नहीं ही हुई दिधता,
अपनी इच्छा ये (ही), गोद लेने के लिए समर्प नहीं होती ।

घटुवेदनयेकान्वे अशुराऽनुमता पुनः ॥३०४१॥

दत्तकप्रदणे शक्ता न्यायिनिनिरणायि सा ॥३०४१॥

पिर विद्वं १८५८ (ई० स० १८६१) में न्यायर्थीओं ने उस (विधया)
ही अशुर की अनुमति मिलने पर गोद लेने में समर्प उदाराया है ।

संस्कृते द्येदियुक्तः स्यान्मृतसंस्कृतेत्वे ॥३०४२॥

सेवेन दत्तकस्तद्वित्यविभक्त्यना अपि ॥३०४२॥

तेऽन्ये विसुष्टा पित्रेया अनूदे च मृते पुनः ॥३०४३॥

तस्मिन्सुने भवेच्छुका तन्माता दत्तकप्रदे ॥३०४३॥

सामेदारों ने यदि मरे हुए सामेदार के लिए लेह (deed) के द्वारा दत्तक
पुत्र नियुक्त कर दिया हो, तो उन दूसरे (सामेदारों) को पन द्वा बड़ारा न

किये हुए दोने पर, मीं सुना हुए जानगा चाहिए और फिर उस पुत्र के अविवाहित मरणे पर उसकी माता गोद लेने में समर्थ होती है ।

मातृगर्भं तु संख्यः काले दत्तग्रहस्य घेत् ।

भवेत्सद्विं तदाऽऽदाममान्यं तत्र निश्चितम् ॥३०४३॥

यदि गोद लेने के समय साकेतर मा के गर्भ में हो, तो वहां पर उसका (गोद के पुत्र का) लेना निश्चित ही अमान्य होता है ।

नयाण्टनवचन्द्रान्वे महाराष्ट्रे तु सा कृता ।

उपेद्य भर्तुं संस्पानपि दत्तग्रहे ज्ञमा ॥३०४४॥

विं सं० १६८६ (ई० सं० १६३३) में वंशद्व प्रान्त में वद (विवाह) पति के सामेदारों को विना पूछे ही गोद लेने में समर्थ करती गई है ।

सपक्षीषु ज्ञमा ज्येष्ठा स्वेच्छया दत्तग्रहे ।

कनिष्ठाऽनुमतिस्तत्र न्यायेनैवाऽनपेक्षिता ॥३०४५॥

सीतों में वही (सीत) अपनी इच्छा से गोद ले सकती है । वहां पर छोटी (सीत) की अनुमति कानून से ही आवश्यक नहीं होती ।

कनिष्ठा सविशेषं चेत् पत्या नाऽधिकृता भवेत् ।

तद्यग्रहे तद्विं नो शका सा ज्येष्ठाऽनुमतिं विना ॥३०४६॥

यदि वही ने छोटी (मार्या) को खास तौर पर गोद लेने का अधिकार न दिया हो, तो वह वही (मार्या) व्यि अनुमति के विना (गोद लेने में) समर्थ नहीं होती ।

दत्तात्त्वधिकृतिः स्वार्थात् कनिष्ठायै पुराऽप्य चेत् ।

ज्येष्ठा सपक्षी तस्यास्तु तत्क्वावे द्यपवर्तनम् ॥३०४७॥

आरोपयन्ती गृहीयाद् दत्तकं तत्यं स्ययम् ।

तर्हामान्यो मतो सोके स दत्तो न्यायशास्त्रिभिः ॥३०४८॥

यदि वही सीत गोद लेने के (अन्ते) अधिकार के स्वार्थ के कारण पहले छोटी (सीत) को देकर फिर उसके डस (गोद लेने के) काम को नहीं करने का दोष लगाती हुई स्वयं (वही सीत) दत्तक पुत्र ले ले, तो न्याय के विश्वाद, वहां पर, उस पुत्र को अमान्य मानते हैं ।

मृतिकाले तु संख्यो भर्ती पित्रा भवेद्यदि ।

कनिष्ठा श्वशुराश्रमा स्वर्य दत्तग्रहे ज्ञमा ॥३०४९॥

यदि शृखु के समय पति (अन्ते) विना के साथ हो, तो समुर से आक्षा प्राप्त की हुई उसकी छोटी ही छुद ही गोद ले सकती है । (अर्थात्-ऐसी अवस्था में हुई अपनी वही सीत से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती) ।

पत्तुर्मरणकाले वेत् कनिष्ठा पुत्रिणी भवेत् ।

तत्पुत्राऽन्ते च तद्रिक्यं सा दाये प्रामुषाद् तदा ॥३०५१॥
तस्या ज्येष्ठा सप्ती नो स्पाच्छुका दत्तकग्रहे ।

यतः कनिष्ठाप्राप्तोऽयोः प्रत्यादातुं न शुक्रते ॥३०५२॥

दृढ़ि पति की भरु के समय होटी छी पुत्रवाली हो और उस पुत्र के मरने पर वह उभके धन को दाय (इक्षार्थी) में पा लेवे, तो उस छी छी बहीं सौत गोद नहीं हो सकती, क्योंकि होटी छी को मिला धन वापस नहीं लिया जा सकता ।

महाराष्ट्रे परं शका ज्येष्ठा दत्तग्रहेऽधुना ।

तप्राप्यतः कनिष्ठाऽसो पात्पर्यस्तं द्वि दत्तकम् ॥३०५२क॥

परमु महाराष्ट्र (वंदई) में आजकल यहीं सौत ऐसी अवस्था में भी गोद हो सकती है । इसलिये होटी सौत द्वारा पाया हुआ धन उस (वहीं सौत) के दत्तक-पुत्र को मिलता है ।

व्याख्यां यतोऽनुसूत्यैव प्रधानन्यायसंसदः ।

निर्णयस्त्वेष पिदितो मान्योऽतः सर्वभारते ॥३०५२ख॥

वर्णोक्ति वह निर्णय प्रधान न्यायकारिणी समा (The Privy Council) की व्याख्या (Comments) का अनुसारण करके ही किया है, इसलिए सारे ही भारत-पत्र में मान्य होगा ।

विधवायां दत्तकमहेण साधारणा नियमाः ।

(विधवा के गोद लेने में साधारण नियम)

दत्ताऽदाने भवेद् भर्तु जीवितो यादगीशता ।

तादौय तदन्ते स्वातत्पत्न्या नाऽधिका ततः ॥३०५३॥

अतः पत्तुरस्येषु तेन दत्तीकृतेषु धा ।

पुत्रीवप्तीवेषु होकस्मिन्नपि जीविति ॥३०५४॥

अथवस्था घयस्था धा विधवा न हामा भवेत् ।

दत्तकग्रहेण नूनमिच्छन्नस्यपि कथञ्चन ॥३०५५॥

जीवित पति की गोद हेने में जैसा अधिकार होता है, वैगा ही अधिकार उसके दाद उच्ची छी भी होता है उससे अधिक नहीं । इसलिये पति की संतान या गोद लिये देटो, योतों और इत्योतों में एक के भी सौनूद होने पर नाशिता या शालिंग विद्धवा, विधित होए पर, इच्छा रखती हुई भी किसी प्रकार गोद लेने में समर्प नहीं होती ।

अथवस्था त्वपुत्राऽपि यवो निर्णयनहम् ।

संप्राप्यैव समर्पणं स्थादिवया दत्तकग्रहे ॥३०५६॥

वह नावालिंग विधवा अपुत्र होने पर भी निर्णय कर सकने लायक वय (उम्र) प्राप्त करके ही गोद लेने में समर्थ हो सकती है ।

पत्याऽधिकारदाने चेद्दुःसो दत्तस्तदा तु सा ।

अनवाप्यैव पूर्वोक्तं वयस्तद्ग्रहणे क्षमा ॥३०५७॥

यदि पति ने अधिकार देने में दत्तक पुत्र नियत (नामजद) कर दिया है, तो वह (नावालिंग विधवा) पहले कही (निर्णय कर सकने लायक) वय को प्राप्त किये बिना ही उस (दत्तक पुत्र) को (गोद) लेने में समर्थ होती है ।

चह्नेऽय द्रविडे तस्याः पोडगान्दप्रवेशतः ।

निर्णयक्षमता प्रोक्ता वाराणस्यां तदन्ततः ॥३०५८॥

यंगाल और मद्रास में निर्णय कर सकना (age of discretion) सोलहवें वर्ष के प्रवेश (प्रारम्भ) से और बनारस में इस (सोलह वर्ष) की समाप्ति से कहा है ।

पत्या प्राप्ताऽधिकाराऽपि पांसुला विधवाऽक्षमा ।

दत्तश्रद्दे, परं शूद्रा महाराष्ट्रे क्षमा मता ॥३०५९॥

पति से अधिकार प्राप्त की हुई भी बदलन विधवा गोद लेने में समर्थ नहीं होती, परन्तु वंवर्द्दि प्रान्त में (ऐसी) शूद्रा जी (गोद लेने में) समर्थ मानी गई है ।

विधवा तु पुनभूत्वंगता नैव क्षमा भवेत् ।

पूर्वभर्तृकृते दत्तं ग्रहीतुं न्यायतो ध्रुवम् ॥३०६०॥

विधवा दूसरा विवाह कर लेने पर, कानून से, निधय ही, पहले पति के लिए गोद लेने में समर्थ नहीं होती ।

यदि नो निश्चिता संस्या पत्या तर्हंधवा क्षमा ।

पूर्वे-पूर्वे भृते दत्ते ग्रहीतुं तु परं परम् ॥३०६१॥

यदि पति ने संख्या नियित न करदी हो तो विधवा पहले-पहले दत्तक पुत्र के मरने पर दूसरे-दूसरे (दत्तक पुत्र) को ले सकती है ।

आशां पतिसपिंडानामनवाप्यैव सा क्षमा ।

दत्ताऽऽदाने महाराष्ट्रे तत्रेव्यो नाऽत आशयः ॥३०६२॥

वंवर्द्दि प्रान्त में पति के सपिंडों की आशा प्राप्त किये बिना ही वह (विधवा) गोद लेने में समर्थ होती है इसलिए वहाँ पर (उसका) आशय (motive) नहीं देखा जाता ।

द्रविडे तत्सपिंडानामाशयैव यतः क्षमा ।

अतो दत्तश्रद्दे तत्र तदौचित्यमपेदयते ॥३०६३॥

क्योंकि मद्रास में वस (पति) के सपिट्टों की आहा हो ही (वह विधवा) गोद लेने में समर्थ होती है, इसलिए वही पर वस आशय (motive) का अधिकार (validity) आवश्यक होता है ।

दत्ताऽऽदरने ख्रियाश्चाऽय प्रत्यादानां विरोधने ॥

शुद्धाशयत्वं न्यायेशाः ज्ञामास्तप्र परीक्षितुम् ॥३०६५॥

वही पर न्यायांधीश (विधवा) छी के गोद लेने में और (पति पर लिंग से बद्धजा बरने वाले) रेवर्सेशनर्स (revolutionaries) के (गोद का) विरोध बरने में (उनके) शुद्ध आशय (proper motive) की परीक्षा कर सकते हैं । (अर्थात् उनको इस बात का अधिकार है ।)

दत्तंग्रहेऽय विधवा दत्त्योत्कोचं प्रवर्तिता ॥

यदि तर्हि तु तदानं निन्द्य स्यात् स्मृतिरीतिः ॥३०६५॥

और यदि रिवत देवर विधवा को गोद लेने को तैयार किया हो, तो यह (रिवत का) दान स्मृतियों की रीति से निन्दनीय ही होता है ।

विधवाऽनु त्यनेकासु पत्या याऽधिकृता भवेत् ॥

अपृष्ठै सपक्षीः सा दत्तकप्रदणे ज्ञामा ॥३०६६॥

अनेक विधवाओं में जिसको पति ने अधिकारिणी बनाया हो, यह (दूसरी) सौतों को बिना पूछे ही गोद ले उकती है ।

यदि नाऽधिकृता काऽपि तर्हि ज्येष्ठा ज्ञामामवेत् ॥

द्रविष्टे तु सपिट्टानामनुमत्यैष तद्ग्रहे ॥३०६७॥

कनिष्ठाऽनुमतिस्तत्र नानियार्था मता, परम् ।

कनिष्ठाया ग्रहे तस्य ज्येष्ठाऽऽप्यावश्यकी मता ॥३०६८॥

यदि (पति ने) जिसी ओर भी अधिकार न दिया हो, तो वही (विधवा) मद्रास में सपिट्टों द्वी अनुमति से ही वस (गोद) के लेने में समर्थ होती है । वही पर छोटी (सौत) द्वी अनुमति आवश्यक नहीं मानी है । परन्तु छोटी (सौत) के गोद लेने में वस (जीवी सौत) की आसा आवश्यक मानी गई है ।

ख्रियां नाऽधिकृतायां तु मदाराधीयनिर्णयाः ।

व्याप्त्याभिर्भिरुपामिर्ये ते प्राप्तेय वर्णिताः ॥३०६९॥

(पति हारा) छी की अधिकार वही मिलने पर बंदूद प्राप्त में अनेक तरह की व्याप्त्याभीं से जो विर्णव होते हैं, वे पहले ही वर्णन पर दिये गए हैं । (देखो श्लोक ३०३८ से ३०४२ तक) ।

द्रविष्टे च मदारापूर्व पर दत्तग्रहे ज्ञामा ॥

पत्याऽनधिकृताऽप्येवा मता विवैः सुनिधित्वम् ॥३०७०॥

विद्वानों ने मदास और चर्वई प्रान्त में ही इस पति से अधिकृत नहीं की हुई (विधवा) को भी गोद लेने में समर्थ माना है ।

विधवाया दत्तकग्रहणाधिकारसमाप्तिः ।

विधवा के गोद लेने के अधिकार की समाप्ति ।

यथा भर्ता मृतोऽपुत्रस्त्यक्ष्या दायद्वरां ख्ययम् ।

भंतुर्वा केवलः पुनः प्रमीतो दायहारिणीम् ॥३०७१॥

उत्सृज्य मातरं तत्र पूर्वप्र विधवा तथा ।

पत्र माता दत्तायं यावज्जीवं ज्ञामा मता ॥३०७२॥

जहाँ पर विना पुत्रवाला पति, धन की हक्कदार पत्नी को छोड़कर मरा हो या पति का इक्षतीता पुत्र माता को धन की अधिकारिणी छोड़कर मरा हो, वहाँ पर पहले स्थान पर (पति के मरने पर) विधवा (पत्नी) और दूसरे स्थान पर (पुत्र के मरने पर) माता जीवन पर्यन्त गोद लेने में समर्थ मानी गई है ।

यतस्ते तत्र दत्तं हि गृहीतः स्वार्थद्वेत्वे ।

आजीर्णं तु त्योस्तस्मादर्धस्यार्थहरो हि सः ॥३०७३॥

योकि वहाँ पर (पहले कही अवस्थाओं में) वे दोनों (पति के मरने पर पत्नी और पुत्र के मरने पर माता) अपने (अधिकृत) धन के लिए गोद लेती हैं, इसलिए उन दोनों के जीवित रहने तक वह (दत्तक पुत्र) आपे (moiety of) धन का अधिकारी रहता है ।

पूर्वं मरणतः पुत्रोऽपादशाऽङ्गैर्वयस्थताम् ।

संस्कारक्षमतां पञ्चदशाऽङ्गैर्वा गतोऽपि सन् ॥३०७४॥

विधवाऽस्यां स्वपत्यर्थं दत्ताऽऽदानाऽधिकारतः ।

क्षमो वञ्चयितुं नैव न्यायस्यैष विनिश्चयः ॥३०७५॥

पुरुष मरने से पहले अट्टोरह वर्ण का होने से बोलिगापत को या पंद्रह वर्ष का होने से संस्कार की योग्यता (ceremonial competence) को प्राप्त होकर भी विधवा माता को अपने पति के लिए गोदलेने के अधिकार से अस्ति (रोक) नहीं कर सकता—यह कानून का निश्चय है । (इस नियम का संबन्ध श्लोक ३०७१—३०७२ में कहे पुत्र के मरण से है ।)

पुत्रं त्यक्ष्याऽथवा भायां मृतो यस्याः मृतो न सा ।

शुका दत्तप्रदे पत्या पुत्रान्तेऽधिकृतापि चेत् ॥३०७६॥

कारणं तत्र यहायो मृते पुत्रे तु तत्सुतम् ।

पुत्राऽभावे च तत्पक्षीयाति न्यायाऽनुसारतः ॥३०७७॥

जिस (माता) का पुत्र, पुत्र या ली को छोड़कर मरगया हो, वह पति द्वारा पुत्र के मरने की श्रद्धास्था में (गोद के लिए) अधिकृत की हुई भी गोद लेने में समर्थ नहीं होती । इसमें बारण यह है कि-किंवकि कानून के अनुसार पुत्र के मरने वर उसका धन उसके पुत्र को और उसके न होने पर उसकी ली को मिलता है ।

किं वा वंशीयसातत्यभारः पितृगतो यतः ।

स्वपत्लै संप्रदत्तोऽपि तेनात्र समयान्वितः ॥३०७८॥

याति पुत्रं तदन्ते च तत्पुत्रं चाऽथ तत्ख्ययम् ।

तदन्तेऽतोऽल्पमा माता पत्यथं दत्तकप्रदे ॥३०७९॥

अथवा वर्णोक्ति पिता पर रहा वंश को कायम (continue) रखने का भार उसके द्वारा (यदि पुत्र मर जाय तो वह गोद ले सकता है इस) शर्त के साथ आपनी पत्नी को दिया होने पर भी (उस पिता के मरने पर उसके) पुत्र की और आपनी पत्नी को दिया होने पर भी (उस पिता के मरने पर उसके) पुत्र की दाम (पुत्र) के बाद उस (पुत्र) के पुत्र को या उस (मरे हुए पुत्र) की ली दाम (पुत्र) के बाद उस (आपने पुत्र) के बाद माता गोद लेने में समर्थ को मिल जाता है । इसलिए उस (आपने पुत्र) के बाद माता गोद लेने में समर्थ नहीं होती ।

पुत्रश्चेत्केवलां कन्यामुत्तरज्य विषयते तदा ।

मदाराष्ट्रे तयोपात्तो दत्तो मान्यो मतो वृथैः ॥३०८०॥

यदि पुत्र केवल साक्षी होकर कर ही मर जाय, तो वंशद्वारा उस (माता) का दिया गोद पितानों ने मान्य माना है ।

मृते पुत्रे तु संत्यज्य स्वामन्यां चा पितामदीम् ।

समर्था तद्विमाताऽपि नैष्ठ प्राग् दत्तकप्रदे ॥३०८१॥

परं यतो न ते शक्ते तत्र वंशप्रवर्तने ।

अत आद्रियते नाऽसौ पूर्वोक्तो निर्णयोऽधुना ॥३०८२॥

पुत्र के भरनी माता या दादी को छोड़कर मर जाने पर उसकी (गोद लेने में) समर्थ सूतेली मां भी पहले गोद नहीं ले सकती थी । परन्तु क्यों कि मैं (मरनेवाले पुत्री अमर्ती माता और दादी) वहां पर वंश को क्रायम रखने में समर्थ नहीं होती, इसलिए अब यह पहले वहां विर्णव टीक नहीं समझा जाता ।

एष्यारं प्रनष्टा चेहसकप्रदेशता ।

तदिं पुत्रस्य दायदेष्यासन्नेषु मृतेष्यिद् ॥३०८३॥

सा न प्रत्येति तस्याऽन्यां पुत्रदायद्वामपि ।

दायस्तु प्रत्युपैत्यम्यां मध्यस्थानां मृतौ परम् ॥३०८४॥

यदि गोद लेने का अधिकार एक्यार मष्ट ही गया हो, तो वह वहां पर पुत्र के मत्रदीनी हृदारों के मरने पर पुत्र के धन र्ही अधिकारियों हुई भी उस (मरनेवाले

पुत्र) की माता को फिर से प्राप्त नहीं होता । परन्तु (पुत्र के) दाय का धन तो बीचवालों (बीच में रहे हकड़ारों) के मरने पर फिर से मा को मिल जाता है ।

पूर्वोक्तैर्गिंयमैश्चेत् सा समयैर्वा न वारिता ।

आजीवमधवा शका तर्हि दत्तग्रहे ध्रुवम् ॥३०८५॥

पहले (छार) कहे नियमों से या (अधिकार दिये जाने के समय नियत की पाँई) शरों से यदि वह विधवा छी न रोकी गई हो, तो निधय ही, जीवन पर्यन्त गोद लेने में समर्थ होती है ।

अस्मिन् भागे हि नियमा ये प्रोक्तास्ते प्रभाविणः ।

अन्तकाले विस्तुष्टे वा संख्ये भर्ति ध्रुवम् ॥३०८६॥

दायभागाऽनुगो, किन्तु मैताक्षरमताऽनुगो ।

तस्मिन् विषष्ट एवैते मान्या अत्र प्रकीर्तिताः ॥३०८७॥

इस भाग (Section) में जो नियम कहे गये हैं, वे निधय ही, मरने के समय जुदा या सामेदारी में रहने वाले, दायभाग को माननेवाले, पति के होने पर प्रभाववाले (लाग) होते हैं । परन्तु मिताक्षरा को माननेवाले उस (पति) के (मरने के समय) जुदा होने पर ही वे, यहां पर, मान्य कहे गये हैं ।

भृत्युकाले तु संख्ये मैताक्षरमताऽनुगो ।

पत्यौ ये नियमा मान्या वद्यन्ते तेऽथ निश्चितम् ॥३०८८॥

‘मरने के समय सामेदारी में रहे मिताक्षरा को माननेवाले पति के होने पर जो नियम मान्य होते हैं, वे, निधित तौर पर, आगे कहे जाते हैं ।

ओरसा दत्तका वाऽत्र पुत्रपौत्रप्रपौत्रकाः ।

भागेऽस्मिन् पुत्रशब्देन ग्राहा न्यायविशारदैः ॥३०८९॥

न्याय के पदितों को इस भाग (Section) में पुत्र शब्द से ओरस (अप्ती) या गोद लिये बैठे, पोते और परपोते लेने (समझने) चाहिए ।

पत्यर्थं दत्तकस्त्वाच्चस्तदन्तेऽधवया तु यः ।

सोऽप्यथ पतिसंमुक्त-पुत्रवन् मान्य ईरितः ॥३०९०॥

विधवा छी ने पति के मरने पर जो दत्तक पुत्र लिया हो, वह भी यहां (इस भाग में) पति के (अपने पोते) छोटे पुत्र के समान मान्य कहा गया है ।

यथ कन्याश्च विधवां मुक्त्वा भर्ता मृतो भवेत् ।

ग्राक् स्यामित्वात्तु विधवा तत्र दत्तग्रहे त्तमा ॥३०९१॥

जहां पर पति, कन्या और विधवा छी को छोड़कर मरा हो, वहां पर पहले अधिकारिणी (उत्तराधिकारिणी) होने से विधवा फलो गोद ले सकती है ।

यिधवे चेत् परित्यक्ते तर्हि याऽधिकृता तयोः ।

सा, ज्येष्ठा च मद्वारापूर्वे स्वेच्छं दत्तग्रहे त्तमा ॥३०९२॥

यदि (पति ने) दो विषवा पत्रियाँ (अपने पीड़िते) छोड़ी हों, तो उनमें जिसे अधिकार दिया हो वह, और यद्युपि प्राप्त में जयेठा (वही) पत्री अपनी इच्छा के गोद ले सकती है ।

भर्ता पुत्रश्च विधयां परित्यज्य मृतो यदि ।

तदन्तेऽनूढे पत्याऽसौ पुत्रोऽपि विदिवं गतः ॥३०६३॥

तद्दि तस्याऽधवा भावा पुत्रदायदंरा मता ।

अतः सा पतिसंप्राप्ताऽधिकारा तदूप्रदे स्तमा ॥३०६४॥

प्रधिडेऽनुमता पत्नुः सपिण्डैरेव या पुनः ।

महाराष्ट्रे यथेच्छे सा दत्तकप्रदणे स्तमा ॥३०६५॥

यदि पति (अपने पीड़िते) दुन और विषवा ती को छोड़कर मर जाव और उसके बाद वह बिन न्याहा पुत्र भी सर्व को चला जाय, तो उस (पुत्र) की विषवा माता पुत्र के घन को पाने वाली माती गई है । इसलिये पति से अधिकार पाई हुई वह (विषवा) उस (दत्तक-पुत्र) को उनमें समर्प होती है या किस मात्रास में (वह विषवा) पति के सपिण्डों की अनुमति पाई हुई होने से ही और यद्युपि प्राप्त में अपनी इच्छा से (ही) गोद ले सकती है । (अप्यति-मदाम और यद्युपि के अतिरिक्त अन्य स्थानों में पति की अनुमति की आवश्यकता होती है ।)

प्रमीते दत्तकेऽनूढे तस्मिन्शपि प्रभुद्दिं सा ।

पूर्याकरीत्या त्वपरं दत्तीकतुं सुतं पुनः ॥३०६६॥

किस उस गोद लिये हुए पुत्र के मो शित इयाहे (ही) मर जाने पर, वह उसको गोद लेने वाली माता पहली (भौक ३०६४ और ३०६५ में) कही रुहि से दूसरे को गोद का पुत्र बना सकती है ।

यत्र पौशश्च विधयां त्यक्त्या भर्ता मृतो भवेत् ।

प्रागुकरीत्या तपापि त्वी दत्तप्रदणे स्तमा ॥३०६७॥

जहाँ पति (अपने पीड़िते) पीते और विषवा (पत्नी) को छोड़कर मरा है, वही भी पहले (भौक ३०६३ से ३०६५ तक में) वही रुहि से (वह विषवा) किस गोद लेने में समर्प होती है ।

भायी याऽय सुतं त्यक्त्या पौत्रो मृत्युमयाप्नुयात् ।

यत्र तत्र न सा शक्ता पत्ययं दत्तकप्रदे ॥३०६८॥

जहाँ पर (वह) वोला पत्नी का पुत्र को छोड़कर मरे, वही पर वह (विषवा पत्नी) पति के लिए गोद नहीं से करनी ।

यत्र भर्ता मृतो भायी तत्यं च विहाय तु ।

पुत्रधाऽपि ततो जायां त्यक्त्या यातो दिवं प्रति ॥३०६९॥

तथ स्वर्गतपुत्रस्य मात्राऽऽतो दक्ष को यदि ।

स्वेच्छया हि महाराष्ट्रे द्रविडेऽनुक्षया पुनः ॥३१००॥

पत्युः सपिरेकातां वाऽन्यत्र पत्याक्षया पुनः ।

तर्हीमान्युः स सर्वत्र मतो न्यायविशारदैः ॥३१०१॥

जहाँ पर पति पत्नी को छोड़कर मरजाय और बाद में पुत्र भी अभी छी को छोड़कर स्वर्ग को चला जाय, वहाँ पर यदि स्वर्गवासी पुत्र की माता द्वारा बर्खी प्रान्त में अपनी इच्छा से, मद्रास प्रान्त में पति के सपिरेडों की अनुमति से या किर दूसरे स्थान पर (प्रान्तों में) पति की आक्षमा से गोद लिया गया हो, तो आनन्द के विद्वानों ने उसे सब जगह अमान्य माना है ।

पुनः स्तुपाया मरणेऽप्यात्मो दक्षस्तया मतः ।

अमान्यो यज्ञ सा शक्ता दाये याते स्तुपां प्रति ॥३१०२॥

किर (उस मृत) पुत्र की भार्या के मरने पर भी उस (उपर्युक्त माता) का लिया गोद अमान्य माना है, क्योंकि दाय के घन के (उस) पुत्र वहु को मिल जाने पर वह समर्थ नहीं रहती ।

पत्यन्ते तु निजं पुत्रं पौत्रं चाऽपि ततः क्रमात् ।

याते दाये मृतः पौत्रोऽनूढो तर्हीपि साऽक्षमा ॥३१०३॥

पति के बाद कम से पुत्र को और किर पीत्र को दाय का घन मिल जाने पर यिन व्याहा (ही) पीत्र मर जाय, तब भी वह (पुत्र की माता और पीत्र की दादी गोद लेने में) असमर्थ होती है ।

महाराष्ट्रे कृता शक्ता व्याख्यया त्यनया ततः ।

यदक्षाय स्वलघ्नोऽप्य दायो मात्रा प्रदीयते ॥३१०४॥

इसके बाद बर्खी प्रान्त में इस व्याख्या से वह (गोद लेने में) समर्थ करती रहती है कि ऐसे स्थान पर माता दत्तक पुत्र को असना प्राप्त किया इष्टदारी का घन देती है ।

मृत्युकाले तु संसृष्टो भर्ता यत्र भवेत्क्रिजः ।

तप्राऽन्ये नियमा ये ते प्रवदप्रन्तेऽधुना पुनः ॥३२०५॥

किर जहाँ पर अतां पति मरने के सब राकेश्वर हो, वहाँ पर जो दूसरे नियम होते हैं, वे अब कहे जाते हैं ।

द्रविडे तु मृते पत्यौ संसृष्टे न क्षमाऽध्यया ।

पूर्वोक्तासु ह्यप्यस्थासु पृकिनाशेऽपि धा पुनः ॥३१०६॥

मशहु प्रान्त में साम्ने में रहनेवाले पति के मरने पर (उसकी) विषवा पहले कही (लोक ३०७६ से ३०८२ तक की) - अदस्याओं में या किर राकेश्वरी के नष्ट होजाने पर भी (गोद लेने में) समर्थ नहीं होती ।

जायते पृक्तिनाशश्च संखष्टे शिष्टनाशतः ।

पृक्तिमेऽर्थे तदघवां दायत्वेन गते सति ॥३१०७॥

और सामेदारी का नाश, सामेदारी में पीड़ि वचे पुरुष के मरने से साक्षे के घन के उस (मरने वाले) की विभवा को दायलर से मिल जाने पर, वही जाता है।
संखष्टे प्रवशिष्टस्य मृतौ संखष्टिरो धने ।

यातेऽन्यं तस्य दायादमव्यलं सा न तदूग्रदे ॥३१०८॥

सामेदारों में थीड़े शेष रहे के मरने पर साक्षे के घन के उस (मरने वाले) के दूसरे हड्डार को मिलजाने पर भी वह उस (दत्तक-पुत्र) को लेने में समर्थ नहीं होती ।

महाराष्ट्रे मताऽधिकान्यायाऽधीशैस्तु सा कृता ।

क्षमा दत्ताग्रहे किन्तु नो गतार्थप्रतिग्रहे ॥३१०९॥

दृढ़हृ प्रान्त में न्यायकर्ताओं (जब्ती) ने अधिक मत से उस (ज्ञी) को गोद लेने में समर्थ बना दिया है, परन्तु (अनितम सामेदार के उत्तराधिकारी के पास गये घन की पापस लेने में (समर्थ) नहीं बनाया है ।

उपर्युक्तविकाराऽभावे दत्ताग्रहे क्षमा ।

सा त्यनायत्तविच्चाऽपि मता न्यायविशारदैः ॥३११०॥

जबर कही (रक्षावट की) बातों के अभाव में वह (ज्ञी), घन पर अधिकार न होने पर भी, गोद ले सकती है ।

पृक्तयोस्तु मृतो भ्रात्रोरेको दत्तप्रहे क्षमाम् ।

विधाय भार्या, तस्यार्थो यातधान्यं दि सोदरम् ॥३१११॥

मैतादरानुगा तत्राऽधव्या दत्तप्रहे क्षमा ।

प्रत्यापाति गतोऽर्थश्च तयात्तं तनयं प्रति ॥३११२॥

दों सामेदार भाइयों में से एक आनी विभवा ज्ञी को गोद लेने की अधिकारिता बनाकर मराया हो और उसका घन दूसरे भाई को मिल गया हो, वहां पर (वह) मिलावती की मालवेगाली विभवा गोद ले सकती है और (पति के भाई) गया घन उसके लिये लाजके की बापस मिलजाता है ।

भ्रात्रोस्तु पृक्तयोरेको मुक्त्या गर्भवतीं खिपम् ।

मृतोऽपरस्तदन्ते चाऽधिकृतय विधवां निजाम् ॥३११३॥

दसार्थं लेपतो मीतस्तत्थोत्तरयासरे ।

गर्भिण्या जनितः पुत्रस्ततो मासवयोत्तरम् ॥३११४॥

आत्मो दत्तोऽधिकृतयाऽधव्या मान्य ईरितः ।

ऐनृव्यौ च मिथस्तौ स्तः पृक्तौ पृक्ताऽर्थभोगिनी ॥३११५॥

दों सामेदार भाइयों में से एक (अपनी) गर्भवती पक्षी की छोड़ार मर गया

हो और दूसरा (भाई) उसके बाद अपनी विधवा को लेख (will) द्वारा गोद लेने का अधिकार देकर मृत्यु को प्रात होगया हो, और (उसके मरने के) दूसरे दिन गर्भिणी ली ने पुत्र को जन्म दिया हो और किर तीन महीने बाद अधिकार पाई हुई विधवा ने गोद लिया हो, तो वह (दत्तक-पुत्र) मान्य कहा गया है । वे हीनों आपस में (एक-दूसरे के) चबेरे भाई सामेदार और सामे का धन भोगनेवाले होते हैं ।

पृक्षपोस्तु मृतो ग्राव्रोरेको मुक्त्वा सुतात्मजौ ।

संत्यज्य विधवां पुत्रवधूं भीतोऽपरोऽपि च ॥३११६॥

पूर्वस्त्रातुः सुतोऽप्यन्ते त्यक्त्वा भार्यासिद्धोदरे ।

मृतः, स्तुपाऽपरस्त्रातुस्ततो जग्राह दत्तकम् ॥३११७॥

पूर्वस्त्रातुः स्तुपा चाऽन्ते पुनभूत्वं गता, ततः ।

कौटुम्बिकं धनं यातं पूर्वस्त्रातसुलां प्रति ॥३११८॥

एवं स्थिते महाराष्ट्रे न्यायिभिर्मतभूमतः ।

स्तुपया त्वपरस्त्रातुरात्तो दत्तक आदतः ॥३११९॥

परं पृक्षाऽपशिष्टे तु पूर्वधातुः सुते सुते ।

तदभगिन्या हृतं दायं ग्रहीतुः खोऽक्षमः कृतः ॥३१२०॥

मध्यप्रान्तेऽप्यनुमत एष एव हि निर्णयः ।

अशास्त्रीयतया किन्तु नाऽसावादियते वुथैः ॥३१२१॥

दो सामेदार भाइयों में से एक लड़की और लड़का छोड़कर मर गया हो और (किर) दूसरा (भाई) भी (अपने पांछे) (लड़के के पहले ही मरजाने से) लड़के की विधवा ली को छोड़कर स्वर्ग चला गया हो । बाद में पहले (मरे) भाई का पुत्र भी (अपनी) ली और वहन को छोड़कर मर गया हो । इसके बाद दूसरे भाई की पुत्र की ली ने दत्तक-पुत्र (गोद) लिया हो और अन्त में पहले भाई के लड़के की ली ने दूसरा विवाह कर लिया हो, तथा बाद में कुदम्ब का धन पहले भाई की लड़की को मिल गया हो । ऐसी अवस्था में बंबई प्रान्त में न्यायाधीशों ने अधिक मत से दूसरे भाई की पुत्र-वधू के लिये दत्तक को मान्य समझा है । परन्तु सामेदारों में शेष रहे पहले भाई के पुत्र के मरने पर उसकी वहन दारर पास, किये दाय को (बापस) लेने में उसे (उन्मुक्त दत्तक-पुत्र की) असमर्थ कर दिया है । मध्यप्रान्त में भी (जागपुर हाईकोर्ट ने) यही निर्णय माना है । परन्तु शास्त्र विशद होने से विद्वान् लोग इसे ठीक नहीं समझते । (अर्थात्- यही पर गोद मान्य होने पर भी धन का उने न मिलना विचारली रहे हैं ।)

संपत्तावविभाजयां पूर्वोक्तनियमस्य हि ।

प्रयोगे त्वयधार्यं यद्यरेऽस्यास्तु यथपि ॥३१२२॥

उपभोगे तथा मागे विच्छेदाद्य रक्षणे ।

न क्षमास्तद्वीपैषा संपत्पूकै य निश्चितम् ॥३१२३॥

नहीं यद्यु जानेवाली (impartible) संपति में पूर्णे नियम के प्रयोग करने में भाग रखना चाहिए कि यद्यपि छोटे (छुड़म्ही) (younger members) इसके उपभोग (enjoyment), माग (partition) और नष्ट होने (alienation) से बचाने में समर्थ नहीं होते, तथापि यह संपति निश्चितम् से यद्यु पर साझे की (coparcenary) ही होती है ।

ग्रातरं निजभायां च मुक्त्वाऽभाज्यभुवोऽधिपे ।

मृते तद्भार्यया स्वातो हानायत्तमुवाऽप्यसी ॥३१२४॥

पत्याऽधिकृतया दत्तो मान्य स्याद् द्रविडे पुनः ।

ज्यायस्या शाखया पृकः पितृव्यं घञ्चितुं प्रभुः ॥३१२५॥

नहीं यद्यु जा सम्नेवाली भू-संपति के स्वामी (जमीदार) के भाई और अपनी पत्नी को (पीड़ी) छोड़कर मरजाने पर उसको भू-संपति पर अधिकार नहीं रखनेवाली, (परन्तु) पति हारा (गोद होने का) अधिकार शास्त्री द्वारा ही हुई, पर्वी हारा लिया यह दत्तव्य-पुत्र भी मदात्प्राप्त मान्य होता है और वह जेष्ठ शाखा का समेदार होकर बाचा को (उस संपति से) प्रलग (divest) रखने में समर्थ होता है ।

भुवोऽधिपेन प्राग्भायां दत्तीकर्तुं क्षमा रहता ।

ततस्तस्यौरसे पुत्रे जाते स मरणं गतः ॥३१२६॥

भूत्वा ययःस्थः पुत्रोऽपि मृतः सोऽनूढ एव हि ।

तन्मृत्यौ च कर्तीयस्यां थेषां भूम्यधिकारिता ॥३१२७॥

शता, ततोऽधयात्तोऽपि दत्तो मान्यो मतः स्वयम् ।

चरकले तु सुनिष्ठोऽपि न्यायसंसत्सद्यकैः ॥३१२८॥

जमीदार ने पढ़ते ही को पोद लेने में समर्थ कर दिया और इसके बाद उसके खोरस-पुत्र ही आने पर वह मरणा । किंतु वह पुत्र भी यात्रिग होकर यिन द्वाहा ही मर गया और उसके मरने पर जमीदारी का अधिकार छोटी शाखा में बना गया । उसके बाद विनवा का योद्धतिया भी उड़ीसा में स्वयं जुड़ीशल क्षेत्री ने सोच-विश्वार कर मान्य माना है ।

भुवोऽधिपे मृते पुत्रं ग्रातरं विधवां तथा ।

मुक्त्वा तस्य तु पुत्रोऽसायपरैर्दत्तकीष्टतः ॥३१२९॥

तन्माप्राऽन्ते गृहीतोऽन्यः मृतो मान्यो मतः पुनः ।

मदाराप्ते हि निष्ठोऽपि निष्ठेत्सां तु संसदा ॥३१३०॥

जमीदार के, पुत्र, भाई और विपक्ष पक्षी की छोड़कर मरने पर उसके इस पुनः

को दूसरों ने गोद ले लिया और उसके बाद उस (पुत्र) की माता द्वारा (गोद) लिया दूसरा पुत्र बंवई में जुड़ीशत कमेटी ने निर्णय करके मान्य माना है ।

भूमीशस्याऽवरथेणौ स्थितैर्यस्याऽन्नं पूर्वजैः ।

तद्वश्यपुमेभावे हि दातारं प्रतियास्यति ॥३१३१॥

समयेनाऽमुनाग्रामः प्राप्तो निर्वाह हेतवे ।

मृते तस्मिन् परित्यज्य विधवां, दत्तकस्त्या ॥३१३२॥

गृहीतस्तु कुतो मान्यो मुख्या न्यायसंसदा ।

कारणं तत्र यद्यमामोऽवरथेणिगतोऽन्यसौ ॥३१३३॥

उपायस्या अवरायाश्च श्रेण्याः पृक्तिवनं धृवम् ।

ज्येष्ठाश्रेणौ स्थितं दातुरतः प्रत्येत्यसौ नद्दि ॥३१३४॥

यहाँ पर जनीदार की छोटी शाखा (junior branch) में रहे जिसके पूर्वजों ने, उसके बंश के पुरुष के अभाव में देनेवाले के पास लौट जायगा-इस शर्त पर निर्वाह (गुजारे) के लिए गाँव पाया हो, उसके विधवा छी को छोड़कर, मरजाने पर उस (विधवा) का लिया दत्तक जुड़ीशत कमेटी ने मान्य कर दिया है । वहाँ पर इसका कारण यह है कि वह गाँव छोटी शाखा में रहने पर भी निधव ही बही और छोटी (दोनों) शाखाओं का सामने का घन है, इसलिए (गाँव) देनेवाले की बड़ी (senior) शाखा में रहे (पुरुष) के पास वापस नहीं जाता ।

मदाराप्ते वतन्दारो भायां त्यक्त्वा मृतस्ततः ।

तपाऽत्तो दत्तकोऽप्यन्नं मृतोऽर्थश्च सगोत्रजम् ॥३१३५॥

गतस्तीत ततो दत्तः स्वपुत्रो विधवां प्रति ।

दत्तकल्येन, सोऽप्यन्ते कन्यां मुक्त वा द्वियं गतः ॥३१३६॥

गृहीतोऽधवया चाऽन्यस्तन्मृत्यौ दत्तकः सुतः ।

अमुत्र गोत्रजस्याऽर्थप्राप्त्या धाऽन्यसुतस्य च ॥३१३७॥

प्रमीत्या स्वसुतास्त्यक्त्वाऽधवादत्तप्रदेशिता ।

नैव नष्टा मता न्यायशास्त्रतत्त्वाऽर्थयेदिभिः ॥३१३८॥

बंवई में (एक) वतनदार, पत्री छो (पीछे) छोड़कर मरगया । उसके बाद, वहाँ पर, उस छी का गोदलिया पुत्र भी मरगया और घन (वतन) सगोत्री पुरुष (collateral) को मिलगया । इसके पाद उस (सगोत्री) ने अपने पुत्र को (उस) विधवा छी की तरफ गोद दे दिया । अन्त में वह (पुत्र) भी कन्याम्र को छोड़कर स्वर्ग को सिवारा और उसके मरने पर विधवा ने दूसरा पुत्र गोद ले लिया । यहाँ पर कानून को जानेवालों ने सगोत्री को घन मिलजाने वा अन्य (दूसरे) पुत्र के अपनी कन्याओं को छोड़कर मरजाने से विधवा का गोद लेने का अधिकार नष्ट हुआ नहीं माना है ।

पृकोऽवशिष्टः पृके पु काले दत्तमहस्य नो ।

यायां दत्तमहे कुर्यात् संस्कृतेऽग्रं कुटुम्बके ॥३१३॥

पृकमेव कुटुम्बं तद् तायद् यायद् हि जीवति ।

कतमाऽवशिष्टवाऽदातुं शका वृत्ति कुटुम्बतः ॥३१४॥

यहाँ पर गोदवेने के समय सामेदारों में से वजा हुआ एक (पुल्य) सामेके कुटुम्ब में गोद लेने में रुचाकृत नहीं ढालता । वह कुटुम्ब तब तक सामेदारा ही रहता है, जब तक दुष्य से (मरण योगण के लिए) वृत्ति लेने में समर्थ, कोई भी विधवा जीवित रहती है ।

पृकाऽवशिष्टे भर्तौ चेत् तद्दिं तस्मिन् सूते पुनः ।

पृकिनाशेण्ठपि तद्वार्या दत्ताऽदाने क्षमा भता ॥३१५॥

किर यदि सामेदारों में पति (ही) (अन्तिम) शोपहा (पुल्य) हो, तो उसके मरने पर सामेके के नष्ट हो जाने पर भी उसकी पत्नी गोद लेने में समर्थ होती है ।

यथा गोप्रज्ञसापिड्याद् सुंदायां घसु किञ्चन ।

पृकाऽवशिष्टिः प्राप्तं त्यात्तो दत्तको भतः ॥३१६॥

भान्यः परमसौ नूनं गोप्रज्ञसापिड्यकारणात् ।

तां प्रत्यर्थं समायान्तं निधारयितुमहमः ॥३१७॥

बर्वै प्राप्त में जिस छी ने गोप्रज्ञ-सपिड्या होने से सामेदारों में से (अन्तिम) वये हुए (पुल्य) से फूड धन पाया ही, उसका लिया दत्तक-पुत्र मान्य माना गया है । परन्तु यह (दत्तक) गोप्रज्ञ-सपिड्या के कारण ही उस (छी) की मिलने वाली संभृति को नहीं रोक सकता (उस में वाधा नहीं ढाल सकता) ।

अतो यत्राऽन्तिमे पृकाऽवशिष्टे पुरुषे सूते ।

गता तमात्तरं संपद् तस्याद्याऽन्ते वितामहीम् ॥३१८॥

ततः पितॄन्यविधां त्याऽन्तो दत्तकः पुनः ।

भान्यस्तत्र परं नासायर्थलंकमरोधकः ॥३१९॥

इसलिए जहाँ पर सामेदारों में रोप है अन्तिम पुल्य हे मरने पर (कुटुम्ब की) संभृति उसकी माको और उस (मा) के बाद (मरने पर) दादी को तथा उसके बाद रिपवा चाची और मिली ही, वहाँ पर उस (चाची) का लिया दत्तक मान्य होता है । परन्तु यह (दत्तक-पुत्र) धन का क्षम है एक के बाद दूसरे की मिलना नहीं रोकता ।

दत्तकाऽप्येन्याय-संमता जनाः ।

गोद देने में शान्ति से भान्य पुल्य ।

केवलौ पितरावेव भवेतां न्यायसंमतौ ।

आत्मजं दत्तकार्थं तु दातुमन्यं जनं प्रति ॥३१४६॥

केवल माता-पिता ही अपने पुत्र को गोद के लिए दूसरे पुरुष को देने में फानून से (समर्थ) माने गये हैं ।

आतरं स्वमतो भ्राता सपलीजं विमातुका ।

तथा पितामहः पौत्रं दत्ताऽर्थं दातुमक्षमः ॥३१४७॥

इसलिए भाई अपने भाई को, सीतेती मा सीत के पुत्र को और दादा पोते को गोद के लिए नहीं दे सकता ।

दत्तत्यायात्मजं दातुं प्रधानस्तु पिता मतः ।

सति क्षमेऽतो जनकेऽशक्ता माता तदर्पणे ॥३१४८॥

पिता ही पुत्र को गोद के लिए देने में प्रधान माना गया है । इसलिए पिता के समर्थन से मौजूद होने पर माता उस (पुत्र) को देने में असमर्थ होती है ।

गार्हस्थ्यानिर्गतेऽशक्ते मृतेऽकृत्यैव वारणम् ।

तदर्थे तु निजे पत्यौ स्त्री ज्ञामा दत्तकाऽर्पणे ॥३१४९॥

अपने पति के गृहस्थी को छोड़ कर निकल जाने पर, असमर्थ (incapable of giving his consent) हो जाने पर, उसके (पुत्र को गोद देने के) लिए मनाई किये जिन ही मर जाने पर स्त्री गोद देने में समर्थ होती है ।

न्यायेशः प्राग् मद्वाराप्ते पुनर्भूत्वं गताऽध्यया ।

पूर्वभूत्वं सुतं दातुं दत्तार्थं त्वज्ञमा मता ॥३१५०॥

पत्या नाधिकृता चेत् सा, परं तत्रैव सा पुनः ।

दत्तकार्थं हि सं पुत्रं दातुं शक्ता प्रकीर्तिता ॥३१५१॥

पहले बंदी प्रान्त में न्यायाधीशों ने विधवा के पुनर्विवाह कर देने पर, उसे पहले के पति से वत्यज हुए (अर्गने) पुत्र को, यदि पति ने उसे अधिकार न दिया हो, तो गोद के लिए देने में असमर्थ माना था । परन्तु किर वहीं उसे गोद के लिए उस पुत्र को देने में समर्थ घतला दिया ।

पितरावपि नो शकाद्यधिकतुं परं जनम् ।

स्वपुत्रं दत्तकत्वेन दातुमन्यं प्रति स्वयम् ॥३१५२॥

माता-पिता सुद भी, अपने पुत्र को, दूसरे को गोद देने के लिए, अन्य जनको अधिकारी नहीं बना सकते ।

परं दैदक्षियाकृत्यै नियोक्तु मपरं ज्ञमौ ।

पितरौ, निर्णयस्तत्र यत्स्तस्य न धोक्षितः ॥३१५३॥

परन्तु मां-बाप शारीरिक काम (physical act) करने के लिए दूसरे को

विषय कर सकते हैं; वर्णों कि उसमें उस (पुश्य) के निर्णय (discretion) की आवश्यकता नहीं होती ।

म्लेच्छधर्मग्रदेशापि द्विन्दूधर्मस्थितं सुतम् ।

पिता तु दत्तकत्वेन दातुं शक्तो मतोऽधुना ॥३१५४॥
पिता आजकल, म्लेच्छधर्म ग्रहण कर लेने (मुखलमान हो जाने) पर भी दिनूधर्म में रहे पुत्र को गोद के स्त्रा में देने में समर्थ माना गया है ।

परं दत्ताऽप्येऽधर्म्यं कृत्यं कर्तुं न स क्षमः ।

यतस्ततो नियुखीताऽपरमायै तु तत्कृते ॥३१५५॥

परन्तु क्योंकि वह गोद देने में धार्मिक काम नहीं कर सकता, इसलिए उसके लिए दूसरे हिन्दू पुश्य को नियुक्त करे ।

सप्तखाद्वै कवर्यायजात्ययोग्यत्ववारकम् ।

विधातां हि सप्ताधित्य निर्णयोऽयं विनिश्चितः ॥३१५६॥

विक्रम् संवत् १४०७ (१० स० १८५०) के अधोवशता निवारक कानून (The Caste Disability Removal act) का आधय लेकर यह निर्णय किया गया है ।

ग्राह्यधर्माऽधितस्त्वार्यं पव लोके मतो यतः ।

ग्राह्यधर्माऽनुगं पुरुषं स दातुं तत्कृते क्षमः ॥३१५७॥

वर्णोंकि, दुनिया में, वास्त्रो समाज में गया (पुश्य) आर्य ही माना गया है ।

अतः वह भाइ धर्म में रहे पुत्र को उस (गोद) के लिए देने में समर्थ होता है ।

स्वस्थचितश्च यथसा विवारकमतां गतः ।

स्वश्वेदाश्च मतः पुरुषं दत्तत्वे दातुमीश्वरः ॥३१५८॥

स्वस्थचित् (sound mind) वाला और वयस् (उम्र) से विचार कर रखने की अवस्था (age of discretion) को प्राप्त हुआ (पुश्य) ही पुत्र को गोद के लिए दे सकता है ।

राज्याहाप्राप्तिरेवाच मान्यं कर्तुं हि दत्तकम् ।

न क्षमा स तु पूर्योक्तरीत्यैदायाति मान्यताम् ॥३१५९॥

राज्य (Government) की आज्ञा प्राप्त कर लेना ही दत्तक को मान्य नहीं हो सकता । वह (दत्तक) लो पहले कही रोति के अतुसार (होने पर) ही मान्य होता है ।

न्यायसंमता दत्तकत्वयोग्या जनाः ।

कानून में माने हुए गोद लेने लायक पुश्य ।

यद्यमाणेस्तु नियमैः संमतो ह्यार्यधर्मगः ।

जनोऽन्न दत्तकत्वायाऽऽदातुं च शक्यते ॥३१६०॥

आगे कहे जानेवाले नियमों से माना गया हिन्दू पुरुष ही दत्तक (गोद) के लिए लिया और दिया जा सकता है ।

पुमानय समादातुः सवर्णो दत्तको मतः ।

वर्णशाखैकता दत्तग्रहीत्रोस्त्वनपेक्षिता ॥३१६१॥

पुरुष वर्ण का (male) और (गोद) लेनेवाले के वर्ण (caste) का ही दत्तक-पुत्र माना गया है । दत्तक-पुत्र के और (गोद) लेनेवाले के वर्ण की शाखा को एकता (same subdivision of the caste) की आवश्यकता नहीं होती ।

यस्याऽस्या न्यायतो नूनमुपयम्याऽभवत्पुरा ।

तमेव दत्तकत्वेन ग्रहीतुं स्याज्ञनः ज्ञमः ॥३१६२॥

जिसकी माता पहले न्याय के अनुसार (अपने साथ) विवाह हेने थीं हो, उसीकी पुरुष गोद लेने में समय हो सकता है ।

परमेष भद्राराप्ते ऽधुना मान्योऽस्ति केवलम् ।

दौहित्रं भागिनेयं याऽथवा मातृप्वसेयकम् ॥३१६३॥

दत्तीकतुं पुमान् यत्रोद्यतो भवति निश्चितम् ।

शद्रेषु नियमस्त्वेष परं नास्ति प्रभावकृत् ॥३१६४॥

परन्तु यह (नियम) बंबई-प्रान्त में, आजकल, केवल जहाँ पुरुष नवासे को, भानजे को या मौकेरे भाई को गोद लेने की तैयार हो वही, निश्चितहृष, से माना जाता है । परन्तु शहरों में यह नियम नहीं लगता । (वे नवासे आदि को भी गोद ले सकते हैं ।)

दौहित्राद्याः कुलाचाराद् दत्तत्वाय समर्थिताः ।

द्विजेषु यत्र तत्राऽपि त्याज्य एष नयो मतः ॥३१६५॥

जहाँ पर ब्राह्मण, लौट्रिय और बैश्यों में कुल के रिवाज से नवासे आदि गोद के लिए उपयुक्त बतलाये गये हैं, वहाँ पर भी यह नियम त्याज्य माना गया है ।

दत्ताऽदानस्य समये दत्तकस्य धयः रुते ।

यिभिन्ना निर्णया अत्र लभ्यन्ते देशभेदतः ॥३१६६॥

गोद लेने के समय दत्तक-पुत्र की अवस्था के लिए यहाँ पर देश-भेद से जुदा-जुदा निर्णय (राय) मिलते हैं ।

वाराणस्यामयो वह उत्कले मगधे पुनः ।

दत्तोपनयनात् पूर्वमेव तस्य प्रदो मतः ॥३१६७॥

बनारस, बंगाल, डडीसा और विहार में दत्तक-पुत्र का उपनयन संस्कार होने के पहले ही उसका गोद लेना माना गया है ।

धयसा ज्येष्ठमप्यन्न दत्तीकतुं भवेत् ज्ञमः ।

कनिष्ठो वयस्साऽदाता न्यायतो नात्र संशयः ॥३१६८॥

अवस्था से होता गोद लेनेवाला अवस्था में वहे को भी, वहाँ पर कानून है,
गोद लेने में समर्य होता है। इसमें संशय नहीं है।

द्रविडेऽपि मतो मान्यो नियमस्तुदितः पुरा ।

सगोत्रस्तूपनीतोऽपि तत्राऽनूदः प्रगृह्णते ॥३१६६॥

पहले (श्लोक ३१६३ से ३१६५ तक) कहा हुआ नियम मद्रास में भी
मान्य होता है। परन्तु वहाँ पर समोन्न दत्तक-पुत्र तो उपनयन किया हुआ भी,
अविवाहित होने पर, गोद से लिया जाता है।

घयसा दत्तकीकर्तुं ज्येष्ठ ऊढः सतोककः ।

अपि दत्तो मदाराप्ते नूनं प्राद्यो मतो युवैः ॥३१७०॥

बंधुई प्राप्त में उम्र में गोद लेनेवाले से बड़ा, विवाहित और याल-बचेवाला
दत्तक पुत्र भी विद्वानों ने नियम ही प्राप्त (गोद से सक्ते हायक) माना है।

द्रविडेऽथ प्रयागे तु शूद्रे एवपि न संमतः ।

ऊढस्य दत्तकत्वेन प्रदस्तश्चयपरिदृष्टैः ॥३१७१॥

मद्रास भी इत्याहावाद में वहाँ के विद्वानों ने विवाहित (पुरा) का शहौं में
भी गोद लिया जाना वर्जित माना है।

दौहित्रापर्यमेवाय नियेष्यः समुदीरितः ।

अतोऽधुना जनः शुक्ले दत्तीकर्तुं ममूलं जनान् ॥३१७२॥

दैमात्रेयं तथा भातुः पौत्रं पैतृव्यकं तथा ।

पितुर्मातृप्यसेयं च श्यालं श्यालसुतं पुनः ॥३१७३॥

भार्याया भागिनेयं च पितुप्यस्तुतं तथा ।

जामातरं च प्रथया नवया स्वद्व निश्चितम् ॥३१७४॥

आजकल नवारो आदि के (आदि शब्द से भानजे और मौकेरे भाई का
तात्पर्य है) लिए ही (गोद) का नियेष्य कहा है। इसलिए नवीन ऐटि से यद्य
पर, आजकल नियम ही, मनुष्य इन लोगों को गोद से सकता है:—सौतेले भाई
(half brother) को, भाई के पोते को, चचेरे भाई को, पिता के मौकेरे भाई
(father's first cousin) को, साले को, साले के सइके को, पत्नी के भानजे
को, पिता की बहन के पुत्र (अनेकुरे भाई) को और (अनेक) दामाद को।

शाखेषु दत्तमीमांसादिषु नैते समावृताः ।

दत्तकस्याय किन्त्यय विधानेन समर्थिताः ॥३१७५॥

दत्तक-भीक्षणा आदि शब्दों में गोद के लिए के (उपर्युक्त पुल) ठीक नहीं
समझे गये हैं, परन्तु आजकल कानून से (ये) ठीक सनके गये हैं।

पत्न्या दत्तप्रदे स्वाम्यं भव्वीशत्यसमं मतम् ।

दत्तसमत्याय सा दत्ताऽऽदानेऽपि पतिवद् समा ॥३१७६॥

गोद लेने में पत्नी का अधिकार पति के अधिकार के समान माना है और उस (अधिकार) के (पति के अधिकार के) समान होने से गोद लेने में भी वह पति के समान समर्थ होती है । (अर्थात् - जिन - जिन को पति गोद ले सकता है, उन -- उन को वह भी ले सकती है ।)

विधानेन निषिद्धोऽपि य आचारात् समर्थितः ।

दत्तकत्वे स मान्योऽत्र दत्तको भवति ध्रुवम् ॥३१७॥

दक्षिणेऽतो महाराष्ट्रे देशस्थाः स्मार्तविप्रकाः ।

दौहित्रं दत्तकन्येन ग्रहीतुं हि क्षमा मताः ॥३१७॥

तथैव तद्ग्रहे शका द्राविडास्तेलगुडिजाः ।

तथाऽमृतसरस्थाश्च क्षत्रिया अपि निश्चितम् ॥३१७॥

गोद लेने में कानून से मना किया गया होकर भी जो रिवाज से माना हुआ होता है वह, यहाँ पर निश्चय ही, मान्य गोद का मुत्र होता है । इसीसे दक्षिणी महाराष्ट्र में देशस्थ स्मार्त ब्राह्मण नवासे को गोद लेने में समर्थ माने गये हैं । उसी प्रकार मद्रास के तेलुगु ब्राह्मण भी उसे (नवासे को) गोद ले सकते हैं । तथा अमृतसर के खानी भी, निश्चय ही, ऐसा कर सकते हैं ।

दौहित्रं भ्रातृदौहित्रं स्वस्त्रीयं चा क्षमाः पुनः ।

तामिला ग्राहणा दत्तीकर्तुं भाचारतो ध्रुवम् ॥३१८॥

फिर तामील ब्राह्मण निश्चय ही रिवाज से नवासे को, भाई के नवासे को या मानजे को गोद ले सकते हैं ।

दक्षिणे कवचे देशे स्थिता ये क्षत्रियाः पुनः ।

ते शका दत्तकीकर्तुं भ्रातृदौहित्रकं निजम् ॥३१९॥

और दक्षिण कनारा देश में जो क्षत्रिय रहते हैं, वे अपने भाई के नवासे को गोद ले सकते हैं ।

तथैव भागिनेयं च संयुक्तप्रान्तसंस्थिताः ।

दत्तीकर्तुं क्षमा भोरा ग्राहणा अपि निश्चितम् ॥३२०॥

उसी प्रकार संयुक्त प्रान्त के रहने वाले भोर ब्राह्मण भी, निश्चय ही, मानजे को गोद लेने में समर्थ होते हैं ।

संयुक्ताभिस्तु भगिनीपुत्रादिभिरिह ध्रुवम् ।

विधाद्वौ वर्जितो यस्मात्समाद्यत्र तु शृणते ॥३२१॥

दत्तकत्वेन जामेयदौहित्राऽद्याः प्रथावशात् ।

तत्र वैशिष्ठ्यतो नयोऽक्षेयः साधारणो नयः ॥३२२॥

वजों कि यहाँ पर निश्चय ही संबन्ध रखने वाली (Associate) बहन या कन्धा

आदि से विचार वर्जित है, इसलिए जहां पर रिवाज के कारण भानजा या नवामा आदि गोद जिया जाता है, वहां गर (रिवाज की) विशेषता के कारण साधारण नियम को नष्ट हुआ जाना चाहिए ।

नान्यथा क्रियते तथ्यं नूनं शास्त्रशैरपि ।

मिताक्षरामत चैतद्यभागेऽपि संमतम् ॥३१८॥

वास्तविक बात को निश्चय ही मैकड़ों शास्त्रों से भी उड़ा नहीं जा सकता—
यह मिताक्षरा का मत है और दायमाण में भी माना यां है ।

शास्त्राभागेऽपि द्विधा प्रोक्ता प्रथमा विधिमूचिका ।

शासिकाऽथाऽपरा विवैः समृतिशास्त्रविशारदैः ॥३१९॥

विद्वान् स्मृतिशास्त्र के पवित्रितों ने शास्त्र की आज्ञा भी दो प्रकार की कही है—
पहली विधि (मार्ग) बनानेवालों (directory) और दूसरी आज्ञा देनेवालों (mandatory) ।

अत पव शूनं कर्म नाऽहनं क्रियते भुवि ।

निपिद्धमपि शास्त्रीयैर्थचनैर्विधिर्दर्शकः ॥३२०॥

इसलिए, पृथ्वीपर, मार्ग (विधि) दिखलानेवाले शास्त्र के वचनों से मना होने पर भी किया हुआ काम उड़ा नहीं जा सकता ।

हृतं पूर्णतया यत्तद् न्यायेताऽन्यजनैस्तथा ।

मार्घ्यं प्रतीपमपि चेद्रवनैर्मार्गसूचकः ॥३२१॥

जो काम पूरी तौर से किया गया हो, वह विधि बनानेवाले (शास्त्रके) वचनों से विरुद्ध होने पर भी कानून हारा और अन्य लोगों द्वारा मार्ग होता है ।

शासकाज्ञाविष्टः तु शूनं कर्माऽपि पौर्यतः ।

अमार्घ्यमेव लोकेऽपि मतं शास्त्रविशारदैः ॥३२२॥

शासन करनेवाली आज्ञा के विष्ट (तो) पूर्णता से क्रिया काम भी शास्त्र जाननेवालों ने, इस लोक में, अनान्य ही माना है ।

विवाहे रक्षाज्ञाया अतदानं प्रथमं तथा ।

केवलस्य तु पुष्पस्य दत्तकृत्ये निपेधनम् ॥३२३॥

असंवदाज्ञात् पूर्वं संवदस्य परिग्रहः ।

दत्तकृत्ये या ध्यवस्था विधिदिल्लिङ्गः ॥३२४॥

विवाह में पहले रक्षा (Guarding) की आज्ञा का लेना, अङ्केते पुत्र का गोद के विषय में नियम और संबन्ध न रखनेवाले (managers) उपर रो पहले सुंकम्ब रखनेवाले (relatives) जो गोद लेना वे ध्यवस्थाये (नियम), यहां परं रास्ता बनानेवालों (directors) जाननी चाहिए ।

पाप्रता किन्तु दत्तस्य दातुरादातु रत्र या ।

दत्तकस्य च या प्रोक्ता शासकान्ना तु सा मना ॥३१६२॥

परन्तु जो प्रव्रता (योग्यता-capacity) दत्तक (गोद) देनेवाले की और लेनेवाले की और जो (स्वयं) दत्तक (गोदजलेवाले) की कही है, वह शासन करनेवाली (mandatory) आज्ञा मानी गई है ।

प्रथमाया विषदोऽपि विहितोऽर्थः समर्थने ।

द्वितीयायाः परं यस्तु विषदः स विवर्जितः ॥३१६३॥

पहली (directory) आज्ञा के विषद भी किये काम का रामर्थन किया जाता है, परन्तु जो दूसरी (mandatory) आज्ञा के विषद ही, उम्हो वर्जित किया है ।

दत्तत्वेन प्रदाने चादानेऽप्यथ चमो जनः ।

एकाकिनं द्वि तनयं पूर्वोक्तव्याख्यया ध्रुवम् ॥३१६४॥

पहले कहे युनाये के अनुसार पुरुष अर्हते पुरुष को गोद देने और लेने में भी आजहाल समर्थ होता है ।

दत्तार्थं पितरावेष चमो दातुं निजं सुतम् ।

ताभ्यां हीनस्तु न प्राप्त आचाराद्येन संस्तः ॥३१६५॥

मात्राया ही आर्हे पुरुष की गोद दे गक्कते हैं । यदि रिवाज से नहीं माना गया हो, तो उन दोनों से हीन को (गोद) नहीं लेना चाहिए ।

सत्स्वासधस्कुल्येषु जनोऽसंयन्धिनं जनम् ।

दत्तकीकर्तुं मीशः स्वात्पुरोक्तव्याख्ययैव दि ॥३१६६॥

पुरुष पहले कहे युलासे से ही पाप के (आर्हे) वंशावालों के हीन पर (जी) विना गंभयाने मनुष्य को गोद करने (लेने) में समर्थ होता है ।

भातरावपि नो शक्ती द्वावेकं दत्तकं सुतम् ।

प्रदीतुं का कथाऽन्येषां जनानां तनुते पुनः ॥३१६७॥

दी भाई भी एक दण्ड-पुरुष को सेने में समर्थ नहीं होते, किर इनके निरूपणों का तो कहना ही कठ है (अर्ग-दूगरे तो ऐसा कर ही नहीं सकते) ।

एकाऽधिकानां दत्तानामादानं युगपत्तु यत् ।

अमान्यमेव तद् ग्रुसं सरवीभिरपि ध्रुवम् ॥३१६८॥

जो एक से अधिक दण्ड-पुरुषों का एक साथ लेना है, वह (यदि), योनों ने भी किया हो, तो भी निश्चय ही अमान्य होता है ।

केतानिन् तु गते मान्यमेतद् भवति निश्चितम् ।

सोकानारेण चेत्स्य मान्यता नाम वर्जिता ॥३१६९॥

किसी के मत में, यदि रिवाज ने उम्ही मान्दता, ददो पर, वर्जिता न हो, तो

यह (दो संत्रियों द्वारा एक ही समय में दो पुरों का गोद लेना) निश्चय ही मान्य होता है ।

पुत्रो दातुप्रभीषोस्तु भवितेत्प्रेकमत्यतः ।

यो दत्तीविधिते सोऽप्त्र द्वयामुप्यायण उच्यते ॥३२००॥

देनेवाले और लेनेवाले दोनों का पुत्र हीण-इम प्रकार एक मत ही कर, जो गोदेलिया जाता है, वह यदा पर 'द्वयामुप्यायण' छहा जाता है ।

द्वयामुप्यायणपुश्यस्तु दायाहाँ हि मतो युधीः ।

जनकस्य तथाऽऽदातुनर्त्रं कार्या विचारणा ॥३२०१॥

विद्वानों ने द्वयामुप्यायण पुत्र को जन्म देनेवाले और गोद लेनेवाले दोनों का दाय-धन लेनेवाला याना है । इसमें विचार की आवश्यकता नहीं है ।

यया स जनितो दत्तीकृतश्चाय यया पुनः ।

ते उभे तस्य दायाहैं चेहायो मातरं व्यजैत् ॥३२०२॥

यदि दाय का धन माता की मिले तो जिसने उसे (द्वयामुप्यायण पुत्र को) जन्म दिया हो और जिसने गोद लिया हो, वे दोनों (माताये), वस (द्वयामुप्यायण-पुत्र) का दाय पाती हैं । (both inherit equally as co-heiresses)

एकाकिनं सुतं भ्रात्रे भाता द्वयात्पुनर्यदि ।

द्वयामुप्यायण एवासायन्यथा समयो न चेत् ॥३२०३॥

यदि किर भाई (अन्ने) अदेने (इकलौते) पुत्र को भर्ते थे गोद दे दे, और उसमें यदि विभाग रात न हो, तो वह (पुत्र) द्वयामुप्यायण ही होता है ।

महाराष्ट्रे परं तस्य द्वयामुप्यायणताकृते ।

अध्यातुकस्याऽपि युधीः प्रामाण्यं समपेत्यते ॥३२०४॥

परन्तु बर्बद्य प्राप्त में दिवा भाईशाले भी वस (भीक ३२०० में कहे दग्ध-पुत्र) के द्वयामुप्यायण के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है ।

दत्तमीमांसयाऽथी च दत्तचन्द्रिकाया युने ।

व्यवहारमयूर्धीये तथा मैताक्षरे मते ॥३२०५॥

यदुकं तस्माधित्य महाराष्ट्रनयाऽधिष्ठैः ।

कृतो नियम आयुक्तो द्वयामुप्यायणहेतये ॥३२०६॥

दग्धधीशीला और दत्तचन्द्रिका से पुत्र व्यवहारमयूर्ध और मिताक्षरा के भव्य में जो कहा है, उसका आधुन लेवर (ही) बर्बद्य प्राप्ति के न्यायाधीशों ने द्वयामुप्यायण के लिए पदले कहा नियम बनाया है । (अर्थात्-द्वयामुप्यायण ये विधि के लिए नियम आवश्यक माना है) ।

महाराष्ट्रे तथा धर्मे नर्तक्यो न ज्ञाता मताः ।

दत्तीकतुं सुतां संकाचारे सत्यपि निश्चितम् ॥३२०७॥

बंधु और बंगाल में नाचनेवालियाँ, (नाइकायें), रिवाज के होने पर भी, कन्या को गोद लेने में, निष्ठय ही, समर्थ नहीं मानी गई हैं ।

श्रिविडे ता मताः शका दत्तीकतुं सुतामपि ।

व्यभिचारकृते नो चेत्तामिः सा दत्तकीकृता ॥३२०॥

मद्रास में वे (नाइकायें) यदि उन्होंने उस (कन्या) को व्यभिचार के लिए गोद न लिया हो, तो लड़की को भी गोद ले सकती हैं ।

जात्याचारेण कन्ये ह्वे आदातुं ताः क्षमा यदि ।

तत्र तर्हि विधानीया वाधा नो तत्कृते मता ॥३२०॥

यदि वही मद्रास में रिवाज से वे (नाइकायें) दो कन्याओं को गोद लेने में समर्थ हों, तो उसके लिए कानून की रुकावट नहीं मानी गई है ।

दत्तककर्म तत्संबद्धानि कृत्यानि च ।

गोद लेना और उससे संबन्ध रखनेवाले काम ।

वर्ण्यन्तेऽथ तु कृत्यानि दत्तादानोचितानि हि ।

आवश्यकानि कतिचिदेतेष्वन्यानि नो तथा ॥३२१॥

अब आगे दत्तक लेने में दियत कायें का चर्णन किया जाता है । इनमें कुछ आवश्यक हैं और दूसरे (कुछ) वैसे (आवश्यक) नहीं हैं ।

दानाऽदानशृते कर्म दैहिकं येन दत्तकः ।

पितुः कुलाद्विनिर्गत्य यात्यादात्कुलं प्रति ॥३२१॥

(गोद) देने और लेने के लिए शारीरिक काम (physical act) जिससे गोद का पुत्र पिता के कुल से निकल कर लेनेवाले के कुल की तरफ चला जाता है ।

दत्तहोमो यदृथं च तत्संबद्धैस्तु वैदिकैः ।

मन्त्रैः संतर्प्यते यहिरीश्वरप्रीतिकाम्यया ॥३२१॥

दत्तहोम जिसके लिए, उससे संबन्ध रखनेवाले वेद के मन्त्रों द्वारा, ईश्वर की प्रसन्न करने की इच्छा से, अपि को (पृतादि से) तृप्त किया जाता है ।

गौणाऽन्यन्यानि कर्माणि पुण्येष्यादीनि यानि तु ।

शाखोक्तानि सुताप्त्यर्थं तान्यप्यत्र समाचरेत् ॥३२१॥

पुण्येष्यादि आदि दूसरे भी गौण (minor) काम, जो पुत्र की प्राप्ति के लिए शास्त्र में हैं, उन्हें भी इस अवसर पर करे ।

आवश्यकं विधानेन प्रथमं कर्म निश्चितम् ।

द्वितीयं तु कविद्याय तृतीयं समुपेक्षितम् ॥३२१॥

कानून से निर्धय ही पहला (दैदिक) काम आवश्यक है, दूसरा (दत्तहीम) कहाँ-कहाँ (पर आवश्यक है) और तीसरे (पुनर्विद्यु आदि अन्य धार्मिक कार्यों) की उपेक्षा की गई है (वे आवश्यक नहीं हैं) ।

दत्तहीमादिकृत्यानि धर्मर्थाण्यावश्यकानि नो ।

देशं पञ्चनदे जैनशद्र्योश्चाप्यसंशयम् ॥३२१५॥

दत्तहीम आदिक धार्मिक काम पंजाब देश में और जैनों और शूद्रों में, भी निःसन्देह ही आवश्यक नहीं हैं ।

चतुर्व्यव्यप्र धर्णेषु दत्तकस्वीकृतिस्तथा ।

तदर्थकृतलेखस्य राजमुद्राङ्कनादिकम् ॥३२१६॥

नालं, तब तु तदानाऽऽदानं वास्तविकं कृतम् ।

क्रमादातुग्रहीतूभ्यां मतमावश्यकं युधैः ॥३२१७॥

यहाँ पर चारों ही बग्गों में गोद के पुत्र के देने लेने की स्वीकृति या उसके लिए किये लेख का रजिस्टरी करवाना आदि पर्याप्त नहीं होता । विद्वानों ने यहाँ पर (उस विषय में) देनेवाले और लेनेवाले द्वारा घरसे उस (दत्तह-पुत्र) का देना और लेना वास्तविक रूप से किया जाना आवश्यक माना है ।

दत्तत्वेन सुतं दातुं पितरादेव यद्यपि ।

क्षमौ तथापि तौ शक्तौ नियोक्तुमपरं जनम् ॥३२१८॥

निर्दिष्टाय जनायात्र तं समर्पयितुं धृवम् ।

तदर्थं न मता वाधा तस्मिन् कर्मणि दैदिके ॥३२१९॥

यद्यपि माता-पिता ही पुत्र को (गोद) देने में समर्थ होते हैं, तथापि वे, निर्धय ही यहाँ पर, उगे (पुत्र को) निर्दिष्ट पुरुष को देने के लिए, दूसरे पुरुष की नियुक्त कर सकते हैं । उसके लिए उस शारीरिक काम में बाबा नहीं मानी गई है ।

दत्ताऽऽदाने समोप्रस्य दत्तहीमो द्विजेषु नो ।

आवश्यकोऽपरत्रापि मतैक्यं नोपलभ्यते ॥३२२०॥

याने ही गोप्रथारे को गोद लेने पर बाक्षण, दत्तिय और वैश्यों में दत्तहीम आवश्यक नहीं होता । दूसरे इयानों पर (जहा दत्तह-पुत्र संगीत्री न हो वहाँ पर) भी दत्तक हीन के विषय में मत वी एकता नहीं मिलती ।

द्रविडे दत्तहीमोऽथ धार्मिका यिधयोऽपराः ।

नाड्यार्थं अभवन व्रह्मत्रयोरपि माक् परम् ॥३२२१॥

न्यायाधीशैस्तु तत्त्वैरेव कालान्तरे पुनः ।

सन्देहस्तदुपेक्षार्थां स्वयमेव प्रदर्शितः ॥३२२२॥

मदाम में दत्त-हीम और दूसरे धार्मिक कार्य पूछे बाप्पाजी और दत्तियों में

भी अनिवार्य नहीं थे । परन्तु फिर आगे चलकर वहीं के न्यायाधीशों ने स्वयं ही उनके आवश्यक न होने में सन्देह प्रकट किया है ।

दाक्षिणात्येषु विप्रेषु दौहित्रो भ्रातृजोऽथवा ।

दत्तकथ्येत्तदोपेक्षा प्रयागे तस्य निश्चिता ॥३२२३॥

दाक्षिणात्य भ्रातृणों में यदि नवासा या भतीजा गोदलिया गया हो, तो उस (दत्तहीम आदि) की उपेक्षा (त्याग) प्रयाग (इत्याहावाद) में निश्चित की गई है ।

महाराष्ट्रे परं दत्तदोमस्त्वावश्यको मतः ।

निर्णेतृसंसदाऽप्यस्याऽपेक्षाभ्यनित आदता ॥३२२४॥

परन्तु यद्युपर्याप्ति तो दत्त-हीम को तो आवश्यक माना है । निर्णय करनेवाली सभा (Judicial Committee) ने भी इस (दत्तहीम) की आवश्यकता इशारे से मानती है ।

यथावकाशं कुर्वीत दत्तादानोत्तरं हि तम् ।

दत्तदातुर्प्रहीतुर्वा मरणात्तत्र न ज्ञतिः ॥३२२५॥

उसे (दत्त-हीम घो) गोदलेने के बाद समय मिलने पर करते । उसके करने में गोद देनेवाले और लेनेवाले के मरने से हानि नहीं होती (अर्वान्—उनके मरजाने पर भी वह हीम किया जा सकता है) ।

कार्यो दातुग्रहीतुर्भ्यां दत्तहोमोऽथवा पुनः ।

ताभ्यामन्यो नियोक्तव्यस्तत्कृतेऽत्र सुनिश्चितम् ॥३२२६॥

या तो (गोद) देने वाले को दत्तहीम करना चाहिए, या फिर उन दोनों को उसके लिए, वहाँ पर निश्चय ही, दूसरे पुरुष को नियुक्त कर देना चाहिए ।

पुत्रदत्तकृतौ वाधा नाऽशीचे मृत्युजन्मनोः ।

दत्तहोमादिकार्याणि परतस्तत्र कारयेत् ॥३२२७॥

मरण और जन्म के अशीच में पुत्र को गोद करने में वाधा नहीं होती । वहाँ पर दत्तहीम आदि (धार्मिक) कार्य दूसरे से करवाले ।

यदीच्छेद् दैहिके कार्येऽप्यन्यं तत्र नियोजयेत् ।

परं तत्पितरावेव दद्यातां दत्त्युरीकृतिम् ॥३२२८॥

यदि इच्छा हो तो वहाँ पर गोद (देने-लेने के) शारीरिक कार्य में भी दूसरे को नियुक्त करदे । परन्तु उस (लड़के) के मा-बाप ही (गोद) देने की स्वीकृति देवें ।

तत्र दातुरुख्यादातुः स्फुटा संमतिरीहिता ।

घयस्यदत्तकाऽदाने तत्संमतिरपीप्यते ॥३२२९॥

वहां पर (गोद लेने में) देनेवाले और लेनेवाले दोनों की साकृता की संमति की आवश्यकता होती है । पालिंग (पुत्र) की गोद लेने में उसकी संमति भी लेनी होती है ।

संप्राप्ताऽनुमतिर्यस्याऽन्यायतः स त्थमो मतः ।

दत्तस्यनिर्णयेऽन्येयां स्वार्थदानिं निश्चरयम् ॥३२३०॥

जिस (देनेवाले या लेनेवाले) ही संमति अन्याय से प्राप्त नी रही ही, वह दूसरों के स्वार्थ की हानि को न करता हुआ, गोद के उचित या अनुचित के निर्णय करने में समर्थ माना गया है ।

दाया दत्तः प्रदत्तश्चेत्स्यार्थसाधनपूर्वकम् ।

भाष्यस्तदपि विद्वद्विर्मतो दत्तः स निश्चितम् ॥३२३१॥

यदि देनेवाले ने अपना स्वार्थ करके गोद दिया हो, तो भी विद्वानों ने उस दत्तक-पुत्र की निश्चय ही मान्य माना है ।

प्रतिक्षायाऽपि नो दद्यादु प्रदीता दत्तकस्य चेत् ।

तत्स्यार्थं तद्द्वयोऽपि शक्तोऽभियोक्तु दत्तकश्चदः ॥३२३२॥

यदि गोद लेनेवाला धारा करके भी उस (उपयुक्त) स्वार्थ को न दे, तो गोद देनेवाला (उस पर) सुखदमा नहीं चला सकता ।

नाकृनः कियते व्याप्यः कृतो दत्तग्रहः सहत् ।

दाया ग्रदीप्रा दत्तेनाऽपर्योपीद वान्धवैः ॥३२३३॥

एकवार कामना के अनुमार लिया गोद, देनेवाले, लेनेवाले, (स्वयं) दत्तक-पुत्र अपना अन्य दितेदारों द्वारा भी उठाया नहीं जा सकता ।

परं दत्तः त्थमो त्यक्तु दायमादातुरत्वं तु ।

इयेच्छ्या च प्रयात्येष्य तत्र दायहरं परम् ॥३२३४॥

परन्तु दत्तक, यहां पर, अपनी इच्छा में गोद लेनेवाले के धन को हीड़ सखा है और, वहां पर, वह धन दूसरे (अपत्ते) हस्तात खो मिल जाता है ।

दत्तकाऽदानपरिणामाः ।

गोद लेने के मतीजे ।

पितुगोंत्रात्समादातुर्गोंद्रं पाति जनो धुवम् ।

दत्तीकरणतस्तथ भवत्यीरसयच्च सः ॥३२३५॥

पुनः गोद जाने से निश्चय ही रिता के गोप्ता से (गोद) लेनेवाले के गोप्ता में चढ़ा जाता है और वहां पर वह अपनी पुत्र के समान हो जाता है ।

दत्तादाने विवाहे च शुक्लस्तस्य नियन्त्रयते ।

ग्रहीतुर्यैरसोत्पत्तौ तद्वाये स्वल्पभागयम् ॥३२३६॥

गोद लेने और विवाह (करने) में उसकी शक्ति पर रुक्षावट हो जाती है । गोद लेनेवाले के असली पुत्र के हो जाने पर उस (गोद लेनेवाले) के धन में यह कम भाग पाता है ।

दायतो जनकस्यात्र तथा तस्य कुटुम्बिनाम् ।

तत्संसृष्टिधनाद्याऽपि हीयते दत्तकीकृतः ॥३२३७॥

‘गोद गया (पुरुष) जन्मदाता पिता के धन से और उसके कुटुम्बियों के धन से तथा उसके सामें के धन से भी विवित (महसू) होता है । (अर्थात्—उनको वह नहीं पा सकता) ।

यथाह मनुः ।

जैसा कि मनु ने कहा है ।

गोत्ररिक्ष्ये जनयितुर्न हरेद्वित्रिमः क्वचित् ।

गोत्ररिक्ष्यानुगाः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वधार ॥

गोद गया पुत्र जन्म देनेवाले पिता के गोत्र और दाय-धन को कहीं भी नहीं पा सकता । पिण्ड-दान, गोत्र और दायधन का अनुगामी होता है । अतः जो गोद देता है उसको (उस पुत्र द्वारा किया) भाद्र प्राप्त नहीं होता ।

दायभागानुगे वङ्गे दत्तीभावात्पुरा यदि ।

प्राप्तः केनापि दाये वोपद्वारे या क्षमत्वतः ॥३२३८॥

अर्यस्तद्विं तु तदत्तीभावोत्तरमपि ध्रुवम् ।

स तस्यैव मंतो नासौ तदर्थाद् वज्ज्यते यतः ॥३२३९॥

दायभाग को माननेवाले बंगाल में यदि गोद जाने के पहले किसी ने दाय (हवदारी) में, उग्घार में या अपनी क्षमता (power of self acquisition) से धन पाया हो, तो वह उसके गोद जाने पर भी, निश्चय ही, उसीका मान गया है; क्योंकि वह उस धन से विवित (महसू) नहीं किया जाता ।

मिताक्षरानुगेभ्योऽपि द्रविडेऽस्ति विनिष्ठितम् ।

प्रधानन्यायगेहस्यैः प्राढविद्याकैरसंशयम् ॥३२४०॥

यदत्तीभावतः पूर्वं संप्राप्तोऽर्थो जनेन तु ।

तस्यैव भविता दत्तीभावोत्तरमपि ध्रुवम् ॥३२४१॥

मिताक्षरा को माननेवालों के लिए मद्रास में हाइकोर्ट के जजों ने निःसन्देह, यह निष्ठित किया है कि पुरुष द्वारा गोद जाने के पहले पाया हुआ धन गोद जाने पर भी, निश्चय ही, उसीका होता है ।

संख्ये प्रवशिष्य प्राक् प्राप्यार्थं दत्ततां गतः ।

चेत्तनस्तर्हपि स्वाम्यात् प्राप्तार्थस्य न हीयते ॥३२४२॥

यदि पुण्य पद्मे सामोदरी में अकेला शेष रहजाने से पन प्राप्त कर गोद गया हो, तो भी पाये हुए धन के स्वामित्व से हीन नहीं होता ।

दायभागे पुरः प्राप्तं पितुतो ऋतुतो यत् ।

तत्स्यैष महाराष्ट्रे तस्मिन् जातेऽपि दत्तिर्मे ॥३२४३॥

पहले बटवारे में पिता से या भाई से जो पापा हो, वह वंबद्दे प्राप्त में उप पानेवाले के गोद जाने पर भी वसीका रहता है ।

समर्पिता परं संपद् दायादत्येन या पितुः ।

पितरं प्रतियात्येषा तस्मिन्दत्तकतां गते ॥३२४४॥

परन्तु (अपने) पिता का उत्तराधिकारी होने से जो संपत्ति सौंनी गई हो, वह उस (उत्तराधिकारी) के गोद चले जाने पर रिता के पाप लौट जाती है ।

दत्तत्वापापनान्तेऽपि संपको रक्तज्ञः पितुः ।

न याति, तेन सोऽशकः कन्यां तदगोत्रसंभवाम् ॥३२४५॥

उपयन्तु, नियिद्वां तत्कृते प्रग् दत्तिवमत्यवतः ।

तथैष दत्तकीकर्तुं तद्वयंश्यं तत्र धर्जितम् ॥३२४६॥

गोद जाने पर भी पिता का रुक्ष से उपर्युक्त हुआ संबन्ध नहीं जाता । इसी से वह गोद जाने के पहले उसके लिए वर्जित उप (पिता) के गोद में पैदा हुई कन्या है जिवाह नहीं कर सकता और उसी प्रकार उस (गोद जाने के पहले की) अवस्था में वर्जित उप गोत्रोत्तम पुण्य को मोद (भी) नहीं से सकता ।

धतिग्रमत्वं गते तस्मिन्देदादातुः सुनोऽद्वयः ।

यत्र, यत्र तथाऽऽतःस भाविरिक्षाधिकारिणा ॥३२४७॥

अपाव्रेण, न तत्रासौ क्षम शौरस्वनमतः ।

शौरसाइलपमाक् पूष्योऽपरः सर्वे रनादतः ॥३२४८॥

जहाँ पर उस (गोद जानेवाले पुत्र) के गोद जाने पर यदि (गोद) लैवेवाले के पुत्र हो जाय या जहाँ पर उसे अयोग्य (अव्याप्तिपूर्वी) उत्तराधिकारी (heir) में (गोद) लिया हो, वहाँ पर वह अस्त्री पुत्र के समान समर्थ नहीं माना जाता है । पहला (गोद का पुत्र) अस्त्री पुत्र से कम द्वितीय पाता है और दूसरा सब से कमित है (अर्थात्—इदं नहीं पाता) ।

दत्तप्रदृष्टकाले चेदृतः पुत्रफलप्रदान् ।

वद्दि पुत्रस्तु स स्वीये गोत्र एवाश तिष्ठति ॥३२४९॥

तत्रत्यमेय चामोति स्वांतरां, एकी तु सा परम् ।

पुमर्धाहितया याति पत्या साध्यं कुलं नद्यम् ॥३२५०॥

यदि गोद लेने के समय गोद लिया जाने वाला पुत्र लड़के और भार्यावाला हो, तो वह लड़का तो अपने (पुराने) गोत्र में ही रहता है और वहीं का अपना हिस्सा पाता है । परन्तु वह भार्या तो पुरुष की अवधिनी होने से पति के साथ नहीं (गोद लेने वाले के) उल्ल में चली जाती है ।

दत्तादानस्य समये भार्या दत्तस्य गर्भिणी ।

चेत्तर्हि तद्धयः पुत्रः पितुर्गांत्रार्थमाग्रमतः ॥३२५१॥

गोद लेने के समय यदि गोदलिये जानेवाले पुत्र की यक्षी गर्भिणी हो, तो उससे उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के गोत्र और पन का इकदार होता है । (अर्थात् - गोद जाने के बाद उत्पन्न होने के कारण पिता का ही अनुसरण करता है) ।

प्रागुक्ते ते दशे त्यक्त्या स्वाम्यं यत्र नियन्त्यते ।

दत्तास्याऽन्यत्र शक्तः स पित्रोस्तद्ग्राहिणोस्तथा ॥३२५२॥

शाखाऽऽसानां तयो रिक्यं प्राप्तुं मौरसपुत्रवत् ।

तौ तयोर्वंशजाश्चाऽपि तद्वन्तं लातुमीशते ॥३२५३॥

पहले (श्लोक ३२५३-३२५८ में) कही उन दो अवस्थाओं को छोड़कर, जिन में दत्तक का अविकार नियन्त्रित हो जाता है, दूसरी अवस्थाओं में वह (गोद) लेनेवाले माता-पिता का और उनकी ऊंठर की शाखावालों (lineal ancestors) का दाय का धन लेने में औरस (असती) पुत्र के समान ही धर्म होता है । वे (गोद लिये पुत्र के माता-पिता) और उनके ऊंठर की शाखा के वंशज भी उम (पुत्र) के (दाय) धन की ले सकते हैं । (यहाँ पर वंशजों में पिता के चार-दादा भादि और उनके वंशज भी समझने चाहिए) ।

दत्ताऽऽदातुस्तु भार्या चेन् सृता प्राप्तदत्तकग्रहात् ।

स तर्हीपीह तत्पितृपवंशे तत्पुत्रवद् मयेत् ॥३२५४॥

गोद लेनेवाले की पत्नी यदि गोद लेने के वहले ही मर गई हो, तो भी वह उस (गोद लेनेवाले की पत्नी) के वंश (पितृवंश) में उस (श्री) के पुत्र के समान होता है ।

अनेकभार्यै एकस्याः साद्वर्येण दत्तकम् ।

गृहाति चेत्तदा साऽस्या दत्ताऽऽदात्रीह मन्यते ॥३२५५॥

अन्या विमातरोऽतस्तु दत्तस्तस्याश्च तत्पितुः ।

धर्मयानामेव दयादः सा च तेऽस्याऽर्थद्वारिणः ॥३२५६॥

यदि अनेक पत्नीयोंवाला पुरुष एक (पत्नी) को साथ लेकर पुत्र को गोद लेता है, तो वही (पत्नी) यहाँ पर गोद लेनेवाली माता मानी जाती है । दूसरी

आर्यविधानम् ।

४५४

(पत्रिया) सौतेती मातावें होती हैं । इसलिए गोद लिया हुआ पुत्र उस (माता) का और उसके पिता के बंशवालों का ही दाय का इच्छार होता है । तथा वह वा (माता) और वे (उस माता के पिता के बंशवाले) उस पुत्र का (दाय) भन पानेवाले होने हैं ।

अनेकात्म पुनर्यत्र भाष्ये काऽधिकृता मधेत् ।

दत्तप्रहे विधिहेयस्तवाऽप्येय मुनिश्चितम् ॥३२५५॥

फिर जहाँ पर अनेक पत्रियों में एक पत्री को गोद लेने में अधिकारिणी बनाया हो, वहाँ पर भी, निधव ही यही विधि जाननी चाहिए (अर्थात्—यही उसकी गोद लेनेवाली माता समझी जायगी) ।

शक्तोऽपरत्र वा नाऽसौ दत्तोऽर्थप्रहणे पुनः ।

मातृणामपरासां तद्वन्धूनां चेत्यनिश्चितम् ॥३२५६॥

फिर दूसरे स्थानों पर यह दत्तक-पुत्र दूसरी माताओं और उनके रितेदारों का यह ही सक्ता है या नहीं—यह बात (अभी) अनिश्चित है ।

गृहीते दत्तिर्मे तस्याऽज्जदातुः स्याद्वौरसः सुतः ।

चेत्तर्हि दत्तिर्मो पञ्चे समते पितृसंपदः ॥३२५६॥

तृतीयांशं तथा वाराणस्यामंशं चतुर्थकम् ।

द्विविडे च महाराष्ट्रे भागं पञ्चमेव च ॥३२५७॥

यदि गोद का पुत्र लेने पर लेनेवाले के असती पुत्र उतना ही जाय, तो गोद लिया हुआ पुत्र बंगाल में (गोद लेनेवाले) पिता और संपत्ति का तीसरा हिस्सा पाता है । बनारस में चौथा तथा मद्रास और बंबई में पाँचवां ।

संपत्ताविभाज्यापां सुत औरस एव हि ।

तामाप्तोत्यविलां नूनं त दत्तस्तत्र भागभाक् ॥३२५८॥

नंपति के नदीं चाँदी जाने लायक होने पर उसे निधव ही, असती पुत्र ही पाता है । उसमें गोद का पुत्र हिस्सा नहीं पाता ।

पूर्वोक्ते द्वे अवस्थे तु संत्यज्याऽन्यत्र दत्तकः ।

भवेद्वौरसवद्वत्ताऽज्जदातुः संपद्धीवरः ॥३२५९॥

पहले (स्तोष ३२४७-३२४८ में) कहीं दो अवस्थाओं को छोड़कर अन्य अवस्थाओं में गोद का पुत्र असती पुत्र के समान, गोद लेनेवाले और संपत्ति वा मालिक होता है ।

शक्ते पुत्रौरसे पुत्रे जाते दत्तीकृतः सुतः ।

वक्त्रेऽप्य द्विविडे नूनमौरसेन समोऽर्थमाक् ॥३२६०॥

पञ्चमांशं महाराष्ट्रे लभते स पुनस्तथा ।

पित्रा रुते विभागे तु द्रविडे पञ्चमांशभाक् ॥३२६४॥

पिता तदौरस्तत्र द्वि-द्विभागहरावतः ।

दत्तिमो भागमेकं च लभते न्यायरीतिः ॥३२६५॥

शहदो में असली पुत्र के उपत्यक हो जाने पर गोद का पुत्र बंगाल और मद्रास में असली पुत्र के समान ही धन पाता है । बंबई में वह पाँचवां हिस्सा पाता है और पिता के स्वयं विभाग करने पर मद्रास में पाँचवां भाग पाता है । इसलिए पिता और उसका असली पुत्र वहां पर दो-दो भाग लेते हैं और गोद का पुत्र, कानून की रीति से, एक भाग पाता है ।

दत्तौरसौ पुनस्थातां चेत्यैतृव्यौ तदा पुनः ।

मैताक्षराऽनुगौ तौ तु पृकाऽर्थं सममागिनौ ॥३२६६॥

यदि गोद का पुत्र और असली पुत्र चर्चेरे भाई हों, तो मिताक्षरा को मानने याले वे दोनों सामें के धन में समान भाग लेते हैं ।

गृहीतदत्तकोऽन्यत्र स्वाऽसंख्यां तु संपदम् ।

इच्छापत्रोपदाराभ्यां दातुं शक्तो भवेजजनः ॥३२६७॥

गोद लेनेवाला पुराय भी अपनी जुदा रही संपत्ति को इच्छापत्र (will) और उपदार (gift) के द्वारा दे सकता है ।

यतो नैवौरसाऽस्वाम्यं दत्तस्थाधिकमुच्यते ।

औरसधोक्तश्चत्या नो तातं वश्यितुं क्षमः ॥३२६८॥

योंकि गोद के पुत्र का अधिकार असली पुत्र से अधिक नहीं होता और असली पुत्र पिता को उस कही हुई (इच्छा पत्र और उपदार द्वारा अपनी जुदा रही संपत्ति को देने की) सामर्थ्य से हीन नहीं कर सकता ।

परं दत्तप्रहे यत्र तत्क्रमत्वनिरोधकः ।

समयस्तु शुतस्तत्र तत्त्वाता दातुमक्षमः ॥३२६९॥

परन्तु जहां पर गोद लेने में उस (दे सकने की) शक्ति को रोकने वाली शर्त को गई हो, वहां पर उस (गोद) का लेनेवाला (इच्छापत्र या उपदार के द्वारा अपनी जुदा रही संपत्ति को भी) नहीं दे सकता ।

प्राग् दत्तप्रहणादसं पित्रोपहृतितो धनम् ।

असंख्यं तु संमान्यं दत्तकेनाऽपि निश्चितम् ॥३२७०॥

दत्तकप्रहणात्पूर्वमिच्छापत्रेण चार्पितम् ।

असंख्यं धनं दत्तः प्रत्याऽदातुमनीश्वरः ॥३२७१॥

गोद लेने के पहले पिता का उत्तरार होता दिया जुदा रहा । अन्त गोद लिए पुत्र को भी निवाय ही मान लेना चाहिए । (अर्यानि—उसे वह बापस नहीं ले सकता) । और गोद लेने के पहले इच्छापत्र द्वारा दिया जुदा रहा थन (भी) गोद का पुत्र (लेनेवाले से) पीड़ा नहीं ले सकता ।

पत्वमेष त्वं स्मो यज्ञे इतिशब्दाऽधिकारवान् ।

पिता पैदयं तथा स्वीयं धनं दातुं निजेच्छया ॥३२७२॥

इसी प्रका वंगाल में पूर्ण अधिकार वाला पिता बाप-दादों की(ancestral) और अपनी (self acquired) संपत्ति को अपनी इच्छा से दे सकता है ।

पुरादत्तग्रहादृतं पित्रा संसुष्टिगं धनम् ।

तदन्ते तु गृहीतेन मान्यं दृतेन निवितम् ॥३२७३॥

पिता द्वारा गोद लेने के पूर्व दिया साके का धन उसके (देने के) बाद लिए गोद के पुत्र को निवाय ही, मान लेना चाहिए ।

भृथप्रदेशे द्रविदे महाराष्ट्रे इथवा पुरा ।

संसुष्टेन निजःस्वार्थः पृकिंगो या ततोऽधिकः ॥३२७४॥

विनाऽऽवश्यकतां न्यायां व्ययितश्चेत्संदा तु सः ।

पश्चादात्ते न दत्तेन मान्यः संसुष्टिप्राप्निता ॥३२७५॥

यदि भृथप्रदेश, भृथप और बंधु में सामेदार ने पहले साके में रहा अपना माल या उस (भाग) पर अधिक (धन) विना न्याय (legal) आवश्यकता के सर्व बदलिया हो, तो बाद में लिए, साके के धन के भागों दत्तक-पुत्र को उने माननेना चाहिए ।

मैतांत्रेण पृक्ते न गृहीतो दत्तको यतः ।

नत्कालादेय संसुष्टः पृक्ते इथे, पृकिभाक् ततः ॥३२७६॥

इच्छापत्रोपदाराभ्यामन्यस्मै पृकिंग धनम् ।

दत्तया तं स स्पष्टिष्टे नो सामाद् यश्चयितुं दामः ॥३२७७॥

क्योंकि पिताद्वारा वी माननेवाले सामेदार का गोद लिया पुत्र उस समय में ही सामेदार होकर साके के धन में सामेदार हो जाता है । इसलिए वह (उस गोद लेनेवाला) इच्छापत्र या उत्तरार के द्वारा साके के धन को दूसरे को देख रख (दत्तक-पुत्र) को सामेदारी में पीछे भरने (survivorship) से होनेवाले लाभ से बचने नहीं कर सकता ।

विशिष्टसमयाऽभावे पृक्तशेयदातदत्तकः ।

अवच्छ्यः पूर्ववज्ञेयो भ्रहीथा स्वार्थतो ध्रुयम् ॥३२७८॥

आप शर्त के उ होने पर सामेदारी में हीर रहे पुत्र का गोद का पुत्र (गोद) लेनेवाले के द्वारा, निवाय ही पहले क्षेत्र के समान ही (इच्छापत्र या

उपहार करके), स्वार्थ (अपने प्राप्य धन) से वयित नहीं किया जा सकता ।

यत्र पृक्तावशिष्टेन लिखितं मृत्युपत्रकम् ।

भार्या चाधिकृता दत्ताऽऽदानाय ननु तत्र तु ॥३२७६॥

लेखाऽनुवर्तिना भाव्यं तयाऽस्तेन सुतेन दि ।

आजीर्वं संपदंशेऽपि लेखादधिकृता यदि ॥३२८०॥

भार्या तेनाऽथ दत्ताय शेषांशः स्पातसमर्पितः ।

तर्हम्नाऽनुज्ञयैवात्र स क्षमः स्वार्थपोपणे ॥३२८१॥

जहाँ पर सामेदारों में बाकी वे पुण्य ने मृत्यु-पत्र (will) लिख दिया हो और अपनी पत्नी को गोद लेने का अधिकार दे दिया हो, वहाँ पर (तो) उस ली द्वारा लिये गोद के पुत्र को (उस) लेख (will) का अनुमरण करनेवाला होना चाहिए । यदि लेख के द्वारा पत्नी को जीवन पर्यन्त के लिए संपत्ति के हिस्से पर (भी) अधिकार देकर बाकी का भाग गोद के पुत्र को दिया हो, तो वह माता की अनुमति से ही अपने भाग को पुण्यकर (बड़ा) सकता है ।

आदीयते वयस्यश्चेदतः स क्षमते तदा ।

समयेनाऽधिकारं स्वं पितुर्यें नियन्त्रितुम् ॥३२८२॥

प्राग् दत्ताऽस्तिः, किन्तु नो वयस्यः स चेत्तदा ।

नूनं तज्जनकः कर्तुं समयं तंकुते क्षमः ॥३२८३॥

रुद्धया मान्यश्च दत्तेन स, किन्तूङ्गम्यते यदि ।

सा रुद्धिविधवायै तु पूर्णस्वामित्वदानतः ॥३२८४॥

संपत्तेरथया तस्या दानेनान्याऽकुरुम्भिन्ने ।

तर्ह्यमान्यः स समय आर्यशाश्वविरोधतः ॥३२८५॥

यदि यालिग दत्तक-पुत्र गोद लिया जाय, तो वह गोद जाने के पूर्व शर्त के द्वारा पिता के धन में अपने अधिकार को नियन्त्रित (limited) कर सकता है । परन्तु यदि वह उस (गोद लेने के) समय यालिग न हो, तो निर्धार्थ ही उसके लिए उसका असज्जी पिता शर्त कर सकता है और वह (शर्त) हृडि (रिवाज) के कारण दत्तक-पुत्र को मामृ छोती है । परन्तु यदि (गोद लेनेवाली) विधवा को संपत्ति इस पूरा (absolute) अधिकार देने से या उस (संभवि की दूसरे कुटुम्ब के बाहर के पुण्य (stranger) को देने से उस रिवाज का उल्लंघन किया जाता है, तो वह शर्म हिन्दू-शाश्वों के विरुद्ध होने के कारण अमान्य होती है । (अर्थात् - हिन्दुओं में उपर्युक्त प्रकार में धन देने की हृडि न होने से ऐसा दान अमान्य होता है) ।

दत्तीभूते परं पुष्टे जनकस्तस्य न क्षमः ।

समयेन तदात्तेऽयं स्वाम्यं तस्य नियन्त्रितुम् ॥३२८६॥

गृहीतोऽध्यवया दक्षः सशुन् क्षीणाऽधिकारया ।
अमान्यश्चाऽक्षमो लातुमन्यहस्तगतं धनम् ॥ ३३१४ ॥

एकवार अधिकार को खो देनेवाली विधाव द्वारा लिया गोद का पुत्र अमान्य होता है और दूसरे के हाथ में गये धन को नहीं हो सकता। (विधवा के अधिकार और उसकी समाप्ति का वर्णन श्लोक ३० ७१ से ३१ ४१ तक किया जा चुका है) ।

महाराष्ट्रे नवाधीशौः परं मान्यः क्षमश्च सः ।

कृतो हतुँ धनं चेत्सोऽनुजातो दायद्वारिणा ॥ ३३१५ ॥

बम्बै प्राप्त में नवाधीशों ने उसे, ददि वह दाष्ठाने वाले पुल्य से मान लिया गया है, तो मान्य और धन प्राप्त करने लग्यह करदिया है।

अतस्तु श्वशुरस्याऽयं तद्वातरमुपाधिते ।

स्तुपाऽध्यवा सुतं लातुं पत्यर्थं न्यायतोऽक्षमा ॥ ३३१६ ॥

श्वशुरस्वादृसंमत्या गृहीतस्तु तथा सुतः ।

क्षमः पैतामहं वित्तं तत्रादातुं परं भुवम् ॥ ३३१७ ॥

इसलिए समुर के धन के उसके भाई के पास चढ़े जाने पर (उस समुर की) नहके की विधवा पत्नी पति के लिए गोद लेने में कानून से असमर्थ होती है। परन्तु समुर के भाई की संमति से उसके द्वारा (गोद) लिया गया पुत्र, विश्वय ही, वही पर (बम्बै में) दादा के धन को ले सकता है।

श्वशुरस्य धने तस्याऽध्ययं यातेऽपि दक्षः ।

स्तुपयाऽवीरया त्वात्स्तस्याः संमतिः क्षमः ॥ ३३१८ ॥

पैतामहं धनं प्रत्यादातुं, श्वशूः सा पुनः ।

प्रदत्तार्था भवेद्वीना दक्षप्रदणशक्तिः ॥ ३३१९ ॥

(अपने) समुर के धन के उसकी विधवा जी को मिलजाने पर भी विना पति और पुत्रवाली (उसकी) पुत्र की जी द्वारा, वस (सास) की संमति से, लिया गोद का पुत्र अपने दादा के धन को (अपनी दादी से) पीछा ले सकता है। तथा धन जौटा देनेवाली वह (पुत्रवृक्षी) सास गोद लेने की शक्ति से हीन हो जाती है।

कथितं पूर्वमेवात्र यत्पत्याक्षां विनैष द्वि ।

द्रविडेऽथ महाराष्ट्रेऽवीरा दक्षग्रहे क्षमा ॥ ३३२० ॥

पहले ही इस (अन्याय) में कहा है कि मदास और बम्बै (प्राप्ती) में विना पति और पुत्रवाली विधवा, पति की आज्ञा के बिना ही गोद ले सकती है।

आपदायाऽपि सा पत्युः सपिएडानामगुण्या ।

पय शक्ता स्यपत्यर्थं द्रविडे दक्षक्रमदे ॥ ३३२१ ॥

मध्यस में (पति का) दाय प्राप्त की हुई भी वह (विधवा) पति के सपिण्डों
की अनुमति से ही अपने पति के लिए गोद ले सकती है ।

महाराष्ट्रे पुनर्नैपा प्राप्तदाया त्वपेक्षते ।

स्वभर्तुर्हिं सपिण्डानामनुशां तत्कृते ध्रुवम् ॥३३२२॥

फिर बंधू में (पति का) दाय-धन प्राप्त की हुई विधवा उस (गोद) के लिए,
निधय ही, अपने पति के सपिण्डों की अनुमति की अपेक्षा (आवश्यकता)
नहीं रखती ।

परं स्वभर्तुर्दायश्चेदन्यहस्ते गतस्तदा ।

तस्याऽनुशामवात्यैव सा ज्ञामा तत्र तदुग्रहे ॥३३२३॥

परन्तु यदि अपने पति का दाय-धन दूसरे के हाथ में चला गया हो, तो वहाँ
पर (बंधू में) वह उस (धन के अधिकारी) की अनुमति प्राप्त करके ही उस
(गोद) को लेने में समर्थ होती है ।

अधीरया गृहीतोऽपि दत्तो नैव ज्ञामो मतः ।

खीधनं दत्तकादात्या हतुं न्यायेन निश्चितम् ॥३३२४॥

विना पति और पुत्रवाली विधवा का लिया भी दत्तकपुत्र गोद लेनेवाली का
जी-धन लेने में, निधय ही, न्याय से, समर्थ नहीं माना गया है ।

दत्तकग्रहणात्पूर्वं समयो यः कृतो भवेत् ।

अधीरया, स मान्योऽप्त दत्तकेन, पुनश्च सः ॥३३२५॥

यतो द्वरति तद्भर्तुर्दायं तस्यास्ततो द्वि सा ।

ज्ञामा पत्यर्थतो लातुं वृत्तिं निर्वाहदेतवे ॥३३२६॥

विना पति और पुत्रवाली विधवा ने गोद लेने के पहले जो शर्त की हो उसे,
वहाँ पर, दत्तक-पुत्र को मानना चाहिए और फिर वर्णकि वह उस जी के पति के
दाय-धन को उस (जी) से ले लेता है, इसलिए यह जी (अपने) पति के धन
में से निर्वाह (उत्तरारे) के लिए जृति (रक्षा) ले सकती है ।

मिताक्षराऽनुगे पृक्ते पत्यौ मीतेऽध्यवा यदि ।

पूर्वोक्तविधितो न्यायमुपादत्ते सुर्तं तदा ॥३३२७॥

तत्कालमेव पृक्ते येऽस्यार्थस्तेन तु सृज्यते ।

तत्पताविध तद्वत्ते न्यस्यते च पुनर्हिं सः ॥३३२८॥

मिताक्षरा को माननेवाले ताम्के में रहे पति के मरने पर यदि विधवा पहले
(शोक ३०१६-३०२१, ३०३८-३०४५ और ३१०६-३१४१) में कही रीति
से न्यायानुसूचित (दत्तक) पुत्र वो (गोद) लेती है, तो उससे उसी समय ताम्के

को संवत्सि में स्वार्थ उत्तरज (पैदा) कर दिया जाता है और फिर वह उस (विषय) के पति के समान ही उमके गोद के दुप्र में स्थापित वर दिया जाता है (अर्यार्द-उमके मृत पति के समान ही उसका दातक पुत्र भी साक्षे के घन में सामेदार हो जाता है) ।

ज्येष्ठशाखास्थया नार्यं शूद्रीतो दत्तकस्त्वयतः ।

संपत्ताविभाज्यायां भुयो राज्यस्य वा पुनः ॥३३२६॥

स्वाम्यं कनिष्ठशाखायां यातं स्वग्रहणात्पुरा ।

पितुर्मरण्यतः प्रत्यादत्ते स्वकुलरीतिः ॥३३२०॥

इससे वही (senior) शास्त्रा में रही छी द्वारा लिया गया वा पुन अपने (गोद) लेने के पहले पिता के मरने से छोटी (junior) शास्त्रा में गये अविभाज्य (नहीं बाँटी जानेवाली) वृत्ति (जमीदारी) वा फिर राज्य के अधिकार को आगे बुल दी रीति के अनुसार पीड़ा के लेता है । (देखो श्लोक ३१२४ से ३१२० तक)

कनिष्ठशाखागतया क्रियाऽत्तो दत्तकः त्वमः ।

ज्येष्ठशाखागतां वृत्तिभूमिं लातुं तथैव च ॥३३२१॥

और दसी प्रकार छोटी (junior) शास्त्रा में रही छी द्वारा गोद लिया दत्तक-पुत्र (उपर्युक्त कारण से) ज्येष्ठ (senior) शास्त्रा में गई जीविका की भूमि वो लेने में समर्थ होता है । (देखो श्लोक ३१२१ से ३१२४) ।

पृक्तावेकावशिष्टिनो वाधिका दत्तकग्रहे ।

यतो दत्तग्रहे शक्ताऽध्यवा यावद्वि जीवति ॥३३२२॥

कुटुम्बे मन्यते तावत्पृक्तमेव तु तद् युधैः ।

अतस्तत्राऽपि विधवा दत्तकग्रहणे क्षमा ॥३३२३॥

साक्षे में एक का बीछे वब रहना गोद लेने में बाधक नहीं होता, यद्योऽहि जब तक कुटुम्ब में गोद है सक्नेवाली एक भी विषया जीवित रहती है, तब तक विद्वानीं द्वारा वह साक्षे का (कुटुम्ब) ही माना जाता है । (देखो श्लोक ३१२२ से ३१२५) ।

पृक्तावशिष्ठमरणात्पृक्ते नाशो भवेत् परम् ।

यत्र तत्र तु सभ्यन्ते विविधानि मतानि हि ॥३३२४॥

महाराष्ट्रे पुरा तत्राऽध्यवासो दत्तकोऽभवत् ।

अभान्योऽतस्तु दायासोऽका कथाऽस्तीतिदत् भुवम् ॥३३२५॥

परं ततः इतो मान्यो दत्तस्तत्र तथापि नो ।

प्रत्यादातुं समर्थः सोऽपरद्वस्तगतं धमम् ॥३३२६॥

परन्तु जहाँ सामेदारों में के अनितम बचे पुत्र के मरने से सामें का नाश हो जाता है, वहाँ पर अनेक तरह के मत मिलते हैं। चंद्र (प्रान्त) में ऐसे स्थान पर पहले विधवा का लिया गोद का पुत्र अमान्य था। इसलिए उस समय निधय ही (उसके) दाय का धन पाने की तो कथा ही क्या थी (अर्थात्-विलक्षण नहीं थी)। परन्तु उसके बाद वहाँ पर दत्तक-पुत्र मान्य करदिया गया, तो भी वह दूसरे के हाथ में गये धन को बापस लेने में समर्थ नहीं हुआ।

मध्यप्रदेशे मान्योऽर्थं प्रत्यादातुं च स क्षमः ।
कुतोऽभियोक्तुं शक्तश्चाऽर्थापव्ययकृते पुनः ॥३३३७॥
दाये स्वस्य ग्रहात्पूर्वं भग्निकारधरां ख्ययम् ।

चेत्तया व्ययितं वित्तं न्याय्यावश्यकतां विना ॥३३३८॥

मध्य-प्रदेश (सैंट्रल प्रैविस) में (नागपुर हाइकोर्ट ने) उसे (ऐसी अवस्था में लिए गोद के पुत्र को) मान्य और धन बापस लेने में समर्थ करदिया है। तथा अपने (गोद) लेने से पहले दाय के धन पर अधिकार रखने काली ही पर, धन का आवश्यकता के लिए, यदि उसने न्यायरूप आवश्यकता के लिए ही धन खर्च करदिया हो, तो मुकदमा चलाने में भी समर्थ करदिया है।

दत्तकग्रहणात् प्राग् विद्वितोऽर्थस्य व्ययः ।

गोद लेने के पहले किया धन का खर्च ।

अवीरया शृदीतस्य स्वाम्यं दत्तस्य संभवेत् ।

दत्तादानदिनादेव नो पितुर्मरणात्पुनः ॥३३३९॥

फिर विना पति और पुत्रवाली विधवा ली द्वारा लिए गोद के पुत्र का अधिकार गोद लेने के दिन से ही होता है, पिता के मरने के समय से नहीं।

शृदीतोऽध्ययाऽन्येयोऽभियोक्तुं मातरं क्षमः ।

स्वग्रहात्प्राक् शृतायाऽर्थव्ययायाऽपि क्षचित्पुनः ॥३३४०॥

फिर विधवा से लिया हुआ भी यह (दत्तक-पुत्र) कहाँ-कहीं अपने (गोद) लेने से पहले किये धन के खर्च (alienation) के लिए भी माता पर मुकदमा चला सकता है। (देखो श्लोक ३३४४ से ३३४३) तक)

पिता दत्तग्रहात्पूर्यं कृतो यो हि व्ययः पुनः ।

इच्छापत्रोपहाराभ्यां व्यक्तिगार्थस्य घाऽप्यवा ॥३३४१॥

पृक्षिस्थितनिजांशस्य मान्यः सोऽप्र मतो शुद्धैः ।

तत ऊर्ध्वं शृदीतेन दत्तेनौरसपुत्रवत् ॥३३४२॥

फिर पिता ने गोद लेने के पहले इच्छापत्र (will) या दपहार (gift) दारा जो (अपने) व्यक्तिगत (निजी) धन का अथवा सामें में रहे अपने माला

का व्यय (alienation) किया हो, विद्वानों ने उसे उस (व्यय करने) के बांद लिए दत्तक-पुत्रारा, असली पुत्र के समान ही, मान्य माना है। (अर्थात्-जिस प्रकार वह व्यय और पुत्र के लिए मान्य होता है, उसी प्रकार दत्तक-पुत्र के लिए भी होता है)। (देखो श्लोक ३२७० और ३२७३ से ३२७५ तक) ।

मध्यप्रदेशे द्विंदे महाराष्ट्रे कृतो व्ययः ।

पूर्वांशादधिकस्याऽपि पित्रा दत्तेन मन्यते ॥३२७६॥

मध्यप्रदेश, मद्रास और बंगले शास्त्र में पिता द्वारा किया साफे के एन के भाग से अधिक का सर्व भी गोद के पुत्र से माना जाता है। (देखो श्लोक ३२७४ से ३२७२) ।

अवीरया गृहीतेऽन्न दत्ते स्वाम्यं प्रणश्यति ।

तस्यास्तदुत्तरणां च दायादानां तु तदने ॥३२७७॥

अतः सा दत्तकाऽऽदानाऽनन्तरं न क्षमा मता ।

व्ययितुं स्वस्य पत्युर्द्दि धनांशुमपि कञ्जन ॥३२७८॥

यही पर विना पति और पुत्रवाली खींद्वारा गोद के पुत्र को लेने पर उस (ली) का और उसके बाद के इकट्ठारों का अधिकार उस धन पर नष्ट हो जाता है। इमलिए वह (ली) गोद लेने के बाद व्ययने पति के धन के किसी भी भाग को सर्व बरने में समर्थ नहीं मानी गई है।

न्याय्याऽनियायं तदेतो रासदानामयो पुनः ।

प्रत्यादानामनुवातो व्ययितं चेद्दत्तं स्त्रिया ॥३२७९॥

प्रमीतमतुं संप्राप्तसंपत्तेद्दि तदा तु सः ।

पक्षादात्तेन दत्तेन मान्यः प्रत्यादयत्स्वयम् ॥३२८०॥

यदि ली ने मेरे हुए पति से प्राप्त हुई संपत्ति से, न्याय (legal) आवश्यकता के लिए या फिर धांस के (प०८८८) इकट्ठारों (reversioners) की अनुमति (consent) परे धन सूचि किया हो, तो वह (सूचि) पीछे गोदलिए पुत्र के इकट्ठारों (reversioners) के समान ही रुद्र भी मानलेना चाहिए।

विध्याऽसन्नपूर्णेशपत्यादसद्योगतः ।

पतिप्राप्तं व्ययेन् सर्वं न्याय्याऽयश्यकतामुते ॥३२८१॥

अपि विचं तदा मान्यः स व्ययोः भवतीद्द च ।

पुमान्सर्वत्र पूर्णेशो महाराष्ट्रे सुनाऽपि च ॥३२८२॥

यदि विधापा ली नष्टीक के (प०८१८) पूर्णाऽधिकारी इकट्ठारों (reversioners) के सहयोग से, न्याय (legal) आवश्यकता के दिना भी, पति से प्राप्त हुए धन को सूचि करदे, तो वह सूचि मानने लायक होता है और वह पर सर्व

बुद्ध पुरुष पूर्णाधिकारी होता है और यंचई प्रान्त में कल्या भी (पूर्णाधिकारिणी होती है) ।

न्याय्याऽवश्यकताऽभावेऽभावे वा समतेः पुनः ।

प्रत्यादानां पुरोक्तानामधवा चेद्वयेऽनम् ॥३३५०॥

आ स्वाम्यं विधवायाः स तद्विं मान्यो मतो वृच्यैः ।

अतो दत्तग्रहान्ते तमयं धतुं न स ज्ञामः ॥३३५१॥

येन प्राप्तः खिया सोऽन्नाऽधिकारो दत्तकस्य चेत् ।

न नष्टो न्यायनिर्णीतसमयस्य समाप्तिः ॥३३५२॥

यदि विधवा ही न्याय (legal) आवश्यकता के बिना या फिर पहले कहे (पास के) हकदारों (reversioners) की संमति के बिना धन यान् (alienate) करदे, तो विद्वानों ने उस (खर्च) की विधवा के मालिक रहने तक मान्य माना है । इसलिए (उस विधवा के) गोद लेने के बाद, यदि गोद के पुत्र का अधिकार कानून से निष्ठित किए समय (limitation) के बीत जाने से नष्ट न हो गया हो, तो जिसने यहां पर (उस) ही (विधवा) से उस (धन) की पाया हो, वह (पुत्र) उस धन को नहीं रखा सकता ।

स्वामित्वं दत्तकस्यात्र विधवाया मृत्यिं नहि ।

अपेक्षते समासद्वप्त्यादस्येव निश्चितम् ॥३३५३॥

गोद लिए हुए पुत्र का अधिकार निष्ठय ही पास के हकदार (reversioner) के अधिकार के समान विधवा के मरने की राह नहीं देखता (अर्थात्-पास का हकदार तो विधवा के मरने पर अधिकारी होता है परन्तु गोद का पुत्र उस (विधवा) के जीते जी ही अधिकारी हो जाता है) ।

अनुमत्या निजासद्वप्त्यादानां कृते पुनः ।

धनव्यये विधवया न्याय्याऽवश्यकतामृते ॥३३५४॥

न्याय्याऽवश्यकताऽभावं चेद्वस्तु प्रमाणेत् ।

न्यायेन स व्ययोऽमान्यस्तदा स्याज्ञात्र संशयः ॥३३५५॥

फिर विधवाद्वारा न्याय (legal) आवश्यकता के बिना असने नज़रीर्य हकदारों (reversioners) की संमति से धन का व्यय करने पर यदि गोद का पुत्र न्याय (legal) आवश्यकता के अभाव को प्रमाणित करदे, तो वह खर्च (alienation) कानून से अनान्य हो जाता है । इसमें संशय नहीं है ।

अवधिर्दत्तकादानान्मतोऽत्र दादशान्विकः ।

दत्तकायाभियोक्तुं च जनं यस्त्वयप्रहीयनम् ॥३३५६॥

विधवातः, परं यत्र सा व्यक्तिणीति संपदम् ।

न्याय्याऽवश्यकताऽभावे तत्र तो वाधकोऽवधिः ॥३३५७॥

अमान्य एव विश्वासो यतस्तथा तु विक्रयः ।

अतः स विक्रयोपेक्षोऽभिगुड्डितेशतालुते ॥३३५॥

यहाँ पर जिसने विधवा से धन लिया हो, गोद के पुत्र के लिए उस पर मुकदमा चलाने की अवधि, गोद लेने के समय से, बारह वर्ष की मात्री है (Indian Limitation Act 1908, art.141) परन्तु जहाँ पर उस (विधवा) ने न्याय (legal) आवश्यकता के बिना संपत्ति बेची हो, वहाँ पर (यह) अवधि वापरक नहीं होती । भयोंकि वहाँ पर बेचना अमान्य ही माना गया है । इसलिए बेचने की परवाइ न करनेवाला वह (दत्तक पुत्र) अधिकार के लिए मुकदमा चला सकता है ।

प्रागात्तस्तु मृतो दत्तः मुक्त्या दायाधिकारिणीम् ।

मातरं च ततः सोऽर्थो व्ययितः स्पात्यया तदा ॥३३५॥

तदुत्तरं गृहीतो नाऽभियोक्तु दत्तकः क्षमः ।

तदर्थमिति शास्त्रे पु वचनं नोपलभ्यते ॥३३६॥

एहसे लिया गोद का पुत्र माना के दाय (धन) की अभिकारिणी क्षोड्वर मर गया हो और उसके बाद उस (खी) ने वह धन सूचै कर दिया हो, तो उसके बाद लिया गोद का पुत्र उस (खुर्च—Kherch) के लिए मुकदमा नहीं चला सकता—ऐसा (हिन्दू) शास्त्रों में वचन (rule) नहीं मिलता ।

अवैधानिकस्य दत्तकग्रहणस्य परिणामः ।

न्याय विशद् गोद लेने का नहींजा ।

साधारणेन यत्र स्पादास्तयो दत्तकग्रहः ।

किन्तव्याय्यो न लभते तत्राऽसावधिकारिताम् ॥३३६॥

दत्ताऽस्त्रातुः कुले, नैव हीयते चाधिकारतः ।

स्वीये जन्मकुले नूनं विद्वद्विरिति निश्चितम् ॥३३६॥

साधारण तौर से वहाँ पर वास्तव में गोद लिया गया हो, परन्तु (वंड) न्याय से अनुमोदित न हो, वहाँ पर वह (गोद का पुत्र) गोद लेनेवाले के कुटुम्ब में अधिकार नहीं पाता और निषय ही अपने जन्म के कुटुम्ब में अधिकार से हीन नहीं होता—ऐसा विवाहों ने निषित किया है ।

उपहारेण या स्वीयमृतिगतेण चेष्टनम् ।

दत्तो ममायमिति तु निरूप्यात्र प्रदीप्यते ॥३३६॥

अनाय किन्तु नासौ स्पाद् गृहीतो दत्तकत्वतः ।

गृहीतो याऽप्यमान्योऽसावन्याव्यत्वेन निषितम् ॥३३६॥

न्याय्यत्वं तर्हि दानस्य दानपत्रस्य लेखतः ।

तत्कालीनपरिस्थित्याऽथवा निर्णयिते ध्रुवम् ॥३३६५॥

उपहार (gift) या अपने मूल्यान्न (will) द्वारा, यह मेरा गोद का पुत्र है-ऐसा विवरण (describe) करके, यदि (किसी) पुरुष को यहाँ पर धन दिया जाता है, परन्तु वह गोद की तरह से नहीं लिया गया होता है या (गोद) लिया होने पर भी, कानून के विश्व द्वारा से निश्चय ही अमान्य होता है, तो दान के अवित्तता दान-पत्र के लेख (शब्दों) से या उस लिखने के समय की परिस्थिति (circumstances) से निश्चयहूप से निर्णय की जाती है ।

उपकर्तु^० हि निर्दिष्टं जनमिच्छा भवेयदि ।

दातुस्तथा च संयोगः संबन्धस्य तु केवलम् ॥३३६६॥

व्याख्यार्थमेव तत्र स्यात्तर्हसत्येऽपि निश्चितम् ।

संबन्धे दानपत्रं तन्मान्यमेवात्र मन्यते ॥३३६७॥

यदि देनेवाले की निर्दिष्ट पुरुष को खास पहुँचाने की इच्छा हो, तथा वहाँ पर उपर्युक्त विवरण का संयोग केवल व्याख्या (description) के लिए ही किया ही, तो (उस) संबन्ध के, निश्चय रूप से असत्य होने पर भी, यहाँ पर, वह दान-पत्र मान्य ही माना जाता है ।

परं चेत्कलिप्तो दत्तसंबन्धो दानकारणम् ।

तत्प्रेरकस्तथा तत्र नियमस्तर्हि निश्चितम् ॥३३६८॥

संबन्धस्यत्यमान्यत्ये निर्णयिते दानपत्रकम् ।

तद्मान्यं भवेद्वीनं प्रभावेणाऽप्यथो पुनः ॥३३६९॥

परन्तु यदि वह कल्पना किया हुआ गोद के पुत्र होने का संबन्ध (ही) दान का कारण हो या उस (दन) का प्रेरक हो अथवा उस (दान) में शार्त हो, तो संबन्ध (गोद) के अमान्य निश्चित कर दिये जाने पर (वह) दान-पत्र, निश्चय ही, अमान्य हो जाता है और फिर प्रभाव (effect) से भी हीन हो जाता है ।

प्रमाणघिस्तदवधूमश्च ।

प्रमाण का तरीका और उसकी रुक्कावट ।

प्रमाणयन्तेऽभियोगेऽपु विषया अपरे यथा ।

तयैव दत्तकस्याऽपि प्रहृणं साधयेद्धरः ॥३३७०॥

जिस प्रकार मुद्दमों में दूसरे विषय प्रमाणित किये जाते हैं, उसी प्रकार पुरुष गोद के पुत्र का लेना भी सिद्ध करे ।

यद्यप्यत्र विशिष्टा नो नियमास्तत्प्रमाणे ।

तथाप्यावश्यकानि स्युः साध्याएव विकलानि तु ॥३३७१॥

यद्यपि यहाँ पर (गोद के विषय में) उस (गोद) को प्रमाणित करने में विशेष नियम नहीं है, सथापि (वहाँ पर) पूरे-पूरे प्रमाणों से आवश्यकता होती है ।

यः प्राकृतं हि दायादं वश्चयित्वा धनग्रहात् ।

तत्स्थाने तु जनं दत्तनाम्ना स्थापयतेऽपरम् ॥३३५२॥

स एव तत्कृते नूनं प्रमाणान्यपि दर्शयेत् ।

भारो गुरुतरो होय गम्भीरत्वं मतो यतः ॥३३५३॥

जो (पुरुष) कुशलती हकदार की घन लेने से वधित कर उसके स्थान पर दूसरे को गोद के पुत्र के नाम से स्थापित करता है, वहाँ उसके लिए प्रमाण भी उपस्थित करे । क्योंकि यह चिम्मेदारी वहाँ और गम्भीर मानी गई है ।

परं यत्राऽधिकाराते वैहुकालोत्तरं कृतम् ।

दत्तादानं भवेत्तत्र भारो गुरुतमः पुनः ॥३३५४॥

परन्तु किर जहाँ पर (पति से गोद लेने का) अधिकार पाने के बहुत काल माद गोद तिया हो, वहाँ पर चिम्मेदारी और भी भारी हो जाती है ।

पञ्चपञ्चाशदद्वान्ते दत्तकग्रहणस्य चेत् ।

साध्यते तद्मान्यत्वं तर्हि निर्णयकारिभिः ॥३३५५॥

आनुकूल्येन तत्सद्वायतिकालगमान्नु ।

प्रमाणार्भायमालोच्य प्रदेयो निर्णयो निजः ॥३३५६॥

यदि गोद लेने के पवर्तन वर्ष बाद उसकी अमान्यता सिद्ध की जाय, तो निर्णय करनेवालों को बहुत समय बीत जाने से उसकी सिद्धि में प्रमाणों के अभाव पर अनुकूलता से (favourably) विचार कर अपना निर्णय ऐसा चाहिए ।

यत्र साव्यविधानस्याऽनुसारेण हि दत्तकः ।

अमान्य इति कृत्यैव प्रत्यादैरभियुज्यते ॥३३५७॥

नूनं पत्यां त्वयिष्टता दत्तकग्रहणेऽभवम् ।

इति मातुर्षचः साव्येऽग्रात्यमत्रेतिं युथैः ॥३३५८॥

वहाँ पर गयाही के पानूत [The Indian Evidence Act, 1972 (section 12 or 33)] के अनुसार हकदारों (reversioners) द्वारा दत्तक अमान्य हैं- ऐसा कहकर (उस पर) मुकर्मा चलाया जाता है, वहाँ पर मैं पति से गोद लेने में अधिकृत थी-ऐसा माना का पन्न दिलानों ने गयाही में अप्राप्य (नहीं प्रदान करने लायक) कहा है ।

यस्मै मया निजं रिक्यं दीप्तते सोऽस्ति दत्तकः ।

ममेति वृतिरघ्रे चेत्तिवित स्पात्तदा तु तत् ॥३३५९॥

पत्रं साद्ये समादेयं यतस्तत्साधकं मतम् ।

मृतरिकथधरस्याऽन्नं दत्तकत्वस्य निश्चितम् ॥३३८॥

जिसको मैं अपना धन देता हूँ वह मेरा गोद का पुत्र है- यदि ऐसा मृति-पत्र (will) में लिखा हो, तो वह पत्र गवाही में ले लेना चाहिए । क्योंकि वह यहाँ पर मृत पुरुष के दाय-धन को लेनेवाले के गोद का सिद्ध करने वाला माना गया है ।

अभियोक्तुसमर्थेन पुंसा चेद् घोपणेन वा ।

कर्मणोपेत्या धाथ जनो विश्वासितोऽपरः ॥३३९॥

फस्याऽपि विषयस्याऽन्नं सत्यत्वे ज्ञानपूर्वकम् ।

विश्वस्तेन पुनस्तेन तथैव विद्वितं तदा ॥३३१॥

तदर्थं स तथा चान्ये तन्नियुक्ता जना अपि ।

अभियोक्तुमशक्तास्तं तस्य प्रतिनिधीनय ॥३३२॥

अभियोगे पुनर्जाते तयोर्मध्ये तु तत्कृते ।

प्रत्याख्यातुं तु तत्सत्यं पूर्वे स्युन्न्यायितोऽन्नमाः ॥३३३॥

यदि मुकदमा चलाने में समर्थ पुरुष ने जान-बूझ कर घोपणा (declaration) द्वारा, कर्म (act) द्वारा या उपेक्षा (omission) द्वारा दूसरे पुरुष को इसी विषय के सत्य होने में विश्वास दिला दिया हो और उस विश्वास किये हुए पुरुष ने वैसे ही करलिया हो, तो उस (काम) के लिए वह (विश्वास दिलानेवाला) और उसके द्वारा नियुक्त दूसरे पुरुष (उसके प्रतिनिधि) भी उस (कार्य करनेवाले) पर और उसके प्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चला सकते । किर उन (विश्वास दिलानेवाले और विश्वास करनेवाले) दोनों के बीच उस कार्य के लिए मुकदमा होने पर पढ़ते (विश्वास दिलानेवाला और उसके प्रतिनिधि) कानून के अनुसार उस संघ का विरोध नहीं कर सकते ।

अवष्टमोऽधिकारस्य होप व्यक्तिगतस्ततः ।

अन्ये स्वतन्त्रदायादाः शक्तास्तत्प्रतिपेधने ॥३३५॥

यह (मुकदमा चलाने के) अधिकार की रोक (estoppel) व्यक्तिगत होती है । इसलिए दूसरे स्वतन्त्र (independent title वाले) इकादार उस (गोदलेने) का नियंत्रण कर सकते हैं ।

अक्षमः स्याज्ञनः शुद्धाशयेनाथ भ्रमेण वा ।

स्थितेरक्षानतश्चाऽपि जनं विश्वासयन्पुनः ॥३३६॥

किर पुरुष शुद्ध खयाल से, भ्रम से या स्थिति की असानता से भी (अन्य) मनुष्य को विश्वास देता हुआ (अभियोग चलाने में) असमर्थ हो जाता है ।

गताऽधिकार इत्येवं मिथ्याकथनतो जनः ।

इयते नाऽधिकारेण सत्यं तत्र त्वपेत्तिम् ॥३३७॥

(मुकद्दमा चलाने के) अधिकार से हीन है—इस प्रकार भूठ कहने से मनुष्य अधिकार से हीन नहीं होता । वहाँ पर सब (सचाई) की आशयदाता होती है ।

न्यायो दस्तग्रहस्थेष मिथ्यैष कथनेन नो ।

अवपुमोऽधिकारस्य यिदिद्धिः परिकीर्तिः ॥३२८८॥

यह गोद लेना कानून से मान्य है—इस प्रकार भूठ कह देना विद्वानों ने (अभियोग चलाने के) अधिकार की रकाट नहीं कहा है ।

केयलोपस्थितिर्दत्तग्रहणे याऽथ संमतिः ।

न याधिकाऽधिकारस्य मता तत्राऽभियोजने ॥३२८९॥

गोदलेन मैं केवल उपस्थिति (हादिरी) या संमति वहाँ पर मुकद्दमा चलाने में अधिकार की वापक नहीं मानी गई है ।

यदा दस्तग्रहो ज्ञातो यादिना तद्दिनात्पुनः ।

आपद्यपूर्ण मतः सोऽप्र ममाण्यितुमीश्वरः ॥३२९०॥

अमान्यत्वं दि दत्तस्याऽप्रहृण्ण तस्य या पुनः ।

निर्णयितुमीशीत न्यायेशैस्तदमान्यताम् ॥३२९१॥

वाद) (plaintiff) को जब गोद लेने का पता चले उस दिन से छ वर्ष तक वह, यहाँ पर, गोद के पुत्र की अमान्यता की या उसके (गोद) नहीं लिये जाने को प्रमाणित कर सकता है, तथा न्यायाधीशों से उस (दत्तक) की अमान्यता निर्णय करवा सकता है । (देखो The Indian Limitation Act 1908, Sch. I, Art. 118)

यदा दत्ताधिकारे स्याद्दस्तकेपोऽपरस्य तु ।

पद्यादिकोऽवधिस्तम तद्दिनादेव निश्चितः ॥३२९२॥

अभियोक्तुः स्वमान्यत्वसिद्ध्यर्थं प्रतिवादिनः ।

निर्णयितुमीशै तस्मिन्निजमान्यताम् ॥३२९३॥

गोद के पुत्र के अधिकार में जब दूसरे वा दूसरों द्वारा तब वहाँ पर उसी दिन से, अरनी मान्यता की विद्धि के तिए प्रतिवादियों पर मुकद्दमा चलाने को छ वर्ष की अवधि निश्चित की गई है और वह उस (अवधि) में अरनी मान्यता का निर्णय करवा सकता है ।

सत्रिमपुत्राऽदानम् ।

हृतिम पुत्र वा लेना ।

कृत्रिमस्तु सुतो मान्यो मिथिकायां विधामतः ।

सत्तसमीपप्रदेशेषु चैव नान्यत्र कुत्रिचित् ॥३२९४॥

मिथिला में और उसके पास के प्रदेशों में ही कृत्रिम पुत्र कानून ये मान्य होता है और कही नहीं होता ।

नारी वा पुरुषः शक्तस्तमादातुं निजेच्छया ।

कृत्रिमादानविधयो वदयन्तेऽप्येत् सुनिश्चिता ॥३३४॥

जो या पुरुष अपनी इच्छा में उस (कृत्रिम-पुत्र) को ले सकता है । आगे कृत्रिम-पुत्र लेने की निश्चित रीतियाँ कही जाती हैं ।

कृत्रिमग्रहणे तस्याऽनुमतिर्वाच्छ्रुता यतः ।

अतोऽधयः स्थो निर्णीतिक्षमं यथ उपागतः ॥३३५॥

श्राव्यस्ततिपृतुसंमत्या स पुत्रस्तत्र निश्चितम् ।

कर्तुं-पुत्राख्ययाऽप्येप एव तत्र प्रकीर्तिः ॥३३६॥

फौंकि कृत्रिम-पुत्र के लेने में उसकी (खुद की) अनुमति भी आवश्यकता होती है, इसलिए नावालिंग (परन्तु) निर्णय कर सकने लायक अवस्था ("of discretion") को प्राप्त हुआ वह (कृत्रिम) पुत्र, वहाँ पर निश्चय ही, उसके माता और पिता की संमति से लेना चाहिए । यही वहाँ पर (मिथिला आदि में) कर्ता-पुत्र के नाम से भी कहा गया है ।

समानजातिको ग्राह्यः पित्रा पुत्रस्तु कृत्रिमः ।

तद्यस्तस्य संबन्धश्चादात्रा नैव चिन्तयते ॥३३६॥

पिता जो अपनी ही जाति का कृत्रिम-पुत्र लेना चाहिए । उस (पुत्र) की अवस्था और उसका लेनेवाले के साथ का रिता नहीं विवारा जाता । (अर्थात् - इससे उसके लेने में बाधा नहीं पड़ती ।)

आवश्यकस्तु नो लेखो धर्मरूप्यानि वाऽथवा ।

नाऽनिवार्याणि पुत्रस्य कृत्रिमस्य परिग्रहे ॥३३७॥

कृत्रिम-पुत्र के लेने में न तो लेख आवश्यक होता है, न धार्मिक काम (ही) जूही होते हैं ।

जायापति द्वामौ स्वं स्वमादातुं कृत्रिमं सुतम् ।

तथैव विधवाऽदातुं निजार्थं तं द्वामा पुनः ॥३४०॥

पत्नी और पति अपने-अपने कृत्रिम-पुत्र को ले सकते हैं । किर उसी प्रकार विधवा (भी) अपने लिए उसे ले सकती है ।

न मार्या न पतिप्राप्ताधिकाराऽप्यधवा द्वामा ।

पत्यर्थं कृत्रिमं पुत्रमादातुं तु केयञ्चन ॥३४१॥

न पत्नी, न पति से अधिकार पाई हुई भी विधवा पति के लिए कृत्रिम-पुत्र लेने में किसी भी तरह उमर्द्ध होती है ।

स्वकृते कृतिमादने भार्याऽन्येषामपेतते ।

नाऽनुशां, न निजस्याऽन्नं पत्न्युथाऽपि हि संमतिम् ॥३४०२॥

पत्नी आने लिए कृतिम्-पुत्र लेने में न दूसरों द्वी अनुमति और न इसमें अपनी पति की संमति भी हो आवश्यकना रखती है ।

तथैव विधवा शुका ग्रहीतुं कृतिम् सुतम् ।

स्वस्मै पत्न्यः सपिण्डानामनवाप्यैव संमतिम् ॥३४०३॥

इसी प्रकार विधवा (भी) पति के सपिण्डाओं की संमति पाये बिना ही आने लिए कृतिम्-पुत्र ले चकती है ।

कृतिमो हीयते नान्नाऽधिकारात्स्वपितुः कुनै ।

ग्रहीतुरेव दायं चादत्ते तस्य कुले पुनः ॥३४०४॥

कृतिम्-पुत्र आने (जन्म-दाता) पिता के बंश में अधिकार से हीन नहीं होता और फिर लेनेवाले के बंश में उसी का दाय (धन) लेता (पाता) है (दूसरे वा नहीं) ।

२४ अवयःस्थता रदाकृता च ।

नामातिगत और रक्षण ।

वहे पञ्चदशावदान्ते वयस्थो जायते नरः ।

अन्यत्र पोडशावदान्ते स वयस्थो मतः परम् ॥३४०५॥

नेत्रञ्चयद्वै कष्टपौक्तवयः प्रतिविधानतः ।

वयः प्राप्तिकृते सीमा निधिता सर्वभारते ॥३४०६॥

बंगाल में पञ्चद वर्ष पूरे होने पर पुल्य बालिग होता है । दूसरे स्थानों पर वह सोलह वर्ष पूरे होने पर बालिग माना गया है । परन्तु वि० सं० ११३२ (ह० स० १८७५) में बहेन्ये (बते) बालिग होने के कानून (The Indian Majority Act) से समस्त भारतवर्ष में बालिग होने वी सीमा निधित बढ़ी गई है ।

रक्षार्थमध्यस्थस्य तदर्थस्याधवा पुनः ।

नियुक्तो रक्षको यत्र न्यायगोद्धाधिकारिभिः ॥३४०७॥

तदर्थस्याधवा रक्ष-रक्षकास्यसूरिभिः ।

गृहीतं रक्षकत्वं हि यत्र तत्र तु निधिता ॥३४०८॥

एकविश्वतिवर्णन्ते तस्य नूनं वयस्थता ।

अन्यशाष्टादशावदान्ते सा निर्णीता सुनिधितम् ॥३४०९॥

जहाँ पर न्यायालय के अधिकारियों ने नायालिङ् की रक्षा के लिए वा फिर उसके धन की रक्षा के लिए रक्षक (guardian) नियुक्त कराया हो अथवा जहाँ नायालिङ् के लिए बनाई अदालत (court of wards) के विदानों वै

दृष्टि (नावालिंग) के धन की रक्षा का काम (स्वयं) ले लिया हो, वहाँ पर इसीस वर्ष के बाद उसका बालिंग होना, निश्चित रूप से, निश्चित किया गया गया है और दूसरी जगह वह (बालिंग होना) अठाह वर्ष के बाद पूरी तौर से तय किया है ।

परं तूपयमेतस्योच्छ्रुदेवा यौतके पुनः ।

दत्तकग्रहणे नैतदिधानमुपयुज्यते ॥३४१०॥

परन्तु विवाह में उसके विच्छेद (divorce) में, दृष्टि के धन (dower) में और गोद लेने में इस कानून का उपयोग नहीं होता । (विवाह के लिए देखो श्लोक २७४२ से २७४५ तक और गोद के लिए श्लोक २६३२ से २६४१ तक)

रक्षकास्त्रिविधास्तत्र प्राकृता वा नियोजिताः ।

पित्रा स्वमृतिपत्रेण, न्यायाधीशैः कृताः पुनः ॥३४११॥

वहाँ (नावालिंगी में) रक्षक तीन तरह के होते हैं । कुदरती (स्वामाविक), पिता से अपने इच्छापत्र (will) द्वारा नियुक्त किये और अदालत के अधिकारियों द्वारा चुनाये ।

प्राकृतो रक्षकः ।

कुदरती रक्षक ।

पिता तु प्राकृतः पूर्वं रक्षकोवालसन्ततेः ।

ध्यक्षिणस्य तदर्थस्य चापि माता तदुत्तरम् ॥३४१२॥

पिता (अपनी) नावालिंग संतान का और उसके व्यक्तिगत धन का भी पहला स्वामाविक रक्षक होता है । उसके बाद माता (रक्षक होती है) ।

परन्तु मृतिपत्रेण यत्र पित्रा नियोजितः ।

सन्तते रक्षकस्त्वन्यस्तत्र माता न रक्षिका ॥३४१३॥

परन्तु जहाँ पर पिता ने 'बालकों' की रक्षा के लिए, मृतिपत्र (will) द्वारा, दूसरा (पुत्र) नियुक्त कर दिया हो, वहाँ माता रक्षिका (guardian) नहीं होती । (देखो श्लोक ३५१६ से ३५३४ तक ।)

विद्याय पितरौ नान्यो वालरक्षाधिकारवान् ।

तयोरत्मावे न्यायेश आसन्नं पितृवान्धवम् ॥३४१४॥

तदभावेऽन्तिकं मातृवान्धवं च नियोजयेत् ।

न्यायालयनियुक्तः पुर्वं धुरेवान् रक्षकः ॥३४१५॥

पिता और माता को छोड़कर दूसरा बालक की रक्षा का अधिकारी नहीं होता । उनके न होने पर न्यायाधीश पिता के पास के बन्धु (nearest male paternal kinsman) को और उसके अभाव में माता के पास के बन्धु को

नियुक्त करे । न्यायालय द्वारा नियुक्त किया पुरुष-बन्धु (male kinsman) ही, दरा पर, रक्षक होता है ।

परं धार्मद्वितायात्र स्यक्तुया तत्पितृयाभ्यवम् ।

न्यायाधिपो नियोक्तुः हि शक्तस्तन्मातृयान्धवम् ॥३४१६॥

तथैयोमौ तु तौ स्यक्तुया नियोक्तुमपरं जनम् ।

अपि शक्तः स यत्तत्र मुख्यं वालद्वितं मतम् ॥३४१७॥

फरन्तु न्यायाधीश नाबालिङ् के हित के लिए दस (धालक) के पिता के बन्धु को होड़कर उसकी माता के बन्धु को नियुक्त कर सकता है । उसी प्रकार वह उन दोनों (पिता के बन्धु और माता के बन्धु) को होड़कर दूसरे (stranger) पुरुष को भी बिधत कर सकता है; क्योंकि वहाँ पर नाबालिङ् वा हित ही मुख्य माना गया है ।

अवयस्थस्य योग्येऽत्र सति ताते नहि त्वमः ।

न्यायालयो नियोक्तुः तददाकल्पेऽपरं जनम् ॥३४१८॥

(फरन्तु) यहाँ पर नाबालिङ के दोध्य (भूत) पिता के बिधमाल होने पर न्यायालय दसकी रक्षा के लिए दूसरे पुरुष को रक्षक नहीं बना सकता ।

मिताल्लरात्नुगस्यात्र दायभागानुगस्य धा ।

अवयस्थस्य रक्षाध्यं रक्षकस्तु नियुज्यते ॥३४१९॥

मिताल्लरा के अनुयायी वा दायभाग को माननेवाले नाबालिङ की रक्षा के लिए रक्षक नियुक्त किया जाता है ।

मिताल्लरात्नुगस्याधाऽचयवस्थस्य निजं धनम् ।

संसृष्टिद्रव्यतो भिन्नं पातुमेव स योज्यते ॥३४२०॥

और मिताल्लरा को माननेवाले नाबालिङ के सामें के धन से भिन्न निजी (separato) धन वीरकी रक्षा के लिए ही वह (रक्षक) नियुक्त किया जाता है ।

दायभागानुगस्यात्र संसृष्टं व्यक्तिं तथा ।

द्रविणं रक्षितुं नूनं नियुक्तिस्तस्य संमता ॥३४२१॥

तथा, यहाँ पर, दायभाग को माननेवाले (नाबालिङ) के सामें के और निज के धन की रक्षा के लिए निश्चय ही दस (रक्षक) की नियुक्ति मानी है । (देखो ओड १७०० से १७०१ तक) ।

स्ययात्तस्तते रक्षा पूत कर्मास्ति पैतृकम् ।

स्यस्मिन्जीवति तत्तत्र स नियुक्तीत नापरम् ॥३४२२॥

आगामी नाबालिङ संतान वीरकी रक्षा करना पिता का पवित्र वाम है । इसलिए वह अपने जीते जी दूसरे की दस (धाम) में नियुक्त न बरे ।

परं शक्तो नियोक्तुः स सततेहितकाम्यया ।

अन्यं तत्प्रेतकं तस्य विद्याभ्यासादिदेतवे ॥३४२३॥

नियुक्तस्य विद्युष्ट्यै च किन्तु न्यायालयाधिपः ।
अवयस्थहितायै शक्तस्तप्रतिपेधने ॥३४२४॥

परन्तु वह (पिता) संतान के हित की कामता से उस (संतान) की पड़ाई आदि के लिए दूसरे को उसका देखभाल करनेवाला (Guardian) बना सकता है और उस बनाये हुए को हम सकता है । परन्तु न्यायाधीश नायालिंग के हित के लिए (ही) (उसको) इस (इटाने के कार्य के लिए) बना कर सकता है ।

संततेर्जातिमात्राया मातुः प्राग् जनको मतः ।

रक्षकस्तन्मृतायै या स्याद्वकाधिकारिणी ॥३४२५॥

संतान के उत्तम होते ही माता के पहले पिता (उसका) रक्षक माना गया है । उस (पिता) के मरने पर ही वह (माता) रक्षा (करने) के अधिकारवाली होती है ।

असमर्थाऽचयपस्थीत्र त्यक्त्वा भाग्यं च संततिम् ।

रक्षकत्वपदं प्राप्तु मन्यस्य तु विधानतः ॥३४२६॥

नायालिंग यहां पर अपनो छी और संतान को छोड़कर दूसरे के रक्षक पद को प्राप्त करने में कानून से असमर्थ होता है ।

भर्त्रिच्छापत्रसंप्राप्ताधिकारा विधवा पुनः ।

यत्रादत्ते सुतं दत्तं तत्र तस्याः शयोत्तरम् ॥३४२७॥

नियुक्तीत यथाशक्यमादातृपितृवान्धवम् ।

दत्तरक्षाणुते त्यक्त्वा जनकं तस्य निधितम् ॥३४२८॥

फिर जहां पति के इच्छापत्र द्वारा अधिकार पाई हुई विधवा गोद के पुत्र को सेती है, वहां पर उसके मरने के बाद जहां तक हो, बालक की रक्षा के लिए, उसके जन्मदाता पिता को निधित ह्य से छोड़कर, गोद सेनेवाले पिता के बन्धु (कुटुम्बी) को नियुक्त करे ।

तथैव यत्र जनकनियुक्त्याऽदातृनिधितः ।

आशयो लेखागो नश्येत्तत्र नो तन्नियोजनम् ॥३४२९॥

उसी प्रकार जहां जन्मदाता पिता के (रक्षक) नियुक्त करने से गोद सेनेवाले का निधित किया लेख (will) में लिखा अभिप्राय नह छोता हो, वहां उस (जन्मदाता पिता) को नहीं नियुक्त करना चाहिए ।

मिताक्षरानुगे पृक्कुद्धम्ये पृक्किमाधितः ।

अवयस्थो भवेद्यत्र तत्र कर्ता पिता स्वयम् ॥३४३०॥

अतः स धातुमागेन सहितां पृक्किगां धियम् ।

सधीं स्वकर्तृं भावेन नियन्त्रयितुमीश्वरः ॥३४३१॥

जहां पर मिताद्वारा को सानेवाले साके के द्वादुम्ब में सामेदार नाशालिय हो, वहां पिता सुद कर्ता (manager) होता है। इसलिए वह अपने कर्ता होने से (उस) शालक के हिस्से के द्वाय ही साके में रही सारी संपत्ति को प्रबन्ध करने में समर्थ होता है।

माता भाग्यहुता यस्मात्पृक्संपत्तिरक्षणे ।

तच्छक्तिस्तु तदन्तेऽतो याति ज्येष्ठं हि तत्सुतम् ॥३४३२॥

क्योंकि माता साके के घन की रक्षा करने में अधिकारिणी नहीं थी गई है, इसलिए उस (पिता) के बाद उस (पिता) की शक्ति उस (पिता) के बड़े पुत्र को पिता जाती है। (देखो श्लोक १४०६)

परं निजाऽवयवस्यस्य स्त्रोस्तस्य धनस्य च ।

ध्यक्तिगस्याऽन्नं रक्षायै सा कामा न्यायतो मता ॥३४३३॥

एतनु वह (माता), यहां पर, अपने नाशालिग पुत्र और उसके व्यक्तिगत (निजी) घन की रक्षा के लिए न्याय (कानून) से समर्थ मानी गई है।

पुत्राः सर्वेऽवयवस्थाव्येद् न्यायाधीशो नियोजयेत् ।

तावत् रक्षकं याधत्तेष्वेकः स्याद्यस्थितः ॥३४३४॥

यदि (पिता के मरने के समय) सारे ही पुत्र नाशालिग हों तो न्यायाधीश तब तक (उनके साके के घन का) रक्षक नियुक्त करे, जब तक उनमें को एक बालिग हो जाय।

धर्यस्थातां समायाते त्वेकस्मिन् स्यात्स रक्षकः ।

अन्येयामयवस्थत्वं तप्र नो धाधकं मनम् ॥३४३५॥

(उनमें से) एक के बालिग हो जाने पर वह (बालिग) रक्षक हो जाता है। वहां पर दूसरो की नाशालियाँ बाधक नहीं मानी गई हैं। (देखो श्लोक ३५४४ से ३५५५ तक ।)

पितुरुन्तेऽवयवस्थव्येत्पुत्रो भातुर्यथः स्थितात् ।

असंख्यो भवेत्तर्दि माता तस्यार्थरक्षिका ॥३४३६॥

पिता के बाद यदि नाशालिग पुत्र बालिग भाई से जुड़ा हो, तो (उसकी) माता उसके घन की रक्षा होती है।

भातरस्त्वयवःस्थाव्येत्सर्वे तद्विन्याधिवः ।

सर्वारक्षणे तेयाममर्द्य चान्यं नियोजयेत् ॥३४३७॥

यदि सारे ही भाई नाशालिग हों, तो न्यायाधीश सारे ही घन की रक्षा के लिए उनकी माता की या किसी अन्य की नियुक्त करे।

शालेषु त्वयवयस्थो नो पृक्तवंशस्य रक्षणे ।

निपिद्वोऽतः स शकोऽन्याऽवयवस्थस्याऽन्नं संततेः ॥३४३८॥

भार्याप्राक्षाऽपि रक्षायां निजपुत्रकलत्रयत् ।

चेत्सर्वे ते तु संपृक्तकुदम्याः स्युरसंशयम् ॥३४३॥

शास्त्रों में सामके के वर्णा के रक्षण में नारालिंग नियिद नहीं है। इसलिए वह, यहां पर, यदि वे सब सामके के कुदम्यवाले हों, तो निश्चय ही, अपने पुत्र और भ्री के समान (ही) दूसरे नारालिंग की संतति और भ्री ही रक्षा करने में भी समर्थ होता है।

खिया हि परिणीताया रक्षकत्वं तेषुनः ।

नियमा ये पुरैवात्र त उकाः शाखसंमताः ॥३४३०॥

फिर व्याही हुई छी (भार्या) के रक्षकत्व के लिए जो शास्त्र से माने हुए नियम हैं, वे यहां पर पढ़ते ही कह दिये हैं। (देखो श्लोक २८६० से २८६३ तक ।)

अवयस्थस्य दत्तस्य रक्षकत्वं वज्रेद ध्रुवम् ।

प्राकृतौ पितरौ त्यक्त्वा ग्रहीतृपितरौ पुनः ॥३४४॥

और नारालिंग दातक पुत्र का रक्षकत्व (guardianship) असली याप-मा को होडकर गोद लेनेवाले याप-मा के पास चला जाता है। (भार्यात्-वे ही उसके रक्षक होते हैं ।)

अव्यातपितृकस्यात्र पुत्रस्यामैव रक्षिका ।

जारजस्य, पिता ज्ञात-तातस्यास्य तु रक्षकः ॥३४४२॥

यहां पर जिसके पिता का पता न हो ऐसे जारज (illegitimate) पुत्र की मा ही रक्षक होती है। तथा पिता का पतावाले इस (जारज पुत्र) का तो पिता (ही) रक्षक होता है।

यद्रोदाहोऽपरो रूढ्या भतस्तत्र न वञ्च्यते ।

पूनभूत्वं गता माता सन्तते रक्षकत्वतः ॥३४४३॥

यहां पर दूसरा विवाह हठिं से मान्य होता है, वहां पर दूसरा विवाह की हुई माता सन्तान की रक्षिका होने से विभिन नहीं होती।

जातेश्च्युतस्तु शास्त्रे पु घञ्जितो रक्षकत्वतः ।

अवयस्थस्य तस्याथ संपत्तेरपि निश्चितम् ॥३४४४॥

एतं सत्त्वनिष्ठ्येकवार्षिकेण नयेन दि ।

जात्यशक्तिद्वरेणात्र साऽशक्तिस्तु निवारिता ॥३४४५॥

शास्त्रों में, निवार ही, जाति से बहिर्भूत हुआ, नारालिंग के और उसकी संपत्ति के भी रक्षण से विभिन कर दिया गया है। परम्परा वि० सं० ११०७ (ही स० १८२०) के जाति संबन्धी अशक्ति को दूर करनेवाले कानून (The Cast Disabilities Removal Act) से, यहां पर, वह असमर्थता दूर करती गई है।

नयेनानेन धर्माद्वा जातेर्यापि च्युतः पुमान् ।

खी वा नो चञ्च्यते यित्तादधिकाराच्च निथितम् ॥३४४६॥

इस कानून से धर्म या जाति से भी दूर हुआ पुरुष वा लौ; निथय ही, धन से वा अधिकार से बच्चिन नहीं होती ।

परधर्मगतोऽप्यश्र संतते रक्षकत्वतः ।

पिता न हीयते चेष्टा स सत्त्वं र्यं स्वर्यं त्यजेत् ॥३४४७॥

दूसरे धर्म में गया हुआ पिता भी, यदि वह आने अधिकार को स्वर्य ही न छोड़ दे, तो वही पर सन्तान के रक्षकन से च्युत (दूर) नहीं होता ।

परन्तु तेन समयेऽपरधर्मग्रहस्य चेत् ।

त्यक्तं निजेच्छ्या सत्त्वं, नियुक्तश्चापरो जनः ॥३४४८॥

संततेः पात्रायाध्यापनायापि वा पुनः ।

तद्हि न्यायाधिपो धालद्विताय प्रभवेद् धुवम् ॥३४४९॥

पितुस्तदधिकारस्य प्रत्यादाननिषेधने ।

यतस्तत्रापि यातस्य साम्भो मुख्यो मतो युधैः ॥३४५०॥

परन्तु यदि उस (पिता) ने दूसरा धर्म प्रदण करने के समय अपनी हृच्छा से अपना अधिकार छोड़ दिया हो और सन्तान के पात्रता या इर पाठन के लिए दूसरा पुरुष नियुक्त करदिया हो, तो न्यायाधीश, बालक के हित के लिए, पिता को उस अधिकार के पीछा लेने से रोकने में, निथय ही, समर्थ होता है; क्योंकि वही पर भी विदानों ने बालक का लाभ ही मुख्य माना है । (आर्यात्-बालक की हानि वी सम्भावना ही, तो न्यायाधीश पिता को वही दूए अधिकार ही किर से होने से मना और सख्ता है ।)

पितुधर्मानुगा चाप्य समाजे तत्पदानुगा ।

संततिर्मन्यते तस्मात्साधारणेण रक्षकः ॥३४५१॥

शिष्येत्तामनुसरनं रीतिं तदुपयोगिनीम् ।

धर्मान्तरगतायां तु भातरि न्यायरक्षकः ॥३४५२॥

जननीतोऽपहृत्यातो ध्यात्त्वामार्यसंततिम् ।

ददितायैष रक्षायां पुंस आर्यस्य कस्यचित् ॥३४५३॥

पिता के पर्यं का अनुमरण करनेवाली और समाज में उत्तर (शिक्षा) के पद का अनुमरण करनेवाली संतान मानी जाती है । इसलिए रक्षक सापारण तौर से उत्तर (वाप) का अनुमरण करता हुआ उत्तर के उत्तरुक होनेवाली रीति को सिखलावे । बाला के दूसरा धर्म प्रदण करने पर वो न्यायाधीश उत्तर आर्य संतान को, माता पे लेता, उत्तर (संतान) के हित के लिए ही, किंगी आर्य पुरुष यी रक्षा में दे दे ।

पितरौ तु परित्यज्य गते धर्मान्तरं पुरा ।
 आर्यसन्तानकेऽत्रान्ते पितृभ्यां च प्रवत्तिंते ॥३४५४॥
 अभियोगे पुनर्नेतुमधिकारे निजे हि तम् ।
 न्यायाधिपाः पुरा चक्रस्तस्यामीषानुमोदनम् ॥३४५५॥
 वयसा निर्णये शक्तश्चेत्सोऽभूत्तारतम्यतः ।
 पित्रोः स्वाम्यं ततो मुख्यं मत्वैवाच्चात्मसंततौ ॥३४५६॥
 ताभ्यां तमददुस्ते तु तद्विरोधेऽपि निश्चितम् ।
 मंहाराप्ते प्रयागेऽथ वह्ने चापि नयाधिपैः ॥३४५७॥
 किन्तु तस्य हितस्यैव मुख्यत्वं त्वयचिन्त्यते ।
 निर्णयितेऽभियोगश्च तस्यैव हितकाम्यया ॥३४५८॥

आर्य पुरुष की सन्तान के, यहां पर, पहले माता-पिता को छोड़ कर, दूसरे धर्म में चले जाने पर और बाद में माता-पिता के उसको फिर अपने अधिकार में लेने के लिए मुकद्दमा लेनाने पर, यदि वह (सन्तान) धर्म (उस के हिसाब) से ठीक तौर से निर्णय फरने में समर्थ होता था, तो न्यायाधीश लोग, पहले समय में, उस (धर्म परिवर्तन करनेवाले) की इच्छा का ही अनुमोदन करते थे । उसके बाद वे यहां अपनी सन्तान पर माता-पिता के अधिकार को मुख्य मानकर ही, उस (सन्तान) के विरोध करने पर भी, निश्चय ही, उसे उन (माता-पिता) को है देते थे (सौंप देते थे) । परन्तु बंधु, इलाहाचाद और बंगाल में न्यायाधीश लोग आजकल उस (सन्तान) के हित का ही मुख्य होना विचारते हैं और मुकद्दमे का फैसला उस (सन्तान) की हित-कामना से ही करते हैं । (अर्थात्-ऐसे मुकद्दमे में धर्म परिवर्तन करनेवाली सन्तान का जिसमें हित हो, वैसा निर्णय करते हैं ।)

स्वाभाविकस्य रक्षकस्याऽधिकाराः ।

स्वाभाविक रक्षक के अधिकार ।

आर्यस्याच्चाऽवयस्यस्य प्राकृतो रक्षकः क्षमः ।
 आधीकतुं च विक्रेतुं तद्यांशं सुनिश्चितम् ॥३४५९॥
 जात आवश्यकत्वेऽथ संपत्तेस्तु हिताय च ।
 परं ग्रहीता यदि तु न्याय्यां तस्यानिवार्यताम् ॥३४६०॥
 स्वकृते तत्कृते न्याय्यमन्वेषणमथापि च ।
 सिद्धीकतुं मशकः स्यात्तर्हन्याय्यो प्रदो भवेत् ॥३४६१॥

यहां पर आर्य (हिन्दू) नाबालिग का प्राकृत (उदरती) रक्षक, आवश्यकता होने पर अथवा संपत्ति के लाभ के लिए, उस (नाबालिग) की संपत्ति के भाग को, निश्चय ही गिरवी रखने चा बेचने में समर्थ होता है । परन्तु यदि लेनेवाला उस

(गिरवी रखने या बेचने) की अनिवार्यता को या (पहले के पहले) आने द्वारा उसके बारे में की न्याय (जागिर) पछ-ताक को सिद्ध न कर सके, तो लेना (उसका गिरवी रखना या खरीदना) अन्याय (अतुचित) हो जाता है ।

प्राकृती रक्षिकाऽस्या चेदादीकुर्याद्यनं पुरा ।

न्याय्यावश्यकताहेतोरामनो यालसंततेः ॥३४६२॥

पुनश्चाधिविमुक्तपर्यं निषुक्तादिवसाद्दि प्राक् ।

विकीर्णिते तमधं सा तदन्यायः स विकायः ॥३४६३॥

विकायगतविच्छाशो दत्त आधिकृणाय चेत् ।

नया तद्यपि पएषं तन्याय्यावश्यकतोऽजिस्तम् ॥३४६४॥

अत आधिकृणायं हि दत्तं प्रतिदद्दनम् ।

अवयस्थः स्वसंपत्तिमधिकतुं त्वमो भवेत् ॥३४६५॥

यदि प्राकृतिक (स्वाभाविक) रक्षिका (हुई) माता अपनी नाबालिंग मंतान वी संपति हो, न्याय्य आवश्यकता के लिये, पहले गिरवी रखदे और फिर वह गिरवी को चुनौताने के लिए नियुक्त विधि दिन के पहले ही उस संपति को बेचदे, तो वह बेचता अन्याय होता है । यदि उसने बेचने से आये हुए धन का कुछ भाग गिरवी के कर्जे में दिया हो, तो भी वह सौदा (वेचान) न्याय्य आवश्यकता के विवालना (ही) होता है । इसलिए गिरवी के कर्जे के लिए (उसकी चुकाने में) दिये धन की वापस लौटाता हुआ नाबालिंग अपनी संपत्ति पर अधिकार करने में समर्थ रहता है ।

आधीकृतिर्यदि भवेद् वालोपयमदेतुका ।

विधानस्थ विरोधेभान्याम्यैद्यात्र तदापि सा ॥३४६६॥

यदि गिरवी रखना नाबालिंग के विराद के लिए हो, तो वह भी यहां पर कानून का विरोध होने से, अन्याय ही होता है । (क्योंकि नाबालिंग का विवाह कानून के विरुद्ध है) ।

वालाये तद्वनाये या सधो वृंदस्तु विकायात् ।

तदर्थस्याथ विकीर्ण तं कार्येऽधिकलाभदे ॥३४६७॥

तत्प्रयोगोऽथ सामान्यादधिकेत द्वि विकायः ।

मूल्येन वालसंपत्तेनैते तच्छ्रुतिवायदाः ॥३४६८॥

नाबालिंग के धन की बेचने से उस (नाबालिंग) की आनदनी में या उसके धन की आपदनी में महात् शुद्धि वा दस (नाबालिंग के धन) को बेचकर अधिक लाभ देनेवाले कार्य में उसका प्रयोग, अथवा वालक की संपत्ति को सामारण ये अधिक बीमत में देनाये वे दस (नाबालिंग) की संपत्ति के हिताधीरे नहीं होते

(पर्याक्रिया की यह सब सट्टेबाजी समझी गई है ।) ।

मात्रा चाधीकृतिवर्ज्या रद्यवालधनस्य तु ।

अपैतूकं नवं करुं व्यवसायमसंशयम् ॥३४६॥

और बाप-दादा से नहीं चले आनेवाले नये व्यापार को करने के लिए माता प्राचा (अपनी) रक्षा में रहे चालक के धन का गिरवी रखना (भी) निःसन्देह चंजित है ।

प्रवन्धकरुते घाऽस्याश्रुते वित्तव्यये पुनः ।

तदग्रहीतैव न्यायत्वं तस्य नूनं प्रमाणयेत् ॥३४७॥

फिर मैनेजर के किये या माता के किये (नावालिंग के) धन के खर्च में उस (धन) को लेने (खरीद ने या गिरवी लेने) बाला ही उस (खर्च) का न्याय होना, निश्चय ही, प्रमाणित करे । (देखो श्लोक १४७४-१४८१) ।

सप्तवेदाङ्गचन्द्रे उन्दे स्वीकृतं यद्विधानकम् ।

रक्षकस्याथ रद्यस्य श्रुते तदनुसारतः ॥३४७१॥

नियुक्तो रक्षकस्यार्थोऽवश्यस्यार्थरक्षणे ।

जात आवश्यकेऽप्यव्र श्रुते न्यायालयाद्वया ॥३४७२॥

न शक्तः स्थिरसंपत्ति व्ययितुं हि कथञ्चन ।

व्ययेच्चेत्तर्हि वालस्तं द्वामः करुं हि निष्फलम् ॥३४७३॥

विक्रम संवत् १६४७ (ई० स० १८६०) में जो रक्षक और रद्य के लिए विधान (The Guardians and Wards Act) स्वीकृत किया गया था उसके अनुसार नावालिंग हिन्दू के धन की रक्षा में नियुक्त किया रक्षक आवश्यकता होने पर भी यहाँ पर न्यायालय की आज्ञा के बिना किसी प्रकार भी स्थावर संरक्षण की रक्षा नहीं कर सकता । यदि (वह) खर्च कर दे, तो बालक (नावालिंग) उस (खर्च) को निष्फल कर सकता है ।

परं न्यायालयाद्वयो यदि कुर्यात्स तद्वययम् ।

तस्य न्यायत्वसिद्धयै नो भारस्तद्वाहके भवेत् ॥३४७४॥

परन्तु यदि न्यायालय से हुक्म पाऊर वह (रक्षक) उस (नावालिंग की स्थावर संपत्ति) को खर्च करे तो उसके न्याय होने को सिद्ध करने का भार उसके प्राहृष्ट पर नहीं होता ।

न्यायालयनियुक्तात् रक्षकात्पाकृतः पुनः ।

रक्षकोऽधिकसामर्थ्यं धारयत्यन्न निश्चितम् ॥३४७५॥

न्यायालयकर्तायां स वालसंपत्तिविकरे ।

शक्तो न्यायालयस्याद्वां विना तस्या द्विताय वा ॥३४७६॥

किर न्यायालय द्वारा नियुक्त रक्षक से स्वाभाविक रक्षक, यहाँ पर निधंय ही, अधिक सामर्थ्य रखता है। न्याय आवश्यकता होने पर यो उस (संपत्ति) के लाभ के लिए वह न्यायालय की आज्ञा के बिना ही, नावालिंग की संपत्ति को बेच सकता है। इसमें सनदेह नहीं है।

पुरोक्तु विधानं भी वाघते प्राकृतस्य दि ।

रक्षकस्याधिकारांस्तु द्विन्दुन्यायोदितानिद ॥३४७॥

पहले कहा कानून (The Guardians and Wards Act) स्वाभाविक रक्षक के, यहाँ पर, द्विन्दु कानून में कहे, अधिकारों में वापा नहीं ढालता।

परं सहभियुक्तश्चेन्यायेशैरक्षकस्तदा ।

क्षीयते सदृजस्यात्र रक्षकस्याधिकारिता ॥३४७॥

परन्तु न्यायाधीशो ने एकाग्र रक्षक नियुक्त करदिया हो, तो स्वाभाविक रक्षक की अधिकारिता नष्ट हो जाती है।

शरण्यास्वचन्द्राच्छ्वे प्रतिबन्धिविधानकम् ।

भारते स्वीकृतं तस्यानुसारेण क्षमो मतः ॥३४७॥

अवयस्यो ध्योलामाऽनन्तरं रेखभियोजने ।

आञ्यन्दं रक्षकेणार्थस्थानान्तरणमन्त्र चेत् ॥३४८॥

हिं स० ११६२ (ह० स० ११०८) में भारतवर्ष में-जो प्रतिबन्धवाला कानून (The Indian Limitation Act) स्वीकृत किया गया है उसके अनुसार यदि यहाँ पर रक्षक द्वारा भन स्थानान्तरित (transfer) किया गया हो, तो नावालिंग आलिंग होने के बाद तीन वर्ष तक मुकदमा चलाने में समर्थ भाना गया है। (दिल्ली उठ कानून का : ch. I, art. 41.)

प्राप्तु रक्षकः कल्पु समयः पणसंविदम् ।

कर्मान्यद्योधितं याज्ञसंपदस्तु द्वितावदम् ॥३४८॥

तस्य रक्षाकरं वाय याज्ञसाभप्रदं पुनः ।

न्यायोक्तविधिना नूनं रदपलाभरतः सदा ॥३४८॥

निधंय ही न्यायालय की रैति से सदा अपने रक्ष (ward) के हित में सभा प्राप्त (कुदरती) रक्षक किसी बात का बादा (contract) या नावालिंग की संपत्ति या सामाजिक वित्त दूसरा काम या उस संपत्ति की रक्षा ढरनेवाला काम या नावालिंग के सामाजिक काम कर सकता है।

नियन्त्रयितुमीषोऽथ वाक्यविच्च पणेन सः ।

स्वीपेन, न क्षमो वासं स्वयं तेन नियन्त्रितुम् ॥३४९॥

एक भाने बादे (contract) से नावालिंग के भन की नियन्त्रित (liable) भर

सक्ता है, परन्तु उससे स्वयं नाबालिंग को नियन्त्रित (bind) नहीं कर सकता ।

आवश्यकत्वे विकीर्तं रक्षयथालधनं यदि ।

मात्रा रक्षिकया राज्यकरेण परिवर्जितम् ॥३४८॥

भाविराज्यकरार्थं च वालस्तद्वशजास्तथा ।

कृता भारभृतो, राजा ततश्चारोपितः कर्तः ॥३४९॥

तस्मिस्तत्प्राप्ते चापि कथिकेणाभियोजितः ।

बयस्थतां गतोऽर्थस्य पूर्वस्वामी न तर्हि सः ॥३५०॥

भाराहोऽत्र करार्थं स्याद्यतोऽभ्याविहितः पणः ।

तदर्थं व्यक्तिगस्तस्या नैव वधनाति तं जनम् ॥३५१॥

रक्षक हुई माता ने यदि आवश्यकता होने पर रक्षा में रहे बालक को, राज्य कर से मुक्त, सम्पत्ति बेचकी हो और आगे लगनेवाले राज्य के कर के लिए नाबालिप और उसके वर्णनों को जिम्मेदार करदिया हो, तथा उसके बाद राजा ने उस (संपत्ति) पर लगान लगा दिया हो और उस (कर) की प्राप्ति के लिए परीदार ने बालिश हुए (उस) संपत्ति के स्वामी पर मुकदमा लगाया हो, तो वह, वहां पर, लगान के लिए जिम्मेदार नहीं होता; क्योंकि माता का उसके लिए किया नादा, वहां पर, (माता का) व्यक्तिगत होता है और उस पुढ़ेर पर लगान नहीं होता ।

प्रतिज्ञया युतं पञ्चं लिखितं रक्षकेण तु ।

यद्यत्रात्मगतं भारं न्यसितुं वालसंपदि ॥३५२॥

तदापि शासनं देवं न्यायेणैः प्रतिसंपदम् ।

ऋणं त्वितरथा न्यायमान्यं स्याच्चेत्सुनिश्चितम् ॥३५३॥

यदि वहां पर रक्षक ने अपने आर घा भार नाबालिंग की संपत्ति पर रखने को प्रतिशोधाला पत्र (promissory note) लिख दिया हो, और यदि और प्रकार से (वह) कर्त्ता नियितहा से न्याय से मान्य हो, तो भी न्यायाधीशों को (उस नाबालिंग की) संपत्ति के प्रति ही दिमां देनी चाहिए ।

प्रबन्धकोऽवयस्थस्य संपत्तेवार्थं रक्षकः ।

अवयस्थस्य, नो शको यन्त्रितुं तस्य संपदम् ॥३५४॥

अवयस्थं स्वयं वापि सत्कृते स्यावरं धनम् ।

क्रेतुं कृतेन समयेनात्र नूनं कथञ्चन ॥३५५॥

नाबालिंग की संपत्ति का प्रबन्धक (manager) या नाबालिंग का रक्षक (guardian), यहां पर, उसके लिए किए अचल संपत्ति खरीदने के बाद से उसकी संपत्ति को या स्वयं नाबालिंग ही, नियंत्रण ही, किसी प्रकार नहीं बांध सकता ।

वाल्मीरहकेणात्र क्रेतुं स्थावरसंपदम् ।

स्वरद्यस्य कृते नूनं चेद्यत्र समयः शृतः ॥३४६३॥

यथस्यतां समाप्त्ये रद्ये तस्याः कु ते हि तौ ।

रद्यविक्यक्तौ नूनमभियोक्तुं मियोऽज्ञमी ॥३४६४॥

बालक की संपत्ति के रद्यक ने आपनी रक्षा में रहे (नावालिंग) के बाले अचल संपत्ति खरीदने के लिए, निधय ही, यह पर, (किसी से) बादा किया हो, तो (उस) नावालिंग के बालिय हो जाने पर, निधय ही वह नावालिंग और (संपत्ति) बेचनेवाला उस (संपत्ति) के लिए आपस में सुकदमा नहीं चला सकते ।

क्रमश्चेदणमादाय संपत्तेः साधितो भवेत् ।

स्थावरायाः परं नाभूतत्रायश्यकता यत्तु ॥३४६५॥

श्रृणुस्याय क्रमस्यापि संपत्तेस्तर्हि न द्यमः ।

मृते कर्त्तदि, संश्राप्य प्रतियालं प्रतिथि या ॥३४६६॥

श्रृणुप्रदोऽभियोगात्तु शासनं द्वि धनप्रदे ।

द्यमः स शासनं प्राप्तुं विकीर्त्यै कीरतसंपदः ॥३४६७॥

तद्विक्यागतेनाय धनेन च श्रृणु निजम् ।

प्रत्यादातुमपीद् प्राप्न दत्तं तत्क्यद्वेत्ये ॥३४६८॥

अद्य अचल संपत्ति की खरीद कर्त्त बरडे की हो, परन्तु वही पर निधय ही इन्हें की या संपत्ति के खरीदने की आवश्यकता न हुई हो, तो कर्त्त देनेवाला, बत्तां के मरजाने पर, सुख्तमे द्यारा, नावालिंग के खिलाकू या (उसकी) संपत्ति के खिलाक हिमी प्राप्त कर, धन घट्टन करने में समर्प नहीं होता । परन्तु वह खरीदी हुई संपत्ति को बेचने के लिए और उसके बेचने से आए धन से पहले (उप) संपत्ति की खरीदने के लिए दिये आपने कर्त्त द्वारा लेने में समर्प होता है ।

प्रवन्धकहते पृतसंपदो विक्याय हि ।

समये दीप्यते नात्र शासनं प्रतियालकम् ॥३४६९॥

विक्यागतवित्तेन कीर्तेऽर्थे चेत्स भागभाक् ।

प्रत्याप्त्यातुं ज्ञानो नास्ती विक्यायं तर्हि निधितम् ॥३४७०॥

प्रवन्धक द्यारा किये दाके की संपत्ति के बेचने के बादे से नावालिंग के खिलाक दिसी नहीं दी जाती । परन्तु (उस संपत्ति के) बेचने से आये धन से खरीदी गई संपत्ति में यदि वह दिसता लेता हो, तो वह निधय ही (उस) बेचने से इनकार नहीं कर सकता ।

धालस्य रक्तकेणात्र कृतं रक्तकभायतः ।

स्याधिकारगतं कर्म रक्तं प्रभनाति नापरम् ॥३४७०॥

यहाँ पर नावालिंग के रक्षक ने, रक्षक भाव से किया, अपने अधिकार में रहा काम, रक्षण (नावालिंग) को बांधता है, दूसरा नहीं ।

न्यासार्थं विकार्थं या समयार्थं कृतेऽपि वा ।

लेखे वालस्य नास्त्रोऽथाभावो नो साधयेत्पुनः ॥३५०१॥

लेखाभावक्योन्नन्तं संवन्धाभावतामिह ।

यतः सर्वत्र लेखस्य वाग्विन्यासः परीद्यते ॥३५०२॥

तात्कालिकी तथावस्था तत्संपर्कस्य निर्णये ।

भापावस्ये विचार्यांतः कुर्यात्संबन्धनिश्चयम् ॥३५०३॥

फिर गिरियो के लिए, वेचने के लिए या किसी बादे (contract) के लिए लेख में नावालिंग के नाम का अभाव, निश्चय ही, यहाँ पर, लेख और नावालिंग के संबन्ध का अभाव सिद्ध नहीं करता; क्योंकि उस (लेख और नावालिंग) के संबन्ध के निर्णय में सब जगह लेख की इंद्राज और उस (लिखने के) समय की दशलत (circumstances) की परीक्षा की जाती है । इसलिए (लेख की) भापा और (लिखने के समय की) अवस्था का विचार करके (उनके) संबन्ध का निश्चय करे ।

भार्यावालसुतौ त्यक्त्या सृते तु पुरुषे पुनः ।

पुत्रस्य रक्षकत्वेनाधिकृतेऽधव्याधने ॥३५०४॥

मनाकालेन केनापि विवादाच्य प्रवर्तिते ।

अभियोगे नियुक्तयर्थं तस्याः स्थान इहात्मनः ॥३५०५॥

न्यायेशैः स्वीकृते तस्याऽभिप्राये चाधवा यदि ।

तस्याधिकारतः पूर्वं विकणीते हि संपदम् ॥३५०६॥

ममैयेति प्रदर्श्येव क्रेत्रे यच्छ्रुति तां पुनः ।

मूल्यार्थं च पतित्यकरिकर्णप्रतिशोधने ॥३५०७॥

उपयुड्के॒परं चार्थं युनक्ति स्वभृतौ तथा ।

अभियुड्के॒घयः प्राप्य केतारं च सुतस्ततः ॥३५०८॥

प्रत्यादातुं स्वसंपर्ति तदा घर्ययः क्रयो हि सः ।

मूल्यांशमव्यदत्वैवाधिकतुं तां क्षमश्च सः ॥३५०९॥

फिर पुरुष के बीची और बालक पुत्र को छोड़कर मरजाने और पुत्र की रक्षिका के रूप में विषया के संगति पर अधिकार करलेने के बुद्ध समय याद यहाँ विवाद के कारण किसी के उस (माता) के स्थान पर अपने को नियुक्त करने के लिए सुकदमा चलाने और न्यायाधीशों द्वारा उसके अभिप्राय को स्वीकृत करलेने पर यदि विषया उसके अधिकार करने के पूर्व ही संगति को बेच देती है और फिर यह मेरी है ऐसा प्रकट करके खुरीदनेवाले को दे देती है और (उस की) आपी कीदर

आर्यविधानम् ।

५०८

पतिदारा पीछे छोड़े कर्ज़ के चुकाने में लगाती है और दूसरी आवी अपने शुद्धारे के लिए काम में लाती है और उसके बाद (वह) पुन बालिय होइर (संपत्ति के) स्थान पर अपनी संपत्ति को पीछे हेने के लिए मुच्छमा चलाता है, तो वह स्थीरदार पर अपनी संपत्ति को पीछे हेने के लिए मुच्छमा चलाता है, तो वह स्थीर व्यर्थ ही जाती है और वह (पुन) कीमत का कुछ माप दिये दिना ही उस पर अधिकार करने में समर्थ हो जाता है ।

कारागारस्थिते पत्यौ तदणप्रतिशुद्धये ।

भार्यायै चेद्यं दत्या दाता शासनमाप्यात् ॥३५१०॥

प्रतिभायै तदाऽऽदानेऽसंयुक्तोऽपि सुतो भवेत् ।

तस्य मार्यद्वा नूनं न्यायेशैरिति निधितम् ॥३५११॥

पति के चेलाहाने में होने पर उसके कर्ज़ के चुकाने के लिए (उसकी) ली की कर्ज़ देकर यदि देनेवाला (उस) भी के बिलाक़ दिनी प्राप्त करते, तो उस (कर्ज़) के लेने में असंमिलित इह पुन भी उसका जिम्मेदार होता है ।

रक्षकस्तु ज्ञाने रक्षयकृते कर्तुं विपक्षादः ।

समाधानं मिथस्त्वागजनितं नान्न संशयः ॥३५१२॥

रक्षक (अपनी) रक्षा में रहे के लिए प्रतिपक्षी के साथ आपस के त्याग से दोनों लाले, समझौते (compromise) को छर सकता है । इसमें संशय नहीं है ।

एश्वर्यद्वै कशरदामयधेस्तु विधानतः ।

प्राग् रक्ष्यस्याऽययः स्यस्य प्राण्हतो रक्षकस्त्वया ॥३५१३॥

सतयेदाङ्कचन्द्राव्यरक्षरक्षयविधानतः ।

नियुक्तो रक्षकः शको महाराष्ट्रे ऽभवत्युनः ॥३५१४॥

द्रविडे च भूण नूनं स्वीकर्तुं यादुर्पं तथा ।

दातुं तदर्थमयधि तस्य वर्धयितुं स्ययम् ॥३५१५॥

तस्य तत्कर्म परात्परत्वायै वा द्विताय चेत् ।

नरायधि भूण नासी परं जीवयितुं ज्ञामः ॥३५१६॥

दिल्ली संदर् १११५ (ई० स० ११०८) के अधिक के कानून (The Indian Limitation Act) से पहले रक्षा में रहे नाशालिय का कुरती रक्षक या वि० मं० ११४७ (ई० स० १०६०) के रक्षक और रक्ष्य के कानून (The Guardians and Wards Act) द्वारा नियुक्त किया रक्षक वंशई और मद्रास में, यदि उसका वह काम नाशालिय के घन की रक्षा के लिए वा द्वित के लिए होता था, तो कर्ज़ को स्वीकार करने और इवर्य रक्ष्य मयाद को बढ़ाने के लिए उसके व्याज को देने में समर्थ होता था । परन्तु वह मराठ थीने हुए छत्तेल को (फिर से) बिहाने (revising बरने) में समर्थ नहीं था ।

घट्टे तु तदिधानान्तर्नियुक्तो रक्षकस्तथा ।

प्राकृतो वाऽक्षमो हासीत्कर्तुं पूर्वोक्तकर्मणी ॥३५१७॥

(किर) बंगाल में तो उक्त विधान के अन्दर नियुक्त किया या प्राकृत रक्षक पहले क्षेत्रों का म नहीं कर सकता था ।

अवधेहि विधानेऽद्य ज्ञाणायाधिकृतेष्यमुम् ।

न्याय्यं रक्षं समाधेश्य वैमत्यं सर्वथा हृतम् ॥३५१८॥

आज कल अवधि के कानून (The Indian Limitation Act 1908) में कर्ज के लिए अधिकारी पुरुषों में इस न्याय्य (lawful) रक्षक को घुसेकर मत भिजता सर्वथा दूर करकी गई है । (देखो उस कानून के भाग १६ और २०) ।

मृतिपत्रनियुक्तो रक्षकः ।

इच्छा-पत्र से नियुक्त किया रक्षक ।

आर्यः पिताऽन्न लेखेन नियोक्तुं वचसाऽथवा ।

रक्षकं निजसंतत्ये भातुरन्यमयि क्षमः ॥३५१९॥

यहाँ पर हिन्दू पिता, अपनी संतान के लिए, लेख द्वारा या वचन द्वारा, माता से मिश को भी, रक्षक नियुक्त कर सकता है । (अर्थात्-माता की अलग रखकर भी दूसरे को रक्षक बना सकता है) ।

नियोक्तुं किन्तु नो शक्ता भाता स्वमृतिपत्रतः ।

सन्तत्ये रक्षकं शाखावाचारेण तु कथञ्चन ॥३५२०॥

परन्तु माता अपनी संतान के लिए अपने मृत्यु-पत्र (will) से, शाखों के आचार के अनुसार, किसी तरह भी, रक्षक नियुक्त नहीं कर सकती ।

रक्षार्थं मृतिपत्रे चेत्तया स्वेच्छाद्विता पुनः ।

न्यायेशस्तर्हि तस्याह्वीकारे त्यागेऽथवा क्षमः ॥३५२१॥

फिर यदि उसने (संतति की) रक्षा के लिए मृति-पत्र में अपनी इच्छा लिख दी हो, तो न्यायाधीश उसके स्वीकार करने या स्वाग करने में समर्थ होता है ।

मृतिपत्रनियुक्तस्य रक्षकस्याधिकारिता ।

रक्षार्थं मृतिपत्रोक्तरीत्यैवाव्र नियन्त्यते ॥३५२२॥

मृति-पत्र से नियुक्त किये रक्षक का अधिकार, यही पर, रक्षय (ward) के घन में मृति-पत्र में कही गई से ही नियन्त्रित किया जाता है । (अर्थात्-मृति-पत्र में लिखे अनुसार ही वह उसकी संपत्ति का प्रबन्ध कर सकता है ।)

कुदुम्बे यत्र पृक्तः स्यात् पिता घालैः स्वपुत्रकैः ।

याद्यान्तं तत्र तेषां तु पित्रा रक्षनियोजने ॥३५२३॥

मृतिपत्रेण पृक्तार्थश्वेऽस्ति मतभिश्चता ।

मद्वारापूरे पुरा नासीत्स त्वमस्तविष्योजने ॥३५२४॥

ततः शको भतोऽसौ तु तविष्युक्तवै तथा त्वमः ।

च्ययार्थं पृक्तवित्तस्याधिकतुं मपि तं ध्रुधम् ॥३५२५॥

मृतिपत्रप्रदत्ताधिकृत्युक्तविधिना तु सः ।

च्ययते यत्र संपत्ति वालं वज्जाति स व्ययः ॥३५२६॥

जहाँ पर दुदृम्ब में पिता आने नावालिग् पुरों के साथ सामेदार हो, वहाँ पर उन (पुरों) के बालिग् होने तक, पिता द्वारा मृति-पत्र से सामें के धन के लिए रक्त नियुक्त करने में अधिक मत है । वर्वई श्रान्त में पढ़ले वह (पिता) उस (रक्त) के नियुक्त करने में समर्थ नहीं था । उसके बाद वह (पिता) उस (रक्त) की नियुक्ति के लिए समर्थ मान लिया गया तथा उस (रक्त) की सामें के धन के द्वार्चे (alienation) के लिए अधिकारी करने के लिए भी नियति सम से समर्थ मान लिया गया । तथा वहाँ पर वह (रक्त) मृति-पत्र में दिये अधिकारी में वही शीति से धन खर्च करता है, वह खर्च वालक पर लागू होता है । (अर्थात्-नावालिग् को उसे मानना होता है ।)

अधुना तु पुनर्नासौ पृक्तार्थस्य श्वते त्वमः ।

नियोक्तुं रक्तं स्वेच्छापत्रेण द्वि भतो धुधैः ॥३५२७॥

विद्वानों ने आज इस तो फिर उसे सामें के धन के लिए आने दख्छापत्र से रक्त नियुक्त करने में समर्थ नहीं माना है ।

पिता पितृयो ज्येष्ठो या स्नाताप्यथं प्रयन्धकः ।

आर्यपृक्तकुदृम्बस्य द्विविडे स्वक्षमो मतः ॥३५२८॥

नियोक्तुं मृतिपत्रेण रक्तं पृक्तार्थदेतवे ।

नालं पिताप्यतस्तत्र तदिष्युक्ती धुधैर्मतः ॥३५२९॥

पिता, चाचा या बड़ा भाई भी सामेदाले दिन्दु दुदृम्ब का प्रबन्धक (manager) हो, तो भी यदाम में, सामें के धन के लिए मृति-पत्र से रक्त नियुक्त करने में असमर्थ माना गया है । इसलिए वहाँ पर विद्वानों ने पिता को भी उस (रक्त-
testamentary guardian) के नियुक्त करने में समर्थ नहीं माना है ।

मृते पितरि संपत्तिर्याति वालमुतान्प्रति ।

पृक्तायशिष्टिस्तस्माप्तासौ स्वमृतिपत्रतः ॥३५३०॥

आपात्यान्तं द्वि पुष्पाणां नियोक्तुं रक्तं त्वमः ।

सत्संपत्तिप्रधाय तत्र नूनं कथञ्चन ॥३५३१॥

अपोकि (वहाँ पर) पिता के मरने पर संपत्ति, सामेदारों में, लोके रहने से,

बालक पुत्रों को भिल जाती है, इसलिए वह (पिता) (अर्थे) मृतिपत्र से, बालकों की नाबालिगी की समाप्ति तक उनकी संपत्ति के प्रबन्ध के लिए, वहां पर, नियन्त्रण ही, किसी प्रकार भी, रक्षक नियुक्त नहीं कर सकता ।

अपुत्रस्तु द्वामो भार्यामधिकतु॑ परं हि सः ।

मृतिपत्रेण दत्तस्य ग्रहणे स्वकृते तथां ॥३५३२॥

नियोक्तु॑ रक्षकं तस्य वाल्ये तद्दनदेतवे ।

स्वार्जितश्चेद्वेदयों मृतिपत्रनियन्त्रितः ॥३५३३॥

परन्तु वह (पिता) अपुत्र होने पर मृति-पत्र से अपनी छोटी को धरने लिए दत्तक पुत्र गोद लेने की अधिकारिणी बना सकता है और यदि मृति-पत्र (will) से नियन्त्रित किया धन उसीका कमाया हुआ ही, तो उस (पुत्र) की नाबालिगी में उसके धन के लिए रक्षक नियुक्त कर सकता है ।

पित्र्यपैतामहे तस्मिन्मृतिपत्रनियन्त्रिते ।

शर्ये नालं तथाकतु॑ मृतिपत्रेण तत्र सः ॥३५३४॥

मृत्यु-पत्र से नियन्त्रित (bind) किये उस धन के बाप-शादा के होने पर वह (पिता) वहां पर (मद्रास में) ऐसा नहीं कर सकता ।

न्यायालयनियुक्तो रक्षकः ।

अदालत द्वारा नियुक्त रक्षक ।

रक्षकस्य नियुक्तिस्तु न्यायेशैर्यथ निश्चिता ।

अवयःस्थस्य लाभाय देयाहा तत्र तैः पुनः ॥३५३५॥

रक्षरद्वयिधानान्तर्गता तस्य नियुक्तये ।

बालार्थं तद्दनार्थं घोमयार्थं या यथास्थिति ॥३५३६॥

परन्तु मृतिपत्रेण नियुक्ते रक्षके स्वयम् ।

पित्रा, न्यायाधिपो नालं तत्राऽपरनियुक्तये ॥३५३७॥

जहां पर न्यायाधीशों ने नाबालिग के लाभ के लिए रक्षक की नियुक्ति नियंत्रित करली हो, वहां पर स्थिति के अनुसार नाबालिग के लिए, उसके धन के लिए, या दोनों के लिए उसकी नियुक्ति की आज्ञा रक्षक-रद्वय के कानून (The Guardians and Wards Act) के अन्तर्गत (अनुसार) देनी चाहिए । परन्तु स्वयं पिता के मृत्यु-पत्र से रक्षक नियुक्त कर देने पर न्यायाधीश वहां दूसरे को नियुक्त नहीं कर सकता ।

मुख्यन्यायालयस्यावाधिकारे नैव याधकम् ।

रक्ष-रद्वयिधानं हि पूर्वोक्तं तु कथञ्चन ॥३५३८॥

यदा पर वहने कहा रक्ष-रक्ष विधान (The Guardians and Wards Act) विशी प्रकार भी मुख्य न्यायालय (Chartered High Court) के अधिकार में भाग मही है।

याहरत्तानियुक्तौ तु विधानविधिना स्था ।

तदातनं यासदितं शात्वा निर्णयनिर्णयेत् ॥३५३६॥

निर्णयदरक्षाला (न्यायाधीश) नामालिङ् के लिए रक्ष के नियुक्त करने में कानून (The Guardians and Wards Act 1890) द्वी रिति है और उप समय के बालक के लिए भी जानकर निर्णय करें।

अवयःस्थदितायाथ न्यायेशस्तद्यस्तथा ।

तलिहः चाय रक्षस्य शीलं सामर्थ्यमेय च ॥३५४०॥

गोप्रे सामीप्यमय च रक्षरक्षकयोः पुनः ।

मृतपिश्चोः स्मृदां चापि चेत्ताभ्यां सा प्रदर्शिता ॥३५४१॥

प्राक्तनं यर्तमानं या संशर्घ्य रक्षकस्य तु ।

मनोनीतस्य रक्षेण रक्षायैताय चिन्तयेत् ॥३५४२॥

न्यायाधीश यदा पर नामालिङ् के लिए उस (नामालिङ्) द्वी भागु तथा लिङ् (sex) का, रक्ष के शील (चालचलन) और सामर्थ्य (capacity) का तथा रक्ष और रक्ष के गोप्रे में इसी समीपता का और स्वर्गीय माता-पिता की इच्छा का, यदि उन्होने उसे प्रकट किया हो, तथा मनोनीत रक्ष के रक्ष (ward) के या उसकी संपत्ति के साथ के पुराने या बर्तमान संबन्ध का विचार करें।

निर्णयस्तमतां यातो रक्षये चादिं निर्णयम् ।

रक्षार्थं तत्त्वतं चापि न्यायेशस्तु चिचिन्तयेत् ॥३५४३॥

यदि रक्ष (ward) निर्णय कर सकने लायक होगया हो, तो न्यायाधीश रक्ष के विषय में उसके लिये निर्णय का भी विचार करें।

रक्षरक्षविधानेन रक्षकस्य नियोजनम् ।

केवलं व्यक्तिगार्थायाऽथयःस्थस्य भतं युधैः ॥३५४४॥

रक्ष और रक्ष के कानून (The Guardians and Wards Act) से रक्ष का नियुक्त करना विद्वानों ने नामालिङ् के देवत व्यक्तिगत (separate) धन के लिए माना है।

मैताचरेषु पृक्षेषु पृक्षार्थे नैव कस्यचित् ।

पृथक्स्यार्थी यतस्तस्माद् विधानेनाऽमुना तु नो ॥३५४५॥

मिताचरानुगस्याप्रावयःस्थस्य जनस्य द्वि ।

पृक्षस्यार्थकृते रक्षनियुक्तिः संभवा भता ॥३५४६॥

जोड़ि मैताचरा को माननेवाले आमेदारों में साफे के धन में किसी भी जुदा

स्वार्प (separate interest) नहीं होता, इसलिए इस कानून (The Guardians and Wards Act) से मिताक्षरा को माननेवाले नाबालिग पुश्प के सामें के स्वार्प (interest) के लिए रक्षक की नियुक्ति संभव नहीं मानी गई है ।

रक्षरद्यविधानान्तर्गतो यो रक्षकः पुनः ।

नियुज्यते न्यायाधीशस्तेपामाज्ञां विना तु सः ॥३५४७॥

न त्थमो व्ययितुं वालसंपत्तिं चेद्यथंयेदथ ।

वालस्य च ज्ञतिभुजां विरोधे नाहतो व्ययः ॥३५४८॥

फिर न्यायाधीशों द्वारा रक्ष-रक्ष-विधान के अन्तर्गत जो रक्षक नियुक्त किया जाता है, वह उन (न्यायाधीशों) की आज्ञा के बिना नाबालिग के धन को सुर्च नहीं कर सकता और यदि वह सुर्च करे, तो नाबालिग के और (उस सुर्च से) हानि उठानेवालों के विरोध करनेपर (वह) सुर्च अमान्य हो जाता है ।

न्यायेशस्याक्षायार्थश्चेद्ययितस्तद्दिनं न ज्ञमः ।

छुझापहाय वालो या ज्ञतिभुक् तद्विरोधने ॥३५४९॥

क्रियकाय नयेशाज्ञाविद्यव्याय यतो नहि ।

तदर्थस्य क्रयेऽवश्यं न्यायपाऽन्यायत्वमार्गणम् ॥३५५०॥

यदि न्यायाधीश की आज्ञा से धन सुर्च किया गया हो, तो नाबालिग या (उससे) त्रुक्सान उठानेवाला छुल-कट की बात (fraud or underhand dealing) को छोड़कर उस का विरोध नहीं कर सकता, वजौकि न्यायाधीश की आज्ञा से विश्वास किये हुए स्त्रीददार के लिए उस धन के स्त्रीदने में न्याय-अन्याय की जांच करना आवश्यक नहीं होता ।

रक्षरद्यविधानेन यद्यप्यत्र नियुज्यते ।

न वालपृक्तिगस्यार्थकृते रक्षः कथञ्चन ॥३५५१॥

मुख्यन्यायालयः स्वीयसामर्थ्येन तथाप्यलम् ।

नियोक्तुमय कर्तारं पृक्तवंशस्य निश्चितम् ॥३५५२॥

यालांशुरक्षकं वालहितायावश्यकं यदि ।

व्ययेऽधिकतुं वालांशुसहितस्य धनस्य च ॥३५५३॥

विक्रयेऽर्थस्य वालांशुमूल्यरक्षापयेन दि ।

सार्वं वङ्गप्रदेशेऽथ मदाराष्ट्रेऽपि या पुनः ॥३५५४॥

यथापि यहां पर रक्ष-रक्ष-विधान से नाबालिग के सामें में के स्वार्प के लिए, किसी तरह भी, रक्षक नियुक्त नहीं किया जाता, तथापि बंगाल और फिर बंबई में मुख्यन्यायालय (Chartered High Court) अपने सामर्थ्य (अधिकार) से सामें के कुटुम्ब के कर्ता को, नियन्त्रणी, यदि वालक के हित के लिए आवश्यक हो

तो, नाशलिंग के हिस्से का रक्षण नियुक्त कर सकता है और संपत्ति के बेचने में नाशलिंग के भाग की वीमत वी रक्षा वी शर्त के साथ, (उसे) नाशलिंग के हिस्से से युक्त (सामें की) संपत्ति को खुर्च करने में अधिकृत कर सकता है ।

प्रयागीया: पुनर्मुख्यन्यायौकस्याधिपा निजम् ।

रक्षन्तोऽप्यधिकारं हि प्रायुज्ञन्त नहि कचित् ॥३५४५॥

अपने (वर्षुक) अधिकार वी रक्षा करते हुए इलाहावाद हाइकोर्ट के व्याधाधारों ने इसमा (अवतक) कहा (भी) प्रयोग नहीं किया है ।

स्वयंभूरक्षकोऽसंबद्धो रक्षकश्च ।

अपने आप बना रक्षक और बिना संबन्धवाला रक्षक ।

न प्राकृतो न च पुनर्नियुक्तो राजशासनात् ।

धालवित्तञ्चवस्थाकृत् स्वयंभूरक्षको मतः ॥३५४६॥
न कुदरती और न राजाज्ञा से नियुक्त नाशलिंग के घन का प्रयत्न करनेवाला स्वयंभूरक्षक (Guardian De Facto) माना गया है ।

सोप्यत्र प्राकृतेनैव रक्षकेण समः प्रभुः ।

रक्षार्थस्य व्यये यस्मात्तात्त्वमौ समशुकिकौ ॥३५४७॥

वह भी यहाँ परं रक्ष के घन के खुर्च (alienation) में कुदरती रक्षक के समान ही समर्थ होता है; क्योंकि वे दोनों समान शक्तिवाले होते हैं ।

धालस्वार्थं विवार्येष्य धालसंपदिताय हि ।

न्यायतो धालवित्तं चेदाधिकुर्यात्तदा तु तम् ॥३५४८॥

स्वयंभूरक्षकस्त्वेष प्रितिष्ठत्वैव न ज्ञामः ।

आर्योऽवयरस्थोऽमान्यत्वमाधिं नेतुं कथञ्चन ॥३५४९॥

यदि वह नाशलिंग के स्वार्थ का विचार करके, नाशलिंग की संपत्ति के हित के लिए न्याय से नाशलिंग के घन को गिरवी रखदे, तो दिन्दु नाशलिंग उसे (गिरवी रखने की), वह अपने आप बना हुआ रक्षक है ऐसा करके (प्रष्ट करके) ही, किसी तरह अमान्य नहीं कर सकता ।

यथाऽवयःस्थभगिनीविवाहार्थं कृतो व्ययः ।

स्वयंभूरक्षकेणात्र तद्दनस्य न धर्यते ॥३५५०॥

जैसे कि स्वयंभूरक्षक द्वारा नाशलिंग की बहन के विवाह के लिए हिये उस (नाशलिंग) के घन के खुर्च पर आकमण (छाल) नहीं किया जाता ।

द्रविदेऽथ मद्दारापौ यिमातृकृतविक्रयः ।

स्वयंभूरक्षकत्वेऽपि दद्या धालस्य संपदः ॥३५५१॥

ऋतेऽधिकारं विहितोऽमान्यं पव मतो पुरा ।
आधावपि तथैवैपाऽधिकाररहितोऽभवत् ॥३५६२॥
परमय मता शका मद्भारापूर्वे तु सा तथा ।
द्राविडो निर्णयश्चापि सदोपः परिकीर्तिः ॥३५६३॥

मद्रास और बंधु ने छोतेली माता द्वारा किया बालक की संशति का बेचान, उसके स्वयंभू रक्षिका होने पर भी, अधिकार के बिना किया होने से, पहले अमान्य ही माना गया था । गिरखी रखने में भी उसी प्रकार यह (छोतेली माता) अधिकार से रहित थी । परन्तु आजकल बंधु प्रान्त में तो यह (विमाता) (बालक के धन को खर्च करने में) समर्थ मान ली गई है और मद्रास का (उपर्युक्त) निर्णय दूषित घला दिया गया है ।

नाऽनिवार्यश्च नो वालवित्तस्य हितसाधकः ।
स्वयंभूरक्षकृतो यालार्थस्य व्ययः पुनः ॥३५६४॥
नाऽमान्यः किन्तु वालस्य यायस्थ्यासौ भवेद् धुवम् ।
मान्याऽमान्यत्यरुपेण निर्णयो नात्र संशयः ॥३५६५॥

फिर स्वयंभू रक्षक का किया, न आवश्यक और न नायालिंग के धन का हित करने वाला, नायालिंग के धन का खर्च अमान्य नहीं होता; परन्तु नायालिंग के वालिंग होने पर निश्चय ही मान्य या अमान्य है से निर्णय किये जाने लायक होता है, इसमें संशय नहीं है ।

विश्विष्टेन पितृव्येण रक्षत्वरहितेत तु ।
यालसंपदव्ययो नूनममान्यः परिकीर्तिः ॥३५६६॥

जुदा हुए और रक्षकत्व से हीन (Guardian Ad Hoc) चाचा द्वारा किया नायालिंग के धन का खर्च, निश्चय ही, अमान्य कहा गया है ।

प्रतीकारोपायाः ।

इताज के तरीके ।

घञ्जितो रक्षको योऽत्र निजरक्षयस्य रक्षया ।

उपायः प्रतिकारस्य तत्कृतेऽप्ये प्रदर्श्यते ॥३५६७॥

वहां पर जो रक्षक अपने रक्षय की रक्षा से घञ्जित करदिया गया हो, उसके लिए उसको दूर करने का उपाय आगे बताया जाता है ।

सोऽभियुज्येत तं योऽन्नाऽधिकाररहितोऽपि सन् ।

अगृह्णाद्वक्तव्यं द्वि रक्षयस्यच्छलतःस्थयम् ॥३५६८॥

यह, जिसने अधिकार रहित होने पर भी स्वयं ही धोखे से यद्यं पर रक्ष का रक्षक पना ले लिया हो उस पर मुकदमा चलावे ।

३५ भृतिः ।

गुजारा ।

मिताद्वयायां मनोर्वचनम् ।

वृद्धो तु मातापितरौ साध्वी आर्या सुतः शिशुः ।

अथकार्यशतं कृत्वा भतेव्या मनुरव्रवीत् ॥

यह माता-पिता, सती ही और शालक पुत्र का सौ बलटे (उत्रे) काम करके भी मरण-पोषण करना चाहिए, ऐसा मत ने कहा है ।

भृतेरधिकारस्य स्वरूपं परिमाणं च ।

गुजारे के अधिकार का हृषि और परिमाण ।

भृतेरधिकृतेनून्मायोपात्त भ्रुणस्य हि ।

प्राथम्यमत पर्येतत्प्रामदेवं भृतितो भ्रुवम् ॥३५६॥

गुजारे के अधिकार से, आर्य (हिन्दू) हासा लिये बड़े भी निधय ही प्रथमता (precedence) है । इसलिए ही यह निधय ही गुजारे से पहले दिया जाता है ।

भृतिदातृत्वमार्दित्वमार्येषु द्विविधं मतम् ।

एकं स्वनापद्रविष्णुसंबन्धजनितं तथा ॥३५७॥०॥

भोगायच्च तु संपत्तेरपरं परिकीर्तितम् ।

पतयोद्याय वैश्यामत्रैपाप्रे करिष्यते ॥३५७१॥

आर्यों से गुजारा देने की जिम्मेदारी ही तरह ही मानी है । एक तो दिना धन पाये संबन्ध से पैदा हुई और दूसरी संपत्ति के भोग (possession) के अधीन ही ही है । इन दोनों का बुलाया थहीं आगे किया जायगा ।

आर्यों न्यायेन यद्दोऽत्र यिनीवार्यागमेन हि ।

भृत्यै पतन्यास्तथा धात्तुपुत्राणामथवा पुनः ॥३५७३॥

अनुदानां कनीनां च वृद्धपित्रोस्तथैय च ।

घ्यकिगस्त्वेष मारोस्ति संबन्धजनितस्तथा ॥३५७३॥

आर्य (हिन्दू) पहा भर दिना धन पाये ही पक्की, शालक पुत्रों या छिर हीरी वस्त्राभी और मुहे माता-पिता के मरण के लिए न्याय (कानून) से देंया है । यह भार (जिम्मेदारी) व्यक्तिगत और संबन्ध से पैदा हुई है ।

अतो न्यायेन नो यदः पौत्राणां मरणे जनः ।

तथैव भगिनीनां च विमातुणां तथा पुनः ॥३५७४॥

स्तुपाणां भ्रातृपक्षीनां विनैवार्थगमेन तु ।

तत्संबद्धं धनं प्राप्य स तद्वारहरः परम् ॥३५७५॥

इसलिए पुण्य विना धन पाये न्याय से पुत्रों के, उसी प्रकार बहनों के और किर सौतेली माताओं के, पुयवधुओं के और भावजों के भरण-पीपुल में दैवा (जिम्मेवार) नहीं है । परन्तु वह उनसे संबन्ध रखनेवाला धन पाकर उनका भार ढानेवाला हो जाता है ।

मिताक्षरानुग्रहिष्ठुम्बस्य प्रवन्धकः ।

भृत्यर्थं न्यायतो वद्धः पृक्पुं सां तथा पुनः ॥३५७६॥

तत्क्षीणां तद्वप्त्यानां चाऽतः पुंसि मृतेऽपि सः ।

भरेत्तद्विधवाऽपत्ये कुटुम्बार्थेन निश्चितम् ॥३५७७॥

मिताक्षरा को माननेवाले साक्षे के कुटुम्ब का प्रवन्धक साक्षेदार पुरुषों और उनकी लियों और घाल-बचों के भरण के लिए न्याय से वद्ध है । इसलिए (साक्षेदार) पुण्य के मरने पर भी वह (प्रवन्धक) उस (मृत) की ही और बाल-बचों का कुटुम्ब के धन से, निश्चय ही, भरण करे ।

यतः प्रवन्धको वंशवित्तेऽप्त्र भवति प्रभुः ।

तत्संबद्धभृतेभारं ततः स वहति धुवम् ॥३५७८॥

ज्योकि प्रवन्धक वहां पर वंश के धन का स्वामी होता है, इसलिए उस (धन) से संबद्धों के भरण का भार, निश्चय ही, वह ढानता है ।

एष्याथ व्यवस्थाऽस्ति दायभागेऽपि किन्तु नो ।

पृक्पितत्र तु पुत्राणां पित्रा सद्व कदाचन ॥३५७९॥

दायभाग में भी यही व्यवस्था है । परन्तु उसमें तो पुत्रों का पिता के साथ कभी साक्षा नहीं होता ।

अपुंतोके मृते पत्यौ भार्या तदायहारिणी ।

तत्र, मैताक्षरेष्वेषा भृत्यर्हा फिन्तु केवलम् ॥३५८०॥

यहां (दायभाग में) पति के पुण्य सन्तान के विना मरजाने पर पत्री उसका धन का भाग पाती है । परन्तु मिताक्षरा वालों में वह केवल युजुरा पाने नायक होती है ।

दायादः प्राप्तदायादि भरेन्नूनं जनान् हि तान् ।

तत्पूर्वस्यामिनो ये तु भृतिमानहुरत्र तु ॥३५८१॥

दाय-धन को लेनेवाला पाये हुए दाय से उन पुरुषों का भरण करे, जो वहां पर उस (धन) के पदले के स्वामी से भरण पाने के योग सिद्ध हो चुके थे ।

दायस्तु याति दायादं भारेण सहितः प्रभोः ।

अतो दायहरो दायावधौ तद्वारयाहकः ॥३५८२॥

दाय-धन मालिक द्वी चिमोवारी के साथ दाय लेनेवाले (हल्लर) के पास जाता है । इसलिए दाय लेनेवाला दाय-धन की दीमा तक उसका भार ढाला है ।

पितुः प्राप्तधनः पुत्रस्त्वनूढा भगिनीरथ ।

विमातश्चमरेन्नूमतो न्यायेन निष्ठितम् ॥३५८३॥

इसलिए पिता से धन पानेवाला पुत्र की बहनों और छोटेली माताओं का निधन ही, न्याय से भरण करे ।

पतिप्राप्तधनानारी भरेच्छ्यथ मनासराः ।

अशुरस्तु स्तुपायाद्याऽघवाया भरणे पुनः ॥३५८४॥

वद्दोऽन्न धर्मतः किन्तु न्यायतः स न मारमाक् ।

न्यायेन तस्य दायादो भारभाग् भवति एवित् ॥३५८५॥

पिति से धन पाई हुई द्वी सास का भरण पोषण करे । दिना (उसके पति से) धन पाया हुआ समुर यही पर, विधवा पुत्र वश के भरण में घर्ष से बैधा है, किन्तु न्याय से वह चिमेदार नहीं है । उस (समुर) का धन पानेवाला कहीं-कहीं न्याय से (उस पुत्र-कपूर के भरण का) चिमेदार हो जाता है ।

अन्यावलम्बदीनाऽन्नाऽघवा पुत्री तु धर्मदः ।

पितुः सकाशाद्वरण् प्राप्तु मही विधामतः ॥३५८६॥

महाराष्ट्रे न दायादाः पितुस्तद्वात्यादकाः ।

यहाँ परं भवेयुस्ते न्यायतस्तद् तिप्रदाः ॥३५८७॥

यहाँ पर, अन्य सहारे से हीन विधवा पुत्री धर्म के द्वारा पिता के पास से भरण पाने योग होती है । बंदर्द में पिता का दाय-धन सेनेवाले कानून में दस (पुत्री) का भार ढालने के चिमेदार नहीं होते, परन्तु बंगाल में वे (पिता के दायाद) न्याय से उसकी भरण देनेवाले होते हैं ।

दायादानामभावे तु यशाऽर्थो राजसाद्ववेत् ।

यत्र दण्डे हतोऽर्थो चा तत्र तद्वरमाग् नृपः ॥३५८८॥

दाय का धन लेनेवाले के अभाव (escheat) में जहाँ पर धन राजा के अधीन हो जाय; या जहाँ धन दण्ड (के रूप) में ले लिया जाय, वहाँ उस (भरण-वोशण) का चिमेवार राजा होता है ।

भृत्यर्हा जनाः ।

जीविका के योग्य जन ।

पिता तु पोष्येद् धालान्पुष्टान् स्वामव निष्ठितम् ।

असंसुष्टेन वित्तेन स्याजितेनाऽपि चा पुनः ॥३५८९॥

परं वयःस्थितान्पुत्रान् स्वीयेनाऽत्र धनेन तु ।

भृतुं न्यायेन जनको नो वद्धः स्याजितेन दा ॥३५६०॥

पिता यहाँ पर अपने बालह पुत्रों का निश्चय ही व्यक्तिगत धन से और अपने कमाएं धन से भी भरण-पोषण करे । परन्तु पिता बालिग पुत्रों को, यहाँ पर अग्रे धन से या अपने कमाए धन से पालन करने को कानून से बैंधा नहीं है ।

मिताक्षरानुगतिःश्च रथं श्युस्तातपुत्रकः ।

वेच्छदा तु युवानोऽपि पुत्राः पृकार्थतो, भृतिम् ॥३५६१॥

प्राप्तुयस्ते यतस्तेव जन्मनैयाऽशभागिनः ।

तेष्वेकस्य भृतेः सीमा विभागे तद्दनस्य द्वि ॥३५६२॥

तस्याऽशस्याऽयसीमान्ता न निवद्धा मता पुनः ।

दायभागानुगोप्त्वं शभागिनो नो सुता यतः ॥३५६३॥

जन्मतः पैतृके द्रव्येऽतस्तत्र जनकस्तु नो ।

अपृकात्पैतृकाद्वाऽपि भरते तान् वयःस्थितान् ॥३५६४॥

यदि भिताक्षरा को मानवाले कुटुम्ब में पिता और पुत्र दों, तो बालिग पुत्र भी साक्षे के धन से गरण-पोषण पाने हैं । क्योंकि वे (पुत्र) उस (साक्षे के धन) में जन्म से ही हिस्तेदार होते हैं । फिर उन (पुत्रों) में से एक की भरण-पोषण (के खूबच) की सीमा उस धन के विभाग करने पर उस (पुत्र) के भाग की आमदनी की सीमा तक ही बंधी नहीं मानी गई है । क्योंकि दायभाग को मानवालों में पुत्र बाप-दादा के धन में जन्म से हिस्तेदार नहीं माने गये हैं; इसलिए वहाँ पर पिता बालिग हुए उनको सुता रहे या बाप-दादा के धन से भी पातन-पोशण नहीं करता ।

शभियोक्तुं विभागाय शक्तः पुत्रस्तु न त्वमः ।

भृत्यर्थमभियोक्तुं हि न्यायतोऽत्र कथश्चेत् ॥३५६५॥

हिस्ता करवाने के लिए मुकद्दमा चलाने में समर्थ पुत्र वहाँ पर भरण-पोषण के लिए मुकद्दमा चलाने में न्याय से किसी तरह भी समर्थ नहीं होता ।

महाराष्ट्रैऽत्मः पुत्रोऽभियोक्तुं तत्कृते पुनः ॥३५६६॥

अप्राप्य संमतिं नूनं केषांविद्व-शिष्टिभागिनाम् ।

अतस्तत्र समर्थोऽसावादातुं पृत्वविचतः ।

स्वनिर्वाद्यकृते वृत्तिमभियोगेन निश्चितम् ॥३५६७॥

फिर वंशई प्रदेश में पुत्र उस (वटवारे) के लिए निश्चय ही कुछ (certain) साक्षेदारों की संमति प्राप्त किये विना मुकद्दमा चलाने में असमर्थ होता है; इसलिए वहाँ पर वह मुकद्दमे द्वारा याके के धन से आगे निर्वाद के लिए शृंति लेने में निश्चय ही समर्थ होता है ।

अनुदा कन्यका भतुं पितावद्दो विधानतः ।

मृते पितरि तद्विचात्सा भृतिं समवाप्नुयात् ॥३५६३॥

पिता, कर्ती कन्या का भरण-पोषण करने के लिए कानून से बेधा है। पिता के मरने पर वह उसके धन से भरण पा सकती है।

जाते विवाहे पुत्री तु त्यक्ष्या पितृकुलं निजम् ।

प्रयाति पतिवंशेऽतः पत्युभृतिवृत्ता हि सा ॥३५६४॥

कन्या विवाह हो जाने पर, पिता के बंश को छोड़कर पति के बंश में चली जाती है, इसलिए वह पति से भरण-पोषण पोनेवाली होती है।

मृते पत्यौ पुनः सा च तद्विचाद् भृतिमाप्नुयात् ।

अस्यक्ताऽर्थे मृते तस्मिंच्छुघशुरः स्वार्थधारकः ॥३६००॥

न्यायतो भारद्वीनोऽपि धर्मतोऽस्यास्तु भारभाक् ।

तन्मृत्यौ तस्य दायादो दायेन सद्व तद्वरम् ॥३६०१॥

वहते ऽस्तस्तु तस्याः स न्यायतो भारभाग्मवेत् ।

इत्यं भर्तुं कुले तस्या व्यवस्था न्यायतः कृता ॥३६०२॥

फिर वह (विशिष्ट कन्या) पति के मरने पर उसके धन से भरण-पोषण पा सकती है। उस (पति) के बिना धन छोड़े मरने पर अपना जुरा धन रखने—बाला समुर न्याय से जिम्मेदार न होने पर भी धर्म से इस (पुत्रवधु) का भार उठानेवाला (बाल—पोषण करनेवाला) होता है और उस (समुर) की सत्तु के बाद उसका धन पानेवाला धन के साथ उस (जी) का भार उठाता है; इसलिए वह उस (जी) का न्याय से भार उठान करनेवाला हो जाता है। इस प्रकार पति के बंश में उस (विशिष्ट कन्या) की न्याय से व्यवस्था खी गई है।

अनयासभृतिश्चेत्सा भक्षी तन्मरणेऽथ च ।

तद्वेष्टत स्ततस्तस्या व्यक्तिगार्थधरः पिता ॥३६०३॥

न्यायमुक्तोऽपि धर्मेण तस्या भारवद्वो मतः ।

पितुरम्ते तु तद्वायद्वैः पोष्याऽथ सा मता ॥३६०४॥

यदि उसने शति से भरण-पोषण न पाया ही या उसके मरने पर उसके बंशसे (भी) नहीं पाया ही, तो उस (जी) का, व्यक्तिगत धन रखनेवाला, शिता न्याय वे मुक्त (जिम्मेदार न) होने पर भी धर्म से उसका बोका उठानेवाला माना गया है। और पिता के बाद वह (जी) उस (पिता) के धन लेनेवालों द्वारा पोषण करनेवालक मानी गई है।

पदाराप्ते तु जनकदायदैर्घर्मपोष्यताम् ।

पथ सा याति तो न्यायपोष्यता तु कथञ्चन ॥३६०५॥

घङ्गे पतिकुलाऽप्राप्तसदाया सा विधानतः ।

पोष्या भवेद्दि जनकदायसंपत्तिहारिभिः ॥३६०६॥

यह (ली) यद्युपर्याप्त में तो पिता के धन लेनेवालों द्वारा धर्म से ही वीथता की प्राप्त होती है (भरण करने लायक होती है), कानून से पालन करने लायक निसी तरह भी नहीं होती । बंगाल में पिता के कुल से सदायता न पाई हुई वह (ली) पिता के दाय का धन लेनेवालों द्वारा कानून से पालनीय हो जाती है ।

पितामहस्तु नो यद्दो भर्तुंमत्र विधानतः ।

पौत्रांस्तथैवं पौत्रीश्च स्वयं स्वेन धनेन हि ॥३६०७॥

यहाँ पर दादा पोतों और उसी प्रकार पोतियों का अपने व्यक्तिगत धन से पालन-पोदण करने के लिए कानून से स्वयं (personally) बंधा नहीं है ।

चृद्गौ तु पितरौ भर्तुं सुतो यद्दो विधानतः ।

पितुरप्राप्तवित्तोऽपि मातरं स्वामिंतो भरेत् ॥३६०८॥

पुत्र इदं माता-पिता का भरण करने के लिए कानून से बंधा है । इस्तिष्ठ पिता से धन नहीं पानेवाला भी अपनी माता का भरण करे ।

पुत्रोऽपरोऽथ दायादो यत्र दायवहिष्कृतः ।

वैकल्यात्तत्र लभते सकुटुभ्यस्त्वसौ भृतिम् ॥३६०९॥

तस्माद्दायाद् यमेषोऽपि प्रापयिष्यद् भुवं न चेत् ।

वहिष्कृतोऽथ वैकल्यादभविष्यद्विधानतः ॥३६१०॥

जहाँ पर पुत्र या दूसरा हक्कदार विकल (अशोभ-*disqualified*) होने से दाय (हक्कदारी का धन) प्राप्त करने से बहिष्कृत (excluded) हो, वहाँ पर कुटुभ्य सुहित वह उस धन से भरण पाता है, जिसको कि वह यदि वहाँ पर कानून से विकल (अशोभ्य) होने से बहिष्कृत न होता तो निश्चय ही प्राप्त करता ।

चतुर्विधास्तु विज्ञेया आर्यस्याऽनीरसाः सुताः ।

प्रथमस्तु द्विजातेहि दासीजोऽन्न सुतो भवेत् ॥३६११॥

आर्य (हिन्दू) के दोपले (*Illegitimate*) पुत्र चार तरह के जानने चाहिए । पहला वहाँ पर ब्राह्मण, चत्वारीय या बैश्य का दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र होता है ।

दासी स्यादार्यकुलजोर्यपदी सततं स्थिता ।

एकस्यैवाऽधिकारेऽत्राऽपरस्तत्त्विवर्जिता ॥३६१२॥

आर्य (हिन्दू) पुल में उत्पन्न हुई और वहाँ पर एक ही के अधिकार में रहो, दूसरे के धन से रहित, रखेत तो दासी होती है ।

दास्युत्पद्मस्तु शुद्धेण द्वितीयोऽनीरसः सुतः ।

आर्यस्थियामदास्यां च तृतीयस्त्वार्यजः पुनः ॥३६१३॥

घतुर्यथार्यसंजातोऽनार्योपां तु रियामिह ।

इत्थं घतुर्यिधा लोक आर्यपुत्रास्त्वनौरसाः ॥३६१४॥

शूद्र से दासी में उत्तम हुआ शूद्रता दोगता पुत्र होता है और फिर हिन्दू से दासी से भिन्न हिन्दू जी में पैदा हुआ तीसरा (दोगता पुत्र) होता है । तथा यही पर हिन्दू से हिन्दू से भिन्न जी में पैदा हुआ चौथा होता है । इस प्रकार संसार में भार प्रकार के आशों के अनौरस (दोगते) पुत्र होते हैं ।

पतेष्याथो न दायाद्दो भरणार्हः स केवलम् ।

पूर्वं तु तद्भूतेभारी व्यक्तिगोऽयं भवेतिपतुः ॥३६१५॥

तदभावे तु तावस्य वंशपृक्तिगते धने ।

आज्ञीवमेव सभते भरणं स्वेष निधितम् ॥३६१६॥

इन (अनौरस पुत्रों) में से पहला दाय (हक्कारी का धन) पाने लायक नहीं होता, वह केवल भारण-पौषण के लायक ही होता है । पहले चक्र के भरण का भार पिता के निजी धन पर होता है और उस (धन) के न होने पर पिता के शुद्धुम द्वारा साथ के सामग्रे के धन पर रहता है । निधित हप से वह जीवन पर्वत ही भरण पाता है ।

मिताक्षरायामिषि ।

मिताक्षरा मे भां ।

“अत्र च शूद्रभदणाद् द्विजातिना दास्यामुत्पन्नः पितुरिन्द्र्याप्यंशं न सभते नाप्यधि, दूरत एव छन्त्यम् । किन्त्यनुकूलश्चेज्जीवनमात्रं स्वभते” ।

तथा च-(जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोऽशहरो मतः)

इदं पर शूद्र शम्द का प्रयोग करने से ब्राह्मण द्विषय, और वैश्य से दासी में ऐदा हुआ (पुत्र) पिता की इच्छा से भी दिसा नहीं पाता, यापा भी नहीं पाता, यापा तो दूर ही रहा । परन्तु यदि मैत्र से रहे तो शुद्धरा भाव पाता है । और (शूद्र से दासी में पैदा हुआ पिता की इच्छा से भाग पानेवाला पाना गया है ।)

द्वितीयो भागभागन्ते पितुस्तद्व्यक्तिगे धने ।

तदभावेत्यशक्तः स पितुः पृक्तिगताद्वगात् ॥३६१७॥

मार्गं हतुं परं योग्यः वेष्यलं भृतये ततः ।

समा तत्र स्थितिस्तस्याऽध्याभिविकलैस्तथा ॥३६१८॥

दायादैर्येऽन्नमा लब्धुं रिक्यं चांशुविभाजने ।

शक्ताः परन्तु ये नूतं कालायाऽऽगामिने तथा ॥३६१९॥

अवधिन्यायतो धाहायातीतसमयाय हि ।

पूकार्थादिजभृत्यर्थं प्राप्नुं वै राजशासनम् ॥३६२०॥

परमेषोऽपि लभते प्रथमेन समे भृतिम् ।

आजीवमेव, न पुनस्तद्वश्या लभतेऽथ ताम् ॥३६२१॥

दूसरा (अनौरस पुत्र) पिता के बाद (मरने पर) उसके निजी धन में भाग पाता है । उस (निजी धन) के आभाव में वह पिता के सामै के धन से भाग लेने में असमर्थ होता है । परन्तु उसमें केवल भरण-नोवण के योग्य होता है । वही पर (सामै के धन में) उसकी स्थिति विषयाच्चो और विचलाह (अधोग्य-disqualified) हकदारों के समान होती है; जो कि हिस्सा-पांड करने में अभाव हकदारी का धन पाने में असमर्थ होते हैं, परन्तु जो सामै के धन से निष्ठय ही आगे के समय के लिए और अवधि के कानून (Limitation Act) से बाहरके पांड के समय के लिए अपने गुजारे के बास्ते अदालत से डिग्री प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु यह भी पहलेवाते (अनौरस-पुत्र) के समान जीवन पर्यन्त ही जीविका पाता है और फिर उसके वंशज उस (जीविका) को नहीं पाते ।

याज्ञवल्क्यस्मृतावपि ।

याज्ञवल्क्यस्मृति में भी ।

जातोऽपि दास्यां शुद्धेण कामतोऽशद्वरो भवेत् ।

स्मृते पितरि कुर्यु स्तं भातरस्त्यर्थंभागिनम् ॥१३३॥

शुद्ध से दासी में उत्पन्न हुआ पुत्र पिता की इच्छा से भाग लेनेवाला होता है । पिता के मरने पर भाई (पिंडा की व्याही हुई द्वी के पुत्र) उसकी आधा हिस्सा देते । (अर्थात्-अपने हिस्से से आधा हिस्सा देते) ।

तृतीयोष समुत्पद्धोऽर्थीदाकस्मिकसंगमात् ।

व्यभिचारादय पुनर्भृत्यर्थं भवति ध्रुवम् ॥३६२२॥

सति ताते हरेत्समात् तदन्ते तनिजार्थतः ।

भृति, तस्याऽप्यभावे स तत्पृकार्थच्च तां भजेत् ॥३६२३॥

और तीसरा (अनौरस पुत्र), चाहे अकस्मात् के (casual) संगम से या व्यभिचार (adultery) से, उत्पन्न हुआ हो, निष्ठय ही भरण पाने योग्य होता है । पिता के रहते उससे भरण प्राप्त करता है और उसके मरने पर उसके व्यक्तिगत धन से लेता है और उसके भी न होने पर उसके सामै के धन से उसे पाता है ।

पथः व्यक्तिगतस्तस्थाऽधिकारोऽतस्तु तद्वाः ।

तदन्ते भृतिमहंनित नो कथञ्चिदपि ध्रुवम् ॥३६२४॥

यह (उत्पुर्क भरण पाने का) अधिकार उस (अनौरस पुत्र) का आपना

(व्यक्तिगत) है । इसलिए उसके बाद उसके पुत्रादि, निधन ही, किसी प्रश्न भी भरण पाने योग्य नहीं होते ।

मैताद्वारेषु लभते भृतिमाजीवमेष दि ।

आवाल्यमेष वह्ने तु नो धयः प्राप्त्यनन्तरम् ॥३६२५॥

यह (तीसरा अनौरस पुत्र) मिताद्वारा को माननेवालों में जीवन पर्यन्त ही जीविका पाना है, परन्तु वंशाल में नाशातिगी तक ही (पाना है) । यानिं दीने के बाद नहीं ।

अनर्हस्तु चतुर्योऽथ भृतये पितृवित्ततः ।

ज्ञायैन्यायेन किन्त्येष द्वास्तस्तमाप्तये पुनः ॥३६२६॥

-पञ्चवाणाङ्कचन्द्रेष्वे स्वीकृतेनाव निधितम् ।

दोपिदण्डविधानस्य दस्यष्टाब्द्यद्वशालिना ॥३६२७॥

विभागेन स्वतात्स्य जीवनान्तं दि केवलम् ।

मृते तस्मिन्न तद्दद्वयात्स भृति लभते परम् ॥३६२८॥

और चौथा (अनौरस पुत्र) हिन्दुओं के कानून से पिता के घन से भरण (पाने) के लिए अधोग्य होता है । परन्तु फिर वह यहां पर दि० सं० १६५५ (दि० सं० १६६८) में निधित्त स्व से स्वीकृत छिये दोषी को दण्ड देने के कानून (The Code of Criminal Procedure) के ४८८ दी सख्तावाले क्रियांग (section) से अपने पिता के जीवन तक उस (भरण) को पाने में समर्थ होता है । परन्तु उस (पिता) के मरने पर उसके घन से भरण नहीं पाता ।

द्रविदे प्राग्लभत द्वितीयो दयया भृतिम् ।

किन्त्यद्य पितृहस्तुष्टार्थानुरूपाऽथ जीवति ॥३६२९॥

तस्मिन्स्तेस्य स्थितेश्चानुरूपा सा तत्त्वते हृता ।

न्यायाधीशैविधानेन तत्र संस्कृत्य प्राग्मतम् ॥३६३०॥

मद्रास में पहले दूसरा (अनौरस पुत्र) दया से भरण पाना था (अर्थात्- जीवन घारण करने मात्र के योग्य ही जीविका पाना था) । परन्तु आजकल न्यायाधीशों ने वहां पर पहले मत को मुशाकर उसके लिए उस (मृति) को कानून से, पिता के छोड़े हुए घन के अनुरूप और उस (पिता) की जीवितावस्था में उस पुत्र की हितति (हैवित) के अनुरूप (अर्थात्-सिताने जिस ग्रन्थ से उसे रखेगा ही उसके अनुरूप) पर दिया है ।

स्वस्य दासीभवत्येऽथ यत्यन्तं दि लभेत् सः ।

तदायतोऽधिकं नैय लभते ध्यभिचारजः ॥३६३१॥

अब दासी पुत्र दीने पर वह जितना घन पाना, व्यभिचार से उत्तम हुआ (यह) उसकी आवश्यकी से अधिक (भरण) नहीं पाना ।

आर्यन्यायेन भूत्यहाइनौरसी न सुता मता ।

दोपिदलडविधानेन परं सा सदूग्रहे क्षमा ॥३६३२॥

हिन्दू कानून से अनौरस (दोगली) लड़की भरण के शोषण नहीं मानी है । परन्तु दोषी को दखड़ देने के कानून (The Code of Criminal Procedure 1893 A. D, sec.-488) से वह उस (भरण) को लेने में समर्थ हो जाती है ।

न क्षमस्त्वंवस्त्रद्वायै दिव्यै पृक्षिगतं धनम् ।

दातुमार्योऽन्न भूत्यर्थं, नो वदश्चाऽप्यसौ पुनः । ३६३३॥

तदर्थं, किन्तु शकः स त्यक्तुं तां तु यथेष्टितम् ।

अदत्तैव भूति, साऽपि भूत्यादानेऽक्षमा पुनः ॥३६३४॥

परं तन्मृत्युपर्यन्तं परवर्जं स्थिता यदि ।

तदाधीन्येऽन्यगोहेऽपि शुचित्वेन तु सा तदा ॥३६३५॥

दायादात्तात्स्वभूतुं दिं दायतः सा भूति हरेत् ।

स्थितिस्तूपपतेर्गहे तस्या नावश्यकी यतः ॥३६३६॥

यहाँ पर (कोई भी) हिन्दू अवस्था व्यी (उपपत्ति) को भरण के लिए साक्षे का धन नहीं दे सकता और किर उस (भरण) के लिए वह वैवा भी नहीं होता । उलटा वह उस (उपपत्ति) को बिना जीविका दिये ही अपनी इच्छा से छोड़ सकता है । तथा वह भी भरण प्राप्त करने में असमर्थ होती है । परन्तु यदि वह उस (उपपत्ति) के मरने तक दूसरों को छोड़कर उसकी अधीनता में, दूसरे घर में भी, पवित्रता से रही हो, तो वह दायाद (हकदार) द्वारा लिए अपने पति के धन से भरण ले सकती है; क्योंकि उसका उपपत्ति के घर में रहना आवश्यक नहीं है ।

सति पत्यावपि खीं स्यादवस्त्रद्वा कचित्परम् ।

कचित्पत्या विरहिताऽवस्त्रा सा मता वुधैः ॥३६३७॥

कहीं पति के जीवित होते भी खीं अवस्था (उपपत्ति) हो जाती है । परन्तु कहीं विद्वानों ने पति से रहित उस (खीं) को उपपत्ति माना है ।

उपपत्न्यै भूति दातुं न्यायेशश्चिन्तयेद् ध्रुवम् ।

तदृयस्तत्त्विति पूर्वी रिक्षयं चोपपतेस्तथा ॥३६३८॥

न्यायादीश उपपत्ति की भरण देने में निधन ही उस की आयु, उसकी पूर्व-स्थिति और उपपत्ति के धन का विचार करे ।

पत्न्या भूतिः ।

भार्या की जीविका ।

आर्यविधानम्।

५२६

भार्याया भरणे भर्ता स्वीयसंपत्तिः स्वयम् ।
 भर्येदुक्तरदस्तन्न न प्रश्नोऽयं द्वि पैतृकम् ॥३६३॥
 उत व्यक्तिगते त्वेष धरत्यथ न या पुनः ।
 व्यक्तिगस्तस्य भारोऽयं यतस्तस्मान्न सा द्वामा ॥३६४॥
 पत्युः पलायने राजा वद्धने ऽत्रात्मसाकृते ।
 परदस्तगते वाऽस्मिन् भूत्यादाने तदर्थतः ॥३६४॥

पति पत्नी के भरण-पोपण के लिए अपने संपत्ति से स्वयं ज़िम्मेदार है । वहाँ पर उसके पास बाप-दादा का या विजीं धन है या नहीं इसका सवाल नहीं है, क्योंकि वह (भार्या का भरण करना) उस (पति) का व्यक्तिगत बोम्हा है, इसलिए वह (भार्या) वहाँ पर पति के भाग जाने पर और राजा द्वारा उसके धन के अपने अधिकार में कर लेने पर (attachment under sections 87 and 88 of the Criminal Procedure Code 1908 as the property of an absconder), या उस (पति के धन) के दूसरे (transferees) के हाथ में चले जाने पर उस धन से जीविका लेने में समर्प नहीं होती है ।

प्रतीकाराय सा तत्र व्यवहारनियामकात् ।

प्राप्य न्यायालयादावां तस्मिन्स्वार्थं नियोजयेत् ॥३६४॥

वह वहाँ पर (उमुर्क अवस्था में) प्रतिकार (remedy) के लिए लेन-देन का नियमन करनेवाले न्यायालय (Civil Court) से डिग्री भ्रात कर उस (पति के धन) में स्वार्य (formal charge) लगावे । (अर्थात्-अपने भरण का दृक् लगावे) ।

प्राप्तं प्राप्ते तु तैस्तस्मिन्सा समर्था भूतिग्रहे ॥३६४॥

पति की जीवित अवस्था में, उसके द्वारा छोड़ दी गई भी पत्नी अपने रिसेदारों या शिर अपने पति के रिसेदारों से, यदि उन्होंने उसके पति का धन न पाया हो, हो जीवित नहीं ले सकती । उसके उस (धन) के प्राप्त करने पर तो वह (उनसे) जीविका लेने में समर्प हो जाती है ।

भर्त्राधीन्यं तु भार्यायाः कर्तव्यं प्रथमं यतः ।

ततः सा तद्ग्रहे तस्य रक्षायां निवसेत्सदा ॥३६४॥

क्योंकि पति की अपीनता में रहना पत्नी का पहला कर्तव्य है, इसलिए वह सदा उस (पति) के पर में उसके रक्षा में रहे ।

पृथग्भृतिं समादातुं पृथग्वस्तुमथापि या ।

साऽशक्ता यावदेषा नो भर्तु दुर्शरितं हात ॥३६४६॥

तत्कृते स्वगृहे वासाऽस्वीकृतिं वान्यकारणम् ।

उचितं दर्शयेद्येन साऽनन्यगतिका भघेत् ॥३६४७॥

जब तक वह (पक्षी) पति का घुरा चर्तविं, उसके लिए अपने घर में रहने के स्थान की (उसकी) अस्तीकृति या दूसरा उचित कारण न दिखावे, जिससे कि वह (छी) लाचार हो जावे, तब तक वह जुदा जीविका लेने या जुदा रहने को समर्थ नहीं होती ।

मैषु यं तु परित्यज्याऽपरा तस्याऽप्रेसधता ।

सामान्यः पतिपत्न्योश्च विदादी वाय तत्कृतः ॥३६४८॥

अन्यभार्याप्रदश्यापि त्यागे पतिगृहस्य तु ।

तस्या नाऽलं, परं सा तु त्तमा स्यात्तकृते पुनः ॥३६४९॥

पृथग्भृतिकृते चापि चेतपत्या स्वोपपक्षिका ।

निवासिता भवेत्स्वीयगृह एवाथया पुनः ॥३६५०॥

स्वभावनिष्ठुराचारः स तस्यां तु भवेयतः ।

स्यात्तस्य सद्यालेन तस्या व्यक्तिगतं भयम् ॥३६५१॥

पक्षी के पति का घर छोड़ने के लिए उत्तर (पति) की निहुरता (cruelty) को छोड़कर दूसरी अप्रसन्नता, या पनि और पक्षी का साधारण गमगळा अथवा उसका किया दूसरी पक्षी का ग्रहण पर्याप्त नहीं होता । परन्तु यदि पति ने अपनी रखेल छी को अपने ही घर में बक्षा लिया हो या फिर वह (पति) उस (पक्षी) में स्वमाव हो ही निष्ठुर अचार बाला हो, जिससे कि उसके साथ रहने से उस (छी) को व्यक्तिगत भय (danger to her personal safety) हो, तो वह (पक्षी) उस (घर छोड़ने) के लिए और फिर अताग जीविका लेने के लिए भी समर्थ हो जाती है ।

तत्कृते तत्र नाथाशयं कौर्याद्युत्तेहि साधनम् ।

न विलम्बोऽभियोगे च प्रतीकारेऽस्ति वाधकः ॥३६५२॥

पहां पर उस (छी) के लिए बार बार कूरता का दिया जाना सिद्ध करना आवश्यक नहीं है और न मुक्तमे में देर ही प्रतिकार (इलाज) में शामक होती है ।

प्रेमण्डवाध प्रदर्शं स्यात्पत्या पत्न्यै निजं धनम् ।

भृतये, तत्तु नीयेत मर्त्यं प्रतिशुद्धये ॥३६५३॥

पति ने प्रेम से ही पक्षी को जीविश के लिए अपना भन दिया हो, तो वह पति के ग्रहण चुकाने के लिए लिया जा सकता है ।

यसन्त्यपि पृथग्भर्तुः शुद्धावारा त्तमा मता ।

भार्यागत्य कदाप्यत्र भर्तुः स्वभृतियाचने ॥३६५४॥

पति मे जुदा रहती हुई भी शुद्ध आचरणबानी पढ़ो यहाँ पर किंचि समय नी
आकर पति मे आजनी जीविका माँगने में समर्थ मानी गई है ।

प्रागुक्तं तु स्वधर्मं सा परित्यज्य स्थिता पृथक् ।

यावत्तावस्था सा शक्ता भर्तुर्त्य भृतिग्रहे ॥३६५४॥

जब तक वह (पती) पहले बहे अपने कर्तव्य (पति की अधीनता में और
उसकी रक्षा में रहना आदि) को छोड़कर अन्य रहती है, तब तक वह यहाँ पर
पति से जीविका लेने में समर्थ नहीं होती ।

परं निवृत्तामिच्छन्ती धासं पत्या सहायं यः ।

न स्वीकरोति भयां स्वां दधात्तस्यै भृतिं हि सः ॥३६५५॥

परन्तु लौटकर आई और पति के साथ यहाँ पर रहना चाहती हुई पत्नी को जो
भ्रष्टा नहीं बता वह (पति) उस (पती) को जीविका देये ।

भृतेः प्रमाणं निध्येयं समाजस्थितिस्तथा ।

दम्पत्योः पूर्वसंघन्धात्पत्युः स्थित्याथवा पुनः ॥३६५६॥

पत्नी वी जीविका का प्रमाण पति और पती की सामाजिक स्थिति मे, पहले
के समन्वय से और पति की स्थिति से निर्धित करना चाहिए ।

सद्वित्रा धनाद्वेन स्थिता यत्र न याचते ।

सा भृतिं पतितो दीर्घकालान्त, निर्धनः पुनः ॥३६५८॥

तद्रूपा तत्र लभते सा हि तां याचनोत्तरम् ।

तत्पूर्वा तु समादातुं न शक्ता सा कथञ्चन ॥३६५९॥

जहाँ पर धरवान् पिता के साथ रही वह (पती) बहुत समयतक पति से भरण
नहीं मांगती है और उसका पति नि र्भन होता है, वहाँ पर वह मांगने के बाद उस
(भरण) को पानी है । उसके बहने (के समय के भरण) को लेने में तो वह
किसी तरह (भी) समर्थ नहीं होती ।

सनीवं शाङ्कमानेन भर्ता पत्नी यदिष्टता ।

गृहानया च संप्राप्तं दोषिद्विविधानतः ॥३६६०॥

भृतयस्थै शासनं यत्र तत्र भर्ताऽभियुक्त्य ताम् ।

अक्रमः सद्वासायोपयोक्तुं तु यत्तारपुनः ॥३६६१॥

जहाँ पर सीमा पर शांका करनेवाले पनि ने पत्नी की पर से निर्भान दिखा ही
और उस (पती) ने दोषी को दरवाजे के बाहर (The Code of Criminal
Procedure 1973) से जीविका के लिए इच्छी प्राप्त करकी हो, वहाँ पर पति

मुकद्मा चलाकर उम (श्री) को जबरदस्ती सहवास के लिए उपयोग में लाने में समर्थ नहीं होता ।

व्यभिचारायथा पत्युगृहं त्यक्वा तु साग्रहम् ।

करोति निन्दितं कर्म सा नाप्नोति भृति कथित् ॥३६६२॥

शासनं तस्तुते प्राप्याऽप्यज्ञमा तदग्रहे द्वि सा ।

इति शाखिभिराख्यातं नान्न कायिद्विचारणा ॥३६६३॥

जो (श्री) व्यभिचार के लिए पति के घर को छोड़कर आपह के माथ निन्दित (बुरे) काम करती है, वह कहीं भी जीविता नहीं पाती । वह उस (जीविका) के सिए डिशी ग्रास कर के भी उस (जीविका) को लेने में असमर्थ रहती है—ऐसा शास्त्र जाननेवालों ने कहा है, इसमें विचार की कोई बात नहीं है ।

परमेकान्ततः साचेष्टयभिचारं परित्यजेत् ।

तद्वर्ता तर्हि तां दधादत्यत्पामुचितां भृतिम् ॥३६६४॥

परन्तु यदि वह (श्री) व्यभिचार को बिलमुल छोड़ दे, तो उसका पति उसे बहुत थोड़ी उचित जीविता (भोजन कपड़े मात्र का खर्च) देवे ।

शास्त्रानुसारतो भतीं पद्मां नान्न परित्यजेत् ।

चेत्साऽसती तदा रक्तेतां नियन्त्र्य निजे गृहे ॥३६६५॥

प्राणधारणमात्रार्थमन्नवस्त्रे तथार्पयेत् ।

यतस्ततोऽधिकायात्र साऽसमर्था मता वुधैः ॥३६६६॥

शास्त्रों के अनुसार वहां पर पति आपनी श्री को नहीं छोड़े । यदि वह व्यभिचारिणी हो, तो उसे रुकावट कर के अपने घर में रखें और प्राण धारण मात्र के लिए अन्न और वस्त्र देवे । क्योंकि इससे अधिक के लिए विदानों ने यहां पर उसे असमर्थ माना है ।

अनुत्पत्ता भृशं चेत्सा सर्तीत्वं प्रतिपद्यते ।

प्रायश्चित्तविशुद्धया तु तदा पदीत्वमाप्नुयात् ॥३६६७॥

परं तत्सहवासश्चेद्वीनवर्णेन् सा तदा ।

प्रायश्चित्तविशुद्धापि भृति धासश्च यिन्दति ॥३६६८॥

यदि पूरी तीर से पथाताप करनेवाली वह (श्री) सर्तीत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध होने से (किर) भार्या-नन की प्राप्ति होती है । (अर्थात्—किर पत्नी का आसन प्रदण करने लायक हो जाती है ।) परन्तु यदि उस (श्री) का सहवास उससे नीचे वर्णवाले के साथ हो गया हो, तो वह प्रायश्चित्त से शुद्ध होने पर भी रोटी कपड़ा (ही) पाती है । (भार्या का अधिकार नहीं पाती ।)

त्यक्तार्थं धर्मं तोऽप्येषा स्वभर्तुं भृति महसि ।

त्यक्तधर्मस्य देशीयजनस्योदाहनाशिना ॥३६६६॥

विधानेनाभियुज्जैव यत्र भव्वा कृतः क्षयः ।

संबन्धस्य तु तत्रापि न्यायेशः शासनप्रदः ॥३६७०॥

आजीवं ननु भार्यायै ततो वृत्तिं प्रदापयेत् ।

उचितां, च पुनर्भूत्ये तस्या विरमतीह सा ॥३६७१॥

दिनू धर्म की छोड़देने वाले आगे पति से भी बद (पती) जीविका पाने योग्य होती है । जहाँ पर पति ने धर्म छोड़देवाते दैरोय जन के विवाह का नाश करनेका हानन् (The native Converts marriage Dissolution Act 1866 A. D.) से मुक्तमा चलाए ही (विशेष) संबन्ध का नाश करदिया हो, वहाँ पर भी जीविका हेवाला न्यायावीश, नियम ही उस (पति) से पत्नी को उनित (भरण-पोषण के लायक) जीविका दिलाये, और उस (स्त्री) के यहाँ पर दूसरा विवाह करते हैं पर वह (जीविका) यद्य ही जाती है ।

भर्ता यत्र निजैनैव धैरुल्पेत यदिष्ट्वतः ।

दायादत्वेत्, तद्वार्या पत्वयै कलशलङ्घतः ॥३६७२॥

धनात्त्र भृति नूनं प्राप्नोत्येव न संशयः ।

तथा त्यक्ते सतीत्वे तु भृतिर्विरमतीह सा ॥३६७३॥

जहाँ पर पति अग्नी विकला (personal disability) से हृदार पते से बाहर करदिया गया हो, वहाँ पर उसकी ही पति के अविकल (able) होने ये (उस पति को) मिलने वाले उन से निश्चय रूप से जीविका पाती ही है, इसमें संशय नहीं है । परन्तु उसके सतीपत भी छोड़ देने पर, यहाँ पर, वह जीविका यद्य ही जाती है ।

विधवाया भृतिः ।

विधवा की जीविका ।

अप्राप्तदाया या भर्तु दायभाकृत्येन निश्चितम् ।

भृत्यर्दासाऽध्या तस्य विज्ञादृष्टिगतादुत ॥३६७५॥

पृकार्थादभवद्यस्मिन्मृत्युकाले तु सत्पतिः ।

संशिलयोऽन्न स्थिता धापि पृथग्भर्तुरकारणम् ॥३६७५॥

जिस विषया ने नियम ही पति के धन की हृदार के हा से (उपरा) दाय-उन नहीं पाया हो, वह विना कारण पति ने अनग्रह होती हुई भी उस (पति) के अधिकार उन से या जिसमें, उसी पर, मरने के समय पाँत समेत रहा हो उस धानके उन से, जीविका पाने योग्य होती है ।

पत्यौ जीवति तन्मृतयुक्ताले वा सा स्थिना पृथक् ।
तस्माच्चेन्न तदाप्यत्र भूत्यहेत्यात्प्रवच्छ्यते ॥३६७६॥

यदि पति के जोने जो या उसके मरने के समय वह (खी) उससे दूर रहती हो, तो भी यहाँ पर भरण पाने की योग्यता से विहित नहीं होती ।

भार्या व्यक्तिगतं वित्तं यत्र धारयति स्वकम् ।
तत्र पृक्ते मृते पत्यौ तस्य तस्यक्तिस्तः ॥३६७७॥
समर्था भृतिमादातुं सा न वैति न निश्चितम् ।
घङ्गेऽसमर्था सा किन्तु द्रविडे तु क्षमा मता ॥३६७८॥
परं भृतेरियत्ताया निर्णये तु विचार्यते ।
तस्या व्यक्तिगतार्थैस्य तत्रायोऽपि सुनिश्चितम् ॥३६७९॥

जहाँ पर पत्नी अपना निज का व्यक्तिगत धन रखती है, वहाँ पर साके में ऐसे उसके पति के मरने पर वह (खी) उस (पति) के सामेवाले धन से जीविका लेने में समर्थ है या नहीं—यह निश्चितं नहीं है । चंगल में वह (लेने में) असमर्थ है, किन्तु मद्रास में समर्थ मानी गई है । परन्तु वहाँ पर (मद्रास में) जीविका की इच्छा (परिमाण) का निश्चय बरते में उस (खी) के व्यक्तिगत धन की आमदनी की भी, निश्चितरूप से, विचार किया जाता है ।

पत्युः पृक्तिगतं भूरि वित्तं तदस्तर्गं पुनः ।
यावन्तं समयं तस्यै पर्याप्तं भृतये भवेत् ॥३६८०॥
तावन्तं न क्षमा भर्तु पृक्तानवाऽभियुज्य सा ।
तेभ्यो भृति समादातुं तत्कालान्ते तु सा क्षमा ॥३६८१॥

फिर उसके हाथ में याया पति का साके का महुत सा धन जितने समय तक उसके पोशण के लिये पर्याप्त हो, उठने समयं तक वह, यहाँ पर, पति के सामेदारों पर मुकद्दमा चलाकर उनसे जीविका लेने की समर्थ नहीं होती । (पालनु) उष समय के बीतने पर वह समर्थ होती है ।

ऐत्युः पृक्तिगतं वित्तं हस्तर्गं नाशितं लिया ।
भृत्यर्थमभियोगात् पूर्वमेव भवेद्यदि ॥३६८२॥
तदापि न क्षमा सा स्यात्भृत्याऽदाने तु तावते ।
कालाय यावते त्वासीत्पर्याप्तं तत्तु निश्चितम् ॥३६८३॥

यदि खी ने पति की सामेदारी का हाथ में आया धन, जीविका के लिए मुकद्दमा चलाने के बदले ही, नष्ट कर दिया ही, तो भी वह उसने समय के लिए जीविका लेने में समर्थ नहीं होती, जितने के लिए वह (धन) निश्चय ही रखती था ।

पत्त्वा जीवति मन्मासं शासनं भृत्ये तथा ।

शासनं प्रतिमर्तारं पत्त्वा तन्नेव याधकम् ॥४६=४॥

पत्त्वा मृतं धयाया दि दायादेभ्योऽथ तस्य तु ।

स्यहने न्यायतो प्रार्थ्यं प्राप्णे भृतियासयोः ॥३६८॥

पत्ती ने पति के जाने जी गुडारे और स्थान के लिए पति पर दिवं प्राप करनी हो, तो वह पति के मरने पर (उसकी) विधवा द्वारा उम (पति) का धन लेने वालों से, यद्यपि पर, अबने लिए न्याय से प्रार्थना करके, भरण और स्थान प्राप करने में बाधक नहीं होती ।

पृताऽर्थेऽप्य विभक्ते चेत्संशिष्टैरभियोजयेत् ।

भृत्यर्थं विधवा तदिं साऽऽमुयादाजशासनम् ॥३६९॥

तनेव प्रति यैस्तत्र पुत्रपोत्रादिभिर्भूष्यम् ।

तद्गतुं भागं आतः स्याद्यान्यान्प्रति कदाचन ॥३६९॥

यदि विधवा जी सामेदारो द्वारा सामै के धन के बांट लेने पर जीविका के निर मुकुद्धमा चलावे, तो वह उनके विद्व दी डियी पाती है, जिन पुत्र-पीढ़ी और प्रीत्र आदि ने वहां पर निश्चय ही, उमके पति का भाग प्राप किया हो । दूसरों के विद्व कभी नहीं पाती ।

पत्त्युः पृक्तकुदुम्बेऽत्राऽयशिष्टैरभ्यो भृति निजाम् ।

प्राप्तं घत्यधया नायकरदानाय कल्पने ॥३६९॥

पृक्तावशिष्टस्वेकोऽपि तेषु चेत्तर्यपीह सा ।

दद्यादायकरं नैव न्यायतस्तु कदाचन ॥३६९॥

पति के सामै के कुदुम्ब में भीड़ बचे लोगों से आगवी जीविका लौटी हुई विधवा आमदनी पर लगेवाले कर को देने योग्य नहीं होती (अर्थात् - वह आयकर नहीं होती) । उन सामेदारों में एक भी योग्य रहा हो, तो भी वह (विधवा) न्याय से कभी आयकर नहीं देते ।

भर्तुतो भृतिभिर्छन्ति पत्ती नाश्र त्वमा भवेत् ।

त्यक्तं पतिगृहं वस्तु मन्यत्र च कदाचन ॥३६९॥

परन्तु विधवा शक्ताऽऽदातुं पत्त्यर्थतो भृतिम् ।

शुचित्येन वस्त्यारादपि भर्तु कुदुम्बतः ॥३६९॥

पति से जीविका चाहती हुई पत्ती यहां पर पति के घर को छोड़ने को और दूसरी जगह रहने को कभी समर्थ नहीं होती । परन्तु विधवा पवित्रता के साथ पति के कुदुम्ब से दूर रहती हुई भी पति के धन से जीविका ले सकती है ।

सतीत्यं च परिस्यागोऽपराज्ञुचितकर्मणाम् ।

भृत्यहृत्ये पणी मुख्यी न वासस्त्रप कारणम् ॥३६९॥

सुनीपन और दूसरे अनुचित कामों का स्थाग (ही) जीविका पाने थीमय होने में ही सुख्य शर्तें हैं । उसमें स्थान (साथ रहना या जुला रहना) कारण नहीं है ।

यत्रालपत्वेन संपत्ते: पृथक् पोपस्त्वसंभवः ।

न्यायेशस्तत्र संचिन्तय स्थितिं प्रत्याविशेषदि तम् ॥३६६३॥

जहाँ पर संपत्ति के थोड़ी होने से अलग जीविका असंभव हो, वहाँ पर न्यायाभीश स्थिति का विचार करके उस (जीविका) का इनकार करें ।

पतीच्छापत्रतो यत्र स्त्रीभृतिः स्याज्ञियन्त्रिता ।

स्वगेहे निजवंश्यैस्तु साध्यं निवसनेन हि ॥३६६४॥

अकारणं त्यजन्ती तु तद्गृहं तत्र साऽक्षमा ।

आदातुं पतिसंपत्तेभूर्तिं स्वस्यै विधानतः ॥३६६५॥

जहाँ पर पति के इच्छापत्र द्वारा छों की जीविका अपने घर में अपने बंशजों के माध्य रहने से बाध दी गई हो (अर्थात्-जहाँ पर उसके लिए ऐसा करने का बन्धन लगा दिया गया हो), वहाँ पर विना कारण के ही उस घर को छोड़ती हुई वह पति छों संपत्ति से अपने लिए जीविका लेने में कानून से असमर्थ होती है ।

विधवा या त्यजेतपत्युरुद्धर्वं नाऽशुचिकर्मणे ।

भृतये प्रार्थयेताऽथ किञ्चित्कालात्यये पुनः ॥३६६६॥

समर्था भृतिमादातुं गृहत्यागदिनादि सा ।

भृणेनैव तथा पोपः कृतस्त्वद्यावधि भ्रुवम् ॥३६६७॥

साधनं तत्पृते नैतदायश्यं तत्र चाऽथवा

नाऽवश्यं तद्गृहत्यागकारणस्य प्रदर्शनम् ॥३६६८॥

जो विधवा पति के घर को अपवित्र काम के लिए नहीं छोड़े (अर्थात्-अन्य कारण से छोड़े) और फिर कुछ समय बीत जाने पर जीविका के लिए प्रार्थना करे, वह घर छोड़ने के दिन से जीविका लेने को समर्थ मानी गई है । उसने निश्चय ही अवतक कर्त्ता से गुजारा किया है-इसका सिद्ध करना, वहाँ पर उसके लिए आवश्यक नहीं है और न उसके लिए घर छोड़ने के कारण को दिखलाना ही आवश्यक है ।

मृते पत्यौ स्थिता यत्र विधवा तद्गृहे तथा ।

प्राप्ता भृतिस्तया त्वद्वरस्त्रूपेण तत्र सा ॥३६६९॥

भर्तुभूर्तिदिनात्मैय शक्ताऽदातुं भृति, परम् ।

क्षीर्येण चार्यकृच्छ्रौण रक्षिता चेत्क्षमा भवेत् ॥३७००॥

जहाँ पर विधवा पति के मरने पर उसके घर में रही ही और उसने अभ और उम्र के स्व में जीविका पाई हो, वहाँ पर वह पति के मरने के दिन से ही (नकद-स्व में) जीविका लेने में समर्थ नहीं होती । परन्तु यदि वह कूरता के साथ या गरीबी के साथ रक्खी गई हो तो समर्थ होती है ।

आर्यविधानम् ।

४३४

समयस्तु एतो यत्र भृति दातुं सुनिश्चितम् ।

निश्चिते दिवसे तस्यै प्रतिवर्षं, मृता परम् ॥३७०१॥

सा तद्विषयसतः पूर्वं तथ तदायदारकः ।

तन्मृत्यन्तं भूतेरंशं गृहीयादिनसंख्यया ॥३७०२॥

जहाँ पर वस (विषय) को प्रतिवर्ष निश्चित किये दिन को निश्चित वीर्ह जीविका देने का बाद किया गया हो, परन्तु वह उस दिन के पढ़ते ही मराई हो, वहाँ पर उस (विषय) का दाय-घन लेनेवाला उस (विषय) के मरने तक, दिनों की गिरती है, जीविका के दिस्ये को ले लेते । (अर्थात्-जितने दिन वह विषय जीवित रही हो, उतने दिन की जीविका प्राप्त करते ।)

सतीत्वेनैव विधया भृतिं विन्दत्यसंशयम् ।

असतीत्येऽक्षमा प्राप्तशासनाऽपि च तत्त्वते ॥३७०३॥

विषय उत्तीर्ण से ही निःसन्देश जीविका पानी है । असती पन से उष (जीविका) के लिए हिण्ठी पाई हुई भी (जीविका प्राप्त करने में) असमर्पण होती है ।

तत्क्लेषे भृतिदानायं विदितः समयोऽपि च ।

नश्यत्यत्राऽसतीत्ये तु तस्याः सिद्धे सुनिश्चितम् ॥३७०४॥

और उसके लिए निया जीविका देने का बाद भी, वहाँ पर उसके असती पन के छिद्र हो जाने पर निश्चय ही नहीं हो जाता है ।

असतीर्वं परं तस्याः प्रतिवादी प्रमाणयेत् ।

यतस्तस्य दृते सैव निश्चयेनोच्चरप्रदः ॥३७०५॥

परन्तु उसका असतीपन प्रतिवादी (विषयी) सिद्ध करे; क्योंकि उसके लिए वही निश्चितला से उत्तर-दाता है ।

असतीत्यं परित्यज्य सतीत्वग्रहणेन सा ।

प्राणधारणामात्रार्थमन्नवस्त्रे तु विन्दसे ॥३७०६॥

यह असतीपन को लोक्यर सतीपन प्रदण करते से जीवन-निर्वाह मात्र के लिए अस-वस्त्र पाती है । (श्लोक २३२-२३४ और २९९२-२९९४)

भृत्यनदीं विधयातुं तां प्रतिवादी तु साधयेत् ।

अभियोगेऽसतीत्यं हि विधयायाः सुनिश्चितम् ॥३७०७॥

विषयी उसकी जीविका पाने के अब्देय उसके लिए सुझावे में (चर) विषया के अवहीन को निश्चितला से छिद्र करे ।

स्वार्जितार्थाय चेद् भूतुं स्वदंश्यानभियोजयेत् ।

विधया ते चं समयं कुर्युनिश्चित्य मासिकम् ॥३७०८॥

धार्यिकं वा धनं तस्यै, नो दद्युः किन्तु तत्पुनः ।

साऽसत्यप्यभियुज्यात्र तर्हादातुं तु तत्कामा ॥३७०६॥

विषवा यदि पति के अपने कमाये धन के लिए उसके कुटुम्बवालों पर मुक्तमा चलावे और ये उसके लिए महीने का या साल का धन तय करके (उसको देते हुए का) बादा कर्त्तव्य, परन्तु किर उसे न दें, तो ऐसी जाह असती (होने पर) भी वह उन पर मुक्तमा चलाकर उस (तय किये धन) को ले सकती है ।

मृतिपत्रप्रदत्ताया भृतेरपि न वद्यते ।

साऽसतीत्वेन वेत्तश्च प्रतिधन्धो न तत्कृते ॥३७१०॥

यह असतीपन के कारण इच्छापत्र द्वारा दी गई जीविका से भी उस (इच्छा-पत्र) में उस (असतीपन) के लिए रुक्षावृत न हो, तो विधित नहीं होती ।

आर्याधिवा समर्थात्र वस्तुं स्वपतिवेशमनि ।

यस्मिन्सा न्यवसदपत्या सद्व तस्मिन् हि जीवति ॥३७११॥

विशेषासु त्वयस्यासु साऽक्षमा तत्कृते यथा-

सपत्न्यै तत्प्रदत्ते सा स्यात्पतीच्छादलेन तु ॥३७१२॥

हिन्दू विषवा यही पर अपने पति के घरमें, जिसमें वह पति के साथ उसी जीविका वास्था में रह जुही हो, रह सकती है । (परन्तु) विशेष अवस्थाओं में वह उसके लिए असमर्थ होती है । जीवे-पति के इच्छापत्र द्वारा उस (पर) के सौत को दे दिये जाने पर वह (असमर्थ) ही जाती है ।

नामोति पोषं विधवा द्वितीयोपयमान्तरम् ।

पूर्यमतुर्दिं संपत्या न्यायेनेदं सुनिश्चितम् ॥३७१३॥

विषवा दूसरे विवाह के बाद इहले पति की संपत्ति से जीविका नहीं पाती, यह कानून से विधित किया गया है ।

द्वितीयोपयमः किन्तु जात्याचारमतो यदि ।

पुनर्भूत्येऽपि सा तद्दिं प्रयागे लभते हि तम् ॥३७१४॥

वेद्ध तद्ग्रहणं जात्याचारेणैव विवर्जितम् ।

कोशलेष्वपि पूर्वोक्तं मतमङ्गीकृतं युधैः ॥३७१५॥

परन्तु यदि दूसरा विवाह जाति के रियाज से याना हुआ हो तो वह, दूसरा विवाह करलेने पर भी, यदि उस (जीविका) का लेना जाति के आचार से ही विधित न हो तो, इलाहाशाद में (हाईकोर्ट के मतानुसार) उस (पोप-जीविका) को पाती है । अक्षय में भी विद्वानों (चीर्हकोर्ट के जजों) ने (यही) पहले इह मत स्वीकार किया है ।

परमन्यप्र प्रांगमतुः प्राप्ताद्यादि वद्यते ।

सा तदर्थाद् भृति चापि नामोत्यन्यविवाहतः ॥३७१६॥

द्वंद्वे में उस विषय में नियम है कि यदि उसका पति स्वयं (अपने) मरते के समय पिता का सामेदार हो तब ही वह जीविका पाने लायक होती है ।

व्यथितं सृतिपत्रेण शशुरेण निजं धनम् ।

यत्र तत्र सुषुप्तशुक्ता तद्वद्वीतुभूतिग्रहे ॥३७२४॥

महाराणीयनियमस्यास्यैवानुकृतिः पुनः ।

द्रविडेऽपि नयाधीशैरीद्वग्योगे विधीयते ॥३७२५॥

जहाँ पर समुर ने इच्छापत्र में अपना धन राख (disposeo) कर दिया हो, वहाँ पर (विवाह) पुत्र-वधु उस धन को लेनेवाले (deviseo) से जीविका लेने में असमर्थ होती है । यिर द्वंद्वे के इस नियम का ही अनुसरण मशाय में भी न्यायाधिकारियों द्वारा ऐसे मौके पर नियमित होते, किया जाता है ।

नाऽसमर्थं स्तुपा प्रत्यालयात्यप्यत्र सुनिश्चितम् ।

शशुरालयवासं हि तदनात् भूतिग्रहे ॥३७२६॥

यहाँ पर समुर के घर में रहते से नियमलग्न से इनका करता हुई भी पुत्र-वधु उस (समुर) के धन से जीविका लेने में असमर्थ नहीं होती ।

जात्या वद्विष्टताऽप्यार्थं पत्नी भूत्याऽस्तिवस्त्वद् ।

नो वदिष्टिक्यते नूनं विधानेन कथञ्चन ॥३७२७॥

जाति से बाहिर की हुई भी दिनू भार्या का नून के द्वारा निश्चय ही जीविका पाने से किसी तरह बिना नहीं की जाती ।

भूत्याः परिमाणम् ।

जीविका का परिमाण ।

साधारणेन देवान्नाऽधवार्थमिष्ठी भूतिः ।

भर्तुवेशमस्मस्तिथ्या यदा सा निवसेत्सुखम् ॥३७२८॥

कारणानि न तत्र स्युर्विपर्यकराणि चेत् ।

नयेश्वस्त्वप्त चैवानि चिन्तयेद् भूतिनिर्षये ॥३७२९॥

पत्नुविंत्सुखे तस्या मृतमर्तुस्तथा स्थितिः ।

तदावश्यकता सार्थं व्ययेनायोचितेन तु ॥३७३०॥

धर्मणे वान्यकार्येभ्यो यान्यवायार्थणि जीवने ।

पारस्परिकसम्बन्धो दम्पत्योश्च पुरातनः ॥३७३१॥

साधारण तो, ये विवाह को इतनी जीविका देनी चाहिए जिसमें कि वह यदि पहाँ पर उत्तर-फेर करने वाले कारण न हो, तो पति के घर के समान आवस्था में पुन ऐ रह सके । न्यायाधीश जीविका का निर्णय करने में इन पातों का विचार

कहे:- (उसके) पति वी संपति और कर्या, उसकी और उसके मृत पति वी स्थिति (Position and status), उस (विधवा) वी, पर्म के या अन्य कार्यों के लिए, जो जीवन में अनिवार्य (ज़रूरी) होते हैं, उभित खर्च के साथ आवश्यकता और पति और पत्नी का आपस का पुराना संबन्ध ।

चिन्त्यं तत्स्त्रीधनं चापि तथोदायपर्दं पुनः ।
यद्याभरणरूपं यत्तदनायप्रदं परम् ॥३७३१॥

और फिर उस (विधवा) का एकी-धन भी यदि वह आमदनी देने वाला ही, हो विचारना चाहिए । परन्तु जो कषदे और गहने के स्वतान्त्रा होता है, वह आमदनी देनेवाला नहीं होता ।

यहुमूल्या अलङ्कारा यदि स्युर्विक्षयोचिता ।

विचार्यास्तेऽपि तत्पोषनिर्णयेऽपि सुनिश्चितम् ॥३७३२॥

जीवती आभूतण यदि बेचे जाने लायक हों तो, यहाँ पर उसकी जीविका का निर्णय करने में, उनका भी निवाय ही विचार बरता चाहिए ।

इवेच्छ्या भानुदत्ता तु तद्युक्तिर्न विचिन्त्यते ।

स्थायित्वं न यतस्तस्या येच्छुक्येवात्र सा भ्रता ॥३७३३॥

माई द्वारा अपनी इच्छा से ही हुई उसकी जीविका का विचार नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी स्थिता नहीं होती । वह यहाँ पर इच्छा से 'संबन्ध रखने वाली ही मानी जाती है ।

स्वोदोगेनार्ज्यं आयोऽपि तस्या नैय विसृश्यते ।

भृतेस्तु निर्णये, यस्मात्सोऽप्यस्यायी मतो युधैः ॥३७३४॥

जीविका के विषय में उसकी अपने विद्युग के प्राप्त होने वाली आमदनी भी विचार में नहीं ही जाती; क्योंकि वह भी विद्यानी द्वारा अस्थायी मानी गई है ।

पर्यातस्त्रीधनाया सा पत्युः पृक्तिगताद्दनात् ।

भृत्यादाने कामा नोपेत्यग्रास्ति मतभिन्नता ॥३७३५॥

भरणु एकी-धन वी आयवाली वह (विधवा) पति के सामेवाले धन से जीविका से सकती है या नहीं-इसमें मिल मत है । (देखो छोड़ ३६७७-३६८८)

जीयत्पत्यर्दृक्तांशस्यायात्समधिकां भृतिम् ।

नूनं तदध्या नैय समते पृक्तवित्ततः ॥३७३६॥

जीवित पति से प्राप्त सामों के धन के भाग वी आमदनी से अधिक जीविका, निवाय ही, उसकी विधवा, सामों के धन से, नहीं पाती है ।

संपत्तिस्तु यदा भूरि शूरेन परिवेषिता ।

पञ्चमांशोऽपि पष्टांशः पूर्योक्ताया अलं तदा ॥३७३७॥

जब संपत्ति यहुत सारे शृणु से पिरी हो, तब पढ़ते कही (उपर्युक्त खोड़ में जीविका) का पाँचवां या छठा दिस्सा पर्याप्त होता है ।

एकदैव यथा प्राप्तो भूर्यथो भृतये तथा ।

व्यवितः स, न सा शक्ता भृत्यादाने पुनर्धृतम् ॥३७३६॥

जिस (विधवा) ने जीविका के लिए एकबार ही बहुत सा घन पाया और सर्वं कर दिया हो, वह निष्ठय ही फिर जीविका लेने में समर्थ नहीं होती ।

सामान्येन विधानेन विधवा लभते भृतिम् ।

कालानुरूपां वीच्यैव कार्याणामनिवार्यताम् ॥३७४०॥

आचरण कानून से समय के अनुसार कानों की आवश्यकता को देख कर ही विष्वा जीविका पाती है ।

इयत्ताऽप्यथ संपत्ते सुख्या भृतिविनिर्णये ।

परं सैय त निष्कर्षां झेयस्तत्र सुनिश्चितः ॥३७४१॥

संपत्ति का परिमाण भी जीविका के निष्ठय करने में मुख्य है । परन्तु उसे ही उसमें निश्चित कसौटी (Criterion) नहीं जानना चाहिए ।

भृत्यादानोदत्यायास्तु विधवाया विचिन्त्यते ।

आचारोऽपि भृतेस्तस्या निर्णये विवुचैरिद्ध ॥३७४२॥

जीविका लेने की तैयार हुई विधवा का आचरण भी यहाँ पर विद्वानों द्वारा दसकी जीविका के निर्णय करने में विवारा जाता है ।

विधवाप्रे तकृत्यर्थं देयः पत्यर्थतो व्ययः ।

स्त्रीधनं नोपयोजयं स्यात्तदतेऽपि कथञ्चन ॥३७४३॥

विधवा के मरण-हृत्य के लिए पति के घन से सर्वं देना चाहिए । उसके लिए यहाँ पर किसी तरह भी स्वी-घन का उपयोग नहीं करना चाहिए ।

शकारणं परित्यक्ता पत्या भार्या भवेद्यदि ।

सा भर्त्र्यर्थवृतीयांशं लभते भृतये तदा ॥३७४४॥

यावद्यत्कोक्तिमाभिन्नं महाराष्ट्रे तु निर्णयः ।

मुख्यन्यायालयाधीशः कृत एव सुनिश्चितः ॥३७४५॥

यदि पति ने बिना सबब के ही स्वी को छोड़ दिया हो, तो वह पति के घन का तीसरा भाग शुल्कारे के लिए पाती है । यह निर्णय बर्दै में, हाइकोर्ट के बजाए, यावद्यत्क के इच्छन का आधार लेकर किया है ।

यावद्यत्कवचनं तु

आकास्पादिनीं दद्यां धीरसुं प्रियथादिनीम् ।

त्यजन्याप्यस्तुतीर्यांशमद्रव्यो भरणं स्वियाः ॥

(आचारध्यायः, विषाद्मप्रकरणम्, क्षेत्रकः ७४)

थाहतन्त्र से बहा है-

आहा का पालन करनेवाली, चमुर, मुत्रवाली, और इष्ट बोलनेवाली हसी की दोइ-
त्रिवाले से धन का तोसरा भाग दिलवाना चाहिए और निर्धन हो तो, (बद) हसी
का भरण करे ।

भार्याभृतिकृते येऽत्र नियमाः कथिताः पुरा ।

त एवापरयोपाणां भृतयेऽपि मता वुर्धेः ॥३७४८॥

अग्नी हसी की जीविका के लिए जी नियम यही पर पहले कहे गये हैं, वे ही
जीविकों ने दूसरी (उन्नत्र की) स्त्रियों की जीविका के लिए भी माने हैं ।

न्यायेशश्चिन्तयेत्समादियत्तां संपदस्तथा ।

तदृव्यक्तिगार्थं निर्णेतुं भृति ताम्योऽपि निश्चितम् ॥३७४९॥

इतिहास व्याख्यातीरा उन जीविकों के लिए भी निश्चिततम् से जीविका का निर्णय
करने के संर्वात के परिमाण का और उस (जीविका पानेवाले) के अग्ने घटकी-
मन धन का विचार करे ।

निश्चितं समयेनाथ शासनेनापि या पुनः ।

भृतेद्वयं परिस्थित्या वर्ध्यते चाप्यनेऽथवा ॥३७५०॥

आगस के समझौते से या फिर छिपी से विकित किया जीविका का धन
परिस्थिति से घटाया या बढ़ाया जाता है ।

वृद्धिं प्रयाते वित्तायेऽत्राऽथवा जीवनव्यये ।

वर्धनीयं भृतेद्वयं दात्रा न्यायेन निश्चितम् ॥३७५१॥

वही पर धन की आमदनी के या जोड़न के यर्ज के बढ़ जाने पर देनेवाले को
निश्चय ही, न्याय से, जीविका के धन को बढ़ा देना चाहिए ।

प्रागेवास्य प्रबन्धस्तु भृतीं यत्र रुनो भवेत् ।

पूर्योक्तायव्ययाधिक्ये न वृद्धिस्तत्र संमता ॥३७५२॥

जटी पर पहते ही इस (शदि) का प्रबन्ध जीविका से पर दिवा गया हो,
वही पर पहले वही आमदनी और सर्व की अधिकता में वृद्धि नहीं मानी गई है
(अर्थात्-वही जीविका में वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती) ।

भृतिदातुः प्रमादेन विनैवायं धनस्य चेत् ।

द्वासस्तद्विं भृतेद्वयं हस्यते भात्र संशयः ॥३७५३॥

जीविका देनेवाले की पालन के लिए ही देंदि धन की आमदनी में करी हो
जावे, सो जीविका का धन घटा दिया जाता है; इसमें संशय नहीं है ।

सामान्यपरिवृत्या तु वित्ताये न भृतेर्घनम् ।

परिवर्तनमाप्नोति काले काले पधोचितम् ॥३७५४॥

धन की आमदनी में साधारण परिवर्तन होने से जीविका का धन समय-समय पर उसके अनुसार नहीं बदला करता ।

प्रार्थयिष्ये न बृद्धयर्थं भृतायिति एतो यदि ।

समयोऽध्यवया तर्हि साऽक्षमा तत्कृते ततः ॥३७५३॥

यदि विधवा ने जीविका में युद्धि के लिए नहीं कहाँगी-ऐसा बादा किया हो, तो उसके बाद उस (प्रार्थना) के लिए समर्थ नहीं होती ।

शासने यत्र लिखितं भृत्यर्थपरिचृत्ये ।

तत्र प्रार्थनयोऽन्यत्राऽभियोगात् परिवर्तनम् ॥३७५४॥

जहाँ उम्री में जीविका के धन के बदलने का नियम हो, वहाँ प्रार्थना (application) से और दूसरी बगद मुकदमे (suit) से परिवर्तन होता है ।

आर्यशाखानुसारेण कर्तव्यत्वात्प्रदीयते ।

भृतिस्ततोऽभियोगेन पर्योऽपि परिवर्तनम् ॥३७५५॥

हिन्दूशाखों के अनुसार (देनेवाले का) कर्तव्य होने से जीविका दी जाती है, इसकिए मुकदमे द्वारा समझौते (agreement) में भी परिवर्तन हो जाता है ।

कुटुम्बार्थस्य परसात्करणं भृत्यधिकारे तन्मधावश ।

कुटुम्ब के धनका दूसरे के अधिकार में देना और जीविका पर उसका प्रभाव ।

अधिकारवती याचा विधवाया अपीह तु ।

भृतये मृतमर्तुर्हि धने पृक्तेऽथवा निजे ॥३७५६॥

नो भारो न भृतिर्याच्छासनेनाथ संविदा ।

दत्तं धनं भवेद् येन मृतिपत्रेण तेन घा ॥३७५७॥

जिश्चित्यैव भरस्तस्या निक्षितः खलु तद्धने ।

रीतिरेपा विधानज्ञैनिश्चिता तत्कृते ध्रुयम् ॥३७५८॥

यहाँ पर विधवा की भी, जीविका के लिए, अधिकार युक्त प्रार्थना (३७५८) तत्कृत मरे हुए पति के समझौते का या निजी धन पर भार (charge) नहीं होनी, जबकि कि डिमीद्वारा, समझौते द्वारा या जिससे वह धन (पानेवाले को) दिया गया हो, उस इच्छापत्र द्वारा जीविका का निश्चय करके ही उसका भार निधयहन से उस धन पर नहीं टालदिया गया हो । कानून जानेवालों ने यह तरीका निश्चय ही उसके लिए तय किया है ।

भृतिप्रार्थनतः पूर्वं फीता तद्भर्तु संपदा ।

चेन्न्यायेन न सा शका क्रियिकात्तर्हि तदूग्रहे ॥३७५९॥

जीविका माँगने में पहले यदि उसके पति की संपत्ति न्याय से खरीद ली गई हो तो, वह (उसकी विधवा) खरीदनेवाले से उस (जीविका) को नहीं से सुझती ।

प्रार्थनान्तेऽप्यथ कीतां न्यायेनैव क्षमो जनः ।

क्रयिकाय प्रदातुं तत्प्रमीतपतिसंपदम् ॥३७५०॥

हस्तान्तरीकृतिः सा चेद् भूतेर्ज्ञयितुं द्वि ताम् ।

म छता र्यात्या तस्याः क्रयश्चापीह नो छतः ॥३७६१॥

क्रयिकेण तु विकेतुश्चात्या पूर्योक्तमाशयम् ।

अधिकारे भूतेस्तस्या अतो निर्णत्यपेक्षकः ॥३७६२॥

पुरुष (जो की जीविका संबन्धी) प्रार्थना के बाद सी उसके सूतपति की खरीदी हुई संपत्ति खरीदनेवाले जो न्यायातुरार (ही) दे सकता है; यदि (वरातेर्कि) वह दूसरे के हाथ में देना (transfer) उस (ही) को जीविका से विक्रिय रखने के लिए न किया गया हो तथा खरीदार ने वेतनेवाले के पहले कहे आशय वे जानकर वही पर उसे न खरीदा हो । इसीलिए उसका जीविका का अधिकार निर्णय की आवश्यकतानालो होता होता है ।

भूतेर्मट परं यत्र न्यस्तोऽर्थं निर्णयेन तु ।

पूर्वमेव तत्तथासौ विकीर्तो भूतिदायिना ॥३७६३॥

केता गृहाति तं तत्र भूतिमारेण संयुतम् ।

परं त्वृणविशुद्धपर्यं दत्तेऽर्थं न भूतेर्मटः ॥३७६४॥

परन्तु जहां पर निर्णय द्वारा जीविका का भार पहले ही संभवी पर ढाल दिया गया हो और उसके बाद जीविका देनेवाले ने उसे बेचा हो, वहां पर खरीदनेवाला उस (संपत्ति) को (उसकी) जीविका के भार के साथ (ही) लेता है । (अर्थात् - वही पर जीविका देने का भार भी उस पक्षा है) । परन्तु शृणु चुकाने के लिए दी संभति में जीविका का भार नहीं रहता ।

संपदस्तान्तरफरणासनेऽप्येतदेव द्वि ।

मतं पद्धर्शितं न्यायशास्त्रिभिर्भूतये पुनः ॥३७६५॥

फिर संभति को हस्तान्तरित करने के बानूल (The Transfer of Property Act 1882) में भी कानून के विवाहों ने जीविका के लिए वही मत दिलाया है ।

विवाहायाऽथ घोष्टत्यै भूतये पत्र वा धनम् ।

साधिकारं भवेद् प्राप्तमचलार्थस्य लाभतः ॥३७६६॥

तत्र तद्विक्रये नूनं केतारं पाति तद्वभरः ।

तेन देवानन्ता कीतं लक्ष्यं मूल्यमृतेऽप्य तत् ॥३७६७॥

भृतिः ।

जहाँ पर स्थिर संपत्ति के लाभ से विवाह के लिए, उन्नति (Advancement) के लिए या जीविका के लिए धन अधिकार पूर्वक लेने लायक हो, वहाँ उस (संपत्ति) के बेच दिये जाने पर वह भार खरीदार पर पड़ता है, यदि उसने (इस बात को) जानते हुए उसे खरीदा हो या मुफ्त में (gratuitous) पाया हो ।

शासनं भृतये प्राप्तं प्रतिपृक्तं तु तम्भृतौ ।

निर्याहातेऽपरक्षिप्तहस्तयातेन निश्चितम् ॥३७६८॥

पृक्तार्थीन् परं साऽऽदा तमेवोद्दिश्य चेद् भवेत् ।

पृक्तार्थीन् त्वसंवद्दा तदन्ते तर्हि निष्फला ॥३७६९॥

जीविका के लिए सामेदार के विषद् पाई डिग्री उसके मरने पर दूसरे सामेदारों के हाथों में गए सामेदे के धन से निश्चय ही पूरी (execute) करती जाती है । परन्तु यदि वह डिग्री उसी (सामेदार) के उद्देश्य से (Personal) ही है । परन्तु यदि वह उसी (सामेदार) के उद्देश्य से (Personal) ही है । और सामेदे के धन से संबन्ध नहीं रखती हो, तो उस (व्यक्ति) के (मरने के) बाद निष्फल हो जाती है ।

भृत्यर्द्वा भृतये राजशासनं प्राप्य तत्कृते ।

विकीयमाणां संपत्ति क्रीणाति स्वयमेव चेत् ॥३७७०॥

कालायागामिने नूनं न्यस्यन्त्यत्र भृतेभर्मम् ।

विकेतरि, तदा भारी विकेतैव तु तत्कृते ॥३७७१॥

जीविका पाने योग्य (ही) जीविका के लिए डिग्री प्राप्त कर उसी के लिए जो आगे आने वाले समय की जीविका का भार बेचों जा रही संपत्ति को, यदि आगे आने वाले समय की जीविका का भार निश्चित हय से बेचने वाले पर रखती हुई, स्वयं ही खरीदती है, तो उस (आगे आने वाले समय की जीविका को देने) के लिए बेचने वाला ही निम्नेदार होता है ।

विधवाद्वस्तगं पोपदेतुकं द्वि धनं पुनः ।

जानंस्वयघिरुति तस्याद्वेत्कीणाति जनस्तदा ॥३७७२॥

न शक्तः स तदर्थस्याऽधिरुती तावदत्र तु ।

यावत्तद्भृतये योग्यं प्रवन्धं न करोति द्वि ॥३७७३॥

फिर यदि पुण्य विषवा के हाथ में रहे, गुडारे के काम के धन को, उसके अधिकार को जानते हुए (भी), खरीदता है, तो वह उस धन के अधिकार में तब तक समर्थ नहीं होता, जब तक उस (विषवा) की जीविका के लिए उचित शब्दन नहीं करता ।

मदाराप्ते तु भृत्यर्थं विधवाद्वस्तगं धनम् ।

कौटुम्बिकं मदीतुं नो दायादोऽपि क्षमो मतः ॥३७७४॥

तायद्यावन्न कुर्यात्स प्रयन्थं तद्दृष्टेः पृते ।

तत्र तद्विकल्पेऽप्यस्या अधिकारो विचिन्त्यते ॥३७७५॥

बंदई में तो गुणारे के लिए विषया के हाथ में रहा कुटुम्ब का धन हकदार भी तब तक लेने में समर्थ नहीं माना गया है, जब तक वह उसकी जीविता के लिए प्रबन्ध न करदे । ऐसे स्थान पर वस्य (धन) के वेचने में भी इस (विषया) के अधिकार का विचार किया जाता है ।

भूतेरधिकृति परन्था रक्षनिजधने क्षमः ।

भर्तात्र मृतिपत्रेणान्यस्मै दातुं द्वि तत्पुनः ॥३७७६॥

परि भपते धन में अपनी स्त्री की जीविता के अधिकार की रक्षा करता हुआ उद्घासन से उस (धन) को दूसरे को दे सकता है ।

पत्या कृते तु पृकार्थत्यागे तस्याधवर क्षमा ।

प्रत्याल्यातुं न तं यस्मात्तस्याः पोथाधिकारिता ॥३७७७॥

मृते पत्न्यी मता सा च धने शक्ता तदातने ।

नियोकुं स्वभूतेर्भर्तं, नेशजीवनकालिके ॥३७७८॥

पति द्वारा सामें के धन के त्याग (alienation) करने पर उसकी विषया (स्त्री) उसमें इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जीविता का अधिकार पति के मरने पर माना गया है और वह उस समय (पति के मरने के बाद) के धन पर अपनी जीविता का भार आरोपित कर सकती है; स्वामी के जीवनकाल के पर नहीं ।

ऋणमार्यकृतं देयं प्राप्तभूतेस्तस्य तु लियाः ।

तोकानामवयःस्थानां विषयायाश्च तन्मृतौ ॥३७७९॥

हिन् पुरुष का विषय कर्ता, उसकी ज्ञानी की, उसकी वालड संतान की और उस (पति) के मरने पर उसकी विषया की जीविता से पहले देना चाहिए ।

भर्तुं पृक्तकुटुम्बस्य प्रवन्धाऽधिकृतो यदि ।

घंशुलाभाय कुरुते ऋणं तर्ह्यप्ययं विधिः ॥३७८०॥

यदि पति के सामें के उद्गम का प्रबन्धकर्ता कुटुम्ब के लाभ के लिए कर्ता करता है, तो भी यही रीति होती है ।

ऋणं पृक्तकुटुम्बीयव्ययसायपसमुद्धवम् ।

प्रदेयं पूर्यमधवायासपोप्रवन्धतः ॥३७८१॥

सामें के कुटुम्ब के व्यापार से उत्तम हुआ उन्हें विषया के रहने के और जीविता के प्रबन्ध से पहले देना चाहिए ।

स्त्रीयाः पृक्कुदुम्यस्य पृथ्युर्वा यत्र संपदः ।
तद्दण्डितानार्थं विकीर्णन्ते न तत्र सा ॥३७८२॥

समर्था प्रतिपेदं या अहीतुं तु ततो भूतिम् ।
फेतुर्धा येत ताः कीतास्तत्स्वाम्यं जानताऽपि हि ॥३७८३॥

जहाँ पर उस (विषवा) के सामै के कुदुम्ब की या पति की संतति उस (उपर्युक्त श्लोक में कहे) कर्जे के चुकाने के लिए बैची जाती है, वहाँ पर वह न तो उपका विरोध कर सकती है न उस (उस) से या (उस उनके) खरीदने वाले से, जिसने उसके अधिकार को जानते हुए भी उस (संपत्ति) को खरीदा था, जीविका ले सकती है ।

तथा वेच्छासनं किञ्चनु प्राप्तं तत्संपदः प्रति ।

भृतये तद्दिं तद्दृश्यञ्चणुद्यर्पितस्य तु ॥३७८४॥

शासनस्य कृते विक्रेतव्याः कीणाति यो हि ताः ।

तच्छासनान्ते तस्मात्सा पूर्वं भृत्यधिकारिणी ॥३७८५॥

परन्तु उस (विषवा) ने यदि उन संपत्तियों के विरुद्ध जीविका के लिए डिग्री प्राप्त करली हो, तो उसके बंग के कर्ज के चुकाने के लिए वी हुई डिग्री के लिए बैची जाती हुई उस (संपत्ति) को उस (विषवा) की डिग्री के बाद जो खरीदता है उस (पुरुष) से पहले वह जीविका की अधिकारिणी होती है । (अर्थात्-उस की जीविका का प्रयत्न करके ही वह खरीदार उस संपत्ति पर अधिकार कर सकता है ।)

कुदुम्यञ्चणुद्यर्पयं प्राप्तं पृक्कजनान्प्रति ।

शासनं तूतमर्णेनाघवया पोपयोग्यया ॥३७८६॥

संक्षिण्याऽवियान्यं चेत्तद्दिं नावश्यकं भवेत् ।

तस्या अप्यभियोगान्तःसमावेशः पृथक् पुनः ॥३७८७॥

कुदुम्ब का कर्जा चुकाने के लिए साकेशारों के विरुद्ध कर्जा देवेवाले के हारा प्राप्त की हुई डिग्री यदि सामै में रही जीविका पाने लायक विषवा हारा भी मान्य होती है, तो फिर उसका भी अत्तम से मुकुटमें शामिल करता आवश्यक नहीं होता ।

एतं यत्र तु प्रागेवाऽभियोगसमयेऽथवा ।

पृक्कार्यं प्रविमन्याऽस्याभागो भृत्यर्थमर्पितः ॥३७८८॥

तस्यै, तथाऽभियोगे स्यादनिवार्यो विधानतः ।

तस्या अपि समावेशो नान्यथा सोत्तरप्रदा ॥३७८९॥

परन्तु जहाँ पर पहले ही या मुकुटमें समय के बाद सामै के धन को लौटे कर उसका हिस्सा जीविका के लिए उस (विषवा) को दे दिया गया हो, वहाँ

पर मुक्तमे में कानून से उस (विष्वा) का शामिल करना भी आवश्यक होता है । अन्यथा (ऐसा नहीं करते पर) वह जिम्मेदार नहीं होती ।

भृतेर्वच्चयितुं स्वीयामधार्या न द्वमो जनः ।

इच्छापशोपदाराम्यां सर्वसंपत्रदत्तये ॥३७५॥

पुरुष अपनी विष्वा ही वो जीविका से विज्ञित करने के लिए इच्छापत्र (will) और व्यवहार (gift) के द्वारा सारी संपत्ति (दूसरे को) दे देने को समर्थ नहीं होता ।

चेहत्ता तेन तर्हात्र ग्रहीता तद्भृतेर्भरम् ।

साध्यं तयैव गृह्णाति, तत्रैश्वर्येच साऽप्यलम् ॥३७६॥

यदि उसने (संपत्ति) दे दी हो, तो वहाँ पर लेने वाला उस (संपत्ति) के साथ ही उस (विष्वा) की जीविका का भार (भी) होता है; और उम (संपत्ति) पर अधिकार करने (आगे इह के अधिकार का प्रयोग करने) में वह (विष्वा) भी समर्थ होती है ।

कृतेऽभियोगेऽधवया विशिष्टाचलसंपदः ।

प्रातुं भूतिं, परेण्योपाऽभियुक्तेन समर्पिता ॥३७७॥

द्वस्तान्तरे तत्कासं तद्यं शासनं तया ।

चेत्तद्विं संपदा साध्यं भृतेर्भारमपि ध्रुवम् ॥३७८॥

ग्रहीता यद्वे किन्तु यत्र द्वस्तान्तरीकृतिः ।

अर्थशुद्धयै न सा तत्र क्रमा तस्या भूतिग्रहे ॥३७९॥

यदि विष्वा द्वारा खात स्थावर संपत्ति से जीविका पाने के लिए मुक्तमा घलाये जाने पर दूसरे अभियुक्त ने इस (संपत्ति) को दूसरे के हाथ देती ही और उसके बाद उस (विष्वा) ने उस (उक्त संपत्ति से जीविका पाने) के लिए दियी पाई हो, तो निधन ही (उस) संपत्ति के साथ ही (उसी) जीविका का बोक्ता भी (संपत्ति) को लेने वाला बढ़ाता है । परन्तु जहाँ पर (उसका) दूसरे के हाथ दिया जाना कर्त्ता नुकाने के लिए ही, वहाँ पर यद उम (संपत्ति) से जीविका गहाँ से छक्कती ।

एव एव नयो यत्राऽभियुक्तैरपैः सह ।

अभियुक्ता लिवित्वाऽर्थाद् भूतिं प्रार्थयते हि सा ॥३७१॥

वहाँ दूसरे अभियुक्तों के साथ अभियुक्त हुई यद (विष्वा) लिवकर संसदि हो जीविका मांगती है, वहाँ पर भी वही नीति हाथ आती है ।

पूर्वोक्तस्तु नयो विच्छपरसात्करणस्य हि ।

विधानस्यैव भावेन विद्वद्दिः परिकल्पितः ॥३७२॥

विद्वानों ने पढ़ाये (अधीकार ३७६२ से ३७६५ में) कहा न्याय (तरीका) धन के दूसरे के अधिकार में करने के कानून (The Transfer of Property Act 1882, section 52) के आशय से ही बनाया है ।

संपत्ती तु भूतेर्भारमनिच्छुभ्यध्या पदि ।

प्रार्थयेत स्वभूत्यै तक्षैप तत्रोपयुज्यते ॥३७६७॥

यदि विधवा संपत्ति पर जीविका का भार नहीं चाहती हुई अपनी जीविका माँग, तो वह (तरीका) वक्ता काम में नहीं लिया जाता ।

कुदुम्यनिवासगृहस्य द्रस्तान्तरीकरणं निवासाऽधिकारे तत्प्रभाग्य ।

कुदुम्य के रहने के घर का दूसरे के अधिकार में देना और उसका रहने के अधिकार पर प्रभाव ।

एकाधिकारः स्युः पुरुषा यज्ञ पृक्कुदुम्यके ।

पितापुत्रीयसंबन्धेनान्येनाथ परस्परम् ॥३७६८॥

संवद्वास्तेषु कोऽव्येकस्त्यक्ष्या स्वामध्यां लियम् ।

प्रियेत तत्र सा शक्ता वस्तुं कोटुमिके गृहे ॥३७६९॥

पत्न्या सहौपिते पूर्वं तस्मिंशीघ्रति निवितम् ।

पृक्केन जीवता वाऽथ पृक्कैर्विकीयते हि तत् ॥३८००॥

विनाऽवश्यकतां यत्र तत्राप्य्यैश्यं न नश्यति ।

तस्याः कोताप्यशुक्तम् वहिष्पतुं गृहाद्विताम् ॥३८०१॥

तावद्यावद्य दीयेत योर्यं वासगृहं परम् ।

निवासायामध्यायै तु तस्मै नैवात्र संशयः ॥३८०२॥

जहां पर साक्षे के कुदुम्य में पिता और पुत्र के संबन्ध से या दूसरे संबन्ध से बंधे एक से अविकल्प पुरुष (male members) हों और उनमें कोई एक अपनी विधवा द्वी को छोड़कर मरजाय, वहां पर वह (विधवा द्वी) निध्य ही उन (पति) की जीवितावस्था में पति के साथ पढ़ाये वास किए हुए कुदुम्य के घर (family home) में रह सकती है । जहां विना आवश्यकता के ही जीते हुए सामेदार द्वारा या सामेदारों द्वारा वह (घर) बेवा जाता है, वहां भी उसका अधिकार नहीं नहीं होता; और खालीदार भी उसको घर से बाहर निकालने में तबतक समर्थ नहीं होता, जबतक उस विधवा के रहने के लिए दूसरा रहने का दिवित यह नहीं दिया जाता । इसमें संशय नहीं है ।

यर्दं यत्र तु विकेता जानपूर्णतयाऽपि यत् ।

साऽध्यवा तद् गृहे नूनं वसत्यथ च पोष्यते ॥३८०३॥

क्रीणाति तत्स तां तत्र निर्वातपितुमन्त्रमः ।
 तस्माद्यथपि तथ स्थात्कुदुम्ये त्यपरं घनम् ॥३८०४॥
 प्राप्नुयाज्ञीविकां यस्माद् परं हृदिष्टप्रस्तु चेत् ।
 यद्यावश्यकतायै स्थात्सा यद्विभिरते तदा ॥३८०५॥
 गहे चासाधिकारोऽपि तस्या नश्यत्यमंशयम् ।
 भर्तृणशुद्धये नन्दन यदि विक्रीयते हि तत् ॥३८०६॥

परन्तु जहौ पर स्त्रीलेवाला (यह) जानता हुआ भी कि वह विश्वा निष्ठय ही उस घर में रहती है और पोशण पानी है, उसके खारीदता है, वहां पर वह उमके उम (पर) से निचालने को समर्प्य नहीं होता, यथापि उस कुदुम्य में दूसरी संरक्षित (भाँजूद) हो, जिससे वह पोशण (भावि) प्राप्त कर सकती है । परन्तु यदि उम (पर) का बेशका कुदुम्य की आवश्यकता के लिए हो, तो वह (पर से) बाहर निकाल दी जाती है । यदि निश्चय हो यहां पर पति का कर्त्त्व तुक्कने के किए वह (घर) बेचा जाता है, तो उसका घर में रहने का अधिकार भी नहीं हो जाता है ।

पत्नी जीवति विक्रीतं गृहं कौटुम्बिकं यदि ।
 तदन्ते तस्य विध्वा प्रत्यास्यातुं तदाऽन्तमा ॥३८०७॥

अतो हि भ्यशुरेणाप्तं सुने जीवति सदृगुहे ।

विक्रीते तो तदन्तेऽलं तरस्त्री तत्पतिरेष्यने ॥३८०८॥

यदि पति के जीने जी कुदुम्य का घर बेच दिया गया हो, तो उस (पति) के बाद उसकी विश्वा इनकार नहीं कर सकती । इसलिए समुर के, यहां पर उन के जीने जी उस घर को बेचेंगे, पर उस (उन) के बाद उसकी छी उसका विशेष करने में समर्प्य नहीं होती ।

यस्मिन् पृक्कुदुम्ये स्युः पृक्ता पकाधिका नराः ।

संयदाश्य पितापुत्रसंयन्धेनाऽपरेण चा ॥३८०९॥

क्षियेन कोऽपि नेत्रेषु त्यक्त्याऽगृहा हि कल्यकाः ।

तदिं ता आयिपाहं हि शक्ताः कौटुम्बिके गृहे ॥३८१०॥

पित्रा सदौपिने बस्तुं नतके ता चाक्षमस्तु ताः ।

यदिष्टतुं, परं शक्तो वंशार्थं विश्वयोऽस्य चेत् ॥३८११॥

जिस सामग्रे के उन्मुख में रिता और पुर के अपका अन्य संदर्भ से बंधे एँड से अधिक पुराने हो और यदि उनमें से कोई छोटी लकड़ीयों को ढोढ़कर मरजाय, तो वे रिता के साथ हैं हाँ कुदुम्य के पर में विवाह पर्यन्त रह सकती है और उम (घर) का भूरीलेवाला उनमें बाहर निकालने में असमर्प्य होता है । परन्तु यदि

इस (घर) का बेचना कुटुम्ब के लिए (कुटुम्ब की आवश्यकता के लिए) ही, तो (निकालने में) समर्थ होता है ।

कुटुम्बे दम्पती पर भवेतां यत्र तत्र चेत् ।

पत्थौ जीवति संप्राप्य शासनं तं प्रति ध्रुवम् ॥३८१२॥

तन्मृत्यौ तस्य संपत्तिं प्रति वा प्राप्य शासनम् ।

विकीर्ते वासगृहं तद्भार्या तद्दिनं न ज्ञाना ॥३८१३॥

प्रतिपादयितुं लस्मिन्द्विजवासाधिकारिताम् ।

तथैव पत्था विकीर्ते विनावश्यकतां गृहे ॥३८१४॥

कीर्ते केव्याथ तद्भार्यायासं तत्राभिज्ञानता ।

असमर्था भवेद् भार्या तत्र वासकृते खलु ॥३८१५॥

जहाँ कुटुम्ब में पति और पत्नी ही हों, वहाँ यदि निधय ही पति का जीविता-धर्षण में उसके विद्वद् डिग्री प्राप्त करके अथवा उस (पति) के मरने पर उसकी संपत्ति के विद्वद् डिग्री प्राप्त करके रहने का घर बेचा जाता है, तो उसकी जीव उस (घर) में अपने रहने के अधिकार को प्रतिपादित (assert) नहीं कर सकती । उसी प्रकार पति द्वारा आवश्यकता के बिना (ही) पर के बेब दिये जाने पर और खराददार के उसकी पत्नी के निवास को (उस घर में) जानते हुए भी (उसे) खरीद लेने पर पत्नी वहाँ पर रहने के लिए निधय ही समर्थ नहीं होती ।

पूर्वोक्तासु स्थितिपृथग्राङ्मूढाः कन्या अपि ध्रुवम् ।

अज्ञमा रक्षितुं वासाधिकारं स्वं तु तदगृहे ॥३८१६॥

पहले कही स्थिति में बिन व्याही कन्यायें भी निधय ही उस घर में अपने रहने के अधिकार की दक्षा नहीं कर सकतीं ।

पृक्तिपृथकिगतार्थाभ्यामसंवदस्तु निश्चितम् ।

यतो भार्याभृतेभार्तः संवन्धाद् भर्तुरात्मगः ॥३८१७॥

तथैव पितृसंवन्धात्कन्यानां पितृगच्छ सः ।

ततो भज्ञाऽप्यथा पित्रा विकीर्ते स्वगृहेऽथया ॥३८१८॥

विकीर्ते तद्णेम्भुक्यै शासनं प्राप्य तदगृहे ।

भार्या कन्याश्च नो शक्ताः स्वं स्वाभ्यमभिरक्षितुम् ॥३८१९॥

पत्नोंकि निधय ही व्यक्तिगत और सामै के धन से सम्बन्ध नहीं रखने वाला पत्नी की जीविता का भार सम्बन्ध के कारण पति के व्यक्तिगत पर रहता है और सभी तरह पिता के सम्बन्ध के कारण कन्याओं का वह (भार) पिता पर रहता है, इसलिए पति वा पिता द्वारा अपने घर के बेचने पर या उस (पति वा पिता) के कर्त्ता की सहार्दि के लिए डिग्री प्राप्त कर उस पर के बेचेजाने पर पत्नी और

कन्याये आने अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती । (अर्थात्-वस मकान में नहीं रह सकती) ।

विधवाया मृते पत्नी मृते पितरि वा पुनः ।

कन्यानां तु भृतेर्भारः पृक्ते चंगे भतो धुषम् ॥३८२०॥

पृक्तानां जीवतां स्वाम्ये स्थिते पृक्ते धने यतः ।

सतो भार्याय कन्यास्तु तथाधिकृतये ज्ञामः ॥३८२१॥

ज्योकि इति के मरने पर (उसीधी) विपदा का या फिर जिन के मरने पर अन्याशों का जीविका का भार साक्षे के कुटुम्ब में निधय ही जीवित साक्षेवारों के अधिकार में रहे साक्षे के धन पर माना है, इसलिए वहां पत्नी और (छाँरी) कन्यायें अधिकार में समर्प होती हैं । (अर्थात्-जिना दूसरा प्रबन्ध किये कुटुम्ब के घर से बाहर नहीं की जा सकती ।)

इच्छापत्रेणाऽप्रभावितोभृतेरधिकारः ।

इच्छापत्र से अप्रभावित जीविका का अधिकार ।

आयो ज्ञातुं तु सर्वस्वमिच्छापत्रेण न ज्ञामः ।

न्यायादार्थां भृतेर्भारं येन मश्येदिह धुषम् ॥३८२२॥

आर्य (हिन्दू) इच्छापत्र के द्वारा सर्वस्व नहीं दे सकता, जिससे निधय ही वहां पर अन्याद से बोय पुरुषों की जीविका का बोया (लिम्बेदारी) नहीं ही आय । (अर्थात्-वह इच्छारों की जीविका नष्ट करके सर्वस्व नहीं दे सकता ।)

भृतेरधिकारस्य परसात्करणं आत्मसात्करणं च ।

जीविका के अधिकार का दूसरे को सौंपना या उस पर अधिकार करना ।

आगामिन्या भृतेर्भारं भायो नो अन्यसात्कृतौ ।

शुनत कथमपि प्राप्तं दहितं वाऽपि सर्वथा ॥३८२३॥

पत्नी आगामी कात्र की जीविका का, किसी तरह से भी प्राप्त हुआ या सब तरह ने (तित्ति, भार दूसरे को सौंपने में समर्प नहीं होती) ।

स्वदृव्यप्रदण्याद्र जनः प्राप्याऽपि शासनम् ।

आगामिनी भृति नैव स्वायत्तीकरणे ज्ञामः ॥३८२४॥

पुरुष जाता पत्र सेने के लिए यहां पर डिग्री प्राप्त करके भी आने वाले समय वही जीविका को आने अधीन नहीं कर सकता ।

अतीतपोपदेयायोपचितिथे तदा तु सः ।

तस्मासनाधिकारेण तां प्रदीनुं ज्ञामो भवेत् ॥३८२५॥

‘ चोते हुए (भूत) काल की देने लायक जीविका इच्छा (arrears में)
हो, तो वह, (उमीदार) उस विश्री के अधिकार से उपरोक्त ले सकता है ।

भूत्यर्थमभियोगः ।

जीविका के लिए मुकदमा ।

भूत्यहो विधवा कुर्यादभियोगं सतीह तु ।
प्रयोजने स्वपोषाधिकृतिघोषणाहेतवे ॥३८२६॥
अद्वत्तगतकालीनपोषद्रव्यासयेऽथवा ।
पत्यर्थस्थ विशिष्टेऽशो भारं चा पोषवासयोः ॥३८२७॥
निधातुं चा चयाणां हि कृतेऽपि न्यायतो ध्रुवम् ।
रीतिरेपा तदर्थे तु न्यायाधीशैः प्रकीर्तिता ॥३८२८॥

जीविका पाने वोख विषवा तो प्रयोजन होने पर अबनी जीविका के अधिकार
की पोषणा के लिए, भूतकाल के नदाँ द्विये जीविका के पन के पाने के लिए अथवा
पति के धन के साथ भाग पर जीविका और निवास (resilience) का भार
उठाने के लिए अथवा तीवो के ही लिए न्याय से निश्चय ही मुकदमा करे । न्याया-
धीशो ने उम (विषवा) के लिए यह रीति कही है ।

अद्वत्तभूतकालीनभूतिदापननिर्णयः ।

मतो न्यायालयाधीनो न्यायेशोऽतः त्तमो मर्येत् ॥३८२९॥
पर्याप्ते कारणे प्रत्यरव्यातुं तस्य कृते तथा ।
प्राग्निश्चित्तभूतेतत्र न्यूनं दापयितुं ध्रुवम् ॥३८३०॥

यह समय की नहीं ही हुई जीविका के दिलवाने का निर्णय न्यायालय के
अधीन माना गया है । इसलिए न्यायाधीश, पर्याप्त कारण होने पर, उस (चढ़ी हुई
जीविका के दिलवाने) के लिए इनकार करने को और पहले निश्चित ही हुई
जीविका से, यहाँ पर निश्चय ही, कम दिलवाने को समर्थ होता है ।

भूतिवृद्धिस्तु नियंत्रा पर्याप्ते कारणे सति ।

तत्कृते विद्वितान्नूनमभियोगदिनादिव ॥३८३१॥

पर्याप्त कारण होने पर जीविका की वृद्धि निश्चय ही, यहाँ पर लाठे लिए किए
मुकदमे के दिन से निश्चित करनी चाहिए ।

पकाधिकामिः शास्त्राभिर्युक्ते पृक्तकुटुम्बके ।

प्रियेत कोऽपि संतृक्तोऽभिगुरुताध्याऽस्य च ॥३८३२॥

भूत्यर्थं यत्र तत्र स्याद्देवेषं पोषाय शासनम् ।

सर्वान्युक्तान्समुद्दिष्य नैकां शास्त्रां प्रति ध्रुवम् ॥३८३३॥

यमाधितो भवेत्स्या भर्ता, यस्यां ग्रजेत्पुनः ।

पृकावशिष्टविधिना भागस्तस्य लुनिधितम् ॥३८३४॥

जहाँ पर एक से अधिक शाखाओं वाले सामें कुदम्ब में कोई सामेदार पर जाय और इसकी जीविका के लिए मुकदमा चलावे, वहाँ पर सब सामेदारों के प्रति जीविका के लिए डिग्गी देनी चाहिए, निश्चय ही एक शास्त्र के प्रति, जिसमें उस (विधवा) का पति रहा ही और फिर जिसमें सामेदारों में वीक्षा हो जावे, वहाँ देनी चाहिए ।

प्रत्याख्यातं भृतेः स्वाद्यं दिनाद्यसमात्ततः यत्तु ।

आ द्वादशाच्छ्रवणविधिभियोगाय तत्त्वते ॥३८३५॥

जिस दिन से जीविका के आधिकार (को मानने) से इनकार किया गया हो, निश्चय ही उस दिन से बारह बरस तक उसके लिए मुकदमा करने की अवधि है ।

असतीत्वकृते पत्या प्रत्याख्याता भृतियंदि ।

पत्न्यै तर्हपि तन्मृत्युदिवसात्तु चमा पुनः ॥३८३६॥

आ द्वादशाच्छ्रवणेऽभियुक्तयै तरकृते ध्रुवम् ।

असतीत्वं न पूर्वोक्तं भवेत्सञ्चिते यदि ॥३८३७॥

यदि पति ने बदलनी के बारह पक्षी के लिए जीविका (देते) से इनकार कर दिया हो, तो भी यह (जी) (पति) के मरने के दिन से बारह बरस तक निश्चय ही, यदि पहले कही बदलनी उस (जी) के चरित्र में न हो तो, उस (जीविका) के लिए वहाँ पर मुकदमा चलाने की फिर समर्थ होती है ।

अप्राप्तगतकालीनभृतियस्मिन्दिने भवेत् ।

प्राप्या तस्माद्विनादेय द्वादशाच्छ्रवणविधिर्मतः ॥३८३८॥

तस्याः श्लेषभियोगाय तत्पूर्वी सा न लभ्यते ।

न्यायेन निश्चितस्यात् श्लेषेस्तु चिनिर्गमात् ॥३८३९॥

नहीं पाई हुई ये समय की जीविका जिस दिन प्राप्य (मिलनी) हो, उस दिन से ही बारह बरस तक (जी) के लिए मुकदमे की अवधि मानी गई और उसके पहले की बह (जीविका) वहाँ पर कानून से निश्चित अवधि के निकालने से, नहीं मिलती है ।

अदत्तां भृतिमादातुं ग्रतिरोधं तु तत्त्वते ।

शम्याद्यं साधयेन्नूनं ध्यतीते समये कृतम् ॥३८४०॥

नहीं दी हुई जीविका को लेने के लिए निश्चय ही गठ काल में की उस (

भृतिः ।

वाले) की अन्यायपूर्ण रकावट (wrongfaiI withholding) को सिद्ध करे ।

प्रतिवर्षं यदा प्राप्या त्वयभूदेषा भृतिस्तदा ।

तदर्थं प्रार्थितो दाता नास्य सिद्धिस्त्वपेक्षिता ॥३८४॥

प्रत्येक वर्षं जब यह जीविका पाने लायक (Payable) हुई, तब उसके लिए देने वाले से प्रार्थना की, इसका सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता ।

अन्यायप्रतिरोधस्य सिद्धिर्थं न भवेदलम् ।

देयायास्तु भृतेनूनमदानं तत्तु केवलम् ॥३८५॥

शङ्कायाः कारणं दातुः शुद्धाश्रयकृते परम् ।

प्रत्याख्यातं भृते: स्वाम्यमपि चेत्तर्यालं द्वि तत् ॥३८६॥

अन्याय पूर्ण रकावट (Wrongful withholding) की सिद्धि के लिए अन्याय पूर्ण रकावट (Wrongful withholding) की सिद्धि के लिए देने लायक जीविका का निश्चय ही न देना पर्याप्त नहीं होता । वह तो केवल देने-दाते के शुद्ध आशय के लिए शङ्का का कारण (Prima facie proof) होता है । परन्तु यदि जीविका के अधिकार (को मानने) से इनकार कर दिया हो, तो वह (जीविका का न देना) पर्याप्त हो जाता है ।

द्वादशाब्देषु यातेषु पत्युर्मरणतो धुवम् ।

स्त्रियाऽभियोगो विहितः पोपाधिकृतये यदि ॥३८७॥

न्यायेशैस्तद्वि स ग्राहो यतस्तस्याऽवधिर्मतः ।

तस्याः पोपाधिकारस्य प्रत्याख्यानदिनादिद्वि ॥३८८॥

पुनः पोपाधिकारोऽत्र पोपार्हस्य प्रयोजनात् ।

आवश्यकत्वतश्चापि काले कालेऽभिजायते ॥३८९॥

यदि पति के मरने से निश्चय ही बारह वर्ष बीत जाने पर (उसी) छी ने जीविका के अधिकार के लिए सुकहमा किया हो, तो न्यायाबीशां को उसे प्रदण (संजूर) कर लेना चाहिए; व्योक्ति यही पर उस (सुकहमे) की अवधि उस (संजूर) की जीविका के अधिकार के इनकार करने के दिन से मानी गई है । फिर (छी) की जीविका के अधिकार के इनकार करने के दिन से मानी गई है । फिर यहां पर जीविका का अधिकार जीविका पाने योग्य के प्रयोजन (wants) और आवश्यकता (exigency) से भी समय-समय (time to time) पर पैदा होता है ।

यथासामयिकागामिपोपदानाय शासनम् ।

दत्तं तु व्यवहारेण कार्यं नूनं प्रयुज्यते ॥३८१॥

परन्त्यागामिपोपस्य केवलं स्वाम्यघोषकम् ।

शासनं त्वनयारीत्या नैव कार्यं प्रयुज्यते ॥३८२॥

आगे यथा समय जीविका को देते रहने के लिए दी डिग्री व्यवहार (execu-

अतोऽविभाज्यसंपत्तेरायकीतं धनं सदा ।

क्रेतुरेव, न तत्पृक्तकुदृश्यार्थयोजितम् ॥३८६०॥

स्वाजितं यस्त्वय षेयं तदङ्गीभूतमन्त तु ।

यतः पृक्तकुदृश्यार्थं पर्येता रीतिराहता ॥३८६१॥

इस (अविभाज्य) धन की प्राप्त हुई आमदनी निश्चय ही यही पर उस समय के अधिकारी ही ही पूर्ण अधिकार वाली संपत्ति होती है । यह (आमदनी का धन) अपने क्षमाये धन के समान या उम (अविभाज्य) धन से संबंध नहीं रखने वाले पुरुष द्वारा प्राप्त ही हुई संपत्ति के समान होता है । इसलिए नहीं शाट ने लायक धन वी आमदनी से खरीदा हुथा धन सदा छठीदने वाले का ही शाट ने लायक धन वी आमदनी से खरीदा हुथा धन सदा छठीदने वाले का ही शाट होता है । उधे यही पर सामेवाले कुदृश्य की संपत्ति में मिलाये अपने क्षमाये धन होता है । जैसे क्षमाये धन (उसी में मिल गया हुआ) नहीं जानना चाहिए; क्योंकि यह रीति सामेवाले कुदृश्य के धन में ही मानी गई है ।

आभाज्यपैतृकार्येणकीता तस्यायतस्त्वित्यद ।

संपत्तिरचला धाय ध्मुखं घृदृष्टे समर्पितम् ॥३८६२॥

परं प्रदानधकेनैतत्त्वाद्य भाटक्याद्विकम् ।

धनं पत्रेषु लिखितं मूलवित्ताङ्गरूपतः ॥३८६३॥

मृते स्यामिनि तस्यर्थमविभाज्यधनायतः ।

प्राप्तं चलाचलं वित्तं षेयं तद्यकिं धनम् ॥३८६४॥

यही पर नहीं बही जाने लायक पैतृक संपत्ति के मालिक ने उसकी आमदनी से स्थावर संपत्ति खरीदी हो या व्याप्र के लिए बड़े दिया हो, परन्तु प्रबन्ध कर्ता (Manager) ने यह किराये और व्याप्र से मिला धन व्याप्रों में मूल (अविभाज्य) धन के दिसे (उसमें मिले हुए) के हा में लिख लिया हो, तो उस नहीं खोटने लायक धन वी आमदनी से पाई जाए संपत्ति को स्वामी के मरने पर उसमा अक्षिगत धन जानना चाहिए ।

क्रीतायाय तदायेनाचलायाः संपदः चलु ।

संयोगोऽप्राऽविभाज्येऽये क्रेतुरिच्छावये स्थितः ॥३८६५॥

उस (अविभाज्य धन) को आमदनी से खरीदी स्थावर संपत्ति का, निश्चय ही यह पर, नहीं बही जाने लायक धन में जोड़ देना खरीदनेवाले की हस्ती के बरा में रहता है ।

परं चलार्थः संप्राप्तस्तदायेनाय प्राकृतः ।

तदायस्तु न कुशापि मूले संयोजयते धुष्ये ॥३८६६॥

अतोऽविभाज्यसंपत्तेः स्वामिनो जीघने तु यत् ।

भाटमन्त्र भवेत्प्राप्य न प्राप्तं किन्तु तत्त्वा ॥३८६७॥

मृते स्वामिनि तदायदरो गृहाति तद् ध्रुवम् ।

न स यस्त्वत्र गृहाति भावायोग्यां हि संपदम् ॥३५६॥

परनु विदानो द्वारा उस (अविभाज्य धन) की आमदनी से प्राप्त किया अद्वावर धन या स्वप्न उस (अविभाज्य धन) की आमदनी कही भी मूल धन में नहीं जोड़ी जाती । इसलिए नहीं बाँटने लायक संपत्ति के स्वामी के जीवनकाल में जो किराया यहां पर पाने लायक हुआ (चढ़ा) ही, परनु (उत्तरे) वह न पाया हो, तो (उस संपत्ति के) स्वामी के गर्वे पर उत्तरा हक्कदार निवाह ही उस (किराये आदि) को लेता है (और) जो यहां पर अविभाज्य संपत्ति को लेता है वह (उसे) नहीं लेता ।

पैतृकस्त्वधिभाज्योऽर्थः पृक्तो नो धेति निर्णये ।

चर्त्तमानाधिकारस्त्वाऽग्निश्च विवेचनम् ॥३५६॥

विधेयं, चर्त्तमानश्वाऽधिकारो द्विविधो भृतः ।

तदंशनस्य याज्ञायाः सहभुक्ते स्तथा पुनः ॥३५७॥

ब्राह्म-दादा का नहीं बाँटने लायक धन सामेश्वरा है या नहीं-इसके निर्णय में चर्त्तमान अधिकार का और आगे के अधिकार का विवेचन करना चाहिए । वर्तम न अविभार दो तरह का माना गया है:-

उस (अविभाज्य धन) के बटवारे की प्रार्थना का और किर साथ उपभोग (Joint enjoyment) का ।

अविभाज्यधने किन्तु नाधिकारोऽशनस्य वा ।

सहभुक्तेः प्रकृत्यैव ततः पृक्तं न तत्तथा ॥३५७॥

तेनैव चात्र संपृक्तस्तकालीनाऽधिष्ठेन हि ।

आ स्वादन्तं दीयमानं तदुपहारेण वायवा ॥३५८॥

इच्छापत्रेण नो शक्तो विरोद्धुं न पुनः त्वमः ।

प्राप्तुं भूर्ति धनात्समादागामित्यस्ये परम् ॥३५९॥

मृते स्वामिनि पूर्वेऽत्र संपृक्तेष्वयिष्टिः ।

प्राप्तोति तद्दनं सोऽपि दीत्या भायिष्यमाण्या ॥३६०॥

परनु नहीं बाँटने लायक धन में स्वभाव से ही (कुदरती तो फर ही) पाँटने का और साथ निवाह भोगने का अधिकार नहीं होता । इसलिए वह (धन) बैसा (अस्य दासे के धन के समान) सामेश्वरा नहीं होता । और इसीसे यहां पर सामेश्वर, उस समय के (अविभाज्य धन के) स्वामी द्वारा उपहार (रुप) से या इच्छापत्र से, अपने मरने तक के लिए, दिये जाते हुए उस (धन) का विधेय नहीं कर सकता और न उस धन से जीविका या सहता है । परनु आगे आने-

वाले समय में पहुंचे स्वामी के मरने पर, यहाँ पर सामेदारों में पीछे बच रहने से, आगे कही जाने वाली रीति से, उस (अविभाज्य) धन को पा लेता है ।

पृक्षावशिष्टः पृक्ते पु हावरोऽपि धनग्रहे ।

शको धनाधिकारस्य तस्य सात्करणेन तु ॥३८७५॥

सामेदारों में पीछे बचा सामेदारों में छोटा भी धन के अधिकार के उसके अधीन (transfer) कर देने से धन लेने में समर्थ हो जाता है ।

पैतृक्या अविभाज्यायाः संपत्तेरीश्वरः क्षमः ।

इच्छापत्रोपदाराभ्यां दातुं तां तु यथेवितम् ॥३८७६॥

नियन्त्रिता न चेच्छुक्तिर्यशाचारेण यापद्या ।

नियमेन तु संपत्तेराधिकारगतेन हि ॥३८७७॥

याप-दाता की अविभाज्य संपत्ति का स्वामी इच्छापत्र और उपहार के द्वारा उस (संपत्ति) की, यदि उल के रिवाज से वा संपत्ति-के अधिकार में ऐसे नियम (tenure) से शर्कूँ पर नियन्त्रण न हो तो, अपनी इच्छातुसार दे सकता है (alienate कर सकता है) ।

इच्छापत्रोपदाराभ्यां भाक्तेशैस्तु नापिता ।

चेत्तर्हपि कुलाचारस्तन्माश्रेण न सिद्ध्यति ॥३८७८॥

यदि पुराने रवानियों ने इच्छापत्र या उपहार से (उसे) जहाँ दी हो, तो भी इतने से ही कुन वा रिवाज सिद्ध नहीं होता ।

कुलाचारेण साऽदेया स्थाचेत्तदिं तु न क्षमः ।

प्रदातुमधिकारी तां न्याय्यायश्यकतामृते ॥३८७९॥

यदि उल के रिवाज से बद (संपत्ति) देने लायक न हो, तो अधिकारी उसे न्याय (Justice) अवश्यकता के बिना नहीं दे सकता ।

पृक्षानां वर्तमानो नाऽधिकारस्तत्र संमतः ।

आपास्येष स विहेयोऽविभाज्ये पैतृके धने ॥३८८०॥

यहाँ पर अविभाज्य पैतृक संपत्ति में सामेदारों का वर्तमान (Present का) अधिकार नहीं माना गया है । उस (अविभाज्य) को आगे होने वाला (future वा) ही जागना चाहिए ।

यिद्याय खुलाचारं ख्यामिसंबन्धमप्युत ।

कुदुम्यजोऽवरस्तस्माद् भूतिमादातुमक्षमः ॥३८८१॥

वैशा के रिवाज वो वा (उस संपत्ति के) स्वामी के साथ के संबन्ध को होइ कर कुदुम्य में वैशा द्वीय दुम्यी (Junior member) उस (उन) से जीविता नहीं हो सकता ।

श्रद्धेषु द्रविडे पुत्रोऽनौरसो व्यवरस्य तु ।

वंशस्य भृतिमादातुमविभाज्यधनात्ममः ॥३८८२॥

मदास में शहों में अुट्टम के छोटे अुट्टमी का दोगला (illegitimate)
उन अविभाज्य धन से जीविका ले सकता है ।

अविभाज्यं धनं पृक्कुटुमवार्थं इयाथवा ।

पैतृकार्थं इवस्याच्चेत्पुत्रास्तर्हि तदीशितुः ॥३८८३॥

आचारेणात्र भृत्यर्हास्तस्माद्वितात्सुनिधितम् ।

परं तदर्जिते तस्मिन्पुत्रा नैव भृतिक्षमाः ॥३८८४॥

यदि अविभाज्य (नहीं बैठने लायक) धन सामेवाले अुट्टम के धन
(Joint family property) की तरह ही या बाप-दादा के (ancestral)
धन भी तरह हो, तो उसके सामी के पुत्र वहां पर रिवाज से निश्चय ही उस धन
से जीविका पाने दोब्ब होते हैं । परन्तु उस (अविभाज्य धन) के उस (स्वामी)
के कामये हुए होने पर पुत्र जीविका नहीं ले सकते ।

न स्यांयी नियमस्तत्र येनार्थाधीशजात्परः ।

वंशः पौत्रोऽपिशकः स्यादिविक्त्या भृतिग्रहे ॥३८८५॥

यही कोई स्यामी नियम नहीं है, जिससे धन के स्वामी से उत्पन्न हुए (पुत्र)
के आगे का बंशज, पौत्र सी अधिकार से जीविका लेने में समर्थ हो सके ।

अविभाज्यधनस्यापाद् वंशाऽवरकुटुम्बिने ।

तस्य चौरसशाखीयपुंभ्यो दत्ता भृतिः पुनः ॥३८८६॥

प्रत्यापाति मृते त्वन्त्ये तच्छाखीये नरे ध्रुवम् ।

अर्थं तमेव यस्मात्सा प्रदर्शा स्वामिना पुरा ॥३८८७॥

अविभाज्य धन की आमदनी से बंश में उत्पन्न हुए छोटे अुट्टमी (Junior
member of the family) को और उसकी असली पुरुष शास्त्रा (his direct
male line) को दी जीविका उसकी शास्त्रा के अन्तिम पुरुष (last male heir
of the grantee) के गर्ने पर, जिस धन से (उसके) मालिक ने वह पूँजे
दी हो, उसी धन में छिर लीटकर आजाती है ।

अविभाज्यधनेश्यावरवंश्य भृतेर्घतम् ।

मुक्तमायकरेणात्र मतं न्यायविशारदैः ॥३८८८॥

अविभाज्य धन के स्वामी के छोटे बंशज (Junior member of the
family) की जीविका का धन न्याय के परिवर्तोंने आदकर (income-tax)
से मुक्त मात्रा है ।

अविभाज्यसंपत्यद्वाणां ब्रह्मः ।

नहीं बोटी जाने लायक संपत्ति के हकदारों का ब्रह्म ।

अभाउयसंपदः स्वाम्ये सामान्या नियामस्तु ये ।

ते संपूर्णतया न्यायशाखिभिन्निश्चिता भुवम् ॥३८८॥

अविभाज्य संपत्ति के अधिकार (succession) में जो सामान्य नियम हैं, वे न्याय के आनने वाली ने निश्चय ही पूर्ण तौर से निश्चित कर दिये हैं।

प्रथमस्तु यदेषाऽपि विभाज्यधनरीतिः ।

दायादं याति रक्षान्ती नूनं स्वामविभाज्यताम् ॥३८९॥

पहला (नियम) है कि यह (संपत्ति) भी बाटे जाने लायक धन वो रीति में (ही), निश्चय ही, अपनी अविभाज्यता को रखती हुई, दाय-धन लेनेवाले (heir) को मिलती है ।

द्वितीयस्तु यदाऽनेके समस्यार्थद्वारिणः ।

तदाऽविभाज्यतासत्तन्येनैकस्य निर्णयः ॥३९०॥

दूसरा (नियम) है कि जब बहुत से बराबर अधिकार बाले धन पाने वाले हों, तब अविभाज्यता से संबन्ध रखने वाले नियम से एक वा निर्णय बरना चाहिए ।

तृतीयस्तु विशिष्टस्याचारस्याऽनुपलिखितः ।

पूर्य यात्यग्रज्ञं संपदविभाज्या सुनिश्चितम् ॥३९१॥

अविभाज्यां विभाज्यां हि मत्या प्राक्संपदं ततः ।

प्रेणयोऽत्र प्रकर्तव्या दायाद्वाणां सुनिश्चिता ॥३९२॥

चिन्त्याऽस्याः प्रकृतिश्चाऽपि वृत्ताऽथाऽपृक्तरूपिणी ।

यिशिष्टनियमेनान्ते घर्यधी कोऽधिकारिषु ॥३९३॥

तीसरा (नियम) है कि यात्य रिकाज के न होने पर अविभाज्य संपत्ति, निश्चय ही, पहले बड़े को मिलती है । इसे अविभाज्य संपत्ति को विभाज्य (बोटी जाने लायक संपत्ति) मानकर उसके बाद, नियम ही, हकदारों की घेणियों (classes) द्वारा हेती चाहिए और इस (संपत्ति) की पृक (Joint) अधिकार विभक्त (separata) हपताली प्रकृति (matratre) का भी विचार बरना चाहिए । तथा अन्त में यात्य नियम (special rule) से बहुत से हकदारों में से एक वो चुन लेना चाहिए ।

आरसान् दि सुतांस्त्वक् या मृते स्वामिनि संपदः ।

ज्येष्ठत्वनियमेनाऽत्र ज्येष्ठपुत्रोऽधिकारव्यान् ॥३९४॥

अमनी बुत्रो वो धोइर संपत्ति के हासनी के मरते पर यहाँ पर यहै पन

(Primoogeniture) के नियम से वडा पुत्र अधिकारी होता है ।

ज्येष्ठः पुत्रः स विज्ञेयः प्रथमः स्वसुतेषु यः ।

ज्येष्ठाभार्यसुतत्वं नो तस्मायावश्यकं मतम् ॥३८६॥

ज्येष्ठ पुत्र उसे समझना चाहिए जो अपने पुत्रों में प्रथम हो । उस (पुत्र) के निए वही श्री का पुत्र होना आवश्यक नहीं माना गया है ।

जात्याचारो न वेद भार्यज्येष्ठत्वस्य नियामकः ।

कनिष्ठाजोऽपि पुत्रेषु ज्येष्ठत्वादधिकारवान् ॥३८७॥

यदि जाति का रिवाज पत्नी के बड़े होने का नियम नहीं करता ही, तो छोटी (पत्नी) से उत्पन्न हुआ भी, पुत्रों में वडा होने से, अधिकारी होता है ।

यावज्ज्येष्ठसुतोत्पत्ता शाखाऽर्थस्याऽधिकारिणी ।

तावद्यात्यन्तं संपत्तिस्तत्त्वाखीयान्यथाक्रमम् ॥३८८॥

अतो ज्येष्ठे मृते पुत्रे त्यक्त्वा निजसुतानिह ।

संपज्ज्येष्ठं सुतं याति भ्रातरं नो मृतस्य तु ॥३८९॥

जब तक ज्येष्ठ पुत्र से उत्पन्न हुई शाखा (line) संपत्ति की अधिकारिणी रहती है, तब तक यहाँ पर संभवि उसकी शाखावालों को कम से मिलती रहती है । इसलिए वहे पुत्र के यहाँ पर अपने पुत्रों को छोड़कर मरने पर संभवि (उनमें के) इष्टपुत्र को मिलती है; मरनेवाले के भाई को नहीं (मिलती) ।

संपत्ताविभाज्यायां दत्तकग्रहणस्य यः ।

प्रभावोऽपरश्याखासु स प्रागेव प्रदर्शितः ॥३९०॥

अविभाज्य मंपति में गोद का पुत्र लेने का जो प्रभाव (कुटूंब की) दूसरी शास्त्राओं पर पड़ता है, वह पहले ही दिखला दिया है । (ऐसों श्रीक ३१२२ से ३१४४ और ३१२७ से ३३३८) ।

गृहीते दत्तके पुत्र औरसो जायते यदि ।

अन्त्य पवाधिकारी स्यात्तस्यास्तर्हंत्रं संपदः ॥३९१॥

दत्तक (गोद का) पुत्र लेने पर यदि अपना अपनी पुत्र उत्पन्न हो जाय, तो यहाँ पर अनितम (अपनी पुत्र) ही उस (अविभाज्य) मंपति का अधिकारी होता है ।

अभाज्यसंपदः स्वामी शृद्रस्त्वत्रौरसं सुतम् ।

अनौरसं च संत्यज्य मिथ्यते चेत्तदा सुतः ॥३९२॥

अौरसस्त्वधिकारी स्याद्यतो वित्तांशने पितुः ।

स एव तस्य मुख्याऽशं प्रतिगृहाति निश्चितम् ॥३९३॥

यदि यहाँ पर अविभाज्य मंपति का स्वामी शृद्र अपने अपनी और दोगते

तो अधिकार ("succession") धन की दाय प्राप्ति (succession) के नियम से निश्चय ही अविभाज्य धन पर भी विभाज्य (धन) की तरह अधिकार कर सकती है। परन्तु दूसरे स्थान पर तो किसी तरह भी मर्दी कर सकती।

धनेशस्य मृतो ज्येष्ठः पुत्रस्तस्याऽपि भन्दनः ॥३६१॥

ज्येष्ठः स्वर्गं गतस्त्यक्ष्या भ्रातरं च सुतं निजम् ॥३६२॥

यत्र तत्र मृतेऽर्थस्य स्वामिनि द्रविणं यजेत् ।

ज्येष्ठशास्त्राभवत्याद्विप्रपीठं न तु पौत्रकम् ॥३६३॥

निकटस्थं कनिष्ठायां शास्त्रायां स्थितितो ध्रुवम् ।

पृक्ते पुत्रस्याऽभाज्यधनमार्गः प्रदर्शितः ॥३६४॥

पृक्ते पुत्रस्याऽभाज्यधनमार्गः प्रदर्शितः ॥३६५॥

जहाँ पर धन के मालिक का ज्येष्ठ पुत्र मर गया हो और उन (ज्येष्ठ पुत्र) का भी बड़ा लड़का अपने भाई और लड़के को छोड़कर सर्व चला गया हो; वहाँ स्वामी पृथक्कृतः सात्र मैताक्षरमतानुगा ॥ ३६६ ॥

संपत्तिरविभाज्याथ पैतृकी परमन्तिमः ।

स्वामी पृथक्कृतः सात्र मैताक्षरमतानुगा ॥ ३६७ ॥

यत्र तत्र ध्रुवं भाज्यद्वयदायात्प्रये कृताः ।

सामान्या नियमास्तस्याः प्रयुक्त्यन्ते विभाजने ॥ ३६८ ॥

जहाँ पर संपत्ति तो अविभाज्य और बाप-दादा की हो, परन्तु (उसका) अन्तिम स्वामी जुड़ा कर दिया गया हो और वह (संपत्ति) मिताक्षर के मताक्षर जाने चाहती हो, वहाँ पर निश्चय ही बांटने सायक धन के दाय-प्राप्ति (succession) के लिए बनाये 'साधारण नियम उपर (संपत्ति) के बांटने में काम में लाये जाते हैं।

अतस्तत्र धनेशोऽन्त्यो मृतोऽपुत्रो निजां हियम् ।

त्यक्ष्या वेत्तर्हि सा संपद् याति तद्रिघवां ध्रुवम् ॥ ३६९ ॥

कुटुम्बोचारतः सा नो घर्जिता तत्कृते यदि ।

अभावे विघवायास्तु याति सा तत्सुतां पुनः ॥ ३७० ॥

इसलिए यदि बांटा पर धन का विवाह पुत्रवाला अन्तिम स्वामी अपनी जी को छोड़कर मर जाता है, तो वह संपत्ति, निश्चय ही, यदि उपुम्ब के रिवाज से वह (मरने वाले की जी) उपरे लिए जाना न हो, ही उस (मरने वाले की) विषया को मिलती है और विषया के न होने पर उम्मी (मरने वाले की) लाली को मिलती है।

अभावे विधवायाश्च मुताया अपि सा वजेत् ।

आचारस्याऽविरोधे तु पूर्वजत्वव्यवस्थया ॥३४२६॥

और विधवा और कन्या के भी अभाव में वह (संपत्ति), रिवाज का विरोध न होने पर पहले जन्म (primogeniture) की व्यवस्था (rule) से जायगी ।

भवेयुस्तत्र यहवः समस्वाम्यकशासिनः ।

संघदा अन्तिमेनार्थस्यामिना चेतदा तु सा ॥३४२७॥

ज्येष्ठं यायादथानेकाः शाश्वाश्चेतत्र तर्हि सा ।

ज्येष्ठशाश्वागतं ज्येष्ठं गच्छेच्छाखोकरीतितः ॥३४२८॥

यदि वहाँ पर धन के अनितम स्वामी से संबन्ध रखनेवाले एक ही शाश्वा के बहुत से बराबर के हकदार हों, तो वह (संपत्ति) (उनमें के) नव से यहे को मिलती है और यदि वहाँ अनेक शाश्वायें हों, तो वह (संपत्ति), शाश्वा में कही रीति से ज्येष्ठ (senior) शाश्वा में के ज्येष्ठ (eldest) (पुरुष) को मिलती है ।

अभाव्यापृक्तिचेऽपि खियाः स्वाम्यं विवर्जितम् ।

आचारेणेति यो ग्रूपात् स एवैनं प्रमाणयेत् ॥३४२९॥

रिवाज से नहीं बैठने लायक जुरा धन में भी लौ का अविकार नहीं माना है—जो ऐसा कहे, वही उपा (रिवाज) को प्रमाणित करे ।

कुलाचारात् कुत्राऽपि पूर्वजत्वविधि पुनः ।

त्यक्त्वा घरण्टीत्यापि संपत्तिः प्राप्यते जनैः ॥३४३०॥

फिर कुल के रिवाज से कहीं पहले जन्म (primogeniture) की रीति को छोड़ कर बरण (चुनावेने) की रीति में भी पुरुष संपत्ति प्राप्त करते हैं ।

एपाऽविभाज्या संपत्तिदर्याधिकृतयेऽभवत् ।

असंपृक्तेति सिद्धार्थमवरेवां कुटुम्बिनाम् ॥३४३१॥

इहितेनाथ वचसा संकल्पोऽत्र प्रदर्शितः ।

तस्या दायाधिकारस्य त्यागार्थं साध्य ईरितः ॥३४३२॥

यह अविभाज्य (inaparible) संपत्ति दायाधिकार (succession) के लिए अतप (separato) ही गई—इस बात की सिद्धि के लिए होये (Junior) कुटुम्बवाली का इशारे से या बचत से, उस (संपत्ति) के अविकार के दायग के लिए, प्रकट मिथा इरादा सिद्ध करना कहा है ।

सामान्यापृक्तिमवेण न साऽपुर्कं मता यतः ।

स्वाम्यत्वागः कनिष्ठौ हिं घंश्यै स्वत्र त्वपेत्तिः ॥३४३३॥

आर्यविधानम्।

५६६

सामारण्य तौर पर जुदा होने से वह (संपत्ति) जुदा (separate) हुई नहीं मानी जाती; क्योंकि वहां पर छोटे (Junior) वशजों द्वारा अधिकार के लाग वो अपेक्षा (आवश्यकता) रहती है ।

यत्राविभाजयसंपत्तिर्मताक्षरमतानुगा ।

स्वार्जिता च वज्रेत्तत्र सा दायादं जनं पुनः ॥३६३४॥

अपृक्तदायविधिना चरमो यथपि ध्रुवम् ।

तस्याः स्वामी स्वमरणकाले पृक्तः कुदुम्यभिः ३६३५॥

फिर जहां पर अविभाज्य संपत्ति मिताक्षर के गत के अनुसार जानेवाले और आनी कराई हो, वहां पर यथपि उसका अनिस्त स्वामी मृत्यु के समय कुट्टम्बकालों के साथ (undivided) ही हो, तथापि वह निश्चय ही जुदा घन की दाय (succession to seperate property) यी शीति से इकार पुष्ट दो शीति है ।

स्वार्जितायास्त्वभाज्यायां भूसंपत्तेरतोऽधिगः ।

वेन्मृतो विधवां भायां त्यक्त्वा भ्रातुसुतांस्तथा ॥३६३६॥

संपृक्तांस्तद्दिं तस्यैव भायां स्यादधिकारिणी ।

नो चातृद्या, ध्रुवं संपत्ताद्धतुः स्वार्जिता यतः ॥३६३७॥

इसकिए यदि अपनी प्राप्त की हुई अभाज्य जमीन्दारी का स्वामी विधवा फनी और साथ रहे भनीजों को छोड़कर भर गया हो, तो निश्चय ही उसकी पती ही अधिकार पायगी 'भतीजे नहीं', क्योंकि नंगपति उसके पति की आनी कराई थी ।

मिताक्षरानुगेनाथाऽविभाज्ये पैतृके धने ।

निस्तारणाय विहितपितृलेखेन निश्चितम् ॥३६३८॥

स्वार्थं प्राप्तं निजज्येष्ठे जीवति चातरीह तु ।

स्याच द्रविडीयस्याऽभाज्यसंपत्तिदेतवे ॥३६३९॥

छतस्य तु विधानस्य प्रयोगात्प्राग् द्वि तद्धनम् ।

निजार्जितार्थस्येषु गृहीतं चेत्तदा ध्रुवम् ॥३६४०॥

तमृतौ तस्य भार्येव दायाद्वां तद्भने भवेत् ।

पूर्वं विमातुजातात्तु चातुर्निश्चितरीतिः ॥३६४१॥

मिताक्षर वो मानेवाले ने यदि निपटारे के लिए किये गिता के लेन से अविभाज्य पैतृक (ancestral) धन में, निश्चय ही यहां पर, वहे भाई की जागिल अवस्था, में स्वार्थ (interest) प्राप्त कर लिया हे और मद्रास के अविभाज्य मंगल के लिए, धनाये कानून (The Madras Impartialable Estates Act)

के अधोग (Coming into force) के पहले ही उस धन को अपने कामाये हुए (self acquired) के रूप में ले लिया हो, तो निधय ही उसके मरने पर उसकी छी ही, निश्चित की हुई रीति से, खींतें भाई से पहले उस धन पर अधिकारिणी होगी ।

दायभागानुगेष्वत्र दायादोऽन्त्याधिकांरिणः ।

नेदिष्टायास्तु शाखाया ज्येष्ठो वंश्यो न चापरः ॥३६४२॥

यद्यों पर दायभाग को मानवेकातों में (धन के) अनितम अधिकारी का दफ्कार सब से निकट की शाखा का सब से बड़ा कुदम्बी ही होता है, दूसरा नहीं ।

२५ यृद्धि-दण्डपातीया नियमः ।

ब्याज के दण्डपात के नियम ।

दण्डपात इति ख्याता शाखार्यर्णविधानगा ।

यया मूलाधिकावृद्धिनैकवारे प्रगृह्यते ॥३६४३॥

आर्यों (हिन्दुओं) के कङ्गे के कानून में दण्डपात इस नाम से प्रकिप्त (१५) शाखा है, जिससे एकवार में मूल (धन) से अधिक ब्याज नहीं लिया जा सकता ।

परं मूलाधिकां वृद्धि समादातुं ज्ञामो जनः ।

भिज्ञ-भिन्नेषु कालेषु वृद्धयं शान्प्राप्य निश्चितप् ॥३६४४॥

परन्तु पुरुष भिज्ञ-भिन्न समयों में ब्याज के हिस्सों द्वारा प्राप्त कर मूल-धन से अधिक ब्याज ले सकता है ।

अर्णप्रतिग्रहे नास्ति कालसीमा तु हिन्दुपु ।

अर्णेष्वत्ताष्टते दण्डपातस्त्वावश्यको द्वातः ॥३६४५॥

हिन्दुओं में कर्त्ता वापस लेने में समय की सीमा (rule of limitation) नहीं है; इसलिए कर्त्ता की रकम की ताशाद को निश्चित करने के लिए दण्डपात (का नियम) आवश्यक होता है ।

यज्ञर्ण प्रतिदेयं स्पादंशेष्वध सच्चुद्धिकाः ।

दत्ताः कतिपये तेषामभियोगस्ततः द्वातः ॥३६४६॥

तद॑र्थं दृत्तमर्णेन तत्र नो शेषमूलतः ।

अधिका दीयते वृद्धिर्यतः शेषर्णजा हि सा ॥३६४७॥

जहाँ पर कर्त्ता किसी में पांछा देना ही और उनमें की कई किसें ब्याज सहित वापस देवी हों तथा वधके बाद वस (कर्त्ते) के लिए कई देनेकाले ने

आर्यविधानम्।

५६८
सुकृद्मा किया हो, वहां पर वासी रहे मूल धन से अधिक व्याज नहीं दिया जाता; तर्थाकि वह व्याज वासी रहे कर्ज़ का ही होता है।

विभागशस्तु नो यत्र प्राणं देयं भवेत्परम्।

सबृद्धिकप्राणेणाः प्राप्तस्तस्त्राऽप्यथं विधिः ॥३४४॥

जहां पर दिशों से तो कहाँ नहीं चुकाना हो, परन्तु मय व्याज के कर्ज़ का (उच्च) अंश पढ़ते हो दिया हो, वहां भी यही रीति है।

मिथः संमयतो यत्र नव्यसेपेन योजिता ।

मूलेऽप्यशिष्टा वृद्धिस्तु मूलं कृत्स्नं हि तत्र तत् ॥३४५॥

जहां पर आपस के समझौते से नवीन लेख द्वारा बाची रहा (चढ़ा हुआ) व्याज मूल धन ने जोड़ दिया गया हो, वहां पर वह सारा मूल धन होता है।

प्राणप्रदानकाले चेदात्राऽऽदात्रा कृतो मिथः ।

समयो यददत्ता तु वृद्धिर्मूलत्वमेष्यति ॥३४६॥

तद्वृद्धिश्चाप्यथो देया भविष्यति ततः परम् ।

तदाऽभियोगे प्राप्तं मूलं वृद्धेभिंश्यामकम् ॥३४७॥

यदि कर्ज़ देने के समय देनेवाले और लेनेवाले ने आपस में समझौता कर लिया हो कि नहीं दिया हुआ व्याज मूल धन ही जायगा और उसके बाद उसका व्याज भी देना होगा, तो सुख्दमे के ममय पहले दिया मूल धन ही व्याज का नियम करने वाला होता है (अर्थात्-उतना ही व्याज देना होता है) ।

अभियोगविधानान्तं दण्डपातः प्रयुज्यते ।

ततश्च शासनान्तं वा योधनान्तमुष्णस्य या ॥३४८॥

क्षमा न्यायाधिया वृद्धि निर्णेतुं हि यथोचिताम् ।

निर्देष्विद्वितेऽप्यत्राभियोगे स्याद्यथं विधिः ॥३४९॥

सुख्दमा चलाने तक दण्डपात (कानून) को प्रयोग किया जाता है। उसके बाद डिग्री तक अपना कर्ज़ के चुकाने तक न्यायाधीश यथोचित व्याज का विर्णव कर सकते हैं (अर्थात्-सुख्दमा चला देने के बाद दण्डपात लागू नहीं होता)। गिरवी रखने वाले (अपमर्जु) के, यहां पर, सुख्दमा चलाने पर भी यही रीति है।

दण्डपातविधिर्मान्यो धंडैमरण्डलेऽविलो ।

कलिकातानगयी च तथा संधालमण्डले ॥३५०॥

सन्धालेपुं परं रौप्यञ्चाणायैव प्रयुज्यते ।

एष, नान्यथ कुत्रापि प्रचारोऽस्य मतोकुर्यैः ॥३५१॥

दण्डपात विधि मारे ही बम्बई अदाते (Presidency) में, कलकत्ता नान-

में और संधाल परगने में मानी जाती है । परन्तु संधालों में यह केवल, सभी के फँटों के लिए ही प्रयोग की जाती है; और कहीं भी विद्वानों ने इसका प्रचार नहीं माना है ।

विष्णुमुख्यनयागाराधिष्ठेष प्रयुज्यते ।

उत्तमर्णाधमण्णौ चेदाद्यावार्यमतानुगौ ॥३४५६॥

बंगाल हाई कोर्ट के जजों द्वारा इस (दण्डपात) का प्रयोग यदि सब से पूर्व के (original) कर्त्ता देनेवाला और लेनेवाला हिन्दू हो तो किया जाता है ।

महाराष्ट्रीयप्रमुखन्यायौक्तैः प्रयुज्यते ।

आद्येऽधर्मण्ण आर्येऽन् दण्डपातः सुनिश्चितम् ॥३४५७॥

अत आद्याधमण्णैन म्लेच्छेन त्यार्यसाकृते ।

ऋणेऽपि दण्डपातस्योपयोगो नैव संमतः ॥३४५८॥

यद्यै हाइकोर्ट के जज यहाँ पर पहले (original) कर्त्तदार के हिन्दू होने पर निश्चय ही दण्डपात का प्रयोग करते हैं । इसलिए पहले कर्त्ता लेनेवाले मुसलमान द्वारा कर्त्ता को हिन्दू को दे देने पर भी दण्डपात का उपयोग नहीं माना गया है ।

आर्यानार्यार्थिभौ यत्राधमर्णावार्य एव हि ।

तत्रानेन विधानेन लाभभाग् नापरः परम् ॥३४५९॥

थनार्यः स्वप्रदत्ताया वृद्धेराधिक्यदेतवे ।

युक आर्यात्समादातुं तदंशं तु सुनिश्चितम् ॥३४६०॥

जहाँ हिन्दू और अहिन्दू-दोनों कर्त्तदार हों, वहाँ हिन्दू ही इस (दण्डपात के) चालून से लाभ प्राप्त करता है दूसरा (अहिन्दू) नहीं । पहले अहिन्दू अस्ते दिये व्याज की अधिकता के लिए हिन्दू से उस (के लिये) का भाग निश्चय हीले सकता है ।

आर्यात्स्रुण्याद्वये मूलेनाधिकतां गते ।

म्लेच्छायत्तीहतं ततु शृणु चेत्तहिं निश्चितम् ॥३४६१॥

यायदार्याधमण्णैन सम्बद्धं समसृज्य तत् ।

तायत्कालहते दण्डपातस्तत्रोपयुज्यते ॥३४६२॥

हिन्दू द्वारा लिये कर्त्ता के व्याज के मूल से अधिक हो जाने पर यदि उस कर्त्ता को मुसलमान के नाम कर दिया गया हो, तो निश्चय ही जब तक हिन्दू कर्त्तदारों से यह (कर्त्ता) संबद्ध रहा था, तब तक के समय के लिए (ही) वहाँ पर दण्डपात का उपयोग किया जाता है ।

अत्रक्षित ऋणे यद्यत्तदेव प्रयुज्यते ।

चलाचलार्थनित्ते परक्षितेऽन्न ऋणेऽप्यसौ ॥३४६३॥

जिस प्रकार (गिरवी आदि से) अरचित (unsecured) अरण में उसी प्रधार वही पर चल और अचल संपत्ति के गिरवी रखने से रक्षित (secured) अरण में भी यह (दण्डनाल) काम में लाया जाता है ।

निक्षेपमधिकृत्यैव दात्राऽथाऽन्न समर्पितम् ।

अरणं तु द्विविधं प्रोक्तं रीत्याऽग्रे वद्यमाणया ॥३६६॥

गिरवी रखी रखने पर अधिकार करके ही देनेवाले ने यहाँ पर दिया कर्ता आगे कहोगनेवाली रीति से दो प्रकार का कहा गया है ।

प्रथमं यथा रै-दातु-प्रदीपूर्भां पुरुयं तु ।

आधेविनिवित्तं द्रव्यं वार्षिकं भाटलाभयोः ॥३६७॥

निर्णीतश्च यथाकालसुत्तमण्णेन तद्वप्दः ।

स्थाने संपूर्णवृद्धेर्वा तद्भागस्य एतेऽथया ॥३६८॥

निक्षिप्तस्तु संप्राप्यमनपेद्यैव यास्तयम् ।

भाटकं, चापरं यथा समयस्तु न तादृशः ॥३६९॥

पहला-जहा पर भन देनेवाले श्री लेनेवाले ने पहले ही, गिरवी रखी रखने की निलेनेवाले यास्तविक कियाये (या लाम) का विचार न करके, गिरवी की वस्तु के किराये और लाम का वार्षिक भन निवित्त कर दिया हो और यथा-समय वर्द्ध देनेवाले का उच्चार्य (रक्ष्य के) सारे व्याज की एकत्र में या वस्त (व्याज) के रिस्ते वी एकत्र में लेते रहना देख कर दिया हो । दूसरा-जहा ऐसा (कोई) हमर्मीता न ही ।

प्रथमे न समीद्यौ स्तो भाटलाभौ तु यस्तुनः ।

आधितस्य परं देये मूलवृद्धी यथोचिते ॥३६८॥

साधारणश्रुणेनैव सममेतद्यं यतः ।

दण्डपातनपस्तस्तमाद्वाऽपि ह्युपयुज्यने ॥३६९॥

पहले (प्रधार) में गिरवी रखी रखने के किराये और लाम का दिलाव नहीं होता । परन्तु दधोचित (हिताव से निकलने वाला) मूल (वर्द्धी) और उसका व्याज (ही) होता है । क्योंकि यह श्रुण साधारण वर्द्ध के समान ही होता है, इसलिए दण्डपातन की नीति यहाँ भी उपयोग में सी जाती है ।

समीद्यौ भाटताभौ हि निक्षेपस्याऽपत्रं तु ।

संप्राप्तायुत्तमण्णेन तत्समाधाश्चते च सः ॥३७०॥

भाटमागतं एवेष दण्डपातनपस्तु नो ।

प्रयुज्यनेऽप्य वार्द्धप्रतिवन्धाय निधिनम् ॥३७१॥

दूसरे में ली गिरवी रखी रखने के वर्ज देनेवाले द्वारा श्राप किये गिराये (sent)

और नाम (profit) का हिसाब होता है और उस हिसाब के समावान के लिए वह जिम्मेदार होता है; इसलिए यह दण्डपात का कानून यहाँ (ऐसे स्थाने) पर व्याप की रुकावट के लिए निश्चय ही प्रयोग में नहीं लिया जाता ।

नवव्यक्तैक्यर्थं यदर्थस्य परसात्कृतेः ।

विधानं स्वीकृतं तस्मादृच्छं न्यासीकृतेषु नो ॥३६७३॥

दण्डपातः प्रयोज्यः स्यद् द्राविडीयं मतं त्विदम् ।

नादतं तन्महाराष्ट्रे कालिकातापुरेष्य च ॥३६७३॥

विक्रम संवत् १६३६ (ई. स. १८८३) में जो धन के दूसरे के अधिकार में करने का कानून (The Transfer of Property Act) स्वीकार किया गया था उसके बाद के शिरकी किये दुश्मों में दण्डपात का प्रयोग नहीं होता यह मद्रास मालियों का मत है । यह (मत) वर्षद्वारा और कलकत्ते में नहीं माना जाता ।

द्रविडे दण्डपातस्तु कापि मान्यो न यद्यपि ।

तथापि खलु तत्रस्य मुख्यन्यायालयाऽधिपेः ॥३६७४॥

निधितं यत्स मान्योऽपि मद्रास नगरे यदि ।

स्याच्छर्षपि न पूर्योऽविधानान्ते प्रभावयान् ॥३६७५॥

यद्यपि मद्रास में दण्डपात कहीं भी नहीं माना जाता, तथापि निधय ही यहीं की हाइकोर्ट के जजों ने तथ किया है कि यदि यह मद्रास नगर में मान्य होता, तो भी पहले बड़े कानून (The Transfer of Property Act 1882 A. D.) के (स्वीकार करने के) बाद प्रभावयाता न होता ।

२६ अनामको व्यवहारः ।

दूसरे के नाम पर का लेन-देन ।

स्वार्थेन यत्र संपत्ति कीणाति पुरुषः परम् ।

नाम्नाऽपरस्य वा स्वस्य नाम्ना कीत्वा हनन्तरम् ॥३६७६॥

नाम्नि संक्रमयेदन्यजनस्य तु विनैय हि ।

तप्ताभस्य विचारेण स विद्वेष्ट्यनामयः ॥३६७६॥

व्यवहारस्तथा यस्य नाम्नि संक्रमितार्थं सा ।

अनामकीति विल्यतो जनः स विवृद्धैर्मर्तः ॥३६७६॥

जहाँ पर पुरुष अपने धन द्वारा, सन्तु दूसरे के नाम से, संपत्ति लाभिता है या अपने नाम खरीद कर बाद में दूसरे पुरुष के नाम से, विना वस (पुरुष) के साम के विचार के ही, यदत देता है वसे देनामी व्यवहार (Transaction) जानला चाहिए और जिसके नाम में वह (संपत्ति) बदली जाती है विद्वानों ने

उसे बैनामीदार इस नामवाला माना है ।

अप्रयुज्य निर्ज नाम व्यवहारो यतः एतः ।

अनामक इति स्यातो व्यवहारस्ततस्तु सः ॥३६७४॥

क्योंकि अपने नाम का प्रयोग न करके व्यवहार किया होने से यह अनामक (बैनामी) इस नामवाला व्यवहार (transaction) प्रसिद्ध हुआ ।

व्यवहारस्त्वसौ नूनं नामसीमाग्रप्रत्ययात् ।

चुलार्थं गोपानार्थं चा स्वसंपत्तेविधीयते ॥३६८०॥

यह व्यवहार निधय ही नाम के आवान द्वाने के विधास (superstition) से, धोते के लिए या अपनी संपत्ति को दिखाने के लिए किया जाता है ।

पहुं चापि समादातुं परताम्नि शमो जनः ।

संपत्तेनिजनाक्षाय गृहीतामपि चा शुनः ॥३६८१॥

नित्येष्टुं परतास्त्रीह समर्थः स तथैव हि ।

आधीकर्तुं मृणादामसृते नाम्नि परस्य चा ॥३६८२॥

पुरुष संपत्ति को पहा (lease) भी दूसरे के नाम से बदला है अबना अपने नाम पर ली हुई छो भी यही पर दूसरे के नाम पर कर देने की समर्थ होता है । उसी प्रकार (संपत्ति का) विना कर्ता लिए दूसरे के नाम पर गिरवी (भी) कर सकता है ।

सहदश श्रुते पुंसा व्यवहारे त्यनामके ।

फलभूग् वास्तवः कर्ता तैव कुश्राप्यनामकी ॥३६८३॥

यही पर पुरुष द्वारा एकावार बैनामी व्यवहार (transaction) कर दिये जाने पर उसका असत्ति करने वाला ही कायदा उठाता है बैनामीदार ही पर भी कायदा नहीं बढ़ाता ।

उन्नत्यै घोपहाराय व्यवहारस्त्वनामकः ।

एतरतस्यैव कर्ता चेदिति ग्रूयादनामकी ॥३६८४॥

आर्येषु तद्विं मिथ्यैतदिति कर्तव साधयेत् ।

केवलं कर्यनेव न स तत्र धनेभ्यरः ॥३६८५॥

करनेवाले ने यह बैनामी व्यवहार (transaction) उन्नति के लिए या उच्छार (कृपा) के लिए किया है, यदि हिन्दुओं में बैनामीदार ऐसा करे, तो वह भूत है ऐसा उच्छका करनेवाला ही सिद्ध करे । केरत (दृप्युक्त चात के) कर देने मात्र से यह पन का मालिक नहीं हो सकता ।

कीर्ता स्पायरय वित्तेन संपत्तिः स तद्वीभ्यरः ।

निष्पमस्त्वेष विहेषो व्यवहारे हनामके ॥३६८६॥

जिसके धन से संपत्ति खरीदी गई हो, वही उसका मालिक होता है । बेनामी व्यवहार में यह नियम जानना चाहिए ।

क्रेत्रोपभुक्तो लाभोऽस्या भुक्तोऽनामकिनाथ्या ।

इति ज्ञात्वैव निर्णयाऽनामकार्याऽधिकारिता ॥३६७॥

निर्णयेऽत्र विचार्यश्च संवन्धः क्रेत्रधारिणोः ।

उभयोश्च स्थितिः कार्यप्रेरकश्चाशयस्तथा ॥३६८॥

खरीदनेवाले ने इसके लाभ का उपभोग किया है या बेनामीदार ने उपभोग किया है—यह जानकर ही बेनामी व्यवहार के स्वामित्व का निर्णय करना चाहिए । और यहाँ पर इसके निर्णय में खरीदने वाले और रखने वाले (बेनामीदार) का सम्बन्ध, दोनों की स्थिति (position) और कार्य की प्रेरणा करनेवाला आशय (motivo) का विचार करना चाहिए ।

सार्वग्रहसमानं तु भुक्त आयोऽय संपदः ।

स्थिताया निजनाम्न्यत्र क्रेत्रादेवं विनैव हि ॥३६९॥

क्रेत्रुश्चाय कृताऽनर्था सेवाऽनामकिना मया ।

यत्रेति साध्यते तत्र सोपदारस्तु तत्कृते ॥३७०॥

यहाँ पर अपने नाम पर रही संपत्ति भी आमदानी का, खरीदार के ऐतरान के बिना ही, साडे नौ वर्ष तक उपभोग किया और मुक्त बेनामीदार ने (संपत्ति के) खरीदार की अमूल्य (valuable) सेवा की—जहाँ पर यह सिद्ध कर दिया जाता है, वहाँ पर वह (संपत्ति) उस (बेनामीदार) के लिए उपदार हो जाती है (मान ली जाती है) ।

घनांगारे तु पत्या चेत्संपत्तिनिहिता निजा ।

पतिपत्न्योर्द्धि संयुक्तनाम्ना कृत्वाय निर्णयम् ॥३७१॥

यत्तयोः कफ्तमोऽप्यत्र तमादातुं क्षमोऽथवा ।

सा तयोरुच्यश्चिट्याय देव्यैकस्य मृतो तदा ॥३७२॥

पत्न्यन्ते नैव सा ज्ञेया पत्न्यायुपहता, तथा ।

आयेष्वसंसंतं दानं पत्न्युत्त्वै तु निश्चितम् ॥३७३॥

यदि पति ने अपनी संपत्ति पति और पत्नी के संयुक्त नाम से, यह निर्णय करके, कि उन दोनों में से एक के मरने पर पीड़िय बचे हुए को दे देनी होगी, वंक में रख दी हो, तो पति के बाद उसे पत्नी को उपदार में दी नहीं जाननी चाहिए । तथा हिन्दुओं में पत्नी की उत्तंति के लिए (धन) देना संमत नहीं होता है ।

यदाऽनामकिना स्वास्थमनामकधनस्य हि ।

दर्शितं सोऽनियुक्तश्च क्रेत्रा तस्य कृते तदा ॥३७४॥

क्रोतैवानामकं स्वीयं व्यवहारं तु साधयेत् ।

तत्र किन्तु प्रमाणानां शैथिल्ये न्यायरक्षकः ॥३६४॥

परिस्थित्यांथ दश्यां त्यभियोपत्रभिषुकयोः ।

मिथः सम्बन्धतथापाशयेन प्रेरकेण तु ॥३६५॥

तत्कर्मणस्तयोरन्त्यव्यवहारेण च भूयम् ।

निर्णयेत्संपदः स्याम्यं वादप्रस्तं यथोचितम् ॥३६६॥

जब बेनामीदार ने बेनामी धन का स्वामी होना प्रकट किया हो और इसके लिए (उस धन के) खरीदार ने उस पर मुकदमा चलाया हो, तब सरीदार ही अपने बेनामी व्यवहार (बेनामीदार के नाम से भव खरीद ने) की अच्छी तरह से सिद्ध करे । परन्तु वहां पर सबूतों की ढीका देने पर न्यायाधीश परिस्थिति वाले आराध्य (motive) और उन दोनों के अन्तिम व्यवहार (subsequent conduct) से भलगड़े में पहुँच संपत्ति के स्वाम्य (ownership) का, निधय ही, उचित हा से निर्णय करे ।

यत्र पत्या धनं कीर्तं भार्या नात्रि निजार्थतः ।

पूर्यं विषादे विद्वितं समयं रक्षितुं भूयम् ॥३६८॥

अनामकस्तु न देयो व्यवहारः स तत्र तु ।

सुसंपुष्टैः प्रमाणेहि साध्यः स समयः परम् ॥३६९॥

जहां पर पति ने निधय ही पढ़ाए, विवाह के समय, किये बादै की रक्षा करने के लिए अपने धन से पत्नी के नाम संपत्ति खरीदी हो, वहां पर उसे बेनामी व्यवहार नहीं जानना चाहिए । परन्तु (पति के किये) उस बादै की पुष्ट प्रमाणों से सिद्ध बरना चाहिए ।

यिक्रीता यज्ञ संपत्ती राजशासनतोऽथवा ।

करग्रहाय, च क्रीताऽनामकव्यवहारतः ॥४०००॥

परनामिनि स एवाश्रि निर्णीतथाधिकारयान् ।

तत्राऽक्षमो मतः क्रोताधिकतुं तद्दनं ततः ॥४००१॥

जहां पर राज की दिक्षी हो या हासिल बगूल फर्जे के लिए संपत्ति बेची गई ही और बेनामी व्यवहार से दूसरे के नाम से खरीदी गई ही तथा उसे (बेनामी-दार को) ही (उस संपत्ति का) अधिकारी निर्णीत (certified) कर दिया गया हो, वहां पर इन (रामुङ्क) बातों के बाद खरीदार उस संपत्ति पर अधिकार नहीं कर सकता ।

उत्तमर्थः परं केतुरभियुज्यात्र तावुभौ ।

फेतुः स्वाम्यं च संसाध्य शक्तः स्यार्थंग्रहे ततः ॥४००२॥

परन्तु यहां पर खरीददार का कर्ज देनेवाला उन दोनों पर मुक्तिमा चलाकर और खरीददार का स्वामित्व सिद्ध कर उस (संवति) से अदना (दिवा) धन तैयार करता है ।

कुटुम्बार्थेन चेत्कीतं स्वानाम्न्यथु कुटुम्बिना ।

तर्दिं तस्याऽपरे वंश्याः त्वामाः सत्यस्य सिद्धये ॥४००३॥

यदि कुटुम्बी ने कुटुम्ब के धन से अपने नाम पर संवति खरीदी हो, तो उसके दूसरे कुटुम्बी सभी बात को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं (अर्थात्-इसे सिद्ध करने में कानूनी एकावट नहीं होती) ।

अनामको स्वनाम्न्यत्र स्थितं वित्तमनामकम् ।

वास्तवं स्वामिनं तस्याऽसूचयित्वा यथेष्टितम् ॥४००४॥

विकीणीत तथा न्यासीकुर्यादा निजिगेत्युनः ।

दस्तान्तरे, समादाय तन्मूल्यं यदि तर्दि तु ॥४००५॥

न शक्तो वास्तवः स्वामी दस्तान्तरगतं हि तत् ।

प्रत्यादातुं न चेत्केता स्थितिं प्राप्नेव सूचितः ॥४००६॥

यदि वेनामीदार यहां पर अपने नाम पर रखे वेनामी धन को, उसके वास्तविक स्वामी को सूचित किये विना ही, अपनी इच्छानुसार, उसकी कीमत लेकर, बेचदे, गिरवी रखदे या किर दूसरे के हाथ में देंदे, तो (उस धन का) असली स्वामी दूसरे के हाथ में गये उसको, यदि खरीददार को (खरीद ने के) पहले ही स्थिति से सूचित न कर दिया हो, तो वीद्वा नहीं ले सकता ।

सूचना द्विविधा द्वया वास्तवी कहिपता तथा ।

वास्तवी स्वामिदत्ता स्यात्कलित्यत्रे प्रदर्श्यते ॥४००७॥

सूचना दो तरह की जानकी चाहिए-वास्तविक (actual) और कलित (constructive) । वास्तविक (धन के) स्वामी को दी हुई होती है आंग कलित आगे बतलाई जाती है ।

क्रयणात्पूर्वमेवात्र क्रेप्रा ज्ञेयं ध्रुवं हि यत् ।

कस्य नाम्नि स्थितं यितं को भोक्ता चाऽस्य वास्तवः ॥४००८॥

तत्काले, किन्तु चेत् क्रीतमविद्यायैष भोगिनम् ।

तत्तदन्ते च सिद्धेयद् वास्तवस्त्वधिः स्वयम् ॥४००९॥

भोक्तासीत्तदनायस्य नो विकेता त्वनामकी ।

कलिता सूचना तर्दि कलन्पते तत्र तत्कृते ॥४०१०॥

वास्तवधार्यिपः शक्तः प्रत्यादातुं हि तद्वनम् ।

क्रेतुः प्रमादिनो नूनं सकाशादभियोगतः ॥४०११॥

यहां पर खोदने के पहले ही चेतावनी दाता को निधय हरा से जान लेना चाहिये कि संपत्ति इस के नाम पर स्थित है और उस समय इसका वास्तविक भोगनेवाला दोन है । परन्तु यदि भोगनेवाले को चिना जाने ही वह (संपत्ति) खोद लो गई हो और उसके बाद प्रमाणित हो जाय कि वास्तविक स्वामी स्वर्य घन वी आपदनी का भोगनेवाला था, चेतावनीदाता चेतावनी नहीं था, तो वहां पर उस (भोगा के) विषय में क्षणित सूचना (constructive notice) की कल्पना करही जाती है और वास्तविक अधिकारी प्रमाणो खोददाता के पास से मुक्तमे द्वारा निधय ही उस संपत्ति को वापस ले सकता है ।

स्थापितं पुरुषेणाथ परनाम्नि घनं यदि ।

उत्तमर्णं तु दत्तार्थान्नूनं यश्चयितुं तदा ॥४०१२॥

सिद्धे छले न शक्तः स्पाद्धास्तवस्तु घनाधिपः ।

अत्रानामकिनः प्रत्यादातुमर्यमनामकम् ॥४०१३॥

परं नो विहितं यत्र पूर्वसंकलितं छलम् ।

वास्तवोऽर्थाधिपस्त्र दामोऽर्थस्य भ्रतिप्रहे ॥४०१४॥

यदि मनुष्य ने (अपने) कर्ज देनेवाले को निधय ही दिये हुए घन से छलित (defrauded) चारों के लिए दूसरे के नाम पर संपत्ति रक्षदो हो, तो (उप) जान के सिद्ध हो जाने पर घन का वास्तविक स्वामी, यहां पर, चेतावनीदाता से चेतावनी घन को वापस लेने में समर्थ नहीं होता । परन्तु जहां पर एहसे विचारा हुआ करन नहीं किया गया हो, वहां पर घन का अपनी मालिक घन को वापस ले सकता है ।

छलाद्यश्चयितुं नूनं वास्तवस्याधिकारिणः ।

उत्तमर्णनिधिगतं शासनं त्वभियोगतः ॥४०१५॥

यत्रानामकिनार्थस्यानामकस्य ग्रहण्य दि ।

तत्राश्लेषोऽधिकारी तु विरोद्धुं तद्ग्रहं परम् ॥४०१६॥

तदुत्तमर्णः शक्तः स्यात्संप्रमाण्य तु तच्छ्लाम् ।

विरोद्धुं शासनं स्वार्थप्रद्वेषाय न संशयः ॥४०१७॥

जहां पर चेतावनीदाता ने (घन के) वास्तविक अधिकारी को कर्ज देनेवालों को, निधय ही, छल से, बिन घने के लिए मुक्तमे के द्वारा चेतावनी घन के लेने के लिए हित्री प्राप करती हो, वहां पर (घन का वास्तविक) अधिकारी उस (घन) के लेने का विरोध नहीं कर सकता । परन्तु उसको कर्ज देनेवाला उस

जाल की अच्छी तरह से सिद्ध करके अपने धन को लेने के लिए डिग्री का विरोध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है।

यत्रार्थस्य कथः केवा स्वनाम्नि विहितो भवेत् ।

लोकाचारविरुद्धोऽतः कीतो नाम्ना परस्य सः ॥४०१८॥

अर्थः केवा, न शुकोऽसौ तत्रानामकिनः पुनः ।

प्रत्यादातुं तु तद्वित्तमभियोगेन निश्चितम् ॥४०१९॥

जहाँ पर खरीददार द्वारा अपने नाम पर की गई संपत्ति की खरीद लोकाचार के विरुद्ध हो, इसलिए खरीददार ने उस संपत्ति को दूसरे के नाम से खरीद लिया हो, वहाँ पर वह निश्चय ही मुक्तमें के द्वारा उस संपत्ति को बेनामीदार से किस प्राप्त नहीं ले सकता ।

कृतेऽनामकिना नूनमभियोगे न चेदिह ।

विरुद्धानि प्रमाणानि तद्विषयेयः कृतस्तु सः ॥४०२०॥

संप्राप्तेनाधिकारेण वास्तवादधिकारिणः ।

तद्विर्णयस्तु मान्योऽत्र धनस्य स्वामिनापि च ॥४०२१॥

बेनामीदार द्वारा मुक्तमा चलाये जाने पर, यदि वहाँ पर (उसके) विष्व ग्रमाण न हो, तो वह (मुक्तमा) वास्तविक अधिकारी से वाये अधिकार से किया जाना चाहिए और उसका (उस मुक्तमे में हुआ) निर्णय वहाँ पर धन के (वास्तविक) स्वामी द्वारा भी मान्य होना चाहिए ।

पूर्णः प्रतिनिधिष्ठेयो वास्तवस्याधिकारिणः ।

अनामकी तथा लोकेऽभियोगेऽपि ज्ञमो मतः ॥४०२२॥

स्थिरार्थस्य पणेनाथाधिकारेण समुद्गते ।

प्रत्याख्याते पुनस्तेन स्वामी शकोऽभियुक्तये ॥४०२३॥

येनामीदार को (पन के) वास्तविक अधिकारी का पूरा प्रतिनिधि जानना चाहिए । तथा दुनिया में वह स्थिर संपत्ति की शर्त (contract) से वा अधिकार (title) से उत्पन्न हुए मुक्तमे (के चलाने maintain करने) में भी समर्थ होता है । ५८८८ उसके (मुक्तमा चलाने से) इनकार कर देने पर (धन का वास्तविक) स्वामी (भी) मुक्तमा चला यक्ता है ।

क्रेताभियोगे संयुक्तं स्वस्य प्रार्थयितुं ज्ञमः ।

तात्कालिको धनाध्यक्षाध्यापि शकोऽत्र तत्त्वते ॥४०२४॥

(संपत्ति का) खरीददार मुक्तमे में अपने दो शरीक बरने के लिए प्रार्थना कर सकता है और उस समय का धन का अधिकारी भी, वहाँ पर, उस (खरीददार को मुक्तमे में शरीक बरने) के लिए समर्थ होता है ।

२९ जैनाः ।

जैन धर्म को मानने वाले ।

जैनमतं जैनविधानं च ।

जैन मत और जैनों का कानून

ये विद्वायार्यशास्त्राणि रतास्तीर्थद्वारा चर्चने ।

जिनागमानुगा ये च ते जैनाः परिकीर्तिताः ॥४०२५॥

जो हिन्दू शास्त्रों को छोड़ कर तीर्थद्वारों के पूजन में लगे हुए हैं और जो जिन (महावीर) सम्बन्धी शास्त्रों को माननेवाले हैं, वे जैन कहे गये हैं ।

वैश्या विशेषतो जैनाः परं तेष्वपि फेचन ।

आर्यशास्त्रानुगास्त्वत्र धर्मकर्मसु निश्चितम् ॥४०२६॥

वैश्य विशेष तौर पर जैन होते हैं । पल्टु उन (वैश्यों) में भी कोई-छोड़ यह पर धर्म के काव्यों में निश्चय ही हिन्दुओं के शास्त्रों को माननेवाले हैं ।

पुत्र एवाधिकारी प्राग् जैनेष्वप्यौर्ध्वदेहिके ।

पुत्रपौत्रप्रपौत्राणामभावे तेष्वपि लियः ॥४०२७॥

प्राप्तदाया हासंपूके मृते पर्यावसंशयम् ।

तदौर्ध्वदेहिके भारवद्वास्त्वत्र प्रकीर्तिताः ॥४०२८॥

जैनों में भी भृत-संस्तान के लिए पहले पुत्र ही अधिकारी होता है और लहरी, देती और परपोतों के अभाव में उनमें भी यही पर दाय-धन प्राप्त करनेवाली निया (परिवर्त्य), (कुटुम्ब से) जुटा हुए पति के मरण पर उसके मरण-हत्य के लिए निःसंगेद जिम्बेदार कही गई है ।

स्वीकृत्य वैदिकं धर्मं प्राप्त् परित्यज्य तं ततः ।

जैनस्तु ज्ञिनधर्मं स्वं प्रतियातुमपि त्तमः ॥४०२९॥

जैन पहले वैदिक धर्म को स्वीकार कर और किर उसको छोड़ कर आगे जैन धर्म में जागम जाने को भी समर्थ होता है ।

ओमद्वासाप्रथासाद्या जैनेष्वप्यथ जातयः ।

आर्येत्विद्योपस्त्वन्तेऽनेका भिन्ना न संशयः ॥४०३०॥

रूपा जैनों में भी आदी थी तरह ही ओमदात, अप्रवाल आदि (आदि शब्द से खोड़दात, पोरवाल आदि) अनेक भिन्न भिन्न जातियों मिलती है, इसमें संशय नहीं है ।

जैनाचारे मता मुख्या भद्रवाहुकसंदिता ।

षष्ठ्यमानीयनीतिशाशानीतिश्च (?) निश्चितम् ॥४०३१॥

आचार्यदेमचन्द्रेण रचितापि तथा पुनः ।

मात्या विशिष्टविवरेव व त्तैनमनानुगैः ॥४०३२॥

जैन-व्यवहार में “भद्रयाहुसंहिता” मुख्य मानी गई है और किर “वर्धमान नीति” और आचार्य हेमचन्द्र की बनाई “आशान नीति” (?) निश्चय ही जैनियों द्वारा खास-खास विषयों में मानी जाती है ।

आर्यशास्त्रात्यतस्तेषां वहवस्त्वार्यरीतयः ।

अपि कार्येषु वहुपु प्रयुज्यन्ते न संशयः ॥४०३३॥

उनके हिन्दुओं की शाखा होने से बहुत सी हिन्दू रीतियां भी (उनके) बहुत से खामों में प्रयोग की जाती हैं, इसमें सन्देह नहीं है ।

विशिष्टनियमाभावे सामान्यं हिन्दुसंमतम् ।

विधानं हि प्रयोज्यं स्याज्जैनेष्यपि सुनिधितम् ॥४०३४॥

खास नियमों के न होने पर हिन्दुओं द्वारा माना हुआ कानून ही जैनों में भी निधित रूप से प्रयोग करना चाहिए ।

विशिष्टा नियमा ये च व्यवहाराश्च ये पुनः ।

साधारणयाद्विज्ञास्ते साध्याः प्राक् प्रयोगतः ॥४०३५॥

और जो साधारण नियमों से भिन्न खास नियम हैं वा किर रिवाज हैं, उनको प्रयोग करने के पहले प्रमाणित करना चाहिए ।

साधारणादिभिः परं यद्य लेषां सिद्धेन्द्रं संभवः ।

साधारणो नयस्तत्र प्रयोज्यो हिन्दुसंमतः ॥४०३६॥

परन्तु जहाँ पर गवाही आदि से उन (खास नियमों या रिवाजों) की सिद्धि का सम्भव न हो, वहाँ पर हिन्दुओं द्वारा माना हुआ साधारण कानून काम में लाना चाहिए ।

स्थानीयो व्यवहारोऽपि जैनानां न्यायकारिभिः ।

घेन्मतस्तर्हि मान्योऽसावन्यज्ञापि वृधौः परम् ॥४०३७॥

साधिते तद्भावे तु तत्र त्याज्यः स निधितम् ।

तद्भावस्य सिद्ध्यर्थं वाक्साद्यमपि संमतम् ॥४०३८॥

जैनों का एक स्थान का रिवाज भी यदि न्यायकर्ताओं ने मान लिया हो, तो विद्वानों की उसे दूसरे स्थान पर भी मान लेना चाहिए। परन्तु उसका वहाँ पर नहीं होना सिद्ध कर देने पर उसे निश्चय ही होइ देना चाहिए और उसके मौजूद नहीं होने की सिद्धि के लिए जबानी गवाही भी मानी गई है ।

आचारो द्रविडे यस्तु निषिद्धोऽन्यत्र संमतः ।

प्रायुक्तरीत्या नो मान्यो जायते द्रविडे तु सः ॥४०३९॥

जो रिवाज मद्रास में वर्जित है, परन्तु दूसरी जगह मान लिया गया है, वह पहले (श्लोक ४०३७ में) कही रीति से मद्रास में मान्य नहीं होता ।

बंधुमैडले नून सामान्या दिन्दुसंपत्ता ।

द्वयस्यैव तु जैनेषु न्यायाधीशः प्रयुज्यते ॥४०४०॥

बंधु अद्वाते में निधिय ही दिन्दुओं द्वारा मानी हुई सावारण द्वयस्या ही
न्यायकर्ताओं द्वारा जैनों में भी प्रयोग की जाती है ।

दायग्रहणम् ।

दाय-भन का लेना ।

द्विजेषु दायलाभार्यं नियमा ये प्रकीर्तिताः ।

विशिष्टनियमाभावे ते जैनेष्यविसंभताः ॥४०४१॥

प्राचल, लक्षिय और वैश्णो में दाय-भन की प्राप्ति के लिए जो नियम हैं,
हैं, विशेष नियमों के अभाव में, वैष्णी जैनों में भी माने गये हैं ।

आचारस्याविरोधे तु जैनेष्यव्यवधावा भुयम् ।

प्रतिष्ठन्धयुतं स्वाम्यं गृह्णाति पतिसंपदः ॥४०४२॥

रिवाज के विरोध के न होने पर जैनों में भी विधवा पति की संपत्ति वा,
निधिय ही, प्रतिवन्ध से युह (limited) अधिकार प्राप्त करती है ।

साहृन्पुरे मेरठे च आदीनाम्नि पुडरेवि च ।

जैनाप्रवालविधवा परयर्यं स्वामिते भुयम् ॥४०४३॥

पूर्णस्वाम्यं प्रगृह्णाति शकाचास्य दयये, परम् ।

ऐतुके पतिमुक्ते इर्येऽपूर्णस्वाम्यधरा हि सा ॥४०४४॥

सहानपुर, मैठ और (शाहाचाद जिले के) आराह नामक नगर में
भी जैन अप्रवाल विधवा पति के अपने बमाये भन में, निधिय ही, पूर्ण (absolute)
अधिकार प्राप्त करती है और उसके सर्वं करने (alienation) में भी समर्थ
होती है । परन्तु पति के छोड़े बाप-दादा के (ancestral) भन में वह अपूर्णं
(limited) अधिकार वाली होती है । (वह पर वह उसे विधवा की संपत्ति-
widow's state के रूप में ही देती है) ।

दशा धीमालिजैनेषु श्वेताम्बर्यमिथाद्विषु ।

खानदेशप्रजातेषु धन्वर्द्धनिर्णयेन द्वि ॥४०४५॥

न दामा विधवा पत्न्युमाता पुत्रस्य वा घने ।

पूर्णस्वाम्यं समादातुमाचाराभायतः पुनः ॥४०४६॥

फिर खानदेश के श्वेताम्बरी नामवाले दशा धीमाली जैनों में बन्धु के निर्णय
से रिंथा पति के और माता पुत्र के भन में रिवाज के अभाव से पूर्ण अधिकार
नहीं प्राप्त कर सकती है । [उनमें वह दस भन को छी भी संपत्ति (woman's

state) की तरह अमूर्णं (limited) अधिकार से ही लेती है] ।

अप्रवालाख्यजैनेषु जनयित्या असंशयम् ।

आचारेण प्रवृत्त्या च पुत्रः श्रीधनदायहृत् ॥४०४७॥

अप्रवाल जैनों में पुत्र आचार (custom) और प्रवृत्ति (usage) से निःसन्देह माता के ही-धन के दाय का लेनेवाला (उत्तराधिकारी) होता है ।

दत्तकग्रहणम् ।

गोद लेना ।

आर्हतेनाग्रवालेन स्योत्पन्नो दत्तकस्तथा ।

तनयः पितुराध्यात्मलाभदो नैव मन्यते ॥४०४८॥

अतस्तु दत्तकः पुत्रो गृहीतस्तेषु निश्चितम् ।

ऐहिकायैव साभाय नामुभिकहिताय दि ॥४०४९॥

जैन अप्रवाल द्वारा युद से उत्पन्न हुआ और दत्तक (गोदलिया) पुत्र पिता और आत्मा की लाभ (spiritual benefit) देनेवाला नहीं माना जाता है । इसलिए उनमें गोद लिया पुत्र निश्चय ही यही के (रांसारिक) लाभ के लिए ही होता है, परलोक के लाभ के लिए नहीं ।

अप्रवालेषु वैश्येषु स्नायगीतिपदाद्विषु ।

अपुत्रा विधवा शक्ता दत्तकग्रहणे ध्रुवम् ॥४०५०॥

पत्युर्वा तत्सपिण्डानां विनाशां शुल्तरीतिवः ।

पुनश्चेत्तकुलं पृक् सोऽपि पृकिं भजेत्तदा ॥४०५१॥

सरावगी अप्रवाल वैरों में विना पुत्राली विधवा निश्चय ही कुल के रिवाज से विना पति की और उसके सपिण्डों की आत्मा के ही गोद ले सकती है । यिर यदि उस (विधवा) का कुडम्ब सामेदार हो, तो वह (गोद का पुत्र) भी सामेदार (coparcener) ही जाता है ।

द्रविडेण्यवद्वारस्याभावतो नैष संपतः ।

आचारो नयनिष्णातैस्तत्रत्यैः प्राग्निवेदितः ॥४०५२॥

मद्रास अद्वाते में रिवाज न होने से वही के न्यायवेताओं ने यह पढ़ते (श्लोक ४०५० और ४०५१ में) कहा आचार (रिवाज) नहीं माना है ।

आर्यविवैव जैनेषु मृते पुत्रे तु दत्तके ।

विधवाऽपरदत्तस्य प्रह्वे शक्ता मता दुघैः ॥४०५३॥

आर्यों (दिनुओं) की तरह ही जैनों में भी विद्रानों ने दत्तक पुत्र के मर जाने पर विधवा (माता) को दूसरा दत्तक पुत्र लेने में समर्थ माना है ।

यतो जैनाग्रवालास्तु वैश्यत्वान्संमता द्विजाः ।

अतो हिन्दुमतेनात्र सामान्यनियमेन हि ॥४०५४॥

विवाहितो जनो नैष दत्तकत्वेन गृह्णते ।

चेष्ट तत्र फुलाचारः साधितस्तत्कृते भवेत् ॥४०५५॥

क्योंकि जैन अप्रवाल वैश्य हीने मे द्विज माने गये हैं। इसलिए यहां पर हिन्दुओं द्वारा माने हुए साधारण नियम से, बदि उसके लिए कुल का रिवाज सिद्ध न किया गया हो, तो विवाहित मुख्य गोद नहीं लिया जाता ।

कुलाचारादवस्थाया विवाहस्थापि या पुनः ।

वाधा दत्तग्रहे न स्यादित्युक्तं न्यायशालिभिः ॥४०५६॥

फिर वंश के रिवाज से गोद लेने में उमर और विवाह दी भी बाधा नहीं हो सकती, ऐसा कानून के विद्वानों ने कहा है ।

स्थावगीष्प्रवालेषु नूत्नमस्मादि कारणात् ।

द्वार्तिशदब्दपर्यन्तं दत्तकार्थं यथो मतम् ॥४०५७॥

इसी कारण से निधय ही सरावगी अप्रवाली मे गोद के लिए बतीस वर्ष तक (बी) अवस्था मानी गई है ।

एरन्त्यर्येष्विवैद्यान्न धर्जितस्तेष्यपि प्रदः ।

मातापिनृविद्वीनस्य दत्तकस्य सुनिधितम् ॥४०५८॥

परन्तु हिन्दुओं की तरह ही उन (अप्रवाल वैश्यों) मे भी यहां पर निधय ही माता-पिता से हीन दत्तक का (गोद) लेना मना है ।

पथिमे भारते किन्तु जात्याचारेण गृह्णते ।

पितृभ्यां तु विद्वीनोऽपि दत्तो जैनेषु निधितम् ॥४०५९॥

परन्तु पथिमी भारत मे जाति के रिवाज से जैनों मे निधय ही माता-पिता से हीन भी दत्तक (गोद) ले लिया जाता है ।

स्थावगीष्प्रवालेषु दत्तकत्वेन गृह्णते ।

दौहित्रोऽपि यथेच्छं नो वाधा तत्र मता वुधैः ॥४०६०॥

सरावगी अप्रवाली मे अपनी इच्छानुसार मत्तासा भी गोद ले लिया जाता है । विद्वानों ने उसमे इच्छानुसार नहीं मानी है ।

जैनन्यायानुसारेण भागिनेयोऽपि गृह्णते ।

दत्तपुत्रस्यरूपेण यथेच्छं नात्र सशयः ॥४०६१॥

जैन कानून के अनुसार भागिनी भी इच्छानुसार दत्तक पुत्र के हर से लिया जा सकता है, इसमे मंशय नहीं है ।

आर्हतेष्प्रवालेषु दानादानमलं भवेत् ।

दत्तस्योपेक्षितं तत्राधवाङ्केऽस्योपथेषुनम् ॥४०६२॥

जैन अप्रवालों में दत्तक पुत्र का देना और लेना ही (गोद लेने में) पर्याप्त हीता है । वर्द्धा पर उसका विरक्षा की गोद में विडाना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

स्नावगीष्वग्रवालेषु तृष्णीयो दत्तकग्रहे ।
तन्मूर्धिं वध्यते जातिमुख्यानाहृय निश्चितम् ॥४०६३॥
सत्कियन्ते च ते सर्वे भोजनेन तु सादरम् ।
रीतिरेया मता नूनं कविज्ञेतरेष्वपि ॥४०६४॥

सरावणी अप्रवालों में गोद के पुत्र के लेने में निश्चय ही जाति के मुखियाओं को बुनाफर उसके सिर पर साफा (पगड़ी) बाधा जाता है और उन सब (पंचों) का आदर के साथ भोजन के द्वारा सत्कार किया जाता है । यह रिवाज निश्चय ही कहीं कहीं खींगों से भिज लींगों में भी माना जाता है ।

जीरास्येष्यप्रवालेषु दत्तादानस्य घोषणा ।
ग्रहीना, व्यवहारशोचितोऽन्तेऽलं हि तद्ग्रहे ॥४०६५॥

जीरा (पंचाब) में रहने वाले अप्रवालों में गोद लेनेवाले के द्वारा गोद लेने की घोषणा और (उसके) बाइ में उस (दत्तक) के साथ उचित (दत्तकोचित) वर्तन्ते ही उसके गोद लेने में पर्याप्त होने हैं ।

आर्येष्विवैव जीनेषु दत्तान्ते त्वौरसो यदि ।
मद्वाराप्ते तदा दत्तश्वतुथांशहरः पितुः ॥४०६६॥

आर्यों की तरह ही जींगों में (भी) दत्तक पुत्र (लेने) के बाद यदि असती पुत्र पैदा हो जाय, तो वंशई अहाते में दत्तक पुत्र पिता (के घन) का चौथा हिस्सा पाता है ।

शूद्राः ।

शूद्रः ।

द्विजातयस्तथा शूद्रा द्विन्द्यो द्विविधा मताः ।

कर्मणां च त्योदर्पाद्या शालेषु विशदा कृता ॥४०६७॥
परमद्यात्र संजाते मिथ्रणे तृक्कर्मणाम् ।

घण्ठानां मिथ्रणे चापि दुष्करो वर्णनिर्णयः ॥४०६८॥

द्विजाति (ब्राह्मण, लक्ष्मिय और वैश्य) तथा शूद्र-द्विन्दु दो प्रकार के माने गये हैं और शालों में उनके कमों की व्याख्या विस्तार से की गई है । पहलु आत्र-क्त्र यहीं पर उन कमों की मिलावट हो जाने से और वण्ठों की भी मिलावट हो जाने से वर्ण का निर्णय करना बहुत ही गमा है ।

अधिकृत्योपवीतस्य यज्ञस्य च तथा पुनः ।
अशौचसमयेनाधानौरसार्थाधिकारतः ॥४०६६॥

विध्योपयमेनापि हाचाररूपस्तथा ।
वर्णस्य निर्णयो नूनं यहुधात्र विभीयते ॥४०७०॥

शोषणीत (पहनने) के शौर यज्ञ (करने) के अधिकार से, अशौच (भी निवृत्ति) के समय से, दानी-पुण के धन (लेने) के अधिकार से, विधवा के विवाह से और दूसरे रिवाजी से (भी) निधय ही बहुधा यदां पर वर्ण का निर्णय किया जाता है ।

वर्णव्यवस्था मते वर्णाऽभिमानः पुरुषस्य हि ।
तस्यानुमोदने त्वन्यज्ञनानां च रुचिस्तथा ॥४०७१॥
अचारस्यत्र निकायो विज्ञेयो वर्णनिर्णये ।
जाते वर्णविवादेऽन्यगत्यभावादसंशयम् ॥४०७२॥

पुन लोगों के मत में वर्ण के विषय में विवाह होने पर अन्य मार्ग के न होने से यहां पर वर्ण के निर्णय में निःसन्देह पुरुष के (अपने) वर्ण के अभिमान की (consciousness) और उसके अनुमोदन (स्वीकार करने) में दूसरे पुरुषों द्वारा इच्छा को तथा (अन्य) आचार-विवाह को कसीटी समझना चाहिए ।

अपरेणां मते त्यागः शश्नोक्त्यचसां ध्रुवम् ।
देवलस्तु न शुद्धत्वसिद्धयेऽस्ति भवेदिद् ॥४०७३॥

दूसरों के मत में केवल शाश्वत में बहे वचनों का त्याग ही यहां पर विषय ही शृणुन भी किंद्रि के लिए पर्याप्त नहीं होता ।

लिङ्गायताः शिवासकाः शिवलिङ्गमपूजाकाः ।
मद्वाराप्ते मताः शूद्रा अशूद्रा द्रविडे पुनः ॥४०७४॥
विशिष्टव्यवहारस्याभावे दिन्दूनयो ध्रुवम् ।
प्रयोज्यस्तद्विवादेषु तेषां दिन्दुत्यतः पुनः ॥४०७५॥

शिव-भक्त और शिवलिङ्ग द्वारा पूजन करने वाले लिङ्गायत (संप्रदाय के) लोग वर्षई प्रान्त में शूद्र माने गये हैं, परन्तु मद्वारा में शूद्र नहीं माने गये हैं और उनके दिन्दू होने से उन के भगवानों में खास रिवाज के अमावस्या में निधय ही दिन्दू नीति का पद्योग बरता चाहिए ।

कायस्यास्तु मताः शूद्रा यहौ नूनं परं हि ते ।

द्विजेषु गणिता विज्ञैविहारे नाश संशयः ॥४०७६॥

बंगाल में कायस्य निधय ही शूद्र माने गये हैं, परन्तु विहार में विद्वानों ने उन्हें द्विजों (परोपवीत धारियों) में गिना है, इसमें संशय नहीं है ।

शिवाजीपार्थिवोतपन्नास्तंजोरस्याधिपा भ्रुवम् ।

महाराष्ट्रा मताः शूद्रा नूनं न्यायविशारदैः ॥४०७६॥

राजा शिवाजी से उत्तर हुए तंजोर के महाठे राजाओं की न्याय के विद्वानों
ने निधय ही शूद्र माना है ।

कुलानि ग्रीष्मि यान्यव मंहाराष्ट्रे घसन्ति हि ।

महाराष्ट्रीयज्ञातेस्तु तेषु पञ्चकुटुम्बिनः ॥४०७७॥

पण्णवत्यन्वयाश्चापि चक्रियाः संमता शुघ्यैः ।

शूद्राः सर्वेऽपरे नूनं कथितास्तैश्च निष्ठितम् ॥४०७८॥

यहाँ पर महाराष्ट्र (बंदई प्रान्त) में जो महाठा जाति के लीन हुल रदते हैं
विद्वानों ने उनमें से पांच कुटुम्बवालों और विद्वानवे कुटुम्बवालों से भी चक्रिय
माना है और वाकी सबों को उन्होंने निधय ही शह बता है ।

परधर्मं परित्यज्य हिन्दूधर्मं समागताः ।

ये शूद्रास्ते तू सर्वेऽपि मता न्यायविचक्षणैः ॥४०७९॥

जो दूसरा धर्म छोड़कर दिनू धर्म में आये हौं, न्याय के परिवर्तों ने उन सब
को शूद्र माना है ।

शूद्रोऽशको पतित्यस्य संन्यासस्य ग्रहेऽथवा ।

त्यक्तैहिकपपञ्चोऽपि सोऽतो दायग्रहे चामः ॥४०८०॥

कुटुम्बिनां, मृते तस्मिंस्तस्यार्थश्च वजेत्पुनः ।

त्यक्त्वा गुरुं तथा शिष्यान् दायादास्तत्कुटुम्बिनः ॥४०८१॥

शह यति पन को या संन्यास को ग्रहण करने में असमर्थ होता है । इसलिए
पह संसार का प्राण छोड़ने पर भी कुटुम्बियों के दाय-धन की ले यकता है और
उसके माने पर उसका धन युह और शिष्यों को छोड़कर उसके एकदार कुटुम्बियों
को मिलता है ।

दत्तकग्रहणकालिकानि हृत्यानि ।

गोद लेने के समय के कर्म ।

शूद्रेषु दत्तकादानमैदिकायैव कर्मणे ।

दानादानं च दत्तस्य तत्त्वते स्यादलं ततः ॥४०८३॥

शूद्रों में गोद के युव का लेना सांसारिक कार्यों के लिए ही होता है । इसलिए
उस (गोद) के बासे दत्तक पुत्र का (गोद) देना और लेना ही पर्याप्त
होता है ।

महाराष्ट्रे महाराष्ट्रवाहणेषु सगोचके ।

यदीते दत्तके दत्तहीमो नायशपको मतः ॥४०८४॥

बंधु श्रावण में महरठे शास्त्राणों में अपने ही गोव के दत्तक पुत्र के लिए पर 'दत्तहीम' आवश्यक नहीं माना गया है ।

कुष्ठप्रस्तोऽपि शूद्रेषु दत्तादाने क्षमो भवेत् ।

न्यायज्ञैस्तत्कृते नूनं संस्कारास्त्वनपेक्षिताः ॥४०८५॥

शूद्रों में कोई भी गोद ले सकता है । न्याय के परिणामों ने उस (गोद) के लिए संस्कार आवश्यक नहीं करने के लिए ।

लिप्योऽसत्यस्तथाऽमेघ्या अपि दत्तग्रहे क्षमाः ।

शूद्रेष्व्यथं तु संस्कारैर्विनैवास्मिन्द्र संशयः ॥४०८६॥

यही पर शूद्रों में असनी आथवा अपवित्र (under pollution) लिप्यों भी विना-संस्कारों के ही गोद ले सकती हैं, इसमें सन्देह नहीं है ।

दीदिषो भागिनेयश्च भागिनेयसुंतस्तथा ।

मातृप्यसेयः शूद्रेषु दत्तत्वेन प्रगृह्यने ॥४०८७॥

शूद्रों में नवासा, भानजा, भानजे वा लाइका और मासी वा लाइका गोद के रूप में लिया जा सकता है ।

अन्यगोव्रसमुत्पन्नः पुत्रोऽपि परिगृह्यने ।

शूद्रेषु दत्तकत्वेन न पाप्या तत्कृते मना ॥४०८८॥

शूद्रों में दूसरे गोव में उच्चज हुआ पुत्र भी गोद के रूप में लिया जाता है । इसके निए कोई रकावट नहीं मानी गई है ।

परिष्में भारते यज्ञ मयूखो मन्यते जनैः ।

तत्र शूद्रेषु दत्तत्वं यात्यूदोऽपि जनो भ्रुवम् ॥४०८९॥

अन्यत्र भारते दत्तवन्दिका यज्ञ भन्यते ।

तप्रोदस्य न शूद्रेषु दत्तत्वेन प्रदो भवेत् ॥४०९०॥

परिष्मी भारत में जहाँ लोग 'ब्यवहारमयूर' को मानते हैं, वहाँ शूद्रों में विळाहित पुत्र भी, निधय ही, गोद जाता है । भारत में दूसरी जगह जहाँ 'दत्तक-चन्द्रिका' मानी जाती है, वहाँ शूद्रों में विळाहित (पुत्र) वा दत्तक रूप से प्रदत्त नहीं होता ।

सत्यप्त्रं प्रथमे दत्ते दत्तकर्मरसे पुनः ।

आदानमन्यदत्तस्य मतं न्यायपिष्ठितिकम् ॥४०९१॥

यही पर दत्तक पुत्र के इत्यर्थ में लगे पहले गोद के पुत्र के विवरान होने पर दूसरे पुत्र का गोद लेना न्याय में वर्तित माना है ।

पहोऽपि द्रविडे दत्तः शूद्रेषु स्वप्रहोत्तरम् ।

जातिरौतस्युपैस्तु समभागी पितुधनेन ॥४०९२॥

बंगाल और मद्रास में शूद्रों में दसक पुत्र अपने गोद लेने के बाद उत्पन्न हुए (गोद लेनेवाले पिता के) अमती पुत्रों के साथ, पिता के धन में, बराबर भाग पाता है ।

विवाहः ।

विवाह ।

द्विजेष्विवैव शूद्रे पु विवाहोऽप्र मतो वृथैः ।

संस्कारोऽतस्तु पृकस्य वंश्यस्योपयमाय चेत् ॥४०४३॥

प्रगदीतमृणं तद्विं तत्स्यातकौटुम्बिकं तथा ।

तस्मै पृकफुटुम्बीयं धनं भारवहं मतम् ॥४०४४॥

विदानों ने यहां पर द्विजों (ब्राह्मणों, लक्ष्मियों और वैष्णों) की तरह ही शूद्रों में भी विवाह को संस्कार माना है । इसलिए यदि सामेवाले कुटुम्बी के विवाह के लिए कर्ता लिया हो, तो वह कुटुम्बसंबंधी (कर्ता) होता है और उस (कर्ता) के लिए सामेव के कुटुम्ब की संपत्ति बोमा रठानेवाली (जिम्मेदार) होती है ।

संस्कारेषु दशस्वेको विवाहस्तु द्विजन्मसु ।

नूनं खीशूद्रयोक्षाथ स एवैको विनिश्चितः ॥४०४५॥

द्विजों ने विवाह दश संस्कारों में एक है और लक्ष्मियों और शूद्रों में निश्चय ही बही एक (संस्कार) निश्चित किया गया है ।

द्विजेष्विवैव शूद्रे पु कन्योपयमहेतये ।

तदभूत्यर्थमिवैवात्र विमात्रा दीयते व्ययः ॥४०४६॥

स्वदस्तागततस्तातधनान्वैवात्र संशयः ।

संस्कारत्वाद्विवाहस्य चातुर्वर्णं समोविधिः ॥४०४७॥

द्विजों की तरह ही शूद्रों में (भी) कन्या के विवाह के लिए, उसके पोदण के लिए के समान ही, सौतेली माता द्वारा, यहां पर, अपने हाथ से आये उस (कन्या) के पिता के धन से, खर्चा दिया जाता है, इसमें सन्देह नहीं है । विवाह के संस्कार होने से चारों बलों में समान रीति है ।

विवाहस्तु सजातीय एव हिन्दुपु संमतः ।

सामान्येनासजातीयो जातिरीत्यैव मन्यते ॥४०४८॥

हिन्दुओं में साधारण तौर पर सजातीय विवाह ही मता गया है । अन्य जाति वाले के साथ का विवाह जाति में रिवाज होने से ही माना जाता है ।

शूद्रस्यातो विवाहश्चेदुच्चरण्यखिया तदा ।

अन्याय्य एव स प्रोक्तस्तज्जातथान्यनौरसः ॥४०४९॥

इसलिए यदि शहद का विवाह उच्चरण की लीके साथ हो, तो, वह मान्य-
विवाह ही बहा गया है और उस (विवाह) से वस्त्र हुआ (पुत्र) भी असती
नहीं होता ।

कायस्यशुद्धया वैश्यविवाहस्तु परं मतः ।

स्थानीयाचारतो मान्येषु दामरडले भूष्म् ॥४१००॥

परन्तु स्थानीय रिवाज से टिप्परा (Tipperah) जिने में कायस्य जाति
की शहद ली से वैश्य का विवाह निष्पत्त ही मान्य माना है ।

जातेस्तु भिन्नशास्त्रासु विवाहश्चेत्परस्परम् ।

तर्हि मान्यः स विघ्नोक्ता विवाहाः संमता अतः ॥४१०१॥

मूशीश्वरस्य लाभ्य तु मालवस्य सुनिधितम् ।

वेङ्गालजातिसजातशुद्धयोपयमो मतः ॥४१०२॥

दोषस्त्रिया तु धृषीयकायस्थेन शुतस्तथा ।

तांतीस्त्रिया कृतधारि विवाहो मान्य ईरितः ॥४१०३॥

ईशुधर्मे परित्यज्य हिन्दुधर्ममहो यथा ।

कृतस्तथा छिया साध्यं शूद्रोद्धादोऽपि संमतः ॥४१०४॥

यदि (एक ही) जाति (Class) की भिन्न शास्त्राओं में आपस में विवाह
हो, तो वह मान्य होता है । इसलिए भीचे (आगे) है विवाह मान निये
गये हैं:-

भालव जाति (Class) वाले जनोदार का वेङ्गाल जाति (Class) में
कृतम हुई शहद के साथ का विवाह, निष्पत्त ही, मान्य पाना गया है । वेङ्गाल के
जातिसंघरण से भी होने वाली लीके से किया या लोही लीके किया विवाह भी मान्य कहा है ।
तथा जिस लीके ने ईगाई धर्म को दोषकर हिन्दू धर्म का प्रहरण किया हो, उस लीके
के साथ शहद का विवाह भी मानलिया गया है ।

विवाहा भिन्नवर्गीयतिक्षायतजनैः शूताः ।

परस्परं मता मान्या भद्राराप्ते न संशयः ॥४१०५॥

भिन्न वर्ग (Class) के लिंगायत लोगों द्वारा आपस में किये विवाह
बहुत प्राप्ति में मान्य माने गये हैं, इसमें छन्दे नहीं हैं ।

भद्राराप्ते इय वैश्यस्य वास्तवस्यापि वा पुनः ।

शुद्धयोपयमो मान्योऽनुलोमत्वात्पं संशयः ॥४१०६॥

बहुत प्रदेश में वैश्य का और शादालु का भी शूद्रा लीके से हुआ विवाह, अनु-
लोम विवाह होने वे, मान्य होता है, इसमें संशय नहीं है । (पुरुष के ऊंचे दर्ता के

और लोक के उमसे नीचे वर्ण की होने से अनुलोभ विवाह होता है । इससे उत्तरा प्रतिलोभ कहाता है और वह शास्त्रों में वर्जित है ।)

महाराष्ट्रे तु मान्येषु शूद्रेभ्यवि हि संमताः ।

विवाहा आर्यशास्त्रोक्ता एव न्यायेन निधितम् ॥४१०॥

बंधुई प्राप्ति में तो मान्य (इज्यतदार) शक्तों में भी आर्यों के शक्तों में उत्तराये विवाह ही कानून द्वारा निधित हप से माने गये हैं ।

दायप्राप्तिविभागथ ।

दाय का भाग मिलना और बुधारा ।

अस्मिन्विषये याज्ञवल्क्यः ।

जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोऽशहरो भवेत् ॥१३३॥

मृते पितरि कुरु स्तं भातरस्त्वर्धभागिनम् ।

अधातको हरेत्सर्वं दुहितृणां सुतादने ॥१३४॥

मिताक्षरायामस्य व्याख्याः-

शूद्रेण दास्यामुत्पन्नः पुत्रः कामतः पितुरिच्छया भागं लभते । पितुरुर्ध्वं तु यदि परिणीता-पुत्राः सन्ति तदा ते भ्रातरमतं दासीपुत्रं अर्धभागिनं कुरुः । स्वभागादर्धं दग्धुरित्यर्थः ।

अथ परिणीता-पुत्रां न सन्ति तदा कृत्स्नं धनं दासीपुत्रो गृहीयात्, यदि परिणीता-दुहितरस्तपुत्रा वा न सन्ति । तत्सङ्घावे त्वर्धभागिक एव दासीपुत्रः । अत्र च शूद्रमहणाद् द्विजाविना दास्यामुत्पन्नः पितुरिच्छयाप्यंशं न लभते । नाप्यर्धं, दूरत एव कृत्स्नम् । किंत्यनुकूलश्चेज्जीवनमात्रं लभते ।

इस विषय में याज्ञवल्क्य ने कहा है:-

शूद्र से दासी में उत्पन्न हुआ भी (पिता की) इच्छा से भाग लेनेवाला होता है । पिता के मरने पर भाई उसे आया हिस्सा पानेवाला करते । (पिता के) नवासी के अभाव में यिना भाईवाला (दासी पुत्र) सारा (धन) लेता है ।

मिताक्षरा में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है:-

शूद्र से दासी में उत्पन्न हुआ पुत्र पिता की इच्छा से भाग पाता है । पिता के पाद यदि (उसकी) न्याही हुई वर्षी के पुत्र हों, तो वे भाई उच्च (पिता के)

दासी-पुत्र की आधा हिस्सा लेनेवाला काढें। अर्थात् अग्ने भाग से आधा (ठंडे) हो। यदि विदाहित छोटे के पुत्र न हों और लड़कियों और नवासों भी न हों तो सारा धन दासी-पुत्र लेता है। उन (लड़कियों और नवासों) के होने पर दासी-पुत्र आधा हिस्सा ही पाता है। यहाँ पर शूद्र (शब्द) के प्रदण्डे द्वितीय (आदाण, दक्षिय और वंशयों) का दासी-पुत्र पिता की इच्छा से भी हिस्सा नहीं पाता। आधा भी नहीं, सारा तो दूर रहा। परन्तु यदि आज्ञानुमार चलनेवाला हो तो केवल पुत्रारा पाता है।

अतः शूद्रस्य दासीङ्गः सति ताते तदित्तम्या ।

तदत्तं तु लभेताऽऽर्थं मृते पितरि चानुयात् ॥४५०॥

सन्स्थौरसेपु तातस्य तेष्वेकस्यांशतः खलु ।

अर्धं भागं तथा तेषामभावे त्वद्विलं धनम् ॥४५०॥

परन्तु विध्याः कल्या दौदित्रा चा पितुर्यदि ।

दासीजस्तर्दि सर्वस्य धनस्यार्धमधान्युयात् ॥४५१॥

इगलिए शूद्र का दासी से उत्तर दुमा पुत्र पिता के विद्यमान होने पर उसकी इच्छा से उसका दिया भाग पाता है और पिता के मरणे पर तथा पिता के भौतक (अभनी) पुत्रों के होने पर उनमें से एक के हिस्से से निवाप ही आधा हिस्सा पाता है। तथा उन (भौतक पुत्रों) के न होने पर सारा धन पाता है। परन्तु यदि पिता की विधवा (छोटी), (भौतकी) लड़कियों या नकासे हों, तो दासीपुत्र सारे धन का आधा पाता है।

मैताक्षरस्तु पूर्वोक्तो नियमोऽत्र मतो बुधैः ।

अपूर्कस्य पितुर्यित्तव्यएट्नायैव फेलम् ॥४५१॥

विद्यमानों ने पहले कहा मिताक्षरा का नियम केवल जुदा रहे पिता के धन के बॉटने के लिए ही माना है।

दासीस्यादार्यकुलजोपपत्नी सततं स्थिता ।

एकस्यैवाधिकारेऽवाऽपरस्त्रविवर्जिता (॥३६१॥)

आर्य (हिन्दू) कुल में उत्तर हुई और यहाँ पर एक ही के अधिकार में रही, दूसरे के सह से रहित, रखेत छोटी दासी होती है।

दासीत्वे तु यथा कन्या तथैव विधवा तथा ।

सधयापि गृहीतात्र अथदारेण निधितम् ॥४५२॥

रिकाज से निवाप ही दासी ऐने में जैवे विन व्याही कन्या वैसे ही विधवा तथा पति-वाली लोभी भी वही पर प्रश्न की गई है।

सधवाया भूते पत्यौ ग्राक् ततो निजबीर्यतः ।
तस्यां गम्भै समुत्पन्ने संबन्धस्तु तया सह ॥४१३॥
व्यभिचारविदीनः स्यात्स्वीकृतव्यवहारतः ।
अतस्तु तत्सुतो दासीभयो न व्यभिचारजः ॥४१४॥

पतिवाली छो के पति के पहले मरजाने पर और उसके बाद अपने बीर्य से उसके गम्भै रहने पर उसके साथ का सम्बन्ध माने हुए रिवाज से व्यभिचार में विदीन ही जाता है । इसलिए उसका पुत्र दासीपुत्र होता है व्यभिचार से पैदा हुआ नहीं होता ।

शाखेषु नियमो नैव संबन्धायात्र यद्यपि ।
यद्यु गम्ययैव साध्यं स व्यभिचारविवर्जितः ॥४१५॥
भवेन्मान्यस्तथाप्येष समान्याचारदेत्ये ।

विद्विद्विस्तु शतस्तत्र समाजद्वितकाम्यया ॥४१६॥

यद्यपि यहाँ पर सम्बन्ध के लिए शाखों में नियम नहीं है कि वह गम्या (मैथुन के लिए अवृत्ति) छो के साथ का और व्यभिचार से वर्जित ही मान्य होता है, तथापि विदानों ने समाज की भलाई की इच्छा से साधारण आचार (General morality) के लिए उसे वर्द्धा पर कर दिया है ।

दासीपुत्रस्य मातुश्च विवाहोऽन्यनपेक्षितः ।
तत्पित्रा, स तु तेनैव दायेऽपूर्णाधिकारवान् ॥४१७॥

दासीपुत्र भी मो के विवाह की भी उसके पिता से आवश्यकता नहीं समझी गई है । वह इसलिए हकदारी (inheritance) में भी अधूरे अधिकारवाला होता है ।

अतस्तस्यौरसत्वेऽत्र भागो यस्तत्कृते भवेत् ।

पितुर्थस्य तस्याध्यं स गृहीयात्सुनिक्षितम् ॥४१८॥

इसलिए उसके असली पुत्र होने पर पिता के धन का जो भाग, वर्द्धा पर, उसके लिए ही, निश्चय ही वह उसका आधा लेता है ।

भृतायां पितृपत्न्यां धा तत्पुत्र्यां तत्पितुर्धनम् ।

ताभ्यां प्राप्तं अजेत्तातदीद्वित्रं नत्वनौरसम् ॥४१९॥

पिता की विवाहित छो के या (असली) कन्या के मरने पर उनको मिला - उस (अनीरस पुत्र) के पिता का धन पिता के (असली) नवासे को मिलता है अनीरस पुत्र को नहीं ।

शूद्रेभ्यपि न दायाहां दासीजा हुदिता मता ।

तत्पुत्रोऽपि ततो मातामद्ददायग्रहेऽक्षमः ॥४२०॥

शूलों में भी दासी हो उत्पन्न हुई कन्वा दाय पाने योग्य नहीं पानी गर्द है।
इसीसे उसका पुत्र भी माना का दाय-धन लेने में अवगत्य होता है।

शूद्रेष्वपि मतो दत्त शौरसेन समो ध्रुवम्।

साधृं दासीभयेनाथ वण्टने पितृसंपदः ॥४१२१॥

शूलों में भी दत्तक पुत्र दासीपुत्र के साथ पिता का धन बांटने में, निधंय ही,
असली पुत्र के समान माना गया है।

मिताह्नरानुरोधश्चाऽनौरसाय समर्पितम्।

भागं न भृतये किन्तु तत्पुत्रत्वकृते ध्रुवम् ॥४१२२॥

यही पर मिताह्नरा को मानवेशालय में दासीपुत्र को दिया हुआ हिता
(उमसी) जीविता (maintenance) के लिए नहीं होता, किन्तु निधंय ही
उसके पुत्रत्व (his status as son) के लिए होता है।

दासीभवौरसौ चाश गृह्णतः पैतृकं धनम्।

पृत्तदयेनौरसोऽपुत्रो ह्यतस्त्वप्र वियेत चेत् ॥४१२३॥

पृत्ताऽयशिष्या दासीजस्तदिं पृक्तधत्ताधिपः।

भार्या दासाय जननी दायादा अपरेऽपि च ॥४१२४॥

मृतमातुस्तु नो शकास्तदायश्चाहये पुनः।

मृते दासीभये चाप्र द्यौरसस्तदनं हरेत् ॥४१२५॥

यही पर दासीपुत्र और असली पुत्र पिता का धन समें हो ले लेने हैं।
इसलिए यदि यहाँ पर असली पुत्र पिता लड़का थोड़े ही मर जाय, तो राखेदारों
में थोड़े बच रहने हैं, दासीपुत्र धन का सातिरु हो जाता है। मरे हुए भाई की
पनी, कन्या, माता और दूसरे इकदार भी बस (मरे हुए) का हिस्सा नहीं ले
सकते। फिर असली पुत्र की जगह दासीपुत्र के बरने पर भी असली पुत्र (उसका
भाई) (उसी प्रदार थोड़े रहने हैं) बुझता धन लेता है।

परं तस्याप्यसंपूर्कं धनमादातुमक्षमः।

सोऽतस्तद्याति दायादान् धनेश्वस्यैष निधितम् ॥४१२६॥

परन्तु यह धन (पिता के असली पुत्र) के भी जुरा ऐ धन (separate
property) की नहीं हो सकता। इसलिए यह निधंय ही धन के साथी के इक-
दारों को ही मिलता है।

शूद्रवासीभवस्याप्र पितृदायादता नद्दि।

द्यक्तिगता सौरसान्याति तदन्ते चास्य वंशजान् ॥४१२७॥

शूद्र के दासीपुत्र का पिता के धन को प्राप्त करने का अधिकार व्यक्तिगत,
नहीं है और उसके धरने पर यह उस (दासीपुत्र) की असली आँखाद को

मितता है ।

अतः शूद्रस्य दासीजे सृते तस्थोरसः सुतः ।
पितामहे प्रभीतेऽत्र त्यक्त्वान्यं हौरसं सुतम् ॥४१२८॥
पितृप्राप्य तु भागार्घमधार्तपैतामहादनात् ।
हरेदू, भागत्रयं शेषं तत्पितृव्य वजेत्पुनः ॥४१२९॥

इसलिए शूद्र के दासीपुत्र के मरने पर उस (मरने वाले) का असली पुत्र यहाँ पर (अपने) दादा के, असली पुत्र को छोड़कर मरने पर, दादा के आधे धन से (अपने) पिता को मिलनेवाले आधे भाग को लेता है और बाकी के तीन भाग (उसके) चाचा को मिलते हैं ।

दासीजौट्सयोर्मध्ये यिभागे वेत्प्रदीयते ।
भागो मात्रेऽपि तन्मृत्यौ तदा दासीभवः ज्ञमः ॥४१३०॥
तस्मात् स्वांशुं समादातुं यतो वित्तं तु तम्भमतम् ।
दाये स्वभर्तुं संप्राप्तधनंनैव समं ध्रुयम् ॥४१३१॥

दासीपुत्र और असली पुत्र के बीच के बट्टारे में यदि (असली) माता को भी भाग दिया जाय, तो उस (माता) के मरने पर दासीपुत्र उस भाग से अपना हिस्सा ले सकता है; क्योंकि वह धन निष्ठय ही (श्री को) अपने पति से साय में मिले धन के समान ही माना गया है ।

दासीजस्त्वत्र शूद्रस्य दायादः पितुरेव हि ।

सोऽज्ञामो दायमादातुं पितुरन्यकुटुम्बिनाम् ॥४१३२॥

यहाँ पर शूद्र का दासीपुत्र पिता का ही हकदार होता है। वह पिता के अन्य कुटुम्बियों का दाय-धन नहीं ले सकता ।

पितुरौरम्पुत्रस्य ग्रातुर्वान्यकुटुम्बिनाम् ।

दायस्तैः पृक्यमावेऽत आदातुं सोऽज्ञामो मतः ॥४१३३॥

इसलिए वह उनके साय सामै के अभाव में पिता के असली पुत्र का, (पिता के) भाई का या (पिता के) अन्य कुटुम्बियों का दाय-धन लेने में असमर्थ माना गया है ।

सृते शूद्रे परित्यज्य पितुर्दीसीभवं सुतम् ।

यैमात्रेण च तस्यार्थं यैमात्रेयो हृतेयतः ॥४१३४॥

यद्विष्टतोऽत्र दासीजो दायात्तात्त्वायकुटुम्बिनाम् ।

तथैव तेऽपि नो शकास्तदायग्रहणे ततः ॥४१३५॥

पितामहस्य दासीजे सृतेऽत्यक्त्वा कुटुम्बिनः ।

पितामहौरसोत्पत्तौरसो नो तस्य दायमाक् ॥४१३६॥

शूद्र के (अपने) पिता के दासी मे उत्तम हुए पुत्र को और छोटे भाई (half brother) को छोड़ कर मरने पर उसका धन छोड़ता भई लेता है; व्यक्ति यहाँ पर दासीपुत्र पिता के कुटुम्बियों के दाय-धन से बाहर किया हुआ है और उसी तरह वे (पिता के कुटुम्बी सी) उसका दाय का धन नहीं ले सकते । इसलिए दादा के दासीपुत्र के अपने पाके कुटुम्बियों (relatives) को छोड़े जिना ही मरने पर दादा के असली पुत्र का असली लकड़ा उसका उसका दाय-धन नहीं लेता ।

शूद्रदासीभवस्तातपत्न्याः स्वयर्थमदेऽक्षमाः ॥

एक चापि स नैवाश पित्रा सार्थं भजेत्पुनः । ॥४१३७॥

शूद्र का दासीपुत्र (illegitimate son) पिता की विवाहिता छीं का छी-धन नहीं प्राप्त कर सकता और वह यहाँ पर पिता के साथ साझेदारी भी नहीं रख सकता ।

परं प्रभीने पितरि त्वौरसाऽनौरसाः सुताः ॥

पृक्ष्या तद्वायमाजः स्युस्लेप्तिच्छापत्रस्ततः ॥४१३८॥

जनः कोऽपि निजं स्वार्थं तपत्वं दम्तुमक्षमः ।

महाराष्रीयविदुषां निर्णयस्थेष निश्चितः ॥४१३९॥

परन्तु पिता के मरने पर असली पुत्र और दासीपुत्र साफे हे उसका धन लेते हैं । इसलिए उनमें से कोई भी पुरुष उसमें के अपने स्वार्थ (interest) को इस्तापन द्वारा नहीं दे सकता । वर्षई प्रान्त के विदानों का यह निश्चित निर्णय है ।

महाराष्रे तु विप्रस्य विवाहः शूद्रया सह ।

अनुलोमवया मान्यस्तज्ञातश्चैरसः सुतः ॥४१४०॥

परं पितुर्भने भागं धरमं लभने हि सः ।

पितृव्यस्पापि चाप्रोति दशमांशु धने पुनः ॥४१४१॥

वर्षई प्रान्त में शाश्वत का शूद्रा के साथ का विवाह 'अनुलोम' (ऐसी के पिता से नीचे दण्डे की) होने से मान्य होता है और उस (विवाह) से उत्तम हुआ (पुत्र) असली (legitimate) पुत्र होता है । परन्तु वह पिता के धन में दसवीं भाग पाता है और चाचा के धन में भी (मीका होने पर) दसवां दित्या पाता है । (और भी देखो लोक १६७० से १६८६ तक) ।

भृतिः ।

जीविका ।

शूद्रदासीभवस्ताम भृत्यर्थं नियमास्तु ये ।

ते अन्येऽस्मिन्यथास्यानं विस्तरात्कथिता ध्रुपम् ॥४१४२॥

यहाँ पर शूद्र के दासीपुत्र के गुजारे के लिए जो नियम हैं वे, निष्ठय ही, इस प्रम्य में यथास्थान (मौके की जगह) विस्तार से कहे गये हैं । (इनके लिए देखो शोक ३६११ से ३६३१ तक) ।

द्विष्णुष्टद्विमिते वर्णे विकमार्कस्य पूर्णितः ।

विधानव्याख्ययोपेत उत्तरार्थः स्मृतेरथम् ॥४१४३॥

विकल संवत् २००२ में यह कानून की व्याख्यावाला (विश्वेश्वर-) स्मृति का उत्तरार्थ समाप्त किया गया ।

यो नन्दनोऽजनि मुकुन्दमुरारि-सूरे-

विश्वेश्वरः किल सतीमणि चाँदरान्याम् ॥

तेनार्थजाति-हित-दायविभागगम्भी-

विश्वेश्वरस्मृतिगतः श्रुत उत्तरार्थः ॥४१४४॥

परिणत मुकुन्दमुरारिजी के सती-भ्रेष्टा चाँदरानीजी के गर्भदारा जो विश्वेश्वर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने आर्य (हिन्दू) जाति के योग्य दायविभागवाले विश्वेश्वरस्मृति के (इस) उत्तरार्थ को रचना की ।



शुद्धिपत्रम्

पृष्ठम्	पंक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
३२६	२२	पता	पिता
३२७	२८	स-खास	खास-खास
३४६	८	आनं	आने
३४७	२८	तत्र	तत्र
३५०	३१	कुटुम्बी से	कुटुम्बी के
३५३	१	मूलपत्र	मूलपत्र
३५५	शीर्षक-पंक्तिः	० पत्रयोः	० पत्रयोः
३५५	१	रुकपत्रयोः	रुकपत्र ०
३५६	१६	कोई	कोई
३५६	२३	वन	धन
३५६	३१	अधीन	अधीन
३५७	३	पूर्वोक्तानेयम् ०	पूर्वोक्तनियम् ०
३५७	१२	अनुसार हो वहाँ)	अनुसार) हो वहो
३६०	२६	धृत्य	धृत्यै
३६६	१३	धर्मकृत्य ०	धर्मकृत्य ०
३६९	११	तत्स्थितम्	तत्स्थितिम्
३७०	११	पूर्णस्त्यागो	पूर्णस्त्यागो
३७०	२८	विज्ञया	विज्ञेया
३७०	२८	संस्थिता	संस्थिता
३८०	३३	(कर्त् वी)	(कर्त् वी)
३८१	२१	० मंडाऽधिष्ठैः	० मंडाऽधिष्ठैः
३९२	६	मूर्ति ०	मूर्ति ०
३९७	३	समर्पिते	समर्पिते
४०१	८	शुलकाऽऽदान विनैव	शुलकाऽऽदानविनैव
४०३	२०	ओर	ओर
४०४	४	भार्या संख्या०	भार्यासंख्या०
४०६	१३	भ्रातृणा०	भ्रातृणा०
४०६	३३	संतान	ओरसु संतान
४१३	२	(पितृपत्नीयाः	(पितुः पितृपत्नीयाः

आर्यविधानम् ।

(हिन्दू-कानून—Hindu Law)

(विश्वेश्वरस्मृतेरुत्तरार्धरूपम्)

यह पुस्तक हिन्दुओं के कानून से सम्बन्ध रखने वाली संस्कृत भाषा में अपने ढंग की एक ही पुस्तक है और इतिहास और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान् महामहोपाध्याय परिणित विश्वेश्वरनाथ रेउ द्वारा लिखी गई है। इसमें कठीब ४१५० अनुष्ठान-छन्दों में मान्य स्त्रियों में कहे इस विषय के आदेशों से लेकर इस समय भारत के बनारस, बंबई, मिथिला, मद्रास, बंगाल आदि प्रदेशों के न्यायालयों में माने जाने वाले हिन्दू-कानून का विशद विवरण है। साथ ही प्रत्येक श्लोक के आगे उसकी सरल हिन्दी टीका भी दे दी गई है। संस्कृत में इस विषय की यह पहली ही पुस्तक है, जिसके द्वारा संस्कृत के या हिन्दी के विद्वान् भी भारत के प्रत्येक प्रान्त की अदानतों में आधुनिक वकीलों के सामने खड़े हो सकते हैं।

आज तक संस्कृत भाषा में किसी ऐसी पुस्तक के, जिसमें प्राचीन सूतियों में कहे हिन्दू-विद्यान के साथ ही आज कल भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों के न्यायालयों में माने जाने वाले हिन्दू-कानून का उल्लेख हो, न होने से संस्कृत की उच्च परीक्षाओं में केवल प्राचीन सूतियों या उनकी अर्वाचीन व्याख्याओं के ही कुछ भाग नियत रहते हैं। परन्तु इनसे आज कल के प्रचलित कानून का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इसी कमी को दूर करने के लिए इस पुस्तक का लिखना प्रारम्भ किया गया था। परन्तु आज ईश्वर की कृपा से भारत स्वतन्त्र हो गया है और किया गया था। परन्तु आज ईश्वर की कृपा से भारत संस्कृत से आशा है कि जैसे जैसे हमारी मातृभाषा हिन्दी और उसकी जननी संस्कृत से अंग्रेजी की महता नष्ट होती जायगी, वैसे वैसे इस पुस्तक की उपादेयता बढ़ती जायगी। यह धारा परिमं दंगात के शासक (Governor) और कानून के माने जायगी। यह धारा परिमं दंगात के विद्वान् परिषद् श्री फैतासनाथ काठड़ महोदय ने इस पुस्तक के प्रथम भाग के लिए लिखी अपनी भूमिका में और, फैडरल सर्विस कमीशन के विशिष्ट सभासद डॉ. डी. जोशी महाराष्ट्र ने इस पुस्तक पर लिखी अपनी सम्मति में साष्ट उक्टर एन. डी. जोशी महाराष्ट्र ने इस पुस्तक पर लिखी अपनी सम्मति में साष्ट तौर से श्वीकार की है। इसके द्विनीय भाग की भूमिका विद्वान् प्रान्त के शासक (Governor) प्रसिद्ध विद्वान् धीमान् माधव थी हरि अणे महाराष्ट्र ने लिखी है।

आर्यविधानम् ।

(हिन्दू-कानून—Hindu Law)

(विश्वेश्वरस्मृतेरुत्तरार्थरूपम्)

यह पुस्तक हिन्दुओं के कानून से सम्बन्ध रखने वाली संस्कृत भाषा में अपने दंग की एक ही पुस्तक है और इतिहास और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान् महामहोपाचार्य पण्डित विश्वेश्वरनाथ रेड द्वारा लिखी गई है । इसमें करीब ४१५० अनुष्टुप्-छन्दों में मान्य सूतियों में कहे इस विषय के आदेशों से लेकर इस समय भारत के बनारस, वंचई, मिथिला, मद्रास, बंगाल आदि प्रदेशों के न्यायालयों में माने जाने वाले हिन्दू-कानून का विशद विवरण है । साथ ही प्रत्येक ऐसी कहे आगे उसकी सरल हिन्दी टीका भी दे दी गई है । संस्कृत में इस विषय की यह पहली ही पुस्तक है, जिसके द्वारा संस्कृत के या हिन्दी के विद्वान् भी भारत के प्रयेक प्रान्त की अदालतों में आधुनिक बच्चीलों के सामने खड़े हो सकते हैं ।

आज तक संस्कृत भाषा में किसी ऐसी पुस्तक के, जिसमें प्राचीन सूतियों में कहे हिन्दू-विधान के साथ ही आज कल भारत के मिथ-मिथ प्रदेशों के न्यायालयों में माने जाने वाले हिन्दू-कानून का उल्लेख हो, न होने से संस्कृत की उच्च परीक्षाओं में केवल प्राचीन सूतियों या उनकी अर्वाचीन व्याख्याओं के ही कुछ भी भाग नियत रहते हैं । परन्तु इनसे आज कल के प्रचलित कानून का कुछ भी ज्ञान नहीं होता । इसी कामी को दूर करने के लिए इस पुस्तक का लिखना प्रारम्भ ज्ञान नहीं होता । इसी कामी को दूर करने के लिए इस पुस्तक का लिखना प्रारम्भ किया गया था । परन्तु आज ईश्वर की रूपा से भारत स्वतन्त्र हो गया है और आशा है कि जैसे जैसे हमारी मानू भाषा हिन्दी और उसकी जननी संस्कृत से अंग्रेजी की महता नष्ट होती जायगी, वैसे वैसे इस पुस्तक की उपादेयता घटती जायगी । यह बात पश्चिम बंगाल के शासक (Governor) और कानून के माने जायगी । यह बात पश्चिम बंगाल के शासक (Governor) और कानून के माने हुए विद्वान् पण्डित श्री फैलासनाथ काठजू महोदय ने इस पुस्तक के प्रथम भाग के लिए लियी अपनी भूमिका में और फैडरल सर्विस कमीशन के विशिष्ट सभासद डॉक्टर एल० डी० जोशी महाशय ने इस पुस्तक पर लिखी अपनी सम्मति में स्पष्ट तौर से स्वीकार की है । इसके द्वितीय भाग की भूमिका विद्वान्-प्रान्त के शासक (Governor) प्रसिद्ध विद्वान् श्रीमान् माधव श्री हरि अणे महाशय ने लिखी है ।

आर्यविधानम् ।

इस पुस्तक में निम्न लिखित ३० मुख्य विषय हैं—

(१) प्रारम्भ, (२) विधानों (नियमों) की उत्तरति के स्थान, (३) दाय (हकदारी) के घन की प्राप्ति में साधारण नियम, (४) दाय-घन के बाटने ने मिताद्वारा में कहा क्या, (५) जी-हकदार, (६) बंवर्हे के उत्तराधिकार बाटने पर मिताद्वारा में कहा क्या, (७) धी-हकदारी के नियम, (८) हकदारी में के नियम, (९) चंगाल के पुरुषों के उत्तराधिकार के नियम, (१०) हकदारी में के नियम, (११) दायमाग के सुख्ख भेद, (१२) दाय-घन और बटवारे के हक से मिताद्वारा और दायमाग के सुख्ख भेद, (१३) जी-का हकदारी में मिला घन, हकदारे पर विचार, (१४) धी-घन, (१५) जी-का हकदारी में मिला घन, (१६) मिताद्वारा के मत में सामेदार और सामके का घन, (१७) (चंगाल के) दायमाग में कहे सामेदार और सामके का घन, (१८) मिताद्वारा में कहे दायमाग में के कहे का विचार, (१९) कहे का निवेदन, (२०) (चंगाल के) दायमाग में के कहे का विचार, (२१) नहीं कही जाने दायक संपत्ति, (२२) सद, (ज्याज) के नियम, (२३) नहीं कही जाने दायक संपत्ति, (२४) सद, (ज्याज) के नियम, (२५) नहीं कही जाने दायक संपत्ति, (२६) जैन-विधान, (२७) शहों का दूसरे के नाम पर किया लैन-देन, (२८) जैन-विधान, (२९) शहों का कल्पन,

इसके अतिरिक्त इनमें के अवान्वत्तर भेदों का और मिलादरा को मानने पाले बनारस, वैद्य, मिथिला, मद्रास आदि के श्रावणीश्वर भेदों का भी विराद विवरण है।

इस गुरुत्व को दो भागों में प्रकाशित किया गया है। इसके प्रथम भाग में उपर्युक्त विषयों में से प्रथम १७ विषय है और उसके परिणाम में भारत की विधान सभा में विचारार्थ उपरियत छिप नहीं दिन-विधान की भी मुख्य-मुख्य खातों वाले प्रभावों के दृष्टि रखी है। दूसरे भाग में बाद के १३ विषय हैं। ये दोनों भाग एक से दूसरे की गई हैं। दूसरे भाग में बाद के १३ विषय हैं। ये दोनों भाग क्षमताकार तैयार हैं। पहले भाग की पृष्ठ संख्या कठीन १५० और श्लोक संख्या २२७, तथा दूसरे भाग की पृष्ठ संख्या ३७५ और श्लोक संख्या कठीन ११०० है। इन भागों की सारक दिमाई २ वेज़ी और प्रत्येक भाग की अधिकतम १०० समय है।

आज तक वी कागड़ वी कमी न कार्रवी की बठिनाई के कारण पुस्तक
में दैनन्दिन ५०० कार्रवी ही सापी गई है।

इसके लिखने में लेखक को कहाँ तक सकता हुई है वह आगे उद्धृत की हुई उच्च समितियों के देखने से प्रकट होगा।

विश्वेश्वरस्मृति के पूर्वार्थ को भी जिसमें स्मृति-राष्ट्र सम्बन्धी अन्य चारों हैं यथासाध्य शीघ्र प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जायगा।

पुस्तक मिलने का पता—

रामसिंह सीसोदिया

कुचामणि की दबेली,

जोधपुर

प्रकाशक

OPINIONS

(संस्कृतिया)

Pandit Bisheshwarnath Reu is a Sanskrit scholar of great repute. I think he has laid his countrymen under a deep obligation by writing this book on Hindu Law in Sanskrit. It was much needed and hope it will appeal to a great circle of interested readers.

This pioneer effort of Pandit Reu is entitled to great encouragement. His exposition of the law is both learned and accurate and he has shown that it is not difficult to set out our law in simple Sanskrit. The Hindi translation will make it still more useful.

GOVERNMENT HOUSE

Calcutta

14th October 48

KAILAS NATH KATJU.

M. A., L. L., P., D. Litt.

Governor

W. Bengal.

As observed by Mr. Katju, you have demonstrated that it is possible to state in simple Sanskrit the rules of the Hindu Law even as it is administered today and you have more than achieved the aim which you set for yourself when in all humility you stated in the preface

परं यद्यत्रेण प्रथेन संस्कृतवाहूमये एतादृशस्य गुणात्मकार्यविवाचनिकथा—
भावस्थारेनापि पूर्तिः संमेतर्त्त्वं अलाभिस्तत्वो धंस्यते स्वच्छेः प्रयतः ।
If anything, my apprehension is that your statement of
the law is so elaborate and detailed that the book may be
more suited to the legal practitioners than to sanskrit stu-
dents who may take the Smritis and Nibandhas as their
course. The explanatory notes in-Hindi, though brief, must
be a great help to beginners. This part alone exceeds 2,000
slokas... As it is, it is a wonder that you have been able to
express yourself so easily and fluently in verse.

Expressing my appreciation of your labours in the
cause.

(Camp Gorardhan
MYLAPORE, MADRAS
11 th January 1949)

S. VARADACHAR
Ex. Judge
Federal Court of India &
Chairman, Income-Tax
Investigation Commission
New Delhi

I have glanced through the manuscript of 'Arya Vidyham-
nam' compiled by Mahamahopadhyaya Pandit Visheshwar
Nath Ren. It is an illuminating commentary in Metric
Sanskrit with a Hindi translation, on the Hindu Law as
administered in the present time in the several parts of
India. References have been made, to the more important
case law on the subjects discussed in the book. It is so far
as I know, the first attempt of its kind in these
days and is therefore all the more commendable. From
what I have been able to see I can say that the statement
of the law by the author is accurate. The book is bound to
be useful to all those who are interested in the subject and
particularly to the Judges as well as to the Legal

practitioners.

JODHPUR

27th March 1948

JAILAL (SIR)

Retd. Judge

High Court.

(Lahore.)

श्रीमहामहोपाध्यादपद्वीधारिभिः श्रीयुत रेत-शर्मभिर्यदार्चविपानं नाम पुस्तकं विरचितं तत्समेक्यं महान् संतोषो मे समजनि । एताद्यास्य पुस्तकस्याधुना अत्यन्तमावश्यकता वर्तते । धर्मशास्त्रपाठकानो न्यायाधीशाङ्कृता निर्णया विषयानसमाया निर्वन्धाथ न परिचिता भवन्ति । तेयां कृते श्रीमहामहोपाध्याद्यरचितोऽयं प्रबन्धं इति मे ग्रतिभाति । तेयां चायं परिश्रमोऽतीव सकलो भवेयदि प्राचीन-स्मृति-निष्पत्ताःये पठन्ति से सम्बन्धस्य पुस्तकस्याध्ययनं खुर्यः । महता अमेण निर्मितमिदमार्यविवानं (विश्वेश्वरस्मृत्यन्तर्भूतं) सर्वेषामादराय सन्तोषाय च जायेत इति मे विधासः ।

I have gone into the 'Aryavidhanam' composed by Mahamahopadhyaya Reu. I find that he has incorporated into his work in easy and flowing Sanskrit verses latest Judicial decisions and the Acts of the Indian and Provincial legislatures which have modified the Hindu law of the Smritis and Nibandhas. This work will be of great use to all those who study Smriti works and digests under the old system and will enable them to keep their knowledge up to date. It will be of help even to those who learn a little Sanskrit or Hindi and want to know what the modern Hindu Law is as to several subjects.

P. V. KANE.

Advocate,

Bombay

29-12-47.

M. A., L. L. M., D. Litt. (Hon.)

Mahamahopadhyaya

Vice-Chancellor, Bombay University.

Author of the History of Dharmashashtra.

6

I have read with great interest and pleasure some pages in the proof copy of "Arya Vidhanam" by Mahamahopadhyaya Pandit Bisheshwar Nath Reu.

The learned scholar has lucidly dealt with what Hindu Law was and also explained the changes recently effected in it as well as correctly enunciated the principles of Hindu Law as are administered by the courts at present.

I am sure it will prove an invaluable treatise for scholars of Dharm Shastras in Sanskrit Colleges in India and a time may come when it will be a text book for Law students in various universities in India when the medium of instruction is through Hindi.

The deep scholarship and clarity of thought of the learned author are well reflected in this great work.

L. D. JOSHI

18th June, 1948.

L. L. D., Bar at Law

Additional Member
Federal Service Commission

Mahamahopadhyaya Pandit Visvesvaranath Reu has placed the world of scholars interested in Hindu Law under a great obligation by the timely publication of his pioneer work Aryavidhanam. The work is divided into two parts and is an easy digest of the vast range of Hindu Law dealt with in different works from the earliest times to the present day. Part I of the work which has been printed deals in about 2300 simple sanskrit verses with Hindu Law bearing chiefly on 'Dayabhaga' and 'Stridhana' in detail as it is administered at present in the courts of the important provinces of India. The incorporation of the changes that have been introduced into them, from time to time and the citations of the latest judicial decisions invest the work with modernity and authoritativeness. A lucid commentary in Hindi enhances the usefulness of the

work. It is hoped that part II of the work which proposes to deal with other important problems of Hindu Law bearing on Wills, marriage, adoption etc., will soon be available. Pandit Reu's work ably illustrates that Sanskrit still lends itself to expressing modern and up-to-date ideas with brevity, clarity and precision.

ANNA MALAI NAGAR } S. G. MANAVALA RAMANUJAM
21st February 1949 } Vice-Chancellor.
ANNA MALAI UNIVERSITY

'आर्यविवाह' में आपने मिताहरा, दाक्षभाग आदि तत्त्वदेश में प्रचलित हिन्दू धर्मशास्त्रों के आधार पर तत्त्वदेश के विधानों (प्राचीन) का एकत्र संकलन व मतमेद प्रदर्शन करते हुए, अंग्रेजी कानून जो तत्त्वदेश में नवीन लगाये गये हैं, उनका भी संस्कृत श्लोकों में संप्रद कर दिया है। आपने सपियड आदि विधयों का सश्वीकरण अच्छा किया है। अतः प्रथ्य उत्तरदेव है।

पुस्तक को संस्कृत परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में समिलित करने के लिए...
इसे पाठ्यक्रम समिति के सम्मुख वर्गस्थित किया जायगा।

नं० एस १०८
२

ता० १०-५-४६

ना० शा० खिस्ते
ब्रिसिपल
गवर्नर्मैन्ट संस्कृत कालेज
बनारस

पुस्तक बहुत ही मार्गिक और विद्वत्तापूर्ण है। भाषा-टीका बहुत ही उत्तमोग्गमी है।

जयपुर
नं० २४३ GD PRO

For प्रधान मंत्री
राजस्थान

रेत-महोदय स्थानेडव समारम्भः । संस्कृत एव किम्, राष्ट्रभाषेति सर्वतः संघो-
षितायाः, हिन्दीभाषायामपि आर्यविवाहातो (हिन्दूकानून) मंदन्ये सर्वाङ्गपूर्ण पुस्तकं
नायावधि प्रकाशितम् ।...कालप्रगत्या सर्वशाइपि परिवर्तनं नूनमनिवार्यं नाम ।
किञ्चन्द्रावधि प्राचीनो आर्यतादनुसारं स्वयम्भाष्ये प्राकर्दन्त । समभूतसमये समर्थे-

इसकं साहित्ये चार्यविद्यरित्वं नामुपाधीं समावेशोऽपि । इन्द्रु समवद्दे संहृतस्य प्रत्यारे समवद्दा सेवं चेष्टापि नूत्प । अत एव हि मन्ये नातिमार्भिकाः पुरुषः संस्कृतामिमो गिरं 'भूता' इति प्राप्तम् ।*** संश्लिष्टि येन देनापि होणास्तु, त्वत्तत्त्वात् संभानं संस्कृतवति देशोऽस्मिन्, परितः परिघेवितार्थं च हिन्दूविजयघोषणादाम् आर्यसाहित्यस्य सेवं हृदयदाहकारी तुर्दिनं किं परिपूर्णितुं शारोताऽऽप्यैरेव ॥ दूर्पत्य विषये वदस्मिन्विषये प्रियमुद्देशो महामदोपाधाय पं० श्री विश्वेशवत्नाथरेत महामण्डपं समाङ्गश्च दृष्टिः । परिधानं चारिमित्र विषये महामणेनाऽनेन पूर्णतया ।

'आर्यविद्याने'ऽस्मिन् वर्त्मानाधनीश सेवं विरेतता यदस्मिन् वर्त्मानवाले प्रत्येकप्राप्ते प्रवलितानि यानि यानि विपानानि (कानून), तेषां सर्वेषामेव संप्रदाय परमपरिप्रयोगं चिह्नितः । वज्रेषु संश्लिष्टि किं विपानम्, भिक्षितार्थो किं प्रचलितम्, भद्रास, बद्धदृढ़... प्रसूतिषु च कीदरां विधानं वर्त्मानकाले व्यवहारमुक्तम्, एव तेषां परस्तरं भेद इति इन्द्रेऽस्मिन्, विस्तरेण प्रदर्शितम्, प्रचलितानि राजशासनानि सोनिरेत्य प्रामाणिकाहोतु च मंगूढीतम् । वर्त्मानकालिकाजनानां सर्वतः सुविधा भवेदिति उर्वबोध्या द्विन्देशोऽपि सदृ समावेशतेर्ति शोषणम् भुवोग ।

विधानपुस्तकमित्रमानोदय हृदयः प्राप्तम् । मन्ये संहृतसाहित्यस्य राजदौङ्ग-पूर्णतो दिव्यवौद्येऽपि प्रत्येकानेन संहृतानुग्रहितोपर्यन्तेः ।

मह श्रीमयुरानाय शास्त्री (व्रधान संपादकः)

संस्कृतवाक्यः (जयपुरम्)

वर्षम् १२, संख्या १०-११ (अप्रैल-मई १९४८)

अनेतेतिहास-निकाम-निर्माणा महामदोपाधायेन पं० श्रीविश्वेशवत्नाथरेत-महोदयेनेममार्यविद्याभिशानं महान्तं धन्यमात्यद्यातीवोपकृतः संहृतसाहित्य-संसारः । एतादृशस्य वर्त्मानगुण-विधान-नियन्त्रयं न्यूनतैर्व नामाऽप्यावधि संस्कृता-धेनूर्णा धात्राणामेतद्विषयावगाहते मुख्यं वैमुख्यं संपादयन्तासीत्, साऽनुनाऽभुता-पदाभागेन दूषीहतेि सुमहान् दर्पाक्षरः । समयोभितानामीद्दीनो शाहित्यसामग्रीषां परिपूर्तिरेव संहृतस्य राष्ट्रमापात्यभिक्षमसानाजामभिमानं रसितुं प्रगल्भते । रेत-महामण्डपं विषयविवेचनप्रकारे विशदतः । गरुदा च संस्कृतविज्ञानासुराणिः । तत्रापि लक्ष्मीन्द्रियो तद्द-प्राकृतानभिल्लितरेतरं विषयारिज्ञानोरयोगित्वमहत्य संदर्भस्य नितये इत्यति इत्यं पाठकानाम् ।

अपि च गुणतरस्यास्य ग्रन्थस्य सामयिकीमुपयोगितां विविदुपा विदुपा राश-
सादव—राह—श्री गोवद्दू नलाल कावरा—महोदयेन यदेव प्रसादितस्ततस्य हार्दिकी
संस्कृतानुरागितां समीक्ष्य-कारितां च परिचायवतीति परमोऽपर. प्रमोदावसर. ।

आशासे, भारतीयविश्वविद्यालयानां अन्यनियामिकाः समितयः (Text
book committees) प्रन्मममुं तदहै-संस्कृतपरीक्षामु पाठ्यतया नियमय मन्त्र-
विध्यन्ति प्रयोग्नुः प्रकाशयितुधै नं मदान्तं परिध्रममिति ।

नित्यानन्द शास्त्री

(H. S. L. L.)

योधपुरम्,

ता० १२०-८४

श्रीरामचरिताच्छिद्रकमद्वाकाव्यादीना इच्छिना,
अजितोदयन्तिमुकावलीप्रभूतीना संशदकः,
शास्त्रिप्रमुखोच्चपरीक्षाणां परीक्षकथ ।



मारवाड़ प्रिन्टर्स लिमिटेड, जोधपुर ।